

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004



फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली - 110 001, भारत

डिज़ाइन एवं प्रिन्ट: सेन्ट जोसफ प्रेस, B-272, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, भाग-1, नई दिल्ली-110 020
फोन: 4161 6489, फ़ैक्स: 2684 7372, ई-मेल: stjpress@yahoo.co.in

विषय सूची

1	प्रस्तावना	1
2	अशक्तता – प्रतिमान परिवर्तन : कल्याण से मानवाधिकार तक	3
3	गुजरात में स्थिति	15
4	नागरिक स्वतंत्रताएँ	26
	क) आतंकवाद एवं विद्रोह की स्थितियों में मानव अधिकारों का संरक्षण	26
	ख) हिरासतीय मौतें / यातना	30
	ग) मुठभेड़ में मौतें	33
	घ) व्यवस्थागत सुधार : पुलिस	35
	च) राज्य पुलिस मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठों का गठन	36
	छ) मानव अधिकार और दांडिक न्याय तंत्र का प्रबंध	37
	ज) हिरासतीय संस्थाएँ	39
	1) जेलों का निरीक्षण	
	2) जेल जनसंख्या	
	3) 31 दिसम्बर 2002 तक जेल जनसंख्या का विश्लेषण	
	4) 30 जून 2003 तक जेल जनसंख्या का विश्लेषण	
	5) जेल-कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना	
	6) राज्यों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टें	
	7) जेल-अवसंरचना एवं संबद्ध सुविधाओं की समीक्षा: उड़ीसा तथा झारखंड	
	8) जेलों में पड़े मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति	
	9) जेल सुधार	
	10) अन्य सुधारात्मक संस्थानों/संरक्षण गृहों के दौरे	
	झ) न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का सुधार	57
5	मानव अधिकार विषयक कानूनों, संधियों के कार्यान्वयन तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों की समीक्षा	59
	क) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा)	59
	ख) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929	62

॥ : विषय सूची

ग)	घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक, 2002	63
घ)	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	63
च)	संधियों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों का कार्यान्वयन	64
1)	बाल अधिकारों पर अभिसमय के लिए प्रोटोकॉल	64
2)	1949 जेनेवा अभिसमयों के लिए 1997 प्रोटोकॉल	65
3)	यातना के विरुद्ध अभिसमय	65
4)	शरणार्थियों की स्थिति पर अभिसमय एवं प्रोटोकॉल	66
छ)	अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित कानूनों की समीक्षा	67
ज)	नए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की ओर	68
6	स्वास्थ्य का अधिकार	74
क)	स्वास्थ्य संबंधी कोर सलाहकार गुप	74
ख)	जन स्वास्थ्य और मानव अधिकार	75
ग)	स्वास्थ्य देखरेख की पहुँच पर लोक सुनवाईयाँ	76
घ)	आपातकालीन चिकित्सा देखरेख	77
च)	घटिया औषधियाँ एवं चिकित्सा साधन	78
छ)	मानव अंगों का अवैध व्यापार	80
ज)	एच. आई. वी./एड्स और मानव अधिकार	81
झ)	मातृ अरक्तता और मानव अधिकार	84
7	महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार	85
क)	महिलाओं तथा बच्चों का देह व्यापार	85
1)	महिलाओं तथा बच्चों का देह—व्यापार संबंधी अनुसंधान कार्रवाई	85
2)	महिलाओं तथा बच्चों का देह—व्यापार : लिंग सुग्राहीकरण के लिए न्यायपालिका के लिए नियमावली	87
3)	महिलाओं और बच्चों का देह व्यापार : प्रभावी बचाव और बचाव के बाद रणनीति	88
4)	महिलाओं तथा बच्चों के देह—व्यापार को रोकने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका	90
5)	यौन पर्यटन और देह—व्यापार निवारण	91
ख)	कार्य—स्थल पर महिलाओं के यौन—उत्पीड़न की रोकथाम	91
ग)	रेलों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न	94
घ)	वृन्दावन में निस्सहाय महिलाओं का पुनर्वास	95
च)	जनसंख्या नीति – विकास एवं मानव अधिकार	98

8	सुभेद्य वर्ग के अधिकार	100
	क) बंधुआ श्रमिक उन्मूलन	100
	ख) बाल श्रम का उन्मूलन	111
	ग) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में की जा रही कोशिशें	120
	घ) अशक्त व्यक्तियों के अधिकार	122
	च) गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जन-जातियों की समस्याएं	126
	छ) सिर पर मैला ढुलाई	127
	ज) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मानव अधिकार	131
	1) उड़ीसा में चक्रवात उपरान्त पुनःनिर्माण की निगरानी	131
	2) क. गुजरात भूकम्प	132
	ख. गुजरात में हिंसा के शिकार लोगों के लिए मानसिक आघात पर परामर्श	133
	झ) मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता आश्वासन	134
	ट) भोजन का अधिकार	142
	ठ) जाति पर आधारित भेदभाव	145
9	पर्यावरण विषयक मामले	147
	क) खनिकों की सुरक्षा	147
	ख) जलनिकास/मैनहोल साफ करने वाले कामगारों की सुरक्षा	150
	ग) पश्चिम बंगाल में संखिया से विषाक्तन (आर्सेनिक पॉएजनिंग)	151
	घ) फ्लूरोसिस	152
	च) बृहत् परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों का पुनर्वास	152
10	अनुसंधान कार्यक्रम और परियोजनाएँ	154
	क) भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन	154
	ख) अशक्त व्यक्तियों के निर्वाह व्यय का सही-सही आकलन (राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा किया गया केस अध्ययन)	155
	ग) अशक्तता जैसे कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के विधायन/नीति के जिला स्तर पर कार्यान्वयन की क्षमता का अध्ययन	156
	घ) बधिर व्यक्तियों के लिए भारतीय संकेत भाषा की पहचान और उसे बढ़ावा देना-अनुसंधान कार्रवाई	156
	च) अशक्त व्यक्तियों द्वारा सूचना अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव-आई. सी. टी. डेस्क अनुसंधान	157
	छ) ऑपरेशन ओएसिस-पश्चिम बंगाल में मानसिक रोगियों से संबंधित अध्ययन	158

IV : विषय सूची

ज)	हरियाणा में दलित महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति	159
झ)	भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा पर अनुसंधान अध्ययन: दाण्डिक न्याय प्रणाली की प्रकृति, कारण और प्रतिक्रिया	160
ट)	बाल न्याय (बाल देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के कार्यान्वयन पर अध्ययन	161
ठ)	बैंगलोर में महिलाओं द्वारा पुलिस स्टेशन में की गई शिकायतों का अध्ययन	162
ढ)	“दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के गैर-अधिसूचित और खानाबदोश समुदायों के मानव अधिकारों की स्थिति” नामक अनुसंधान अध्ययन	162
ड)	तेंदू पत्ता तोड़ने वालों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अनुसंधान अध्ययन-उड़ीसा	163
त)	बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों के प्रति वर्तमान विचारधारा स्थिति पर अनुसंधान परियोजना	164
11	मानव अधिकार साक्षरता और जागरूकता का संवर्धन	166
क)	मानव अधिकारों की राष्ट्रीय कार्य योजना और मानव अधिकार शिक्षा की कार्य योजना	166
ख)	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान	169
ग)	भारत में मानव अधिकार शिक्षा की स्थिति की समीक्षा	169
घ)	भारतीय विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा के लिए स्रोत सामग्री	170
च)	मानव अधिकार शिक्षा पर यू. जी. सी. द्वारा तैयार दसवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पेपर-राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणियाँ	171
छ)	सिविल सेवकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण	173
ज)	पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण	175
1)	पुलिस प्रशिक्षण संबंधी अनुसंधान परियोजनाएँ	175
2)	अच्छी हिरासतीय पद्धतियों का संवर्धन	176
झ)	अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों के लिए मानव अधिकार शिक्षा	177
ट)	न्यायिक अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण	177
ठ)	अंतः शिक्षुता (इंटरर्नशिप) कार्यक्रम	180
ड)	प्रकाशन और मीडिया	181
ढ)	आयोग की ओर से विभिन्न राज्यों के दौरे	187
12	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	186
क)	अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति (आई. सी. सी.) तथा मानव अधिकार आयोग की बैठकें	186
ख)	एशिया पैसिफिक फोरम की वार्षिक बैठक	189
ग)	विदेशों में दौरे, सेमिनार और कार्यशालाएँ	192

घ)	आदान-प्रदान और अन्य परस्पर संवाद	193
च)	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और कनेडियन मानव अधिकार आयोग सहलग्नता परियोजना	195
छ)	सीमापार देह व्यापार को रोकने के लिए रा.मा.अ.आ., भारत-रा.मा.अ.आ., नेपाल की संयुक्त परियोजना	197
ज)	नेपाल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आयोग की शिकायत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन	199
13	गैर सरकारी संगठन	201
14	राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय	205
15	आयोग के समक्ष शिकायतें	208
क)	संख्या और स्वरूप	208
ख)	शिकायत प्रबंधन प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	210
ग)	मामलों का अन्वेषण	210
घ)	2003-2004 के दृष्टांत मामले	211
क)	पुलिस हिरासत में मौत	211
1)	नई दिल्ली, पुष्प विहार पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में जाकिर की मौत (मामला संख्या 525/30/2001-2002-सी. डी.)	211
2)	खाड़गांव जिले के बालावाड़ पुलिस स्टेशन में मदन भिलाला की पुलिस हिरासत में मौत: मध्य प्रदेश (मामला सं. 71/12/2001-2002-सी. डी.)	212
3)	पी. एस. सिरसी, जिला गुना: मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में छिग्गा की मौत (मामला सं. 1800/12/2000-2001-सी. डी.)	213
ख)	न्यायिक हिरासत में मौत	214
4)	जिला जेल, मथुरा, उत्तर प्रदेश में संजय शर्मा की मौत (मामला सं० 41373/24/2000-2001-सी. डी.)	214
5)	विचाराधीन कैदी, टची काकी की मौत : अरुणाचल प्रदेश (मामला सं० 14/2/2002-2003-सी. डी.)	215
ग)	हिरासतीय यातना	215
6)	आर. पी. एफ. कर्मचारियों द्वारा जगन्नाथ शाव का उत्पीड़न और यातना: पश्चिम बंगाल (मामला सं० 118/25/2002-2003)	215
घ)	पुलिस उत्पीड़न	
7)	राँची की निवासिनी सरिता साहू से प्राप्त शिकायत: झारखण्ड (मामला सं० 974/34/2001-2002)	216

च)	अवैध नज़रबन्दी और यातना	217
8)	मनोहरण की गैर-कानूनी नज़रबन्दी : तमिलनाडु मामला सं० (213/22/2001-2002)	217
9)	पुलिस स्टेशन शिकारपुर में अवैध नज़रबन्दी और यातना: उत्तर प्रदेश (मामला सं० 17171/24/1999-2000)	218
छ)	पुलिस की गोली से मौत	219
10)	सलमान दिनकर पदवी की पुलिस गोली से मौत : महाराष्ट्र (मामला सं० 1332/13/2000-2001/एफ. सी.)	219
11)	आगरा में पुलिस की गोली से सोनाली बोस की मौत : उत्तर प्रदेश (मामला सं० 13664/24/2002-2003-एफ. सी.)	220
ज)	बच्चों/महिलाओं के अधिकारों का हनन	221
12)	बारह घंटे प्रति दिन कड़ी मेहनत करने वाले बच्चों को 5 रु० प्रति सप्ताह की दर से मेहनताना: दिल्ली (मामला सं० 1868/30/2001-2002)	221
13)	बालिका को अवैध रूप से बन्दी रखने का आरोप : उड़ीसा (मामला सं० 80/18/2003-2004-डब्लू. सी.)	222
14)	यू. के. वाजपेयी, ए. एन. एम. का उत्पीड़न, उसके साथ दुर्व्यवहार तथा क्षति : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 29929/24/2000-2001)	223
15)	शिकायतकर्ता तथा उसकी माता सहित 17 महिलाओं का बलात्कार : गुजरात (मामला संख्या : 256/6/2003-2004 (डब्लू. सी.)	224
झ)	बलात्कार	
16)	भील आदिवासी समुदाय की चार वर्षीय बालिका का बलात्कार : दिल्ली (मामला संख्या : 3703/30/2002-2003 (डब्लू. सी.)	226
17)	किशोर प्रेक्षण गृह में रहने वाली दस वर्षीय लड़की का बलात्कार, रायचुर: कर्नाटक (मामला संख्या 32/1/1999-2000 (डब्लू. सी.)/एफ. सी.)	227
18)	राँची पुलिस स्टेशन में बलात्कार : झारखंड (मामला संख्या 415/34/ 2001-2002 - ए. आर./एफ. सी.)	228
ट)	बाल विवाह	
19)	बाल-विवाह : छत्तीसगढ़ (मामला संख्या 56/33/2003-2004)	229
ठ)	समाज के सुभेद्य वर्ग	230
20)	सरकारी स्कूल राजसमन्द के स्थानापन्न मुख्य अध्यापक की मौत : राजस्थान (मामला संख्या 1727/20/2001-2002)	230
21)	अमर ज्योति कुष्ठ पुनर्वास सोसायटी में कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास अभियान: हरियाणा (मामला संख्या 2135/7/2002-2003)	231

ड)	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार	232
22)	शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटों का प्रावधान: दिल्ली (मामला संख्या: 1023/30/2002-2003)	232
ढ)	एच. आई. वी. मरीजों के अधिकार	233
23)	एच. आई. वी. पोज़िटिव मरीज xxx का लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में चिकित्सीय उपचार : नई दिल्ली (मामला संख्या 1698/30/2003-2004)	233
ढ़)	मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के अधिकार	234
24)	महानिरीक्षक (कारागार) दिल्ली से कैदी श्री चरणजीत के बारे में सूचना (मामला संख्या 3628/30/2001-2002)	234
थ)	विद्युत प्राधिकारियों की लापरवाही	235
25)	विद्युत विभाग की लापरवाही से पाँच वर्षीय लड़के की मौत : गोवा (मामला संख्या 33/5/2000-2001/एफ. सी.)	235
26)	बिजली का करंट लगने के कारण डिरिसाम लाज़ेर की मौत : आंध्र प्रदेश (मामला संख्या 147/1/20.01-2002 (एफ. सी.)	237
द)	बंधुआ श्रमिक	239
27)	कामेंग (पूर्व) जिला, आंध्र प्रदेश के बंधुआ श्रमिक संबंधी उच्च अधिकार समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन न करना (मामला संख्या 12/2/1999-2000(एफ. सी.)	239
28)	चौना पत्थर खानों, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में कार्यरत 400 बंधुआ श्रमिक [मामला संख्या : 1351/12/2001-2002 (एफ. सी.)]	240
29)	बिजली करघा कारखाना, जिला पेरियार तमिलनाडु में बंधुआ श्रमिक मामला संख्या: 22/212/96-एल.डी.(एफ.सी.)	241
त)	अन्य महत्वपूर्ण मामले	242
30)	आतंकवादियों द्वारा "लंगर" पर आक्रमण - 7 वैष्णों देवी तीर्थयात्री मारे गए" : जम्मू तथा कश्मीर [मामला संख्या : 58/9/2003-2004 (एफ. सी.)]	242
31)	रोगग्रस्त अनुभवी राजनीतिक नेता, सैयद अली शाह गिलानी का चिकित्सा उपचार: जम्मू तथा कश्मीर (मामला संख्या : 1271/34/2002-2003/एफ. सी.)	243

- प) वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 की वार्षिक रिपोर्टों में प्रतिवेदित मामलों पर की गई कार्रवाई

244

2001–2002

- 1) किसानों का उत्पीड़न तथा अवैध नज़रबंदी : उत्तर प्रदेश
(मामला संख्या: 9480 / 24 / 1999–2000)
- 2) सशस्त्र बलों द्वारा गोलाबारी में मौत, मणिपुर (मामला संख्या: 25 / 14 / 1999–2000)
- 3) एडवोकेट, जलील अन्दराबी का मामला : जम्मू तथा कश्मीर
(मामला संख्या: 9 / 123 / 95–एल. डी.)
- 4) पुलिस गोलाबारी में मौत : बिहार (मामला संख्या 2489 / 4 / 1999–2000)
तथा 2314 / 4 / 1999–2000)
- 5) अशक्त व्यक्तियों के अधिकार : एक नेत्रहीन चिकित्सा छात्र, सी. एस. पी. अँका टोप्पो को आयोग द्वारा सहायता ताकि वे एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम पूरा कर सकें
(मामला संख्या: 1754 / 30 / 2000–2001)

2002–2003

- 6) लापरवाही के कारण गोगोन गाँव, के पूर्व सरपंच, चुहुड सिंह की अभिरक्षण में मौत : पंजाब (मामला संख्या: 431 / 19 / 2000–2001)
- 7) उत्पीड़न के कारण पुलिस अभिरक्षण में भुजई की मौत : उत्तर प्रदेश
(मामला संख्या: 4238 / 96–97 / रा0 मा0 आ0 अ0)
- 8) जमीर अहमद खॉ को हिरासत में यातना : उत्तर प्रदेश
(मामला संख्या: 14071 / 24 / 2001–2002)
- 9) कोटा में शिक्षक के साथ पुलिस ज्यादाती : राजस्थान
(मामला संख्या 1603 / 20 / 2001–2002)
- 10) पुलिस कार्मिकों की लापरवाही से इकरमुददीन का गलत परिरोध: उत्तर प्रदेश
(मामला संख्या : 23239 / 24 / 1999–2000)
- 11) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अन्तर्गत नावी उल्लाह का झूठा फँसाना : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 13501 / 24 / 2000–2001)
- 12) लापरवाही के कारण विचारणाधीन कैदी, हरजिन्दर उर्फ जिन्दा की हिरासतीय मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 8437 / 24 / 1999–2000–सी. डी.)
- 13) जेल में मानक राम की हत्या तथा उसके पुत्र को गम्भीर चोटें : राजस्थान
(मामला संख्या: 263 / 20 / 98–99–ए. सी. डी.)
- 14) प्रोबेशन होम के अधीक्षक द्वारा अंत: वासियों पर अत्याचार : झारखंड
(मामला संख्या: 177 / 34 / 2001–2002)

15)	टोंक में बाल श्रमिकों का शोषण : राजस्थान (मामला संख्या 817/20/2001-2002)	
16)	पुलिस की लापरवाही के कारण एक नाबालिग लड़के, चन्द्रपाल की मृत्यु : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या : 11150/24/1999-2000)	
17)	बँधुआ बाल श्रमिक : आँध्र प्रदेश (मामला संख्या: 443/1/2001-2002 (एफ. सी.)	
18)	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार – पाँच दलितों की हत्या: हरियाणा (मामला संख्या 1485/7/2002-2003/एफ. सी.)	
19)	मुम्बई हवाई अड्डे पर आप्रवास अधिकारी द्वारा श्री कुमपामपाडुम थॉमस सकरिमा का उत्पीड़न : महाराष्ट्र (मामला संख्या 263/13/2000-2001)	
20)	भुखमरी के कारण होने वाली मौतों को रोकने के उपाय : उड़ीसा (मामला संख्या 37/3/97-एल. डी. (एफ. सी.)	
16)	प्रशासन तथा संभागीय सहयोग	258
	क) विशेष संपर्ककर्ता	258
	ख) कोर समूह	259
	ग) राजभाषा का प्रयोग	260
	घ) पुस्तकालय	261
	च) निधियाँ	262
	च) मानवाधिकार भवन	262
17)	प्रमुख सिफारिशों और टिप्पणियों का सार	263

संलग्नक

1	समापन विवरण: अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का संवर्धन: नए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की ओर, नई दिल्ली, भारत 26-30 मई 2003 (पैरा 2.32)	278
2	1.4.2003 से 31.3.2004 तक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई हिरासतीय मौतों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण (पैरा 4.25)	286
3	पुलिस कार्रवाई के दौरान मौतों के सभी मामलों में राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण की जाने वाली संशोधित पद्धति/दिशा निर्देशों पर राज्य के मुख्य मंत्रियों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को आयोग के अध्यक्ष का दिनांक 2 दिसम्बर का पत्र (पैरा 4.30)	288
4	पुलिस द्वारा तथाकथित नकली मुठभेड़ों और सशस्त्र बलों तथा अर्ध-सैनिक बलों द्वारा नकली मुठभेड़ों के परिणाम स्वरूप हुई मौतों के सम्बन्ध में, शिकायतों की संख्या की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण (पैरा 4.33)	292
5	पुलिस मुठभेड़ तथा सेना द्वारा गोलाबारी के परिणामस्वरूप हुई मौतों के संबंध में शिकायतों की कुल संख्या पर राज्य-वार स्थिति (पैरा 4.34)	294

6	राज्य कारागारों में विचारणाधीन कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए उपायों का सुझाव देते हुए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को आयोग के अध्यक्ष का दिनांक 1 जुलाई, 2003 का पत्र (पैरा 4.54)	296
7	‘भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं’ के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा स्थिति तथा सुधार के लिए सिफारिशें (पैरा 6.9)	301
8	मानव अंगों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए सुझाए गए उपचारी उपायों पर भारत के प्रधानमंत्री तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों का आयोग के अध्यक्ष का दिनांक 29 जनवरी 2004 का पत्र (पैरा 6.14)	323
9	भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री आर.एस काल्हा द्वारा 2 से 5 फरवरी, 2004 के इंटरनेशनल रेस रिलेशंस राउन्ड टेबल, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में दिया गया वक्तव्य (पैरा 8.159)	327
10	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का अप्रैल 2003 को मानव अधिकार आयोग जीनेवा के 59वें सत्र में दिया गया वक्तव्य (पैरा 12.2)	331
11	एशिया प्रशान्त मंच, काठमांडू, नेपाल की आठवीं वार्षिक बैठक में 18.2.2004 को “मानव अधिकार संरक्षण तथा सुरक्षा चिंता का सन्तुलन: क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य” संबंधी सत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण (पैरा 12.4)	337
12	वर्ष 2003—2004 के दौरान मामलों की राज्यवार निपटान दर्शाने वाला विवरण (पैरा 15.1)	346
13.	1.4.2003 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शानेवाला विवरण (पैरा 15.1)	349
14	31 मार्च, 2004 को लम्बित मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण (पैरा 15.2)	358
15	वर्ष 2003—2004 के दौरान पंजीकृत मामलों/सूचनाओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण (पैरा 15.3)	360

चार्ट और ग्राफ

1	2003—2004 के दौरान रजिस्टर्ड मामलों की राज्यवार सूची	362
2	पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001, 2002, 2003 के दौरान रजिस्टर्ड मामलों की सूची	363
3	वर्ष 2003—2004 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार से संबंधित पंजीकृत सूचनाओं की राज्यवार सूची	364
4	वर्ष 2003—2004 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए/लम्बित मामले	365
5	वर्ष 2003—2004 के दौरान आरंभ में ही खारिज मामले; राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में खारिज की दर 1% से अधिक	366
6	वर्ष 2003—2004 के दौरान निर्देशों सहित निपटाए गए मामले राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में खारिज दर 1% से अधिक	367
7	वर्ष 2003—2004 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों का स्वरूप और वर्गीकरण	368

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट है और इसकी अवधि 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक की है।

1.2 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 तक की अवधि की आयोग की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 14 नवम्बर 2003 को प्रेषित की गई थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 20 (2) के अनुसार, वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट को लिखने के समय तक, दसवीं वार्षिक रिपोर्ट कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

1.3 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक की अवधि की आयोग की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को 3 जुलाई 2002 को भेजी गई थी। यह रिपोर्ट कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित लोक सभा एवं राज्य सभा, दोनों के समक्ष क्रमशः 16.12.2003 तथा 17.12.2003 को प्रस्तुत की गई।

1.4 आयोग एक बार फिर से इस बात पर ज़ोर देता है कि वार्षिक रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने में होने वाले किसी भी प्रकार के विलंब के कारण, सरकार से कृत कार्रवाई के संबंध में प्रतिपुष्टि प्राप्त करने से न केवल आयोग वंचित रहता है, अपितु इसमें वर्णित विषयों पर शीघ्र एवं उचित समय पर विचार-विमर्श करने के अवसर से संसद सदस्य एवं नागरिक भी वंचित रहते हैं। आयोग ने केन्द्र सरकार से इस वार्षिक रिपोर्ट की कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित संसद के समक्ष अविलंब प्रस्तुत करने का आग्रह किया है ताकि पूर्ववर्ती वर्ष में आयोग द्वारा की गई पहलों एवं कार्यों के बारे में जनता को बिना किसी विलंब के उपलब्ध हो सके।

1.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 20 (2) को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नौवीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सभी राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों को कृत कार्रवाई के ज्ञापन

अथवा आयोग द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों और उन्हें अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हों तो, सहित राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भिजवाई हैं। कृत कार्रवाई की रिपोर्ट केवल जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप से प्राप्त हुई हैं। राज्य विधायिकाओं के समक्ष इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की पुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

1.6 समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायमूर्ति डॉ० ए. एस. आनंद आयोग के अध्यक्ष पद पर और श्री वीरेन्द्र दयाल एवं न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, सदस्य पद पर कार्यरत थे। सदस्य के रूप में दो कार्य अवधियाँ पूर्ण होने पर 15 नवम्बर 2003 को श्री वीरेन्द्र दयाल ने आयोग के सदस्य का पदत्याग किया। 12 सितम्बर 2003 को विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री आर. एस. काल्हा, आई. एफ. एस. (1965) ने आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। 10 अक्टूबर 2003 को कर्नाटक उच्च-न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं आन्ध्र प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वाई. भास्कर राव ने आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। 3 मार्च 2004 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री पी. सी. शर्मा, आई. पी. एस. (असम/मणिपुर – 66) ने आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया।

1.7 अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अंतर्गत जो “आयोग के सदस्य माने जाएंगे”, वे हैं— डॉ० तरलोचन सिंह और डॉ० पूर्णिमा आडवानी क्रमशः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों के रूप में कार्यरत हैं। श्री बिजोय सोनकर शास्त्री, 24 फरवरी 2004 को अपने पदत्याग करने तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। संविधान के अधिनियम 2003 (नवासीवां संशोधन) के अंतर्गत 19.2.2004 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए।

1.8 19 मई 2003 को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अजीत भरिहोक ने रजिस्ट्रार (विधि) का पदभार ग्रहण किया। 1 जुलाई 2003 को श्री पी. एस. थॉमस, आई.ए.एस. (कर्नाटक: 69) ने महासचिव का पदभार ग्रहण किया और 3 नवम्बर 2003 को श्री संतोष कुमार, आई. पी. एस. (बिहार-67) ने महानिदेशक (अन्वेषण) का पदभार ग्रहण किया।

अध्याय – 2

अशक्तता – प्रतिमान परिवर्तन : कल्याण से मानवाधिकार तक

प्रस्तावना

2.1 देश की जनसंख्या के लगभग 21.5 मिलियन लोग अस्थाई या स्थाई रूप से शारीरिक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक रूप से विविध अंशों में अशक्त हैं, उनका जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं दृष्टिकोणात्मक अवरोधों के कारण प्रायः अशक्ततापूर्ण होता है, जिससे उनकी सहभागिता की स्वतंत्रता, अवसरों तक पहुंच और समान शर्तों पर अधिकारों के उपभोग पर रोक लगती है। इसके अतिरिक्त भेदभाव, असमानता, पृथक्करण एवं अशक्तता का जो उन पर धब्बा लगा हुआ है इसकी वजह से वे काफी अलग-थलग और हाशिए पर होते हैं। केन्द्र की सरकार और राज्यों द्वारा बनाए गए कानून, नीति व लाभकारी उपायों का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों और मध्यम वर्गीय भारतीयों को जो अशक्तताग्रस्त हैं, मिल पाता है। विकास के इन कार्यक्रमों से अशक्त व्यक्तियों, ग्रामीणों का एक बहुत बड़ा भाग वंचित रह जाता है। अतः आयोग का मानना है कि जहाँ तक अशक्त व्यक्तियों का संबंध है, अशक्त व्यक्तियों के लिए दया दिखाने के स्थान पर मानव अधिकार का ख्याल करना अनिवार्य है।

2.2 इस अध्याय में अशक्तता के विषय में वृहत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह संपूर्ण है क्योंकि यह विषय बड़ा है और कानून, योजना, सामाजिक व्यवहार और अन्य क्रियाओं पर इसका व्यापक असर पड़ता है। यह आयोग अशक्त व्यक्तियों, जो देश को अभिन्न अंग हैं, के अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों की झलक इस रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में मिलती है अतः यहाँ उसका उल्लेख नहीं है।

2.4 पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में आयोग ने अशक्त व्यक्तियों के प्रति विस्तृत भेदभाव के विषय में टिप्पणी की थी जिसके कारण देश के कुछ लोगों को अन्यो की तुलना में कम समान बनाती हैं। “ऐतिहासिक गलतियों” को ध्यान में रखते हुए जो शारीरिक एवं बौद्धिक अभिलक्षणों के आधार पर असमानताओं को स्थाई बनाती हैं, **“आयोग ऐसी स्थितियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जिनसे अशक्त व्यक्ति भी समानता के आधार पर अपने मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त कर सकें।”** इसका अर्थ वास्तव में अशक्तता आधारित भेदभाव को समाप्त करना है क्योंकि “पहली और अत्यावश्यक स्वतंत्रता, भेदभाव से मुक्ति है, जिसके बिना, अशक्त व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की अनुभूति और अन्य स्वतंत्रताएं दुर्ग्राह्य रह जाएंगी।”

भेदभाव

2.5 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार के अधिदेश में ही भेदभाव के विरुद्ध अधिकार निहित है। यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि अशक्तता के आधार पर भेदभाव की औपचारिक पहचान हाल ही में मिली है, 20 वर्ष पहले के विधिक अधिनियमों में इसकी झलक नहीं मिलती। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16, रोजगार और सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान से संबंधित भेदभाव का तो निषेध करते हैं, परन्तु अशक्तता के विषय में मौन हैं। यद्यपि, अशक्तों को लाभ पहुंचाने के विशिष्ट प्रावधानों में विशेष रूप से रोजगार एवं अन्य क्षेत्रों में सहभागिता के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए तो संविधान एवं न्यायिक व्याख्या में अधिक सुस्पष्ट स्थिति ग्रहण की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 16 (3) एवं (4) में अशक्तता पर सकारात्मक विधायी शासन प्रणाली विकसित और सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया गया है और राज्य की राय में नागरिकों की किसी भी पिछड़ी जाति के पक्ष में, विधायी उपाय में सेवाओं में पर्याप्त संख्या में हैं।

2.6 अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 में सामान्य रूप से और इसके ‘गैर-भेदभाव’ शीर्षक का अध्याय विशेष रूप से अशक्त व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने में राज्य के प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अधिनियम की धाराएं 45, 46, 47 वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के आधार पर गैर भेदभाव के तत्व के रूप में बनाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर अशक्त व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर प्रदान करना और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश दिलाना है, इसमें परिवहन तंत्र भी शामिल हैं।

गैर-भेदभाव का अपर्याप्त अनुपालन

2.7 इस प्रकार के स्पष्ट विधिक प्रावधानों और तदनुरूप संशोधनों तथा सेवा-नियमों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के बावजूद भी बहुत सी राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया गया है। अतः जनवरी 2003 को आयोग ने राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सेवा नियमों एवं संबंधित कानूनों की समीक्षा करने, ताकि असंगतियों की पहचान हो, और अशक्तता अधिनियम 1995 के अनुसार आवश्यक सुधार करने की सलाह दी है। आयोग ने महसूस किया है कि इस क्षेत्र में जो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, वह न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और न्यायिक-कल्प निकायों के कारण ही संभव हो पाया है।

2.8 इसी तरह बाधा मुक्त सुविधाओं के निर्माण हेतु विधिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का कार्यान्वयन भी अत्यधिक धीमा रहा है। 'भवन एवं शहर योजना' मानदण्डों के सुधार के लिए राज्य एवं स्थानीय सरकारों ने बहुत कम कार्य किए हैं। उसी प्रकार परिवहन तंत्र जैसे रेलगाड़ियों और बसों के ऐसे मानदण्ड बनाए गए हैं जो अशक्त व्यक्तियों की पहुँच के लिए उपयुक्त मानदंडों और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के अनुसार नहीं हैं। इसी प्रकार से दूरसंचार, प्रसारण एवं सूचना के अन्य तंत्र भी अधिसंख्य अशक्तों की पहुँच से बाहर हैं।

2.9 अतः आयोग का यह दृढ़ मत है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को अशक्त व्यक्तियों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय/राज्य योजना पर कार्य करना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए जिससे बिना किसी भेदभाव के अब उन्हें पर्यावरण, परिवहन तंत्र, दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण, आदि संबंधी संरचनात्मक सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकें। आयोग ने राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को नगरपालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रचालित 'आदर्श निर्माण उपविधि' को ग्रहण करने की सलाह दी है, साथ ही गांवों को बाधा मुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत दिए गए बजट का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की सलाह भी दी है ताकि स्कूल भवन, डाकघर, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन, बस-अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि उनकी पहुँच के लायक बन सकें। इस क्षेत्र में हुए नगण्य सुधारों को प्रायः साधनों की कमी के कारण बताया जाता है। लेकिन आयोग इसे स्वीकार नहीं करता है क्योंकि गांवों में बाधा मुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत दिए गए बजट के एक बहुत बड़े भाग का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार भवन निर्माण उपविधियां बनाने में आशोधनों के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मुश्किल से कोई व्यय किया जाता है और अभी तक समीक्षाधीन अवधि के दौरान नगण्य सुधार देखे गए हैं। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है कि अशक्त व्यक्तियों की पहुँच के लिए कार्य न करने के कारण उन्हें अन्य मूलभूत अधिकारों एवं स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है।

2.10 अशक्त व्यक्तियों की दशा के प्रति सबसे निचले स्तर से ही ध्यान देना बहुत जरूरी है। ग्रामीण स्तर पर अशक्तों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं का दोहन जरूरी है।

2.11 पूरे विश्व में अशक्त व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित जो वाद-विवाद चल रहे हैं उसमें उनकी पहुँच के लायक कार्य करना सर्वोपरि चिंता का विषय है। यदि पहुँच का आश्वासन दिया जाए तो अशक्त व्यक्ति भी सामाजिक संस्थानों एवं वातावरण का भी उसी प्रकार उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ कार्य कर सकते हैं या सहभागी बन सकते हैं, जिस प्रकार दूसरे लोग करते हैं। सभी प्रकार सामुदायिक जीवन में पूरी सहभागिता में अशक्त व्यक्ति की क्षमता अशक्तताओं के कारण उतना अधिक प्रभावित नहीं होती जितनी अलचीली व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं और संरचनाओं के कारण होती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा किए गए अध्ययन में यह ध्यान दिया गया है कि “दैनिक जीवन की पहुँच की सभी संरचनाएँ – शिक्षा का संसार, कार्य, परिवार एवं सामाजिक परस्परता का संसार अधिकतर सक्षम व्यक्तियों के प्रबल मानदण्डों के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं।” अतः पहुँच एवं सहभागिता की शर्तों के नियमन के समय जब अशक्तता के अंतर को नगण्य किया जाता है, तभी भेदभाव उत्पन्न होता है।

धारणाएँ

2.12 अशक्तता संबंधी पुरानी मान्यताओं, दृष्टिकोण और विचार के कारण कभी-कभी मानव अधिकार मूल्यों एवं सिद्धान्तों से विरोध होता है, जिनसे यह पता चलता है कि विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी व्यक्ति न केवल आत्मगुण से युक्त होते हैं, बल्कि वे अंदर से बराबर भी होते हैं। इसलिए आयोग का मानना है कि इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है कि चूँकि इस प्रकार के मानव अधिकारों का दुरुपयोग एवं उल्लंघन देश में बहुत लम्बे समय से होता आ रहा है, चाहे वे सामाजिक, व्यावहारिक या अन्य किसी कारण से हो, इन्हें चुपचाप स्वीकार कर चलने दिया जाना चाहिए या भविष्य में भी सहन किया जाना चाहिए। बहुत लम्बे समय से चलते रहने के कारण कोई ‘गलत’ काम ‘सही’ नहीं हो जाता है। वियना घोषणा-पत्र (1993) में भी यह कहा गया है – जहाँ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विशेषताओं और विविध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि को दिमाग में रखना चाहिए, यह राज्यों का कर्तव्य है कि अपनी राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी वह सभी मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता का संवर्धन एवं संरक्षण करें।

परोपकार मॉडल

2.13 सामाजिक मूल्य, मानदण्ड, दृष्टिकोण स्थायी नहीं होते और वे परिवर्तनशील होते हैं, तथा इस परिवर्तन के कई कारण होते हैं। फलस्वरूप, अशक्तता के लिए औपचारिक पहुँच में भी परिवर्तन होता है। उदाहरणार्थ परोपकार की सुविधा की धारणा की जड़ें अंग्रेजी दुर्बल कानूनों में है जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक साधनों के निष्कासन के संरक्षण एवं अधिकारों के दावे को सीमित करने के लिए मानदण्ड बनाए गए हैं। दूसरे शब्दों में परोपकार का स्वरूप इस अनुमान पर आधारित था कि अधिकारों का दावा निश्चित कारणों से मान्य होता है और अन्य निश्चित कारणों से अमान्य। अशक्तता को निश्चित रूप से अयोग्यता माना गया था और संभवतः इस कारण 'अशक्त' शब्द ऐसे व्यक्तियों का पर्याय बन गया।

2.14 परोपकार मॉडल के कारण अशक्त व्यक्तियों के लिए शरणस्थान जैसे संस्थान बनाए गए जहाँ उन्हें घोर अलगाव और हीनता (invisibility) में रहना पड़ा। आयोग द्वारा 1997 से 1999 के बीच किए गए जाँच प्रोजेक्ट (मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट आश्वासन) के परिणाम भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन एवं व्यवस्था देखभाल के हिरासतीय मॉडल में किया जाता है, जहाँ जेल जैसी संरचना होती है जिसमें ऊंची दीवारें, पहरेदारों द्वारा ध्यान रखने के लिए वाच टॉवर, बाड़ से घिरे वार्ड, तालाबंद सेल होते हैं। ये संस्थाएं नजरबंदी केंद्र की तरह कार्य करती हैं, जहाँ मानसिक रोगियों को चेन से बांध कर रखते हैं, जिसके फलस्वरूप तमिलनाडु के 'इरवाड़ी' जैसी त्रासदी हुई है, जिसमें 27 से अधिक बंदियों ने अपना जीवन गंवाया। सौभाग्य से, सरकार द्वारा चलाई जा रही मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की आयोग द्वारा नियमित और नजदीकी से मॉनिटरिंग करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण देखभाल करने की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है।

व्यक्तिगत विकृति विज्ञान मॉडल

2.15 कानून निर्माताओं, वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों, जो सामाजिक असमानताओं के लिए वैज्ञानिक तर्क देते हैं, से प्रेरित होकर अशक्तता के लिए एक व्यक्तिगत विकृति विज्ञान तरीका निकाला गया। यह मॉडल किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर स्थित समस्याओं का पता लगाता है और रोग, शारीरिक अथवा मानसिक लक्षणों को केंद्रित करता है। इस तरीके पर आधारित नियम, विनियम, और मापदण्ड सामान्यतः पहुँच को सीमित करते हैं और अशक्ततायुक्त व्यक्ति को संसार के कार्य, शिक्षा एवं सामाजिक परस्पर व्यवहार से बहिष्कृत करते हैं। इस मॉडल के कार्यान्वयन की झलक अशक्तता की औपचारिक परिभाषा में इसके लिए बनाए गए मापदण्ड में अच्छी तरह दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995,

जहाँ धारा 2 (टी) में अशक्तता को परिभाषित करता है कि अशक्त व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति, जो कि किसी भी प्रकार की अशक्तता से चालीस प्रतिशत से कम से ग्रसित न हो जो कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।" धारा 2 में अंकित अशक्तताओं में दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, श्रवण-क्षीणता, लोकोमोटर अशक्तता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, मानसिक रोग और कुष्ठ रोग से रोग मुक्त होने वाले व्यक्ति शामिल हैं।

2.16 हालांकि व्यक्तिगत विकृति विज्ञान मॉडल शारीरिक विशेषताओं पर जोर देता है, पर यहाँ भी अधिकारों की अवहेलना होती है। आयोग अशक्तता की प्रचलित परिभाषा के प्रति गंभीर रूप से चिंतित है और आयोग ने मोटे तौर पर इस प्रकार परिभाषा दी है अर्थात् 'अशक्त व्यक्ति वे हैं जो अस्थाई या स्थाई रूप से विभिन्न डिग्री में शारीरिक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक कमी का अनुभव करते हैं और जिनका जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक एवं संरचनात्मक बाधाओं के कारण प्रतिबंधित है और जो उनकी सहभागिता की स्वतंत्रता, अवसरों तक उनकी पहुँच और समानता के आधार पर अधिकारों के उपभोग में रोक लगाते हैं।'

क्रियात्मक मॉडल

2.17 पूरे विश्व में अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास की धारणा अशक्तता नीतियों और विधिक संरचनाओं में भली प्रकार से संस्थापित है और भारत इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। यह धारणा क्रियात्मक मॉडल पर आधारित है, जो किसी व्यक्ति की जैव दशाओं को उसका असमान परिस्थितियों से समझौता करने की क्षमता से परस्पर जोड़ती है। इस मॉडल का सकारात्मक योगदान सहायक प्रौद्योगिकी के विकास और विशिष्ट सेवाओं में देखा जा सकता है। तथापि इसकी असफलता अधिकारों की हकदारी को प्रतिपूरक कौशल एवं सहायक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ अशक्त व्यक्ति की परिस्थिति से समझौता करने की क्षमता को जोड़ने पर निर्भर करता है।

2.18 अशक्तता अधिनियम 1995 की धारा 32, भारतीय कानून में इस प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, चूंकि यह सक्षम प्राधिकारियों पर विभिन्न संस्थानों में अशक्तता युक्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की पहचान करने का दायित्व आरोपित करता है। पदों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले मानदण्ड में वास्तव में सेवा की अनिवार्यताओं, आवश्यक शारीरिक कार्यों एवं वातावरण की विशिष्टताओं जिनमें किसी विशेष सेवा को किया जाना है, सम्मिलित किया गया है। दूसरे शब्दों में कानून, भिन्नता को नकारता है और विभिन्न व्यक्तियों से समतुल्य या समान व्यवहार की स्वीकृति देता है। साथ ही साथ कार्य की रूपरेखा या कार्य के साधनों में तर्कसंगत सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है। कानून एवं प्रशासनिक, दोनों ही नियमों में इस प्रकार की बहुत सी अनियमितताएं हैं। इसी कारण आयोग ने दृढ़ता के साथ सभी स्थायी एवं क्रियात्मक कानूनों

की समीक्षा करने की वकालत की है ताकि जहाँ आवश्यक हो, सिद्धान्त के तर्कसंगत सामंजस्य हेतु उचित परिवर्तन किया जा सके।

2.19 तर्कसंगत सामंजस्य, अवसर की समानता का प्रमुख तत्त्व है, जो सक्षम प्राधिकारियों पर शारीरिक एवं सामाजिक वातावरण में सुधार लाने का दायित्व डालता है, जिसमें परिवर्तन न होने भेदभावजन्य बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो अशक्त व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता पर रोक लगाती हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समिति के समानता खण्ड की सामान्य टिप्पणी संख्या 5 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तर्कसंगत सामंजस्य न होना, अशक्तताजन्य भेदभाव का प्रमुख तत्त्व है।

मानव अधिकार मॉडल

2.20 आयोग का मानना है कि अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा एवं सम्मान के लिए उनके मानव अधिकारों का होना आवश्यक है क्योंकि यह वातावरण की कमियों का पता कर उनके अवरोधों को हटाता है। साथ ही साथ योग्यताओं में अंतर की वजह से हकदारी में जो कमी होती है उसे भी दूर करता है। मानव अधिकार मिशन में विभिन्न मानव संस्कृतियों के प्रति आदर है और मान्यता है कि व्यक्ति बहुत से मायनों जैसे, लिंग, जाति और अशक्तता से भिन्न हैं। फिर भी उनके अधिकारों और सम्मान की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। इसलिए समानता के प्रति सच्ची वचनबद्धता का अर्थ है कि भिन्नताओं के बावजूद समान पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्य करना।

2.21 'अवसर की समानता' के सुसंगत कार्यक्रम का अर्थ है अशक्तता के प्रति पहले रुढ़ प्रथाओं और नकारात्मक दृष्टिकोण का समाधान करना। इसके अतिरिक्त, अशक्तता के लिए कानून तथा नीति के विकास के साथ ही साथ उनको प्रतिपादित एवं कार्यान्वित करने की दिशा में सापेक्ष महत्त्व की स्थिति निर्धारण भी महत्त्वपूर्ण है। अन्यथा, अयोग्यता संबंधी पुरानी व्यवस्था और भेदभावात्मक मान्यताएं व्यक्तियों को उनकी अशक्तता के आधार पर बहिष्कृत करती रहेंगी।

2.22 समान अधिकारों और समान संरक्षण की बहाली के लिए कानूनों में सुधार अत्यावश्यक है क्योंकि नागरिक वचनबद्धता के संबंध में, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों पर, समानता के आधार पर उचित प्रक्रिया सिद्धांत लागू नहीं किए जाते हैं। अशक्तता के कारण अन्य स्थायी अधिकारों के मामलों में भी उनके साथ समानता का बर्ताव नहीं किया जाता है। – इस विषय में इस रिपोर्ट के अध्याय – 5 के कुछ भागों में आयोग की इसके प्रति चिंता की झलक मिलती है।

2.23 'मानव अधिकार न केवल जनता को शक्ति के दुरुपयोग के प्रति संरक्षण प्रदान करने के लिए है – बल्कि जनता को शक्ति पहुंचाने के लिए भी हैं।' विषमताओं के बावजूद सामुदायिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने की इस सक्रिय सहभागिता के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण इसी विचार से प्रेरित हुआ है। इसकी प्रप्ति लोगों की क्षमता को बढ़ाने की सतत प्रक्रिया साथ-साथ आधारभूत व्यवस्था, संरचना और समाज की प्रक्रियाओं से ही हो सकती है। इसी विचार को ध्यान में रखकर आयोग ने सक्रिय रूप से मानव अधिकारों की शिक्षा एवं जागरूकता को सामान्य रूप से और विशेषकर अशक्तता के परिप्रेक्ष्य में सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। वास्तव में आयोग के सभी क्रिया-कलापों का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें मानव अधिकारों का बेहतर संवर्धन एवं संरक्षण हो। इस रिपोर्ट के अध्याय 8 में सिविल सेवकों, विधिक व्यावसायियों, विधि प्रवर्तन एजेंसी के सदस्यों, अध्यापकों और सक्रिय कार्यकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा की गई पहलों का विस्तृत वर्णन है।

सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता

2.24 अशक्तता के प्रति मानव अधिकारों की पहुंच के लिए राज्यों को जहाँ एक ओर सार्वजनिक स्वतंत्रता के स्तर को बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर यह आवश्यकता है कि अशक्तता युक्त व्यक्तियों को अधिकारों के उपभोग में व्यक्तिगत क्षेत्रों में तृतीय पक्ष के कर्ताओं द्वारा बाधा न डाली जाए। 'केवल सरकारी एजेंसियां ही अधिकारों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि सरकारी एजेंटों के रूप में कार्य करने वाले निजी निकाय या जिन्हें लोक कार्यों का प्रत्यायोजन किया हो या ठेका दिया गया हो, वे भी समान रूप से उत्तरदायी हैं।' इस कार्य के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी विकासात्मक मंत्रालयों को सुझाव दिया है कि वे अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के क्रिया-कलापों को नियंत्रित करना सुनिश्चित करें ताकि अनुदान एकत्र करने के लिए अशक्तता का नकारात्मक चित्रण पूर्णतः निषिद्ध हो जाए।

2.25 अतः अशक्तता के संबंध में निजी क्षेत्रों में भेदभावों को समाप्त करने के लिए कदम उठाना सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अशक्तों के प्रति दुर्व्यवहार, अनदेखी और हिंसा, संस्थानों के भीतर और परिवार की परिधि में काफी अधिक होते हैं। आयोग भिक्षावृत्ति के लिए अशक्तों के शोषण प्रति काफी चिंतित है क्योंकि उनका न केवल भिक्षावृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि कई बार भिक्षावृत्ति के कार्य के लिए उन्हें लूला-लंगड़ा और अशक्त बनाया जाता है। अतः आयोग ने सरकार को इस प्रकार के माफिया गिरोहों के जघन्य कार्यों की जांच-पड़ताल करने और उन्हें सूचीगत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दिया है।

2.26 यह देखा गया है कि कई निजी निकायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के नाम पर अधिकतर अशक्त व्यक्तियों को केवल छात्रवृत्ति देकर उन्हें कई वर्षों तक उत्पादन कार्यों पर लगाए रखा जाता है। इन व्यावसायिक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों में समग्र रूप से कार्य करने की परिस्थितियाँ न्यूनतम मानदण्डों से भी कम होती हैं। अतः आयोग ने सरकार से व्यावसायिक शिक्षा की शर्तों को पुनः निर्धारण करने की सिफारिश की है और एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया है जिसका उद्देश्य अशक्तों को शिक्षा, प्रशिक्षण, आवासीय देखरेख प्रदान करने वाले संस्थानों के कार्यों का नियंत्रण, स्तरीकरण, मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण करना हो।

अशक्तता अभिसमय

2.27 परिवर्तन विकास की एक प्रक्रिया है, जिसकी गति को कई साधनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 19 दिसम्बर 2001 का संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 56/198 अशक्तता की विषय वस्तु को मिलाने वाली संधि की ओर इस संकल्प को निभाता है। वास्तव में, अशक्तता युक्त व्यक्तियों ने विश्व को सामाजिक न्याय, नागरिकता, प्रजातंत्र और मानव अधिकारों को पुनः परिभाषित करने का बहुमूल्य अवसर दिया है।

2.28 महासभा संकल्प 57/229 के अंतर्गत तदर्थ समिति में सहभागिता के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के निमंत्रण के जवाब में और मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के सुझावों से प्रेरित होकर, जिसमें कहा गया है 'यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी नए अभिसमय के विस्तार में अपने अनुभवों का योगदान देने में सक्षम हैं।' अतः अशक्तता विषय पर अन्तरराष्ट्रीयकानून आपसी सहयोग बढ़ाने वाले प्रपत्र के लिए आयोग ने कई पहल की हैं।

2.29 जैसे कि, आयोग का दृढ़ मत है कि अन्तरराष्ट्रीय कानून में अशक्तता के लिए एक सुसंगत और एकीकृत पहुँच, वर्तमान संधि व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित नहीं हो सकती, इसलिए अशक्तता के विषय को "हैसियत, प्राधिकार और मौजूदगी" प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट अभिसमय की आवश्यकता है। इसमें विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय प्रपत्रों और मॉनीटरिंग क्रिया-विधि में सुधार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आयोग का विश्वास है कि एक व्यापक संधि, राज्य पक्षकारों को उनकी बाध्यताओं को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम होगा और ये विशेषतः अशक्तता संबंधी अवसंरचना और प्रक्रिया के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करेगा। नई संधि के सम्मिलन का वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय स्तरों में अशक्तों के अधिकारों का पूरक होगा।

2.30 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हस्तक्षेप केंद्रित किया है। संधि विस्तार प्रक्रिया में सक्रिय योगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को रचनात्मक संवाद में लगाया गया। इसी दिशा में विदेश मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की गईं। नई संधि के कारण असमानुपाती-आर्थिक बोझ के विषय में जो गलत धारणाएँ थी उन्हें दूर करने में ये बैठकें उपयोगी साबित हुई हैं।

2.31 आयोग ने अभिसमय के विषय में अशक्तता संबंधी संगठनों और संबंधित निकायों को अन्तरराष्ट्रीय संधि व्यवस्था और प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना देने के उद्देश्य से जागरूकता को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। ये बोलीगत परामर्श न केवल अशक्तता क्षेत्रों के लिए सहायक साबित हुए बल्कि ये अशक्त व्यक्तियों के विषय में वास्तविकताओं को निकट से देखने में आयोग के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हुए। विशेष रूप से इन कार्यशालाओं ने जनता एवं सरकार के मध्य अंतरापृष्ठ के रूप में कार्य किया, जिनका मुख्य दायित्व संधि के विभिन्न प्रावधानों में अशक्ततायुक्त व्यक्तियों संबंधी वास्तविकताओं को दर्शाना है।

अभिसमय पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला

2.32 नई अशक्तता अभिसमय के विकास के लिए सुझावों और प्रस्तावों की उपलब्धता के लिए तदर्थ समिति के निमंत्रण पर सकारात्मक प्रक्रिया करते हुए 26-29 मई 2003 को नई दिल्ली में राष्ट्रमण्डल के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों और एशिया पैसिफिक फोरम को आमंत्रित करके आयोग ने एशिया पैसिफिक फोरम और मानव अधिकार उच्चायुक्तों के कार्यालय के सहयोग से एक अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया। कार्यशाला में न केवल प्रस्तावित अभिसमय की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और मुख्य तत्त्वों के प्रस्ताव को निश्चित रूप दिया गया बल्कि इस बात की भी पहचान की गई कि संधि विस्तार की प्रक्रिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान किस प्रकार विशिष्ट भूमिका अदा कर सकते हैं। कार्यशाला में जारी वक्तव्य का निचोड़ अनुलग्नक 1 में है।

2.33 संधि की प्रकृति के विषय में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों ने दृढ़ता से एक विस्तृत एवं समग्र अभिसमय की आवश्यकता पर जोर दिया है कि **"अभिसमय अधिकारों पर आधारित होना चाहिए, प्रपत्र अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकारों की शर्तों एवं मानकों के अनुसार हो।"** नए अभिसमय के कार्यक्षेत्र की व्याख्या करते हुए नई दिल्ली कार्यशाला ने अनुशंसा की है कि अभिसमय सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों एवं क्षेत्रों, दोनों के लिए लागू हों और वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के प्रपत्रों में विद्यमान अधिकारों की संपूर्ण श्रेणी को भी इस अभिसमय में सम्मिलित किया जाए।

2.34 वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार-विधि को लागू करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों ने अनुशंसा की है कि अभिसमय में उन विशिष्ट अनुच्छेदों का समावेश हो जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों और मुद्दों जैसे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों, अशक्तता के संदर्भ में हों और इनका कोडीकरण भी आवश्यक है।

2.35 आयोग को नई दिल्ली कार्यशाला की सिफारिशों के साथ संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के द्वितीय सत्र पर संयुक्त बयान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही आयोग ने संयुक्त राष्ट्र कार्यदल को अभिसमय का प्रारूप तैयार करने में भी योगदान दिया है। तदर्थ समिति के कार्य में व्यवस्थित रूप से मदद करने के लिए आयोग ने ए पी एफ सदस्यों के साथ मिलकर एक वर्किंग पेपर तैयार किया है, जिसमें कठिन एवं जटिल विषय की चर्चा है जिन्हें मानव अधिकारों के परिदृश्यों में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ये पेपर एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज़ हैं जिसे भविष्य में विकसित करने की आयोग को आशा है।

2.36 संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति और कार्यदल की बैठकों के दौरान आयोग की भूमिका सुविधा प्रदायक (फैसिलिटेटर) के रूप में रही है, जिसने तकनीकी सहयोग दिया है और साथ ही एक रखवाले के समान कार्य किया है ताकि अशक्तता संधि वर्तमान मानव अधिकारों के मानकों पर बनाई जाए और जिसमें किसी भी परिस्थिति में घटिया प्रावधान न हो।

2.37 इन परिस्थितियों में अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं की परिभाषा में संशोधन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार किए जा सकते हैं जो सिविल व राजनैतिक अधिकार 1996 पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा तक सीमित है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा 1996 अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गई है। आयोग ने प्रस्तावित किया है कि इसके शब्द विन्यास को विस्तृत किया जिसमें अन्य कोई प्रसंविदा या अभिसमय सम्मिलित किया जाए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया जा चुका हो या इसके बाद अंगीकृत किया जाए।

निष्कर्ष

2.38 मानव अधिकारों के लिए वास्तव में कार्य करने वाले कभी पर्याप्त कार्य नहीं कर सकते हैं। आयोग भी इसका अपवाद नहीं है। आयोग एक ऐसे देश में कार्यरत है जिसमें एक अरब से अधिक लोग हैं, अतुलनीय बहुधर्मिता और महाद्वीप जितना है। अनन्त आशाएं अब इस पर टिकी हुई हैं और इसे जिन समस्याओं का सामना करना है उसका आयाम काफी अधिक है। अपनी शक्ति एवं क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोग सतत और सजग रूप से अथक प्रयास कर रहा

है। आयोग इसके लिए उन लोगों, उनकी संस्थाओं और सरकार को और इसी प्रकार की सोच रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों, जो एक मिले-जुले समाज के निर्माण के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, जिसमें असमानता को मानवीय विविधता के सहज रूप में मानते हुए, सक्रिय रूप से इस काम को कर रहा है। कल्याण से अशक्तों के लिए कल्याण न कर उनके अधिकारों तक के प्रतिमानों की गति को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास की दिशा में आयोग ने समानता और असमानता के विषय में नई सोच प्राप्त की है और जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा, जो कि समग्र मूल्य हैं, जो मानव अधिकार व्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं, के विषय में नए अर्थ प्राप्त किए हैं। यह हमारी सच्ची आशा है कि अशक्त व्यक्ति के लिए मानव अधिकारों को उपभोग के रास्ते में और मूलभूत स्वतंत्रताओं को पाने में जिन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है वह उपलब्ध साधनों के प्रयोग से क्षमतापूर्वक समाप्त कर दिया जाएगा। निस्संदेह अशक्त व्यक्तियों को परिवर्तन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए।

अध्याय – 3

गुजरात में स्थिति

3.1 27.2.2002 को गोधरा में हुई त्रासदी के कारण होने वाली घटनाओं और उसके बाद होने वाली सांप्रदायिक हिंसा और इन घटनाओं के संदर्भ में आयोग द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कई मानदण्ड और पहलू जैसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही और आयोग की कार्यवाही को विस्तार से आयोग की दो वार्षिक रिपोर्टों वर्ष 2001-02 और 2002-03 में दिया गया है। गुजरात की घटनाएं लगातार आयोग का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इस रिपोर्ट को लिखने के समय तक गुजरात की घटना में होने वाली प्रगति की जानकारी यह रिपोर्ट देती है। वर्तमान रिपोर्ट में पिछले वर्षों के संबंधित रिपोर्टों में की गई कार्यवाहियों के विषयों को नहीं दोहराया गया है।

3.2 वर्ष 2003-04 के दौरान (वर्तमान रिपोर्ट में समीक्षाधीन अवधि) गुजरात मामले की सुनवाई, जो 'बेस्ट बेकरी मामला' के नाम से जाना जाता है, में सबसे बड़ी प्रगति हुई। 21 अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दायर होने के बाद 20 फरवरी 2003 को बड़ोदरा में फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष सुनवाई आरंभ हुई। अभियोजन पक्ष के द्वारा बहुत से गवाहों के उल्लेख किए जाने के बावजूद केवल 73 से ही पूछताछ की गई, शेष को, जिनमें कुछ चश्मदीद गवाह भी हैं, छोड़ दिया गया। 37 गवाह अपने पूर्व में दिए गए बयान से मुकर गए और उन्हें विरोधी करार कर दिया गया। 21 जून 2003 को जाँच अधिकारी ने शेष बयान रिकार्ड कर लिया और उससे प्रतिपरीक्षा भी की गई। उसी दिन 21 अभियुक्तों के बयानों को धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकार्ड कर लिया गया। उसी दिन 21 जून 2003 को ही ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस को भी सुना और फैसले को आरक्षित रखा जिसे 27 जून 2003 को सुनाया गया जिसमें सभी 21 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया।

3.3 27 जून 2002 को बेस्ट बेकरी मामले में सभी 21 अभियुक्तों को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दोषयुक्त करने के निर्णय के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कुछ मीडिया प्रश्नों

के उत्तर में (जिसकी रिपोर्ट अखबारों एवं टेलीविजन मीडिया दोनों में की गई) कहा कि यहाँ पर “न्याय की हत्या” हुई है और गुजरात राज्य को ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह “अपनी विश्वसनीयता को पुनः स्थापित” करने का राज्य के पास एक अवसर है।

3.4 30 जून 2003 की अपनी कार्यवाही के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात के मुख्य सचिव से ट्रायल कोर्ट के निर्णय की एक प्रति और यदि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध राज्य कुछ कार्रवाई करने की योजना बना रहा हो तो, इसकी सूचना सात दिनों के भीतर आयोग को भेजने को कहा। 30 जून 2003 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र का मुख्य सचिव ने जवाब देना तो दूर, यहाँ तक कि उसकी पावती की सूचना भी नहीं दी। दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर करने के सुझाव के प्रति भी गुजरात राज्य उदासीन बना रहा।

3.5 चूँकि निर्णय की प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नहीं भेजी गई और यहां तक कि मामले के रिकार्ड भी आयोग के स्पेशल रैपर्टियर को उपलब्ध नहीं कराए गए, 6 जून 2003 को अपनी कार्यवाही द्वारा आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट से निर्णय की प्रतियां और अपनी टीम को मामले के रिकार्ड, जो बड़ोदरा को इस प्रयोजन के लिए भेजे गए थे, उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। 8 जुलाई 2003 को टीम ने ट्रायल कोर्ट से रिकार्ड प्राप्त किए और वापस नई दिल्ली पहुँच कर आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3.6 क्योंकि 30 जून 2003 के पत्र का मुख्य सचिव की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, एक माह तक प्रतीक्षा करने के बाद और अपनी टीम की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य संबद्ध सामग्री जिसमें आयोग के समक्ष सुश्री शेख ज़ाहिरा बीबी का बयान, जिसमें आयोग से मामले की पुनः सुनवाई के लिए सहायता और कानूनी सलाह मांगी है, भी शामिल हैं, 30 जुलाई 2003 को आयोग ने धारा 18 (2) के प्रावधानों और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्य प्रावधानों का सहारा लेते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की। इस याचिका में आयोग ने न केवल बेस्ट बेकरी मामले में सभी अभियुक्तों को दोषमुक्ति के कारण से होने वाली न्याय की हत्या के विषय को उजागर किया बल्कि इससे भी बड़े मुद्दों को भी उठाया जैसे दांडिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की विश्वसनीयता, गवाहों और अपराध पीड़ितों का संरक्षण, निष्पक्ष जाँच के आधार तत्त्व और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की आवश्यकता, मामले के विफल होने के बाद उसका स्वरूप, विशेषतः नाजुक मामलों में, जिसके दौरान गवाह विरोधी हैं, और इसी प्रकार दांडिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की विश्वसनीयता की पुनः स्थापना, जो कि गंभीर चुनौती तथा विपन्न स्थिति में हैं। आयोग ने बेस्ट बेकरी मामले की ‘पुनः जाँच’ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सी.बी.आई.) द्वारा करवाने के लिए आदेश देने की और गुजरात के बाहर 'पुनः सुनवाई' करने की प्रार्थना की। यह एस एल पी 8 अगस्त 2003 को आरंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

3.7 इस विषय में हमेशा मौन रहते हुए, 6 अगस्त 2003 को गुजरात राज्य ने गुजरात उच्च न्यायालय में दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की और उच्चतम न्यायालय को इसके विषय में तब सूचना दी, जब एसएलपी विचार के लिए आई। उच्चतम न्यायालय ने राज्य की याचिका को केवल "ढकोसला" बताया और राज्य को अपील के ज्ञापन को संशोधित करने को कहा। यहाँ तक कि दूसरा अपील-ज्ञापन भी उच्चतम न्यायालय को 'अपर्याप्त' लगा। राज्य ने दूसरे अपील-ज्ञापन में भी संशोधन करने का वादा किया।

3.8 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपने एसएलपी में उठाए गए बड़े मुद्दों पर विचार करने में माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रसन्नता हुई है क्योंकि यह जन साधारण हित का बड़ा मामला है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 8 अगस्त 2003 के आदेश द्वारा एस एल पी को 2003 के जनहित मुकदमा (रिट याचिका) – डबल्यू पी (दांडिक) संख्या 109 में बदल दिया। सुश्री ज़ाहिरा शेख, मुख्य गवाहों में से एक ने भी उच्चतम न्यायालय में दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध एसएलपी दायर की और इस मामले में राज्य को और दोषमुक्त अभियुक्तों को नोटिस जारी किए गए।

3.9 31 जुलाई 2003 को आयोग ने धारा 406 द. प्र. सं. के अंतर्गत एक पृथक प्रार्थना पत्र भी उच्चतम न्यायालय में दायर किया जिसमें गोधरा काण्ड, चमनपुरा (गुलबर्ग सोसायटी) काण्ड, नरोदा पटिया काण्ड और मेहसाना जिले के सदरपुरा काण्ड से उत्पन्न होने वाले 9 अन्य गंभीर मामलों की गुजरात राज्य के बाहर सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया। इस प्रार्थना पत्र को, आयोग द्वारा दायर एसएलपी के साथ 'उच्चतम न्यायालय ने ग्रहण किया। मुकदमों के स्थानांतरण का मामला अभी लंबित है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने राज्य को नोटिस जारी करके उन मुकदमों के विचारण पर रोक लगा दी है।

3.10 26 दिसम्बर 2003 को गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य द्वारा बेस्ट बेकरी मुकदमें में दोषमुक्ति के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज कर दिया। तत्पश्चात इस मामले में 19.1.2004 को आयोग ने विचार किया। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखकर गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को बेकरी मुकदमें में अभियुक्तों की दोषमुक्ति के विरुद्ध याचिका के खारिज होने के मामले में गुजरात राज्य द्वारा प्रस्तावित कार्रवाही, यदि कोई हो और इस विषय में की गई कार्रवाही की सूचना आयोग को देने को कहा। इसके प्रति राज्य उदासीन बना रहा और आयोग को कोई सूचना नहीं दी गई।

3.11 गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सुश्री ज़ाहिरा हबीबुल्लाह एच. शेख और अन्यों ने उच्चतम न्यायालय में एक एस एल पी याचिका दायर की। गुजरात राज्य ने भी दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध एक याचिका दायर की। इन्हें दांडिक अपील संख्या 446-449/2004 के रूप में दर्ज किया गया। 12 अप्रैल 2004 के एक विस्तृत आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय ने दांडिक अपील को मंजूर किया और ट्रायल कोर्ट द्वारा सभी 21 अभियुक्तों की दोषमुक्ति के आदेश को, जिसकी पुष्टि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, अपास्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसके आगे गुजरात राज्य के बाहर मुकदमें की दोबारा सुनवाई के भी निर्देश दिए। आयोग के समक्ष सुश्री ज़ाहिरा हबीबुल्लाह एच. शेख के दिए गए बयान और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एसएलपी, जिसे रिट याचिका (पी.आई.एल.) में बदल दिया गया, के विषय में उच्चतम न्यायालय का निर्णय संदर्भ बन गया है।

3.12 12 अप्रैल 2004 को मुकदमें के दोबारा विचारण के निर्देश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने महसूस किया :-

“मुकदमें की विचित्र परिस्थितियों और रिकार्ड में पर्याप्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसमें न्याय प्रदायक व्यवस्था के ध्वंसन के सुस्पष्ट प्रमाण और अनुकूल एवं सहायक वातावरण के न होने के कारण हमने निर्देश दिया कि मुम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायालय द्वारा पुनः विचारण किया जाएगा। कथित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के निर्धारण के लिए अनुरोध किया जाता है।

हम राज्य सरकार को कोई दूसरा लोक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश देते हैं तथा प्रभावित व्यक्ति किसी भी नाम का सुझाव दे सकते हैं। नियुक्ति के निर्णय में भी इसका ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि, सामान्य स्थिति में साक्ष्यों या पीड़ितों का लोक अभियोजक की नियुक्ति के मामले में कुछ कहने का अधिकार नहीं होता है लेकिन इस मामले में असाधारण स्थिति को देखते हुए शिकायतकर्ता पक्ष को इस प्रकार की छूट देना उचित होगा।”

3.13 बेस्ट बेकरी मुकदमें में राज्य अपील को निपटाते समय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं कुछ गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध की गई कुछ आपत्तिजनक टीका-टिप्पणियों को उच्चतम न्यायालय ने गंभीर रूप से लिया है। उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है :-

“ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने विशिष्ट व्यक्तियों और सक्षम न्यायालय यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा किए गए विधि संगत प्रयत्नों के बारे में जो अनावश्यक संदर्भ लिया है वह इस मामले में न्यायिक संतुलन और मिताचारिता बनाए

रखने में बुरी तरह असफल रहा है। उच्च न्यायालय को यह भली-भांति ज्ञात था कि यह ऐसे मामलों या बातों को नहीं निपटा सकता है। पक्षों द्वारा गैर जिम्मेदार आरोप लगाए जा सकते हैं, सुझाव और चुनौतियाँ दी जा सकती हैं जो अनुमति योग्य नहीं हैं, परन्तु न्यायालय के अधिष्ठाता के आशीर्वाद या अप्रत्यक्ष सहयोग के कारण, बहस के दौरान जारी रख सकते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा बनने के लिए किसी भी कीमत पर इस प्रकार का कलंकित व्यवहार, वक्रोक्ति या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, किंचित नहीं अपनाना चाहिए न ही अपनाने की आज्ञा देनी चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना कोर्ट ऑफ रिकार्ड के रूप में की गई हो, को न्यायिक हठ के असंयमित व्यवहार को अपनाकर शालीनता, मर्यादा और न्यायिक अनुशासन की हत्या नहीं की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कुछ व्यक्तियों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे सांविधानिक निकायों के विषय में टीका-टिप्पणियाँ की हैं, जो उसके सम्मुख नहीं थी। एसएलपी (दांडिक) संख्या 530-532/2004 से संबंधित याचिका के इस पहलू को कुछ सीमा तक निपटाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। निर्णय के पैरा 3 में, आखिरी अंश (उप पैरा) को छोड़कर, अपनाई गई कार्रवाई और दिये गए संदर्भ के तरीके अच्छे या शिष्ट नहीं हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका के विषय में उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की टिप्पणियाँ या शिकायतें इरादतन की गई हैं। जब हमने श्री सुशील कुमार, जिन्होंने सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का निवेदन इरादतन किया, से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई निवेदन नहीं किया है जो निर्णय में देखने को मिला है। यह वास्तव में साजिश है। न्यायालय की कार्रवाइयों में सामान्यतः मामले के सच्चे पहलू की झलक मिलती है। यहाँ तक कि यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि इस प्रकार का कोई निवेदन किया गया है, तो उच्च न्यायालय के लिए यह उचित या आवश्यक नहीं है कि वह इनका अपने निर्णयों में संदर्भ दे कि इस प्रकार के निवेदन के प्रति गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार की टिप्पणियों से बचे रहना न्याय अनुशासन के लिए हितकर होता। हमने निर्णय के पैरा 3 में निहित विषय वस्तु को, उप पैरा के आखिरी अंश को छोड़कर, हटाने और मिटाने का आदेश दिया है और इसे हमेशा निर्णय के हिस्से के रूप में न पढा जाए।”

3.14 उच्चतम न्यायालय के 12 अप्रैल 2004 के आदेश के बाद मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बेस्ट बेकरी मुकदमे के विचारण के लिए मुम्बई के एक न्यायालय को नियुक्त किया। गुजरात राज्य ने मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमें की कार्रवाई के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने पर जोर दिया, जबकि पीड़ितों ने मुम्बई उच्च न्यायालय से एक लोक अभियोजक नियुक्त करने की प्रार्थना की। गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के बीच लोक अभियोजक की नियुक्ति

के इस विवाद के कारण मुकदमें के पुनः विचारण को आरंभ करने में विलंब हुआ। इस मामले का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके 16.8.2004 के आदेश द्वारा मुकदमें की कार्रवाई के लिए एक लोक अभियोजक और एक अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति से हुआ। श्री पी. आर. वकील और सुश्री मंजुला राव, लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोग अभियोजक, दोनों ही महाराष्ट्र से हैं, और उनके नामों का सुझाव कुछ अन्य नामों के साथ बेस्ट बेकरी मुकदमें के शिकायतकर्ताओं ने दिया था। चूँकि लोक अभियोजक की नियुक्ति के विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है मुकदमें का पुनः विचारण 19.8.2004 से आरंभ होना तय हुआ है।

सुश्री बिलकिस याकूब रसूल का मामला

3.15 इस मामले में बड़ी घटनाओं, न्यायालय की कार्यवाहियों और आयोग के आदेशों को वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही दिया जा चुका है। तथाकथित सामूहिक-बलात्कार की पीड़ित सुश्री बिलकिस रसूल ने आयोग के पास जाकर शिकायत की है कि पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि उसने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से उनके नाम, अन्य जानकारियों के साथ दिये थे, और दूसरी ओर उसके मुकदमें को समाप्त कर दिया गया तथा मुकदमें को “सुराग नहीं लगा” कहकर ‘अंतिम रिपोर्ट’ प्रस्तुत कर दी गई। सुश्री बिलकिस ने आयोग को जानकारी दी है कि वह कानूनी उपायों को जारी रखना चाहती हैं और अपने मुकदमें को समाप्त किए जाने की पुलिस कार्यवाही के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर करना चाहती है, परन्तु उसके पास मुकदमें को जारी रखने के साधन नहीं हैं। अतः उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपने मुकदमें को जारी रखने के लिए आयोग से कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रार्थना की है।

3.16 9.7.2003 की अपनी कार्यवाही में आयोग ने सुश्री बिलकिस याकूब रसूल को कानूनी सहायता देने का निर्णय लिया और उसकी शिकायत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में यदि कोई आवश्यक खर्च होता है, तो उसे वहन करने का उत्तरदायित्व लिया। श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अशोक अरोड़ा और सुश्री शोभा ‘अभिलेख अधिवक्ता’ ने सुश्री बिलकिस याकूब रसूल को कानूनी सहायता देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के निवेदन के पक्ष में उत्तर दिया है और उसके लिए उपस्थित होने और उसके मुकदमें को जारी रखने के लिए राजी हो गए हैं। 25 अगस्त 2003 को सुश्री बिलकिस की ओर से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गुजरात राज्य के विरुद्ध रिट याचिका (दांडिक) 118, 2003 दायर की गई, जिसमें आग्रह किया गया कि प्रथम श्रेणी, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, लिमखेड़ा के 25.3.2003 के उस आदेश को अपास्त किया जाए जिसे पुलिस द्वारा प्रस्तुत ‘अंतिम रिपोर्ट’ के आधार पर स्वीकार किया गया और पुलिस द्वारा प्रस्तुत ‘अंतिम रिपोर्ट’ को अपास्त कर आदेश को निरस्त करें। उसने आग्रह किया कि निदेशक,

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से केस की एक पृथक जाँच करवाने हेतु निदेश दिया जाए और सामूहिक-बलात्कार के दोषियों को सजा दिलवाई जाए।

3.17 सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को नोटिस जारी किया और पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद सुश्री बिलकिस याकूब रसूल की रिट याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने दिनांक 16.12.2003 के आदेश द्वारा उसकी शिकायत के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से नवीन जाँच के आदेश दिए।

3.18 सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.12.2003 के आदेश के अनुपालन में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक ने मुकदमें को पंजीकृत करने का आदेश दिया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अपराध शाखा, मुम्बई ने 1.1.2003 को मुकदमा संख्या आर. सी. 1 (एस)/2004 धारा 143, 147, 148, 149, 376 और 302 भा.द.सं. के अंतर्गत दर्ज किया और मुकदमें की जाँच का उत्तरदायित्व लिया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के एक दल ने मुकदमें की जाँच के लिए गुजरात के दहोब जिले में देवगढ़ बरिया नामक स्थान पर कैम्प कार्यालय बनाया। जाँच को पूरा करने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 19.4.2004 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) के न्यायालय, अहमदाबाद में 20 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी व डॉक्टर भी शामिल हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरोप-पत्र में नामजद 8 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भारी जुर्माने के लिए विभागीय कार्रवाई करने की भी सिफारिश की, जिन्होंने अपने कर्तव्य में लापरवाही की।

20.4.2004 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुजरात के मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक से मुकदमें के 33 महत्वपूर्ण गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया ताकि मुकदमें की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच हो और अभियुक्तों की ओर से गवाहों पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव न आए।

3.19 यद्यपि मामला इस स्थिति में था, अतः आयोग के स्पेशल रैपर्टियर ने शिकायतकर्ता सुश्री बिलकिस याकूब रसूल की ओर से एक प्रार्थना पत्र भेजा जिसमें आयोग से विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमें के विचारण के दौरान एक वकील नियुक्त करने के लिए आयोग से आग्रह किया। दिनांक 24.3.2004 की अपनी कार्रवाई में आयोग ने शिकायतकर्ता के आग्रह को मान लिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल रैपर्टियर श्री पी. जी. जे. नम्पूतिरी को आयोग और शिकायतकर्ता के परामर्श पर, विचारण न्यायालय में उसे प्रस्तुत करने के लिए एक सक्षम वकील नियुक्त करने के लिए कहा। आयोग ने इस संबंध में होने वाले व्यय को वहन करने का दायित्व लिया।

3.20 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण), अहमदाबाद के न्यायालय में विचारण प्रारंभ होने से पहले सुश्री बिलकिस याकूब रसूल ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में एक प्रार्थना पत्र द्वारा यह लाया गया कि उसे और कुछ गवाहों को लगातार धमकियां मिल रही थीं और वातावरण बहुत तनावपूर्ण था अतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) अहमदाबाद के समक्ष निष्पक्ष विचारण संभव नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रार्थना पत्र से संज्ञान लिया और राज्य को नोटिस जारी करके और पक्षों को सुनकर दिनांक 8.8.2004 को अपने आदेश द्वारा 'न्याय के हित में' इस मुकदमें के विचारण का स्थानांतरण अहमदाबाद से मुम्बई के न्यायालय में करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया कि मुकदमें के स्थानांतरण के आदेश का अर्थ यह नहीं कि गुजरात में न्यायपालिका के प्रति कोई अभ्यारोपण है।

दंगों के कारण हुए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

3.21 गुजरात राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों, जो गोधरा दंगों के बाद 'विस्थापित' हुए थे, राहत, पुनर्वास एवं पुनः बसाने के प्रति आयोग लगातार चिंतित है। आयोग ने इस ओर कई उपाय प्रस्तावित किए हैं। तथापि आयोग का अनुभव रहा है कि राज्य सरकार पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के प्रति अपेक्षाकृत कम सक्रिय/सहयोग देती है। इसी के परिणामस्वरूप आयोग को वास्तव में अभागे पीड़ितों की राहत, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन से संबंधित अतिरिक्त उपायों को या पर्याप्त तेजी से उपायों को लागू करने में दिक्कत होती है।

3.22 वर्ष 2002-03 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने दंगा पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के संबंध में उठाए गए विभिन्न कदमों को सम्मिलित किया है। 9.5.2003 को गुजरात राज्य के मुख्य सचिव के साथ किए गए आयोग के विचार-विमर्श में आयोग ने राज्य सरकार को आयोग द्वारा सुझाए गए 6 उपायों की आवश्यकता के विषय में याद दिलाया जिनमें से 5 विस्तृत रूप से राहत, पुनर्वास, पुनः स्थापना एवं विश्वास-निर्माण क्षेत्रों से संबंधित हैं। दुर्भाग्य से राज्य सरकार का उत्तर बहुत कम संतोषजनक रहा। 9.5.2003 को मुख्य सचिव के साथ उठाए गए 'राहत एवं पुनर्वास' संबंधी विषयों को न तो 28.5.2003 और न ही 25.6.2003 को मुख्य सचिव द्वारा आयोग को भेजे गए पत्रों में पर्याप्त रूप से सम्मिलित किया गया। अतः उनसे पुनः आग्रह किया गया था कि वे उक्त 6 उपायों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भेजें।

3.23 दंगा पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास से संबंधित विषयों पर 17.9.2003 के अपने अगले पत्र व्यवहार में मुख्य सचिव, गुजरात राज्य ने निम्नलिखित सूचना आयोग को भेजी। सूचना का अभिप्राय स्वतः स्पष्ट है :-

(क) एक शिकायत निवारण प्राधिकरण की स्थापना :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायत सुधार प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव के विषय में गुजरात के मुख्य सचिव ने बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय में सिटिजन फॉर पीस एण्ड जस्टिस व अन्यो द्वारा 2003 की एस सी ए संख्या 3217 में भी इसी प्रकार की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस सी ए को स्वीकार किया जाना शेष है। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को वादियों को सुनने का निर्देश दिया है और इस प्रकार की एक सुनवाई 23.7.2003 को पहले ही हो चुकी है। अतः यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) पीड़ितों का पुनर्वास एवं उनका सर्वेक्षण :

इस दावे के अतिरिक्त कि राज्य तंत्र द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है और पीड़ितों को हर्जाना, राज्य की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिया जा चुका है, मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार किसी नए सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता महसूस नहीं करती, यहाँ तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ संयुक्त रूप से भी नहीं। यह मामला भी उपरोक्त एस सी ए के अंतर्गत न्यायाधीन है।

(ग) अभी भी शिविर जैसी परिस्थितियों में रहने वाले दंगा प्रभावितों का सर्वेक्षण:

अभी भी शिविर जैसी परिस्थितियों में रहने वाले दंगा प्रभावित लोगों के संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार किसी भी शिकायत की जाँच के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिविर जैसी परिस्थितियों में कोई परिवार नहीं रह रहा।

(घ) मकबरों एवं पवित्र स्थानों का पुनरुद्धार :

दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मकबरों एवं पवित्र स्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि इस्लामिक रिलीफ कमेटी की ओर से दायर एस सी ए उच्च न्यायालय में लंबित है और इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

3.24 अतः यह देखा गया है कि राज्य सरकार इस मामले में वास्तविकता का सामना करने में लगातार उदासीन रही है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट का अभिप्राय राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा सुझाए गए विषयों को उन्हें संबोधित करने के बजाय किसी कार्रवाई को अवरुद्ध करना अधिक प्रतीत होता है। मुख्य सचिव के दिनांक 17.9.2003 के पत्र में रखे गए विवादों के उत्तर में आयोग के स्पेशल रैपर्टियर ने ब्यौरा दिया जिसमें आयोग के इस कदम का समर्थन किया कि एक शिकायत निवारण प्राधिकरण की आवश्यकता थी। दंगों में विस्थापित बहुत से ऐसे परिवार हैं जो एक सुरक्षित

एवं अनुकूल वातावरण के अभाव में अपने मूल निवास में वापस न जाने के कारण अपने व्यवसाय को चलाने की स्थिति में नहीं हैं। स्पेशल रैपर्टियर की रिपोर्ट में यह भी संकेत थे कि राज्य सरकार द्वारा विस्थापित लोगों को, विभिन्न मामलों में दी जाने वाली हर्जाने की राशि पूर्णतः अपर्याप्त है। उनके द्वारा इंगित बिन्दु से स्पष्ट है कि क्षतिग्रस्त मकानों के मामले में यद्यपि राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए का हर्जाना तय किया गया है तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए केवल 6,678.28 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 8,554.58 रुपए प्रति मकान हर्जाना दिया गया। पुलिस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कुल क्षतिग्रस्त संपत्ति (जिसमें मकान, व्यवसाय, प्रतिष्ठान, वाहन आदि शामिल हैं) 687.34 करोड़ रुपए मूल्य की थी, जबकि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को केवल 56.37 करोड़ रुपए वितरित किए, जो कि कुल नुकसान का केवल 9 प्रतिशत होता है। स्पेशल रैपर्टियर ने आगे इंगित किया है कि क्षतिपूर्ति/राहत के लिए अपर्याप्त भरपाई केवल अकेले अहमदाबाद तक सीमित नहीं हैं हालांकि एस सी ए में संलग्न सूची में अधिकतर उसी स्थान के मामलों को बताया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक एस सी ए दायर की गई है, प्रभावित नागरिकों की शिकायतों को सुनना, पर्याप्त आधार नहीं है। स्पेशल रैपर्टियर इस बात से सहमत नहीं है कि वहाँ पर अभी शिविर जैसी परिस्थितियों में कोई परिवार नहीं रह रहे।

3.25 आयोग ने मुख्य सचिव के प्रत्युत्तर एवं स्पेशल रैपर्टियर की टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात् महसूस किया है कि वहाँ पर इस प्रकार के प्रस्तावित प्राधिकरण के गठन की अत्यंत आवश्यकता है। राज्य सरकार को आयोग ने दिनांक 14.11.03 के अपने अर्ध-शासकीय पत्र द्वारा एक शिकायत सुधार प्राधिकरण की स्थापना के विषय में आयोग की मंशा की सूचना दी, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करे और राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक-एक मनोनीत सदस्य हों ताकि पीड़ित नागरिकों को उनकी शिकायतों को सुने जाने और उनके निवारण में पारदर्शिता एवं तीव्रता प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र मंच मिल सके। आयोग ने अपने विचार को दोहराया है कि अभी तक शिविर जैसी परिस्थितियों में रहने वाले परिवारों के लिए सर्वेक्षण आवश्यक है और राज्य सरकार से इस सर्वेक्षण को करवाने में सहयोग देने का आग्रह किया है।

3.26 राज्य सरकार ने अपने दिनांक 31.12.2003 को मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए अर्द्ध शासकीय पत्र में लिखा कि शिकायत सुधार प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझावों को राज्य सरकार स्वीकार नहीं करती। उसने इस सुझाव को अनुचित बताया क्योंकि राज्य सरकार, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सक्रिय रूप से दंगा प्रभावित लोगों की शिकायतों को दूर करने के प्रति वचनबद्ध है। विस्थापित परिवारों के सर्वेक्षण के संबंध में राज्य सरकार ने लिखा कि वे पूर्ण रूप से इस मामले में सहयोग करने के लिए इच्छुक एवं तैयार हैं परन्तु वे चाहते हैं कि पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन विशिष्ट शिकायतों का ब्योरा दें।

3.27 इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के प्रत्युत्तर के विषय में स्पेशल रैपर्टियर ने निम्नलिखित उल्लेख किया :-

“उपलब्ध सूचना के अनुसार सबरकान्था में 1700, दहोद में 75, पंचमहल में 640, वडोदरा में 100, मेहसाना में 325 और अहमदाबाद में 950 परिवार गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाई गई कालोनियों में स्थानांतरित हुए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम एक हजार से अधिक परिवार अस्थायी शिविरों या किराए के मकानों में रह रहे हैं।

एस.सी.ए./3217/2003 में, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कोई मौखिक या लिखित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी, मौखिक निदेशों पर आवेदक “सिटिजन ऑफ जस्टिस एण्ड पीस” की मुख्य सचिव द्वारा निजी सुनवाई की गई। इस प्रकार की 3 बैठकें होने के बावजूद उनकी शिकायतों को दूर करने के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।”

आयोग ने उपरोक्त सूचना मुख्य सचिव को आगे विचार करने के लिए भिजवा दी है। मुख्य सचिव की ओर से अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है।

नागरिक स्वतंत्रताएँ

(क) आतंकवाद एवं विद्रोह की स्थितियों में मानव अधिकारों का संरक्षण

4.1 पूर्व के वर्षों में आतंकवाद और विद्रोह लगातार विश्व समुदाय, जिसमें सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकार संस्थान और स्वैच्छिक संगठन शामिल हैं, के लिए लगातार बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है। यह चिंता "9/11 घटना", जिसने विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली प्रजातंत्र यू.एस.ए. को हिला कर रख दिया, के बाद अधिक बढ़ गई है।

4.2 भारत में हम पिछले कई वर्षों से विश्व स्तर पर आतंकवाद एवं विद्रोह, विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवाद का सामना करने के विषय में अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। आतंकवाद की बुराइयां बार-बार अपना सर उठा रही हैं और इस देश के हजारों बेगुनाह लोग लगातार इसका निशाना बनते जा रहे हैं।

4.3 वर्ष 2003-04 के दौरान 7.5.2003 को त्रिपुरा में इसी आतंकवाद एवं विद्रोह की नृशंस घटना के फलस्वरूप 31 लोगों की हत्या हुई। इसके बाद 28.6.2003 को आत्मघाती हमले के कारण सेना के 12 जवानों की जम्मू के बाहरी क्षेत्रों में मृत्यु हुई। हम इस झटके से अभी उबरे भी नहीं थे कि 21.7.2003 को कटरा (जम्मू व कश्मीर) के निकट वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं पर कायरतापूर्ण हमला हुआ। इसके तुरंत बाद दूसरे दिन 22.7.2003 को जम्मू व कश्मीर में अकनूर के निकट सेना के कैम्प पर एक अन्य आत्मघाती हमला हुआ, जिसके कारण सेना के 8 जवानों की मृत्यु हुई। 14.8.2003 को त्रिपुरा में एक बार फिर उग्रवादी सक्रिय हुए जिन्होंने 18 लोगों की हत्या की। 25.8.2003 को दक्षिणी मुम्बई में होने वाला दोहरा बम विस्फोट कदाचित अत्यधिक प्रचंड था जिसमें 46 बेगुनाह नागरिक मारे गए और करीब अन्य 160 घायल हुए। इन प्रेततुल्य कार्यों की लम्बी सूची में, उल्फा आतंकवादियों द्वारा नवम्बर 2003 के दौरान असम में सैकड़ों लोगों की हत्या, 29.12.2003 को जम्मू बस स्टैण्ड पर विस्फोट जिसमें दर्जनों यात्री

घायल हुए, 30.12.2003 को सेना के जवानों पर हमला, जिसमें सेना के 56 जवान घायल हुए, 1.1.2004 को श्रीनगर के मुख्य बाज़ार में बम विस्फोट, जिसमें 20 नागरिक घायल हुए और 21.1.2004 को उग्रवादियों द्वारा जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमला, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में सेना के जवानों एवं अन्यो की मृत्यु हुई और कई घायल हुए, ये सभी शामिल हैं।

4.4 चूंकि आतंकवाद का उद्देश्य सभ्य समाज को असंतुलित करना और राज्य की सुलझनों पर निशाना साधना है, अतः यह आवश्यक है कि इसका सामना दोनों दृढ़ता से करें। आयोग अपनी इस धारणा को दोहराना चाहता है कि देश की पुलिस और सशस्त्र सेनाओं को समाज के सभी तत्त्वों द्वारा समर्थन मिलता है अतः उनका यह कर्तव्य है कि वे आतंकवाद से लड़ें और उसका उन्मूलन करें। यद्यपि यह उसी तरीके से किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्र का संविधान, धरती का कानून, कानून का नियम और राज्य की संधि वचनबद्धता कायम रहे। अपनी स्थापना के समय अक्टूबर 1993 से ही आयोग ने सुसंगत रूप से इस प्रस्ताव के साथ सामंजस्य की स्थिति अपनाई है।

4.5 आयोग यह स्वीकार करता है कि मानव अधिकारों का उचित पालन, शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में कोई बाधा नहीं है। इसके विपरीत किसी स्थायी शांति एवं लम्बे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकारों के प्रति उचित सम्मान पर निर्भर करती है। अतः आतंकवाद-विरोधी उपाय प्रजातंत्र एवं मानव अधिकारों के साथ सुसंगत होने चाहिए, जो हमारे समाज के मूलभूत मूल्य हैं और यहाँ तक कि उन्हें भूल कर भी क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के उपायों के कार्यान्वयन की प्रकृति और तरीके का इसके उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य हो, बावजूद इसके कि चाहे उपायों की निगरानी में अत्यधिक चौकसी की आवश्यकता हो, आतंकवादी कार्यों का अभियोजन धरती के कानून के अंतर्गत अथवा देश की पुलिस एवं सशस्त्र सेनाओं द्वारा बल का प्रयोग, आतंकवाद को सीमित या समाप्त करने के लिए हो।

4.6 आतंकवाद-विरोधी उपाय केवल आतंकवाद के विरुद्ध निर्देशित होने चाहिए और निर्दोष असैनिक जनता के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। अन्ततः कानून के नियम का समर्थन होना चाहिए और उन प्राचलों का, जिसमें राज्य कार्य करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, आवश्यक रूप से दृढ़ता से आदर किया जाना चाहिए।

4.7 इन्हीं कारणों से आयोग, राज्य ऐजेंसियों को निरन्तर याद दिलाता रहता है कि वे संविधान, देश के कानूनों और देश की संधि बाध्यताओं के अनुरूप कार्य करें। आयोग सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम 1958 के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन और भारतीय दण्ड संहिता में निर्धारित प्रावधानों एवं सिद्धान्तों का विभिन्न स्थितियों में यहाँ तक

कि मृत्यु का कारण बनने में भी बल के प्रयोग को बढ़ा सकते हैं, की आवश्यकता की ओर सशस्त्र सेनाओं का ध्यान आकर्षित करता आ रहा है।

4.8 आयोग की सिफारिशों के उत्तर में सीमा सुरक्षा बल और थलसेना, दोनों नियमित रूप से अपने कर्मियों के विषय में, जिन पर 1990 से मानव अधिकारों के उल्लंघन का अभियोग है, आयोग को निरंतर सूचना दे रहे हैं। समीक्षाधीन अवधि के अंतर्गत सेना ने अपनी ओर से आयोग को सूचना दी कि उन्होंने सेना कर्मियों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में 30 शिकायतें दर्ज की हैं और अभी तक 2 शिकायतों की जाँच हो चुकी है और 14 शिकायतों की अभी भी जाँच हो रही है। सेना ने 4 शिकायतों के साथ-साथ अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी स्वतः संज्ञान लिया जिनमें से एक मामला सही पाया गया और श्री राजेश सिंह यादव (ऑपरैटर) संख्या 1562976 एल को 23-8-2003 को एक महिला से छेड़छाड़ करने के लिए सेवा से बरखास्त करने की सजा दी गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने सुरक्षा बलों द्वारा मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित आरोपों के प्रति गंभीर चिंता करते हुए इस मामले को मार्च 2004 में सेनाध्यक्ष के समक्ष उठाया। सेनाध्यक्ष जनरल एन. सी. विज ने अपने 6 अप्रैल 2004 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को सूचना दी कि "कृपया निश्चित रहें कि हमारे क्रिया-कलापों में मानव अधिकार बहुत ऊपर हैं और इस क्षेत्र में अपने ट्रैक रिकार्ड में आगे बेहतर बनाने के लिए हर संभव कार्य करने के लिए हम दृढ़ संकल्प रहेंगे।" सेनाध्यक्ष ने विभिन्न रैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघन के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को 24 मई, 2004 को एक अन्य पत्र द्वारा यह भी सूचित किया कि मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए तथा फील्ड में तैनात अधिकारियों को संवेदीकृत करने के लिए और कर्नल रैंक के अधिकारियों को विशेष तौर पर विभिन्न मुख्यालयों पर नियुक्त किया गया है।

4.9 आयोग सशस्त्र सेनाओं से संबंधित अपनी पूर्व रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की ओर दोबारा ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि केन्द्र सरकार सशस्त्र सेनाओं के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बलों को भी यह निर्देश दें कि हिरासत में व्यक्ति की मृत्यु के किसी भी मामले की सूचना आयोग को दें, जैसा कि पुलिस करती है। इन पर यदि ध्यान दिया जाए तो, हिरासतीय हिंसा को और न्यायेतर हत्याओं की संभावना को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। इस प्रकार की कार्रवाई सशस्त्र सेनाओं के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बलों के आचरण को बदल सकती है और उनके विरुद्ध इस प्रकार की हिंसा के जो आरोप लगाए जाते हैं, जो हमारी धरती के कानून के अंतर्गत अननुज्ञेय हैं और अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून एवं मानवतावादी कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, को भी कम करेगी।

4.10 इस पूरी अवधि में और इस हिंसा के वातावरण के बावजूद आयोग ने देशभर में मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के अपने दायित्व का पालन किया है। आयोग अपनी ओर से राज्यों में मानव अधिकार उल्लंघन की रिपोर्टों पर शिकायतों एवं स्वतः संज्ञान के आधार पर निरंतर कार्रवाई कर रहा है।

4.11 इस एक वर्ष की अवधि में इसने जम्मू व कश्मीर में हिंसा की कुल 214 शिकायतें प्राप्त कीं। इनमें से प्रत्येक शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई की गई। जब भी आयोग को आवश्यकता महसूस हुई है, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए। अन्य मामलों में राज्य प्राधिकारियों को शिकायतों पर ध्यान देने और उनका समाधान करने तथा आयोग को, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

4.12 कुछ मामलों में, जहाँ जब आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्राप्त रिपोर्टें टाल-मटोल युक्त, अविश्वसनीय और अपर्याप्त हैं, तो उसने इन रिपोर्टों को ध्यानपूर्वक विश्लेषण के आधार पर प्रायः अपने अन्वेषण प्रभाग द्वारा आगे की सूचना देने के लिए कहा है। कई अवसरों पर आयोग ने शिकायतकर्ताओं के साथ परस्पर बातचीत की है, उन्हें प्राप्त रिपोर्टें एवं की गई जाँच के संबंध में अपने प्रत्युत्तर पर प्रकाश डाला और किए गए प्रयासों के विषय में सलाह दी है। शिकायतों में कई प्रकार के आरोप हैं – जैसे जबरन गायब करने, अवैध कारावास और यातना, हिरासतीय मौत, न्यायेतर हत्याएं और फर्जी मुठभेड़। आयोग उन मामलों पर भी निरंतर कार्य कर रहा है जिन्हें उसने पहले संज्ञान में लिया था।

4.13 आयोग ने 31.8.2000 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'गायब लोगों की भीषण तलाश' शीर्षक से प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जैसा कि "एसोसिएशन ऑफ पेरेन्ट्स ऑफ डिसअप्पीयर्ड पर्सन्स (ए.पी.डी.पी.)" ने कश्मीर घाटी से गायब हुए दस से सत्तर वर्ष के बीच के कुछ लोगों के गायब होने के विषय में संदर्भ दिया है। आयोग ने राज्य प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की है और उसे ए.पी.डी.पी. को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा है, जिसकी अभी भी प्रतीक्षा है।

4.14 चालू वर्ष के दौरान आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर भी स्वतः संज्ञान लिया है और उस नृशंस आतंकवादी हमले की जोरदार निंदा की, जो 20 जुलाई को वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के मार्ग पर कटरा के निकट बाण गंगा में हुआ था जिसमें सात श्रद्धालु मारे गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था और कई निर्दोष नागरिक घायल हुए। आयोग ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और कहा कि इस प्रकार के आपराधिक कार्य पूर्णतः अन्यायपूर्ण हैं और नागरिकों के मानव

अधिकारों के उल्लंघन करते हैं। अतः आयोग ने प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस प्रकार के आतंकवाद के कार्यों से निपटने के लिए कानून की पूरी शक्ति का प्रयोग करना और उन्हें न्याय की ओर लाना है जो ऐसा करवाते या उन्हें उकसाते हैं।

4.15 आयोग का आतंकवाद-विरोधी कानून, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (TADA), आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) 2002 के संबंध में भी एक सुसंगत है। इस संबंध में आयोग ने यह महसूस किया है कि टाडा की तुलना में आतंकवाद निवारण अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान विद्यमान हैं जिनका उद्देश्य इसके संभावित दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करना है। उदाहरण के लिए आतंकवाद निवारण (संशोधन) अधिनियम 2003 में एक केन्द्रीय समीक्षा समिति के निर्माण का प्रावधान है। आयोग का यद्यपि यह दृष्टिकोण है कि ये सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं। अतः यह राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह इस अधिनियम के सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करे और यह सुनिश्चित करे कि अन्य प्रावधानों का दुरुपयोग न हो अथवा दण्डभाव के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो। अतः आयोग ने दोहराया है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के संबंध में उसके पूर्व के विचार में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ख) हिरासतीय मौतें/यातना

4.16 अपनी स्थापना के समय से ही आयोग की सबसे बड़ी प्रमुखता हिरासतीय हिंसा की समस्याओं को संबोधित करना रहा है। आयोग मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन, जिनके फलस्वरूप हिरासतीय मौतें होती हैं, को समाप्त करने के प्रयासों के प्रति गहराई से दृढ़ संकल्प है। हिरासतीय हिंसा, मानवीय प्रतिष्ठा पर एक सुविचारित प्रहार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 18 दिसम्बर 1996 के निर्णय में डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में कहा है "जब कभी मानवीय प्रतिष्ठा पर आघात होता है, सभ्यता एक कदम पीछे चली जाती है। मानवता का झंडा हर ऐसे अवसर पर आधा झुका रहना चाहिए।"

4.17 हिरासतीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास करना, आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रारंभ होने के समय से ही लगभग 14.12.1993 को आयोग ने सभी राज्यों को निदेश जारी किए जिसमें उनसे कहा गया कि वे सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों से पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु या बलात्कार की किसी भी घटना की, उसके घटित होने के 24 घंटे के भीतर, आयोग को सीधे सूचना देने का निदेश दें। यदि ऐसा करने में वे असफल होते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि तथ्यों को दबाने का प्रयास किया गया है। बाद में न्यायिक हिरासत में हुई मौतों को भी इस निदेश में शामिल करने का अनुदेश दिया गया।

4.18 आयोग को यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि उसके दिशा निदेशों के अनुसार राज्यों की एजेंसियों ने, जब भी इस प्रकार की घटनाएँ घटित हुई हैं, उनकी सूचना आयोग को देने में तत्परता दिखाई है। यद्यपि अनुवर्ती रिपोर्टें, जैसे मृत्यु जाँच रिपोर्ट, शवपरीक्षण रिपोर्ट (वीडियोग्राफ और आंतरांग रिपोर्ट, यदि हो तों, सम्मिलित हैं), मजिस्ट्रेटी जाँच रिपोर्ट आदि, कई मामलों में शीघ्रता से प्राप्त नहीं हुई हैं। कई बार कुछ राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 36(1) का इस्तेमाल करके इस दावे के साथ कि राज्य मानव अधिकार आयोग ने हिरासतीय मौत का स्वतः संज्ञान लिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार को अवरूद्ध करने का प्रयास भी किया गया है।

4.19 हिरासतीय हिंसा के कारण पुलिस और जनता के बीच गहरा मतभेद होता है। कुछ प्रशासनिक, सामाजिक, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो जन-जीवन में सत्यनिष्ठा की कमी को बढ़ाते हैं। विशिष्टीकृत अन्वेषण दक्षता की कमी, अनुचित प्रोत्साहन एवं इनाम, नितांत निर्दयता, इनके अन्य कारण हैं। गिरफ्तारी में पारदर्शिता, समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण, ईमानदारी से रिकार्डों को रखना, मानव अधिकारों के विषय में बढ़ती हुई जागरूकता, परिप्रश्न के कौशल में, अनुसंधान दक्षता में सुधार आदि कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे हिरासतीय हिंसा की घटनाओं को कम किया जा सकता है।

4.20 हिरासतीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए आयोग के उपमहानिरीक्षक की देखरेख में अन्वेषण विभाग के भीतर एक स्पेशल सेल का निर्माण किया गया है जिनका कार्य सक्षम प्राधिकारियों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना है और फिर उस सामग्री का विश्लेषण करके उन विशेष घटनाओं के संबंध में आगे क्या कार्रवाई आवश्यक है, के विषय में आयोग की सहायता करना है।

4.21 वर्ष 2003-04 में आयोग को पुलिस हिरासत में 162 और न्यायिक हिरासत में 1300 मौतों की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अर्ध-सैनिक बलों की हिरासत में एक मौत, जिनका कुल योग 1463 बनता है, जबकि 2002-03 में इस प्रकार की मौतों का योग 1340 (183 पुलिस हिरासत में और 1157 न्यायिक हिरासत में) था। यह देखा गया है कि पिछले वर्षों की तुलना में आयोग को सूचित मौतों में, पुलिस हिरासत में हुई मौतों में कमी आई है और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों में वृद्धि हुई है। दी गई अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत में मौतों को जेल में बंदियों की कुल संख्या के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और अधिकतर मौतें बीमारी और प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। न्यायिक हिरासत में लगभग 80 प्रतिशत मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं।

4.22 रिपोर्टों से पता चलता है कि असम में (2002-03 में 15 की तुलना में 6), हरियाणा में (2002-03 में 6 की तुलना में 2), कर्नाटक (2002-03 में 16 की तुलना में 4), तमिलनाडु में (2002-03 में 17 की तुलना में 12), पश्चिम बंगाल में (2002-03 में 16 की तुलना में 13) और झारखण्ड में

(2002-03 से 6 की तुलना में 3) राज्यों में पुलिस हिरासत में हुई हिरासतीय मौतों की संख्या में गिरावट आई है। यद्यपि इसी अवधि के दौरान बिहार (2002-2003 में 4 की तुलना में 9), गुजरात (2002-03 में 17 की तुलना में 20) और महाराष्ट्र (2002-03 में 26 की तुलना में 32) जैसे राज्यों में इसी प्रकार की मौतों में वृद्धि हुई है।

4.23 वर्ष 2003-04 की अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के संबंध में रिपोर्टें यह संकेत देती हैं कि राज्यों, जैसे बिहार (2002-03 में 153 की तुलना में 139), राजस्थान (2002-03 में 55 की तुलना में 45), पश्चिम बंगाल (2002-03 में 49 की तुलना में 43), और दिल्ली (2002-03 में 30 की तुलना में 22) में इस प्रकार के मामलों की संख्या में गिरावट आई है। यद्यपि इसी अवधि के दौरान राज्यों, जैसे असम (2002-03 में 13 की तुलना में 18), हरियाणा (2002-03 में 41 की तुलना में 49), महाराष्ट्र (2002-03 में 117 की तुलना में 148), उड़ीसा (2002-03 में 41 की तुलना में 52), पंजाब (2002-03 में 65 की तुलना में 81), तमिलनाडु (2002-03 में 51 की तुलना में 106), उत्तर प्रदेश (2002-03 में 169 की तुलना में 199), छत्तीसगढ़ (2002-03 में 29 की तुलना में 42) और झारखण्ड (2002-03 में 41 की तुलना में 53) में इस प्रकार की मौतों में वृद्धि हुई है।

4.24 आँकड़े तथापि आयोग के इस विचार को प्रबल करते हैं कि बेहतर हिरासतीय प्रबंधन की आवश्यकता है और मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में पुलिस कर्मियों के बेहतर अभिविन्यास की आवश्यकता है। आयोग का यह विचार भी है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित मानव अधिकार प्रकोष्ठ, पुलिस बंदीगृहों और जेलों में हिरासतीय प्रबंधन में और पुलिस हिरासत की स्थितियों को सुधारने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएँ। आयोग ने तदनुसार सभी राज्य सरकारों से इन मामलों में अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

4.25 2003-04 में आयोग को सूचित हिरासतीय मौतों की संख्या की राज्य-वार स्थिति को अनुलग्नक -2 पर देखा जा सकता है।

4.26 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने यह सिफारिश करना आवश्यक समझा कि दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक/वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। हिरासतीय मौतों के 8 मामलों के संबंध में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (3) के अन्तर्गत अंतरिम राहत का भुगतान करने की भी सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त आयोग ने हिरासतीय मौतों के 16 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिनमें सक्षम प्राधिकारियों से पूछा गया कि वे कारण बताएं कि मृतक व्यक्तियों के आश्रित को तत्काल अंतरिम राहत मंजूर क्यों नहीं की गई?

4.27 अक्टूबर 1993 में जबसे आयोग स्थापित हुआ था, उसने पुलिस या न्यायिक हिरासत में हुई कुल 10,058 मौतों की रिपोर्टें प्राप्त की हैं। न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है कि अधिकतर मौतों को प्राकृतिक बीमारी या वृद्धावस्था के कारण होना बताया है। कुछ मौतें बीमारी, चिकित्सा में असावधानी, बंदियों के बीच हिंसा या आत्महत्या के कारण बढ़ी हैं। ये सभी कारण बेहतर जेल व्यवस्था, उचित रूप से प्रशिक्षित एवं अधिक प्रतिबद्ध कर्मचारी, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी शामिल हैं, और कैदियों में रूग्णता एवं मानसिक बीमारी से जूझने के लिए जेलों की क्षमता में सुधार की माँग करते हैं। आयोग ने अपनी सिफारिशों की पुनरावृत्ति की है कि इन सभी क्षेत्रों में सभी राज्य सरकारें अधिक ध्यान दें।

4.28 चूँकि न्यायिक हिरासत में यातना से होने वाली मौतें तुलना में कम पाई गई हैं, अतः आयोग ने दिसम्बर 2001 में अपने पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है कि जेलों में होने वाली सभी मौतों की शव-परीक्षा जाँच की वीडियोग्राफी आवश्यक है। आयोग का मानना है कि शव-परीक्षा जाँच आवश्यक है परन्तु न्यायिक हिरासत में मौतों के मामले में शव-परीक्षा जाँच की वीडियोग्राफी की आवश्यकता में छूट दी जा सकती है। 21 दिसम्बर 2001 को आयोग ने अपने निदेशों में संशोधन करके आदेश दिया कि पुलिस हिरासत में मौत की शव-परीक्षा जाँच की वीडियोग्राफी के संबंध में उसके पूर्व में दिए गए निदेश अस्तित्व में रहेंगे, जबकि जेल में होने वाली मौत की शव-परीक्षा जाँच की वीडियोग्राफी तभी लागू होगी जब मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिक जाँच में किसी कूटकर्म का संदेह हो अथवा जब सक्षम अधिकारियों से मौत के संबंध में किसी प्रकार के कूटकर्म की शिकायत की गई हो या संदेह के कोई अन्य कारण हों। हम इसी स्थिति की पुनरावृत्ति करना चाहेंगे।

(ग) मुठभेड़ में मौतें

4.29 29.3.1997 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को, पुलिस के साथ मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए।

4.30 मुठभेड़ में मौतों के मामले में पिछले छः वर्षों में आयोग का अनुभव उत्साहजनक नहीं रहा है। हालाँकि विद्यमान दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत यह अन्तर्निहित है कि राज्य पुलिस मुठभेड़ों में होने वाली मौतों के सभी मामलों की सूचना आयोग को दें, फिर भी अभी तक कई राज्यों ने इस संबंध में सूचना नहीं भेजी है, इस बहाने के आधार पर कि इस प्रकार के कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं और इसलिए वे आयोग द्वारा सच्ची भावना से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में पुलिस की कार्रवाई के कारण होने वाली मौतों

के प्रमाणिक आंकड़े अभी आयोग में उपलब्ध नहीं हैं। आयोग ने अनुभव किया है कि मानव अधिकारों के प्रभावपूर्ण संरक्षण में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ये आंकड़े आवश्यक हैं। अतः लोक सेवकों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाने की दिशा में आयोग ने 2 दिसम्बर 2003 को विद्यमान दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है (अनुलग्नक 3)। यह जोर दिया गया कि राज्य पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के सभी मामलों में आयोग को अवश्य सूचित करे। आयोग ने पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों के सभी मामलों में राज्य सरकारों द्वारा संशोधित प्रक्रिया का अनुसरण करने की भी सिफारिश की है और इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पुलिस अधिकारी मुठभेड़ पार्टी के सदस्य हैं और उसी थाने से संबंधित हैं, जिनकी कार्रवाई के कारण मौतें हुई हैं, इस प्रकार के मामलों की जाँच किसी अन्य स्वतंत्र जाँच एजेंसी जैसे राज्य सी.बी. सी.आई.डी. से करवाई जाए। जब कभी पुलिस के विरुद्ध उसकी ओर से किए गए आपराधिक कार्य के संबंध में विशिष्ट शिकायत की जाती है जिसके कारण एक आपराधिक मानव वध मामले का संज्ञान होता है, तो इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की उचित धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। इस प्रकार के मामले की निरपवाद रूप से राज्य सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा जाँच की जानी चाहिए। पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली सभी मौतों की निरपवाद रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच होनी चाहिए। मृतक के निकटतम संबंधी को भी निरपवाद रूप से इस प्रकार की जाँच में शामिल किया जाना चाहिए। घटना के एकदम बाद संबंधित अधिकारियों को बिना बारी के पदोन्नति या तत्काल पराक्रम पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाने चाहिए। हर कीमत पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के पुरस्कार केवल तभी दिये सिफारिश किए जाने चाहिए, जब संबंधित अधिकारी का पराक्रम निस्संदेह सिद्ध हो जाए।

4.31 सभी मुख्य मंत्रियों और प्रशासकों को निदेश दिया गया है कि वे राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों के सभी मामलों की एक छमाही रिपोर्ट बनाकर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से क्रमशः जनवरी एवं जुलाई की 15 तारीख तक इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्म में आयोग को भेजें।

4.32 फर्जी मुठभेड़ के कारण न्यायेतर हत्या का आरोप एक बहुत ही गंभीर विषय है। अतः इन शिकायतों में प्रत्येक के संबंध में आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके दिशा-निर्देशों के अनुसार जाँच प्रारंभ की जाए और कार्रवाई की जाए।

4.33 वर्ष 2003-04 की अवधि के दौरान आयोग ने पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से कुल 100 सूचनाएं प्राप्त की हैं। इसके अतिरिक्त सेना प्राधिकारियों से गोलीबारी में 4 मौतों की सूचना प्राप्त की है। विभिन्न राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों/सेना प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के संबंध में राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाली सूची अनुलग्नक-4 पर दी गई है।

4.34 उपरोक्त के अतिरिक्त, आयोग ने गैर सरकारी संगठनों/व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ों के कारण हुई कथित मौतों के संबंध में कुल 109 शिकायतें भी प्राप्त की हैं। आयोग ने फर्जी मुठभेड़ों में कथित मौतों के लिए सशस्त्र सेना के विरुद्ध 3 शिकायतें और अर्ध-सैनिक बलों के विरुद्ध दो शिकायतें भी प्राप्त की हैं। इन शिकायतों के संबंध में राज्य-वार स्थिति अनुलग्नक 5 में दी गई है।

(घ) व्यवस्थागत सुधार : पुलिस

4.35 कई पुलिस आयोगों ने अपनी रिपोर्टों में पुलिस के संस्थागत ढाँचे एवं क्रिया-कलाप में सुधारों की सिफारिश की है। पुलिस तंत्र का राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना, उसकी दक्षता में सुधार लाना एवं उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्तमान के अनुरूप ढालना, इन बातों पर कई विशेषज्ञों और संगठनों ने बार-बार जोर दिया है। परन्तु इन रिपोर्टों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और अपेक्षित परिणाम देखने में नहीं आए हैं।

4.36 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुलिस में व्यवस्थागत सुधारों के विषय में काफी गंभीर है। आयोग सर्वोच्च न्यायालय में प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (1996 की दीवानी रिट याचिका संख्या 301) में और अपनी विभिन्न रिपोर्टों में अपने निर्णय पर दृढ़ है। प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। इस मामले में आयोग निरंतर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेता आ रहा है।

4.37 केन्द्र सरकार ने आयोग की पूर्व की वार्षिक रिपोर्टों में की गई सिफारिशों जैसे देश में पुलिस की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एन.पी.सी. की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वयन के विषय में पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। आयोग अपने पूर्व के मत को दोहराना चाहता है कि आयोग पुलिस के आधुनिकीकरण के कदमों का स्वागत करता है और वास्तव में यह आवश्यक भी है, परन्तु पुलिस बल में आवश्यक व्यवस्थागत सुधारों को लाने में यह पर्याप्त नहीं है। इन सुधारों के लिए जाँच प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और इसका बाह्य प्रभावों से मुक्त होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

4.38 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्ट के उत्तर में केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई कार्रवाई ज्ञापन में बताया गया है कि पद्मनाभैय्या समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे उन सिफारिशों को कार्यान्वित करें जो उनसे संबद्ध हैं। इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा/मॉनीटरिंग उच्च स्तर पर होने की आवश्यकता है।

4.39 आयोग को साथ-ही-साथ पुलिस के गलत कार्यों और मानव अधिकार उल्लंघन में उनकी सहभागिता तथा उन लोगों को न्याय प्रदान करने में विफलता, जिनके साथ गलत हुआ है, की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने अपनी पूर्व की रिपोर्टों में गुजरात में 27.2.2002 को गोधरा त्रासदी से बड़े पैमाने पर शुरू हुए मानव अधिकार उल्लंघन का संदर्भ दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक बार फिर केन्द्र व राज्य सरकारों से अपनी पूर्व की रिपोर्टों एवं विभिन्न कार्यवाहियों द्वारा विभिन्न पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति दृढ़ता से कार्य करने का आग्रह किया है।

4.40 आयोग ने गंभीरतापूर्वक महसूस किया है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे दंड-न्याय तंत्र पर से जनता के विश्वास को उठने न दें। आयोग ने अपनी पूर्व की रिपोर्टों में पुलिस सुधार को रेखांकित किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के मामले में अपनी प्रस्तुति में जोर दिया है कि इस पर बिना और देर किये कार्रवाई की जाए।

4.41 सरकार ने कुछ समय पहले न्यायमूर्ति वी. एस. मलिमठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें दांडिक न्याय व्यवस्था के पुनरूद्धार के लिए विचार और उपायों की अनुशंसा करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इन सिफारिशों पर अपने विचारों सहित आयोग को इस रिपोर्ट की एक प्रति भिजवाई है। यह मामला आयोग के विचाराधीन है और शीघ्र ही इसके और अपने विचार सरकार को भेज दिए जाएंगे।

(च) राज्य पुलिस मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठों का गठन

4.42 मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में संस्थागत कार्यप्रणाली को उचित बढ़ावा देने के लिए मानव अधिकार प्रकोष्ठों की स्थापना का प्रश्न कुछ समय से आयोग का ध्यान आकर्षित कर रहा है। मानव अधिकारों के संरक्षण के कार्य में राज्य पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक राज्य के भीतर मानव अधिकार प्रकोष्ठों की स्थापना से, एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसलिए वे जनता-पुलिस के विश्वास एवं जनता में अपनी विश्वसनीयता पुनः प्राप्त कर रहे हैं।

4.43 इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता प्रत्येक राज्य में पुलिस महानिदेशक द्वारा एक "मानव अधिकार प्रकोष्ठ" की स्थापना है जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक से कम रैंक के अधिकारी नहीं करेंगे और जिसे "पुलिस महानिरीक्षक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मानव अधिकार)" का पद दिया जाएगा। मानव अधिकार प्रकोष्ठ के प्रमुख होने के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि उनका बहुत अच्छा रिकार्ड और छवि हो और उनकी नियुक्ति आयोग की सहमति से ही हो।

4.44 यह व्यवस्था आयोग द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई के वर्तमान तरीकों के एवज में नहीं है इनके साथ-साथ एक और व्यवस्था है। आयोग पूर्व की तरह उपयुक्त मामलों में शिकायतों को निपटाने के लिए यूनिट अधिकारियों से सीधे रिपोर्ट मांगेगा और उपयुक्त मामलों में शिकायतों की आयोग के अन्वेषण विभाग द्वारा ही जाँच की जायेंगी।

4.45 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उपबंध के अन्तर्गत आयोग, केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी या प्राधिकरण की सेवाओं को जाँच करने के उद्देश्य से प्रयोग में ला सकता है। "पुलिस महानिरीक्षक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मानव अधिकार) की यह व्यवस्था आयोग को धारा 14 (1) के अंतर्गत उपलब्ध है। यद्यपि यह अधिकारी राज्य प्राधिकारियों के नियंत्रण एवं अनुशासन में कार्य करता रहेगा। कई मामलों में यह पाया गया है कि यह संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निदेश पर जाँच करने के उद्देश्य से केन्द्र व राज्य सरकार की एजेंसी या प्राधिकारी, इस प्रकार की जाँच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेंगे।

4.46 "आई जी पी/ए डी जी पी मानव अधिकार" के सृजन से शिकायतों की प्रक्रिया के निरीक्षण और संरक्षण एवं उपचारात्मक उपायों को अपनाने के लिए राज्य प्रशासनों एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बीच अर्थपूर्ण पारस्परिक व्यवहार को बढ़ाने की बहुत अधिक संभावना है। इससे मानव अधिकारों के उल्लंघन से बचाव के लिए व्यवस्था में एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनने की संभावना है।

4.47 प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र ने पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में एक मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना की है। यद्यपि राज्य पुलिस बलों में मानव अधिकारों के सम्मान की परंपरा को फैलाने में इसकी प्रभावशीलता को महसूस करना अभी भी बाकी है। इन मानव अधिकार प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उनके राज्य के संदर्भित मामलों, जिसमें पुलिस व न्यायिक हिरासत में मौतें भी शामिल हैं, को मॉनीटर कर रहे हैं।

(छ) मानव अधिकार और दांडिक न्याय तंत्र का प्रबंध

4.48 आयोग ने अपनी क्रमिक रिपोर्टों में देश में दांडिक न्याय तंत्र के प्रबंध के कुछ पक्षों के सुधार के उद्देश्य से व्यापक रूप से सिफारिशें की हैं ताकि इसे मानव अधिकारों के विचारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके।

4.49 आयोग को अपनी वर्ष 2001-02 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन से यह जानकर संतोष हुआ कि आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, जिसमें राज्य सरकारों/केन्द्र शासित

क्षेत्रों के प्रशासनों को सभी हिरासतीय मौतों या बलात्कार की घटनाओं की सूचना 24 घंटों के भीतर आयोग को देने के साथ-साथ घटना की अपेक्षित रिपोर्ट 2 महीने के भीतर भेजने, जिसमें नए फॉर्म के अनुसार शव-परीक्षण रिपोर्ट भी शामिल है, का अनुपालन हो रहा है। आयोग ने यह ध्यान भी दिया है कि पुलिस या न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों के संबंध में शव-परीक्षण जाँच की वीडियोग्राफी संबंधी आयोग के निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में उपयुक्त कार्रवाई के लिए सम्प्रेषित किए गए हैं।

4.50 आयोग ने मुठभेड़ में मौतों के मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने जोर दिया है कि पुलिस मुठभेड़ों के कारण होने वाली मौतों के सभी मामलों में राज्य आवश्यक रूप से आयोग को सूचित करें। आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली मौतों के सभी मामलों में पालन की जाने वाली एक संशोधित प्रक्रिया की भी सिफारिश की है और यह स्पष्ट किया है कि जहाँ पुलिस अधिकारी एक ही पुलिस स्टेशन से व मुठभेड़ पार्टी के सदस्य है, जिनकी कार्रवाई के परिणामस्वरूप मौतें हुई हैं, इस प्रकार के मामले जाँच के लिए किसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी, जैसे राज्य सी.बी.सी.आई. डी., को दिए जाने चाहिए। जब कभी पुलिस के विरुद्ध उसकी ओर से किए गए आपराधिक कार्य के संबंध में विशिष्ट शिकायत की जाती है, जिसके कारण एक आपराधिक मानव वध मामले का बोध हो, तो इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की उचित धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। इस प्रकार के मामले की जाँच निरपवाद रूप से राज्य सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा की जानी चाहिए। पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली सभी मौतों की निरपवाद रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच होनी चाहिए। मृतक के निकटतम संबंधी को निरपवाद रूप से इस प्रकार की जाँच में शामिल किया जाना चाहिए। सभी मुख्य मंत्रियों और प्रशासकों को निदेश दिया गया है कि वे राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाई में होने वाली मौतों के सभी मामलों की छमाही सूची पुलिस महानिदेशक के माध्यम से जनवरी और जुलाई की 15 तारीख तक, इस उद्देश्य के लिए दिए गए फॉर्म पर, आयोग को भेजें।

4.51 आयोग ने इस बात पर प्रशंसा जाहिर की है कि उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी राजधानियों के पुलिस मुख्यालयों में मानव अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

4.52 आयोग का मानना है कि निष्पक्ष विचारण के लिए निष्पक्ष एवं उचित जाँच एक अत्यावश्यक लक्षण है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जाँच अधिकारियों को वृत्तिक प्रशिक्षण दिया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयोग ने सितम्बर 2003 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना की। इस प्रभाग द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के विवरण को अध्याय 11 (च) में पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार

आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग ने एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव के सहयोग से फरवरी 2004 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में पुलिस थानों और राज्य मानव अधिकार आयोग में कार्यरत छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों के लिए चार दिवसीय 'मानव अधिकार संवेदनशीलकरण पाठ्यक्रम' का संचालन किया। इसका उद्देश्य था प्रभावी पद पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना ताकि वे उनके द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार विषयों के बारे में सीख सकें और वे अपने कार्य क्षेत्र में नागरिकों के मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण में ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकें।

4.53 3 से 5 मार्च 2004 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण विभाग द्वारा 'मानव अधिकार जाँच, इंटरव्यू-कौशल एवं हिरासतीय प्रबंधन' पर भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जिसमें दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्तों, थानाधिकारी और अपर थानाधिकारी रैंक के अधिकारी शामिल हैं जिन्हें राजधानी शहरों में निरंतर जनता के संपर्क में रहने की आवश्यकता होती है और जिन्हें सामान्यतः मीडिया की चमक एवं सभ्य समाज की निरंतर छान-बीन के बीच रहना पड़ता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ये अधिकारियों को अपने कष्ट साध्य दायित्वों का विश्वासपूर्वक निर्वाह करने और मानव अधिकार मानदण्डों के साथ सामंजस्य बैठाकर कार्य करने जैसा कि संविधान एवं देश के कानूनों के अंतर्गत आवश्यक है, में सक्षम होंगे।

(ज) हिरासतीय संस्थाएँ

(1) जेलों का निरीक्षण

4.54 जेलों में बंदियों एवं विचारणाधीनों के मानव अधिकारों का संरक्षण, कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होने के कारण उनकी सुभेद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 ग जेलों में रहने की स्थितियों को सुधारने के लिए आयोग के उत्तरदायित्व की व्याख्या करती है। आयोग इस सांविधिक दायित्व का निर्वाह विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की जेलों में नियमित रूप से इसके सदस्यों एवं स्पेशल रैपर्टियरों के दौरो के माध्यम से कर रहा है। दिनांक 1 जुलाई 2003 को अध्यक्ष ने भी सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा, जिसमें राज्य की जेलों में विचारणाधीनों की भीड़ को कम करने के उपायों का सुझाव दिया (अनुलग्नक 6)।

4.55 अध्यक्ष डॉ० न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद ने 12 जून 2003 को पूना की यरवदा केन्द्रीय कारागार का दौरा किया। आयोग के स्पेशल रैपर्टियर श्री चमन लाल और हिरासतीय न्याय प्रकोष्ठ (सी.जे.सी.) के मुख्य समन्वयकर्ता उनके साथ थे। अध्यक्ष ने कैदियों के रहने की स्थितियों की बारीकी से समीक्षा की और अधिक भीड़-भाड़ (69.6%), स्वच्छता की कमी (कैदियों के लिए शौचालयों

का अनुपात 1.16) और पुलिस मार्गरक्षियों की कम उपलब्धता (47% न्यायालय में ले जाने और 24% रोगियों को बाहरी अस्पतालों में ले जाने के लिए) पर टिप्पणी की। जेल में मौत के मामलों की सूचना आयोग को देने में कुछ असंगतियाँ भी पाई गईं। अध्यक्ष ने जेल विभाग को दक्षता के साथ जेल उद्योग प्रबंधन किए जाने के लिए बधाई दी। उन्होंने निरीक्षकों के बोर्ड, जो महाराष्ट्र के सभी जिलों में हैं, द्वारा नियमित दौरों की आवश्यकता पर जोर दिया। अध्यक्ष ने महिला विभाग का दौरा किया, एक गैर सरकारी संगठन 'साथी' द्वारा चलाए जा रहे शिशु सदन सुविधाओं को देखा और महिला कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रबंधों में सुधार करने की आवश्यकता को इंगित किया। उन्होंने खुली जेल का भी दौरा किया और कैदियों को संबोधित किया, जिन्होंने पैरोल की स्वीकृति में देरी और आजीवन कैदियों की समय से पहले रिहाई को तय करने में रूखेपन के विषय में शिकायत की थी। अध्यक्ष के दौरे पर एक व्यापक रिपोर्ट पर 28.6.2003 को पूरे आयोग द्वारा विचार किया गया और इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा गया। कृत कार्रवाई की रिपोर्ट 31.3.2004 के बाद प्राप्त हुई जिसकी छान-बीन की जानी है।

4.56 18 अक्टूबर 2003 को अध्यक्ष ने मुख्य समन्वयकर्ता, (सी.जे.सी.) के साथ केन्द्रीय जेल, अम्बाला का दौरा किया। उन्होंने अधिक भीड़-भाड़ (77%), स्वच्छता की कमी (कैदियों के लिए शौचालयों का अनुपात 1:12) और लम्बे समय से रह रहे विचारणाधीन कैदियों की दुर्दशा पर टिप्पणी की। जेल में हुई मृत्यु की घटनाओं की आयोग को दी जाने वाली रिपोर्ट में भी कुछ असंगतियाँ पाई गईं। जेल उद्योग के कुशल प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए अध्यक्ष ने कैदियों को मजदूरी के भुगतान के तरीके में अधिक पारदर्शिता एवं खुलापन लाने का सुझाव दिया। अध्यक्ष ने स्वस्थ-देखरेख सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की और जेलों में मानसिक बीमारी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए महीने में एक बार नियमित रूप से मनोचिकित्सक के दौरे की सिफारिश की। एक मानसिक रूप से बीमार कैदी श्री जय सिंह, पुत्र श्री आत्मा राम, जो 4.9.1977 को जेल में भर्ती हुआ था और 1979 से अमृतसर के मानसिक अस्पताल में दिन काट रहा था, के दयनीय मामले का पता चला। जाँच के बाद आयोग ने उचित कार्रवाई के लिए पंजाब उच्च न्यायालय जाने का निर्णय किया। अध्यक्ष ने निरीक्षकों के बोर्ड की व्यवस्था के पुनः सक्रियकरण की सिफारिश की, जो हरियाणा राज्य में निष्क्रिय रहा और कैदियों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित मामलों में गैर सरकारी संगठनों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता का संकेत दिया। अध्यक्ष ने जेल कर्मियों के लिए रिहायशी सुविधाओं की कमी पर भी टिप्पणी की। अध्यक्ष के दौरे पर एक रिपोर्ट पर पूर्ण आयोग की बैठक में विचार किया गया और राज्य सरकार को भेजा गया। कृत कार्रवाई की रिपोर्ट इस रिपोर्ट, सम्मिलित अवधि के बाद प्राप्त हुई है, की छान-बीन की जा रही है।

4.57 श्री आर.एस. कल्हा, सदस्य और मुख्य समन्वयकर्ता ने 17.11.2003 को कलकत्ता के प्रेसीडेंसी करैक्शनल होम और 18.11.2003 को हावड़ा के डिस्ट्रिक्ट करैक्शनल होम का दौरा किया। उनकी

रिपोर्ट पर 27.1.04 को पूर्ण आयोग द्वारा विचार किया गया। जबकि प्रेसीडेंसी करैक्शनल होम, कलकत्ता में किसी प्रकार की अधिक भीड़-भाड़ का अनुभव नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट करैक्शनल होम, हावड़ा में अधिक भीड़-भाड़ का विस्तार 32.6% पाया गया। जिस स्थान पर यह होम स्थित है वह बिल्कुल ही अनुपयुक्त है, अतः दल ने इस पर भी टिप्पणी की। जबकि कैदियों की मूलभूत आवश्यकताएं—जैसे आवास, भोजन और साफ-सफाई संतोषजनक पाई गई, दल ने साफ-सफाई एवं स्वच्छता में कमी (खुले नाले एवं कैदियों के लिए शौचालयों का अनुपात 1:14) और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों खासतौर पर महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं की खराब व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी की। प्रेसीडेंसी करैक्शनल होम में आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना के माध्यम से माताओं के साथ रह रहे बच्चों पर दिए जाने वाले विशेष ध्यान एवं देखभाल को दल ने सराहा। अर्जित वेतन के भुगतान में पारदर्शिता एवं खुलेपन के साथ जेल उद्योग की कुशल कार्य प्रणाली को निरीक्षकों ने सराहा।

4.58 जिला सुधार गृह, हावड़ा की कुल जनसंख्या का 81.56% भाग विचारणाधीन कैदियों का है जिनकी स्थिति दयनीय पाई गई। दल की रिपोर्ट में कई मामलों का उल्लेख है और विचारणाधीन कैदियों की स्थिति की नियमित समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मूल के 'रिहा' कैदियों की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद भी जेलों में दिन काट रहे हैं और अपने देश वापस भेजे जाने के लिए पड़े हुए हैं। दल ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की जिसमें भारत-बांग्लादेश सीमा पर अंतरण सुविधा केंद्र की स्थापना, जहाँ जेल से रिहा किए बांग्लादेश भेजे जाने वाले व्यक्ति रखे जा सकते हैं, की बात कही गई है। टीम ने पश्चिम बंगाल करैक्शनल सर्विसिज़ अधिनियम 1992 के अंतर्गत जेल अदालतें लगाने, विज़िटर्स बोर्ड का गठन करने तथा राज्य सलाहकार बोर्ड बनाने की भी सिफारिश की। टीम ने कैदियों में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी की सराहना की। टीम ने जिला सुधार गृह, हावड़ा में विचारणाधीन कैदियों की अत्यधिक संख्या (81.56%) पर और उनके विचारण की बहुत ही धीमी प्रगति (15 विशिष्ट मामलों का पता चला — 10 प्रेसीडेंसी में और 5 हावड़ा सुधार गृह में) पर टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल जेल की एक ध्यान देने योग्य बात है कि वहाँ कैदियों के कल्याण में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी होती है। रिपोर्ट, राज्य सरकार को 27 जनवरी 2004 को भेजी गई।

4.59 25.11.2003 को मुख्य समन्वयकर्ता, सी. जे. सी. ने महिला जेल, तिहाड़ का दौरा किया। 50% की भीड़-भाड़ के अतिरिक्त जीवन निर्वाह की स्थितियों जैसे आवास, स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएँ संतोषजनक पाई गईं। नियमित जेल अदालतें लगाना, क्रियाशील आगंतुक बोर्ड, प्रभावी व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था और कैदियों के लिए लाभकारी रोज़गार तथा गैर सरकारी संगठनों की उत्साहपूर्ण

भागीदारी जेल प्रबंधन के अच्छे कार्य माने गए। यद्यपि विचारणाधीन कैदियों की दशा दयनीय पाई गई और 23 विशिष्ट शिकायतें सुनने में आईं। मुख्य समन्वयकर्ता की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ये मामले आवश्यक कार्रवाई के लिए अध्यक्ष द्वारा मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय को भेज दिए गए। मुख्य समन्वयकर्ता की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा विचार किया गया और 23 जनवरी 2004 को उचित सिफारिशों के साथ रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को भेज दी गई।

4.60 मुख्य समन्वयकर्ता, हिरासतीय न्याय प्रकोष्ठ ने कैदियों के मानव अधिकारों की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कैदियों के जीवन निर्वाह की स्थितियों की मॉडल केन्द्रीय जेल, काण्डा (शिमला), उप-जेल, शिमला, खुली जेल, बिलासपुर और उप-जेल, बिलासपुर का 21 से 24 सितम्बर 2003 के बीच दौरा करके समीक्षा की। उन्होंने अतिरिक्त महानिदेशक (जेल) हिमाचल प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश की जेलों के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यवस्था, प्रबंधन एवं प्रशासन पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश में जेल में भीड़ अधिकृत क्षमता से केवल 3 प्रतिशत अधिक है और अन्य राज्यों की तुलना में प्रबंधनीय है। विचारणाधीन कैदियों, जो देश के 75 प्रतिशत आँकड़े के अनुपात में कुल जेल जनसंख्या का 60 प्रतिशत से कम बनाते हैं, उन्हें समानुपात में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विचारणाधीन कैदियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की दर भी 100 प्रतिशत है। स्वच्छता की स्थितियाँ (जेल और शौचालय का अनुपात 1:6) काण्डा, शिमला और बिलासपुर में सराहनीय है। पैरोल उदारतापूर्वक स्वीकृत की जाती है और अधिकतर कैदी अपने परिवारों से संपर्क रखते हैं। समय-पूर्व रिहाई के अधिकार का प्रयोग सोच विचार कर एवं सावधानी से किया जाता है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश में जेल प्रशासन का एक नकारात्मक पहलू कैदियों का, उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर और उसके जीने की आदतों के आधार पर उनको वर्गीकृत करने की पुरानी व्यवस्था है। उपलब्ध जेल कर्मचारियों की संख्या अधिकतर स्थानों पर अपर्याप्त है। पहरा देने वाले कर्मचारियों की वास्तविक उपलब्धता खास तौर पर उप-जेलों में, वास्तविक माँग की तुलना में बहुत ही नीचे है। चिकित्सा सुविधाएँ, खासकर उप-जेलों में, अपर्याप्त हैं। महिला कैदियों की समस्याएँ जिन पर न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर खास ध्यान नहीं दिया गया है। सिद्ध दोषियों को कार्य की सुविधाएँ, जो कि सुधार एवं पुनर्वास कार्यक्रम के आवश्यक तत्व हैं, अपर्याप्त हैं जिसके कारण जेल उद्योगों में कैदियों को बहुत ही थोड़े अनुपात में रोजगार दिया गया है। यह भी देखा गया कि इस उद्देश्य के लिए पूर्व में बनाए गए वर्तमान ढाँचा और सुविधाओं को उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार उपयोग में नहीं लाया जाता है। कैदियों को उनकी रिहाई के बाद समाज के साथ उचित रूप से एकीकृत करने का कार्य केवल गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से ही किया जा सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह बिल्कुल ही नहीं है। कर्मचारियों के लिए आवास

सुविधाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। मुख्य समन्वयकर्ता, सी.जे.सी. की रिपोर्ट 17.12.2003 को, राज्य सरकार को उचित सिफारिशों के साथ भेज दी गई है।

4.61 राजस्थान एक अन्य राज्य था, जिसे मुख्य समन्वयकर्ता सी.जे.सी ने रिपोर्ट की अवधि में जेल स्थितियों के अध्ययन करने के लिए दौरा किया। उन्होंने 16 से 18 फरवरी तक केन्द्रीय जेल जयपुर, खुली जेल, सांगानेर, जिला जेल टोंक और उप-जेल मालपुरा का दौरा किया। उन्होंने अपर महानिदेशक, राजस्थान जेल से और वरिष्ठ सहकर्मियों से जेल के ढाँचे एवं राजस्थान की जेलों के प्रबंधन तथा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। उनकी रिपोर्ट राजस्थान में जेल प्रबंधन एवं प्रशासन की अच्छाइयों एवं कमजोरियों का विस्तृत मूल्यांकन करती है। राजस्थान, उन थोड़े से राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसकी जेलों में क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है एवं भीड़भाड़ है, अधिकतर राज्यों जैसा जेल का विशिष्ट लक्षण, यहाँ पर नहीं देखा गया। यद्यपि जेल जनसंख्या के असामान्य वितरण के कारण जिसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, भरतपुर, जयपुर और कोटा में मामूली रूप में भीड़-भाड़ है। विद्यमान ढाँचे को विभिन्न स्थानों पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार तर्कसंगत बनाया जाए, इसकी सिफारिश की गई है। राजस्थान में विचारणाधीन बंदियों की स्थिति बेहतर पाई गई है, यहाँ पर कुल जेल जनसंख्या का मोटेतौर पर 55 प्रतिशत विचारणाधीन बंदी है। कैदियों का उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं जीवन की आदतों के आधार पर वर्गीकरण की पुरातन व्यवस्था का समापन, राजस्थान जेल व्यवस्था का एक अन्य सकारात्मक पहलू है। कैदियों की शिक्षा, मनोरंजन एवं कल्याणकारी क्रिया-कलापों में गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी यहाँ की जेलों का एक अन्य सराहनीय पहलू है। राजस्थान की खुली जेल व्यवस्था, उसकी उपयोगिता एवं लाभप्रदिता का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। राजस्थान में 9 खुली जेलें कार्यरत हैं, जो कैदियों के जीवन एवं समाज में उनकी वापसी के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए हॉफ-वे-होम की तरह कार्य कर रही हैं। पैरोल नियम तो उदार हैं लेकिन उनका वास्तविक प्रचालन अनावश्यक रूप में कठोर पाया गया जो पूर्णतः पुलिस की सिफारिशों पर आधारित हैं जिन्हें बारीकी से परीक्षण की आवश्यकता है। यह सराहनीय है कि आजीवन कैदियों को समय-पूर्व रिहाई देने में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 ए के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और यहाँ तक कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत सांविधिक शक्तियों के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आवास, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा भोजन की सुविधाएं पर्याप्त हैं। स्वास्थ्य प्रबंध, यहाँ तक कि जिला जेलों के स्तर पर भी, बहुत ही खराब पाए गए। 22 जिला जेलों में अंशकालिक डॉक्टरों की व्यवस्था को अपनाया गया है और सभी उप-जेलों में 100 रुपए प्रति माह के मानदेय की व्यवस्था है जो किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा पूरी जेल के लिए 15 मेडिकल अफसरों के अपर्याप्त प्राधिकृत पदों में, से 5 पदों का होना कैदियों के मूलभूत मानव अधिकारों के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता

की कमी को दर्शाता है। पर्यवेक्षण के स्तर पर बहुत सारे पद और महिला कर्मचारियों की कमी, गंभीर उलझनों सहित ढाँचागत कमियों को दर्शाती हैं। मुख्य समन्वयकर्ता की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई और इसके अनुपालन को 2004-05 में मॉनीटर किया जाएगा।

4.62 श्री ए. बी. त्रिपाठी, उड़ीसा एवं झारखण्ड के लिए आयोग के स्पेशल रैपर्टियर ने बिरसा मुण्डा, केन्द्रीय जेल, राँची (8.4.2003), अथमल्लिक उप-कारा, जिला अंगुल उड़ीसा (31.5.2003), जिला जेल, चाईवासा, झारखण्ड (6.7.2003), खुली जेल जामझारी, भुवनेश्वर (18.8.2003) और छतरपुर उप-कारा, जिला गंजम, उड़ीसा (16.12.2003) का दौरा किया। अपनी रिपोर्ट में स्पेशल रैपर्टियर ने जेल भवनों की दशा, जेल जनसंख्या, विचारणाधीनों की स्थिति और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर टिप्पणी की। स्पेशल रैपर्टियर द्वारा निरीक्षित सभी जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़, खराब स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की स्थितियाँ पाई गईं। जेल भवन पुराने हैं और उनका रख-रखाव, संसाधनों की कमी के कारण नहीं हो पा रहा। स्वीकृत पदों में से काफी बड़ी संख्या में पद खाली हैं जिसके कारण जेल प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए समस्याओं का कारण बन रही हैं। अधिकांश जेलों में नियमित डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण चिकित्सा सुविधाएँ असंतोषजनक हैं। स्पेशल रैपर्टियर ने उड़ीसा में जेलों में टी.बी. तथा मानसिक रोगों के मामलों में उपचार के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता का संकेत दिया। वर्तमान में खुली जेल में केवल 42 आजीवन कैदी हैं, इसमें संरचनात्मक सुधार एवं उचित संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता है। प्राथमिक मनोरंजन सुविधाओं की कमी, जैसे अधिकतर स्थानों पर टी.वी. का न होना की ओर स्पेशल रैपर्टियर द्वारा इंगित की गई। स्पेशल रैपर्टियर ने चौद्वार सर्कल जेल (कटक) को एक कैदी की आयोग को भेजी गई शिकायत, जिसमें जेल कर्मचारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, की जाँच करने के लिए दौरा किया। शिकायत पर जाँच करने के अतिरिक्त स्पेशल रैपर्टियर ने जेल में जीवन की स्थितियों के विषय में एक विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत किया। उन्होंने टी.बी. जैसी गंभीर बीमारी के कारण होने वाली मौत एवं विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं की जाँच करने के विषय में आयोग के विशिष्ट निर्देशों पर 20.1.2004 को हिन्दोल (जिला धनकनाल) उप जेल का भी दौरा किया। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया गया है कि उड़ीसा की 16 जेलों, में 2001 में टी. बी. के कारण 6 मौतें, 2002 में 10 और 2003 में 7 मौतें हुईं। स्पेशल रैपर्टियर की रिपोर्टों पर आयोग द्वारा विचार किया गया और राज्य सरकार को उचित सिफारिशों के साथ भेज दी गई।

(2) जेल-जनसंख्या

4.63 अधिकतर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में जेलों में भीड़-भाड़ एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आयोग की दृष्टि में पुलिस द्वारा अनावश्यक एवं अनुचित गिरफ्तारियाँ और धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण ही विचारणाधीन बंदियों की भीड़, जेलों में भीड़-भाड़ के मुख्य कारण हैं। श्री चमन लाल,

स्पेशल रैपर्टियर के प्रभार के अंतर्गत आयोग का हिरासतीय न्याय प्रकोष्ठ प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में समस्या के महत्त्व को निर्धारित करने की दिशा में जून 2000 से जेल के आँकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण में लगा हुआ है। यह विश्लेषण प्रत्येक वर्ष के 30 जून एवं 31 दिसम्बर को राज्य जेल आँकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट लिखने की अवधि तक आयोग ने 31 दिसम्बर 2002 और 30 जून 2003 तक के जेल जनसंख्या से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से उभरे प्रमुख बिन्दु आगे के पैराग्राफों में दिए गए हैं।

(3) 31 दिसम्बर 2002 तक जेल जनसंख्या का विश्लेषण

4.64 प्राधिकृत क्षमता 2,34,462 के विपरीत देश में कुल जेल जनसंख्या 3,24,852 थी। यह 38.5 प्रतिशत भीड़-भाड़ का संकेत देता है जो कि 31 दिसम्बर 2001 तक 32.33 प्रतिशत के आँकड़े से बहुत ऊपर है। 12 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों जैसे दिल्ली, झारखण्ड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार में भीड़-भाड़ का राष्ट्रीय अनुपात 40 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक ऊँचा अनुभव किया गया है। दिल्ली 231 प्रतिशत भीड़-भाड़ के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद झारखण्ड में 155 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 125 प्रतिशत है। छः राज्य और पाँच केन्द्र शासित क्षेत्र जैसे मणिपुर, जम्मू व कश्मीर, नागालैण्ड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और पांडिचेरी भीड़-भाड़ की समस्या से मुक्त पाए गए और वास्तव में उनकी जेलों में क्षमता से कम बंदी हैं।

4.65 30.6.02 तक के 74.06% से करीब-करीब समान ही कुल जेल जनसंख्या का 74.15% विचारणाधीन कैदी हैं। 10 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में जेल जनसंख्या में विचारणाधीन कैदियों का अनुपात 80% से ज्यादा था। ये थे दादर एवं नगर हवेली (100%), मेघालय (96.2%), जम्मू व कश्मीर (90.71%), मणिपुर (90.68%), नागालैण्ड (90.49%), बिहार (86.68%), उत्तर प्रदेश (86.16%), पश्चिम बंगाल (85.96%), मिज़ोरम (83.81%) और दिल्ली (80.19%)। पांडिचेरी, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ में जेल जनसंख्या के 50% से कम विचारणाधीन कैदियों की संख्या है। विचारणाधीन कैदियों के इस अनुपात को घटाने के लिए राजस्थान (59.54%) एवं मध्यप्रदेश (56.75%) जैसे बड़े राज्य सराहनीय प्रयास कर रहे हैं।

4.66 महिला बंदियों का अनुपात, जैसा कि पहले था, 4% से कम बना हुआ है। कुल जेल जनसंख्या की 3.73 महिलाएँ हैं। मिज़ोरम 9.46% के साथ सूची में सबसे ऊपर है इसके बाद तमिलनाडु (8.17%), पंजाब (5.56%), मणिपुर (5.54%) आन्ध्र प्रदेश (5.29%), पांडिचेरी (5.28%) और चण्डीगढ़ (5.04%) हैं। दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप की जेलों में महिला बंदी नहीं

हैं। नागालैण्ड में महिला बंदियों का अनुपात 1.90% से 2% कम है, सिक्किम (1.16%), त्रिपुरा (0.96%) और अंडमान एवं निकोबार (1.86%) में है।

4.67 जेलों में 5/6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अपनी माताओं के साथ जेल में रहने की अनुमति है। 31.12.02 तक 5/6 वर्ष की आयु के 1515 बच्चे जेलों में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक संख्या (279) वाला माना गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश (211), बिहार (197), मध्य प्रदेश (116), महाराष्ट्र (109) और तमिलनाडु (75)। केरल, मणीपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अण्डमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप की जेलों में कोई बच्चे नहीं थे।

(4) 30 जून 2003 तक जेल जनसंख्या का विश्लेषण

4.68 30 जून 2003 तक देश में कुल जेल जनसंख्या 3,23,232 थी, जो प्राधिकृत क्षमता 2,35,255 के विपरीत 37.38% की भीड़भाड़ का संकेत देती है, जो कि 30 जून 2002 के 31.19% के आंकड़े से अधिक ऊपर है।

4.69 ग्यारह राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों जैसे दिल्ली, झारखण्ड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में भीड़भाड़ संपूर्ण भारत की 37.38% के अनुपात से ज्यादा पाया गया। दिल्ली में निरंतर सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली जेल (220%) की स्थिति बनी हुई है इसके बाद झारखण्ड में (156%) और हरियाणा में (113%) हैं। बारह राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, मणीपुर, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैण्ड, चण्डीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दमन एवं दीव, मिज़ोरम, पांडिचेरी और केरल में जेलों में क्षमता से कम है। प्राधिकृत क्षमता के 50% से कम का उपयोग लक्षद्वीप (12.50%), मणीपुर (37.50%) तथा जम्मू व कश्मीर (44.13%) होता है।

4.70 देश में कुल जेल जनसंख्या का 72.78% विचारणाधीन कैदियों की संख्या है, जो 30 जून 2002 के 74.06% के आँकड़े से न्यूनतम 1.28% नीचे दर्शाता है। आठ राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कुल जेल जनसंख्या की 80% से अधिक संख्या विचारणाधीन कैदियों की है। ये हैं – दादर एवं नगर हवेली (100%), मेघालय (95.17%), मणीपुर (91.43%), जम्मू व कश्मीर (90.99%), बिहार (86.11%), उत्तर प्रदेश (85.07%), दिल्ली (81.13%) और पश्चिम बंगाल (80.72%)। छत्तीसगढ़, सिक्किम और अण्डमान एवं निकोबार में विचारणाधीन कैदी 50% से कम हैं। बड़े राज्यों जैसे मध्य प्रदेश (56.99%), राजस्थान (55.89%) और हिमाचल प्रदेश (53.40%) में देखा गया है कि वे जेलों में विचारणाधीन कैदियों के अनुपात को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

4.71 कुल जेल जनसंख्या का 3.77% भाग महिलाओं का है। मिज़ोरम में (9.78%) सबसे ज्यादा प्रतिशत है इसके बाद तमिलनाडु (8.58%), मणीपुर (6.90%), उत्तरांचल (6.76%), पांडिचेरी (5.76%), आन्ध्र प्रदेश (5.54%), पंजाब (5.40%) और पश्चिम बंगाल (5.12%) है। केन्द्र शासित क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में महिला कैदी नहीं हैं।

4.72 5/6 वर्ष की आयु के कुल 1579 बच्चे अपनी माताओं के साथ भी जेलों में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश में यह संख्या (330) सर्वाधिक थी; इसके बाद पश्चिम बंगाल (207), बिहार (201), महाराष्ट्र (125) और झारखण्ड में (94) है। ग्यारह राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों जैसे केरल, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, अण्डमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी की जेलों में कोई बच्चे नहीं थे।

(5) जेल-कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना

4.73 जेल अधीक्षकों, जेलरों एवं सुधार सेवाओं के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम, जो 2000-01 में शुरू हुआ था, रिपोर्ट लिखने की अवधि के दौरान जारी था। राँची, झारखण्ड (5 जुलाई 2003), पुणे, महाराष्ट्र (28 सितम्बर 2003), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश (13 सितम्बर 2003), पटना बिहार (10 जनवरी 2004) और चण्डीगढ़ (19 मार्च 2004) में एक दिवसीय कार्यशालाएँ हुईं। इन कार्यशालाओं का संचालन हिरासतीय न्याय प्रकोष्ठ के मुख्य समन्वयकर्ता श्री चमन लाल ने संबंधित राज्य के महानिदेशक/महानिरीक्षक (जेल) के सहयोग से किया। कार्यशालाओं का उद्देश्य सहभागियों को कैदियों के मानव अधिकारों के विषय में, उनकी विभिन्न स्थिति की विशेषताओं तथा जेल की स्थितियों को सुधारने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए कदमों के विषय में मूलभूत जानकारी प्रदान करना था।

4.74 राँची में हुई कार्यशाला में झारखण्ड की सभी 27 जेलों-2 केन्द्रीय जेलों, 6 जिला जेलों और 19 उप जेलों के जेल अधीक्षक और राज्य के सभी 22 जिलों के परिवीक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उड़ीसा एवं झारखण्ड के स्पेशल रैपर्टियर श्री ए.बी. त्रिपाठी भी, श्री सतेन्द्र सिंह, आई.ए.एस., महानिरीक्षक (जेल), झारखण्ड और श्री आर.के. कटारिया, विशेष सचिव, गृह के साथ-साथ इस कार्यशाला के संचालन में शामिल थे। कार्यशाला का उद्घाटन झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने किया, जिन्होंने जेलों में मानव अधिकारों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया और जेलों में जीवन की स्थितियों को सुधारने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को अभिव्यक्त किया। उन्होंने राज्य में जेलों को बंदियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन से पूर्णतः मुक्त करने के लिए जेल अधीक्षकों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा जेलों में भीड़-भाड़ कम करने तथा कैदियों के जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए उठाए गए कई कदमों का उल्लेख

किया। झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के एक अग्रणी अधिवक्ता श्री आर.एन. सहाय को कैदियों के अधिकारों एवं जेलों की स्थितियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय पर, सहभागियों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। सहभागियों के साथ चर्चा एवं परस्पर विचार-विमर्श के लिए पूर्वाह्न एवं अपराह्न में कार्यशाला के एक-एक सत्र आयोजित किए गए। इस कार्यशाला से झारखण्ड में जेल स्थितियों पर सुधारों के संबंध में लाभदायक सुझाव प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आयोग द्वारा झारखंड के जेलों में मौजूद अवसंरचना एवं इसकी सेवाओं की बारीकी से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। ताकि उनकी संगठनात्मक अपर्याप्तताओं और प्रशासनिक कमियों की पहचान की जा सके और केंद्र तथा राज्य सरकारों को उपयुक्त सुझाव दिए जाएँ।

4.75 रिपोर्ट की अवधि में दूसरी कार्यशाला पुणे, महाराष्ट्र में 28 जुलाई 2003 को हुई थी। महाराष्ट्र के महानिरीक्षण (जेल) श्री बी.टी. निंगालोवा, और महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ० वी.एस. चिटणिस और विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री सुभाष आपटे, इस प्रयास में सम्मिलित थे। महाराष्ट्र के जेल विभाग के 39 अधिकारी, जिसमें 4 उपमहानिरीक्षक (जेल), एक रिसर्च अधिकारी, एक विधि अधिकारी, दो मनोचिकित्सक, प्रशिक्षण केन्द्र के मुख्य जेल अधिकारी, 20 अधीक्षक (जेल), 1 उप अधीक्षक (जेल) और 9 जेलर शामिल हैं, कार्यशाला में उपस्थित थे। कार्यशाला का उद्घाटन न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी० मनोहर, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किया था, सामुदायिक सहायता और समर्थन कार्यक्रम (सी.ए.एस.पी.), पुणे के अध्यक्ष श्री सी. टी. गोखले ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। पुणे केन्द्रीय जेल के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा नियुक्त प्रोफेसर श्रीमती तारा भड़भाड़े, एक्शन एड, मुम्बई की क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती कामिनी कापड़िया और 'साथी' की निदेशक प्रोफेसर मीनाक्षी आपटे ने विमर्श में बहुमूल्य योगदान दिया। अपने उद्घाटन भाषण में न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी० मनोहर ने कैदियों की सुभेद्यता पर जोर दिया जिस कारण उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और अन्तरराष्ट्रीय कॉवनेंट के तथा भारतीय संविधान के उन उपबंधों की चर्चा की, जिनमें कैद में बंद व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार की आवश्यकता का वर्णन किया। सी.ए.एस.पी. के अध्यक्ष श्री एस.टी. गोखले ने महिला कैदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों की समस्याओं पर प्रकाश डाला और जेल प्रशासन में व्यवस्थागत सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया का आवाहन किया कि वे कैदियों के जीवन से संबंधित मानव व्यथा और मानव उत्साह की कहानियों की उत्तरदायी और संवेदनशील रिपोर्टिंग के द्वारा, कैदियों के प्रति समाज के व्यवहार में अति आवश्यक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य करें। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ० वी. एस. चिटणिस ने कैदियों के अधिकारों एवं जेल स्थितियों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर व्यापक चर्चा की। सहभागियों के साथ परस्पर चर्चा, जो कार्यशाला का एक अभिन्न अंग था, ने जेल अधिकारियों,

जिनका कार्य अत्यधिक कठिन एवं दबाव भरा होता जा रहा है, के कार्य एवं जीवन की स्थितियों को समझने में सहायता की।

4.76 आन्ध्र प्रदेश के महानिदेशक (जेल) तथा सुधार सेवाओं के श्री एम.ए. बसित के सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता से आन्ध्र प्रदेश के जेल अधिकारियों के लिए विशाखापत्तनम में 13 सितम्बर 2003 को कार्यशाला आयोजित की गई। इससे पूर्व इसी प्रकार की कार्यशाला हैदराबाद में 27 नवम्बर 2002 को हुई थी। उप जेलर से उप महानिरीक्षक तक के पदों के 45 जेल अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री वीरेन्द्र दयाल ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रशासन में मानव अधिकारों के महत्त्व पर, पुलिस एवं जेल विभागों के विशेष संदर्भ के साथ, प्रकाश डाला। जनता के गरिमा के साथ जीवन जीने के मूलभूत अधिकार के महत्त्व का वर्णन करते हुए उन्होंने भारतीय संविधान के शासनादेश एवं हमारे अंतरराष्ट्रीय संधि की बाध्यताओं का आदर करने के लिए प्रशासनिक, राजनैतिक साथ ही साथ कार्यकारी दायित्व पर जोर दिया। उन्होंने आयोग को प्राप्त, भारत के अधिकतर भागों की जेलों में होने वाले बुरे व्यवहार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की शिकायतों और जीवन की दयनीय दशाओं के विषय में रिपोर्टों पर अपनी वेदना प्रकट की। उन्होंने जेल अधिकारियों को, कैदियों के मानव अधिकारों का आदर करने, जिन्होंने अपनी आज़ादी खो दी है और जो अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के मामले में और अन्य अधिकारों, जो कि बंदी बनने के कारण प्रभावित हुए हैं, अपने रक्षकों पर पूर्णतः निर्भर हैं, के विषय में उनके कर्तव्य को याद दिलाया। हैदराबाद के सी० बी० सी० आई० डी० के मुख्य विधिक सलाहकार श्री एस० गोविन्दा राजालु ने कैदियों के अधिकारों तथा जेल की दशाओं से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों के विषय में सहभागियों को जानकारी दी। विशाखापत्तनम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विद्या प्रसाद ने अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की दुर्दशा, जो अभी भी नए दण्ड प्रक्रिया कोड के लाभों से वंचित हैं, के विषय में कहा। सहभागियों के साथ परस्पर चर्चा से जेल कर्मियों द्वारा बड़ी समस्याओं से जूझने के बारे में गहराई से जानने में सहायता मिली।

4.77 बिहार के जेल अधीक्षकों के लिए 10 जनवरी 2004 को पटना में जेल विभाग के सहयोग से बिहार के अपर गृह आयुक्त एवं महानिरीक्षक (जेल) श्री रवि कान्त की अध्यक्षता में कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला में 45 जेल अधीक्षकों, एक सहायक जेलर और 4 उपप्रभागीय मजिस्ट्रेटों, उप जेलों के प्रभारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। बिहार के जेल मंत्री श्री बसवान प्रसाद भगत, बिहार के जेल मंत्री श्री बसवान प्रसाद भगत, बिहार के जेल राज्य मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी और बिहार के गृह सचिव श्री बी. के. हलदार उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। श्री अशोक कुमार चौधरी, राज्य मंत्री ने आयोग की पहल का स्वागत किया और जेलों की दशाओं को सुधारने के

लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का वर्णन किया। उन्होंने विचार प्रकट किया कि कैदियों की समस्याओं को केवल तभी हल किया जा सकता है यदि कैदियों का अंतर्गमन और बहिर्गमन न्यायिक प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करके नियंत्रित किया जाए। जेल मंत्री श्री बसवान प्रसाद भगत ने आयोग का ध्यान जेल अधीक्षकों के कर्तव्यों की कठिन एवं खतरनाक प्रकृति, जो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को बहुत बड़े खतरे में डाल कर पूरा करते हैं; की ओर दिलाया। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि हमारे देश में जमानत-कानून, गरीब कैदियों के लिए प्रतिकूल कार्यकर रहे हैं।

4.78 अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने संवेदनशीलकरण कार्यशाला के उद्देश्य और उत्तम शासन के संवर्धन में आयोग की एक मददगार की भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों का संदर्भ देते हुए बिहार की जेलों में हिरासतीय मौतों की बढ़ती हुई संख्या की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की और जेलों में बेहतर स्वास्थ्य देखरेख की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विजिटर्स बोर्ड के संस्थापन, जो समाप्त हो चुका है, को सक्रिय बनाने में कदम उठाने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया तथा जेलों को बेहतर ढंग से चलाने में सभ्य समाज को सम्मिलित करने और चिकित्सा सुविधाओं को सुधारने में इसकी सार्थकता का वर्णन किया।

4.79 अधिवक्ता श्रीमती अंजना प्रकाश और श्री अहसान अमानुल्लाह, अधिवक्ता ने सहभागियों को बिहार में जेल दौरों के अपने अवलोकन के विषय में बताया और कैदियों के अधिकारों एवं जेल की दशाओं से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का वर्णन किया। पेनल परिचर्चा के रूप में तैयार किया गया पारस्परिक संवाद सत्र, जेल विभाग की संस्थागत, प्रशासनिक एवं कर्मचारियों की समस्याओं को पहचानने में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ।

4.80 पंजाब के जेल अधीक्षकों के लिए चण्डीगढ़ में 19 मार्च 2004 को, पंजाब के जेल विभाग और चण्डीगढ़ के रीज़नल इन्स्टीट्यूट ऑफ करैक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन (आर.आई.सी.ए.) के सहयोग से कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला में 13 जेल अधीक्षक, 5 जिला परिवीक्षा अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री आर.एस. कल्हा ने अपने उद्घाटन भाषण में विभिन्न राज्यों के जेलों में निराशाजनक जीवन दशाओं की रिपोर्टों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चिंता को व्यक्त किया और स्थिति को सुधारने के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए कुछ उपायों का उल्लेख किया।

4.81 पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एन. के. अरोड़ा ने एक विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में सहभागियों को संबोधित किया। आर.आई.सी.ए. की उपनिदेशक डॉ० उपनीत कौर लाल्ली ने जेल दशाओं, कैदियों व कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श में सहभागियों को व्यस्त रखा। पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के विधि विभाग के डॉ० पी. एस. जसवाल ने जेल

स्थितियों एवं कैदियों के अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय पर एक ज्ञानप्रद व्याख्यान दिया।

4.82 पंजाब के महानिदेशक (जेल) श्री ए. पी. भटनागर ने जेल की अवसंरचना और पंजाब में जेल की दशाओं पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। राजनीति एवं अपराध के बीच संबंध होने से जटिल अपराध स्थिति के बढ़ जाने से उत्पन्न हुई कठिनाइयों और पंजाब की जेल व्यवस्था में अवसंरचनात्मक कमियों को पहचानने में जेल अधीक्षकों के साथ हुई पारस्परिक संवाद बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुई। कैरियर में तरक्की की संभावनाओं की कमी के कारण हतोत्साहित होने और अन्य सेवाओं, विशेष रूप से पुलिस, की तुलना में नियमित गिरते हुए स्तर के अतिरिक्त जेल अधीक्षक अपने कर्तव्यों के निर्वाह में शारीरिक असुरक्षा के अनुभव से पीड़ित पाए गए।

(6) राज्यों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टें

4.83 वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में हिरासती न्याय प्रकोष्ठ के मुख्य समन्वयकर्ता के केन्द्रीय जेल, पटियाला, पंजाब (16 एवं 18 जुलाई 2002), केन्द्रीय जेल भटिण्डा, पंजाब (17-18 जुलाई 2002), केन्द्रीय जेल ग्वालियर, मध्य प्रदेश (13 अगस्त 2002) तथा केन्द्रीय जेल, कोयम्बतूर, खुली जेल, सिंगनल्लुर और स्पेशल जेल, कूनूर, तमिलनाडु (8-10 फरवरी 2003) के दौरों का उल्लेख है।

4.84 पंजाब सरकार से केन्द्रीय जेल, पटियाला पर रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई की 11.12.2002 और 5.3.2004 को प्राप्त हुई रिपोर्टें दर्शाती हैं कि पीने के पानी की आपूर्ति, कैदियों के मनोरंजन की सुविधाएं, रसोई में काम करने वाले कैदियों के वेतन का भुगतान, टी0बी0 से प्रभावितों का उपचार, विजिटर्स बोर्ड की नियुक्ति, जेल अदालतें चलाना, जेल कारखाने के कार्यों को सरल एवं कारगर बनाने और कैदियों से साक्षात्कार की सुविधाओं को सुधारने जैसे विषयों पर आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि कैदियों का उनके सामाजिक आर्थिक स्तरों के आधार पर वर्गीकरण और जीवन के उत्कृष्ट साधनों को शामिल करने से संबंधित अवलोकन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार पंजाब उच्च न्यायालय के दिनांक 9.5.2000 के आदेश के विरुद्ध एक एस.एल.पी. दायर करने के कारण यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है जो जेल नियमावली में दिए गए उपरोक्त वर्गीकरण के तरीके को अपास्त करना है।

4.85 केन्द्रीय जेल भटिण्डा के संबंध में 29 जनवरी 2003 और 10 जुलाई 2003 को, कार्रवाई की गई रिपोर्टें, स्वच्छता की स्थिति, रसोई, लम्बे समय से विचारणाधीन कैदियों, जेल अदालतों को चलाना, साक्षात्कार सुविधाओं में सुधार और जेल कारखानों के कार्यों के संबंध में की गई सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई, संतोषजनक है।

4.86 केन्द्रीय जेल, ग्वालियर के संबंध में की गई कार्रवाई की दिनांक 21.2.03 और 3.6.03 की रिपोर्ट—सफाई एवं स्वास्थ्य, रसोई प्रबन्धन, बच्चों के भोजन, मोतियाबिन्द के ऑपरेशन की आवश्यकता वाले कैदी, जेल अदालतों का संचालन और कैदियों तथा विचारणाधीनों की विशिष्ट समस्याओं से संबंधित सिफारिशों के संतोषजनक अनुपालन का संकेत देती हैं। यद्यपि कैदियों को बाहरी अस्पतालों में ले जाने के लिए पुलिस रक्षक कर्मियों की उपलब्धता को सुधारने के लिए कुछ ठोस कार्य नहीं किए गए हैं।

4.87 केन्द्रीय जेल, कोयम्बतूर, खुली जेल, सिंगनाल्लुर और उप-जेल, कूनूर के संबंध में दिनांक 10.7.03 और 5.2.04 को, कार्रवाई की गई रिपोर्ट, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के विषय में बहुत ही संतोषजनक बताती हैं। कैदियों को उनकी रिहाई के समय भुगतान किए जाने वाले वेतन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए जेल नियमावली में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। कैदियों के वेतनों में से कटौती करके पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की सिफारिश करने के लिए जिला स्तर समिति की स्थापना के लिए कार्रवाई की गई है। विजिटर्स बोर्ड के गठन करने की दिशा में, गैर-सरकारी विजिटर्स की नियुक्ति के लिए अपर महानिदेशक (जेल) को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। खुली जेल के कैदियों की क्षमता के आदर्श उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आयोग की सिफारिशों के अनुसार खुली जेलों में प्रवेश के लिए योग्यता नियमों में संशोधन किया गया है।

(7) जेल-अवसंरचना एवं संबद्ध सुविधाओं की समीक्षा: उड़ीसा तथा झारखंड

उड़ीसा

4.88 वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में हिरासती न्याय प्रकोष्ठ के मुख्य समन्वयकर्ता और उड़ीसा के विशेष प्रतिनिधि (संप्रति रैपर्टियर), द्वारा उड़ीसा में जेल की अवसंरचना एवं संबद्ध सुविधाओं की समीक्षा करने का उल्लेख है। उनकी रिपोर्ट में कैदियों की जीवन स्थितियों और जेलों के संस्थापन एवं प्रबंधन को सुधारने के लिए तैयार की गई कई विशेष सिफारिशों को आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया और राज्य सरकार को 10 जुलाई 2003 को भेज दिया गया। 19.2.2004 को आयोग द्वारा दिनांक 14.10.2003 को की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया गया। आयोग को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित बड़ी सिफारिशें स्वीकृत कर ली गई हैं और अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ हो गई है :-

1. 17 उप-जेलों का जिला जेलों की कोटि में उन्नयन : 2002-07 के दौरान उड़ीसा में जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना के परिप्रेक्ष्य में इसे शामिल किया गया है।

2. एक खुली जेल की स्थापना : 16.5.03 को जिला खुर्द के जमुझारी में एक खुली जेल की स्थापना हुई।
3. राज्य में 21 नई उप-जेलों की स्थापना : वर्ष 2002-07 के दौरान उड़ीसा में जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना के परिप्रेक्ष्य में इसे शामिल किया गया है।
4. स्वच्छता एवं जल आपूर्ति : वर्ष 2002-07 के दौरान उड़ीसा में जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना के परिप्रेक्ष्य में 49 लाख रुपए की राशि अलग कर ली गई है।

झारखण्ड

4.89 5 जुलाई 2003 को राँची में हुई संवेदनशीलन कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिरासती न्याय प्रकोष्ठ के मुख्य समन्वयकर्ता और उड़ीसा एवं झारखण्ड के स्पेशल रैपर्टियर ने झारखण्ड में जेल-अवसंरचना एवं संबद्ध सेवाओं की समीक्षा की। उनकी रिपोर्ट आयोग द्वारा स्वीकृत की गई और 2.4.2004 को राज्य सरकार को भेजी गई। इसमें संस्थागत कमियों को दूर करने, जीवन स्थितियों को सुधारने और कैदियों तथा जेल कर्मियों के कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए कई विशेष सिफारिशें की गईं। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

- 14 उप-जेलों का जिला जेलों की श्रेणी में उन्नयन।
- झारखण्ड में खुली जेल की स्थापना करना।
- झारखण्ड में एक विशिष्ट महिला जेल की स्थापना।
- निर्धारित स्थानों पर 7 उप-जेलों का निर्माण।
- धनबाद एवं गुमला में प्रति वार्ड 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले 4 अतिरिक्त वार्डों का निर्माण। खुन्टी में प्रति वार्ड 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले 3 अतिरिक्त वार्ड, 5 स्थानों पर प्रति वार्ड 200 व्यक्तियों की क्षमता वाले 2 अतिरिक्त वार्ड और 10 विशिष्ट जेलों में 100 व्यक्ति प्रति वार्ड की क्षमता वाले वार्डों का निर्माण करना।
- बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल को होतवार के नए भवन में स्थानांतरित करना।
- स्वच्छता एवं जल आपूर्ति में सुधार/शौचालय एवं कैदियों के अनुपात को कम से कम 1:10 करने के लिए अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता है।

- विद्यमान जल आपूर्ति का संवर्धन और नए जल आपूर्ति प्रोजेक्ट तैयार करना।
- पर्यवेक्षी एवं कार्यात्मक स्तर पर निम्नलिखित प्रमुख पदों को भरना :

अधीक्षक	—	9
जेलर	—	3
सहायक जेलर	—	12
डॉक्टर	—	14
कम्पाउन्डर	—	7
वार्डर	—	251
- चिकित्सा सुविधाओं में सुधार।
- पोषण विशेषज्ञ के परामर्श पर जेल में रखे जाने की स्वीकृति वाले बच्चों के लिए विशेष आहार निर्धारित करना।
- जेल में बच्चों के लिए शिशुसदनों की स्थापना।
- जेल उद्योग : केवल 2 केन्द्रीय एवं 5 जिला जेलों में जेल उद्योग चल रहा है। सभी जिला जेलों को शामिल करने के लिए इस सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है। अतिरिक्त व्यापारों जैसे जूट—पायदान, कम्बल, तेल—मोमबत्तियाँ बनाना, को आरंभ करने की आवश्यकता।
- कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाओं में सुधार लाना।

4.90 रिपोर्ट 2.4.04 को राज्य सरकार को भेजी गई। कार्रवाई की गई रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(8) जेलों में पड़े मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति

4.91 1993 में अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पूरे देश की जेलों में पड़े मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की दुर्दशा के विषय में चिंतित रहा है। ये व्यक्ति दो श्रेणियों से संबंधित हैं। पहली श्रेणी में मानसिक रूप से बीमार सिद्धदोषी या विचारणाधीन कैदी आते हैं और दूसरी श्रेणी में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो अपराध में शामिल नहीं होते, जिन्हें केवल मानसिक रूप से बीमार होने के कारण हवालात में रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले 1993 में बहुत पहले शीला बरसे बनाम भारत सरकार के मामले में कहा था कि केवल मानसिक

बीमारी के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाए। आयोग ने पाया है कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों का कई राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में पालन नहीं किया जा रहा है। अतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने 1996 में सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों को सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों की ओर उनका ध्यान आकर्षण करने तथा इसे सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए लिखा।

4.92 दिसम्बर 1998 और फरवरी 200 में इसी के प्रकार के पत्र पुनः लिखे गए।

4.93 आयोग के हिरासती न्याय प्रकोष्ठ ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से जेलों में बंद उपरोक्त श्रेणियों के मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की संख्या की जानकारी प्राप्त की। संकलित सूचना से निम्नलिखित तथ्य उभर कर आए हैं :-

- (I) भारत में जेलों में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की आपराधिक श्रेणी (सिद्धदोषी व विचारणाधीन) में संख्या 1643 थी (1576 पुरुष और 67 महिलाएँ) (यह सूचना विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से विभिन्न तिथियों में प्राप्त हुई और इसलिए एक सामान्य आकलन प्रस्तुत करती है) उपलब्ध आँकड़े जेल जनसंख्या (31.12.2002 तक) के प्रति हजार कैदियों में 5 मानसिक रूप से बीमार कैदियों की दर बताते हैं। 18 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में इस औसत से अधिक घटनाएँ बताई गई हैं। मणिपुर बुरी तरह से प्रभावित है इसमें जेल जनसंख्या के प्रति हजार पर 48 मानसिक रूप से बीमार कैदी हैं इसके बाद मेघालय में (36), अण्डमान एवं निकोबार में (31) और जम्मू व कश्मीर में (31) हैं।
- (II) केवल पश्चिम बंगाल से गैर-आपराधिक मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की संख्या 76 (74 पुरुष और 2 महिलाएँ) बताई गई है। वे कलकत्ता के प्रेसीडेंसी सुधार गृह के भाग के रूप में कार्यरत एक अलग मानसिक अस्पताल में उपचाराधीन हैं। यह उल्लेख करने योग्य है कि आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में जेलों में बंद गैर-आपराधिक श्रेणी के लोगों की संख्या 212 से घटकर 76 पर आ गई है।

(9) जेल सुधार

4.94 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में पुलिस एवं अनुसंधान विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.एण्ड डी.) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा एक आदर्श जेल नियमावली का प्रारूप तैयार करने का उल्लेख किया गया था। यह ज्ञात हुआ है कि नियमावली को पूर्ण करके नवम्बर 2003 में गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसे अपनाने के लिए बी.पी.आर.एण्ड डी. द्वारा सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को इसकी प्रतियाँ भेज दी गई हैं।

(10) अन्य सुधारात्मक संस्थानों/संरक्षण गृहों के दौरे

4.95 सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन में आयोग आगरा के सरकारी संरक्षात्मक गृह (महिला) के क्रिया-कलापों का निरीक्षण कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, माननीय सदस्य श्रीमती सुजाता वी० मनोहर ने स्पेशल रैपर्टियर श्री चमन लाल के साथ इस गृह का दौरा किया। दौरे के दौरान कुछ कमियों पर ध्यान दिया गया। विशेषतौर पर माननीय सदस्य ने टिप्पणी की कि "बचाव अधिकारी और जिला परिवीक्षा अधिकारी का कार्य पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। बचाव अधिकारी को प्रति 2 या तीन वर्षों में बारी-बारी से लगाना चाहिए। अवैध व्यापारियों की गिरफ्तारी या बचाए गए पीड़ितों अथवा यह सुनिश्चित करने कि कुछ बचाई गई युवा महिलाओं को उचित संरक्षकों की देखरेख में ठीक प्रकार से रिहा करने के लिए बहुत ही कम कार्य किया गया है।"

4.96 आयोग की चिंताओं को बताते हुए दौरे की रिपोर्ट, सक्षम प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई। माननीय सदस्य की टिप्पणी के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा बचाव अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया और उसके विरुद्ध जाँच का आदेश दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार आगरा के जिला न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले गृह के मासिक निरीक्षण की रिपोर्टों पर भी आयोग विचार कर रहा है। जिला न्यायाधीश की रिपोर्टों के अनुसार माननीय सदस्य के दौरे के दौरान इंगित कुछ कमियों को सुधार लिया गया है। यद्यपि इस तथ्य की दृष्टि से कि पिछले तीन वर्षों से छापों को सुव्यवस्थित करने और अवैध व्यापारियों एवं वेश्यालय चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में जिला परिवीक्षा अधिकारी तथा बचाव अधिकारियों का कार्य निरंतर खराब बना हुआ है, आयोग द्वारा यह महसूस किया गया है कि इस विषय को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उठाए जाने की आवश्यकता है। अतः आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के निदेशक (महिला कल्याण) को होम के अधीक्षक एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी, आगरा के साथ विचार-विमर्श के लिए आयोग में आमंत्रित किया।

4.97 निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार और होम के अधिकारी आयोग में 20.1.04 को आयोजित बैठक में उपस्थित थे। निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ :-

- होम की क्षमता अल्प-उपयोग : कुछ 75 कैदियों की क्षमता के प्रतिकूल, होम में औसतन 20 रह रहे हैं। सितम्बर 2003 में यह गिरकर 6 या 7 हो गया है;
- जिला न्यायाधीश, आगरा की मासिक निरीक्षण रिपोर्टों के आलोक में अन्वेषक एवं बचाव अधिकारी का कार्य पालन;

- आई.टी.पी. अधिनियम के अन्तर्गत विशेष पुलिस अधिकारियों का नामांकन;
- होम के लिए विजिटर्स बोर्ड का गठन; तथा
- आईटीपी अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन।

4.98 बैठक की अध्यक्ष माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी० मनोहर ने कहा कि विशेष रूप से होम के अर्थपूर्ण कार्यों के एक भाग के रूप में आयोग की मुख्य चिंता, आई.टी.पी. अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन की है। उन्होंने निदेशक (महिला कल्याण) से आगरा तथा राज्य में अन्यत्र सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया। निदेशक से आग्रह किया गया कि इस विषय पर वह जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश के साथ, आई.टी.पी. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासन की संबद्ध शाखाओं के बीच प्रभावी सहयोग के लिए, विचार-विमर्श करे तथा विधि एवं मनोभाव से अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करें। माननीय सदस्य ने इस बात पर बल दिया कि जब तक अवैध व्यापारियों और वेश्यालय की मालकिनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जाती इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता। निदेशक को निर्धारित अवधि में कार्य योजना तैयार करने और इसे आयोग को भेजने के लिए कहा गया।

4.99 मामले को उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

(झ) न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का सुधार

4.100 जैसा कि पिछली रिपोर्टों में संकेत दिया गया है, आयोग ने गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकारों से, आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के कोर ग्रुप द्वारा तैयार की गई "तकनीकपूर्ण अत्याधुनिक, न्यायिक विज्ञान : बेहतर दांडिक न्याय के लिए" नामक रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आग्रह किया।

4.101 आयोग ने उल्लेख किया है कि गृह मंत्रालय द्वारा कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें अलग से न्यायिक विज्ञान निदेशालय की स्थापना तथा न्यायिक विज्ञान विकास बोर्ड की स्थापना के लिए राज्यों को सुझाव देना शामिल हैं। वर्ष 2001-02 की आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि विभिन्न राज्य सरकारों से, आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन करने तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के लिए, अनुस्मारक जारी किए गए थे।

4.102 इन अनुस्मारकों के प्रत्युत्तर में कुछ राज्य सरकारों ने लिखा कि रिपोर्ट की प्रति, जो आयोग के दिनांक 22.10.1999 के पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव को भेजी गई थी, उन्हें प्राप्त नहीं हुई

है। तदनुसार रिपोर्ट की प्रतियाँ केरल, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा मणिपुर को भेज दी गई। इस वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय से निम्नलिखित को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया गया :-

- (I) कोर ग्रुप द्वारा की गई शेष सिफारिशों पर की गई कार्रवाई;
- (II) कोर ग्रुप द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन; तथा
- (III) गृह मंत्रालय के दिनांक 13.11.01 के पत्र के जवाब में राज्य सरकारों से यदि कोई उत्तर मिला हो तो।

4.103 15.10.2003 को राज्यों और गृह मंत्रालय को पुनः एक अनुस्मारक जारी किया गया। तथापि उत्तर की प्रतीक्षा की गई। इसी बीच असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को अनुस्मारक जारी किए गए।

अध्याय – 5

मानव अधिकार विषयक कानूनों, संधियों के कार्यान्वयन तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों की समीक्षा

(क) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा)

5.1 आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में आतंकवाद निवारण विधेयक 2000 और आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 के संबंध में आयोग के विचारों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आतंकवाद-विरोधी कानून के संबंध में आयोग का मत 21 फरवरी 2003 की एक हस्ताक्षरित सूची में दोहराया गया था, जिसकी पूर्ण सामग्री पिछली वार्षिक रिपोर्ट में दोहराई गई है। अतः उन्हें यहाँ पर नहीं दोहराया जा रहा है। अध्यादेश का आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा) में प्रतिस्थापन कर दिया गया था।

5.2 अपनी वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने यह उल्लेख किया कि जिस ढंग से पोटा को लागू किया जा रहा है उसके बारे में देश में काफी लोग चिंतित हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था क्योंकि आयोग ने इसके संभावित परिणामों के विषय में पहले से ही सचेत कर दिया था। अधिनियम के प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग और मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में आयोग की आशंकाएँ, दुर्भाग्य से सही साबित हुईं। कई राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों, जिसे मीडिया द्वारा काफी प्रचारित किया गया है, से यह पता चलता है कि इस अधिनियम का प्रायः निरंकुशता से और भेदभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा रहा है और इससे देश के नागरिकों, युवा और वृद्धजनों के मूलभूत अधिकारों को समान रूप से नुकसान पहुँच रहा है। आयोग अधिनियम के प्रयोग को सावधानीपूर्वक मॉनीटर कर रहा है और आग्रह कर रहा है कि इसके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए अधिनियम में अधिक रक्षोपायों की आवश्यकता है।

5.3 आयोग को आतंकवाद निवारण अधिनियम के अभिकथित कुप्रयोग या दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने छः मामले प्राप्त किये, जिनमें दो गुजरात, तीन तमिलनाडु तथा एक झारखण्ड से हैं।

5.4 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एवं अन्य बनाम भारत सरकार (2003 (10) एस.सी. ए.एल.ई. 967) में सर्वोच्च न्यायालय में पोटा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। 16 दिसम्बर 2003 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते समय यद्यपि कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को मात्र सहयोग देना ही पोटा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें आपराधिक उद्देश्य भी साबित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पोटा की धारा 21 को संयत किया, जो आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने से संबंधी अपराधों से संबंध रखता है, जो इस तरीके से बनाया था कि असल में घोर दुरुपयोग को निमंत्रण देता था। साथ ही, इसने इस निर्णय द्वारा कि पोटा के अंतर्गत अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले भी ज़मानत के लिए माँग कर सकता है, अधिनियम की धारा 49(7) की कठोरता को कम किया है।

5.5 आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 की धारा 60 में प्रबंध है कि केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, जब भी आवश्यक हो, अधिनियम में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए एक या अधिक समीक्षा समितियाँ बना सकती हैं। सरकार ने अधिक रक्षोपाय प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान करने में रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 अप्रैल 2003 को अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत एक केन्द्रीय समीक्षा समिति का गठन किया। समिति के लिए निम्नलिखित विचारणीय विषय हैं :-

- (i) समीक्षा समिति विभिन्न राज्यों में कथित अधिनियम के प्रयोग पर व्यापक रूप में विचार करेगा और कथित अधिनियम को लागू करने के संबंध में फरियादों अथवा शिकायतों पर विचार करने के लिए अधिकृत होगा और तदनुसार कथित अधिनियम के कार्यान्वयन में यदि कोई कमियाँ हों तो उन्हें दूर करने के लिए निष्कर्ष और सुझाव देंगी, और
- (ii) समीक्षा समिति ऐसे उपायों का सुझाव दे ताकि यह सुनिश्चित हो कि कथित अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग केवल आतंकवाद से संघर्ष के लिए हो।

5.6 चूँकि समीक्षा समिति की सिफारिशें अथवा निदेश, उनके अतिरिक्त, जो कथित अधिनियम में सुस्पष्ट दिये गए हैं, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए बंधनकारी नहीं हैं तथा विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत केवल परामर्शी प्रकृति के हैं, संसद ने इस कमी को दूर करने के लिए आतंकवाद निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश 4), जो 27 अक्टूबर 2003 को लागू हुआ

था, के माध्यम से आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 की धारा 60 में संशोधन किया। पोटा के कुप्रयोग और दुरुपयोग और मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति अधिक रक्षोपाय प्रदान करने के लिए, आयोग द्वारा प्रकट की गई चिन्ताओं को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया। इस अधिनियम की धारा 60 में निम्नांकित नए प्रावधान शामिल किए गए :-

(iv) किसी दुःखी व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत पर उप-धारा (प) के अंतर्गत बनाई गई कोई भी समीक्षा समिति इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में बिना पूर्वाग्रह के, समीक्षा करे कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले पर कार्रवाई चल सकती है? और तदनुसार निदेश जारी करें।

(v) उप धारा (4) के अंतर्गत जारी कोई भी निदेश :-

(I) केन्द्र सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति द्वारा जारी, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अपराध की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी पर बाध्यकारी होंगे; और

(II) राज्य सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति द्वारा जारी, राज्य सरकार और अपराध की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी पर बाध्यकारी होंगे।

(vi) इस अधिनियम से संबंधित उपधारा 4 के अंतर्गत जारी निदेश और राज्य सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी निदेश में से केंद्र सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति का निदेश प्रबल माना जाएगा।

(vii) जहाँ उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित किसी समीक्षा समिति का यह मत होगा कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामले पर कार्रवाई नहीं चल रही है और उप-धारा (4) के अंतर्गत निदेश जारी किए जाएं, तो अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्रवाई को, उस निदेश की जारी होने की तिथि से हटा लिया माना जाएगा।”

5.7 अध्यादेश (2003 का 4) को आतंकवाद निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 में बदल दिया गया था। आतंकवाद निवारण (संशोधन) अधिनियम 2003 के उद्देश्यों एवं कारणों की सूची के अनुसार इन संशोधनों से “किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर, क्या इस अधिनियम के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामले पर कार्रवाई चल रही है और तदनुसार निदेश जारी करने में, समीक्षा समिति को समीक्षा करने में शक्ति मिलेगी। समीक्षा समिति के निदेश, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अपराध की जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी पर बाध्यकारी होंगे। जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति और राज्य सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति द्वारा बनाए गए निदेश इस

अधिनियम के अंतर्गत उसी अपराध से संबंधित हों, तो केन्द्रीय समीक्षा समिति के निदेश, राज्य समीक्षा समिति के निदेश की अपेक्षा मान्य होंगे।”

5.8 आयोग का यह स्पष्ट मत है कि आवश्यकता एवं उपाय के बीच उचित संतुलन के लिए आवश्यकता एवं समानुपात के सिद्धान्तों के प्रति आदर की आवश्यकता होती है। जब कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष जरूरी है, तो आतंकवाद विरोध को देश की सिविल स्वतंत्रताओं एवं अंतरराष्ट्रीय विधि के सभी नियमों को लंबित करने के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। आतंकवाद से संघर्ष एवं विजय के लिए उस तरीके की आवश्यकता है जो मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के साथ सामंजस्य रखे। अपनी ओर से आयोग आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन को बड़ी सावधानी के साथ मॉनीटर करने में लगा है।

(ख) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929

5.9 अपनी पूर्व की वार्षिक रिपोर्टों में आयोग ने उल्लेख किया है कि जैसा कि सांविधिक आयोग द्वारा अनुमोदित है, बाल-विवाह अवरोध अधिनियम 1929 (बा.वि.अ.अ.) में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए बाल-विवाह अवरोध विधेयक का प्रारूप सलाह देता है, इसे विचार करने तथा उचित कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के साथ-साथ महिला एवं बाल कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। प्रारूप विधेयक की प्रति गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को भी सूचनार्थ भेजी गई थी।

5.10 इस संदर्भ में बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब की राज्य सरकारों और केन्द्र शासित दादर एवं नगर हवेली ने आयोग द्वारा प्रस्तावित विधेयक के लिए अपनी सहमति भिजवाई है। आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल राज्य-सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़, ने कुछ सुझाव दिये हैं, जिनकी जाँच आयोग कर रहा है। कर्नाटक की राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि बाल-विवाह अवरोध (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2003, दोनों विधायी सदनों द्वारा पारित किया गया था और यह राज्यपाल की स्वीकृति पाने की प्रक्रिया में था। यद्यपि महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की गृह विभाग द्वारा जाँच किया जाना बाकी है। राजस्थान सरकार के साथ अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को पुनः स्मरण पत्र भेजा गया है कि वे आयोग को इस विषय में यथाशीघ्र उत्तर भेजें।

5.11 महिला एवं बाल विकास विभाग (डी. डबल्यू. सी. डी.) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के संशोधनों के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं। महिला एवं बाल-विकास विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) और राष्ट्रीय महिला

आयोग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में इन संशोधनों पर विचार किया गया तथा अंतिम रूप दिया गया। विधायी विभाग, जो अधिनियम के लिए नोडल विभाग है, ने तब बाल विवाह अवरोध अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों को सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को इस आग्रह के साथ भेजा कि वे, जैसा कि उक्त अधिनियम की विषय वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की स्वीकृति सूची के अंतर्गत आती है, अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें। बाल-विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को भी उचित कार्रवाई के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है।

(ग) घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक, 2002

5.12 आयोग, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के विषय पर काफी चिंतित है। वर्ष 2002-03 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने उल्लेख किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य-मंत्रालय के परामर्श से तैयार घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक को 8 मार्च 2002 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरूप आगे के परीक्षण एवं परिवर्तनों के सुझावों, यदि प्रारूप विधेयक में कोई हों तो, भेजा गया। स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्थायी समिति की रिपोर्ट की प्रति के साथ प्रारूप विधेयक की एक प्रति आयोग को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजी। आयोग ने प्रारूप विधेयक के प्रावधानों का और स्थायी समिति की सिफारिशों वाली रिपोर्ट का सावधानी से जाँच की और 3 जनवरी 2003 को महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने विस्तृत सुझाव भेजे। आयोग द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजे गए सुझावों को 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक 5 पर देखा जा सकता है।

5.13 आयोग इस मामले को नियमित रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ उठा रहा है।

(घ) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

5.14 आयोग ने मानव अधिकार अधिनियम 1993 के संशोधनों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी सिफारिशें मार्च 2000 में केन्द्र सरकार को भिजवाईं। इन प्रस्तावों को विस्तार से, आयोग की 1999-2000 के साथ-साथ 2001-02 की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया गया है। इस मामले की गंभीरता एवं महत्त्व, जिसके साथ आयोग इस पर विचार कर रहा है, इस तथ्य से मापा जा सकता है कि इसे वर्ष 2001-02 की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय (अध्याय 2) में "मानव अधिकार संरक्षण

अधिनियम 1993 के कार्यों का अनुभव” शीर्षक के रूप में लिखा गया है, जहाँ इन संशोधनों की शीघ्र अधिसूचना की आवश्यकता पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।

5.15 सरकार ने आयोग की वर्ष 2001-02 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि एक अन्तर-मंत्रालय समिति, जिसकी स्थापना अधिनियम के उद्देश्य एवं कारणों की दृष्टि को ध्यान में रखकर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रस्तावित संशोधनों की जाँच करने, अन्य आयोगों की भूमिका तथा उनके कार्यों के समग्र संदर्भ के साथ ही सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों आदि के लिए की गई थी, ने अपनी जाँच पूरी कर ली है और अपने निष्कर्षों को सरकार के समक्ष कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर दिया है। सरकार शीघ्र ही इस मामले में अपने विचारों को अंतिम रूप देने वाली है। आयोग को यह कहते हुए काफी दुःख एवं पश्चाताप हो रहा है कि अभी तक ये संशोधन नहीं हो पाए हैं।

5.16 सरकार को संदर्भित उक्त प्रस्ताव में अधिनियम की धारा 19 में प्रस्तावित एक विशेष संशोधन की ओर भी आयोग ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आयोग की वर्ष 2000-01 और वर्ष 2001-02 की वार्षिक रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टों में सरकार ने अपने विचार को दोहराया है कि अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों, जैसे कि वे अस्तित्व में हैं, में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आयोग अपने पूर्व विचार को पुनः दोहराना चाहेगा कि सैन्यबल द्वारा मानव अधिकार हनन के आरोपों की मौजूदा जाँच पद्धति संतोषजनक नहीं है। आयोग सरकार से पुनः आग्रह करना चाहेगा कि इस संबंध में जो उसका दृष्टिकोण है उस पर पुनर्विचार करे।

5.17 अपनी वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने अध्याय 2 के शीर्षक “आयोग के दस वर्ष : सिंहावलोकन” में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अतिशीघ्र अधिसूचित होने की आवश्यकता को दोहराया है। आयोग को आशा है कि सरकार बिना समय गंवाए संशोधनों को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाएगी।

(च) संधियों एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों का कार्यान्वयन

(1) बाल अधिकारों पर अभिसमय के लिए प्रोटोकॉल

5.18 आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्टों में सिफारिश की है कि भारत सरकार जाँच करे और बाल अधिकारों पर अभिसमय के ऐच्छिक प्रोटोकॉलों 1 और 2 के, जो सैनिक संघर्ष में फंसे बच्चों, बच्चों की बिक्री, बाल-वेश्यावृत्ति और अश्लील-बाल साहित्य से संबंधित हैं, पक्षकार बनें। समीक्षाधीन अवधि के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग ने आयोग को सूचित किया कि उन्होंने टिप्पणी का मसौदा कैबिनेट के लिए, संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों, साथ ही गृह मंत्रालय में उनकी टिप्पणियों

एवं विचारों के लिए, परिचालित कर दिया है। यद्यपि मंत्रालय ने आयोग के लिए की गई सिफारिशों पर अपने निर्णय की सूचना अभी तक नहीं दी है।

(2) 1949 जिनेवा अभिसमयों के लिए 1977 प्रोटोकॉल

5.19 आयोग ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि वह जिनेवा अभिसमय के 1949 के लिए 1977 प्रोटोकॉलों का जाँच करे और अपने विचार प्रकट करे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेश मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी विधि (आई एच एल) जिसमें जिनेवा अभिसमय भी शामिल हैं, पर हाल ही में पक्षकारों के रेड क्रॉस मूवमेंट के सम्मेलन में और जिनेवा में जिनेवा अभिसमयों के दौरान, व्यापक चर्चा की गई थी। समकालीन अवधि में सशस्त्र संघर्ष की बदलती प्रकृति में (अफगानिस्तान, इराक, अफ्रीका आदि में संघर्ष) उनके अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी विधि और जिनेवा अभिसमयों पर प्रभाव तथा संबंधित विषय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समीक्षाधीन हैं। इन घटनाओं के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि संबद्ध मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों, जिनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय शामिल हैं, को वर्तमान वास्तविकताओं और हमारी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रतिक्रिया की आयोग द्वारा जाँच की जा रही है।

(3) यातना के विरुद्ध अभिसमय

5.20 पिछली रिपोर्टों में यातना के विरुद्ध अभिसमय में भारत की ओर से हस्ताक्षर करने में आयोग के प्रयासों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। आयोग की सिफारिश के आधार पर ही भारत सरकार ने इस अभिसमय पर 14 अक्टूबर 1997 को हस्ताक्षर किये। यद्यपि अभी भी इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है। पिछली कुछ रिपोर्टों में आयोग ने इस अभिसमय के अनुसमर्थन में होने वाली देरी के प्रति चिंता प्रकट की है। आयोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस मामले ने गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। यह उल्लेख किया गया था जितनी शीघ्रता से वे इस विद्यमान विधेयक के संशोधन के संबंध में कार्रवाई पूरी करते हैं, विदेश मंत्रालय अभिसमय को शीघ्र अनुसमर्थित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की स्थिति में होगा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने इस मामले की चर्चा विदेश मंत्रालय से अगस्त 2003 में और दोबारा अक्टूबर 2003 में की। प्रत्युत्तर में आयोग को सूचना दी गई कि यातना के विरुद्ध अभिसमय के अनुसमर्थन पर एक प्रारूप कैबिनेट नोट गृह मंत्रालय द्वारा जाँच के लिए भेज दिया गया है, जो अंतिम अनुसमर्थन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करेगा। आयोग ने अतः इस मामले की चर्चा गृह मंत्रालय से अक्टूबर 2003 और दोबारा जनवरी 2004 में की। यद्यपि

इस विषय में उत्तर की प्रतीक्षा है। इस विषय में शीघ्र कार्रवाई के लिए आयोग ने सभी संबंधित मंत्रालयों से आग्रह किया है।

(4) शरणार्थियों की स्थिति पर अभिसमय एवं प्रोटोकॉल

5.21 देश में शरणार्थी स्थितियों का सामना करने के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय विधेयक की आवश्यकता पर आयोग के विचारों का वर्णन विस्तार से पिछली रिपोर्टों में दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस मामले के हल के लिए आयोग निरंतर लगा हुआ है।

5.22 गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने शरणार्थियों पर आदर्श राष्ट्रीय कानून के बारे में आयोग के विचार एवं पर टिप्पणी जो न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती द्वारा, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा स्थापित "एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप" के अध्यक्ष के रूप में तैयार की गई थी, जानना चाहा। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके आयोग ने इस विषय पर विचार किया और तत्पश्चात् शरणार्थियों पर निम्न संरचना के साथ एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना का निर्णय लिया :-

1. श्री फाली एस. नरीमन, संसद सदस्य
2. श्री अरुण कुमार जैन, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय
3. डॉ० नरिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव, विधिक एवं संधि अनुभाग, विदेश मंत्रालय
4. डॉ० ओ. पी. शुक्ला, संयुक्त सचिव एवं कानूनी सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
5. श्री मुचकुन्द दुबे, अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली।
6. डॉ० राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय।
7. प्रो० बी. एस. चिमनी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जे.एन.यू।
8. प्रो० महेन्द्र लामा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जे.एन.यू।

विशेषज्ञ समिति से आग्रह किया गया है कि वह शरणार्थियों पर आदर्श राष्ट्रीय विधि के लिए खण्ड-दर-खण्ड गहन अध्ययन करे और उसके बाद अपनी टिप्पणी आयोग को दें। 9 मार्च 2004 को विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई थी। मानवतावादी विचारों, सुरक्षा संबंधी एवं अन्य संबंधित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् आयोग के अध्यक्ष डॉ० ए. एस. आनन्द ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से, शरणार्थियों पर आदर्श राष्ट्रीय विधि पर तथा अन्य सामान्य पहलुओं के साथ-साथ इससे संबंधित विशिष्ट विषयों पर उनके व्यक्तिगत विचार प्रकट करने का आग्रह किया।

(छ) अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित कानूनों की समीक्षा

5.23 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने अशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के कार्यों एवं इसके प्रभाव का परीक्षण किया था। तत्पश्चात सिफारिशों का एक व्यापक सेट केन्द्र तथा राज्य सरकारों में प्राधिकारियों को अशक्तता अधिनियम के अंतर्गत उनकी जबाबदेही को बताए हुए और उनके द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के विषय में सूचित किया गया।

5.24 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पारिवारिक कानूनों तथा सिविल और दंड प्रक्रिया का प्राथमिक विश्लेषण किया गया, जिससे पता चलता है कि मनोरोग एवं प्रज्ञा-अशक्तता वाले तथा मिरगी से पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध बहुत अधिक पक्षपात है।

5.25 उदाहरण के लिए, "हिन्दू विवाह अधिनियम 1955," धारा 5 (2) (क), (ख), (ग) में वैध हिन्दू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है "(क) विवाह के समय, यदि मस्तिष्क की अस्वस्थता के परिणाम स्वरूप स्वीकृति देने में दोनों में से कोई भी पक्ष असमर्थ है (ख) यद्यपि वैध सहमति देने में सक्षम है लेकिन इस प्रकार की वैध या इस हद तक मानसिक विसंगति से पीड़ित है कि विवाह के लिए अथवा बच्चों की उत्पत्ति के लिए अनुपयुक्त हैं (ग) बार-बार मिर्गी या पागलपन का दौरा पड़ता रहता है।

5.26 धारा 12 (1) में, अधिनियम अमान्य विवाह की शर्तों को निर्धारित करता है, जिसमें साथ-साथ पिछले पैरे से संदर्भित धारा 5 (2) (क), (ख), (ग) की शर्तों का उल्लेख भी शामिल है। कानून में इस प्रकार के प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग, जो अस्थायी मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में सम्मिलित होने और अथवा बनाए रखने से वंचित रखने वाले हैं, के प्रति आयोग गंभीर रूप से चिंतित है।

5.27 उसी प्रकार हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 और 8 एक व्यक्ति को एक बच्चे को गोद लेने से निषेध करती है जब तक कि गोद लेने वाला वयस्क न हो जाए और स्वस्थ मस्तिष्क का न हो। इस अधिनियम के अंतर्गत अभिभावक की मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बच्चों को दत्तक के रूप में देने के प्रावधान को अशक्तता (समान अवसर, मानव अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 की धारा 2 (ट) में अशक्तता के लिए दी गई परिभाषा के संदर्भ में सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है, जो यह माँग करती है कि अशक्तता युक्त व्यक्ति का अर्थ है, एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की अशक्तता से 40 प्रतिशत से कम प्रभावित न हो, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।" यहाँ हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 धारा 9 (4) के साथ अशक्तता (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 की धारा 2 (ट) के सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है चूँकि दोनों

अधिनियम के लिए मानसिक अस्वस्थता का निर्णय करने के लिए भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों को दिया गया है।

5.28 उसी प्रकार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 किसी अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को संविदात्मक दायित्व से मुक्त करता है। चूँकि मध्यम रूप से मानसिक एवं बौद्धिक अशक्ता से युक्त अधिकांश व्यक्ति नित्य-प्रति की अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है, अतः इस प्रावधान के दोबारा परीक्षण की आवश्यकता है।

5.29 आयोग स्वायत्त एवं प्रक्रियात्मक कानूनों, दोनों की अधिक व्यवस्थित समीक्षा को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है ताकि विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, प्रोद्योगिकी और पुनर्वास में की गई प्रगति के संदर्भ में उपयुक्त सुझाव दिए जाए तथा सबसे ऊपर अशक्ता युक्त व्यक्तियों को समान संरक्षण तथा अधिकारों की पहचान को सुनिश्चित किया जा सके।

(ज) नए अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय की ओर

5.30 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकारों की शर्तों एवं स्तरों को व्यावहारिक कार्रवाई में रूपांतरित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय संधि के विस्तार में उसकी सक्रिय सहभागिता, एक नई प्रगति है। राष्ट्रीय संस्थानों के शामिल होने पर जोर देते हुए, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने अप्रैल 2002 में उल्लेख किया कि “यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा कि न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान भी अशक्ततायुक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर नए अभिसमय के विस्तार के लिए अपने अनुभवों का योगदान देने में सक्षम हैं।”

5.31 अशक्तता के विषय पर एक संधि के लिए सुझाव एवं विचार किए जाने वाले संभावित तत्वों को तदर्थ समिति को उपलब्ध कराने के लिए महासभा संकल्प 57/229 द्वारा नियंत्रण के प्रत्युत्तर में और विशेषतौर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को अपने भावी सत्रों में सहभागिता के लिए संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के निमंत्रण पर, आयोग ने कई कदम उठाए हैं।

5.32 चूँकि संधि विस्तार सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और नागरिकता के स्तरों को उठाने में अद्वितीय अवसर प्रदान करता है अतः आयोग ने संधि विस्तार प्रक्रिया में भारत सरकार की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित किया है। आयोग ने विदेश मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की नई दिल्ली में मई 2003 में हुई अन्तरराष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। आयोग इस बात से संतुष्ट है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति की दूसरी

बैठक के लिए प्रतिनिधि मण्डल नियुक्त किया है और कार्य दल को सक्रिय योगदान भी दिया है।

5.33 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की एशिया पैसिफिक फोरम, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय तथा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से एशिया पैसिफिक रीज़न और कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के राष्ट्रीय संस्थानों की एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में 26 से 29 मई 2003 के बीच आयोजित की।

इस कार्यशाला में भाग लेने वालों ने:-

- एक व्यापक और समग्र अभिसमय की प्रगति की आवश्यकता का ज़ोरदार समर्थन किया।
- ज़ोर दिया कि अभिसमय एक 'अधिकार आधारित' तत्व, अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकारों की शर्तों एवं स्तरों तथा सामाजिक न्याय पर बना होना चाहिए। इस मुख्य सिद्धान्त के द्वारा सूचित किया जाना चाहिए कि अशक्तता युक्त सभी व्यक्ति, बिना किसी अपवाद के, समानता, प्रतिष्ठा एवं भेदभाव के बिना, आधार पर सभी मूलभूत मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का पूर्ण लाभ एवं आनंद प्राप्त करने के योग्य हैं।
- आगे ज़ोर दिया गया कि जब अभिसमय को विस्तार दिया जाए तो सभी अशक्तता समूहों की स्थिति, लिंग, जाति, रंग, आयु से संबंधित विविध स्थितियों तथा अन्य विचारों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

5.34 अशक्तता अभिसमय की प्रकृति, प्रकार, संभावना, उद्देश्य एवं मुख्य तत्वों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की सामान्य व्याख्या के आधार पर आयोग ने जून 2003 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के दूसरे सत्र में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

5.35 नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अन्तरराष्ट्रीय बैठक के बाद में आयोग ने एशिया और पैसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा आयोजित कई बैठकों एवं सम्मेलनों की श्रृंखला में योगदान दिया। जून 2003 में बैंकाक में विशेषज्ञ दल की बैठक में एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जो नई दिल्ली में हुई अंतरराष्ट्रीय बैठक की रिपोर्ट पर अत्यधिक ध्यान आकर्षित करता है।

5.36 समान रूप से अशक्तता पर, आयोग के स्पेशल रैपर्टियर ने ई.एस.सी.ए.पी. की महिला कार्यशाला (18 से 22 अगस्त 2003) की व्यवस्था की, जिसमें प्रस्तावित अशक्तता अभिसमय में लिंग परिमाण को दृढ़ता प्रदान करने के लिए सिफारिशों की रूपरेखा तैयार की गई। यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी. के

अन्य विशेषज्ञ दल की बैठक में भी उन्होंने योगदान दिया, जो अभिसमय की एक ठोस सामग्री को प्रस्तुत करता है।

5.37 नवम्बर 2003 में आयोग ने चीन सरकार तथा ई.एस.सी.ए.पी. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अन्तर-राष्ट्र के सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में पिछली बैठकों से लम्बित कई विवादास्पद विषयों का समाधान किया गया, जिसमें विकास के अधिकार के विषय के साथ-साथ अधिकार आधारित विकास शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्रियाविधि रचना की मॉनीटरिंग के प्रावधानों को भी विचार-विमर्श द्वारा सुलझाया गया और विषय को अच्छी तरह अनुकूल बनाया गया।

कार्य दल

5.38 आयोग ने न केवल एशिया पैसिफिक अशक्तता फोरम के साथ अपनी सुविज्ञता को बाँटा बल्कि कार्यदल में ए.पी.डी.एफ. के नामित सहभागियों को मदद करने के लिए संघटित बल भी प्रदान किया, जो संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय में 5 से 16 जनवरी 2004 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित प्रारूप विषय को सम्मिलित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य दल में अशक्तता पर हमारे स्पेशल रैपर्टियर से सहायता के लिए एशिया पैसिफिक अशक्तता फोरम ने आयोग से प्रस्ताव किया। अशक्तता पर अपने स्पेशल रैपर्टियर की सेवाएं उपलब्ध कराने में आयोग को प्रसन्नता हुई।

5.39 कार्यदल का अधिदेश प्रारूप विषय को संकलित करने के लिए था, जो तदर्थ समिति में समझौते के लिए तथाकथित आधार है। प्रारूप विषय के संकलन की प्रक्रिया में मानव अधिकार विशेषज्ञों के योगदान को कार्यदल के कई सदस्यों ने स्वीकृत किया है। विषय को भली प्रकार अनुकूल बनाने में मानव अधिकार विधि का उनका सुलभ ज्ञान लाभप्रद सिद्ध हुआ था। तथापि कार्यदल, संधि के मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वयन से संबंधित कई विषयों पर किसी सर्वसम्मति पर नहीं पहुँचा, यद्यपि उनके विचार में, राष्ट्रीय संस्थान :-

- अशक्तताओं युक्त व्यक्तियों तथा आम जनता के लिए अभिसमय के प्रावधानों के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- अभिसमय के साथ समरूपता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधेयकों, नीतियों और कार्यक्रमों को मॉनीटर कर सकते हैं।
- अभिसमय एवं राष्ट्रीय विधेयकों के प्रभाव पर शोध कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं।

- अशक्तता युक्त व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए एक व्यवस्था का विकास कर सकते हैं तथा अभिसमय के अनुपालन में असफलता के विषय में शिकायतें प्राप्त कर सकते हैं।

5.40 संधि विस्तार की शीघ्र प्रगति को ध्यान में रखते हुए और कार्यदल द्वारा संकलित प्रारूप विषय पर विचारों को आमंत्रित करने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास को देखते हुए, आयोग ने अशक्तता संगठनों, विशेषज्ञों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को परामर्शी कार्यशालाओं में शामिल करके, प्रक्रिया को समर्थन देने का निर्णय किया है। ये कार्यशालाएँ संधि विस्तार की प्रक्रिया के विषय में जागरूकता को प्रोत्साहित करने तथा संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति और कार्यदल द्वारा की गई उपलब्धियों में बहुत ही लाभप्रद रही हैं। दूसरी ओर इसने भारत में अशक्तता युक्त व्यक्तियों के जीवन की वास्तविकताओं को शामिल करके अशक्तता के विषय पर प्रारूप अभिसमय की गहन समीक्षा तथा देश की समग्र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को सुधारने के लिए अद्वितीय लक्ष्य का सुझाव देने के अवसर प्रदान किए हैं।

5.41 आयोग का दृढ़ मत है कि अंतरराष्ट्रीय विधि में अशक्तता के विषय पर एक बाध्य प्रपत्र, अशक्तता विषयों को “स्तर, प्राधिकार और सादृश्यता” प्रदान कर सकता है, जिसे विद्यमान अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों एवं मॉनीटरिंग क्रियाविधि के सुधार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसने यह भी स्वीकार किया है कि अशक्तता युक्त व्यक्ति की खास परिस्थितियों को विद्यमान अधिकारों के साथ मिला ने से संधि, राज्य पक्षकारों को उनकी बाध्यताओं की स्पष्ट शर्तों को समझाने में सक्षम होगी और यह विशेषतौर पर अशक्तता सहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य बना सकेगी।

एशियाई और प्रशान्त-देशीय दशक 1993–2002

5.42 ई.एस.सी.ए.पी. क्षेत्र की सरकारों ने बीजिंग (चीन) में 23 अप्रैल 1992 के 48/3 प्रस्ताव के द्वारा एशियाई और प्रशान्त देशीय अशक्त व्यक्तियों संबंधी दशक (1993–2002) की घोषणा की। प्रस्ताव का अभिप्राय अशक्त व्यक्तियों संबंधी विश्व कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्रभावित करने वाले विषयों का समाधान करने में क्षेत्रीय सहयोग को बल देना था; विशेषतः उन लोगों को जो अशक्त व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता एवं समानता से संबंधित हैं। जून 1995 को बैंकाक में हुई बैठक में दशक की शुरुआत के बाद से हुई प्रगति, 73 लक्ष्यों को ग्रहण करने और कार्य के लिए कार्यसूची के कार्यान्वयन संबंधी 78 सिफारिशों, जिसमें कार्यान्वयन लिंग आयाम भी शामिल है; की जांच की गई। कार्रवाई की कार्यसूची के अन्तर्गत 12 नीति क्षेत्रों में से, ई.एस.सी.ए.पी. ने अपने प्रयासों को उन क्षेत्रों पर केन्द्रित किया जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रपत्रों एवं निकायों के अधिदेशों द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए हैं तथापि एशियाई तथा प्रशांत राज्यों की उपलब्धियाँ दशक

के लक्ष्यों को सिद्ध करने में अवसर की समानता व समान सहभागिता को सुनिश्चित नहीं कर पाई हैं। अतः मई 2002 में ई.एस.पी.ए.पी. ने एक प्रस्ताव अंगीकार किया "21 वीं शताब्दी में एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्र में अशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त एवं अधिकार आधारित समाज को खासतौर पर प्रोत्साहन देने के लिए।" प्रस्ताव ने अशक्त व्यक्तियों संबंधी एशियाई और प्रशांत-देशीय दशक 1993-2003 की एक अन्य दशक 2003-2012 में विस्तार की घोषणा भी की है।

2003-2012 का बिवाको सहस्राब्दि ढाँचा

5.43 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ढाँचे में कार्रवाई के लिए सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई और प्रत्येक क्षेत्र में गंभीर विषयों एवं लक्ष्यों को निश्चित समयावधि में तथा कार्रवाई करने की सूची बनाई गई है।

सात प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं :-

- (1) अशक्तता युक्त व्यक्तियों की स्वावलम्बी संस्थाएँ।
- (2) अशक्तायुक्त महिलाएँ
- (3) शीघ्र हस्तक्षेप एवं शिक्षा
- (4) स्व-रोज़गार सहित प्रशिक्षण एवं रोज़गार
- (5) वातावरण एवं जन-परिवहन बनाने के तरीके
- (6) आई.सी.टी. सहित सूचना एवं संचार के तरीके
- (7) क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा एवं निर्वहन योग्य जीविका कार्यक्रम के माध्यम से ग़रीबी उन्मूलन।

5.44 चूँकि बिवाको सहस्राब्दि ढाँचे में विकास के लिए अधिकार-आधारित विचार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है अतः क्षमता की भिन्नता को समायोजित करने के लिए, जो व्यवस्था की सीमाओं के कारण हैं, अशक्त व्यक्तियों का बहिष्कार उनकी शारीरिक या मानसिक दुर्बलताओं पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करता, इन संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करने में कार्यरत भारत सरकार को आयोग ने प्रोत्साहित किया है।

5.45 अर्थ समानता परिप्रेक्ष्य में, समाज उन भिन्नताओं का सुधार करने में लगा है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज का समान सदस्य बनने का अधिकार नहीं देती या लाचार करती हैं। अतः बाधा-मुक्त संरचना, अनुकूल पाठ्यक्रम, निर्धारित नीति और निधियन प्रतिबद्धताएँ, असमानता को कम करने के लिए और अशक्त व्यक्तियों द्वारा समान सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ उपयोगी तरीके हैं।

5.46 अंतर्निहित गरिमा, स्वायत्तता और अशक्तायुक्त व्यक्तियों की सहभागिता के अधिकार तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका, जो सरकार के सभी क्षेत्रों में एक अशक्ता सहित समाज के निर्माण में लगी हुई हैं, को ध्यान में रखते हुए आयोग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को सुझाव दिया है :-

- (1) अशक्तता विषयों को समन्वित करने के लिए अशक्तता संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अशक्तता युक्त व्यक्तियों के साथ परामर्श करके एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
- (2) अशक्तता आयाम को समाविष्ट करने और भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करने के लिए विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की एक व्यवस्थित समीक्षा करें।
- (3) अशक्तता के लिए विशेष कार्यक्रमों एवं योजनाओं को वहाँ प्रारंभ करें जहाँ पर अशक्तायुक्त व्यक्तियों द्वारा समान सहभागिता के साथ जाना संभव नहीं है।

सरकार की ओर से जवाब एवं अनुवर्ती कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

स्वास्थ्य का अधिकार

6.1 जन स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के क्षेत्र में आयोग के प्रयासों का मार्गदर्शन इस अनुभूति द्वारा हुआ कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, संविधान में स्थापित जीवन के अधिकार के फलस्वरूप उपायों की दृढ़ता को सुनिश्चित करे ताकि इस देश की जनता, विशेषतः वे जो समाज के आर्थिक रूप से सुविधा वंचित समूह से संबंधित हैं, उन्हें बेहतर एवं अधिक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

(क) स्वास्थ्य संबंधी कोर सलाहकार ग्रुप

6.2 डॉ० एन. एच. अनीता की अध्यक्षता में पुनर्गठित स्थापित स्वास्थ्य संबंधी कोर ग्रुप, जन स्वास्थ्य एवं मानव अधिकारों से संबंधित मामलों पर आयोग को निरंतर सहयोग देता रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने निम्नलिखित मामलों में कोर ग्रुप की सलाह मांगी और प्राप्त की :

- (1) कुष्ठ से प्रभावित या स्थानीक वातावरण में रहने वाले बच्चे
- (2) आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की समस्या
- (3) "टाइम्स ऑफ इण्डिया "समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट – "जादूगुडा, झारखण्ड में यूरेनियम के निकट रहने वाले आदिवासियों का जीवन
- (4) जलने के घावों की रोकथाम से संबंधित मुद्दे
- (5) फ्लूओरोसिस की रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित मुद्दे
- (6) मानव अंगों का अवैध व्यापार

- (7) 'आन्ध्र प्रदेश में एड्स' से संबंधित मामले
- (8) जन स्वास्थ्य इंजीनियर्स संस्थान, भारत द्वारा प्रस्तुत 'ऐस्बेस्टॉस, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण – एक गहन अध्ययन' नामक रिपोर्ट
- (9) गैर सरकारी संगठनों के साथ स्थिति निर्माण कार्यशाला पर एक रिपोर्ट तथा मीडिया के साथ एड्स टीका विकास, परीक्षण, सुलभता एवं विकास पर सांमजस्य बनाने के लिए स्थिति निर्धारण बैठक
- (10) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित 'स्वास्थ्य देखरेख की सुलभता' तथा जन स्वास्थ्य से संबंधित अन्य विषयों पर लोक सुनवाई।
- (11) सामान्य कारण बनाम भारत सरकार (रिट याचिका 525/2000) के मामले में आयोजित रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का 4 अक्टूबर 2002 का संदर्भ
- (12) 'कन्या भ्रूणहत्या' : विधेयक, नैतिकता और सशक्तिकरण से संबंधित मामले

6.3 आयोजित रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध के विषय पर कोर ग्रुप ने सिफारिश की कि "नमक का सार्वभौमिक आयोजिनीकरण एक जन स्वास्थ्य आवश्यकता है, अतः गैर-आयोजित रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध में किसी प्रकार छूट नहीं मिलनी चाहिए।" उपरोक्त विषयों में प्रत्येक पर कोर ग्रुप की टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक देखने के बाद आयोग ने इन विषयों की चर्चा संबद्ध प्राधिकारियों से की। उपरोक्त में से कुछ अन्य विषयों का इस अध्याय के अन्य खण्डों में और वार्षिक रिपोर्ट के अन्य अध्यायों में उल्लेख किया गया है।

(ख) जन स्वास्थ्य और मानव अधिकार

प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के सुदृढिकरण पर राष्ट्रीय परामर्श

6.4 वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि आयोग जन स्वास्थ्य पर क्षेत्रीय परामर्श की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने में लगा हुआ है, जो वर्ष 2001 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया था। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख को मज़बूत बनाने संबंधी विषय पर भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों और अन्य संस्थाओं से विचार-विमर्श के बाद उभरकर आए सुझावों पर आयोग ने बाद में अगस्त 2003 और अक्टूबर 2003 में परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास

विभाग के सचिवों के साथ परामर्श किया। इन चर्चाओं के अनुसरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राष्ट्रीय संस्थान ने भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख और मानव अधिकारों पर तीन-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का प्रस्ताव रखा। इस परामर्श के उद्देश्यों, उप-उद्देश्यों और आमंत्रित किए जाने वाले विशेषज्ञों की सूची संबंधी कार्य एक छोटे उप-समूह ने किए। इस अवसर को 2005 में आयोजित करने और इसे आयोग द्वारा योजनाबद्ध स्वास्थ्य देखरेख की पहुँच पर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय लोक सुनवाइयों में वर्ष 2004-05 के दौरान समाकलित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) स्वास्थ्य देखरेख की पहुँच पर लोक सुनवाइयाँ

6.5 नवम्बर 2003 में आयोग ने स्वास्थ्य विषयों पर कार्य करने वाले एक गैर सरकारी संगठन जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा देश के पाँच क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर पूर्व) में स्वास्थ्य के अधिकार और मानव अधिकारों पर और नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की लोक सुनवाइयों संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इन लोक सुनवाइयों को आयोजित करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता को आगे बढ़ाने के लिए भी आयोग ने निर्णय लिया। सुनवाइयों के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- स्वास्थ्य देखरेख की अस्वीकृति के मामलों को और विशेषतः इस प्रकार की अस्वीकृति के अंतर्गत आने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को लोक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुति के योग्य बनाना।
- सभ्य समाज संगठनों को मूलतः सर्वांगी और राज्य स्तरीय नीति विषयों, जो स्वास्थ्य देखरेख की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें लोक स्वास्थ्य अधिकारियों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य बनाना।
- प्राइवेट मेडिकल संस्थाओं द्वारा स्वास्थ्य अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को इस क्षेत्र के मूल स्तरों और विनियम को स्थापित करने की प्रक्रिया में प्रस्तुतीकरण के योग्य बनाना।
- मूलभूत स्वास्थ्य देखरेख के अधिकारों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने, विभिन्न अतिसंवेदनशील समुदायों के अधिकार सहित और सभ्य समाज के लिए आधार देने के लिए इन अधिकारों की प्रगतिशील अनुभूति को सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य व्यवस्था पर संवाद।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लोक स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार के विश्लेषण एवं परिभाषित करने, पहचान,

विषय के वर्णन और स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार के परिचालन की दिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों/सिफारिशों की एक श्रृंखला का नेतृत्व करना।

6.6 आयोग ने अगले वित्तीय वर्ष में इन सुनवाईयों को करवाने का प्रस्ताव रखा है और इस संबंध में राज्य सरकारों को भी शामिल किया है। इस उद्देश्य के लिए रुपये 8,34,000/- की राशि आयोग द्वारा संस्वीकृत की गई है।

(घ) आपातकालीन चिकित्सा देखरेख

6.7 आपातकालीन चिकित्सा देखरेख की प्रबल होती असंतोषजनक व्यवस्था पर विचार करके, जिनके कारण देश में कई ज़िन्दगियों का नुकसान हुआ है, आयोग ने अप्रैल 2003 में डॉ० पी. के. दवे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल की स्थापना निम्नांकित विचारार्थ विषयों के साथ की :-

1. भारत में आपातकालीन चिकित्सा देखरेख के लिए विद्यमान व्यवस्था का अध्ययन करना।
2. आपातकालीन चिकित्सा देखरेख के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में स्थापित (केन्द्रीय दुर्घटना एवं आघात सेवाएं) की विद्यमान व्यवस्था का अध्ययन।
3. आपातकालीन चिकित्सा देखरेख के उचित आदर्शों का सुझाव देना, जो विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और उनके आवश्यक अंगों द्वारा विकसित किए जाने चाहिए।

6.8 आपातकालीन चिकित्सा देखरेख पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेषज्ञ दल की पहली बैठक आयोग के अध्यक्ष डॉ० न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद की अध्यक्षता के अंतर्गत 4 सितम्बर 2003 को आयोग के कार्यालय में हुई थी। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि आयोग द्वारा विशेषज्ञ दल की स्थापना के पीछे, आपातकालीन चिकित्सा देखरेख की विद्यमान व्यवस्था का अध्ययन करना और सुधारों के लिए सुझाव देना, मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि उपहार सिनेमा त्रासदी के प्रकाश में ही आयोग ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने अस्पतालों की वर्तमान दशा, पीड़ितों को अस्पतालों तक ले जाने में वाहनों की कमी, पीड़ितों को ले जाने में अनुपयुक्त व्यवहार और सड़क एवं रेल दुर्घटनाओं तथा जलने वाली दुर्घटनाओं पर विचार करने में अपर्याप्त प्रबंध। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि वर्तमान प्रयोग का उद्देश्य, आपातकालीन चिकित्सा देखरेख के लिए विद्यमान व्यवस्था में, जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारों के लिए कुछ व्यावहारिक सिफारिशों को विकसित करना था, जिन्हें बाद में सरकार में नीति निर्माताओं को भेजा जा सकता था।

6.9 विशेषज्ञ दल ने आपातकालीन चिकित्सा देखरेख के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया और 7 अप्रैल 2004 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। (अनुलग्नक 7) विशेषज्ञ दल ने विद्यमान दृश्य-विधान, जिसमें केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवाएं (सी.ए.टी.एस.) शामिल हैं, की समीक्षा की। अपनी रिपोर्ट में दल ने उल्लेख किया कि चोटों के कारण करीब 4,00,000 व्यक्तियों ने अपनी जाने गंवाई, करीब 75,00,000 व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती किए गए और 35,00,000 व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं और भारत के विभिन्न स्थानों पर वे आपातकालीन देखरेख प्राप्त कर रहे हैं। देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ई.एम.एस.) की वर्तमान व्यवस्था अपेक्षाकृत कम अनुकूल परिस्थिति में कार्य कर रही है और इसकी कोटि को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आयोग द्वारा ई.एम.एस. के लिए स्थापित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट ने वर्तमान ई.एम.एस. में विद्यमान कमियों का खुलासा किया और अल्पावधि और दीर्घावधि में कार्यान्वित करने के लिए कई सिफारिशें तैयार की, जिसमें एक राष्ट्रीय दुर्घटना नीति को प्रतिपादित करना और ई.एम.एस. के लिए एक केन्द्रीय समन्वय, सुविधा, मॉनीटरिंग और नियंत्रक समिति की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संरक्षण के अंतर्गत स्थापना करना शामिल है। 11 मई 2004 को आयोग ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, भारत सरकार और सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से इन सिफारिशों पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने और कृत कार्रवाई के विषय में आयोग को सूचित करने का आग्रह किया। आगामी वर्षों में आयोग ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की बारीकी से मॉनीटरिंग करने का विचार किया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने विभिन्न स्तरों की स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला तालुक अस्पतालों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं की संरचनात्मक सुविधाओं, उपकरणों, कर्मचारियों और प्रशिक्षण पर भी विचार करने का प्रस्ताव किया है।

(च) घटिया औषधियाँ एवं चिकित्सा साधन

6.10 आयोग असुरक्षित औषधियों एवं चिकित्सा साधनों के विषय में गंभीरतापूर्वक चिंतित है। पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने कुछ विशिष्ट पहलुओं जैसे अंतः शिरा तरलों को संदूषण आदि पर विचार किया है और संबंधित प्राधिकारियों के लिए सिफारिशों तैयार की हैं। आयोग ने केन्द्र सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों के कुछ प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ नवम्बर 2003 में तत्पश्चात् एक अन्य परामर्श द्वारा मार्च 2004 में बैठक की।

6.11 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ० न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद ने अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया कि स्वास्थ्य का अधिकार आयोग के लिए बड़ी चिंता के क्षेत्र में से एक है जिसे असुरक्षित औषधियों के विषय की परिधि में भी शामिल किया गया है। उन्होंने अवलोकित किया कि जीवन का अधिकार एक बहुत ही कीमती अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मात्र

अस्तित्व नहीं माना है बल्कि गरिमा के साथ स्वस्थ जीवन के अधिकार के रूप में इसकी व्याख्या की है उन्होंने इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करी कि असुरक्षित औषधियाँ, साधन और नकली औषधियाँ, भयप्रद अनुपात में पहुँच गई हैं। उन्होंने उन लोगों पर इसके प्रभाव का प्रकाश डाला, जो इनके असहाय उपभोक्ता बन गए हैं। निर्माताओं – बिचौलियों – खुदरा – उपभोक्ता की लम्बी श्रृंखला का संदर्भ देते हुए, उन्होंने जानना चाहा कि निर्माण एवं अन्य स्तरों पर किस प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि असुरक्षित एवं नकली औषधियाँ कुपोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संरचना में कमी और अरक्तता को तीव्र करती हैं। उन्होंने सहभागियों से कहा कि वे बताएं कि पिछले एक वर्ष के दौरान खुदराओं के कितने लाइसेंस रद्द किए गए, कितने अभियोग दर्ज हुए, कितने निर्माता दर्ज किए गए और इस प्रकार की कितनी इकाइयाँ बंद कर दी गईं। उन्होंने उचित गुणवत्ता नियंत्रण, उचित प्रकार की सुरक्षा मॉनीटरिंग प्रक्रिया और जन जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इन विचारों के आधार पर आयोग द्वारा निम्नांकित बनावट के साथ एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की गई :-

1. प्रो० एस. डी. सेठ

चेयर इन क्लीनिकल फार्माकोलॉजी
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च

2. डॉ० प्रेमा रामचन्द्रन

निदेशक
न्यूट्रीशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया

3. डॉ० मीरा शिवा

निदेशक
महिला स्वास्थ्य एवं विकास
स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन, भारत

4. श्री राज कुमार

सचिव
स्वास्थ्य विभाग
हरियाणा सरकार

5. श्री आर. डी. गर्ग

उप-औषधि नियंत्रक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार

6.12 विशेषज्ञ दल के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :-

- (I) मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से असुरक्षित औषधियों एवं चिकित्सा साधनों के विषय का परीक्षण करना और केन्द्र एवं राज्यों, दोनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करना।
- (II) औषधि सुरक्षा (केन्द्र एवं राज्यों की) के लिए दसवीं योजना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से असुरक्षित औषधियों एवं चिकित्सा साधनों से संबंधित क्षेत्रों का तथा मसेलकर समिति की सिफारिशों का परीक्षण करना।
- (III) घटिया और नकली तथा खतरनाक औषधियाँ और साधनों के कारण होने वाली कथित स्वास्थ्य समस्याओं (उपभोक्ता न्यायालयों, दीवानी न्यायालयों और राज्य स्वास्थ्य विभागों से) की जाँच करना तथा उपचार के उपायों का सुझाव देना।

इस रिपोर्ट को लिखते समय, विशेषज्ञ दल ने अपना कार्य प्रारंभ ही किया था।

(छ) मानव अंगों का अवैध व्यापार

6.13 आयोग ने मानव अंगों के अवैध व्यापार के विषय को उठाया और इसे अपने स्वास्थ्य संबंधी कोर ग्रुप को सौंपा। स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञों के कोर ग्रुप ने इस विषय पर विचार किया और संयोजित रूप से यह विचार व्यक्त किया कि अंग प्रतिरोपण अधिनियम में 'सहानुभूतिशील दान' से संबंधित खण्ड का एक अनैतिक तरीके से लगातार शोषण हो रहा है, जो मानव अधिकारों का उल्लंघनकारी है। कोर ग्रुप ने निम्नलिखित उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है :-

- (क) राज्य चिकित्सा परिषद् अंग प्रतिरोपण (विशेषतः गुरदा प्रतिरोपणों) करने वाले अस्पतालों के रिकॉर्डों की जाँच करें और प्रतिरोपणों के अनुपात का आँकड़ा दे, जो एक 'सहानुभूतिशील दाता' प्रक्रिया के माध्यम से किए गए हैं। गुरदा प्रतिरोपणों के मामले में जहाँ भी पिछले 5 वर्षों में किए गए किसी भी मामले में अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक होता है, राज्य चिकित्सा परिषद् को दाताओं एवं प्राप्तकर्ताओं की पृष्ठभूमि के विषय में पूर्ण रूप से

जाँच करने के साथ-साथ दाता की अनुवर्ती स्वास्थ्य दशा का तथा संबंधित अस्पताल द्वारा बाद में दी गई देखरेख की प्रकृति का सावधानीपूर्वक लिखित प्रमाण रखना चाहिए। जहाँ भी इस प्रकार के पृष्ठभूमि की जाँच के लिए पुलिस जाँच की आवश्यकता हो, राज्य मानव अधिकार आयोग; राज्य ऐजेन्सियों को उपयुक्त निदेश देने के लिए तैयार रहें।

- (ख) शव प्रतिरोपण कार्यक्रमों से 'जीवित दाताओं' की माँग में कमी लाने को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- (ग) गुरदा प्रतिरोपण को विकल्प प्रदान करने के लिए अस्पतालों में पुरानी गुरदा अपोहन के लिए सुविधाओं को बढ़ाया और सुधारा जाना चाहिए।
- (घ) भावी दाताओं के पारदर्शी एवं प्रभावशाली परामर्श के लिए बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। जहाँ भी संभव हो एक विशेषज्ञ दल द्वारा 'सहानुभूतिशील दाता' की सत्यनिष्ठा का स्वतंत्र साक्षात्कन करने के लिए एक यंत्रावली की स्थापना की जानी चाहिए जो उस अस्पताल से बाहर हो जहाँ पर प्रतिरोपण की प्रक्रिया होना प्रस्तावित हो।

6.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर आयोग के अध्यक्ष ने 29 जनवरी 2004 को भारत के प्रधान मंत्री के साथ-साथ राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को उपरोक्त सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए आग्रह करते हुए पत्र लिखे (अनुलग्नक 8)।

(ज) एच. आई. वी./एड्स और मानव अधिकार

6.15 वर्ष 2001-02 की वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने मानव अधिकारों तथा एच. आई. वी./एड्स से संबंधित विषयों की श्रेणी पर अपनी सिफारिशों का उल्लेख किया, जो इस विषय पर नई दिल्ली में 24-25 नवम्बर 2000 को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, लायर्स क्लैक्टिव, यूनिसेफ और यू.एन.एड्स के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय परामर्श का अनुवर्ती था। सिफारिशों में लिए गए विषयों में शामिल हैं : सहमति और जाँच, गोपनीयता, स्वास्थ्य देखरेख में भेदभाव, रोज़गार में भेदभाव, असुरक्षित वातावरण में महिलाएं, बच्चे एवं युवा लोग, एच. आई. वी./एड्स से ग्रसित या प्रभावित लोग तथा सीमान्त जनसंख्या/सिफारिशों का ब्यौरा आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग की सिफारिशों को दोबारा संबद्ध सरकारी एजेंसियों

को उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई राज्यों में अपने दौरों के दौरान की।

6.16 आन्ध्र प्रदेश में एड्स द्वारा सामने आने वाले गंभीर संकट पर एन.डी.टी.वी. की मीडिया रिपोर्ट से आयोग ने संज्ञान लिया। जुलाई-अगस्त 2002 के लिए सरकारी अस्पतालों में सरकारी सांख्यिकी का उद्धरण देते हुए रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि सरकारी अस्पतालों में आने वाली महिलाओं में विजयवाड़ा में प्रति दस गर्भवती महिलाओं में एक, एच. आई. वी. पॉज़ीटिव की जाँच की गई थी। आयोग ने इस समाचार रिपोर्ट को स्वास्थ्य संबंधी कोर ग्रुप को उसकी सलाह के लिए भेजा। आन्ध्र प्रदेश में जन्मपूर्व चिकित्सालयों द्वारा ध्यान दी जाने वाली गर्भवती महिलाओं में एच. आई. वी. पॉज़ीटिव के अधिक व्यापकता से संबंधित प्रेस रिपोर्ट को कोर ग्रुप ने ध्यान में लिया। भारत में एच. आई. वी./एड्स की फैलती हुई महामारी द्वारा होने वाले गंभीर संकटों को स्वीकार करते हुए कोर ग्रुप ने नोट किया कि जन्मपूर्व जाँच से प्राप्त आँकड़ें जनसंख्या अभियान में कमी और वास्तव में जनसंख्या के सही आँकड़े नहीं प्रदान कर सकते।

6.17 इस संबंध में कोर ग्रुप की सलाह के आधार पर आयोग ने सिफारिश करी कि (क) जन स्वास्थ्य कार्रवाई को इस बात पर केन्द्रित किया जाना चाहिए कि माँ से बच्चे में एच. आई. वी. वायरस स्थानांतरण की रोकथाम हो तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उपायों पर प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य नीति निर्माता ध्यान दें और (ख) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा तैयार सिफारिशों की पुष्टि एच. आई. वी./एड्स की रोकथाम के लिए एक बृहत् कार्यक्रम द्वारा की जानी चाहिए, जैसा कि नवम्बर 2000 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा यू. एन. एड्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय परामर्श किया गया था।

6.18 आयोग चाहता है कि इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को यह पूछने के लिए कि इन सिफारिशों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है, रिपोर्ट देने के लिए भेजें और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो वे कितने समय तक सिफारिशों को कार्यान्वित कर लेंगे। आयोग इस मामले में आगे विचार कर रहा है।

6.19 एच. आई. वी./एड्स द्वारा प्रभावित/संक्रमित व्यक्तियों द्वारा भेदभाव का सामना करने वाली व्यक्तिगत घटनाओं का, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख तथा अन्य सुविधाएं सुगम कराने के संबंध में आयोग संज्ञान ले रहा है। अतः उदाहरण के लिए 5 मार्च 2003 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। इसके अनुसार एच. आई. वी. पॉज़ीटिव बेन्सी (उम्र 7 वर्ष) और उसके भाई बेनसन (उम्र 5 वर्ष) का उनके चौथे स्कूल कैंथाकुज़ी सरकारी अवर प्राथमिक स्कूल द्वारा परित्याग कर दिया गया। यह उल्लेख किया गया था कि केरल सरकार ने

इन बच्चों के लिए, उनके घरों में उनके अभिभावकों एवं अध्यापकों से कड़े विरोध के बाद, एक विशेष स्कूल प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट पर विचार करके आयोग ने इस मामले में संबद्ध राज्य सरकार एवं केन्द्र प्राधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया था। बाद में आयोग को केरल सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख था कि ये बच्चे अब अपने पुराने स्कूल में वापस ले लिए गए हैं। आयोग ने केरल सरकार से, स्कूलों/कॉलेजों तथा आम जनता के बीच एच. आई. वी./एड्स के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर भी रिपोर्ट मांगी और प्राप्त की। केरल सरकार ने आयोग को सूचित किया कि राज्य सरकार ने एक एच. आई. वी. पॉलिसी बनाई है ताकि एच. आई. वी. से प्रभावित व्यक्तियों खासतौर पर बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके और लोगों के बीच जागरूकता भी पैदा की जा सके तथा पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए तत्काल कार्रवाई की जा रही थी। एच. आई. वी./एड्स द्वारा प्रभावित/संक्रामित व्यक्तियों की सामाजिक एकता के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आयोग को बताया कि राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण पॉलिसी 2002 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि एच. आई. वी. पॉज़िटिव व्यक्तियों को शिक्षा एवं रोज़गार के समान अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए जैसे कि समाज के अन्य लोगों को मिलते हैं। “किसी व्यक्ति की एच. आई. वी. स्थिति को गोपनीय रखना चाहिए और उसके रोज़गार में, कार्य के स्थल में उसकी स्थिति, उसकी वैवाहिक स्थिति और अन्य मूलभूत अधिकारों पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।” आयोग का यह मानना है कि स्कूलों/कॉलेजों तथा आम जनता के बीच एच. आई. वी./एड्स के विषय में जागरूकता बढ़ाने में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा नवीकृत प्रयास किए जाने चाहिए।

6.20 आयोग को भारत में एच. आई. वी./एड्स से पीड़ित मज़दूरों द्वारा सामना किए जाने वाले कथित उत्पीड़न के संबंधी में अमेरिका तथा फ्रांस से कुछ व्यक्तियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने इन पत्रों में उठाए गए बिन्दुओं को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को इस आग्रह के साथ भिजवाया है कि वे आयोग द्वारा एन. ए. सी. ओ. के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एच. आई. वी./एड्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाई गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर परीक्षण करे तथा आवश्यक कार्रवाई करे।

6.21 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन. ए.सी.ओ.) तथा अंतरराष्ट्रीय एड्स टीका इनीशिएटिव (आई.ए.वी.आई.) द्वारा एड्स टीका विकास परीक्षणों, अभिगम्यता और फैलाव पर मीडिया और गैर सरकारी संगठनों के लिए संचालित अनुकूलन कार्यशाला की रिपोर्टों पर भी आयोग ने विचार किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्वास्थ्य संबंधी कोर ग्रुप के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके आयोग द्वारा इन पर विचार किया गया है। तत्पश्चात् आयोग ने प्रस्तावित एच. आई. वी. टीका परीक्षण की प्रणाली तथा परिचालन योजना

की विस्तृत जानकारी मंगवाने का निर्णय लिया। आयोग का इस मामले को आगे जारी रखने का विचार है।

6.22 समीक्षाधीन अवधि में रिपोर्ट के समाप्त होने की दिशा में आयोग ने आयोग की सदस्य न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर को आयोग में एच. आई. वी./एड्स से संबंधित मामलों पर फोकल प्वाइंट के रूप में नियुक्त किया है।

6.23 मानव अधिकारों और एच. आई. वी./एड्स के विषय में जागरूकता का प्रसार करने के साथ आयोग ने इस विषय पर ब्रोशर/बुकलेट निकालने का प्रस्ताव रखा है। आयोग मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में "एच. आई. वी./एड्स – मिथक एवं वास्तविकता" शीर्षक से एक लघु फिल्म के निर्माण के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। इस विषय पर जन-जागरूकता लाने के विचार से इस फिल्म को दूरदर्शन के साथ संयुक्त रूप से बनाने के प्रयास जारी हैं।

(झ) मातृ अरक्तता और मानव अधिकार

6.24 वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2000 में मातृ अरक्तता के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला की सिफारिशों को बाद में केन्द्र सरकार के संबद्ध मंत्रालयों को भी उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजा गया। यह भी उल्लेख किया गया कि आयोग को प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अलावा विभिन्न विभागों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। इन उत्तरों का विस्तृत वर्णन वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया है।

6.25 आयोग ने इस मामले को संबद्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाने के साथ-साथ यह भी जानना चाहा है कि उनके द्वारा आयोजित कार्यशाला से प्रकट हुई सिफारिशों पर उन्होंने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है। आयोग ने अगस्त और अक्टूबर 2003 में परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य विभागों के साचिवों के साथ, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के विषय पर बैठक की। यह निर्णय लिया गया कि इन मंत्रालयों के सहयोग से भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर एक क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया जाए। बाद में आयोग ने प्राथमिक स्वास्थ्य पर लोक सुनवाइयों की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया। आयोग का इस महत्वपूर्ण विषय को प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर होने वाली प्रस्तावित लोक सुनवाइयों के साथ-साथ क्षेत्रीय परामर्श में जारी रखने का विचार है।

अध्याय – 7

महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार

7.1 आयोग की सदस्य न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी. मनोहर, महिलाओं के मानव अधिकारों जिसमें अवैध व्यापार भी शामिल हैं, से संबंधित मामलों पर फोकल प्वाइंट के रूप में निरंतर सेवारत हैं। समीक्षाधीन वर्ष की अवधि के दौरान फोकल प्वाइंट ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों संबंधी कई विषयों सहित महिलाओं एवं बच्चों में देह व्यापार के निवारण एवं संघर्ष पर कार्य किया।

(क) महिलाओं तथा बच्चों का देह-व्यापार

(1) महिलाओं तथा बच्चों का देह-व्यापार संबंधी अनुसंधान कार्रवाई

7.2 वर्ष 2002-03 में यह उल्लेख किया गया था कि भारत में महिलाओं तथा बच्चों के देह-व्यापार संबंधी अनुसंधान कार्रवाई कार्यक्रम की शुरुआत आयोग तथा यू.एन.आई.एफ.इ.एम. ने संयुक्त रूप से की थी। वर्ष 2003-04 के दौरान भी इस प्रोजेक्ट पर कार्य जारी था। अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर देने वालों की आठ विभिन्न श्रेणियों से सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जो अनुसंधान कार्यक्रम की समन्वयकर्ता नोडल गैर सरकारी संगठन है, द्वारा आँकड़े एकत्र किए गए। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उन जिलों से ये आँकड़े एकत्र किए गए थे जहाँ देह-व्यापार बहुत अधिक होना बताया गया था। महानगरीय शहरों जैसे मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलौर और हैदराबाद से भी आँकड़े एकत्र किए गए, जिन्हें मांग वाले क्षेत्र घोषित किया गया था। कुल मिलाकर 4006 उत्तर देने वालों से, 561 देह-व्यापार के बचाए गए पीड़ितों, 929 गैर-बचाए गए देह-व्यापार के पीड़ितों, 510 अवैध व्यापार से बचाए गए बाल श्रमिकों, 852 पुलिस अधिकारियों, 582 ग्राहकों, 160 अवैध व्यापारियों तथा 412 वेश्यालयों के मालिकों से आँकड़े एकत्र किए गए थे।

7.3 इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से गुमशुदा व्यक्तियों के आँकड़ों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (आई. टी. पी. ए.) संबंधी अपराध तथा संबंधित अपराधों के आँकड़े एकत्र किए। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा आई. टी. पी. ए. के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं तथा सरकारी आदेशों की प्रतियाँ भी अनुसंधान कार्रवाई के लिए एकत्रित की गईं। साथ-साथ जहाँ भी आवश्यकता थी, वहाँ अनुसंधान कार्रवाई के साथ कार्रवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आयोजित किए गए कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं – पुलिस अधिकारियों लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जन-जागरूकता अभियान। कुल मिलाकर 2000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को शामिल करने वाले 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम, न्यायिक अधिकारियों के लिए 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा गैर सरकारी संगठनों और सिविल समाज के सदस्यों के लिए 41 प्रशिक्षण सत्रों की सुविधा प्रदान की गई। अनुसंधान कार्रवाई की अवधि के दौरान प्रत्येक पीड़ित के बचाव तथा पुनर्वास का कार्य भी किया गया था।

7.4 इस अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू अध्ययन के विषय के रूप में, पीड़ितों के शोषण, प्रवृत्तियों तथा अवैध व्यापार के आयामों, विधि प्रवर्तन तथा अवैध व्यापार के निवारक पहलुओं के गुणात्मक आँकड़े एकत्रित करना था।

7.5 इस क्षेत्र में विभिन्न उत्तर देने वालों से आँकड़े एकत्रित करने का कार्य मई 2003 में पूरा हुआ। इसके पश्चात् सूचियों में उत्तरों के आधार पर कोड ग्रन्थ तैयार किए गए थे। तदनुसार सभी पूरित साक्षात्कार अनुसूची में पूरित आँकड़े कोडीकृत किए गए और कोडीकृत डाटा कम्प्यूटर में भरा गया। सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए सामाजिक विज्ञान के सांख्यिकी पैकेज (एस. पी. एस. एस.) का उपयोग किया गया। इस आधार पर अनुसंधान कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अनुसंधान से प्रकट होने वाली सिफारिशों को आगे दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जाएगा :- पेचीदा विषयों, अवैध व्यापार की रोकथाम, पीड़ितों तथा जीवितों की सुरक्षा, अवैध व्यापारियों और अन्य शोषण करने वाला का अभियोजन, अनैतिक देहव्यापार निवारण अधिनियम 1956 में प्रस्तावित परिवर्तन। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानव अधिकारों के प्रतिमान का सभी अवैध व्यापार विरोधी हस्तक्षेपों/पहलों में सख्ती से पालन हो ताकि अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति के अधिकारों का हमेशा संरक्षण हो। अनुसंधान कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2004 तक पूरी होने की आशा है।

(2) महिलाओं तथा बच्चों का देह व्यापार : लिंग सुग्राहीकरण के लिए न्यायपालिका के लिए नियमावली

7.6 वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी. मनोहर की अध्यक्षता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, (डी.डबल्यू.सी.डी.) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, यूनीसेफ, यूनिफेम, लायर्स कलैक्टिव और ज्वाइंट वुमेन्स प्रोग्राम के समाविष्ट प्रतिनिधियों के अंतर्गत व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं तथा बच्चों में देह व्यापार संबंधी न्यायपालिका के उपयोग के लिए एक नियमावली की रचना तथा विवरण पर कार्य करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने बाद में सिफारिश की कि नियमावली को तैयार करने के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एन.एल.एस.आई.यू.), बेंगलूर को अधिकृत किया जाए।

7.7 नियमावली के लिए बनाए गए उद्देश्यों के अनुरूप, समिति ने निर्णय लिया कि नियमावली का प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से एन.एल.एस.आई.यू. न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों, पुलिस तथा गैर सरकारी संगठन साथ राज्य स्तरीय परामर्श करने के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों से डाक-प्रश्नावली के माध्यम से आगे दिए गए दस राज्यों जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश से सूचना एकत्रित करे ताकि अवैध व्यापार से जुड़े विषयों पर उनको अपनी जानकारी का अंदाजा मिल सके।

7.8 वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि एन.एल.एस.आई.यू. ने संबद्ध गैर सरकारी संगठनों, लोक अभियोजकों, पुलिस तथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गोवा के न्यायिक अधिकारियों के साथ तीन राज्य स्तरीय परामर्श की थी। वर्ष 2003-04 के दौरान दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में राज्य-स्तरीय परामर्शों का आयोजन किया गया था। न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों, पुलिस अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों से और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रिकार्ड से, जो या तो राज्य की राजधानियों अथवा जहाँ उच्च न्यायालय की पीइ बेंच स्थित हैं उन शहरों से, डाक-प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किए गए आँकड़ें तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों के हिरासत-गृहों से एकत्रित आँकड़ों के आधार पर न्यायिक अधिकारियों के लिए एन.एल.एस.आई.यू., बेंगलूर द्वारा नियमावली तैयार की जाएगी।

7.9 आयोग का प्रस्ताव है कि नियमावली तैयार हो जाने के बाद, अवैध-व्यापार के विषय पर कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारियों के बीच नियमावली के पूर्व-परीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया जाएगा। प्रारूप नियमावली तैयार करने संबंधी कार्य उचित प्रकार से चल रहा है।

(3) महिलाओं और बच्चों के देह-व्यापार : प्रभावी बचाव और बचाव के बाद रणनीति

7.10 आयोग ने 'प्रयास' (टाटा सामाजिक विज्ञान का एक प्रोजेक्ट), मुम्बई के सहयोग से देह-व्यापार संबंधी नियमों व नीतियों का कार्यान्वयन : प्रभावी बचाव व बचाव के बाद की रणनीति, की समीक्षा के लिए 27 और 28 फरवरी 2004 को मुम्बई में दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य थे – (i) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (आई.टी.पी.ए.), किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा बचाव एवं बचाव पश्चात् कार्य संबंधी अन्य विधियों के प्रावधानों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना। (ii) बचाव एवं बचाव पश्चात् कार्य के संबंध में संबंधित ऐजेंसियों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान करना। (iii) बचाव एवं बचाव पश्च कार्यो में शामिल विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं से बाहर आने के तरीकों का सुझाव देना। (iv) गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता की जांच करना और (v) देह-व्यापार में लगाई गई लड़कियों/महिलाओं के प्रभावी बचाव एवं बचाव पश्चात् कार्य के लिए एक समान नीति, पद्धति तथा योजना पर कार्य करना।

7.11 इस क्षेत्र में कार्य करने वाले दस राज्यों जिनके नाम हैं आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जहाँ पर अवैध व्यापार की समस्या प्रबल है, के न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों तथा महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया। इनके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव तथा संयुक्त सचिव भी कार्यशाला में उपस्थित थे। कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ० ए. एस. आनंद ने किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य माननीय न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी. मनोहर इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं में से एक थी। सुश्री सुधा श्रोत्रिय, निदेशक, डॉ० सविता भाखड़ी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी तथा श्री पी. एम. नायर, महिला तथा बच्चों में देह-व्यापार संबंधी अनुसंधान कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नोडल अधिकारी, कार्यशाला में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से भाग लेने वाले अन्य अधिकारी थे।

7.12 कार्यशाला उपरान्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु और सुझाव इस प्रकार थे:—

- देह-व्यापार की रोकथाम के लिए पुलिस व्यवस्था के भीतर गुमशुदा बच्चों व महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आँकड़ा आधारित (अंतः और अंतर राज्य) और तत्काल-उत्तर ढूँढने वाली प्रक्रिया तथा समन्वयकारी संरचना की आवश्यकता थी।

- केन्द्र, राज्य, जिला तथा तालुका स्तरों पर पुलिस व्यवस्था के भीतर एक विशिष्ट देह-व्यापार विरोधी संरचना की स्थापना की जानी चाहिए ताकि देह-व्यापार के विषय (जिसमें सीमापार और अंतर-राज्य देह व्यापार शामिल हैं), बचाव, व्यक्तिगत सामान की वसूली, प्रत्यावर्तन आदि के साथ पुलिस व्यवस्था की संरचना में औषधियों के अवैध व्यापार, पुरातत्वव शेषों की तस्करी, वन्य-जीव शिकार, आदि पर विचार किया जा सके।
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के खण्डों - 3, 4, 6, 7, 8, 13, (3) (बी), 14 (ii), 17 (5), 18, 20, 22-ए और 22-एए पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता थी - क्योंकि इनके कार्यान्वयन में कमी थी।
- आई.टी.पी.ए. से संबंधित राज्य नियमों में सुधार/संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि ये तभी से अस्तित्व में हैं जब पहली बार 1956 में अधिनियम पास हुआ था।
- तालुक और जिला स्तरों पर पर्याप्त संख्या में अल्पकालीन निवास गृह/संरक्षण गृह/आश्रय गृह प्रदान करने की आवश्यकता थी जहाँ कोई भी महिला जिसे नैतिक रूप से खतरा हो, इन गृहों में सुरक्षित एवं सुनिश्चित आश्रय के लिए जा सकती थी।
- सरकार को पुलिस स्टेशनों, न्यायालयों और पुनर्वास गृहों में परामर्श, सूचना और मार्गदर्शन तथा पुनर्वास के उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना चाहिए।
- जिला स्तर पर बचाव एवं पुनर्वास की प्रक्रिया को सहायता एवं मॉनीटर करने के लिए अन्तर-विभागीय समन्वय संरचना की व्यवस्था होनी चाहिए तथा केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर अवैध व्यापार की मॉनीटरिंग, आई.टी.पी.ए. कार्यान्वयन में बाधा और अन्य प्रावधान, बचाव, पीड़ितों का पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण परामर्शी निकायों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- केन्द्र एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों को पुलिस कर्मियों, न्यायपालिका तथा महिला एवं बाल कल्याण विभागों के सुग्राहीकरण, ज्ञान का प्रचार करने तथा आधार-स्तर पर प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसके पीछे उन कर्मियों का विकास करना, जिन्हें उचित विधिक संरचना की जानकारी है जो बचाव, पुनर्वास तथा पुनः एकीकरण से संबंधित विषयों के बारे में जानते हैं, का उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्र-आधारित संगठन की सहायता ले सकते हैं।
- वेश्यावृत्ति का वैधीकरण एक महिला-विरोधी और पुनर्वास-विरोधी उपाय हो सकता है, जिससे इस प्रकार के कार्य में लगाए व्यक्तियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।

- राज्यों में अवैध व्यापार प्रवण क्षेत्रों एवं जिलों को दो उद्देश्यों, जन जागरूकता एवं जनता के व्यवहार्य आर्थिक-उत्पादन विकल्पों, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विभिन्न सरकारी कल्याण सेवाओं एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए गरीबी-विरोधी योजनाओं के रूप में लिया जाना चाहिए।
- पुलिस को बचाव कार्य की योजना संस्थागत प्राधिकारियों के सहयोग से तैयार करनी चाहिए महिलाओं तथा बच्चों के लिए यह मानवीयता एवं पुनर्वासमुखी होनी चाहिए।
- समाज में सफलतापूर्वक पुनः एकीकरण के लिए वैश्यावृत्ति से बचाई गई प्रत्येक महिला को एक वैकल्पिक जीविका स्रोत की आवश्यकता है, जो पुनः प्रभावी कौशल एवं प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। अतः सरकारी संस्थाओं में महिलाओं को सिखाए जाने वाले परंपरागत कौशलों की प्रभावशीलता को बदलते हुए आर्थिक दृश्य-विधान को ध्यान के रखते हुए पुनः परीक्षण की आवश्यकता है। सरकारी आश्रय गृहों को, महिलाओं एवं लड़कियों को बाहर से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गतिशीलता की सुविधा को भी खुला रखना चाहिए।
- पुनः अवैध व्यापार के निवारण की दिशा में वापस लौटाई गई महिलाओं और बच्चों के लिए उचित अनुवर्ती तरीकों की स्थापना की आवश्यकता थी।

(4) महिलाओं तथा बच्चों के देह-व्यापार को रोकने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका।

7.13 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की एशिया प्रशांत देशीय फोरम संबंधी विधिशास्त्री परामर्शी परिषद् (ए.सी.जे.) ने नई दिल्ली में 11 और 12 नवम्बर 2002 को अपनी सातवीं वार्षिक बैठक में, महिलाओं तथा बच्चों में देह-व्यापार निवारण में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया और अपनी अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

7.14 ए.सी.जे. द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में देह-व्यापार के विषय पर परिषद् की सिफारिशों का उल्लेख है (अनुलग्नक...)। इसके बाद आयोग ने 3.9.2003 को हुई अपनी बैठक में परिषद की अपनी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को अपनाया। आयोग यह भी चाहता है कि इस रिपोर्ट को उचित कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग (नोडल मंत्रालय) और गृह मंत्रालय को भेजा जाए। तदनुसार रिपोर्ट संबद्ध मंत्रालयों को इस आग्रह के साथ भेजी गई कि सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को दी जाए।

(5) यौन पर्यटन और देह-व्यापार निवारण

7.15 आयोग ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि उसने 12 जनवरी 2003 को मुम्बई में संयुक्त राष्ट्र महिला विकास फंड (यू.एन.आई.एफ.ई.एम.) और मुम्बई स्थित एक गैर सरकारी संगठन महिला सामाजिक शिक्षा संस्था के सहयोग से यौन पर्यटन एवं देह-व्यापार निवारण संबंधी एक-दिवसीय संवेदनशीलन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह भी उल्लेख किया गया था कि आयोग ने संवेदनशीलन कार्यक्रम के दौरान तैयार की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उसकी इच्छा है कि उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। तदनुसार आयोग ने इन सिफारिशों को सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के पर्यटन सचिवों तथा महिला कल्याण के प्रभारी सचिवों को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भिजवाने का आग्रह किया है। आयोग को अभी तक केन्द्र/राज्य सरकारों से की गई कार्रवाई की रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

7.16 नीति निर्माताओं, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा होटल एवं पर्यटन उद्योग के अधिकारियों को सुग्राहीकृत करने की दिशा में आयोग ने यौन पर्यटन पर कम से कम दो और सुग्राहीकरण कार्यशालाएं, एक पूर्वी में और दूसरी दक्षिणी में आयोजित करना प्रस्तावित किया है।

(ख) कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की रोकथाम

7.17 वर्ष 2002-03 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने यौन-उत्पीड़न से मुकाबला करने में उसके द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत उल्लेख किया था। समीक्षाधीन वर्ष में भी कार्य-स्थल पर यौन-उत्पीड़न से मुकाबला करने में आयोग के निरंतर प्रयासों को देखा जा सकता है। डॉ० न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद की अध्यक्षता के अंतर्गत 1 मई 2003 को, शिकायत समिति की वास्तविक भूमिका और सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों 1965 में और विशेषतः नियम 14 (2) में संशोधन में क्या कोई विधिक या अन्य बाधा है? पर विचार करने के लिए एक बैठक संपन्न हुई थी। इस पर कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की शिकायतों संबंधी कार्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए दो बार परीक्षण किया गया – एक बार शिकायत समिति द्वारा तथा दोबारा अनुशासन समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि –

- कार्य-स्थल में महिलाओं के यौन-उत्पीड़न से संबंधित सभी शिकायतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए ताकि दोषी अधिकारी के विरुद्ध स्पष्ट एवं तत्काल जाँच प्रारंभ की जा सके।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा जारी "कार्यस्थलों में महिलाओं के यौन-उत्पीड़न निवारण के लिए बनाई गई शिकायत समिति की रिपोर्ट – अनुवर्ती कार्रवाई" संबंधी कार्यालय

ज्ञापन संख्या 11013112001.स्थापना (ए) दिनांक 12 दिसम्बर, 2002 (अनुलग्नक 1) को विधिक रूप प्रदान करने की दिशा में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाए।

- उन मामलों में जहाँ शिकायत समिति की अध्यक्षता उस अधिकारी द्वारा की जाती है तो उस अधिकारी से निचले स्तर का है जिसके विरुद्ध शिकायत है, तब इस प्रकार के मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो उस विशिष्ट मामले के लिए समिति का अध्यक्ष होगा।
- उपरोक्त के अनुसरण में सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) के नियम 14 (2) में संशोधन करने के लिए प्राथमिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि एक स्पष्टीकरण को शामिल किया जा सके कि यौन-उत्पीड़न से संबंधित मामलों में शिकायत समिति को जाँच प्राधिकारी माना जाएगा।
- तदनुसार परिभाषा (व्याख्या) खण्ड में भी अनुवर्ती संशोधन किए जाएंगे अर्थात् कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामलों में नियम 14 (2) के अर्थ के अंतर्गत शिकायत समिति एक प्राधिकारी होगी।
- शिकायत समिति को और अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए ताकि वे कर्ता के व्यवहार को सुग्राहीकृत/परिवर्तन करने में पहल कर सकें।

7.18 2003 को हुई बैठक की कार्रवाइयों के अनुपालन में डी.ओ.पी.टी. ने आयोग के प्रस्ताव पर विधि कार्य विभाग से परामर्श किया कि शिकायत समिति की खोजों को एक विधिक आधार प्रदान करने के लिए सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम 1965 के नियम 14 (2) में संशोधन किया जाए। तत्पश्चात कथित मामले में इसने अपनी राय विधि कार्य विभाग को भिजवाई।

7.19 चूँकि विधि कार्य विभाग का मत, पूर्व में हुए विचार-विमर्श के अनुरूप नहीं था अतः डी. ओ. पी. टी. ने 1.5.2003 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के साथ ही विधि कार्य विभाग की राय पर विचार करने के लिए पुनः आग्रह किया जिससे कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित कार्य की पुनरावृत्ति से बचने को दो बार परीक्षण किया गया – एक बार शिकायत समिति द्वारा तथा दोबारा सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के अन्तर्गत जाँच समिति द्वारा।

7.20 1.8.2003 को डी.ओ.पी.टी. से किए गए आयोग के आग्रह के उत्तर में उनके 10.2.2004 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य (रिट याचिका अपराध संख्या 173-177/1999) में इसी प्रकार के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार को ध्यान में रखते हुए अटार्नी जनरल की राय ली। उन्होंने विद्वान अटार्नी

जनरल की राय को प्राप्त किया था और वह विभाग में विचाराधीन थी। आयोग इस मामले को आगे जारी रखने का इरादा रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 26.4.2004 को रिट याचिका (अप0) संख्या 173-177/1999 मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत सरकार में अब यह कहा है कि शिकायत समिति विशाखा मामले के समान ही केन्द्रीय लोक सेवाएं (आचार) नियम 1964 के उद्देश्यों के लिए एक जाँच प्राधिकरण होगी और इसकी रिपोर्ट को इन नियमों के अन्तर्गत जाँच रिपोर्ट माना जाएगा।

7.21 आयोग के अनुरोध पर, आयोग द्वारा स्थापित गैर सरकारी संगठनों संबंधी कोर ग्रुप के एक सदस्य एक्शन एड इण्डिया ने स्वेच्छा से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में 13.8.1997 के उनके निर्णय में जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन का सर्वेक्षण किया। गैर सरकारी संगठन ने नौ राज्यों लगभग 850 सरकारी कार्यालयों, राज्य एवं जिला स्तर के अंतर्गत विभागों, निदेशालयों तथा जैसे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में सर्वेक्षण किया।

7.22 सर्वेक्षण मुख्यतः इन बातों को जानने के लिए किया गया :-

(क) राज्य एवं जिला स्तर के विभागों को सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की सूचना देना

उपरोक्त 8 राज्यों (महाराष्ट्र के अलावा) में, कुल मिलाकर 848 विभागों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण यह बताता है कि इन 848 विभागों में से केवल 444 (53%) विभागों को ही सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के विषय में सूचना प्राप्त हुई। शेष 404 (47%) विभागों को यह सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) राज्य एवं जिला विभागों में यौन-उत्पीड़न शिकायत समिति की स्थापना

848 विभागों में से केवल 281 (33%) विभागों ने ही शिकायत समिति की स्थापना की है जबकि 545 (64%) विभागों ने इस समिति की स्थापना नहीं की है। शेष 3: ने यह सूचित किया है कि वे शिकायत समिति की स्थापना की प्रक्रिया में लगे हैं।

(ग) यौन-उत्पीड़न विरोधी नीति का प्रतिपादन

इस उद्देश्य के लिए कुल 780 कार्यालयों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से केवल 100 (13%) विभागों ने नीति प्रतिपादित की है और 678 (87%) विभागों को किसी नीति के प्रतिपादन की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। इस नीति प्रतिपादन की प्रक्रिया में शेष दो विभाग कार्यरत हैं।

(घ) नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन

दिशानिर्देशों के अनुसार आचार एवं अनुशासन से संबंधित सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र निकायों

के नियमों/विनियमों में यौन-उत्पीड़न की रोकथाम करने वाले नियमों/विनियमों को अवश्य शामिल करना चाहिए तथा इस प्रकार के नियमों में दोषियों को उचित दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण किए गए 541 विभागों में से केवल 28 (5%) ने ही नियमों एवं विनियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं, जबकि 505 (93%) विभाग पुराने सेवा नियमों का अनुसरण कर रहे हैं। शेष आठ विभाग अपने सेवा नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में लगे हैं।

(च) सुधार तंत्र की संरचना एवं प्रकृति

सर्वेक्षण किए गए 794 विभागों में से केवल 302 (38%) ने ही शिकायत सुधार तंत्र की स्थापना की है। 475 (60%) विभागों ने इसकी स्थापना नहीं की है। शेष 17 विभाग शिकायत सुधार तंत्र की स्थापना संबंधी प्रक्रिया में कार्यरत हैं।

7.23 सर्वेक्षण रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि मसौदा रिपोर्ट केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को उनके उत्तर के लिए, इसके प्रकाशन से पहले भेज दी जाए। तदनुसार सभी संबंधितों को रिपोर्ट भेज दी गई थी। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। आयोग को आशा है कि एक्शन एड के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों पर उनके द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

(ग) रेलों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न

7.24 रेलों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न आयोग के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने कुछ सिफारिशों को सूचीबद्ध किया था कि इसे रेलवे बोर्ड के साथ-साथ इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बनाया गया है।

7.25 आयोग ने रेलवे बोर्ड द्वारा सूचित प्रगति पर विचार किया है। रेलवे बोर्ड से आगे प्राप्त सूचना में यह उल्लेख था कि हिन्दी, अंग्रेज़ी तथा क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तेलुगु, मराठी, कन्नड, मलयालम और तमिल में एफ.आर.आई. फॉर्म अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए थे। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एफ.आई.आर. फॉर्मों का प्रकाशन प्रक्रियाधीन था।

7.26 जहाँ तक डिब्बों में लेखाचित्रों के चित्रण तथा रेलों में यौन-उत्पीड़न निवारण से संबंधित प्रचार सामग्री की संरचना का संबंध है, दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन, 'जागोरी' से आवश्यक सामग्री को तैयार करने का आग्रह किया गया था। तथापि जागोरी से सामग्री प्राप्त करना अभी शेष है।

7.27 जहाँ तक यातायात एवं सुरक्षा विभाग के परिवीक्षार्थियों के प्रशिक्षण का संबंध है, ग्रुप ए और बी फाउंडेशन कोर्स तथा उन्नत प्रबंध कार्यक्रम में लिंग सुग्राहीकरण संबंधी दो घण्टे का सत्र

मापांक के रेलवे स्टॉफ कॉलेज में संस्थापित किया है। आयोग ने चिंता के साथ नोट किया है कि देश में विभिन्न स्थानों पर रेलों द्वारा जाने वाली हज़ारों महिला यात्रियों को राहत एवं एक सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए, उसके द्वारा तैयार की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों का कार्यान्वयन अभी रेल मंत्रालय द्वारा किया जाना शेष है। वास्तव में इन पहलों को किंचित मंत्रालय द्वारा स्वयं ही लिया जाना चाहिए। आयोग का अपने निर्देशों के अनुपालन की निरंतर मॉनीटरिंग करने का विचार है।

(घ) वृन्दावन में निस्सहाय महिलाओं का पुनर्वास

7.28 वर्ष 2002-03 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने उल्लेख किया था कि आयोग वृन्दावन क्षेत्र में रहने वाली निस्सहाय एवं उपेक्षित महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं के स्तर को सुधारने तथा उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है। उस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि आयोग ने दो बैठकें 23.8.01 और 3.10.02 को आयोजित की थीं जिनमें इन महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय तथा सुझाव लिए गए थे।

7.29 इन दो बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने की दिशा में एक अन्य बैठक वृन्दावन में 4 जुलाई 2003 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी. मनोहर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग (डी.डब्ल्यू.सी.डी.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य द्वारा जारी निर्देशों की, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ नीचे नाम लेकर बताया गया है : -

(क) आवास/आश्रय

7.30 उत्तर प्रदेश सरकार के संबद्ध अधिकारियों को, विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके पानी घाट में आश्रय गृह के निर्माण के लिए चुनी गई जगह की अनुकूलता का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। माननीय सदस्य ने आगे निर्देश दिये थे कि यदि आश्रय गृह के निर्माण के लिए वर्तमान जगह अनुपयुक्त लगती है तो नई जगह का चुनाव किया जाए तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले जगह की उपयुक्तता के विषय में डी.डब्ल्यू.सी.डी. स्वयं को इससे संतुष्ट कर ले। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि निर्माण योजना में एक बैंक, एक उचित मूल्य की दुकान, एक सामुदायिक सभागार, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, एक जन स्वास्थ्य केन्द्र, एक दुकान समूह और एक पार्क की व्यवस्था को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे महिलाएँ जो अन्ततः

इस भवन में रहने आती हैं, उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संशोधित भवन योजना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अवश्य दिखाई जाए। प्रस्तावित आश्रय गृह के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की गई थी कि क्या यह संभव है कि स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को इसमें शामिल किया जाए?

7.31 उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचना दी थी कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने पानी घाट में निर्माण कार्य को रोक दिया है, इसके लिए उन्हें लगता है कि निर्माण कार्य के लिए यह स्थान अनुपयुक्त है क्योंकि उसे प्राधिकरण की महायोजना के अंतर्गत 'बाढ़-प्रवण क्षेत्र' अंकित किया गया था। वर्तमान में वृन्दावन में नए स्थान की खोज का कार्य चल रहा है। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के शामिल होने के संबंध में यह सूचित किया गया था कि उनके सुझावों में से किसी को भी कार्रवाई में रूपान्तरित नहीं किया गया है।

(ख) पेन्शन

7.32 यह निर्देश दिया गया था कि वृन्दावन में रहने वाली सभी निस्सहाय /उपेक्षित महिलाओं के लिए पेन्शन के प्रावधान को यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7.33 आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि कौशलजी महाराज ट्रस्ट को रुपये 1.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी और ट्रस्ट उस राशि के ब्याज से विधवाओं को पेन्शन का भुगतान कर रहा था। चूंकि पेन्शन के वितरण के संबंध में पारदर्शिता की कमी के विषय में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, राज्य सरकार ने ट्रस्ट से इस राशि से पेन्शन पाने वाले लाभधारियों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा ताकि पेन्शन वितरण में समूचे सुधार के लिए एक नीति सोच निकाली जाए। अभी तक उन सभी महिलाओं को जो नियमित पेन्शन प्राप्त नहीं कर रही हैं, उन्हें अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। जहाँ तक पेंशन का रुपये 125/- से रुपये 250/- तक बढ़ाने का संबंध है, राज्य सरकार को अभी निर्णय लेना शेष है।

7.34 चूंकि वृन्दावन में रहने वाली अधिकांश निस्सहाय महिलाएँ पश्चिम बंगाल से हैं, आयोग ने उनके लिए पेंशन के विषय को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी उठाया है। इस संबंध में आयोग को सूचना दी गई थी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वृन्दावन में रहने वाली महिलाओं की देख-रेख के लिए एक 'ट्रस्ट' में केन्द्र सरकार, उत्तर-प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ इसके अध्यक्ष के रूप में मथुरा के ज़िला मजिस्ट्रेट होंगे। भारत सरकार एवं दो राज्य सरकारों से अनुदान द्वारा इस राशि के लिए एक समूह तैयार किया जा सकता था। तदनुसार ट्रस्ट की स्थापना के लिए रूपात्मकता पर कार्य करने के लिए जून 2003 में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट मथुरा, महिला

एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। आयोग को इस ट्रस्ट की स्थापना एवं इससे संबंधित विषयों के संबंध में आगे की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) स्वास्थ्य देखरेख

7.35 वृन्दावन में सभी निस्सहाय/उपेक्षित महिलाओं के लिए नियमित नेत्र शिविरों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया था।

7.36 आयोग को सूचित किया गया था कि निस्सहाय/उपेक्षित महिलाओं की चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए पहले ही एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भेजे गए एक दल ने आश्रय गृह से पन्द्रह महिलाओं की पहचान की जिनका वृन्दावन के रामकृष्ण अस्पताल में ऑपरेशन किया जाना था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महीने की 7 और 12 तारीख को नियमित चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते थे। इन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा एक प्रस्ताव भी प्राप्त किया गया था, जिस पर विचार किया जाना था।

(घ) एल.पी.जी. कनैक्शन तथा पंखे

7.37 राज्य सरकार को पागल बाबा आश्रम ट्रस्ट संपत्ति में और अधिक एल.पी.जी. कनैक्शन तथा पंखे प्रदान करने के निर्देश दिये गए थे।

7.38 यह सूचना दी गई थी कि 10 गैस चूल्हे और 25 गैस सिलेंडर खरीदे गए थे। ये महिलाओं को समूह में, जिसमें प्रत्येक समूह में पाँच महिलाएं हों, खाना पकाने के लिए दिये गए थे। पंखे भी उन सभी कमरों में लगा दिए गए थे, जिनमें पंखे नहीं थे।

(च) जागरूकता उत्पत्ति

7.39 वृन्दावन में उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा इन महिलाओं के पुनर्वास के लिए चलाए जाने वाली गतिविधियों के विषय में तथा राज्य सरकार द्वारा दाह संस्कार राशि के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता थी।

7.40 राज्य सरकार ने इस पहलू के संबंध में किसी कार्रवाई की सूचना अभी तक नहीं दी है।

(छ) वृन्दावन में निस्सहाय/उपेक्षित महिलाओं का सर्वेक्षण

7.41 वृन्दावन में रहने वाली निस्सहाय/उपेक्षित महिलाओं के वास्तविक लक्षित समूह को जानने की दिशा में और उनकी आवास, भोजन, पेंशन, कपड़ा आदि से संबंधित आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया था कि वे शीघ्र सर्वेक्षण करवाए और सभी निस्साहय/उपेक्षित महिलाओं की कम्प्यूटरीकृत सूची तैयार करें तथा उसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भिजवाएं। इसके अलावा राज्य सरकार से उपयुक्त स्थान पर विद्यमान संपत्ति का मूल्यांकन करवाने के लिए कहा गया था, जिसे इन महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए किराये पर लेने के लिए बातचीत की जा सकती है।

7.42 आयोग इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई प्रगति का अनुवर्तन करने का विचार रखता है।

(च) जनसंख्या नीति – विकास एवं मानव अधिकार

7.43 अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने यह सूचना दी थी कि उसने परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन पॉप्युलेशन फंड के सहयोग से नई दिल्ली में 9 और 10 जनवरी 2003 को जनसंख्या नीति विकास एवं मानव अधिकार संबंधी एक संवाद का आयोजन किया था। यह भी सूचना दी गई थी कि संवाद में तैयार सिफारिशें तथा अपनाई गई घोषणाएं सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को अनुपालन के लिए भेज दी गई हैं।

7.44 आयोग को गोवा, कर्नाटक, सिक्किम की राज्य सरकारों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों और चण्डीगढ़ की केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। इन सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने आयोग को आश्वासन दिया है कि वे अपने राज्य की जनसंख्या नीति बनाते समय, संवाद से उभरकर आई सिफारिशों पर विचार करेंगे। गुजरात की राज्य सरकार, जिसकी अपनी जनसंख्या नीति है, ने बताया कि उनकी नीति मानव विकास के संपोषण माध्यम से जनसंख्या को स्थिर करने और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के साथ सामंजस्य करने पर लक्षित है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार, जिसकी भी अपनी जनसंख्या नीति है, ने आयोग को सूचना दी कि उनकी राज्य जनसंख्या नीति में प्रोत्साहन और प्रोत्साहहीनता हैं ताकि परिवार का आकार सीमित रखा जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन एवं प्रोत्साहहीनता को मानव अधिकार उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे आयोग द्वारा उचित परीक्षण की आवश्यकता है।

7.45 आयोग द्वारा नियमित अनुवर्तन के बावजूद अभी तक निम्नांकित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने उत्तर नहीं दिया है – आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरि। आयोग इन राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के साथ निरंतर इस विषय को जारी रख रहा है।

7.46 बिहार, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरांचल तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों ने आयोग को सूचित किया था कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं, परंतु उनकी अन्तिम रिपोर्टों की अभी प्रतीक्षा है। आयोग को आशा है कि समाज के कमजोर वर्ग के अधिकारों को वहन करने वाले इस महत्वपूर्ण विषय पर उसके द्वारा तैयार सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारें अपनी रिपोर्टें शीघ्र पूरी करके आयोग को भेज देंगे।

7.47 आयोग ने यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से इस विषय पर पोस्टर एवं ब्रोशर्स भी तैयार किए हैं। आयोग की इन पोस्टरों एवं ब्रोशर्स को पूरे देश में वितरित करने की आशा है ताकि मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य से सामंजस्य विकसित करने, जिस पर जनसंख्या तथा विकास के बीच एक संतुलन बनता है, संबंधी जागरूकता को फैलाया जा सके।

7.48 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 (रिट याचिका संख्या 302 जावेद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य) संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जे.टी. 2003 (6) SC283) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने के लिए दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों की अयोग्यता के लिए सांविधिक वैधता के प्रावधान को कायम रखा है। जनसंख्या नीति-विकास एवं मानव अधिकार पर दो-दिवसीय संवाद में तैयार की गई सिफारिशों के प्रकाश में, इस निर्णय का अध्ययन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा इसके लागू होने के साथ-साथ केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनसंख्या नीतियों की संरचना खासतौर पर कमजोर वर्गों, विशेषतः महिलाओं के अधिकारों पर इसके प्रभाव के दृष्टिकोण से किया गया।

सुभेद्य वर्ग के अधिकार

(क) बंधुआ श्रमिक उन्मूलन

(1) प्रस्तावना

8.1 आयोग, बंधुआ श्रमिक व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के कार्यान्वयन को निरंतर मॉनीटर कर रहा है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 3922, 1985 के विषय में 11 नवम्बर 1997 को अपने आदेश में निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने आयोग की सिफारिशों का विधि की शक्ति के साथ कार्यान्वयन करने में प्रभाव डाला।

8.2 न्यायालय मित्र (एमिकस क्यूरी), श्री ए. के. गांगुली द्वारा तैयार कुछ सुझावों के अनुपालन में आयोग ने शीर्ष न्यायालय को श्रम मंत्रालय द्वारा बंधुआ श्रमिक प्रवण राज्यों की पहचान किए गए कुछ राज्यों, उनके राज्य में बंधुआ श्रमिक स्थिति के विषय में सूचना देने के आयोग के निर्देशों के संबंध में, असंतोषजनक उत्तर के विषय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आयोग ने (1) 31.12.2001 तक की बंधुआ श्रमिक पहचान एवं पुनर्वास पर स्थिति रिपोर्ट। (2) निर्धारित प्रपत्र में 1.1.02 से आगे तक बंधुआ श्रमिकों की पहचान व पुनर्वास का तिमाही विवरण मांगा। इसके अतिरिक्त आयोग ने अपनी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई रिपोर्ट में यह संकेत दिया था कि बंधुआ श्रमिक प्रवण कुछ राज्य नियमित रूप से यह दावा कर रहे हैं कि उनके राज्य में यह समस्या विद्यमान नहीं है।

8.3 बंधुआ श्रमिक मामलों में शिथिलता/अभियोजन/कैद में निर्दयता के प्रति आयोग ने विशेषतौर पर चिंता व्यक्त की है। पिछले वर्षों में कुछ राज्यों में बहुत ही कम मामलों में दोषियों का अभियोजन दर्ज हुआ है। परन्तु कई दोषसिद्धियाँ अभी तक नगण्य हैं। आयोग ने अतः न्यायालय मित्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से कुछ विशिष्ट निर्देश मंगवाए हैं। इनमें अधिनियम के अनुसार सतर्कता समितियों की स्थापना; बंधुआ श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत अधिशासी मजिस्ट्रेटों को अपराधों के

परीक्षण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान करने के लिए राज्यों से निवेदन छोड़ा गए बंधुआ श्रमिकों का तत्काल पुनर्वास जिसमें विस्थापित बंधुआ श्रमिक शामिल हैं तथा राज्यों को निर्धारित प्रपत्र में बंधुआ श्रमिक स्थिति के विषय में आयोग को नियमित सूचना देने के निर्देश देना, शामिल हैं।

8.4 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जुलाई 2003 को ग्यारह राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, झारखण्ड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरांचल तथा केरल को निर्धारित प्रपत्र में 1.1.2002 से आगे तक की नियमित स्थिति रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश जारी किये। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में अधिकतर राज्यों ने अपेक्षित रिपोर्टों को भेजना प्रारंभ कर दिया है। अभी भी कुछ राज्य जैसे असम तथा जम्मू व कश्मीर ऐसे हैं जहाँ से रिपोर्ट नहीं आई हैं। इस अवधि के दौरान बंधुआ श्रमिक की पहचान के बहुत ही कम नए मामलों की सूचना मिली है। अधिकतर राज्यों ने इस संबंध में शून्य रिपोर्टें भेजी हैं। अतः स्पेशल रैपर्टियर के दौरों की रिपोर्टों, गैर सरकारी संगठनों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर आयोग के ध्यान में लाई गई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विश्वास करना कठिन है।

(2) बंधुआ श्रमिक संबंधी कार्यशालाएँ

8.5 आयोग द्वारा 22 सितम्बर 2000 को स्थापित बंधुआ श्रमिक संबंधी विशेषज्ञ दल ने 31 दिसम्बर 2001 की अपनी रिपोर्ट में बंधुआ श्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन में सम्मिलित जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के सुग्राहीकरण तथा शिक्षा के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान राज्य श्रम विभागों के सहयोग से इस प्रकार की चार कार्यशालाएं बैंगलौर, इलाहाबाद, चण्डीगढ़ तथा पटना में आयोजित की गई।

8.6 श्री के. आर. वेणुगोपाल, स्पेशल रैपर्टियर बैंगलौर में कार्यशाला आयोजित करने में सहायक थे। श्री चमन लाल, स्पेशल रैपर्टियर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निदेशक की सहायता से इलाहाबाद, चण्डीगढ़ तथा पटना में कार्यशालाएं आयोजित करने में शामिल हुए थे। श्री मनोहर लाल, महानिदेशक (कल्याण) भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने श्री राज पाल, निदेशक, जिन्होंने पटना में कार्यशाला में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था, के साथ इलाहाबाद तथा चण्डीगढ़ में कार्यशालाओं में सक्रिय भाग लिया।

8.7 बैंगलौर में 9-10 अक्टूबर 2003 को क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे उपायुक्तों, जिला पंचायत के प्रधानों तथा अन्य कार्यकर्ताओं, श्रम विभाग के अधिकारियों, पुलिस विभाग, गैर सरकारी संगठनों तथा बैंकिंग क्षेत्र के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के

अध्यक्ष डॉ० न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। गृह राज्य मंत्री श्री एम. मल्लिकार्जुन खरगे ने कार्यक्रम का संचालन किया। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री एन. चन्द्रमौली तथा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बँगलोर के निदेशक डॉ० ए. जयगोविन्द ने भी कार्यशाला में भाग लिया। भाग लेने वालों में वे लोग, जिनकी बंधुआ श्रमिक तथा बाल श्रमिक के कार्यों में सुसंगत भूमिका रही है जैसे आर. बी. आई के क्षेत्रीय निदेशक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक तथा मुख्य महाप्रबंधक, एन.ए.बी.ए.आर.डी. भी शामिल थे। कार्यशाला से उत्पन्न निर्णयों तथा कार्रवाई बिन्दुओं को कर्नाटक सरकार, केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के साथ-साथ सहभागियों को भी सूचित कर दिया गया था। इन्हें आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों को भी कार्यान्वयन तथा प्रसार के लिए भिजवा दिया गया था। अनुवर्ती कार्रवाई की मॉनीटरिंग श्री के. आर. वेणुगोपाल द्वारा की जाएगी।

8.8 इलाहाबाद में 11.11.03 को आयोजित कार्यशाला में जिला प्रशासन, पुलिस, श्रम, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 38 अधिकारी उपस्थित थे। बिहार तथा झारखण्ड के श्रमायुक्तों को अन्तर-राज्यीय समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यशाला में विशेषतौर पर आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ० ए. एस. आनंद ने किया जबकि श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्रम एवं रोजगार मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। राज्य में मुक्त किए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के काफी लंबित मामलों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना बनाने में कार्यशाला लाभप्रद सिद्ध हुई है। इसी प्रकार की एक कार्यशाला चण्डीगढ़ में 20 नवम्बर 2003 को आयोजित की गई जिसमें 5 उपायुक्तों, 12 पुलिस अधीक्षकों और 8 अतिरिक्त आयुक्तों जैसे 61 अधिकारियों ने भाग लिया। श्रमिकों के अधिकारों तथा सामाजिक विषयों के क्षेत्र में कार्यरत कई गैर सरकारी संगठनों को भी आमंत्रित किया गया था। चौधरी जगजीत सिंह, श्रम एवं रोजगार मंत्री, पंजाब सरकार ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ० ए. एस. आनंद ने उद्घाटन भाषण में इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए बंधुआ श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत संसद द्वारा दी गई विशिष्ट शक्तियों के प्रति उनके दायित्वों एवं विश्वास के लिए उपायुक्तों को प्रोत्साहन दिया। कार्यशाला ने बंधुआ श्रमिक अधिनियम के व्याख्यात्मक पहलुओं के जिला अधिकारियों के लाभ के लिए स्पष्ट करने तथा इस संबंध में उनकी कुछ आशंकाओं को मिटाने में सहायता की। बंधुआ श्रमिक उन्मूलन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को भी विशेषतौर पर विचार-विमर्शों में चित्रित किया गया।

8.9 9.1.2004 को पटना में हुई कार्यशाला में 31 अधिकारी उपस्थित थे जिसमें 4 जिला मजिस्ट्रेट, 5 उप विकास आयुक्त तथा 13 जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी थे। उप श्रम आयुक्त वाराणसी तथा सहायक श्रम आयुक्त, इलाहाबाद को इस कार्यशाला में अन्तर-राज्यीय समस्याओं पर विचार-विमर्श

के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। प्रवासी बंधुआ श्रमिकों की समस्याओं की पहचान करने में, जिनकी दुर्दशा की ओर सरकार एवं प्रशासन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, यह कार्यशाला लाभप्रद सिद्ध हुई थी। मुक्त किए गए श्रमिकों के पुनर्वास में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के प्रभाव के अध्ययन की आवश्यकता को भी विशिष्टता दी गई थी।

(3) बंधुआ श्रमिक संबंधी नियमावली

8.10 फरवरी 2002 में विभिन्न राज्यों के श्रम सचिवों/श्रम आयुक्तों के साथ हुए परामर्श के, जिसमें आयोग का प्रतिनिधित्व इसके स्पेशल रैपर्टियर द्वारा किया गया था, अनुवर्तन के रूप में उनके द्वारा तैयार बंधुआ श्रमिक संबंधी प्रारूप नियमावली पर श्रम मंत्रालय ने आयोग की टिप्पणियों/सुझावों को मंगवाया। आयोग ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के पश्चात् बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी टिप्पणियाँ तथा सुझाव भेजे।

(4) राज्यों में प्रयास

8.11 बंधुआ श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत पर जाँच करने के अलावा आयोग सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बंधुआ श्रमिक-प्रवृण क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए विभिन्न राज्यों में बंधुआ श्रमिक स्थिति की समीक्षा कर रहा था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल रैपर्टियर श्री के. आर. वेणुगोपाल ने बंधुआ श्रमिक उन्मूलन संबंधी विधि के कार्यान्वयन की प्रगति तथा राज्य प्रशासन को सक्रिय तथा सुग्राहीकृत बनाने की समीक्षा करने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश के कई दौरे किए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान स्पेशल रैपर्टियर श्री चमन लाल ने उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड में बंधुआ श्रमिक स्थिति की व्यापक समीक्षाएं की। उनकी रिपोर्टों पर आयोग द्वारा विचार किया गया तथा संबंधित राज्य सरकारों को उचित निर्देशों के साथ भेजा गया। इन समीक्षाओं की रिपोर्टों से उभरकर आए विशिष्ट बिन्दुओं को नीचे राज्य-वार दिया गया है :

4 (i) उड़ीसा (17 अप्रैल, 2003)

8.12 उड़ीसा के सभी 30 जिलों को बंधुआ श्रमिक प्रवृण क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। सभी 30 जिलों तथा 58 उप-मंडलीय मुख्यालयों में सतर्कता समितियों की स्थापना की गई थी। तथापि आयोग के निर्देशों, कि ये समितियाँ तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य मिलें, को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

8.13 न्यायमूर्ति डॉ० के. रामास्वामी द्वारा 29 जनवरी 2002 को की गई अंतिम समीक्षा में जिला मलकानगिरी में पुनर्वास के लिए 57 लम्बित मामलों की पहचान की गई जबकि उनकी तत्काल और उनके शीघ्र निर्णय का आश्वासन प्राप्त हो गया। पंचायती राज के सचिव की रिपोर्ट के अनुसार इन 57 में से 39 मुक्त बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था। मृत्यु के कारण (9), प्रवासी स्थिति/ठीक-ठाक पता न होने के कारण (8) तथा सरकारी नौकरी में नियुक्त होने के कारण (1) मामले यानी कुल 18 मामलों को वापस ले लिया गया था। इसके साथ अंतिम समीक्षा में दिए गए तथा 2001-02 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेखित पुनर्वास के पिछले रिकार्ड को संतोषजनक रूप से निपटा दिया गया था।

8.14 समीक्षाधीन अवधि के दौरान उड़ीसा में बंधुआ श्रमिकों की कोई पहचान नहीं की गई थी। बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए 10 जिलों में, जिनके नाम हैं – मालकानगिरि, कोरापुट, कटक, मयूरभंज, बारगढ़, फुलबनी, कालाहांडी, सुन्दरगढ़, रायगढ़ तथा कोएन्झार में संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से रूपये 20 लाख का वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के साथ नए सर्वेक्षण प्रारंभ किए गए। 5 जिलों जिनके नाम हैं – कोरापुट, मलकानगिरि, रायगढ़, कालाहांडी तथा फुलबनी में मुक्त किए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए मूल्यांकन अध्ययन किए गए। राज्य सरकार से सर्वेक्षणों एवं मूल्यांकन अध्ययनों की उपलब्धियों की प्रतीक्षा है।

4 (ii) महाराष्ट्र (6 फरवरी, 2004)

8.15 सभी 35 जिलों तथा 109 उप-मंडलीय मुख्यालयों में सतर्कता समितियों की स्थापना की गई थी। ये समितियाँ केवल 20 जिलों तथा 46 उप-मंडलीय मुख्यालयों में स्थित थीं, जब आयोग द्वारा 19 जनवरी 2002 को पिछली समीक्षा की गई थी। राज्य सरकार ने इन समितियों की नियमित बैठकों को आयोजित करने तथा इस क्रिया को समन्वित करने के लिए मण्डलीय आयुक्तों को उत्तरदायी बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को नए निर्देश जारी किए हैं।

8.16 जनवरी 1997 के सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप जिला ठाणे, महाराष्ट्र में केवल 17 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई तथा इन्हें मुक्त किया गया। इनमें से केवल 12 को 1997 में पुनर्वासित किया गया। वर्ष 1998 में राज्य में बंधुआ श्रमिकों की कोई पहचान नहीं की गई। 1999 में 3 बंधुआ श्रमिकों तथा रत्नागिरी जिले में 2000 में 33 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई। तथापि सभी 36 प्रवासी श्रमिकों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके पुनर्वास को सुनिश्चित किए बिना, वापस उनके जन्म स्थान पर भेज दिया – 3 को कर्नाटक और 33 को तमिलनाडु। ठाणे जिला में 2001 में 2 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई थी। इनके साथ 1997 के 5 लम्बित मामलों के पुनर्वास को 2001-02 में पूरा करने की सूचना दी गई थी। समीक्षाधीन अवधि में दो

बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास कर दिया गया था। इन नौ व्यक्तियों के पहचान तथा मुक्ति की तिथि व स्थान, पुनर्वासीय अनुदान का विवरण, उनकी वर्तमान स्थिति तथा यह सुनिश्चित करने कि वे वापस इस गुलामी में न चले जाएँ, के लिए उठाए गए कदमों के विषय में पूरा विवरण देने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया था।

8.17 श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने नवम्बर 2000 में सभी 16 बंधुआ श्रमिक प्रवण-राज्यों, महाराष्ट्र को सम्मिलित करके, प्रति राज्य रू0 25,000/- के अनुदान का बिना किसी बराबर के अनुदान की आवश्यकता के, जागरूकता उत्पन्न करने (रुपये 10 लाख), 5 जिलों में बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण (रुपये 10 लाख) तथा 5 जिलों में मूल्यांकन अध्ययन (रुपये 5 लाख) के उद्देश्य से, प्रस्ताव रखा। आयोग ने चिंता के साथ यह अनुभव किया है कि महाराष्ट्र में बंधुआ श्रमिकों के विद्यमान होने के विषय में रिपोर्टें प्राप्त होने के बावजूद राज्य सरकार ने समीक्षा की अवधि तक इसे उपलब्ध नहीं करवाया था।

8.18 बंधुआ श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन के विषय में आयोग को सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। विशेष सचिव, श्रम ने आश्वासन दिया था कि अभियोजन के ब्यौरे जिला मजिस्ट्रेटों से एकत्रित किए जाएंगे तथा प्रत्येक मामले की स्थिति बताते हुए पहुंचा दिए जाएंगे।

4 (iii) पंजाब (9 मार्च, 2004)

8.19 पंजाब 16 राज्यों में से एक है जिसकी केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा बंधुआ श्रमिक प्रवण-क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। यह बुरी प्रथा विशेषतः कृषि क्षेत्र में 'सिरी' नामक परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत देखी गई है, जिसे बंधुआ श्रमिक व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत विशेषतौर पर उन्मूलित घोषित कर दिया गया था। राज्य में बंधुआ श्रमिकों के विद्यमान होने वाला अन्य मुख्य क्षेत्र ईंट-भट्टा उद्योग है, जो अधिकतर बिहार एवं झारखण्ड से आए मुख्यतः प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर करता है। यद्यपि गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा पंजाब में इस बुरी प्रथा के विद्यमान होने की पुष्टि की गई है, राज्य सरकार इसके अस्तित्व को निरंतर अस्वीकार कर रही है।

8.20 सभी 17 जिलों तथा 64 उप-मंडलीय मुख्यालयों में स्थापित सतर्कता समितियाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिदेशात्मक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती हैं। तथापि ये नियमित रूप से बैठक नहीं कर रही हैं तथा उनकी ओर से राज्य में कहीं भी बंधुआ श्रमिकों की पहचान नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेटों को इन समितियों की नियमित बैठकों को सुनिश्चित करने तथा उनके अपने-अपने क्षेत्रों में बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने में पंचायतीराज संस्थानों को सम्मिलित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

8.21 समीक्षा अवधि तक पंजाब में कुल 141 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई थी। जिला जालंधर में वर्ष 1999 में 65 की पहचान की गई थी। यह सूचित करना दुःखद है कि 12.12.01 को भारत सरकार द्वारा इसके पुनर्वासीय अनुदान के अंश के रूप में दी गई रुपये 6.5 लाख की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा बराबर अनुदान देने में हुई असफलता के कारण पड़ी रही। अतः श्रम आयुक्त, पंजाब से इस बात की जानकारी मिलने में कोई आश्चर्य नहीं था कि इन 65 श्रमिकों में से केवल 21 को ही वर्तमान में ढूँढा गया है जबकि शेष के ठिकानों के विषय में कुछ पता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार दी गई टिप्पणियों की सच्चाई, कि मुक्त किए गए बंधुआ श्रमिकों के पास एक ही विकल्प होता है कि वे इस बुराई में वापस चले जाएं यदि उनका तत्काल पुनर्वास नहीं किया जाता है, को यह मामला स्पष्ट रूप से चित्रित करता है।

8.22 वर्ष 2000 में 4 बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई तथा मुक्त किया गया था। उनका पुनर्वास इस अर्थ में अपूर्ण था कि उन्हें केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 20,000/- प्रति व्यक्ति के बजाय केवल रु0 10,000/- प्रति व्यक्ति प्रदान किए गए थे। वर्ष 2001 में कपूरथला जिले में 71 बंधुआ श्रमिक मुक्त किए गए थे, परन्तु केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों पर आधारित है, उनके पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

8.23 वर्ष 2002-03 में राज्य में बंधुआ श्रमिकों की खोज का कार्य नहीं हुआ था। समीक्षाधीन अवधि (2003-04) के दौरान फिरोज़पुर में केवल एक बंधुआ श्रमिक को पहचाना तथा मुक्त किया गया था। श्रम आयुक्त, पंजाब ने 9 मार्च 2004 को सूचना दी थी कि उसके पुनर्वास के लिए केन्द्र/राज्य से अनुदान प्राप्ति की प्रत्याशा में विभाग रु0 20,000/- की राशि दे रहा है। इसकी पुष्टि की प्रतीक्षा है।

8.24 बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला तथा भटिण्डा जिलों में, भारत सरकार से इस उद्देश्य के लिए दिए गए रु0 10 लाख के अनुदान से, नए सर्वेक्षण करवाए गए थे। आयोग को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सर्वेक्षण का कार्य अम्बेडकर केन्द्र तथा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास केन्द्र जैसी एजेंसियों को दिया गया है, जो पंजाब सरकार की सरकारी घोषणा, कि राज्य बंधुआ श्रमिक की बुराई से मुक्त है, को चुनौती दे रही हैं। आयोग को आशा है कि सर्वेक्षण रिपोर्टें सच्चाई प्रस्तुत कर पाएंगी।

4 (iv) उत्तर प्रदेश

8.25 सभी 70 जिला मुख्यालयों तथा 297 उप-मंडलीय मुख्यालयों में से 290 में सतर्कता समितियों की स्थापना की जा चुकी है। यद्यपि सतर्कता समितियों की नियमित बैठकों की सूचना प्राप्त हुई

हैं, पर अपने-अपने क्षेत्रों में बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए वे प्रभावी सिद्ध नहीं हुई हैं। अभी तक की गई सभी पहचानें गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप हो पाई हैं। समीक्षा अवधि में 123 बंधुआ श्रमिकों को पहचाना तथा मुक्त किया गया था। उनमें से 58 प्रवासी श्रमिक थे जो वापस अपने जन्मस्थान चले गए थे। उनकी मुक्ति के विषय में संबद्ध जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित किया गया था तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उनका पुनर्वास करने का आग्रह किया गया था। शेष 65 का पुनर्वास उत्तर प्रदेश प्राधिकरण द्वारा किया गया था।

8.26 पिछली समीक्षा में मुक्त किए गए श्रमिकों का पुनर्वास बहुत ही धीमा तथा अपर्याप्त पाया गया था। वर्ष 2002-03 के दौरान 482 बंधुआ श्रमिक मुक्त किए गए थे, नीचे वर्ष-वार दिए गए ब्यौरों को पिछली समीक्षा की अवधि तक पुनर्वासित नहीं किया गया था :

1997-98	—	1
1998-99	—	4
1999-2000	—	245
2000-01	—	178
2001-02	—	26
2002-03	—	28

8.27 इलाहबाद में 11 नवम्बर 2003 को आयोग द्वारा आयोजित बंधुआ श्रमिक कार्यशाला में विशेष रूप से यह मामला उठाया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में विशेष रूप से इस मामले का उल्लेख किया और राज्य श्रम मंत्री से, जो वहाँ उपस्थित थे, इन लोगों के पुनर्वास को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रयासों के साथ किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के पश्चात इन 482 मुक्त किए गए श्रमिकों में से 330 का राज्य में पता लगाया गया था। चालू वर्ष के 65 मामलों को मिलाकर राज्य में कुल 395 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की आवश्यकता है। आयोग को यह जानकर संतुष्टि हुई है कि कुल 395 श्रमिकों में से 324 के लिए रु0 20,000/- प्रति श्रमिक अनुदान संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट को 31 मार्च 2004 से पहले दिया गया था। आयोग ने इस रिकार्ड कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष रूप से श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के प्रति आभार व्यक्त किया है। आयोग को यह आश्वासन दिया गया था कि शेष 61 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास 2004-05 में पूरा कर लिया जाएगा।

8.28 बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए ताज़ा सर्वेक्षण 5 जिलों में कराए गए थे जिनके नाम हैं मिर्जापुर, इलाहाबाद, कन्नौज, मेरठ तथा गौतमबुद्ध नगर तथा पुनर्वासीय योजना के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए 5 मूल्यांकन अध्ययन 5 जिलों में करवाए गए जिनके नाम हैं वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा मिर्जापुर और सोनभद्र। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में मुक्त किए जाने के बाद प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास के लिए, जो अपने जन्म स्थानों बिहार तथा झारखण्ड में वापस चले गए हैं, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए प्रयासों को जानकर भी आयोग को संतुष्टि हुई है।

4 (v) बिहार

8.29 कुल 38 जिलों में से 26 को बंधुआ श्रमिक प्रवण जिले माना गया था। इनमें पश्चिम चम्पारन, जमुई, मुंगेर, खड़गड़िया, नबादा तथा बेगुसराय प्रमुख हैं। सभी जिला मुख्यालयों में सतर्कता समितियों की स्थापना की गई थी। जहाँ तक उप-मंडलीय मुख्यालयों का संबंध है कुल 115 उप-मंडलीय मुख्यालयों में से केवल 63 में ये समितियाँ हैं। हाल के वर्षों में बिहार में बंधुआ श्रमिकों की कोई पहचान नहीं की गई है। तथापि, अन्य राज्यों से वापस प्राप्त किए गए मुक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था में राज्य सरकार बहुत ही प्रभावशाली रही है।

8.30 31.3.2003 तक बिहार में कुल 8357 बंधुआ श्रमिक पहचाने तथा मुक्त किए गए थे। इनमें से 7906 को केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 31.3.03 तक पुनर्वासित किया गया था। शेष 115 का कोई पता नहीं है। इस प्रकार 336 के पिछले रिकार्ड को 2003-04 के लिए अग्रणीत किया गया था। वर्ष 2003-04 में कुल 146 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई, कुल मुक्त श्रमिकों में 482 का पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता है। आयोग को यह जानकर संतुष्टि हुई है कि इनमें से 314 को केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम के तहत वास्तव में पुनर्वासित किया गया था, जो केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रति श्रमिक रु0 20,000 राहत पैकेज के लिए बराबर प्रदान की जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि बिहार सरकार ने पश्चिम चम्पारन बेतिया (294) सहरसा (13), मधुबनी (4) और दरभंगा (3) जिलों में, मुक्त किए गए 314 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए रु0 31.40 लाख अपने अंश से जारी किए थे। जहाँ तक 168 बंधुआ श्रमिकों की संतुलित संख्या के पुनर्वास का संबंध है, 2003-04 के बजट आबंटन में ही इनमें से 118 के लिए रु0 10,000 प्रत्येक को राज्य-अंश से भी प्रदान किए गए थे। श्रम आयुक्त, बिहार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 27 मार्च 2004 में सूचना दी थी कि केन्द्र के अंश को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग को आश्वासन दिया गया था कि शेष 168 मामलों का पुनर्वास 2004-05 में पूरा कर लिया जाएगा।

8.31 केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम को ग्रामीण विकास विभाग के अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए अभिसरण के सिद्धांत को कार्यान्वित करने में बिहार सरकार के प्रयासों

की आयोग ने सराहना की है। यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय प्रयोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति रुपये 20,000/- के पुनर्वास पैकेज के अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी मुक्त बंधुआ श्रमिकों को लाभ प्रदान किए गए।

4 (vi) झारखण्ड

8.32 झारखण्ड में कुल 22 जिलों में से 15 की बंधुआ श्रमिक-प्रवण जिलों के रूप में पहचान की गई थी। राज्य के कुल 22 जिलों में से 17 में तथा कुल 35 उप-मंडलों में से 30 में सतर्कता समितियों की स्थापना की गई थी। झारखण्ड के मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया था कि इन समितियों की स्थापना 31 जुलाई 2004 तक पूरी कर ली जाएगी। झारखण्ड सरकार ने अभी तक न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिशासी मजिस्ट्रेटों को अधिकार देने वाले बंधुआ श्रमिक अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत सरकारी ज्ञापन जारी नहीं किया है। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया था कि इसे भी 31 जुलाई 2004 तक पूरा कर लिया जाएगा।

8.33 राज्य में अभी तक कुल 5344 बंधुआ श्रमिक मुक्त तथा पुनर्वासित किए गए हैं। इसमें 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित विशेष सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप जिला लोहरदग्गा में खोजे गए 5 बंधुआ श्रमिक शामिल हैं। उस सर्वेक्षण में, अविभाजित बिहार में कुल 102 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई थी जिसमें झारखण्ड के केवल 5 शामिल हैं। 1997 में लोहरदग्गा द्वारा किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन ने खुलासा किया था कि यद्यपि सभी 5 मुक्त श्रमिकों ने पुनर्वास अनुदान के साथ इंदिरा आवास योजना तथा पेंशन योजना आदि के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर लिए थे, उनमें से केवल एक उसके गाँव में रहते हुए पाया गया। उनमें शेष के ईट भट्टा में कार्य के लिए उत्तर प्रदेश में वापस जाने की सूचना है। श्रम आयुक्त, झारखण्ड से आग्रह किया गया था कि वे पुनर्वास योजनाओं के कारगर होने का मूल्यांकन तथा कार्य की खोज में उनके पलायन के लिए कारणों को ढूँढने की दिशा में, इन मामलों का विस्तृत अध्ययन करें।

8.34 आयोग ने नवम्बर 2002 में श्रम आयुक्त, झारखण्ड को जिला गढ़वा के 116 बंधुआ श्रमिकों, जिन्हें उत्तर प्रदेश में 1994 से 2001 के दौरान मुक्त किया गया था, की एक सूची प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश में मुक्त किए गए जिला पलामू के 28 श्रमिकों की एक अन्य सूची वर्ष 2002-03 में एक गैर सरकारी संगठन से श्रम आयुक्त, झारखण्ड द्वारा प्राप्त की गई थी। गढ़वा के कुल 116 श्रमिकों में से 110 को ढूँढ लिया गया था और उनके पुनर्वास के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वा को राज्य-अंश के रु0 11 लाख दे दिए गए थे। उसी प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट पलामू को उत्तर प्रदेश से प्राप्त 28 श्रमिकों के पुनर्वास के लिए रु0 2.80 लाख दिए गए थे। श्रम आयुक्त, झारखण्ड से केन्द्र-अंश की स्थिति तथा इन लोगों के वास्तविक पुनर्वास के विवरण के विषय में सूचना देने का आग्रह किया गया था। श्रम सचिव, झारखण्ड ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को आश्वासन

दिया था कि अन्य राज्यों से प्राप्त बंधुआ श्रमिकों को भूमि आबंटन के लिए और इन्दिरा आवास योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था के अन्तर्गत राहत देने के लिए विधिवत् विचार किया जाएगा।

8.35 केन्द्रीय श्रम मंत्रालय से प्राप्त रु0 30 लाख के विशेष आबंटन का 15 जिलों में सर्वेक्षण करवाने के लिए उपयोग किया गया था। तथापि गढ़वा जिले में केवल एक बंधुआ श्रमिक की पहचान – सर्वेक्षण के कुल परिणाम – सर्वेक्षण की गुणवत्ता के विषय में भली प्रकार बताते हैं। आयोग की निराशा सरकार को व्यक्त की गई थी।

4 (vii) मध्य प्रदेश

8.36 इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान जिला शिवपुरी (म0 प्र0) में मुक्त बंधुआ श्रमिकों के 15 परिवारों जिसमें 27 सदस्यों (15 पुरुष 12 महिलाएं) शामिल हैं, के पुनर्वास कार्य के साथ श्री चमन लाल, स्पेशल रैपर्टियर जुड़े हुए थे। इन लोगों को ग्वालियर में पत्थर पिसाई में बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य करते हुए बताया गया था और स्वामी अग्निवेश के बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रयासों से इनका बचाव किया गया था। जिला शिवपुरी के युवा एवं कर्मठ जिलाधिकारी श्री कान्ता राव ने जिला शिवपुरी में उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाने में तथा व्यवस्था को निष्पादित करने में प्रशंसनीय पहल की। स्पेशल रैपर्टियर ने पुनर्वास के स्थान – गाँव ठाकुरपुरा जहाँ चार परिवारों तथा गाँव बांसखेड़ी जहाँ 11 परिवारों को व्यवस्थित किया गया था, का दौरा किया। वास क्षेत्र उद्देश्य के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त इन परिवारों को इंदिरा विकास योजना के अन्तर्गत लाभ, पीने के पानी की सुविधाएँ, पी. एल. राशन कार्ड तथा अन्य सुख-सुविधाएँ प्रदान की गई थी। स्वावलंबन (सेल्फ-हेल्प) समूहों के लिए अलग करने के पश्चात् इन परिवारों को पत्थर खदानों के लिए खनन लीज़ स्वीकृत करके इसको जारी रखना सुनिश्चित करना, पुनर्वास की सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता थी। 25 मार्च 2003 को गाँव बांसखेड़ी में जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राशन की आपूर्ति, पीने के पानी की सुविधाएँ, बच्चों के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखरेख की व्यवस्था की समीक्षा स्पेशल रैपर्टियर द्वारा की गई थी। बांसखेड़ी व्यवस्था ने आई सी वी एस के अन्तर्गत अस्थाई आंगनवाड़ी केन्द्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। बांसखेड़ी में बसे इन परिवारों को कृषि के उद्देश्य के लिए 0.5 हेक्टेयर प्रति परिवार भूमि आबंटित की गई थी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने इन परिवारों के 17 बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अपने फरीदाबाद के स्कूल में की थी। अन्य बच्चों के लिए बांसखेड़ी में प्राथमिक स्कूल सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। इन परिवारों के लिए चिकित्सा शिविर तथा कम्बल एवं प्लास्टिक शीट की व्यवस्था करने में जिला रेड क्रॉस सोसायटी भी सहयोगी थी। स्पेशल संपर्ककर्ता ने मुक्त बंधुआ श्रमिकों, जिन्होंने नया जीवन प्रारंभ कर दिया है, द्वारा उपार्जित स्वाभिमान

के अर्थ एवं महत्त्व का उल्लेख किया है। आयोग ने मुक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के विषय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप इसे मॉडल प्रोजेक्ट माना है।

(ख) बाल श्रम का उन्मूलन

(1) राज्यों में चल रही कोशिशें

8.37 देश के कई भागों में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के मुद्दे में आपसी संबंध पाया गया है। आयोग, विभिन्न राज्यों में जहाँ इन बुरी पद्धतियों की संभावनाएं अत्यधिक हैं, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम की स्थिति दोनों पर समीक्षा करके अपने दायित्व को पूरा कर रहा है।

8.38 इस रिपोर्ट के बनने के दौरान उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, यू. पी., झारखण्ड और बिहार राज्यों में बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की स्थिति की समीक्षा विशेष सम्पर्ककर्ता श्री चमन लाल द्वारा की गई। इन समीक्षाओं से उभर कर आने वाले बिंदुओं पर राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

1 (i) उड़ीसा (17 अप्रैल, 2003)

8.39 भुवनेश्वर में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, सचिव, पंचायती राज, प्रधान सचिव, राजस्व और श्रम आयुक्त मौजूद थे। इस बैठक से पहले विशेष सम्पर्ककर्ता ने जिलेवार समीक्षा और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए अंगुल और कटक जिलों के दौरे किए।

8.40 दिसम्बर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर संकटपरक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगे बच्चों की पहचान पर किए गए सर्वेक्षणों से संबंधित अनुवर्तन कार्रवाई पर 21 जनवरी 2002 को सदस्य न्यायमूर्ति डॉ० रामास्वामी द्वारा समीक्षा की गई। उन्होंने अपनी समीक्षा में पाया कि इन सर्वेक्षणों में बहुत कमियाँ हैं। यह भी पाया गया कि 1996-97 के सर्वेक्षणों के बाद संकटपूर्ण व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगे बच्चों का व्यवस्थित ढंग से पता नहीं लगाया गया है। आयोग की संस्तुतियों पर कार्य करते हुए 2001-02 में कोरापूट, मलकानगिरी, नवरांगपुर, सम्बलपुर, अंगुल, झाड़सुगुदा और कालाहांडी जिलों में विशेष सर्वेक्षण किए गए। कुल 3676 बच्चों को संकटपरक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में और 18452 बच्चों को गैर-संकटपूर्ण व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगा पाया गया। वर्ष 2002-03 में कोरापूट, मलकानगिरी, संबलपुर, सोनपुर, अंगुल, बोलानगीर, बारगढ़, गंजुम, झाड़सुगुदा और कालाहांडी जिलों में किए गए सर्वेक्षणों में कुल 4207 बच्चे संकटपूर्ण व्यवसायों/प्रक्रियाओं और 34712 बच्चे गैर-संकटपरक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगे पाए गए आयोग ने राज्य सरकारों

को निर्देश दिए कि संकटपरक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगे बच्चों के शैक्षणिक पुनर्वास, प्रभावित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास और रिट याचिका (दीवानी) न0 465/1986 एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्यो में 10 दिसम्बर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपराधी नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करे।

8.41 इस समीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2001-02 में संकटपूर्ण व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगे 3775 बच्चों और गैर-संकटपरक व्यवसायों में लगे 7695 बच्चों को एन.सी.एल.पी. स्कूलों में भर्ती किया गया। वर्ष 2002-03 में 39 बच्चों को जो संकटपूर्ण और 8413 बच्चों को जो गैर-संकटपरक व्यवसायों/ प्रक्रियाओं में लगे थे परियोजना स्कूलों में भर्ती किया गया। लेकिन 2001-02 में कुल 7284 प्रभावित परिवारों में से केवल 1805 (24.8प्रतिशत) और 2002-03 में कुल 34964 में से 2808 (8 प्रतिशत) को ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत संरक्षण दिया गया। अपराधी नियोक्ताओं से 20,000 प्रति बाल की दर से की गई वसूली बहुत ही कम है। संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजनों, पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

8.42 उड़ीसा के कुल 30 जिलों में से 18 जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संरक्षण दिया गया है। राज्य में इस परियोजना से 60,000 से अधिक संभाव्य बाल श्रमिकों को लाभ पहुंचा है जिनमें 31,632 को अपनी पाँचवी तक की औपचारिक शिक्षा समाप्त करने के बाद समाज की मुख्यधारा में लाया गया है। समीक्षा के समय कुल 710 मंजूरीकृत स्कूलों में से 675 स्कूलों के चालू हालत में पाए जाने की रिपोर्ट है। 37,096 बच्चों जिनमें 19,746 (53.2प्रतिशत) लड़कियाँ भी शामिल हैं, को इन स्कूलों में त्वरित प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। इस कुल संख्या में 43.5: अनुसूचित जनजाति, 27.3: अनुसूचित जाति, 22.4: अन्य पिछड़ी जातियों तथा 6.8: सामान्य वर्ग के बच्चे हैं। समीक्षा में यह बात उभर कर आई कि इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों के और ज्यादा शामिल होने और व्यवसायिक प्रशिक्षण के पक्षों की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

पैरा **8.40** से **8.62** में दिए गए आँकड़े रिट याचिका (दीवानी) सं0 : - 465/1986 एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य और अन्यो में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 दिसम्बर 1996 को जारी निर्देशों के अनुपालन पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है।

8.43 समग्र रूप से इन परियोजनाओं का निष्पादन अच्छा है। इन परियोजना स्कूलों में से एक स्कूल (कालाहांडी) से बहुत बड़ी संख्या में उत्तीर्ण करने वाले बच्चे खुली प्रतियोगिता में भाग लेकर नवोदय स्कूल में दाखिला पाने में सफल हुए हैं।

1 (ii) महाराष्ट्र (6 फरवरी 2004)

8.44 1991 की जनगणना की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में कृषि, ईट-भट्टी, बीड़ी बनाने, जरी के काम, बुनाई, ग्लास उद्योग में बाल श्रम देश में कुल बाल श्रम का 9.4 प्रतिशत है। सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10.12.1996 के निर्देशों के अनुपालन में महाराष्ट्र में किए गए दो सर्वेक्षणों में 1023 बच्चों को संकटपूर्ण कार्यों में और 20391 बच्चों को गैर-संकटपरक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगे पाया गया। संकटपरक, कार्यों में लगे 944 बच्चों (92%) को स्कूलों में भर्ती कराया गया। प्रत्येक अपराधी नियोक्ता से 20,000 रु0 प्रति बाल श्रमिक की दर से वसूलने के लिए 992 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। बहरहाल इस समीक्षा के समय तक 2,04,60,000 की राशि में से केवल 8 लाख (0.39%) की राशि ही वसूली गई थी।

8.45 1999-2000 में किए गए तीसरे सर्वेक्षण में जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे 2983 बच्चों की पहचान की गई। लेकिन इन बच्चों के शैक्षणिक पुनर्वास, प्रभावित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास और अपराधी नियोक्ताओं पर अभियोजन चलाने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। 1.9.01 से 31.1.02 तक एक अन्य सर्वेक्षण किया गया जिसमें संकटपूर्ण व्यवसाय में लगे 1679 बच्चों की पहचान की गई। उनमें से केवल 771 बच्चों (46%) को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध 291 अभियोजन दर्ज किए गए और अभी तक लंबित हैं। 20,000 रु0 प्रति बच्चे की दर से 289 नियोक्ताओं के विरुद्ध वसूली कार्यवाही शुरू की गई लेकिन इस समीक्षा के समय तक वास्तविक वसूली शून्य थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 1679 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास दर के लिए की जाने वाली कार्रवाई में भी कमी पाई गई।

8.46 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर नियोक्ताओं के विरुद्ध कुल 440 अभियोजन शुरू किए गए। इनमें से केवल 84 मामले निपटाए गए - 71 में दोषमुक्ति और केवल 13 में दोष सिद्धि (जुर्माना) हुई। यह चिन्ता का विषय है कि पिछली समीक्षा (19 जनवरी, 2002) से अब तक 20 मामलों में निर्णय हुआ है और इन सभी मामलों में दोषमुक्ति सिद्ध हुई है। इन अभियोजनों की गति बड़ी धीमी है और दोषसिद्धि बहुत कम।

8.47 महात्मा फूले शिक्षा प्रत्याभूत योजना के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के स्कूल छोड़ चुके बच्चों को लक्ष्य में रखकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रति महाराष्ट्र सरकार ने प्रगतिशील कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 20 लाख है। समीक्षा में यह बात भी उभर कर आई कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 3599 स्कूल शुरू किए जा चुके हैं और इनमें 3,81,579 बच्चों को दाखिला दिया जा चुका है।

8.48 महाराष्ट्र के दो जिलों – शोलापुर और ठाणे में एन सी एल पी को अमल में लाया गया है। कुल 58 स्कूलों में त्वरित प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है और इनमें व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और 3202 बच्चों को वज़ीफ़ा देने का भी प्रावधान है। दिसम्बर 2003 से पाँच और जिलों जिनमें नासिक, धूले, बीड, योवतमाल और नन्देद हैं उन्हें भी एन सी एल पी में शामिल किया गया है। जिला अधिकारियों ने इन परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र उन चार चुने हुए राज्यों में से एक है जहाँ भारत-अमरीका बाल श्रम परियोजना को लागू किया जाना है। इस परियोजना को गुंडिया, औरंगाबाद, अमरावती, जालना और मुम्बई उप-नगरीय जिलों में लागू किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर इन चुने हुए जिलों में सेवाओं के बहु-क्षेत्रक पैकेज के माध्यम से जिसमें ऐसे बच्चों की पहचान करना, उन्हें वहाँ से निकालना और बाल श्रमिकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर बल देते हुए उनका शैक्षणिक पुनर्वास करना और उनके परिवारों का आर्थिक विकास कर बाल श्रम का सम्पूर्ण उन्मूलन करना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुम्बई को केन्द्रक अभिकरण के रूप में चुना गया है प्रत्येक जिले में 4000 लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सभी जिलों में आधारभूत सर्वेक्षण किए जाएंगे जिससे हर राज्य से 20,000 बच्चों को इसके अन्तर्गत शामिल किया जा सके।

1 (iii) पंजाब

8.49 पंजाब को बाल श्रम प्रवण राज्य समझा जाता है क्योंकि यहाँ खेल-कूद सामान के उद्योग जिसका केन्द्र जालंधर है, में बच्चों को रोजगार में लगाए जाने की रिपोर्टें बार-बार आती हैं। बाल श्रम की दृष्टि से जालंधर, लुधियाना और अमृतसर की संवेदनशील जिलों के रूप में पहचान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अन्तर्गत 1996-97 में किए गए सर्वेक्षण में संकटपूर्ण प्रतिष्ठानों में कार्यरत 91 बच्चों की पहचान की गई। ऐसा लगता है कि इन बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण प्रणाली में दाखिला करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। कुल 91 प्रभावित परिवारों में से केवल 21 परिवारों का पता लगाया गया और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार दिया गया। श्रम आयुक्त, पंजाब ने विशेष सम्पर्ककर्ता को सूचित किया कि किसी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी 91 मामलों में 20,000 रु० प्रति बच्चे की दर से अपराधी नियोक्ताओं से वसूलने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 85 मामलों में नियोक्ताओं ने फ़ैसलों का विरोध किया है, इनमें से 21 मामलों में निर्णय लिए जा चुके हैं और ये सभी निर्णय नियोक्ताओं के हित में हैं। इस समीक्षा की तिथि तक (9 मार्च, 2004) (6.6:) वसूले जाने वाली कुल राशि 18,20,000 में से केवल रु० 1,20,000 ही वसूले गए थे। 1997 में प्रारंभिक सर्वेक्षण के

बाद पंजाब में संकटपरक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में काम करने वाले किसी भी बच्चे के बारे में पता नहीं लगा है।

8.50 पंजाब के तीन जिलों, जालंधर, लुधियाना और अमृतसर को एन सी एल पी के अन्तर्गत समावेशन किया गया है। कुल 107 विद्यालय जिनमें 40-40 लुधियाना और अमृतसर में तथा 27 जालंधर में हैं, 5350 बच्चों को त्वरित प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं। विशेष सम्पर्ककर्ता ने जालंधर जिले में 6 स्कूलों का दौरा किया और इन स्कूलों को चलाने वाले जिला अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इन स्कूलों का स्थान और लाभार्थियों का चुनाव केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पाया गया। 1350 विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 44% लड़कियाँ हैं। 76.81 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जातियों, 9.92 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों और 13.27 प्रतिशत सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं। इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं और स्कूल छोड़ने वालों की दर (11.61%) बहुत अधिक है। बहराल गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता और उनकी रूचि और समर्पण का स्तर काफी सराहनीय पक्ष है। विशेष सचिव (श्रम), पंजाब से सितम्बर 2001 में गठित राज्य अनुवीक्षण समिति जिसकी बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है, को सक्रिय करने का अनुरोध किया गया है।

1 (iv) उत्तर प्रदेश

8.51 12 से 16 मार्च 2004 में विशेष सम्पर्ककर्ता ने कानपुर, इलाहाबाद, बदोई, मिर्जापुर और वाराणसी का दौरा किया और कॉरपेट बेल्ट में बालश्रम की स्थिति का जिलेवार मूल्यांकन किया। इन जिलों में एन सी एल पी स्कूलों को चलाने में शामिल श्रम विभाग के अधिकारियों, जिला अधिकारियों जिनमें जिला मजिस्ट्रेट और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, के साथ बैठक की। उन्होंने वाराणसी, बदोई, मिर्जापुर इलाहाबाद प्रत्येक में तीन एन सी एल पी स्कूलों का दौरा किया। 15 मार्च 2004 को कानपुर में श्रम आयुक्त, यू. पी. के साथ हुई बैठक में पूरे राज्य का समग्र मूल्यांकन किया।

8.52 01.04.2003 से 31.01.2004 की अवधि के दौरान यू. पी. में कुल 858 बच्चों की पहचान कर उन्हें संकटपरक कामों से जबकि 3,022 को गैर-संकटपरक कामों से हटाया गया। इसमें कॉरपेट बेल्ट के जिलों जैसे कि वाराणसी, जोनपुर, बदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद से पहचान किए गए 155 बच्चे संकटपरक और 149 गैर-संकटपरक श्रेणी के हैं जिन्हें इन कामों से निकाला गया। यह 2002-03 में संकटपरक कामों में लगे 448 और गैर-संकटपरक कामों में लगे 1159 बच्चों के पहचाने जाने और उन्हें इन कामों से निकाले जाने में किये गये महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। इनको मिलाकर संकटपरक और गैर-संकटपरक कामों में लगे बच्चों की कुल संख्या क्रमशः 29,720 और 35,995 हो गई है।

8.53 31.01.2004 तक संकटपरक कार्यों से निकाले गए 29,720 बच्चों में से 24,266 बच्चों अर्थात् 81.6 प्रतिशत को स्कूलों में दाखिल करवा दिया गया है। गैर-संकटपरक वर्ग में यह संख्या 87.6 प्रतिशत है। 31 जनवरी 2004 तक कुल 29,720 बच्चों के संकटपरक कामों में लगे होने की पहचान से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या 24,257 है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इनमें से केवल 4,672 अर्थात् 19 प्रतिशत का वास्तव में पुनर्वास किया गया है। शेष में से 7,106 परिवारों को पहले से ही पुनर्वासित दिखाया गया है। 4,623 परिवार नियमित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता लेने के अनिच्छुक हैं और 5,553 प्रवासी परिवार हैं। इस प्रकार शेष 2,303 परिवार हैं जिनका पुनर्वास किया जाना है। जहाँ तक इस समीक्षा की अवधि के दौरान पहचान किए गए 858 बच्चों का सवाल है इस समीक्षा की तिथि तक केवल 78 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया है। प्रत्येक पात्र और इच्छुक परिवार के एक सदस्य के लिए मजदूरी रोजगार का प्रबन्ध करने के दायित्व पर संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट को लिखने के लिए श्रम आयुक्त, यू. पी. से अनुरोध किया गया। ऐसा न होने पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी जिलों में गठित बाल श्रम पुनर्वास एवं कामगार निधि में 5,000 रु0 प्रति बाल श्रमिक की दर से जमा कराए।

8.54 31 जनवरी 2004 तक संकटपूरक कामों में पाए गए 29,720 बच्चों के नियोक्ताओं की कुल संख्या 10,649 है। इसमें इस समीक्षा के दौरान संकटपरक कामों में पाए गए 858 बच्चों के नियोक्ता भी शामिल हैं। 31,31,60,000 रुपये की कुल राशि को वसूलने के लिए 7016 मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। 1461 मुक्ति प्रमाण-पत्रों पर न्यायालय ने रोक लगा दी है और 1535 को अभिखंडित/वापिस कर दिया गया है। कुल 95,19,849 रु0 की राशि वसूली जा चुकी है जिसमें 01.04.2003 से 31.01.2004 की अवधि के दौरान वसूल किए गए 5,67,057 रु0 भी शामिल हैं। कॉरपेट बेल्ट के जिलों से वसूली गई कुल राशि 13,60,112 रु0 है।

8.55 1997-98 से 29 फरवरी 2004 तक बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत कुल 7,799 अभियोजन चलाए जा चुके हैं। इसमें समीक्षा की अवधि में किए गए 341 मामले भी शामिल हैं। दिसम्बर 1996 से पूर्व के 2,817 बकाया मामलों को ध्यान में रखते हुए, 8,698 मामलों का अभी भी विचारण लंबित है 31.01.2004 तक निर्णय लिए गए मामलों की कुल संख्या 1915 है। 307 मामलों में दोष-सिद्धि की दर 16 प्रतिशत दर्शाती है। लेकिन इस समीक्षा की अवधि के दौरान 146 मामलों पर निर्णय दिया गया और सभी में दोषमुक्ति सिद्ध हुई।

8.56 बाल श्रम की समस्या का जायजा लेने के लिए मुरादाबाद (1999-2000), अलीगढ़ 2000-01) जैलेसर, मिर्जापुर, खुर्जा जौनपुर, सहारनपुर और मेरठ (2001-02) के जिलों में नॉन-इनवेसिव सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों से यह पता लगता है कि स्कूल न जाने वाले 1,56,783 बच्चों में से 65,598

अर्थात् 41.8 प्रतिशत बच्चे वास्तव में किसी न किसी काम में लगे पाए गए। कॉरपेट बेल्ट में 'स्कूल न जाने वाले' बच्चों का अनुपात 82.4 प्रतिशत है।

8.57 यू.पी. के 11 जिलों जिनमें वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर और कॉरपेट बेल्ट में इलाहबाद में एन सी एल पी को अमल में लाया गया है। 11 जिलों में 25788 विद्यार्थियों की क्षमता रखने वाले 496 स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनमें विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या 24,457 है। 266 स्कूलों को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जबकि 230 स्कूलों को संबद्ध जिलों के डी.एम. के नेतृत्व में प्रोजेक्ट सोसायटी द्वारा चलाया जा रहा है। आयोग ने इन स्कूलों को चलाने में गैर-सरकारी संगठनों की और अधिक भागीदारी की अपनी पहली सिफारिशों को फिर से दोहराया है। विशेष सम्पर्ककर्ता द्वारा इन स्कूलों में अपने दौरे पर जिलों में इन स्कूलों के स्थान और लाभार्थियों के चुनाव पर पक्ष में टिप्पणी दी है। यह बड़ी खुशी की बात है कि एन सी एल पी को 15 अन्य जिलों में अमल में लाया जा रहा है और ये नई परियोजनाएँ 2004-05 तक चालू हो जाएंगी।

8.58 यू. पी. के साथ-साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी बाल श्रम उन्मूलन के लिए इन्डो-यू एस कॉपरेशन के अन्तर्गत चुना गया है। मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, इलाहबाद और कानपुर को इन परियोजनाओं के अन्तर्गत चुना गया है और प्रत्येक जिले में 4000 लाभार्थी बच्चों की पहचान करने का दायित्व ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को सौंपा गया है।

1 (v) झारखण्ड

8.59 झारखण्ड राज्य वास्तव में मोटर गाड़ी वर्कशॉप और मोटर गैराज, ईट भट्टों, स्टोनक्रशर, बीड़ी बनाने की ईकाइयों, होटलों और ढाबा इत्यादि में काम करने वाले बाल श्रमिकों की समस्या से ग्रस्त है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 1996-97 में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार संकटपरक कामों में लगे 3,570 बच्चों की पहचान की गई। इन पहचान किए गए बच्चों के शैक्षणिक पुनर्वास के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई हालांकि 23.06.2002 तक सदस्य के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति डॉ० के. रामास्वामी द्वारा की गई पिछली समीक्षा में भी इस चूक की ओर संकेत किया गया था। कुल वसूले जाने वाली 754 लाख रुपये की राशि में से हज़ारी बाग जिले से 80,000 और पश्चिम शिंगभूम जिले से रु० 20,000 केवल एक लाख अस्सी हजार की राशि को अपराधी नियोक्ताओं से वसूला गया है। श्रम सचिव झारखण्ड ने सूचना दी कि संकटपरक व्यवसायों से निकाले गए बाल श्रमिकों के परिवारों को इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) और एस जी एस वाई जैसी ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। आई ए वाई के अन्तर्गत कुल 1002 और आई आर डी पी/एस जी एस वाई के अन्तर्गत 448 परिवारों को संरक्षण दिया गया है।

8.60 1997 से 2004 की अवधि के दौरान उन जिलों में जो आज झारखण्ड राज्य में आते हैं, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुल 208 अभियोजन चलाए गए। ये 14,337 निरीक्षणों में पता लगाए गए 1077 अतिक्रमणों से संबंधित हैं। इसमें ज्यादातर मामले अधिनियम के नियामक प्रावधानों से संबंधित हैं। बच्चों को निषेध कामों में लगाये जाने पर अभियोजन, शून्य हो गया है।

8.61 झारखण्ड के पाँच जिलों, जिनमें सिंघभूम, दुमका, साहिबगंज, पाकुर और गढ़वा शामिल हैं को एन सी एल पी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। कुल 114 विशेष स्कूल 3 साल से बच्चों को त्वरित प्राथमिक शिक्षा (पहली से पाँचवी) दे रहे हैं। बच्चों की कुल संख्या का 52.6 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। ये परियोजनाएँ 1996-97 से अमल में हैं। राज्य सरकार से इन लाभार्थियों की संख्या और सम्मिश्रण तथा तीन सालों 1996-97 से 1999-2000, 2000-2001 से 20.2.2003 तक के अन्तिम परिणामों पर सम्पूर्ण सूचना देने के लिए कहा गया है।

8.62 समीक्षा से पता चलता है कि झारखण्ड सरकार औपचारिक तथा अनौपचारिक स्कूली क्षमता को सुदृढ़ करके 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की स्कूलों में भर्ती सुनिश्चित करने के लिए भरसक कोशिशें कर रही है। आयोग को बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 11,75,123 थी जिसे 01.04.2003- 1.4.2002 तक घटा कर 8,01,711 तक लाया गया और 31.1.2004 तक घटा कर 6,52,168 लाया गया। झारखण्ड में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 58,08,517 है, इनमें से स्कूल न जाने वाले 6,52,168 (11.2 प्रतिशत) बच्चे हैं।

(2) बाल श्रम – नए विधि निर्माण की जरूरत

8.63 जैसा कि आयोग की 2001-2002 की वार्षिक रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार किए गए एलानों और विभिन्न अभिकरणों द्वारा किये जा रहे अनुवीक्षण मॉनीटरिंग जिसमें आयोग भी शामिल है, के बावजूद देश में हर जगह बालप्रथा व्याप्त है। वर्तमान कानूनों में अंतर्निहित कमियों की ओर इंगित करते हुए आयोग ने यह टिप्पणी की कि बाल श्रम के सम्पूर्ण मामलों को बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 24 में दिए गए शब्द 'संकटपरक' (हजारडस) को इस बात को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जरूरत है कि बच्चों के लिए संकटपरक क्या है ? इस परिप्रेक्ष्य में संविधान के अनुच्छेद 24 को अनुच्छेद 21, 39 (च) और 39 (छ) और 45 तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की संधियों के प्रावधानों के अतिरिक्त भारत द्वारा बाल अधिकारों पर हुए अभिसमयों, 1989 के अनुसमर्थन को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जानी चाहिए। आयोग की यह राय भी है कि देशभर में 14

वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान इस मामले में किसी तरह से वास्तविक प्रगति करने के लिए अति अनिवार्य है। हमारी कोशिशें इस महान उद्देश्य को पूरा करने में की जानी चाहिए न कि इस बहस में कि संविधान में संशोधन होना चाहिए या नहीं और हमारी कोशिशें भारत के प्रत्येक जिले, गाँव और परिवार के लिए किए जा रहे व्यावहारिक कार्यक्रमों में झलकनी चाहिए।

8.64 इसीलिए आयोग ने भारत सरकार को बाल श्रम पर फिर से विधि-निर्माण करने में तत्परता और दृढ़ निश्चय से कार्य करने और राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया।

8.65 आयोग की उपरोक्त टिप्पणी के संबंध में सरकार का प्रत्युत्तर कार्रवाई ज्ञापन में दिया गया है। इसे निम्नलिखित अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

8.66 बाल श्रम मंत्रालय द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और अन्य संबद्ध कानूनों के प्रावधानों के प्रवर्तनों को मॉनीटर किया जा रहा है। जहाँ तक बाल श्रम के कानूनों को फिर से लिखने की बात है, दूसरे राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग द्वारा इस पर विचार किया गया और इस आयोग ने कुछ संस्तुतियों के साथ-साथ वर्तमान बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम को बदल कर निर्देशात्मक कानून बनाने की भी सलाह दी। श्रम मंत्रालय द्वारा इन पर परीक्षण कर यह विचार दिया कि सुझाए गए संशोधन व्यावहारिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं।

8.67 सरकार का यह मानना है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन सी एल पी) के अन्तर्गत शुरू किए गए स्कूलों को औपचारिक स्कूलिंग पद्धति में बदल कर इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना बाल श्रम के उन्मूलन और पुनर्वास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए यह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस नीति के एक हिस्से के रूप में इस मंत्रालय ने दसवीं योजना के दौरान बाल श्रम के उन्मूलन के लिए रणनीति तैयार की है जिसमें 5 से 8 वर्ष की आयु समूह के छोटे बच्चों को सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जाएगा। एन सी एल पी के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में उच्च आयु समूह अर्थात् 9 से 14 वर्ष के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। यह अपेक्षा की जाती है कि इससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों के अनुसार सभी बच्चों को स्कूल भेजने और बाल श्रम के उन्मूलन में सहायता मिलेगी।

8.68 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा संकटपरक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की पहचान की जा रही है। जैसा कि आयोग की सलाह थी, इस समिति को इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल 'बच्चों' को ध्यान में रखकर संकटपरक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की पहचान करने का अधिदेश है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक कर रहे हैं और देश के विभिन्न आयुर्विज्ञान क्षेत्रों की विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत यह निश्चय करने के लिए कि कोई कार्य संकटपरक है या नहीं, समिति किसी विशेष व्यवसाय या प्रक्रिया से बच्चों के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों के सभी पहलुओं पर विचार करती है।

(ग) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में की जा रही कोशिशें

8.69 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता श्री के. आर. वेणुगोपाल बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से संबंधित अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु के सचिवों और साथ ही इस से जुड़े केन्द्रक सचिवों से नियमित रूप से परस्पर सम्पर्क करते रहे।

8.70 इस समीक्षा के वर्ष के दौरान श्री के. आर. वेणुगोपाल ने कर्नाटक में सात, तमिलनाडु में चार और आंध्र प्रदेश में निरीक्षण एवं अध्ययन पर सात दौरे किए। उन्होंने इन राज्यों के मुख्य सचिवों, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से संबंधित केन्द्रक सचिवों और संबद्ध आयुक्तों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठकें की। मुख्य सचिवों से बैठक के दौरान श्री वेणुगोपाल ने मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास और बाल श्रम पद्धति के उन्मूलन के लिए बनाई गई कार्य योजनाओं के लिए बजट में अपर्याप्त वित्तीय प्रावधानों से संबंधित मुद्दों को निरन्तर उठाया।

8.71 विशेष सम्पर्ककर्ता ने कर्नाटक में बंधुआ मजदूरी की पहचान और उनके पुनर्वास में प्राप्त उपलब्धियों और राज्य में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मिसौर जिले के बंधुआ मजदूरी संभाव्य एच डी कोटे क्षेत्र में 2001 में 33 मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए रुपया देने में राज्य सरकार की विफलता को प्रकाश में लाने के लिए विशेष सम्पर्ककर्ता ने चिक्कानंदी गाँव में जाँच पड़ताल की। उन्होंने 2000 में सामने आए होंगाराहाली में बेड़ियों में बंधे बंधुआ मजदूरी मामले के घृणित मामले में अभियोजन में हो रही प्रगति की जाँच करने के लिए मंडया में भी दौरा किया। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया था कि यह जानने के बाद कि सर्वोच्च न्यायालय में अभियोजन गवाहों के बयान बदलने में लोक अभियोजक भी शामिल है, श्री वेणुगोपाल ने इस मामले की जाँच जिला मजिस्ट्रेट और

पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर की। श्री वेणुगोपाल ने बाल श्रम की समस्या का आँखें देखा हाल जानने के लिए मगडी और रामानगारा क्षेत्रों की बाल श्रम बेल्ट का दौरा किया। उन्होंने बाल श्रम की स्थिति का जायजा लेने के लिए और बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिदेश को आगे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त निर्देश देने के लिए संबद्ध सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों और सिल्क रीलिंग अभिकरणों के मालिकों के साथ बैठक की। उनके द्वारा कर्नाटक और तमिलनाडु में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों का भी दौरा कर इनकी कार्य प्रणाली का मूल्यांकन किया गया।

8.72 विशेष सम्पर्ककर्ता के अनुरोध पर बनाई गई राज्य स्तरीय मॉडल प्रारूप पुनर्वास योजना पर तमिलनाडु सरकार से चर्चा की। हाल ही में यह निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं को हर जिले के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस रणनीति को दूसरे राज्यों में भी समर्थन दिया जा सकता है। जैसा कि 2001 में कर्नाटक द्वारा किया गया था। वर्ष के दौरान बाल श्रम के उन्मूलन के लिए तमिलनाडु ने कार्य योजना तैयार की। विशेष सम्पर्ककर्ता, श्री के. आर. वेणुगोपाल ने इन योजनाओं को रूप देने के लिए व्यापक निर्विष्टियां दी। आयोग ने तमिलनाडु सरकार के कार्य और विशेष सम्पर्ककर्ता के इस संदर्भ में की गई कोशिशों की प्रशंसा की। विशेष सम्पर्ककर्ता राज्य में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु योजना बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को मनाने में लगे हैं और इस राज्य में बाल श्रम की देश की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। बहरहाल आंध्र प्रदेश द्वारा कार्य योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। श्री वेणुगोपाल ने इन योजनाओं के आधार पर इनके कार्यान्वयन के प्रारूप को तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि एक निश्चित समय सीमा के अन्दर वास्तविक रूप से इन योजनाओं को चलाने के लिए जरूरी संसाधनों की पहचान की जा सके।

8.73 आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि आयोग विशेष सम्पर्ककर्ताओं को इन विषयों से संबंधित विद्वानों के साथ सलाह कर ऐसी मॉडल कार्य योजना के विकास हेतु अन्य राज्यों में भी कार्य करना चाहिए जिसका राज्य अंगीकार कर सके।

8.74 तमिलनाडु में मदुरै में दौरे के दौरान, श्री के. आर. वेणुगोपाल ने सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उस तकनीक पर चर्चा की जिसे वे तमिलनाडु से बाहर तमिल बंधुआ मजदूरों की पहचान करने के लिए अपनाते हैं और जो आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही कार्यों के लिए सहायक हो सकती है।

8.75 विशेष सम्पर्ककर्ता ने आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आर.एल.ओ.) की ऋण-बंधन परियोजना का दौरा किया। उन्होंने मई 2002 में भूवनेश्वरी और

श्री निवास के विशेष रूप से बेड़ियों में बंधे बाल श्रमिकों के मामले के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए करनूल का भी दौरा किया। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि इस मामले की जाँच के समय विशेष सम्पर्ककर्ता समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और शिक्षा आयुक्त को भी साथ ले गए ताकि जिला मजिस्ट्रेट के साथ-साथ उन्हें भी जाँच में शामिल किया जा सके।

8.76 इस वर्ष के दौरान श्री के. आर. वेणुगोपाल ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के क्षेत्र में कार्यरत सक्रियतावादी संगठनों और संस्थाओं की बैठकें कीं और उनसे सम्पर्क किया। आई.एल. ओ., यूनिसेफ, केन्द्रीय श्रम मंत्रालय, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एन एल एस यू आई), बंगलौर समाज और आर्थिक बदलाव संस्थान (आई एस ई सी) और कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के गैर-सरकारी संगठन इनमें प्रमुख थे।

8.77 एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला जिसमें विशेष सम्पर्ककर्ता द्वारा किए गए प्रयत्नों से सार्थक परिणाम मिले वह तमिलनाडू की युवा बंधुआ महिला मजदूर श्रीमती थैनमोजही का मामला है। श्री के. आर. वेणुगोपाल ने इस मामले की जाँच-पड़ताल की जिसके आधार पर आयोग को यह संस्तुति दी गई कि आयोग तमिलनाडू सरकार को दो लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में उस पीड़ित महिला को देने की माँग की जिस पर उसके मालिकों ने बहुत हिंसात्मक व्यवहार किया और शायद यही कारण था कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात हुआ। हालांकि तमिलनाडू सरकार 25,000/-रु0 की क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत थी लेकिन आयोग को यह राशि बहुत अपर्याप्त लगी। विशेष सम्पर्ककर्ता तमिलनाडू सरकार से निरन्तर इस मामले पर चर्चा करते रहे और समीक्षा वर्ष के दौरान सरकार ने श्रीमती थैनमोजही को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ा कर 1 लाख रु0 करने का निर्णय लिया। आयोग ने तमिलनाडू सरकार के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और तमिलनाडू सरकार की इस अनुक्रिया की प्रशंसा की। इस मामले के अन्य पहलुओं जैसे कि अभियोजन आदि पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) अशक्त व्यक्तियों के अधिकार

8.78 इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े अनुपात में लोग अशक्तता से ग्रस्त हैं। लेकिन इनकी जनसंख्या का सही आकलन अभी नहीं लग पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए विकासशील देशों में जनसंख्या के 5 प्रतिशत परिमित आंकलन के अनुसार यह अनुमान है कि भारत में कम से कम 5 करोड़ व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की अशक्तता से ग्रस्त होंगे।

8.79 आयोग अशक्तों को उनकी मौलिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार पाने में देश आने वाली बाधाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता रहा है। वर्ष 2002-03 में आयोग ने अशक्तता (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के उचित कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को संस्तुतियों बृहत सेट दिया। प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों से लगता है कि अशक्तता से संबंधित नीति, कल्याणकारी मॉडल पर आधारित लगती है। अशक्तता योजनाओं और कार्यक्रमों को अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास पर केन्द्रित रखा गया है और व्यवस्थागत और ढांचागत कमियों के सुधार में परस्पर उपेक्षा की गई है। ज्यादातर राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र अपने खंडशः दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विकास की प्रक्रिया अशक्त लोगों को पीछे छोड़ चुकी है।

8.80 राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों और चंडीगढ़ संघ-राज्य क्षेत्र में अशक्तता अधिनियम 1995 के उचित कार्यान्वयन का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट झलकता है। लेकिन ज्यादातर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण सुधार देखने को नहीं मिले। अशक्तता अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उत्तदायित्वों की जानकारी में जागरूकता की अत्यधिक कमी नज़र आती है। पटना उच्च न्यायालय ने भी 2894/4/2002-2003/एफ सी (ममता कुमारी बनाम बिहार और उड़ीसा राज्य) मामले में ऐसा ही महसूस किया गया है। इस अधिनियम, जो विशेष रूप से अशक्त व्यक्तियों का ध्यान रखता है, के कार्यान्वयन करने में रुचि की कमी होना ही राज्य सरकार का अशक्तों के लिए योजना बनाने में निष्क्रियता का कारण है। न्यायालय ने आगे उल्लेख किया है कि 1993 से 2001 तक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आबंटन और खर्च के लिए 1993 से 2001 तक के बजट व्यय यह दर्शाते हैं कि बिहार राज्य में कोई भी कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया। सकारात्मक कार्रवाई योजनाओं पर खर्च करने के लिए न तो निधियों को अलग किया गया और न ही उचित ढंग से उनका प्रयोग किया गया बल्कि प्रदर्शनियों, सेमीनारों और सम्मेलनों पर खर्च किया गया जिसका कोई लाभ नहीं है। अन्त में न्यायालय ने यह पारित किया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सकारात्मक कार्रवाई न होने के कारण यह उपयुक्त होगा कि इस आदेश को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में चिह्नित किया जाए।

8.81 पटना उच्च न्यायालय के आदेश के प्रत्युत्तर में आयोग ने सकारात्मक कार्रवाई हेतु क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से अशक्तता अधिनियम 1995 के व्यापक प्रावधानों का परीक्षण किया। राज्य सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा की जाने वाले उचित कार्रवाई को सरल बनाने के लिए इनको पाँच मुख्य विषयों में वर्गीकृत किया गया है।

(1) अशक्तता : राज्य का विषय

8.82 संविधान की अनुसूची 7 की सूची II की 9 वीं प्रविष्टि के अनुसार अशक्त और अनियोज्य को राहत देना राज्य सरकारों का दायित्व है संविधान के अधिदेशक के बावजूद, ज्यादातर राज्य सरकारों ने अभी तक अशक्तता पर न तो किसी कानून को समाविष्ट किया है और न ही कोई राज्य नीति बनाई है। छात्रवृत्ति, पेंशन, सहायक साधनों, ब्रेल किताबों, बिन बारी के मकान दिलाने इत्यादि कुछ योजनाओं को शुरू किया गया है लेकिन इनके महत्वपूर्ण परिणाम सामने नहीं आए हैं।

8.83 राज्य सरकारों की अशक्तता पर राज्य नीति बनाने की उपेक्षा को देखते हुए, आयोग राज्य सरकारों की नीति निर्माण में सहायता देने के लिए अत्यधिक सक्रियता से ढाँचा बनाने की योजना बना रहा है। यह ढाँचा उत्तम पद्धतियों के मॉडलों पर आधारित होगा।

(2) सूचना और संचार की स्वतंत्रता

8.84 उभरते हुए सूचना समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का केन्द्र यह है कि कैसे सूचना और अभिव्यक्ति जो मानव अधिकारों के प्रभावशाली प्रयोग में मूलभूत हैं, की स्वतंत्रता का आगे विकास किया जाए। इन अधिकारों को यू एन घोषणा पत्र 1947 में प्रतिष्ठापित किया गया है और मानव अधिकारों के सारभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 19 में इसे विस्तारपूर्वक व्यक्त किया गया है। बिवाको मिल्लेनियम फेमवर्क उभरते हुए सूचना युग में ऐशियाई और प्रशान्तीय क्षेत्रों में सरकारों के लिए इन स्वतंत्रताओं के संवर्धन हेतु कार्य रूपरेखा को दर्शाता है।

8.85 सूचना समाज में अशक्तता से ग्रस्त लोगों की भागीदारी के समर्थन के लिए बहुत सारे देश राजनीतिक इच्छा व्यक्त करते हैं। सारभौमिक डिज़ाइन और सारभौमिक सेवा की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए नए वैधानिक ढाँचे और मानकों का विकास किया जा रहा है। उन दूरसंचार, प्रसारण और सूचना कानूनों और विनियमों में जिनमें सुगम मानकों की कमी है, को निरस्त कर दिया गया है या परिशोधित कर दिया गया है। इन कदमों ने सूचना उत्पादन, वितरण और संसाधन के मानकों को फिर से परिभाषित करने में अहम भूमिका निभाई है।

8.86 अशक्त लोगों द्वारा उभरते सूचना समाज में सूचना अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की अत्यावश्यक जरूरत को देखते हुए, आयोग ने भारत सरकार के शहरी और रोजगार मंत्रालय को राष्ट्रीय सुगमता आई.सी.टी. नीति के विकास हेतु अंतर-मंत्रालीय समिति के कार्य को दिशा-निर्देश देने की जिम्मेदारी ले। लेकिन शहरी मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी लेने की असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि यह मामला उनसे संबंधित नहीं है। इसलिए आयोग बाधामुक्त सूचना

समाज के सृजन के लिए समन्वयक गतिविधियों को सहायता देने हेतु कार्यदल के निर्माण सरल बनाने की योजना बना रहा है।

8.87 अशक्तों द्वारा आयोग को की गई शिकायतों और मीडिया से प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अशक्तों पर सुव्यवस्थित ढंग से हिंसा की जाती है और उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

- काम करने का अधिकार जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से चुनता है और स्वीकार करता है, से वंचित रखना
- कार्य की न्यायसंगत और उचित स्थितियों का न होना
- अशक्तों और उनके परिवार वालों को उचित जीवन स्तर जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान शामिल हैं, से वंचित रखना।
- सार्वजनिक यातायात, निर्मित आधारभूत ढाँचों और सूचना पद्धतियों की पहुँच से वंचित रखना
- सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी से वंचित रखना
- विवाह करने और अपना परिवार बनाने के अधिकार से वंचित रखना
- कानून के समक्ष अपनी पूर्ण सक्षमता सिद्ध करने में उचित सहायता से वंचित रखना
- अपने परिवार की सम्पत्ति और उस सम्पत्ति पर उनके अधिकार से उन्हें वंचित रखना
- संस्थानों में सुरक्षा की कमी और न्यूनतम जीवन स्तर

8.88 आयोग का विश्वास है कि अशक्त लोग हमें वह साधन मुहैया कराते हैं जिससे हम यह जान सकें कि समय का निष्पक्ष रूप से, न्यायसंगत, मानवीय धरातल और समता पर आधारित निर्माण कैसे हो सकता है, वे हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम सामाजिक न्याय, नागरिकता और कल्याण के सिद्धान्तों को पुनः परिभाषित कर सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशक्तता एक महत्वपूर्ण घटक है जो बदलाव ला सकता है और सामाजिक परिवर्तन में योगदान दे सकता है। काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अशक्तता की इस चुनौती पर कैसे प्रतिक्रिया की जाती है।

इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में अशक्तता पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(च) गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जन-जातियों की समस्याएं

8.89 आयोग गैर-अधिसूचित जन जातियाँ (डी एन डी) और खानाबदोश जनजातियों (एन टी) के समुदायों के मानव अधिकारों के उल्लंघन पर चिंतित रहा है। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व भारत में आपराधिक जन जातियों के रूप में देखा जाता था। हालांकि आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को स्वतंत्रता पश्चात् निष्प्रभावित कर दिया गया था लेकिन उनके प्रति पक्षपात अभी भी किया जाता है। पुलिस और आम जनता इन समुदायों से जुड़े लोगों के साथ अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे “जन्मजात अपराधी” या आभ्यासिक अपराधी हैं।

8.90 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया था कि आयोग ने प्रशासन तथा विशेष रूप से पुलिस द्वारा डी एन टी/एन टी से तथाकथित किए जाने वाले बुरे व्यवहार से संबंधित मामलों की चर्चा करने के लिए फरवरी, 2000 में कई संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई।

8.91 राज्य सरकारों को कई विशिष्ट संस्तुतियाँ दी गईं और तत्पश्चात् आयोग ने इन संस्तुतियों का अनुवर्तन करने का प्रयास किया। लेकिन यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि ज्यादातर राज्यों ने आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर कोई उत्साह नहीं दिखाया।

8.92 आयोग की संस्तुतियों पर गृह मंत्रालय ने आयोग के विचारों की एक कापी को हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को भेजी और इनको सभी संबद्ध अधिकारियों जिनमें प्रशिक्षण अधिकारी भी शामिल हैं, को परिचालित करने को कहा। इस मंत्रालय ने सभी राज्यों को गैर-अधिसूचित जन जातियों और खानाबदोश जन-जातियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा।

8.93 आयोग ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई अनुक्रिया पर जानकारी हासिल की। जबकि ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ राज्य गैर-अधिसूचित जन-जातियों और खानाबदोश जन-जातियों में समाज के गैर-लाभ प्राप्त वर्गों की अन्य श्रेणियों में शामिल करने और उन्हें उचित लाभ मुहैया कराने हेतु कदम उठा रहे हैं, आयोग लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त कर रहा है जिसमें गैर-अधिसूचित जन-जातियों और खानाबदोश जन-जातियों के लोगों के मानव अधिकारों को उल्लंघन किया जा रहा है। आयोग का यह मानना है कि वस्तुतः स्थिति अभी भी वैसी ही है और इस समुहों से जुड़े व्यक्तियों को मनमाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए निशाना बनाया जाता है।

8.94 जैसा कि आयोग के इस चिंताजनक मामले पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, इस मामले की फिर से समीक्षा की गई। अगस्त 2003 में राज्यों को गैर-अधिसूचित जन-जातियों/खानाबदोश

जन-जातियों पर निम्नलिखित मदों पर विशिष्ट सूचना देने के लिए पत्र लिखे गए।

- (i) हर राज्य में गैर अधिसूचित जन-जातियों/खानाबदोश जन-जातियों को एस सी/एस टी/ओ बी सी श्रेणी में शामिल करने की स्थिति
- (ii) क्या अभी भी गैर-अधिसूचित जन-जातियों/खानाबदोश जन-जातियों वाले राज्यों में ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्र/विशेष आवास है या क्या ऐसे आवासों को गाँवों/कस्बों में इन्हें सामान्य जनसंख्या को मिला दिया गया है
- (iii) स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य इत्यादि के माध्यम से गैर-अधिसूचित जन-जातियों/खानाबदोश जन-जातियों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाएँ
- (iv) क्या विशेष गैर अधिसूचित जन-जातियों/खानाबदोश जन-जातियों के विरुद्ध विशिष्ट मामलों की रिपोर्टें है जिनमें उनके द्वारा कोई विशेष अपराध किए गए हों या प्रशासन द्वारा उन से बुरा व्यवहार कर पीड़ित बनाया गया हो और उस पर जाँच चल रही हो;

8.95 राज्यों द्वारा प्राप्त अनुक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के राज्यों से अभी सूचना प्राप्त होनी है।

8.96 इसी दौरान गैर-अधिसूचित जन-जातियों/खानाबदोश जन-जातियों की समाज-आर्थिक स्थिति अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने श्री जी. एन. देवी की अध्यक्षता में गैर-अधिसूचित जन-जाति खानाबदोश जन-जाति पीपुल्स ऐक्शन ग्रुप से प्राप्त "दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के गैर-अधिसूचित तथा खानाबदोश समुदायों के मानव अधिकारों की स्थिति पर अध्ययन" अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दे दी है।

(छ) सिर पर मैला-ढुलाई

8.97 सिर पर मैला ढोना इस देश की सबसे निम्न कोटि की प्रथाओं में से है और अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्टों में भी इस मामले से निपटने के लिए आयोग द्वारा की गई कोशिशों की चर्चा की गई है।

8.98 आयोग के उत्तरोत्तर अध्यक्षों द्वारा लगातार व्यक्तिगत हस्तक्षेप से केन्द्र तथा राज्य सरकारों के उच्च सोपानों से आयोग निरन्तर इस मामले पर चर्चा करता रहा है।

8.99 इस रिपोर्ट के तैयार होने की अवधि के दौरान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की यह रिपोर्ट कि सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए निर्धारित पैसे का उपयुक्त प्रयोग नहीं हो रहा है, के बाद अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डॉ० ए. एस. आनन्द ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने यह अनुरोध किया कि सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को एक निश्चित समय सीमा में समाप्त करने के लिए संबद्ध अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं।

8.100 आयोग ने पहले भी दो अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री से 2001 और फिर 2002 में इस मामले पर चर्चा की थी। आयोग के अनुरोध की प्रतिक्रिया में इस मामले को प्रधानमंत्री के 15 सूत्री इनीशिएटिव में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुपालन में योजना आयोग ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा को 2007 तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई।

8.101 जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था, आयोग इस मामले पर उचित कार्रवाई करने हेतु निरन्तर समर्थन करता रहा और इसके लिए आयोग ने न केवल केंद्र सरकार के स्तर तक बल्कि राज्य सरकारों के साथ भी सम्पर्क किया सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु की गई प्रगति पर चर्चा करने के लिए बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरांचल प्रदेश के शहरी विकास सचिवों के साथ 6 जनवरी 2003 को बैठक की।

8.102 इस के अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों से असंतोषजनक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने देश में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन से जुड़े मामले पर चर्चा करने के लिए बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों के संबद्ध विभागों के सचिवों/प्रतिनिधियों के साथ 6 नवम्बर, 2003 को बैठक की। सफाई कर्मचारी आयोग, योजना आयोग, हुडको, शहरी विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सुलभ अन्तरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन और एक्शन एड को भी बैठक में निमंत्रित किया गया।

8.103 आयोग में अध्यक्ष ने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा कि यह बड़े दुःख की बात है कि स्वतंत्रता के 56 वर्षों और सिर पर मैला ढोने वालों में लिए रोजगार और शुलभ शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के लागू होने के 10 साल बाद भी, सिर पर मैला ढोने की अमाननीय कुप्रथा अभी भी विद्यमान है। इस अप्रतिष्ठित प्रथा को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। जहाँ सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है वहीं सभ्य समाज

को अपनी विचारधारा में बदलाव लाने की जरूरत है। गैर-सरकारी संस्थाएँ इसमें प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं।

8.104 राज्यों से राष्ट्र मानव अधिकार आयोग द्वारा पहचान किए गए निम्न कार्य बिन्दुओं पर अपनी प्रगति सूचित करने के लिए कहा गया:—

- सिर पर मैला ढोने वालों के लिए रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को अपनाना।
- सिर पर मैला ढोने वालों और उन पर आश्रितों की संख्या जानने के लिए सर्वेक्षण।
- पहचान किए गए सिर पर मैला ढोने वालों और के आश्रितों का प्रशिक्षण देना।
- केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग पहचान किए गए सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए करना।
- निर्माण से संबंधित उप कानूनों में ऐसे प्रावधानों का होना जिस से जब तक स्वक्षालन शौचालय का प्रावधान न हो नए भवनों के निर्माण की मंजूरी न दी जाए और न ही समापन प्रमाण पत्र जारी किए जाए।
- एक निश्चित तिथि तक राज्य में शुष्क शौचालयों को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए।

8.105 ज्यादातर राज्यों ने यह सूचना दी कि शुष्क शौचालयों को सजल शौचालयों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है। कुछ राज्यों में नए सर्वेक्षण भी किए जा रहे थे।

8.106 सामाजिक न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बैठक में इस बात से अवगत कराया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने राज्यों को सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास राष्ट्रीय योजना (एन एस एल आर एस) के अंतर्गत मुक्त कराए गए सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया।

8.107 शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान हेतु तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया। इस मंत्रालय ने सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति हेतु शहरी कम लागत सफाई योजना की केन्द्र-प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्यों से सलाह भी मांगी है।

8.108 योजना आयोग के प्रतिनिधियों ने कहा कि 2007 तक सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा के सम्पूर्ण उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना को शुरू करने के साथ शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा सजल शौचालयों के निर्माण और सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और प्रशिक्षण हेतु योजना को भी लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की चर्चा हेतु सामाजिक न्याय मंत्रालय में एक अर्न्तमंत्रालीय समिति का गठन किया गया है।

8.109 शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने हेतु ज्यादा सहायिकी देने के लिए राज्यों की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में हुडको के प्रतिनिधियां ने यह सूचना दी कि वे जल शौचालयों जिसमें सुपर ढाँचे भी शामिल हैं, के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत सहायिकी मुहैया करवाने के लिए नए दिशा-निर्देशों को बनाने का विचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के प्रतिनिधियों ने सिर पर मैला ढोने और एन एस एल आर एस के कार्यान्वयन की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य प्रशासन के निर्दयी व्यवहार का विशेष उल्लेख किया। सुलभ इंटरनेशनल जो इस क्षेत्र में सक्रिय गैरसरकारी संगठन है के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में नीति संबंधी निणर्य लिए जाएं। सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन में लगा एक गैर-सरकारी संगठन एक्शन ऐड के प्रतिनिधियों ने कहा कि सफाई तथा अन्य संबंधित कार्यों से मुक्त कराए गए सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास की बजाय उनके कार्य से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए उनका अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जाना चाहिए।

8.110 चर्चा के बाद, आयोग के अध्यक्ष ने अपनी अन्तिम टिप्पणी में कहा :-

- आधार भूत आंकड़े बहुत कम हैं और शुष्क शौचालयों, सिर पर मैला ढोने वालों और उनके परिवारों को जिन के पुनर्वास किए जाने की जरूरत है, की संख्या जानने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सफाई कर्मचारियों को शामिल कर सर्वेक्षण किए जाने की जरूरत है।
- कानून, नियम और अधिसूचनाएं स्वतः कार्यान्वयन नहीं होती। उन्हें कार्यान्वयन करने की जरूरत होती है। समस्या के आकार को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण प्रतिबद्धता और पूर्व समर्पण की जरूरत है।
- राज्यों द्वारा
 - 1) शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने
 - 2) नए शौचालयों के निर्माण हेतु स्वयं अर्धवार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए जाएं।

- हालांकि कुछ राज्यों का यह कहना है कि सिर पर मैला ढोने की समस्या को कस्बों में समाप्त कर दिया गया है, गांवों की स्थिति की समीक्षा करने की जरूरत है।
- सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु उन्हें अन्य क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनपर लगा कलंक पूरी तरह से मिट जाए।

राज्य अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करे और उन्हें पूरा करने पर प्रतिबद्ध रहे।

8.111 आयोग इस मामले पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर रहा है।

(ज) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मानव अधिकार

(1) उड़ीसा में चक्रवात उपरान्त पुनःनिर्माण की निगरानी

8.112 आयोग ने 8 दिसम्बर, 1999 और 21 अगस्त, 2002 को की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर निरन्तर निगरानी रखी। आयोग की पिछली रिपोर्टों में भी इनकी चर्चा की जा चुकी है। इस संबंध में आयोग को नियमित रूप से उड़ीसा से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मिल रही है। 31.3.2004 तक की त्रैमासिक रिपोर्ट निम्नलिखित लंबित मामलों की प्रगति पर कुछ संतोषजनक तस्वीर दिखलाती है।

- बहु उद्देशीय चक्रवात बसेरों (एम सी एस) का निर्माण :- मुख्यमंत्री राहत कोश से बनाए जा रहे 60 एम सी एस में से 57 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। विश्व बैंक सहायता से निर्माण किए जा रहे 40 एम सी एस में से 8 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 52 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- स्कूल भवनों का निर्माण :- कुल 1122 हाई स्कूल भवनों में से 1046 और कुल 5705 प्राथमिक स्कूल भवनों में से 5645 का निर्माण पूरा हो चुका है।
- समेकित बाल विकास योजना परियोजनाओं का परिचालन सभी: 41 समेकित बाल विकास योजना परियोजनाएं जिसमें 27 को सुपर चक्रवात के आने से मंजूरी दी गई थी शामिल है, का परिचालन शुरू हो चुका है। लेकिन बाल विकास परियोजना के अधिकारियों (सी डी पी ओ) को केवल 37 परियोजनाएं दी गई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के रिक्त पद 96.4 प्रतिशत और 99.7 प्रतिशत भर दिए गए हैं।

8.113 आयोग ने राज्य सरकार को रैमल बांध को खोलने में हुई देरी और हथगढ़ बांध के जल नियंत्रण जिससे किंजोर कस्बे ओर बदरक नगर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को और अधिक बढ़ा दिया था, में जल्दी जाँच पड़ताल करते का अनुरोध किया।

(2) (क) गुजरात भूकम्प

8.114 आयोग ने विध्वंसक भूकम्प से होने वाली आपदा जिसने 26 जनवरी, 2001 को गुजरात के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित किया था, का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने सर्वप्रथम श्री पी.ए.पी.जे. नपूथरी विशेष प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से वहां राहत और पुनर्वास के लिए उठाए संबंध प्राधिकारियों को आयोग उचित निर्देश दिशा जारी कर सके। आयोग ने श्री एन गोपालास्वामी तत्कालीन महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए भी नियुक्त किया। 29 मई, 2001 को आयोजित बैठक में श्री गोपालाचारी और श्री नन्पूथरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आयोग द्वारा विचार किया गया। आयोग ने गुजरात और केंद्र सरकार के संबंध अधिकारियों को तत्काल ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई करने हेतु निश्चित निर्देश एवं संस्तुतियों दी। संस्तुतियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट 2001-2002 में दिया गया है।

8.115 अनुवर्तन कार्रवाई का ध्यानपूर्वक मॉनीटर करने के लिए आयोग ने श्री पी जी जे नम्पूथिरी, विशेष सम्पर्ककर्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री गगन सेठी, जन विकास ट्रस्ट के प्रबंधक न्यासी, श्रीमति ऐनी प्रसाद कच्छ महिला संगठन की अध्यक्ष और प्रो. अनिल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के समूह का गठन किया। आयोग समय-समय पर अपनी बैठकों में इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करता है।

8.116 श्री पी.जी.जे. नम्पूथिरी, विशेष सम्पर्ककर्ता ने भूकम्प में हुए अशक्त व्यक्तियों की राहत को मॉनीटर करने से संबंधित प्राथमिक रिपोर्ट को फरवरी 2003 में पेश किया। उन्होंने निम्नलिखित विकास समस्याओं के बारे में अपनी रिपोर्ट में बताया।

- (i) अधरांगघातों को मिलने वाले सहायता अनुदान को बढ़ा कर रु0 2000/- (दो हजार) प्रतिमाह कर दिया गया है और उन्हें यह अनुदान मिलना शुरू हो गया है। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि यह कदम कुछ देर से उठाए गए। 101 जीवित अधरांगघात व्यक्तियों में बहुत से अवसाद के शिकार हो गए हैं और उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
- (ii) घायल व्यक्तियों को अस्थायी और स्थायी अशक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिस से वित्तीय सहायता के लिए दावा करने में बाधा उत्पन्न होती है।
- (iii) नगर आयोजन और निर्माण को अशक्तता अनुकूल बनाने हेतु मॉडल मानकों के कार्यान्वयन के लिए ध्यानपूर्वक मानीटर करने की जरूरत; और

(iv) सरकार ने हाल ही में कुछ भौतिक चिकित्सकों (फीजीओ थिरैपिस्ट्स) को नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।

8.117 आयोग द्वारा भूकम्प प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए गठित समिति ने वर्तमान वर्ष के दौरान भी अपना कार्य जारी रखा। विशेष सम्पर्ककर्ता, श्री पी. जी. जे. नम्पूथिरी ने समिति के अन्य सदस्यों के साथ आलोच्य अवधि के दौरा किया। गांवों में जिन लोगों के घरों को भूकम्प से क्षति पहुंची थी उन्होंने अपने आप या सरकार या गैर सरकारी संगठनों की सहायता से अपना पुनर्वास कर लिया है। अकेले कच्छ में 1,56,000 घरों का ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किया गया है जिसमें से 5,000 को गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनवाया गया। राष्ट्रीय सीमेंट एवं निर्माण सामग्री परिषद् (एन सी सी बी एम) ने पाया कि सिस्मिक मानदंडों के अनुसार सामग्री लगाने के बाद भी इसमें से 5 प्रतिशत से भी कम गैर-भूकम्परोधी हैं।

8.118 कच्छ, भूज, अंजर, भचुआ और रापड़ के बुरी तरह प्रभावित नगरों में नगर आयोजन परियोजनाओं का मंजूरी दे दी है। सरकार ने शहरी गरीबी के पुनर्स्थापन के लिए 25 वर्ग मीटर के बने आवासों को बाँटने की योजना को मंजूरी दे दी है।

8.119 मनोचिकित्सा का इलाज लेने वाले दस हजार से भी ज्यादा रोगियों में से लगभग तीन हजार पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 111 अधरांगघातों में से 53 को कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए घर दिए गए हैं। ये लोग सरकार से हर माह रु0 2000 की राशि भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। भूकम्प से अनाथ हुए कुल 245 बच्चों की भी देखरेख की गई है।

8.120 विशेष सम्पर्ककर्ता ने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ दो बैठकें भी की।

(2) (ख) गुजरात में हिंसा के शिकार लोगों के लिए मानसिक आघात पर परामर्श

8.121 गोधरा घटना के बाद बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा और भयंकर घटनाओं के होने पर आयोग ने स्वचेतन मेटल हैल्थ सोसाइटी, नई दिल्ली को हिंसा के शिकार लोगों के लिए मनासिक आघात पर परामर्श देने के प्रस्ताव पर वित्तीय सहायता प्रदान की। यह व्यक्त किया गया कि लोगों के दिमाग में डर ने गहरी जगह बना ली है और राज्य में मौजूदा स्थिति ऐसी है कि लोगों को गहरा मानसिक आघात लगा है।

8.122 जुलाई, 2002 में शुरू हुई इस योजना को छः महीनों में पूरा किया जाना था। लेकिन स्वचेतन सोसाइटी ने बाद में अवगत कराया कि यह कार्य दीर्घकालिक होगा और यह एक वर्ष

तक और चलेगा। दंगों के बाद दुःस्वपन, पूर्वदृश्य और अन्य मनोचित्सिक लक्षणों से निपटने के लिए लगभग तीन सौ बच्चों को पोस्ट टरॉमैटिक सट्रैस डिसऑर्डर (पी टी एस डी) पर स्वचेतन विशेष चिकित्सा और तकनीक मुहैया करा रहा है।

8.123 अभी तक वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त की गई। राज्य की प्राथमिक रिपोर्ट में लिए गए विशेष उल्लेख निम्न लिखित हैं :-

- (i) गुजरात दंगों में पीड़ित या साक्षी बहुत से बच्चों में दुःस्वप्न, अतिसजगता लोगों से दूर रहने, भय और कई मनोरोग लक्षणों जैसे रोग लक्षण पैदा हो गए थे।
- (ii) मानसिक आघात की स्थिति में मानव के दुःख और शोक की प्रकृति को समझना ही इसका केंद्र बिन्दु था।
- (iii) व्यक्तिगत रूप से रोगहरण की प्रक्रिया में समुदायों के सशक्तिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- (iv) बड़ोदा, गोधरा, बरिया, लूनावाडा, फतेहपुरा, हलोल, कलोल, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर परामर्श के लिए कई शिविर लगाए गए।
- (v) पांच माह की अवधि में लगभग एक हजार बच्चों को परामर्श दिया गया। इनमें से 242 (कुल संख्या का पांचवा हिस्सा) को गहरा मानसिक आघात लगा है।

8.124 इस अध्ययन का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा रहा है जिससे मानसिक आघात और साम्प्रदायिक दंगों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों को समझने में सहायता मिलेगी। इस परियोजना की अन्तिम रिपोर्ट 2004 के शुरू में प्राप्त होने की संभावना है।

(झ) मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता आश्वासन

- (1) राँची, आगरा और ग्वालियर में मानसिक अस्पताल

8.125 सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा निर्देशित इस के दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के आदेश के अनुपालन में राँची तंत्रिका मनोरोग विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान(आर आई एन पी एस), आगरा और ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला (जी एम ए), ग्वालियर के कार्यों का आयोग गहनता से निरीक्षण किया। इन संस्थानों को सितम्बर 1994 में स्वायत्तता देते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन संस्थानों को सौंपे गए कार्यों के कार्यान्वयन को आयोग निरन्तर मॉनीटर करता रहा।

8.126 श्री चमन लाल आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता समय-समय पर इस संस्थानों का दौरा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं को रोगियों के इलाज और देखरेख, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों और समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यचालन पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करते रहे। न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर ने भी 5 मई, 2003 को मानसिक स्वास्थ्य और अस्पताल, आगरा का दौरा किया।

8.127 तब से इन संस्थानों के कार्यचालन में महत्वपूर्ण सुधारों को देखा गया है। इन अस्पतालों में भर्ती और छुट्टी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 और मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। इन संस्थानों के कार्यचालन में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है जहाँ पहले रोगी को मात्र हिरासत में रखा जाता था अब उसके इलाज और देखरेख में ध्यान केन्द्रित रहता है। अब किसी भी रोगी को काल-कोठरी में नहीं रखा जाता। रोगी के बन्द से खुली अभिरक्षा पद्धति में बदलाव करने से निरन्तर सुधार हो रहा है। आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की ध्यानपूर्वक छानबीन का परिणाम है कि रोगियों की मौत की घटनाओं में कमी आई है। राँची तंत्रिका मनोविज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य और अस्पताल, आगरा में पुस्तकालय सुविधाओं प्रशिक्षण गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों से काफी सुधार हुए हैं। समुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा के पहलू पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आयोग सर्वोच्च न्यायालय इन संस्थानों को सौंपे गए विशेष कार्यों के कार्यान्वयन को ध्यान से मॉनीटर कर रहा है।

8.128 विशेष सम्पर्ककर्ता श्री चमन लाल ने राँची तंत्रिका मनोरोगविज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान, (आर आई एन पी ए एस) का 4 जुलाई, 2003 और फिर 26 मार्च 2004 को दौरा किया। आयोग द्वारा 14 अगस्त 2003 को पहली समीक्षा की रिपोर्ट पर विचार किया गया। आयोग की टिप्पणियों और निर्देशों के अनुपालन के लिए रिपोर्ट की प्रतियाँ प्रमुख सचिव, झारखण्ड सरकार और निदेशक, राँची तंत्रिका मनोरोगविज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान को भेजी गईं। विशेष सम्पर्ककर्ता द्वारा की गई समीक्षा में निवासियों को मिलने वाली चिकित्सीय सेवा से लेकर वहां पर रहने की स्थिति, प्रबंधन के कामकाज कर्मचारियों की संख्या, शिक्षण और अकादमिक गतिविधियाँ, सामुदायिक उपागम कार्यक्रमों से मध्य-गृह तक शामिल हैं।

8.129 समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वायत्ता प्रदान करने के समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में राँची तंत्रिका मनोविज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान निरन्तर प्रगति कर रहा है। नैदानिक एवं चिकित्सीय सेवाओं की गुणवत्ता, रहने की स्थिति और रोगियों की देखरेख में निश्चित सुधार हुए हैं। चिकित्सीय एवं अर्ध चिकित्सीय व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास हेतु आशाजनक कदम उठाए गए हैं। सामुदायिक उपागम कार्यक्रमों

के विस्तार और दायरे को बढ़ा दिया गया है, सरकारी और निजी क्षेत्रों में राँची तंत्रिका मनोरोगविज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान की विश्वसनीयता पहले से बढ़ गई है। लेकिन कर्मचारियों की संख्या अभी भी संतोषजनक नहीं है। अभी भी मनोरोगविज्ञान, चिकित्सीय मनोरोगविज्ञान नर्सिंग एवं तंत्रिका-विज्ञान विभागों में कई पद रिक्त हैं। राँची तंत्रिका मनोरोग विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को इस समस्या की कमियों से अवगत कराया जा चुका है और इस पर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

8.130 माननीय सदस्य न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर ने विशेष सम्पर्ककर्ता, श्री चमनलाल के साथ 5 मई 2003 को मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा का दौरा किया और नैदानिक और चिकित्सीय सुविधाओं, कर्मचारियों की संख्या, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अनुसंधान गतिविधियों, अर्धगृह और लम्बी अवधि से अस्पताल में रह रहे रोगियों के पुनर्वास की समीक्षा की। विशेष सम्पर्ककर्ता ने इस संस्थान का 5 मार्च 2004 को फिर से दौरा किया यह संतोषजनक बात है कि इस संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा निरन्तर प्रगति कर रहा है जब से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस संस्थान के प्रचालन कार्यों का निरीक्षण कर रहा है, नैदानिक एवं चिकित्सीय सुविधाओं और अस्पताल सेवाओं की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस प्रतिष्ठान द्वारा रोगियों की सेवा और भलाई हेतु पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कैम्पस के मरम्मत और नवीन कार्यों तथा सौन्दर्यकरण इस संस्था की असाधारण विशेषताएं हैं। लेकिन विभिन्न विभागों में वारिष्ठ रिक्त पदों को भरने में मुश्किल के कारण चिकित्सीय और अर्ध चिकित्सीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के विकास की गति धीमी है। अनुसंधान गतिविधियों, में संस्थान की भागीदारी फिर भी सराहनीय है। व्यावसायिक चिकित्सा जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अनिवार्य घटक है, की उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। स्टाफ की स्थिति में सुधार होने के पश्चात्, सामुदायिक उपागम कार्यक्रम का विस्तार किया जा रही है। आशा की जाती है कि नए निदेशक की नियुक्ति के बाद अस्पताल के रूप में संस्थान के समग्र कार्यचालन में सुधार होगा और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

8.131 विशेष सम्पर्ककर्ता ने 31 मार्च 2004 को ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला (जी एम ए) का दौरा किया। अस्पताल के कार्यचालन का विस्तृत अध्ययन दर्शाता है कि स्वायत्तता प्रदान करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में हुई प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। जब से ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निरीक्षण कर रहा है, इस संस्थान के कार्यचालन पर पिछली रिपोर्टों में भी इस पर टिप्पणियाँ की जा चुकी हैं। चिकित्सीय मनोविज्ञान और मनोरोग-विज्ञान समाज-कार्य के विभागों की कमी के कारण नैदानिक और चिकित्सीय सेवाओं में बहुत कम सुधार देखा गया

है। हाँलाकि रहने की स्थिति और रोगियों की देखभाल में सुधार हुआ है, व्यावसायिक चिकित्सा का न होना एक जबरदस्त कमी है, हाँलाकि हाल ही में महिला अनुभाग में उत्साहवर्द्धक शुरुआत हुई है। सामुदायिक उपागम कार्यक्रम पर अब उचित ध्यान दिया जा रहा है और आशा है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला को प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में काफी समय लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा के मंत्री और सचिव स्तर पर स्टॉफ की स्थिति में सुधार लाने के लिए माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किए गए वायदे अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं।

क) तीन मानसिक अस्पतालों में मौत की रिपोर्ट पर दिशा निर्देश

8.132 आयोग को समय-समय पर तीन मानसिक अस्पतालों अर्थात् राँची तंत्रिका मनोरोग विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान, राँची, मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा और ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर से निवासियों की प्राकृतिक कारणों या अप्राकृतिक कारणों अर्थात् मानववध या आत्महत्या से मौत की रिपोर्ट मिलती रही हैं। तीनों अस्पतालों द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मौतों की रिपोर्ट देने में मानक प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश बनाए हैं।

- क. संस्थान में किसी व्यक्ति की होने वाली प्रत्येक प्राकृतिक या अप्राकृतिक मौत के बारे में आयोग को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए।
- ख. मौत के प्रत्येक मामले में शव परीक्षा जरूर की जानी चाहिए। शव परीक्षा रिपोर्ट में बताए गए मौत के कारण को ध्यान में रखकर अस्पताल का निदेशक प्रत्येक मामले की जाँच करेगा।
- ग. अप्राकृतिक मौत अर्थात् आत्महत्या या मानववध की स्थिति में
 - (i) अगर अप्राकृतिक मौत या मौत की परिस्थितियों में गड़बड़ी का संदेह हो तो मामले के सभी संबंधित पहलुओं की जाँच के लिए संस्थान के निदेशक बोर्ड के अधिकारियों में से एक वरिष्ठ डॉक्टर की अध्यक्षता में जाँच का आदेश देगा।
 - (ii) प्रबंधन समिति जब अपनी सांविधिक बैठकों में इस पर विचार कर लेती है और जाँच के निष्कर्षों से संतुष्ट हो जाती है तभी जाँच न्यायालय की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
 - (iii) मानववध या आत्महत्या के सभी मामलों में जाँच करने वाले बोर्ड अधिकारियों का पर्यवेक्षी

स्टाफ की जिम्मेदारियों के मामले पर भी विचार करना चाहिए और इस पर स्पष्ट निष्कर्ष दिए जाने चाहिए।

घ) प्राकृतिक मौत अर्थात् बीमारी के कारण मौत या मरने वाले द्वारा अपनी मानसिक स्थिति के कारण की गई लापरवाही के कारण मौत के मामलों में :-

- (i) शव परीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद निदेशक जाँच रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग को भेजेगा।
- (ii) अगर शव परीक्षण रिपोर्ट विस्तृत जाँच की अपेक्षा रखती है या मरने वाले के परिवारवालों से शिकायत प्राप्त होती है तो उपरोलिखित 'ग' में दी गई प्रक्रिया का पालन होगा।

8.133 इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए इन्हें तीनों अस्पतालों को भेजा जा चुका है।

ख) मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समूह

8.134 ठीक हो चुके लेकिन परित्यक्त रोगियों के पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। इसपर 2001-2002 की वार्षिक रिपोर्ट में भी चर्चा की गई है।

8.135 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समूह की एक बैठक 2 अप्रैल 2003 को रखी गई। बैठक में रोगियों के दो वर्गों की पहचान की गई जिन का पुनर्वास किया जा सकता है।

(i) वे रोगी जिन्हें अल्प अवधि के लिए मध्य गृह में रखकर वापस उनके परिवार वालों के पास भेज दिए जाएं।

(ii) दीर्घ अवधि तक रहने वाले मनोरोगी, (लॉग स्टे साइकियारिटिक पेशंट्स) एल. एस. पी.

8.136 इस समूह की एक अन्य बैठक 7 जनवरी, 2004 को रखी गई। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र की मौजूदा पद्धति के विसंस्थायन और इसे बदल कर सामुदायिक आधारित सेवाओं में करने की नई रणनीति की चर्चा की गई। पुनर्वास प्रक्रिया का सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदमों पर निर्णय लिए गए:-

(i) दीर्घ अवधि रोगियों (एल. पी. एस.) के ठीक होने के बाद उन्हें ऐक्सन एड इंडिया द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए।

- (ii) रोगियों जो नियंत्रणीय हैं और जिन्हे समुदाय में छत्र देखभाल की जरूरत है, के लिए कुछ प्रबंध किए जाएं।
- (iii) संज्ञानात्मक कमियों वाले रोगियों के लिए एक्शन ऐड द्वारा तंत्रिका मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया जाए।
- (iv) कौशल प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रतिक्रिया और सांकेतिक अर्थव्यवस्था पद्धति का प्रयोग करके एक्शन ऐड इन रोगियों को निर्वाह कौशल और सामाजिक कौशल में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। उनके लिए अर्ध-गृह इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और किसी अन्य उपाय की जरूरत है।
- (v) इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि ज्यादातर चिरकाली बीमार रोगियों का परित्याग कर दिया जाता है और ऐसे लोगों को संस्थागत देखभाल की जरूरत होती है। उन के लिए अर्ध-गृह इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और किसी अन्य उपाय की जरूरत है।
- (vi) अर्धगृह से रिहाई से पूर्व रोगियों और परिवार के गहन प्रशिक्षण की जरूरत है ताकि परिवार समाज की व्यवहार संबंधी समस्या या ठीक से औषधि अनुपालन में कमी के कारण फिर से अशक्तता का शिकार न हों।

8.137 निदेशक, एक्शन ऐड इंडिया, श्री हर्ष मंदर ने सुझाव दिया कि भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उनको भी देने का विचार करे जिन्हें मानसिक अस्पताल से छुटी मिलने पर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे जा सकें। इससे इन रोगियों के परिवार वालों को इन्हें अपनाने में बढ़ावा मिलेगा और दीर्घ अवधि रोगियों का उनके परिवारों में पुनःस्थापन करने की दर बढ़ेगी।

ग) हाफ-वे होम

8.138 ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर के हाफ-वे होम गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं। ये हाफ-वे होम अस्पताल कैम्पस के ठीक बाहर स्थित हैं। पुरुष हाफ-वे होम को 'साकेत' नामक संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें भर्ती किए गए अभी तक 114 रोगियों को क्रमिक छुट्टी और उनके परिवारों में उन्हें पुनःस्थापित करने के लिए चुना गया है। 'साकेत' के प्रयासों से इसमें से 82 रोगियों को वास्तविक रूप में पुनःस्थापित किया जा चुका है। महिला हाफ-वे होम को भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ हाफ-वे होम के द्वारा चलाया जा रहा है। इसे मई 2001 में शुरू किया गया था। सुश्री मीरा धवर उप-अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ के नेतृत्व में समर्पित कार्यकर्ताओं के दल ने निवासियों

को सिलाई, कढ़ाई, टंकन, मोमबती जैसे उपयोगी कौशल में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में सराहनीय कार्य किया है। एक ऐसी चीज जो व्यक्ति को प्रभावित करती है और जो स्पष्ट दृष्टव्य है वह आत्म सम्मान और मर्यादा की भावना है जो इन्हें यहाँ रह कर मिली है।

8.139 मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान आगरा में पुरुष रोगियों के लिए हाफ-वे होम को फेमिली वार्ड में शुरू किया गया है और इसे स्वयं संस्थान द्वारा ही चलाया जा रहा है। एक वर्ष की अवधि के दौरान ही संस्थान ने महिला रोगियों के लिए हाफ-वे होम शुरू कर दिया गया।

8.140 राँची मनोरोग-विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान में भी पुरुष और महिला दोनों के लिए हाफ-वे होम को स्थापित किया गया है। यह प्रबंध तदर्थ था और ठीक हुए रोगियों को अलग करने के प्रारंभिक उद्देश्य और उन्हें आत्म प्रबंधन के लिए रियात और सुविधाएं दे रहा है। लेकिन उचित हाफ-वे होम को अस्पताल में स्थापित करने और किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाए जाने की जरूरत है। राँची तंत्रिका मनोरोग विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान के निदेशक द्वारा इस संदर्भ में संजीवनी ग्राम ट्रस्ट (एस जी टी) को एक विश्वस्नीय गैर-सरकारी संगठन के रूप में चुना गया है, एस जी टी ने हाफ-वे होम को चलाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एम ओ एस जे ई) को प्रस्ताव पेश किया है।

8.141 आयोग यह महसूस करता है कि सभी तीनों मानसिक अस्पतालों में हाफ-वे होम की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विधिवत् आर्थिक सहायता मिलने की तुरंत आवश्यकता है। आयोग यह आशा करता है कि यह मंत्रालय इस मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) पश्चिम बंगाल में सरकारी मानसिक अस्पतालों का दौरा

8.142 आर आई एन पी ए एस, राँची, आई एम एच एच, आगरा और जी एम ए, ग्वालियर के कार्यचालन का निरीक्षण करने के अतिरिक्त, आयोग ने कुछ अन्य मानसिक अस्पतालों में भी परिस्थितियों के अध्ययन का भी जिम्मा लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्रीमती सुजाता वी. मनोहर ने श्री चमन लाल, विशेष सम्पर्ककर्ता के साथ सबसे पहले 16 से 17 जनवरी, 2004 को कलकत्ता पावलॉव अस्पताल और लुम्बिनी पार्क अस्पताल, कलकत्ता का दौरा किया। 18 मार्च, 2004 को आयोग द्वारा चर्चित रिपोर्ट नैदानिक एवं चिकित्सीय सुविधाओं, रोगियों की देखभाल, व्यावसायिक चिकित्सा सुविधाओं के स्तर और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी की व्यापक तस्वीर पेश करता है। आयोग ने इन अस्पतालों के परिचालन में सुधार और विशेष रूप से उनके मानव अधिकारों की दृष्टि से इन रोगियों की देखभाल और ईलाज में सुधार के लिए कई संस्कृतियाँ की हैं। इस रिपोर्ट को 5 अप्रैल, 2004 को पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा जा चुका है।

(3) मानसिक अस्पताल में गुणवत्ता आश्वासन: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एन आई एम एच ए एनएस) रिपोर्ट

8.143 देश के मानसिक अस्पतालों में आमतौर से मौजूद असंतोषजनक परिस्थितियों की समस्या पर आयोग ने हमेशा चिंता व्यक्त की है। मानसिक रोगियों के निराश रिश्तेदारों द्वारा उन्हें मानसिक अस्पतालों में डालकर पीछा छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिससे अस्पतालों में जहां पहले से ही आधारभूत सुख सुविधाओं की कमी और चिकित्सीय सुविधाएं अप्रत्याप्त हैं, रोगियों की संख्या अत्याधिक हो जाती है। इन अस्पतालों में रिश्तेदारों को बिमारी की प्रकृति या चिकित्सा की जरूरत और ठीक होने वाले रोगियों के पुनर्वास के बारे में जागरूक करने की दिशा में कुछ नहीं किया जाता। इसलिए आयोग ने सोचा कि यह सही और उचित समय है जब आयोग ऐसी परियोजनाओं को हाथ में ले जिससे मानसिक अशक्तता से ग्रस्त लोगों के मानव अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़े।

8.144 देश में मानसिक अस्पतालों में स्थितियों के सुधार हेतु और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त लोगों के अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्य योजना को तैयार करने के उद्देश्य से, आयोग ने मानसिक अस्पतालों के गुणवत्ता आश्वासन पर अनुसंधान परियोजना का कार्य राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर को सौंपा है। एन. आई. एम. एच. ए. एन. एस. द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जिसका नाम “मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता आश्वासन है, को जरूरी अनुवर्तन कार्रवाई हेतु सभी मानसिक अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य सचिवों को भेजा गया। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2001-2002 पर की गई कार्रवाई ज्ञापन के अनुसार सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयोग के विचारों से अवगत कराया कि मानसिक अशक्तता से पीड़ित लोगों की उचित देखभाल के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए। जबकि कुछ राज्यों ने ही अनुवर्तन कार्रवाई की रिपोर्ट दी है लेकिन यह खेदजनक है कि बार-बार कहने पर अन्य राज्यों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है। यह निश्चित करने के लिए कि सभी राज्य संस्कृतियों का पालन करे, आयोग ने रिपोर्ट में की गई इन संस्कृतियों के कार्यान्वयन पर एन. आई. एम. एच. ए. एन. एस. से सलाह मांगी है।

आगरा, ग्वालियर और राँची के मानसिक अस्पतालों में पुनर्वास परियोजनाएं

8.145 आगरा ग्वालियर और राँची के मानसिक अस्पतालों में दीर्घ अवधि से रह रहे रोगियों के पुनर्वास हेतु, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सहायता से ऐक्शन ऐड इंडिया द्वारा “मैत्री परियोजना” चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत, ऐक्शन ऐड इंडिया तीन मानसिक अस्पतालों के परिचारिकों और नर्सिंग स्टाफ के लिए सुग्रहीकरण कार्याशालाओं का आयोजन करेगा।

8.146 एक्शन ऐड इंडिया द्वारा इस परियोजना पर काम करने में सूत्रपात का निर्णय इस उद्देश्य के लिए गठित 24 सितम्बर, 2002 को हुई विशेषज्ञ समूह की बैठक के दौरान लिया गया एक्शन ऐड टीम अपने-अपने अस्पतालों में (i) रोगियों के दैनिक निर्वाह, सामाजिक और सामुदायिक कौशल का पुनःनिर्माण करने और (ii) रोगियों को संवेदनशील, सजीव और मनोरंजनात्मक माहौल मुहैया कराने के लिए चित्सीय गतिविधियों पूरी कर रहा है।

8.147 इस परियोजना पर कार्य करने के लिए चार पैरा-कर्मियों को आर आई एन पी ए एस, राँची, जी एम ए, ग्वालियर और आई एम एच एण्ड एच, आगरा प्रत्येक स्थान पर एक-एक को नियुक्त किया गया है। अप्रैल/मई 2003 में स्थल पर ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण के चरण-1 की संकल्पना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में अधिविन्यास के रूप में और चरण-2 का उद्देश्य परामर्श और अपुवर्तन कौशल था।

8.148 मानसिक रूप से बीमार लेकिन अब रोग मुक्त व्यक्तियों को अपने परिवार के साथ पुनर्वास करने की प्रक्रिया सितम्बर, 2003 से चल रही है। आर आई एन पी ए एस, राँची और जी एम ए, ग्वालियर से कम से कम 96 रोगियों को उनके परिवारों के साथ मिलाया गया छुट्टी दी गई। आपसी सहयोग से की जाने वाले पुनर्वास की कोशिशों को दृढ़ बनाने के लिए ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के परिचर्यों और नर्सिंग स्टॉफ के लिए जून 2003 में सुग्राहीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन तीनों अस्पतालों के लिए ऐसी 11 और कार्यशालाओं की योजना बना ली गई है।

(ट) भोजन का अधिकार

8.149 1997 में उड़ीसा के बोलंगीर जिले में सूखे के कारण भूख से होने वाली मौतों का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग अपनी दिनांक 17 फरवरी 1998 की कार्यवाही पर यह मत व्यक्त किया कि कुल दो साल की अवधि के लिए कुछ अंतरिम उपाय किए जाने चाहिए। आयोग ने उड़ीसा राज्य सरकार से के बी के जिलों में भूमि सुधार से जुड़े सभी पहलुओं का परीक्षण करने हेतु समिति बनाने का भी अनुरोध किया। आयोग विशेष सर्म्पककर्ता के माध्यम से अपने निर्देशों के कार्यान्वयन पर प्रगति को निरन्तर मॉनीटर कर रहा है।

8.150 आयोग का यह मानना है कि देश के कुछ हिस्सों से भूख से होने वाली प्राप्त रिपोर्ट एक तरह से लोक सेवकों द्वारा किए कृताकृत के परिणाम स्वरूप कुशासन का परिणाम है और आयोग के लिए ये प्रत्यक्ष चिंता का विषय है। अपेक्षित विचार-विमर्श के पश्चात् आयोग ने इस बात का समर्थन किया कि भूख से मुक्ति इस देश के लोगों का मौलिक अधिकार है। इस लिए भूख के कारण मौत होना इस अधिकार का घोर वंचन और उल्लंघन है।

8.151 आयोग ने उपरोलिखित मामले पर विचार करते हुए ऐसी परिस्थिति से जुड़े अधिकारों के आधारभूत मामलों की भी चर्चा की जिनमें मौत का कारण भूख या लम्बा कुपोषण है। इस बात का दावा किया गया कि जबकि संविधान भोजन के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में समझता है, राहत प्रशासन को नियंत्रित करने वाली राहत नियमावली और राहत कोष एक प्रकार से मॉडल अकाल कोड 1910 का ही प्रतिकृतियन है जिसके अन्तर्गत राज्य राहत के लिए मुहैया कराता है क्यों कि यह कृतकारिता कार्य है और लाभार्थी की स्थिति राज्य दान को प्राप्त करने वाले के रूप में होती है।

8.152 इसके अनुपालन में आयोग ने भोजन के अधिकार को वास्तविकता देने के लिए कार्रवाई कार्यक्रम बनाने की जरूरत को महसूस किया। इस विचार को ध्यान में रखकर इस विषय पर अग्रविशेषज्ञ के साथ जनवरी, 2004 में भोजन के अधिकार से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई।

8.153 इस बैठक में उभर कर आए बिन्दु इस प्रकार हैं :-

- सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त भोजन मिले सरकार को दीर्घ अवधि योजना बनानी चाहिए।
- सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समय भूख से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों में मुख्यरूप से जवाबदेही होनी चाहिए।
- पंचायतों को वितरण पद्धति की परिधि में लाकर वितरण की पद्धति को मजबूत करने की जरूरत है।
- रोजगार उत्पत्ति कार्यक्रम के मुक्तिकरण न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि तथा काम के बदले भोजन कार्यक्रम से ग्रामीण लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
- राजनीतिक नेताओं और अफसरशाही दोनों को भूख से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए सभी राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग और खाद्य एवं कृषि विभागों को जवाबदेह बनाया जाए।
- राज्य सरकारों को ऐसे क्षेत्रों में जहां भोजन का अभाव वार्षिक घटना है, उचित समय पर अग्रिम कार्रवाई का सूत्रपात करने के लिए कहा जाए।
- मॉनीटरिंग पद्धति के संस्थायन की जरूरत है। सभी मॉनीटरिंग अभिकरण आयोग के साथ तालमेल स्थापित करें।

- आयोग मध्यांतर आहार योजना के कार्यान्वयन में अतःक्षेप पर विचार कर सकता है।
- सरकार द्वारा राहत बंधपत्रों को जारी किया जाए जिन्हें राज्य सरकारों तथा अग्रिम बैंकों द्वारा खरीदा जाए ताकि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त निधि की उपलब्धता निश्चित की जा सके।

8.154 आयोग ने भोजन के अधिकार पर कोर समूह के गठन की मंजूरी दे दी है जो इसको विचारार्थ भेजे गए मामलों पर सलाह दे सके और उचित कार्यक्रमों का सुझाव भी दे जिनकी जिम्मेदारी आयोग अपने ऊपर ले सके।

8.155 कर्नाटक के सूखा संभाव्य कोपल जिले में किसान परिवारों की सामूहिक आत्महत्या से जुड़े मामले पर आयोग को प्राप्त शिकायत पर विशेष सम्पर्ककर्ता श्री के आर वेणुगोपाल ने 20 अक्टूबर, 2003 को कोपल जिले के कुस्ती तलुक में मुकतरमपुरा गाँव का दौरा किया और मामले में मौके पर ही विस्तृत जाँच की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव और अन्य संबद्ध सचिवों और जिला अधिकारी कोपल के साथ विस्तृत चर्चा की। विशेष सम्पर्ककर्ता ने उपज स्थितियों, रोजगार कार्यक्रमों भूख के स्तर, ऋण की उपलब्धता, लोक वितरण पद्धति के प्रचालन, आई सी डी एस के प्रचालन तथा किस प्रकार इसका प्रभाव किसानों के जीवन पर पड़ा है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का पोषण स्तर और इस परिस्थिति में राज्य तथा केन्द्र सरकारों की प्रतिक्रिया से संबंधित इस क्षेत्र की स्थितियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने आयोग को विस्तृत रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कार्रवाई हेतु कई संस्तुतियों की हैं। आयोग ने की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु इस रिपोर्ट को कृषि एवं ग्रामीण विकास के केन्द्रीय मंत्रियों और कर्नाटक सरकार को भेज दी है। अनुवर्तन कार्रवाई की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

8.156 आंध्र प्रदेश के मट्टमपाली मंडल के लाली टंडा गांव में भूख से होने वाली मौत पर 'द हिन्दु' में 19 फरवरी 2004 को छपी रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए, विशेष सम्पर्ककर्ता, श्री के आर. वेणुगोपाल ने इस गांव का दौरा कर जांच की जिसमें यह सिद्ध हुआ कि यह मौत सचमुच भूख के कारण हुई थी। विशेष सम्पर्ककर्ता के लाली टंडा जिले में दौरे और भूख से हुई मौत के मामले में जांच के संदर्भ में जिला अधिकारियों के साथ चर्चा के परिणाम स्वरूप पीड़ित के परिवार और पूरे टंडा को जिला प्रशासन राहत पैकेज उपलब्ध कराया गया है और घटना के कारण को उपेक्षा बताकर जिम्मेदारी नियत की गई। इसके लिए किए गए उपायों में भोजन के अधिकार से जुड़े सभी आयाम जैसे काम के बदले अनाज, राशन कार्डों का वितरण, जिम्मेदार उचित दर दुकान व्यापारियों की नियुक्ति, वृद्धावस्था पेंशन की मंजूरी इत्यादि शामिल हैं।

(ठ) जाति पर आधारित भेदभाव

8.157 अपनी पिछली रिपोर्टों में आयोग ने अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को पेश आने वाले भेदभाव पर चिंता की विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। आयोग का यह दृढ़ विचार है कि वृद्धावस्था से जुड़े भेदभाव और घर कर गये नजरिए को शिक्षा के माध्यम और जन सूचना अभियानों के माध्यम से दूर करने की जरूरत है। चूंकि सभ्य समाज के नजरिए और मानसिक बद्धता में बदलाव ही उत्तरोत्तर विकास की कुंजी है और इस के संबंध में आयोग सभ्य समाज को शिक्षित करने और अनमें जागरूकता लाने के लिए कायशालाओं और सेमीनारों का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा स्वयं ही लोकतंत्र की रक्षा है क्योंकि लोकतंत्र वही है जिसमें ऐसे लक्षण निहित होते हैं और जो अत्यधिक सुभेद्य नागरिकों का ध्यान रखता है। ऐसे अधिकारों की रक्षा में आयोग बहुत मुखरित और खरा रहा है।

8.158 आयोग ने अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों पर किए जाने वाले अत्याचारों के प्रति हमेशा गहरी चिंता व्यक्त की है। इस लिए आयोग ने श्री के. बी. सक्सेना, आई ए एस, वरिष्ठ सेवानिवृत्त लोक सेवक से इस मामले पर गहराई से अध्ययन करने का अनुरोध किया। श्री के. बी. सक्सेना ने अपने इस अध्ययन को पूरा कर कई संस्तुतियों के साथ अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश कर दी है। इन संस्तुतियों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए आयोग ने दलित प्रकोष्ठ का गठन किया और इसे आयोग के सदस्य, श्री आर एस काल्हा की अध्यक्षता में रखा है। प्रकोष्ठ ने श्री के. बी. सक्सेना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में मुद्रण के लिए मिलकर कार्य किया है। अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने के ढंग और साधनों से संबंधित आयोग की अपनी संस्तुतियों को केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों को भेजने का विचार है। आयोग ने वर्ष 2004-2005 में दलित प्रकोष्ठ द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का एक कैलेंडर तैयार किया है। इसमें अन्य कार्यों के साथ-साथ दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने, नियमावली तैयार करने और गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के लोगों से बैठकें करने के अतिरिक्त जाँचों को मॉनीटर करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन करना शामिल है।

8.159 ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में 2 से 5 फरवरी को हुए इंटरनेशनल राऊंड टेबल ऑन रिलेशन्स पर सदस्य, आर एस काल्हा ने आयोग का प्रतिनिधित्व किया। अधिवेशन में महत्वपूर्ण चुनौतियों पर आयोग के व्यक्तव्य अनुबंध 9 पर है।

8.160 मानव अधिकारों के उल्लंघन की व्यक्तिगत शिकायतों का निवारण करने के अतिरिक्त, आयोग दलितों से संबंधित मामलों पर अनुसंधान अध्ययन पर भी कार्य रहा है। इस रिपोर्ट में अन्यत्र भी इसकी चर्चा की गई कि आयोग समीक्षा वर्ष के दौरान बिहार के दलित समुदाय, मूसाहारों की स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई कार्ययोजना के कार्यान्वयन को मॉनीटर किया।

यह आयोग द्वारा श्री ए. एन. सिन्हा संस्थान को सौंपे गए अनुसंधान अध्ययन पर आधारित है। आयोग ने महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, हरियाणा को हरियाणा में दलित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर अग्रगामी अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता का भी अनुदान दिया।

8.161 जैसा कि पिछली रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि आयोग ने उच्चायुक्त, मानव अधिकार के कार्यालय से सहायता प्राप्त कर अध्यापकों के सुग्राहीकरण हेतु लिंग, जाति, धर्म और अशक्तता पर आधारित भेदभाव पर एक पुस्तिका का प्रकाशन करवाया। **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्** ने आयोग की इस कोशिश में ने सहायता की। इस पुस्तिका का विमोचन 15 जनवरी 2003 को किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसे देश के अध्यापक शिक्षा संस्थाओं जिन की संख्या लगभग 2300 है, में प्रचालित करवाया। जिसके बाद आयोग को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोद्य विद्यालय समीति और अन्य संबद्ध स्कूलों में बटवाने के लिए 3500 और प्रतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया गया। आयोग ने इस पुस्तिका की त्रुटियों का परिशोधन कर इसके संशोधित संस्करण को निकालने का निर्णय किया। इस पुस्तिका के संशोधित संस्करण को निकालने का कार्य अभी चल रहा है।

अध्याय – 9

पर्यावरण विषयक मामले

9.1 आयोग को देश के पर्यावरण मामलों विशेष रूप से नागरिकों के मानव अधिकारों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर गहरी चिंता है। वह मूलभूत सिद्धांत जिसके कारण आयोग चिंतित है, वह देश के नागरिकों के जीने के अधिकार की महत्वता से जुड़ा है। यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय और आदेश जारी किए हैं जिनका संबंध प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण की सुरक्षा से है। इन निर्णयों के व्यापक प्रचार ने जनता को अपने मौलिक अधिकारों जिनमें न्यायालय द्वारा जीने के अधिकार की व्याख्या में स्वस्थ पर्यावरण भी शामिल किया गया है, के प्रति जागरूकता आई है।

9.2 आयोग को नागरिकों के मानव अधिकारों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण मामलों अर्थात् खनिकों की सुरक्षा, प्रदूषित जल पीने से फ्लूरोसिस की समस्या, विकास प्रयोजनाओं से विस्थापित हुए व्यक्तियों और अन्य ऐसे मामलों से जुड़ी कई शिकायतें प्राप्त हुईं। आयोग द्वारा जिन मामलों पर कार्य किया गया उन का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(क) खनिकों की सुरक्षा

9.3 आयोग को श्री राखोहड़ी बिसवास निवासी जिला धनबाद, बिहार (वर्तमान झारखण्ड) से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी. सी. सी. एल.), धनबाद की गजलितंद कोयला खान में पानी भरने से 64 लोगों की तथाकथित मौत की शिकायत प्राप्त हुई। यह आरोप लगाया गया कि प्रबंधन की कोशिशों से इन फंसे हुए खनिकों को बचाया जा सकता था। यह भी आरोप लगाया गया कि गजलितंद कोयला खान से ली लकुरका कोयला खान में पानी निकलने के कारण गैस भी बाहर आ रही है जिससे गांव के आस पास के क्षेत्र पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गांव वालों की अपीलों का बी. सी. सी. एल. प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ा। आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से इस पर रिपोर्ट मांगी।

9.4 इसी बीच 7 सितम्बर 1997 में 'द वीक' साप्ताहिक में छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1965 के बाद से महबूब नगर जिले के शादनगर गांव में आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (ए. पी. एम. डी. सी.) ने क्वार्टज खनन कार्य शुरू कर दिया है और ए. पी. एम. डी. सी. के श्रमिक सिलिकॉसिस की घातक व्यावसायिक बीमारी से पीड़ित हैं। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि कम्पनी ने लम्बी अवधि के लिए बिजली जाने और बिजली सप्लाई में कमी के साथ-साथ कच्चे क्वार्टज के अत्यधिक भंडार को कारण बताते हुए अपना कार्य रोक दिया। लेकिन आरोप में वास्तविक कारण यह बताया गया है कि उन्होंने इस बीमारी से होने वाली मौतों और होहल्ले का अंदेशा हो गया था। श्रमिकों के इलाज पर होने वाले व्यय या उन्हें क्षतिपूर्ति देने के दायित्व से बचने के लिए कम्पनी ने अपने कार्य को रोक दिया और खानों तथा भट्टियों में काम करने वाले श्रमिकों की छंटनी करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की याचिका रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 270 से ज्यादा लोग मारे गए और चिकित्सीय ईलाज के अभाव में अन्य बहुत से लोगों की स्थिति गंभीर थी। आयोग ने समाचार लेख का स्वतः संज्ञान लिया और आंध्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी। यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को खनिकों की सुरक्षा से संबंधित अन्य मामलों के साथ सम्मिलित किया जाए।

9.5 आयोग ने दिनांक 26 दिसम्बर 2001 की अपनी बैठक में उन प्राधिकारियों को चुनने का निर्देश दिया जो इस मामले पर गहराई से विचार करें क्योंकि इससे खनिकों की सुरक्षा पर आवश्यक संस्तुतियां तैयार करने में उन्हें सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विधि प्रभाग द्वारा की गई टिप्पणियों पर आयोग की 16 जनवरी 2002 की बैठक में चर्चा की गई। आयोग ने निर्देश दिया कि वार्तालाप के लिए संबद्ध अधिकारियों को बुलाने से पहले यह उचित होगा कि जिन मामलों/प्रश्नों पर संबद्ध अधिकारियों से सम्पर्क करना है उन्हें चुन लिया जाए। आयोग ने महानिदेशक (अन्वेषण) और पंजीयक (विधि) को इस आधार मामले का परीक्षण करने और इस प्रयोजन के लिए मामलों/प्रश्नों को चुने ताकि यह प्रक्रिया अर्थपूर्ण सिद्ध हो। इस प्रयोजन के लिए चुने हुए प्राधिकारियों के साथ वार्तालाप के लिए निम्नलिखित मामलों को सुझाया गया:—

- फ़ैक्ट्री अधिनियम 1948 और खनन क्रिया को नियंत्रण करने वाले अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुपालन में सुरक्षा प्रावधानों के लिए कम्पनी के प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।
- श्रमिकों की सुरक्षा के साथ-साथ संबद्ध खनन इकाईयों के राज्य प्राधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण हेतु नियोक्ताओं द्वारा संगत अधिनियमों के प्रावधानों के प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा मॉनीटरिंग तंत्र का गठन।
- खानों में दुर्घटना और जहरीली गैसों, धुएं, भाप, मिट्टी इत्यादि के खानों से निस्सरण को

रोकने और आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपायों पर नियोक्ताओं द्वारा उठाए गए कदम।

- खनन क्रिया से आस पास के क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव जिसमें पर्यावरण प्रदूषण, फसलों, जल संसाधनों और आस-पास क्षेत्र के घरों को होने वाला नुकसान शामिल हैं पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा अध्ययन।
- आस-पास क्षेत्रों में अनाधिकृत रिहाईश को रोकने नियंत्रण करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम।
- संकटपूर्ण कामों के परिणाम स्वरूप घायल हुए खनिक को क्षतिपूर्ति और राहत तथा साथ ही साथ अनुकम्पा पर आधारित नियुक्ति और/या दुर्घटना में मारे गए श्रमिक के नजदीकी रिश्तेदार के लिए क्षतिपूर्ति के प्रावधानों के लिए खनन कम्पनियों द्वारा उठाए गए कदम।
- खनन कार्य से प्रभावित तथा आस-पास के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार खनन कार्यो से उनकी जमीनों, घरों या शारीरिक रोगों या बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के हेतु राज्य प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम।

परस्पर संवाद के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को चुना गया :-

- क. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार
- ख. सचिव, कोयला विभाग, भारत सरकार
- ग. सचिव, खान विभाग, भारत सरकार
- घ. खान सुरक्षा महानिदेशक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार
- च. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार
- छ. प्रबंध-निदेशक, आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम
- ज. सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, झारखण्ड, राँची
- झ. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड. कोलकाता
- त. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल इंडिया लिमिटेड, धनबाद।

9.6 आयोग द्वारा बनाए गए मामलों की सूची को अधिकारियों की प्रतिक्रिया के लिए भेजा गया ताकि सुरक्षित खनन कार्य को सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध अधिकारियों/व्यक्तियों के दायित्व के प्रश्न पर विचार किया जा सके। आयोग ने उन्हें खनिकों की सुरक्षा के साथ-साथ खानों में कार्य से संबंधित मामलों और स्थानीय जनसंख्या/निवासियों पर खनन कार्य के प्रभाव पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा देने का भी अनुरोध किया।

9.7 संबद्ध अधिकारियों और विद्वानों के साथ इस मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए जल्द ही एक बैठक रखे जाने की उम्मीद है ताकि खनिकों की सुरक्षा और संबद्ध मामलों पर निश्चित निर्देश तैयार करने में आयोग सक्षम हो सके।

ख) जलनिकास/मैनहोल साफ करने वाले कामगारों की सुरक्षा

9.8 जल-निकास/मैनहोल की सफाई हेतु मानवों को लगाने की पद्धति से संबंधित मामले को आयोग द्वारा उठाया गया। आयोग ने वर्ष 2000 में दिल्ली में जल-निकास में लगे दो सफाई कर्मचारियों की मौत से संबंधित रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। जल-निकासों की सफाई में लगे कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने श्री आर. के. भण्डारी, अभियन्ता सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण को वाहित-मल प्रणाली के अनुरक्षण और प्रचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों को तैयार करने और सुरक्षा को बनाने का अनुरोध किया। तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए 2002 में संबद्ध प्राधिकरण को भेजा गया। इसी बीच एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि चेन्नई और देश के अन्य भागों में अभी भी मैनहोल में अवरोध को साफ करने के लिए मानवों को बिना सुरक्षित कपड़ों के भेजने का चलन है। शिकायत पर कार्य करते हुए आयोग ने तामिलनाडु सरकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यह सूचित किया कि शहरी स्थानीय निकायों में सिर पर मैला ढुलाई पुरी तरह से समाप्त कर दी गई है। दूसरा जब कभी मलनालियों में अवरोध का पता लगता है तो अवरोध को दूर करने के लिए उपस्करों का प्रयोग किया जाता है। शिकायतकर्ता ने जवाब में दोहराया कि कम से कम चेन्नई शहर में मैनहोलों में व्यक्तियों को अभी भी बिना सुरक्षित कपड़ों में भेजा जाता है।

9.9 चूंकि यह समस्या चेन्नई तक ही सीमित नहीं है, आयोग ने वाहित मल प्रणाली के अनुरक्षण और योजना हेतु दिशा-निर्देशों को अन्य महानगर शहरों में संबद्ध प्राधिकारियों की अप्रतिक्रिया के लिए भेजने का फैसला किया। इस प्रक्रिया के जारी रहने और इसमें निहित खतरे को ध्यान में रखते हुए तामिलनाडु सरकार से इस कार्य के दौरान मशीन खराब होने की स्थिति में मैनहोल को साफ करने के लिए लगाए व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों के बारे में सूचना देने के लिए अनुरोध किया। अन्य महानगर शहरों में भी प्राधिकारियों से आयोग ने रिपोर्ट मांगी है कि क्या आयोग के दिशा-निर्देशों को उनके द्वारा अपनाया गया है।

9.10 इसी बीच जून 2003 में दिल्ली जल बोर्ड के वाहित मल संयंत्र में हानिकारक गैस के प्रभाव से 5 कामगारों की मौत से संबंधित अन्य रिपोर्ट में आयोग का ध्यान आकर्षित किया। आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया कि वह नवीनतम उपलब्ध दिशा-निर्देशों और वाहित मल उपचार संयंत्र की अनुरक्षा से संबंधित आकड़ों के संकलन का बृहत कार्य शुरू किया है और जैसे ही यह संकलन का कार्य पूरा होगा इसे आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

9.11 आयोग ने दिल्ली बोर्ड से दिशा-निर्देशों के संकलन कार्य को जल्द ही पूरा करने और इसकी एक प्रति आयोग को विचार करने के लिए भेजने का अनुरोध किया।

(ग) पश्चिम बंगाल में संखिया से विषाक्तन (आर्सेनिक पॉएजनिंग)

9.12 पश्चिम बंगाल के 18 जिलों में से 9 में पेय जल के संखिया विष से संदूषित होने से तीस लाख से ज्यादा लोगों के पीड़ित होने की मीडिया रिपोर्ट पर आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल सरकार से दो रिपोर्टें प्राप्त हुईं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विशेषज्ञ की राय जानने के लिए भेज दिया गया।

9.13 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त टिप्पणियों पर आयोग द्वारा विचार किया गया और आयोग ने यह अपेक्षा की कि रिपोर्ट को पश्चिम बंगाल सरकार को अनुवर्तन कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार से अब टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं। सरकार की इस खतरे से निपटने के लिए मुख्य रणनीति निम्न प्रकार है।

- जहाँ कहीं भी उपलब्ध हो, भूतल आधारित जल वितरण योजना को शुरू करना
- स्केल जल संग्रहक प्रणाली-विज्ञान को अपनाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की स्थापना कर विस्तृत जल गुणवत्ता का विश्लेषण करना।
- संखिया उपचार इकाइयों, संखिया निष्कासन संयंत्र, आयरन निकालने वाले संयंत्रों को लगाना
- वर्षा जल संग्रहण ढांचे और प्राकृतिक जल निकायों पर आधारित जल वितरण योजना का कार्यान्वयन
- जहाँ कहीं आर्थिक और तकनीकी रूप से संभव हो, नदी जल पर आधारित पाइपों से जल वितरण योजना का कार्यान्वयन करना
- गहरे एक्वीफर (संखिया मुक्त नल-कूपों) को लगाना

9.14 इस राज्य में इस जोखिम से जूझ रही कुल जनसंख्या लगभग 281 लाख है जो वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 802.21 लाख की कुल जनसंख्या का करीब 35 प्रतिशत है। 31 मार्च 2003 तक संख्या न्यूनीकरण योजना के लिए 577 करोड़ रुपये की मजूरी दे दी गई है जिसके लिए अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने 224 करोड़ रुपये दे दिए हैं और राज्य सरकार ने 191 करोड़ रुपये दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना की व्याप्ति और निधियाँ की जरूरत के बारे में लघु टिप्पणी में संलग्न व्यक्तव्य में बताया गया है। राज्य में संख्या खतरे से निपटने के लिए 964 करोड़ रुपये के संसाधन अन्तर की मुख्य रूप से चर्चा की गई है।

9.15 आने वाली अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस पर आगे चर्चा की जाएगी।

(घ) फ्लूरोसिस

9.16 बहुल ऊतक (टिशु), अवयव (आरगन्स) और तंत्रों (सिसटम्स) को प्रभावित करने वाले दर्दनाक और अशक्त बना देने वाले रोग, फ्लूरोसिस की ओर आयोग का ध्यान खींचा। इस बीमारी का कारण पेय जल में फ्लूराईड आयन स्तर की अत्यधिक मात्रा का पाया जाना है। आयोग के पास उपलब्ध विशेषज्ञ अध्ययन के अनुसार 19 राज्यों में 196 जिले स्थानिक मारी से ग्रस्त हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से की गई वार्तालाप के आधार पर आयोग के महासचिव ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों और भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखकर उनके राज्यों में उन अस्पतालों की संख्या जहां फ्लूरोसिस का विस्तारपूर्वक सही रूप से निदान करने के लिए पर्याप्त ढांचे जिला अस्पतालों, शिक्षण अस्पतालों, राज्य राजधानियों में सामान्य अस्पतालों और उनके राज्य में सही और समय पर हैं, फ्लूरोसिस के निदान के लिए किस तरह की जांच और परीक्षण किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त उनके राज्यों में एक अस्पताल में फ्लूरोसिस की नैदानिक सुविधा हेतु मूलभूत ढांचा तैयार करने में कितनी लागत आएगी, पर सूचना मांगी।

9.17 आयोग को केवल गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। मूलभूत अधिकारों अर्थात् स्वच्छ पेय जल के अधिकार से वंचित जिससे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली बहुत बड़ी जनसंख्या को अकथित दुःख तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे मामले पर राज्य सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया में हुई ढील पर आयोग ने गहरी चिंता व्यक्त की।

(च) बृहत् परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों का पुनर्वास

9.18 पिछली वार्षिक रिपोर्टों में बृहत् परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बारे में आयोग के विचारों को विस्तार से बताया गया था। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि विभिन्न परियोजनाओं

के लिए भूमि के अधिग्रहण से विस्थापित लोगों का पुनर्वास भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंधों का भाग होना चाहिए अथवा इसके लिए समुचित पृथक विधायन होना चाहिए ताकि संबंधित मुद्दे वाद योग्य हो सकें।

9.19 आयोग का यह विचार है कि जीविका का अधिकार और इस देश के लाखों कमजोर नागरिकों की गरिमा जो बृहत् परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित होते हैं, को आयोग द्वारा सुझाए गए ढंग से सुरक्षा मिलनी चाहिए। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति उचित न्यायसंगत और पारदर्शी सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और इस देश के संविधान और संधि की बाह्यताओं विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 107 जिसका भारत भी पक्षकार है और जो स्थानीय और कबीलाई लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, को मेल खानी चाहिए। लेकिन उन लोगों को जिन्हें अपनी भूमि से हटाया जाता है और वह भी बिना पर्याप्त और यथासमय मुआवाजा दिए बिना और जिन्हें स्वयं अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करने में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए अत्यधिक विलम्ब पर आयोग ने गहरा दुःख व्यक्त किया।

9.20 जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्टों में भी उल्लेख किया गया है, आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पुनःस्थापन और पुनर्वास) विधेयक और भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक की एक प्रति देने के लिए कहा। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 मार्च, 2004 को परियोजना प्रभावित परिवारों— 2003 पर राष्ट्रीय पुनःस्थापन और पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति की प्रति आयोग को प्रेषित की है। आयोग ने सरकार को इस पर अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए इसका बारीकी से परीक्षण शुरू कर दिया है।

अनुसंधान कार्यक्रम और परियोजनाएँ

10.1 आयोग के कानून अधिनियम की धारा 12(ज) आयोग को मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने और उसके संवर्धन को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। पिछली रिपोर्ट में आयोग ने अनुसंधान को उन विषयों से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया जिनके मानव अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए सैद्धान्तिक मूल्य हैं। इसलिए आयोग का प्रयास रहा है कि ऐसे अनुसंधान कार्य और क्षेत्रीय अध्ययन किए जाएं जो मौलिक स्तर पर व्यावहारिक कदमों की संभावना से जोड़े जा सकते हैं। अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

क) भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन

10.2 आयोग ने पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय वकालत अध्ययन केन्द्र (एन. सी. ए. एस.) को भारत में मानव अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन, विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में अध्ययन करने का कार्य सौंपा था।

10.3 यह अध्ययन भारत के तीन राज्यों: महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में किया गया। प्रत्येक राज्य के एक विकास ब्लॉक में क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए गए। ऐसे ब्लॉकों को चुना गया जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुसंख्यक थी।

क्षेत्रीय अध्ययन के केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित थे:—

- चुने हुए गांवों में गरीबी स्तर के नीचे (बी. पी. एल.) परिवारों की सूची का संग्रह
- अध्ययन के लिए नमूना परिवारों को चुनना

- नमूना परिवारों से प्राथमिक आँकड़ें जमा करना
- प्राथमिक आंकड़ों के सत्यापन हेतु आई. सी. डी. एस., सरकारी अस्पतालों, उचित दर दुकानों, सरकार और गैर सरकारी संगठनों दोनों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों का दौरा करना।
- आंकड़ों की प्रतिपरीक्षा करने और उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में योगदान के लिए चुने गए ब्लॉकों में भिन्न गैर सरकारी संगठनों का दौरा
- इस रिपोर्ट को तैयार करने की अवधि के दौरान, अनुसंधान प्रपत्रों और प्रश्नावली को तैयार किया गया, उसका क्षेत्र में परीक्षण किया गया और उसमें सुधार लाए गए।

10.4 इस अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट जल्द ही आयोग को सौंप दी जाएगी।

(ख) अशक्त व्यक्तियों के निर्वाह व्यय का सही-सही आकलन (राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा किया गया केस अध्ययन)

10.5 आयोग ने सामान्य रूप से विकलांग और विशेष रूप से दृष्टिताह्रासितों के सरोकार के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के एक अध्ययन किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

- विकलांगों के लिए जरूरी अतिरिक्त निर्वाह व्यय और अतिरिक्त निर्विष्टियों की सूची बनाना
- देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा विकलांगता के विभिन्न प्रकार/मात्रा के लिए अतिरिक्त लागत का परिमाण बताना।
- अशक्तता के साथ जीने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त निर्वाह व्यय और अतिरिक्त निर्विष्टियों पर अंतरराष्ट्रीय निकायों, केन्द्रीय सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों को सूचना प्रदान करना।
- विकलांग व्यक्तियों की उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में जरूरी न्यूनतम आवश्यकता और वर्तमान में उन्हें जो प्राप्त है, में अन्तर का आकलन करना।
- विद्यमान योजनाओं के बेहतर उपयोग के माध्यम से इस अन्तर को दूर करने, नई योजनाओं को चलाने (अगर जरूरी हो), सामुदायिक संसाधनों और व्यक्तिगत व्यावसायिक कौशल के उपयोग के लिए उपायों को सुनिश्चित करना।

10.6 यह अध्ययन अभी चल रहा है।

(ग) अशक्तता जैसे कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के विधायन/नीति के जिला स्तर पर कार्यान्वयन की क्षमता का अध्ययन

10.7 आयोग आत्म-विमोह प्रमस्तिरिकय अंगघात मानसिक मंदता और बहुविध अशक्तता से ग्रस्त लोगों की भलाई हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा मिलकर उपरोलिखित अनुसंधान अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित बातों का पता लगाना है।

- जिला स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की नीति के कार्यान्वयन को सुगम बनाने वाले घटक
- जिला स्तर के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति के सफल कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले घटक
- सेवा और देखभाल मुहैया करवाने वालों के विभिन्न स्तरों/पंक्तियों के बीच कड़ियाँ
- अभी भी पहुंच से बाहर लोगों को पहुंच में लाने की रणनीतियाँ
- एकता में बाधा डालने वाले अवरोध
- सीमित संसाधनों के उपयोग के लिए रणनीतियाँ
- उपभोक्ताओं का संतोष स्तर

10.8 इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में 15 जिलों को शामिल करना है और यह कार्य अभी चल रहा है।

(घ) बधिर व्यक्तियों के लिए भारतीय संकेत भाषा की पहचान और उसे बढ़ावा देना—अनुसंधान कार्रवाई

10.9 पूरे विश्वभर में बधिरों के लिए संकेत भाषा के विकास को गति मिली है; कई देशों ने संकेत भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। जून 1994 में 92 सरकारों के प्रतिनिधियों और 25 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की शिक्षा की विशेष जरूरतों पर सालमैका, स्पेन में विश्व सम्मेलन की बैठक हुई। उन्होंने सभी अशक्त बच्चों की शिक्षा पर गतिशील नव वक्तव्य को अंगीकार किया जो अन्य बातों के साथ-साथ बधिरों के लिए संकेत भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में महत्वता पर जोर देता है और जो राज्य को सभी बधिर व्यक्तियों के लिए उनकी राष्ट्रीय संकेत भाषा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

10.10 बिवाको सहस्राब्दि ढाँचा द्वितीय एशियाई और अशक्त व्यक्तियों के प्रशान्तीय दशक, (2003–2012) के लिए नीति दिशा–निर्देश हैं। इसमें कार्रवाई के लिए सूचना और संचार की पहुंच को 7 में से एक प्राथमिक नीति क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। यह ढाँचा “सरकारों को मानक संकेत भाषा के विकास और समन्वय” के लिए प्रेरित करता है।

10.11 भारत के संविधान का अनुच्छेद 29(1) मान्यता देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग जिसकी अपनी एक विशेष भाषा, लिपि, या संस्कृत है उन्हें वह भाषा बोलने का अधिकार है। यह मांग इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत में श्रव्य ह्रासित व्यक्ति अभी भी पूर्णतः विकसित संकेत भाषा जिसका अपना व्याकरण और अन्य तत्व हो, की बजाय अपरिष्कृत और अल्पविकसित स्थानीय संकेत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आयोग का यह विचार है कि एक सामान्य भारतीय संकेत भाषा को सुव्यस्थित ढंग से बढ़ावा और पहचान दिए जाने की जरूरत है। आयोग ने तदनुसार इस संबंध में सभी संबद्धों से विचार विमर्श शुरू करने का निर्णय लिया है।

(च) अशक्त व्यक्तियों द्वारा सूचना अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव—आई. सी. टी. डेस्क अनुसंधान

10.12 यूनेस्को के गठन के अन्तर्गत, इस से यह अपेक्षा की जाती है कि यह सभी प्रकार के दूर संचार के माध्यमों से लोगों में आपसी जानकारी और समझ को बढ़ावा दे, शब्दों और प्रतिबिम्बों से विचारों के स्वतंत्र प्रवाह को बढ़ावा दें, जानकारी का अनुरक्षण करें, उसे बढ़ावा और उसका प्रसार प्रचार करने और सामान्य शिक्षा और संस्कृति के प्रचार को नई गति प्रदान करे, इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यूनेस्को की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है चूंकि सूचना समाज ने हालांकि जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। इंटरोपरेबल नेटवर्क के माध्यम से सूचना का उत्पादन, संसाधन और अपास में बांटना बहुत अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय और लागत प्रभावी हो गया है, लेकिन अशक्त लोगों द्वारा इसके प्रभावशाली उपयोग पर अभी भी संदिग्धता है। सूचना, संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों, सेवाओं और जिस ढंग से इसकी अन्तर्वस्तु का गठन किया जाता है, से अशक्त व्यक्तियों की सामाजिक दूरी बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अशक्त व्यक्तियों के सूचना अभिव्यक्ति और संचार के अधिकार की स्वतंत्रता पर तब तक समझौता करना होगा जब तक लोगों की विविधता और अशक्तता की भिन्नता को सूचना उत्पादनों और सेवाओं को प्रदान करने वालों और विनिमयक द्वारा पहचान नहीं की जाती है।

10.13 सूचना समाज पर विश्व शिखर (डब्ल्यू. एस. आई. एस.) द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों और कार्य योजना में अशक्तता आयाम को उचित ढंग से शामिल करने के विचार से, अशक्त व्यक्तियों

द्वारा सूचना, अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव का आकलन करने के लिए यूनेस्को ने विशेष सम्पर्ककर्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से सम्पर्क किया। विधिक ढाँचे, विनियमनों और सूचना नीतियों जिनमें वे प्रतिमानक और मानक भी शामिल हैं जिनके आधार पर उत्पादों और सेवाओं का विकास और उत्पादन होता है, का विश्लेषण कर इस कार्य के लिए विस्तृत डेस्क अनुसंधान किया गया। इस अध्ययन के परिणामों को संस्तुतियों सहित यूनेस्को को बताया गया है। यह स्पष्ट है कि दिसम्बर 2003 में जैनिवा में डब्ल्यू. एस. आई. एस. की प्रथम प्रावस्था के दौरान शामिल किए गए सिद्धान्तों और कार्य योजना के मसौदा घोषणा पत्र में अशक्तता व्यक्तियों और से जुड़े मामलों की कई जगह चर्चा है।

(छ) ऑपरेशन ओएसिस—पश्चिम बंगाल में मानसिक रोगियों से संबंधित अध्ययन

10.14 जैसा कि पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में संकेत किया गया है कि आयोग कोलकाता स्थित गैर सरकारी संगठन 'सेवक' को ऑपरेशन ओएसिस नामक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। अनुसंधान परियोजना से पश्चिम बंगाल में विभिन्न जेलों और गृहों की पहचान की गई और 'सेवक' इन जेलों और हिरासतीय घरों में मानसिक रोगियों की सहायता कर रहा है।

10.15 जबकि यह परियोजना अभी जारी है 'सेवक' ने इस परियोजना की दूसरी प्रावस्था की रिपोर्ट पेश कर दी है।

10.16 इस रिपोर्ट में यह दोहराया गया कि ज्यादातर मामलों में जेल और हिरासतीय गृहों में पड़े मानसिक रोगियों की संबंधित प्राधिकारों द्वारा उनकी मानसिक रोगियों के रूप में पहचान नहीं की गई थी। 'सेवक' ने मानसिक रोगियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया है और दर्शाया है कि किस तरह वे सुधार हिरासतीय गृहों में पहुंचते हैं अर्थात् :-

- समूह 'क' : मानसिक रोगियों का अपने मनोरोग से प्रभावित होने के बाद आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना पाया जाना है इसके बाद इन्हें सुधार संस्थानों में भेजा गया है।
- समूह 'ख' : वे मानसिक रोगी जो सड़क पर आवारा घूमते हुए पाए गए और उसके बाद छोटे-छोटे मामलों में शक के आधार पर आरोप लगाया गया। इन व्यक्तियों को भी सुधार संस्थानों में भेजा गया।
- समूह 'ग' : मानसिक रोगियों (विशेष रूप से औरतों) को अस्थिर मानसिक स्थिति में आवारा घूमते हुए पाया गया और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर सुधार और हिरासतीय संस्थानों में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए भेज दिया गया, और

- समूह 'घ' : बहुत बड़ी संख्या में मानसिक रोगियों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें वैगरेंट नाम देकर वैगरेंट गृहों में भेज दिया जाता है।

10.17 'सेवक' द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार संबंधित प्राधिकारी इन लोगों को मानसिक रोगियों के रूप में पहचान करने के अनिच्छुक हैं क्योंकि वे इन लोगों के इलाज हेतु प्रबन्ध जुटाने के दायित्व से बचना चाहते हैं। उपरोलिखित के संदर्भ में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जेल में विचारणधीन/अपराधी व्यक्तियों के आवधिक चिकित्सीय परीक्षण के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं।

10.18 'सेवक' की रिपोर्ट का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि जेल में अंतःवासी मानसिक रोगियों की देखभाल की निरन्तर जरूरत रहेगी, इन व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के प्रावधानों का भी अनुपालन करना चाहिए। रिपोर्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार इन दोनों दायित्वों को नहीं निभा रही है। चूंकि परियोजना अवधि मार्च, 2004 तक थी, 'सेवक' का यह विचार है कि मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करने और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अन्तर्गत दायित्वों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार को उठानी चाहिए। इस संबंध में राज्य की इसके प्रति प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण नहीं रही।

10.19 इस परियोजना की अन्तिम रिपोर्ट मई 2004 तक आने की आशा है।

(ज) हरियाणा में दलित महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति

10.20 महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा पेश किए गए "हरियाणा में दलित महिलाओं की समाजार्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति" नामक अग्रगामी अध्ययन का आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया है।

10.21 इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- हरियाणा राज्य में चुने हुए जिलों के क्षेत्रीय अध्ययनों के माध्यमों से दलित महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति पर सर्वेक्षण करना;
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सर्वांगीन विकास करने में दलित महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान करना

- दलित महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक राहत प्रदान करने हेतु सरकार के विशेष संरक्षी प्रावधानों के प्रभावों पर सर्वेक्षण करना।
- सामान्य रूप से दलितों और विशेष रूप से इस श्रेणी से संबंधित महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका का आकलन करना; और
- दलित महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के सुधार हेतु संस्तुतियों करना।

10.22 यह अध्ययन अप्रैल, 2004 के महीने में शुरू होगा और इसे 18 महीने के समय में समाप्त करना है।

झ) भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा पर अनुसंधान अध्ययन: दण्डिक न्याय प्रणाली की प्रकृति, कारण और प्रतिक्रिया

10.23 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा प्रस्तावित भारत में महिलाओं पर घरेलू हिंसा: अपराधिक न्याय प्रणाली की प्रकृति, कारण और प्रतिक्रिया के अनुसंधान अध्ययन के लिए आयोग ने वित्तीय सहायता का अनुमोदन कर दिया है।

10.24 इस परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित पर अध्ययन करना है :-

- देश में महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा की प्रकृति;
- पारिवारिक सदस्यों द्वारा महिलाओं पर किए जाने वाली हिंसा के प्रकार और सीमा;
- देश में घरेलू हिंसा का कारण;
- लोगों के प्रतिबद्ध नजरिए और रूढ़िबद्ध विचारधारा जो घरेलू हिंसा का कारण बनती है;
- विभिन्न श्रेणी के पुलिस कार्मिकों की घरेलू हिंसा के प्रति नजरिए और रूढ़िबद्ध विचारधारा जो उन्हें घरेलू हिंसा की घटनाओं के प्रति विशिष्ट ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करती है;
- घरेलू हिंसा से संबंधित विधि प्रावधानों का प्रभाव; और
- अध्ययन के परिणामों के आधार पर घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी लाने के लिए उचित अंतःक्षेपण की संस्तुतियाँ करना।

10.25 इस अध्ययन पर अभी कार्य चल रहा है। अनुसंधानकर्ता समय-समय पर अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इस अध्ययन के सितम्बर 2004 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

ट) बाल न्याय (बाल देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के कार्यान्वयन पर अध्ययन

10.26 समाज-विधिक सूचना केन्द्र (एस. एल. आई. सी.) नई दिल्ली द्वारा पेश किए गए बाल न्याय (बाल देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के कार्यान्वयन पर अध्ययन करने के प्रस्ताव का आयोग ने अनुमोदन कर दिया है।

10.27 इस अध्ययन का उद्देश्य बाल न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के कार्यान्वयन की मात्रा की समीक्षा के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करना है:—

- केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों के साथ परस्पर संवाद करना ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन संस्थानों/समितियों/बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए उनकी स्थिति की जांच हो सके;
- केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों के साथ परस्पर संवाद करना ताकि नियमों का तैयार करने, न्यायधीशों की नियुक्ति, कर्मचारियों इत्यादि से संबंधित स्थिति का जायजा लिया जा सके।
- इस अधिनियम की परिधि में आने वाले बच्चों को सहारा देने के लिए बनाए गए या पहचान किए गए विभिन्न प्रकार के गृहों का पता लगाना।
- इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन पर मुख्य संस्थानों/विद्यालयों और बाल अधिकार समूहों से साक्षात्कार कर उनकी राय जानना
- इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार और गैर सरकारी संगठनों पर डाले गए दायित्वों का परीक्षण और असके कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेना।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गई विशेष बाल पुलिस ईकाईयों की स्थिति का परीक्षण करना
- कार्यान्वयन के श्रेष्ठ और सब से खराब मामलों से नमूना अध्ययन करना
- इस अधिनियम से संरक्षण प्राप्त बच्चों की संख्या पर आंकड़े इकट्ठे करना; और
- इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु दाखिल की गई जनहित याचिकाओं से संबंधित सूचना इकट्ठी करना।

10.28 यह अध्ययन 15 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। यह अध्ययन अप्रैल 2004 में शुरू किया गया और इसे 15 महीने में समाप्त किया जाना है।

ठ) बँगलोर में महिलाओं द्वारा पुलिस स्टेशन में की गई शिकायतों का अध्ययन

10.29 2001-2002 की वार्षिक रिपोर्ट में यह प्रतिवेदित किया गया कि महिलाओं के अधिकारों का एक मंच 'विमोचना' जा बँगलोर स्थित गैर सरकारी संगठन है, द्वारा पेश किए गए बँगलोर में पुलिस स्टेशन में महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों पर अनुसंधान अध्ययन का आयोग ने अनुमोदित किया था। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- महिलाओं द्वारा पुलिस स्टेशन में की गई शिकायतों का समग्र निर्धारण करना;
- पुलिस कार्मिकों द्वारा इन शिकायतों पर किस प्रकार से कार्रवाई की गई है, का मूल्यांकन करना;
- शिकायतकर्ताओं को अपने विधिक अधिकारों की कितनी जानकारी है, का पता लगाना;
- जब शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायतों को दर्ज कराते हैं तो उनकी कौन सहायता करते हैं, को सुनिश्चित करना।
- नागरिकों की प्रथम सूचना रिपोर्ट देने की सुगम पहुंच, शिकायतों के आलेखन की प्रक्रिया और शिकायतों पर जांच और अभियोजन के अनुवर्तन में सुधार से संबंधित ऐसे उपायों की सलाह देना जिन्हें पुलिस स्टेशनों के अन्दर और बाहर दोनों जगह अपनाया जा सके;

10.30 इस अध्ययन के लिए दो पुलिस स्टेशनों—जे जे नगर और बनसवाडी से आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। कुल 264 महिला शिकायतकर्ताओं के साथ साक्षात्कार किया गया। दोनों पुलिस स्टेशनों के सभी उच्च और निचले पदों के पुलिस अधिकारियों के साथ गहन साक्षात्कार किए गए हैं। इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ढ) "दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के गैर-अधिसूचित और खानाबदोश समुदायों के मानव अधिकारों की स्थिति" नामक अनुसंधान अध्ययन

10.31 प्रो० जी. एन. देवी, न्यासी, भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केन्द्र, बड़ोदा द्वारा "दिल्ली गुजरात और महाराष्ट्र के गैर-अधिसूचित और खानाबदोश समुदायों के मानव अधिकारों की स्थिति पर अध्ययन" पर पेश किए गए प्रस्ताव को आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

10.32 इस प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- अध्ययन के लिए चुने गए समुदायों की आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक पैटर्न का अध्ययन करना;
- पुलिस विभाग के साथ इनके सम्पर्क में आने के पैटर्न का अध्ययन करना;
- अध्ययन के लिए चुने गए समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की हिरासतीय मौतों की घटनाओं का अध्ययन करना;
- इन समुदायों में विधिक जागरूकता और कानूनी साक्षरता के स्तर का अध्ययन करना; और
- इन समुदायों का चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होने का अध्ययन करना।

10.33 यह अध्ययन जिस दिनांक से शुरू हुआ है उससे एक वर्ष तक चलेगा।

ड) तेंदू पत्ता तोड़ने वालों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अनुसंधान अध्ययन-उड़ीसा

10.34 मानव विकास समाज (एच. डी. एस.), नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत "उड़ीसा में तेंदू पत्ता तोड़ने वालों की स्थिति-बच्चों और बंधुआ मजदूरी प्रणाली के विशेष संदर्भ में उनकी समाजार्थिक स्थिति के अध्ययन नामक अनुसंधान प्रस्ताव को आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

10.35 इस विषय पर कार्य करने का मूल उद्देश्य यह है कि उड़ीसा के तेंदू पत्ता भागों में तेंदू पत्ता तोड़ने वाले और बीड़ी बनाने वाले दो सब से ज्यादा उत्पीड़ित समूह हैं। इस परियोजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं।

- तेंदू पत्ता तोड़ने वालों की समाजार्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाना;
- तेंदू पत्ता व्यापार की गतिशीलता-विभिन्न-कार्य करने वालों प्रक्रियाओं और इस व्यापार के अर्थशास्त्र की भूमिका का विश्लेषण करना;
- तेंदू पत्ता व्यापार में बंधुआ मजदूरी प्रणाली-सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इत्यादि के विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और दिशानिर्देशों तथा आदेशों के परिपेक्ष्य में लीफ तोड़ने वालों और उनके नियोक्ताओं के बीच संबंध, मजदूरी, कार्य स्थितियों-का परीक्षण करना।
- तेंदू पत्ता व्यापार में बाल श्रामिकों की संख्या का परीक्षण करना

- पत्ता तोड़ने वालों और उनके परिवारों को पेश आने वाली सामाजिक, आर्थिक और अन्य समस्याओं का पता लगाना
- उन उपचारात्मक उपायों की सलाह देना जिससे इन समस्याओं का हल हो सके और;
- पत्ता तोड़ने वालों पर आंकड़े तैयार करना जिससे नीति निर्माताओं और प्रांतीय लोगों विशेष रूप से तेंदू पत्ता तोड़ने वालों की स्थिति से सरोकार रखने वाले अन्यो को सहायता मिल सके।

10.36 इस अध्ययन में उड़ीसा के पांच मुख्य तेंदू पत्ता भागों अर्थात् नवरंगपुर, जेपोर, पदमपुर, पटनागढ़ और अंगुल को सम्मिलित किया गया है।

10.37 इस परियोजना की अवधि 8 महीने है और इसे 2004–2005 में पूरा किए जाने की आशा है।

त) बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों के प्रति वर्तमान विचारधारा पर अनुसंधान परियोजना

10.38 पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठन सरल ग्रामीण क्षेत्रीय सेवा केन्द्र (सी. एस. आर. ए.) द्वारा प्रस्तुत “बाल श्रम में वर्तमान झुकाव” भरतपुर-II ब्लॉक, मुर्शीदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में बीड़ी उद्योग का अध्ययन नामक अनुसंधान परियोजना का आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया।

10.39 परियोजना प्रस्ताव बीड़ी उद्योग पर बाल श्रमिकों की बुरी स्थिति की मुख्य रूप से चर्चा की गई। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:—

- सामान्य रूप से बीड़ी श्रमिकों और विशेष रूप से बाल श्रमिकों की निर्वाह और कार्य स्थितियों पर विशेष रूप से चर्चा करना।
- उन सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को उजागर करना जो बच्चों को कम उम्र में बीड़ी बनाने के काम में धकेलती है।
- बीड़ी उद्योग में बाल श्रम के वर्तमान झुकाव को समझना और उचित स्पष्टीकरण ढूँढना कि क्यों बीड़ी उद्योग में बाल श्रम बढ़ रहा है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य झुकाव स्पष्ट रूप से कम हो रहा है।
- बीड़ी बनाने वाले बाल श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए सरकारी-गैर-सरकारी संगठन स्तर पर मध्यस्थता की सूची बनाना।

10.40 यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में काम कर रहे श्रमिकों पर केन्द्रित होगा। अध्ययन क्षेत्र के रूप में 10 गांवों को चुना जाएगा जो ब्लॉक के गांवों में बीड़ी बनाने वाले लगभग 40 प्रतिशत बाल श्रामिक शामिल होंगे। बीड़ी बनाने वाले बच्चों, उनके माता-पिता, नियोक्ताओं, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों, जिला अधिकारियों से आँकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। यह परियोजना जिस दिनांक से शुरू हुई है उससे 12 महीने की समय सीमा में समाप्त की जाएगी।

मानव अधिकार साक्षरता और जागरूकता का संवर्धन

11.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ज) में आयोग को मानव अधिकारों के प्रति जानकारी और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है। आयोग प्राप्त सभी साधनों से इस उद्देश्य की पूर्ति में लगा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आयोग के सभी कार्यक्रम मोटे तौर पर ऐसे माहौल को पैदा कर रहे हैं जिसमें मानव अधिकारों की सुरक्षा और उसको बढ़ावा बेहतर ढंग से हो सके। आयोग द्वारा शिकायतों के संबंध में लिए गए निर्णय, शुरू किए गए कार्यक्रम और परियोजनाएं, आयोजित की गई संगोष्ठियों और कार्यशालाओं तथा इसके प्रकाशन और चर्चाएं सभी का उद्देश्य देश में मानव अधिकारों की संस्कृति पैदा करना है। इसलिए इस अध्ययन में सूचीबद्ध कार्यक्रमों को आयोग के प्रयासों की सफलता के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।

क) मानव अधिकारों की राष्ट्रीय कार्य योजना और मानव अधिकार शिक्षा की कार्य योजना

11.2 गत वार्षिक रिपोर्ट में मानव अधिकारों की राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के महत्व पर आयोग ने बल दिया था और इस तथ्य पर भी चिंता व्यक्त की थी कि यह मामला जरूरत से ज्यादा समय से लंबित है। आयोग ने सरकार को राष्ट्रीय कार्य योजना को जल्दी पूरा किए जाने का अनुरोध किया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई अवसरों पर गृह मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले की चर्चा की। इन अधिकारियों ने आयोग को सूचित किया कि यह मंत्रालय राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रारूप के ढांचे और संभाव्य घटकों पर आयोग से सलाह चाहेगा। इस मंत्रालय ने यह भी विश्वास दिलाया कि इस प्रारूप पर चर्चा के दौरान आयोग के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। समीक्षाधीन अवधि पर प्रतिवेदन के ठीक बाद ही, गृह मंत्रालय ने इस संबंध में श्री शंकर सेन, पूर्व आई. पी. एस. द्वारा तैयार किया गया आलेख आयोग को भेजा और आयोग से यह अनुरोध किया कि राष्ट्रीय कार्य योजना

के प्रारूप को तैयार करने में सहायता प्रदान करें। गृह मंत्रालय का प्रस्ताव है कि वह इसे अंतिम रूप देने से पहले इस प्रारूप को अंतर्मंत्रालीय बैठक में चर्चा करना चाहता है। यह खेद की बात है कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार केन्द्र द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला भी शामिल है, में अंगीकार किए गए घोषणापत्रों का पक्षकार होने के बावजूद भारत सरकार ने मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने में संगठित प्रयास नहीं किए हैं। राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के विकास में जरूरी विस्तृत विचार-विमर्श देश में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जरूरी महौल पैदा करने में सहायता देगा। आयोग ने भारत सरकार को ऐसे जरूरी कदम उठाने के लिए आग्रह किया जिससे राष्ट्रीय कार्य योजना के विकास को बढ़ावा मिले और जिससे आगे चलकर देश में मानव अधिकारों से जुड़े मामलों को सुव्यवस्थित ढंग से निपटा जा सके।

11.3 जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में भी चर्चा की गई है, भारत सरकार ने 1995–2004 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशक के रूप में मनाते हुए, 2001 में मानव अधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को अन्तिम रूप देकर इसको प्रचालित किया। यह कार्य योजना अपनी गतिविधियाँ को दो समूहों में वर्गीकृत करती है:

- (i) जन जागरूकता बढ़ाने के लिए रणनीति और
- (ii) व्यावहारिक बदलाव और विशेष लक्ष्य समूहों जैसे पुलिस, सुरक्षा बलों, विद्यार्थियों न्यायिक अधिकारियों और अन्य को शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ

11.4 राष्ट्रीय योजना के कार्यन्वयन समन्वय और अनुवीक्षण हेतु, भारत सरकार के केन्द्रीय अभिकरण, गृह मंत्रालय (एम. एच. ए.) ने विशेष सचिव, एम. एच. ए. की अध्यक्षता में आठ-सदस्यीय कोर समूह का गठन किया।

11.5 कार्य मानव अधिकार आयोग के अनुरोध पर भारत सरकार ने आयोग को सूचना दी कि स्कूली शिक्षा में मानव अधिकारों के तत्व को जोड़ने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पाठ्य विवरण के पुर्नभिविन्यास पर कार्य शुरू कर दिया है। ज्ञान दर्शन के माध्यम से टीवी पर मानव अधिकारों पर कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार पाठ्यक्रमों के साथ-साथ मानव अधिकार शिक्षा हेतु संसाधन सामग्री किट को तैयार करने हेतु कार्रवाई की जा चुकी है। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों को पढ़ाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मानव अधिकारों और कर्तव्य शिक्षा योजना के

अन्तर्गत विचार-गोष्ठियों, परिसंवादों और कार्यशालाओं हेतु और मानव अधिकारों पर भिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2002-2003 के दौरान यू.जी.सी. ने विचार गोष्ठियों, परिसंवादों और कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि-पत्र और स्नातक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए सहायता दी जा रही है।

11.6 केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और प्रशिक्षण अकादमियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों में मानव अधिकारों पर बेहतर जागरूकता लाने के उद्देश्य से अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में मानव अधिकार पाठ्यक्रमों को शामिल किया है। सभी मानव अधिकार शिक्षा से जुड़े जिसमें आम जनता भी शामिल हैं, को परिचित करने के लिए मानव अधिकार शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्य योजना की पुस्तिका निकालने का प्रस्ताव है ताकि इसे व्यापक स्तर पर बंटवाया जा सके। उनका गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं इत्यादि के माध्यम से मानव अधिकार जागरूकता फैलाने का भी प्रस्ताव है।

11.7 हांलाकि ये सभी कदम प्रशंसनीय हैं लेकिन इस कार्य योजना को सरकारी स्तर पर कार्यान्वयन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सरकार के केन्द्रीय विभाग को इस दिशा में कार्य करने के लिए मना रहा है।

11.8 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशक 1995-2004 (देखें यू. एन. डी ओ सी ए/55/360) को अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में मानव अधिकार शिक्षा को सम्मिलित करने हेतु उत्प्रेरक साधन के रूप में देखा जा रहा है। मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए बने उप-आयोग ने दूसरे मानव अधिकार शिक्षा दशक की उद्घोषणा की संस्तुति की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (रा. मा. अ. आ.) की यह राय है कि ऐसे सूत्रपात का समर्थन किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि दूसरे मानव अधिकार शिक्षा दशक की घोषणा से मानव अधिकारों के विषय को प्रोत्साहन मिलेगा। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए चालू दशक में सरकार द्वारा कार्य योजना के विकास और मानव अधिकार शिक्षा को दिशा दी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित की गई समय सीमा वास्तव में पूरी नहीं है। मानव अधिकार शिक्षा की प्रक्रिया निरन्तर चलाने वाला कार्य है। पहले दशक में अधूरे रह गए कार्यों को दूसरे दशक में पूरा किया जा सकता है। आयोग यह आशा करता है कि मानव अधिकार शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन ध्यानपूर्वक, सुव्यावस्थित ढंग से और सभ्य समाज के सभी क्षेत्रों को शामिल कर दिया जाएगा।

ख) राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान

11.9 सितम्बर, 1999 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एन. आई. एच. आर.) की स्थापना नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एन. एल. एस. आई. यू.), बैंगलोर में की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एन. आई. एच. आर. में मानव अधिकारों पर पीठ की स्थापना की और पीठ से संबंधित व्ययों पर खर्च करने के लिए 30 लाख रुपये की राशि का एक-मुश्त अनुदान दिया।

11.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान ऐसा संसाधन है जिसका आयोग ने गत वर्ष में व्यापक उपयोग किया है। आयोग ने एन. आई. एच. आर. से विभिन्न मामलों पर कई बार परामर्श किया है। लेकिन कुछ समय से आयोग इस संस्थान से परामर्श नहीं कर पाया क्योंकि जून 2001 से एन. आई. आर. पीठ का पद रिक्त था।

11.11 आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के परिचालन पर अपनी चिंता व्यक्त की और यह इच्छा व्यक्त की कि आयोग के महासचिव इसकी विस्तृत समीक्षा करें। अक्टूबर 2003 में महासचिव महोदय ने एन. एल. एस. आई. यू. के निदेशक से इस मामले पर चर्चा की। चर्चा के दौरान एन. एल. एस. आई. यू. के निदेशक ने इस संस्थान के असंतोषप्रद प्रचालन के दो मुख्य कारणों की ओर इंगित किया। पहला यह कि पीठ का पद तब तक रिक्त था। दूसरा कायिक से प्राप्त ब्याज से प्रोफेसर के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा सकता।

11.12 आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि एन. एल. एस. आई. यू. के निदेशक से सलाह कर पीठ की नियुक्ति में नियमों की प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाए। इस उद्देश्य के लिए अप्रैल 2004 में बैठक की जाएगी। आयोग द्वारा अनुवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

ग) भारत में मानव अधिकार शिक्षा स्थिति की समीक्षा

11.13 यह सर्व मान्य है कि मानव अधिकारों का ज्ञान केवल कुछेक का ही परमाधिकार नहीं बल्कि ये सबके लिए जरूरी है इसलिए मानव अधिकार शिक्षा शिक्षण की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि मानव अधिकार शिक्षा की जानकारी पूरे समाज में फैलाई जा सके। इस समय भारत में मानव अधिकारों पर व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मॉड्यूल का परिचय, सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए निरन्तर शिक्षा कार्यक्रमों से लेकर लोगों के समूहों को विशेष अधिकार शिक्षा शामिल है।

11.14 नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलोर के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान द्वारा पेश की गई "भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा की स्थिति की समीक्षा परियोजन को मंजूरी दी।

11.15 इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में मानव अधिकार शिक्षा की समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करना है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशक (1995–2004) पूरा होने जा रहा है। यह अध्ययन एक वर्ष की अवधि में पूरा होगा।

घ) भारतीय विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा के लिए स्रोत सामग्री

11.16 जैसी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में भी चर्चा की जा चुकी है कि आयोग ने मानव अधिकार शिक्षा पर स्रोत सामग्री को तैयार करने के लिए कनार्टक महिलाओं के सूचना और संसाधन केन्द्र (के. डब्ल्यू. आई. आर. सी.), बेंगलोर के परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

के. डब्ल्यू. आई. आर. सी. ने निम्नलिखित से संबंधित सात डोसियर तैयार किए थे:—

- भूमि एवं आवास अधिकार
- मानव अधिकार एवं पर्यावरण
- बाल अधिकार
- सूचना का अधिकार
- भारत में घर में कार्य कर रहे श्रमिक—उनका संघर्ष और उनकी उभरती भूमिका।
- दलितों के अधिकार— श्रम की खोज में प्रवास और दलितों के अन्य अनुभव
- मानव अधिकारों के लिए मछली श्रमिकों का संघर्ष

11.17 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ मिलकर आयोजित गोल मेज कार्यशाला में इन डोसियरों पर चर्चा की गई। कार्यशाला के अनुवर्तन में रूप में, के. डब्ल्यू. आई. आर. सी. ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों पर कार्यकलाप किए गए :-

- आधारी स्तर के संगठनों के उपयोग के लिए डोसियरों को फिर से लिखना;

- स्कूली स्तर के लिए डोसियरों को तैयार करना;
- डोसियरों को दो भारतीय भाषाओं अर्थात् हिंदी और कन्नड़ में अनुवाद करना
- मानव अधिकार प्रयास के तीन अन्य क्षेत्रों पर डोसियरों को तैयार करना:
- अशक्तों के अधिकार
- अधिकारों के लिए गांधीजी का संघर्ष जैसे कि भूदान और ग्रामदान
- महिलाओं के आत्म-विश्वास का अधिकार जिसमें जनन का अधिकार शामिल है।

11.18 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस परियोजना की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार:—

- विद्वानों द्वारा पहले से तैयार किए सभी सात डोसियरों में सुधार और परिशोधन किया जा चुका है और विश्वविद्यालय स्तर के लिए परिचयात्मक टिप्पणी तैयार की जा रही है।
- जनन अधिकार, अशक्तों के अधिकार और अधिकारों के लिए गांधी जी के संघर्ष पर नए डोसियरों को तैयार करने हेतु विद्वानों/विद्याविदों की पहचान की जा चुकी है। डोसियरों को तैयार करने के लिए नियुक्त विद्वान/विद्याविद् अपने-अपने आंदोलनों/संघर्षों से संबंधित रहे हैं।
- जनन अधिकार और अशक्तों के अधिकारों पर तैयार किए गए स्कूली स्तर के डोसियरों के मसौदे को स्कूली स्तर के विद्यार्थियों के जरूरत के अनुसार और भी सरल और सम्पादित किया जा रहा था।

11.19 इस रिपोर्ट को लिखे जाते समय स्रोत सामग्री को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य चल रहा था।

च) मानव अधिकार शिक्षा पर यू. जी. सी. द्वारा तैयार दसवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पेपर—राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टिप्पणियाँ

11.20 अंतर्विषयक समूह में मानव अधिकार शिक्षा के संवर्धन हेतु योजना बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक वर्ष 1997 में स्थायी समिति का गठन किया। भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों के हित-लाभ हेतु संकल्पनात्मक ढाँचा मुहैया करवाने के उद्देश्य से समिति ने 1998 में नौवीं योजना का दृष्टिकोण तैयार किया गया। इन दृष्टिकोण पेपर में मानव अधिकारों की संकल्पना और मानव अधिकार शिक्षा के महत्व तथा मानव अधिकार शिक्षा के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बनाने

के लिए अपनाए गए उद्देश्यों और रणनीतियों को अपनाने पर व्यापक विचार किया गया। इस योजना के अन्तर्गत यू. जी. सी. मानव अधिकार शिक्षा पर स्नातकोत्तर डिग्री स्नातकोत्तर-उपाधिपत्र और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

11.21 जैसा कि दसवीं योजना में यह परियोजना जारी रही, 2002 में यू. जी. सी. द्वारा मानव अधिकार शिक्षा पर स्थायी समिति का फिर से गठन किया गया जिसमें संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी नामित सदस्य हैं। नवम्बर 2002 में स्थायी समिति की बैठक में यह तय किया गया कि मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा की परियोजना पर दसवीं योजना के दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया जाए। यू. जी. सी. ने उप-समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदे योजना पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए अनुरोध किया गया। मसौदा सामग्री पर आयोग द्वारा चर्चा की गई। आयोग द्वारा सबसे बड़ी विसंगति यह पाई गई कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बिना बताए या शायद उचित मंच पर इसकी चर्चा किए बिना ही इस का नाम बदलकर “मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा” रख दिया गया। दसवीं योजना के मसौदे में इस परियोजना के नाम के बदले जाने के तर्काधार पर कोई चर्चा नहीं की गई। हाँलकि यू. जी. सी. से पहले प्राप्त पत्र में यह चर्चा की गई थी कि माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति के देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देने की सलाह के परिचालन के सुझावों के आधार पर इस योजना का नाम “मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा” रखा गया। लेकिन इसमें यह निश्चित नहीं किया गया कि उचित स्तर पर इस योजना के नाम को बदले जाने के निर्णय पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया या नहीं।

11.22 आयोग ने यह माना कि इसमें कोई शक नहीं है कि नागरिक शिक्षा जिसमें समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार शामिल हैं, अनिवार्य हैं। जहाँ तक मानव अधिकार शिक्षा का संबंध है, यह जरूरी है कि सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं (1999), और मानव अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों में निहित मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए व्यक्ति समाज और राज्य की भूमिका के संवर्धन और सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 51 (क), मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद 29, संयुक्त राष्ट्र अधिकार और समाज के व्यक्तियों, समूहों और अंगों के दायित्वों को आधार बनाकर कर्तव्यों को सुनिश्चित किया जाए।

11.23 मानव अधिकार शिक्षा (एच. आर. ई.) की प्रकृति और विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए, यू. जी. सी. की एच. आर. ई. योजना का नाम और मॉडल पाठ्यचर्या को पहले की भाँति मानव अधिकार शिक्षा ही रहने देना चाहिए। इसे मुख्य रूप से नौवीं योजना दृष्टिकोण पेपर पर

आधारित रहने देना चाहिए। लेकिन आयोग ने इस कार्यक्रम को और संस्थानों तथा अतिरिक्त निधिकरण से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का स्वागत किया।

11.24 इस लिए आयोग ने यू. जी. सी. से अनुरोध किया है कि जब कभी दसवीं योजना के दिशा-निर्देशों के मसौदे पर बैठक होती है यह स्थायी समिति के समक्ष इस परियोजना के नाम को बदलने पर अपने विचार रखें।

छ) सिविल सेवकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण

11.25 आयोग की मुख्य कोशिशों में से एक कोशिश यह रही है कि आयोग नागरिकों की मर्यादा, सम्मान, न्याय और सिविल सेवियों द्वारा उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की बढ़ती और निरन्तर मांग को बढ़ावा दे। इसके लिए यह अनिवार्य है कि अपने कार्यस्थल में पेश आने वाली मानव अधिकारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें मानव अधिकारों के प्रति सुग्राहीकरण किया जाए नहीं तो हिंसा निरन्तर बढ़ती और फलती फूलती रहेगी। आयोग मानव अधिकारों के इच्छुक अनुपालन न कि कड़े निवारण पर बल देता रहा है।

11.26 यह महसूस किया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उचित ढाँचे और कार्यान्वयन से सिविल सेवाओं पर इसका हितकारी प्रभाव पड़ सकता है। प्रशिक्षण से उनकी प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार और मानव अधिकार संस्कृति के प्रति अधिक गृहणशील बनाने में उनकी विचारधारा को बदलने में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार वे विभिन्न प्रकार की बाध्य परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें। ऐसे नियमित सुग्राहीकरण कार्यक्रमों से विशेष रूप से न्यायप्रवर्तक अधिकारियों, सिविल सेवियों और समाज के अन्य खण्डों से वृत्तिक आचार-व्यवहार के उच्चतर मानक को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाएं जिन्हें परिस्थितियों और प्रकोपन के प्रति इन मामलों से जुड़े लोगों के अधिकारों को अत्यधिक सम्मान के साथ प्रक्रिया करनी पड़ती है और इससे वे अपनी संस्था जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, की छवि को भी सुधारेगें।

11.27 आयोग अपने गठन के दशक के दौरान प्राथमिक तौर पर बाल अधिकारों, महिला अधिकारों, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, हिरासतीय हिंसा, हिरासतीय प्रबन्धन, हिरासतीय हिंसा, हिरासतीय मौतों, कथित रूप से पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार, जेलों की दयनीय स्थिति, अशक्त व्यक्तियों, मानसिक रोगियों, शरणार्थियों, अपराधिक न्याय प्रणाली में कर्मियों, आतंकवाद, विद्रोह, बलात्कार और यातना जैसे मामलों से संबंधित प्राप्त शिकायतों से उभरने वाले बड़ी संख्या में मानव अधिकार मामलों से निपट रहा है। मानव अधिकार हनन की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों से निपटने के लिए हमें समाज के परिचालन में शामिल विभिन्न अभिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों को भी

सुग्राहीकरण करने और जागरूकता प्रशिक्षण अभियानों को शुरू करके मानव अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाने की ओर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। मानव अधिकार प्रशिक्षण इन सभी क्षेत्रों में मानव अधिकारों के सम्मान और मानवीय ढंग से शासन करने के संबंध में सृजनात्मक ढंग से योगदान कर सकते हैं।

11.28 उपरोलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग ने सितम्बर 2004 में प्रशिक्षण प्रभाग बनाने का सजग निर्णय लिया। मानव अधिकार संवर्धन और संरक्षण की दिशा में बेहतर आज और बेहतर कल के लिए समाज के विभिन्न वर्गों पर स्पष्ट प्रभाव डालने हेतु व्यापक प्रशिक्षण नवनीतियाँ तैयार की गईं। संस्थागत समावेश और पश्च-समावेशन पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को मानव अधिकार मूल्यों और आयोग की प्रकृति के बारे में उन्हें बताया जा सके इसी प्रकार सिविल सेवियों, पुलिस अधिकारियों, जेल अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों और सी. बी. ओ. के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रमों/कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया।

11.29 प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :-

- 1) आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए दो कैप्सूल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नवम्बर 2003 और फरवरी, 2004 में आयोजन किया गया। पहले कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आयोग में कार्यभार संभालने वाले कर्मचारियों को इसकी भूमिका, प्रचालन और सृजनात्मक क्रियाकलापों तथा साथ ही उन्हें मानव अधिकारों की संकल्पना और दर्शन से अवगत कराना था ताकि वे उनके द्वारा इन मामलों को सावधानी, संवेदनशीलता और गंभीरता से निपटा सकें। दूसरे कार्यक्रम का उद्देश्य मानव अधिकार अन्वेषण और भेंटकर्ता तकनीकों में बेहतर समझ और व्यावसायिक कौशल में संवर्धन करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों, संविधान और वैधानिक ढाँचे के संदर्भ में मानव अधिकारों मामलों को शामिल किया गया। जाँच अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में अत्यधिक संवेदनशीलता से कार्य करने और अपनी जाँच का पीड़ितोन्मुखी बनाने के लिए प्रेरित किया।
- 2) राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से नवम्बर, 2003 में राष्ट्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य मानव अधिकार आयोग के संकाय सदस्यों के लिए दो दिन की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (इ. एस. सी. आर.) पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ई. एस. सी. आर. से संबंधित जानकारी दी गई और भाग लेने वालों को इन अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े मानव अधिकार संस्थानों स्वयंसेवी क्षेत्रों की भूमिका के बारे में जानकारी दी। इससे अच्छे शासन और मानव अधिकारों के बीच संबंध भी स्थापित किया गया।

ज) पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण

11.30 आयोग द्वारा प्रमुख गैर सरकारी संगठन कोमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियटिव (सी. एच. आर. आई.), छत्तीसगढ़ के सहयोग से पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए चार दिन का 'मानव अधिकार सुग्राहीकरण पाठ्यक्रम' का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन फरवरी, 2004 में रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आधार स्तर पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों का सुग्राहीकरण करना था और उनके द्वारा देखे जा रहे कोर मानव अधिकारों के मामलों के बारे में जानकारी देना और अपने कार्य क्षेत्र में नागरिकों के मानव अधिकारों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए जानकारी और कौशल का विकास करना था।

11.31 सहायक पुलिसायुक्तों, थाना प्रभारी अधिकारियों और अतिरिक्त थाना प्रभारी अधिकारियों की श्रेणी के दिल्ली पुलिस अधिकारियों जिन्हें आमतौर पर राजधानी शहर में मीडिया और सभ्य समाज के निरन्तर संवीक्षा की चकाचौंध में जनता के सम्पर्क में आना पड़ता है, के लिए मानव अधिकार जाँच, भेंटकर्ता कौशल और हिरासतीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण इन पुलिस अधिकारियों को अपने भारी दायित्वों का निर्वाह आत्मविश्वास और देश के कानून तथा संविधान द्वारा अपेक्षित मानव अधिकार मापदण्डों के अनुरूप कर सकने में योग्य बनाए गए।

1) पुलिस प्रशिक्षण संबंधी अनुसंधान परियोजनाएँ

11.32 आयोग ने दो निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद को सौंपा

- भारत में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में मानव अधिकार शिक्षा का पाठ्यचर्या आकलन
- भारत में पुलिस द्वारा मानव अधिकार अनुपालन उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण तथा गैर प्रशिक्षण संगठनात्मक हस्तक्षेप।

11.33 पहली परियोजना के संदर्भ में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों में मानव अधिकारों पर उपयोग में लाए जाने वाली विभिन्न पुलिस नियमावलियों सहित पुस्तिकाओं/निर्देशों का अध्ययन किया; दैनंदिन पुलिस वालों के समक्ष आने वाले मानव अधिकारों के मामलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया; इसमें प्रमुख कानूनों, प्रपत्रों, प्रोटोकॉल, न्यायालय मामलों, दिशा-निर्देशों इत्यादि का परीक्षण किया गया। तब से इस परियोजना को समाप्त किया जा चुका

है और प्राप्त मसौदा नियमवली का आयोग में परीक्षण किया जा रहा है ताकि परियोजना के परिणामों का पुलिस के हितों में सार्थक उपयोग हेतु कदम उठाए जा सकें।

11.34 दूसरी परियोजना में, दावेदारों को बांटी गई प्रश्नावलियों में जानकारी, कौशल और अभिवृत्तियों के क्षेत्र को शामिल करने में सहायता मिली ताकि कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों, उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों, उप पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों द्वारा मानव अधिकारों का पालन हो सके। इस प्रकार इकट्टी की गई सूचना को मिलाया गया और विश्लेषण किया गया और मसौदा नियमावली आयोग को प्रेषित की जा चुकी है तथा इसे इस क्षेत्र के विद्वानों की सहायता से परीक्षण किया जा रहा है।

2) अच्छी हिरासतीय पद्धतियों का संवर्धन

11.35 आयोग ने ब्रिटिश काउंसिल और एक गैर सरकारी संगठन हिंसा ओर यातना के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए शुभोदय केन्द्र (एस. ओ. आर. ए. सी.) की साझेदारी में अच्छी हिरासतीय पद्धतियों के संवर्धन पर एक परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना की अवधि ढाई साल है और इसके मार्च, 2005 में पूरा होने की आशा थी इस परियोजना में जिन गतिविधियों पर विचार किया गया उन्हें चार अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है और इसके साथ साथ इसमें परिस्थितिक अध्ययन, प्रशिक्षण घटक और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संगोष्ठियों को भी शामिल किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न अभिकरणों जिसमें मानव अधिकार कार्यकर्ता, चिकित्सक, वकील और पुलिस में आपसी सहयोग और संबंध को पैदा करना है जो अभी मौजूद नहीं है ताकि यातना को कम किया जा सके और विधिक अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाया जा सकें तथा यातना के पीड़ितों के लिए उपचार उपलब्ध हो सके। इस परियोजना का उद्देश्य समुदाय-आधारित परियोजनाओं के अन्तर्गत अभिरक्षा प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं में विश्वास स्थापित किया जा सके।

11.36 ब्रिटिश काउंसिल ने चुने हुए प्रशिक्षकों को अध्ययन दौरे के लिए यू. के. भेजने का प्रबन्ध किया और विदेश मंत्रालय से इसकी मंजूरी ली गई। लेकिन इस मंत्रालय ने ब्रिटिश काउंसिल की भूमिका पर आपत्ति व्यक्त की और महसूस किया कि यह भारत में अपनी निश्चित कार्यक्षेत्र की परिधि से बाहर कार्य कर रहा है। लेकिन आयोग ने यह मत रखा कि इस परियोजना में समाज का हित है और सभी दावेदारों को आगे चल कर इससे लाभ होगा। इस दौरे का उद्देश्य यू. के. में प्रचलित पद्धतियों से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना और साथ ही इससे देश में अच्छी हिरासतीय पद्धतियों को बढ़ावा देना होगा क्योंकि आयोग को बहुत बड़ी संख्या में हिरासतीय मौतों की सूचना मिलती रहती है। आयोग जब सरकार की बढ़ती आंशकाओं को दूर करने और मंजूरी लेने में लगा था, ब्रिटिश काउंसिल द्वारा इस परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया गया और इस

प्रकार लाभप्रद कार्यक्रम को आकस्मिक ही समाप्त कर दिया गया। आयोग यह महसूस करता है कि ये निरन्तर चलने वाले कार्यक्रम हैं और इन्हें चलने देना चाहिए। आयोग विदेश मंत्रालय से अपने निर्णय पर फिर से विचार करने का आग्रह करता है।

झ) अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों के लिए मानव अधिकार शिक्षा

11.37 आतंकवाद या विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में शान्ति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्ध सैनिक तथा सशस्त्र बलों से कहा जाता है। असाधारण चुनौतियों और प्रकोपन इत्यादि जिनका वे सामना करते हैं, को ध्यान में रखते हुए, मानव अधिकार जागरूकता पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को जिन्हें उनके लिए आयोजित किया जाता है, पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। आयोग की कोशिशों के परिणामस्वरूप सभी स्तरों पर उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानव अधिकार शिक्षा के विषय को भी शामिल कर लिया गया है। फिर भी सुरक्षा बलों द्वारा मानव अधिकार हनन के आरोपों से संबंधित सूचनाएं मिलती रहती हैं।

11.38 अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों और आयोग के बीच अन्योन्यक्रिया और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1998 से एक वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता, का विषय 'देश में आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेष विधान की जरूरत रही है, पिछले वर्षों की तरह, इस वाद-विवाद प्रतियोगिता हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में आयोजित की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश में वाद-विवाद प्रतियोगिता में भी अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के जोशीले प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया दोनों भाषाओं की प्रतियोगिताएँ जीती।

ट) न्यायिक अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए मानव अधिकार प्रशिक्षण

11.39 आयोग ने एक अन्य अग्रगामी गैर सरकारी संगठन, भारतीय सामाजिक संस्थान (आई. एस. आई.) को तीन दिन के 'तथ्य जाँच तकनीकों और रिपोर्ट लेखन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सहायता प्रदान की। दो कार्यक्रमों को दिल्ली में क्रमशः नवम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में तथा एक कार्यक्रम को 2004 के मार्च महीने के अन्त में उदयपुर में आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने जबरदस्त रुचि दिखाई। सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और वकीलों ने इनमें हिस्सा लिया। ये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम मानव अधिकारों के संरक्षण और अपने कार्यक्षेत्र में कौशल और व्यासायिक जानकारी पाने में रचनात्मक योगदान करने में सहायता देंगे ताकि अपनी संगठन द्वारा सौंपी गई मानव अधिकार हनन के मामलों की जाँच अधिक तटस्थता से कर सकें और जिससे विश्वसनीय रिपोर्ट प्रेषित हो सकें।

11.40 राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान (आई. आई. पी. ए.), नई दिल्ली के सहयोग तथा यू. जी. सी. और दिल्ली विश्वविद्यालय से विधिवत् सहायता से दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज अध्यापकों के लिए दो दिन की 'मानव अधिकारों' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उन्हें दर्शन, संस्कृति, पद्धतियों और मानव अधिकार क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से अभिमुख कराना था क्योंकि यू. जी. सी. द्वारा तैयार किए गए पाठ्य विवरण के अनुसार अगले अकादमिक सत्र से इनमें से कुछ अध्यापकों को अपने कॉलेजों में मानव अधिकार पर आधार पाठ्यक्रम को शुरू करने में समन्वयकर्ता के रूप में सहायता करेंगे।

11.41 आयोग रूढ़िबद्धों, पूर्वाग्रहों से निपटने और समाज के पूर्व एवं समान सदस्यों के रूप में अशक्त व्यक्तियों जिन्हें बिना किसी भेदभाव के मौलिक स्वतंत्रताओं और मानव अधिकार के हकदार हैं, की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने के लिए समाज के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की अत्यावश्यक जरूरत को स्वीकार किया है।

11.42 क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों नीति निर्माताओं, प्रशासकों और अशक्तता अधिकार वकीलों की क्षमता को बढ़ाने हेतु आयोग का दृष्टिकोण द्विमुखी रहा है। एक तरफ चल रहे सभी जागरूकता और शैक्षणिक प्रयासों में अशक्तता परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना है और दूसरी तरफ अशक्तता पर स्पष्ट रूप से केंद्रित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इनके कार्यान्वयन की रणनीति भी दोहरी है। जबकि आयोग द्वारा निश्चित जागरूकता और शैक्षणिक कार्यक्रमों को कराया जाता है लेकिन ज्यादातर मामलों में आयोग प्रशिक्षण और शिक्षा देने वाले मुख्य संस्थानों के साथ मिला कर कार्यक्रम चलाता है।

11.43 समीक्षाधीन अवधि के दौरान अशक्तता पर मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए कई नए कदमों का सूत्रपात किया गया। साथ ही साथ पिछले वर्षों में शुरू किए गए कार्यक्रमों में सुधार कर उन्हें जारी रखा गया। उदाहरण के लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों अंतःशिक्षुता कार्यक्रमों में अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर एक सत्र शामिल किया गया है।

11.44 गत वर्ष की भांति आयोग ने वारिष्ठ प्रशासकों और विद्याविदों को मानव अधिकार रूपावली में अशक्तता के बदलते दृष्टिकोण से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा शुरू किए गए कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्विष्टियाँ मुहैया करवाई गई हैं।

11.45 शुरू किए गए नए कार्यक्रमों में से भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा सामुदायिक कार्यकर्ताओं और देख-भाल मुहैया कराने वालों के प्रशिक्षण में मानव अधिकार शिक्षा मॉड्यूल का आरंभ करना लाभदायक रहा है।

11.46 इसी प्रकार आयोग ने राष्ट्रीय विधिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एन. यू. जे. एस.) कोलकाता के तीसरे वर्ष के विधि छात्रों के लिए अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर नवीन पेपर तैयार करने में सहायता प्रदान की। हमने अशक्तता पर विचार-गोष्ठी को भी सुकर बनाया और एन. यू. जे. एस. के विद्यार्थियों हेतु शोध पेपर लिखने के लिए दिशा निर्देश मुहैया कराए।

11.47 विधि व्यवसाय के अशक्तता संवेदनशील नई पीढ़ी को तैयार करने में विधि शिक्षा में मानव अधिकार और अशक्तता के विषय पर पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को मानक करने की कोशिशों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार और अशक्तता अधिकार के क्षेत्र से जुड़े विद्याविदों और विद्वानों के साथ विचार विमर्श कर पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार करने में लगा है। स्नातक स्तर पर अशक्तों के अधिकारों पर मॉड्यूल को शामिल कर विधिक शिक्षा का आशोधन करने हेतु आयोग की प्रमुख विधि स्कूलों और बड़े विश्वविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श करने की योजना है।

11.48 अशक्ता और मानव अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षुओं और साथ ही विशेषज्ञों की वास्तविक कमी को महसूस करते हुए आयोग से प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की योजना बनाई है। इसके अन्तर्गत एन. एल. एस. आई. यू., बेंगलूर में अगले वर्ष लगभग 50 विद्याविदों और कार्यकर्ताओं के संवर्ग को अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के सम्मानित पैनल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

11.49 आयोग द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संस्थान, एन. एल. एस. आई. यू., बेंगलूर के “दक्षिण भारत की निचली न्यायपालिका के लिए मानव अधिकार सुग्राहीकरण कार्यक्रम” की परियोजना की मंजूरी दी गई। एक व्यक्ति जिस के मानव अधिकारों का हनन हुआ हो और जिसने सभी उपलब्ध उपायों को आजमा लिया हो, के पास न्यायपालिका अक्सर रोशनी की आखिरी किरण होती है। अक्सर न्यायपालिका ही पीड़ित और घोर अन्याय के बीच अन्तिम बाधा होती है। इस प्रकार से निचली न्यायपालिका को बहुत अहम् एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।

11.50 इस परियोजना के अन्तर्गत, चार दक्षिण राज्यों अर्थात् तमिलनाडू, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में चार दिन का सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसमें विधि के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा और अगर संभव हुआ तो निचली न्यायपालिका के सदस्यों के लिए प्रदर्शन दौरा भी आयोजित किया जाएगा।

11.51 ये कार्यक्रम अपने-अपने राज्यों के न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान अकादमियों के सहयोग से अप्रैल, 2004 और सितम्बर, 2004 में आयोजित किए जाएंगे। यहां यह स्मरण कराना उचित होगा कि पहले भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माध्यम से आस्ट्रेलियन उच्चायुक्त की लघु अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान दो ऐसे सुग्राहीकरण कार्यक्रमों को कर्नाटक और

आंध्र प्रदेश में एन. आई. एच. आर. और एन. एल. एस. आई. यू. द्वारा आयोजित किया जा चुका है, कार्यशाला के दौरान हुई चर्चा और सामग्री आकलन के आधार पर न्यायिक अधिकारियों के लिए मानव अधिकारियों पर पुस्तिका को तैयार कर प्रकाशित किया गया।

11.52 आयोग में गठित प्रशिक्षण प्रभाग अधिकारियों और अनाधिकारियों के लिए विभिन्न सुग्राहीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने में पूरी तरह से लगा है। लेकिन इस प्रभाग को आयोग के थोड़े से कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि आयोग ने इस प्रभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए नए पदों का सृजन करने की संस्तुतियाँ दी थी लेकिन सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। आयोग सरकार से बिना विलम्ब किए इस प्रशिक्षण प्रभाग में कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए जरूरी पदों का सृजन करने का अनुरोध करता है।

ठ) अंतः शिक्षुता (इंटरर्नशिप) कार्यक्रम

11.53 विश्वविद्यालय छात्रों में मानव अधिकार मामलों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग हर साल ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान अंतः शिक्षुता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 19 मई से 17 जून 2003 तक 30 दिनों की अवधि का ग्रीष्मकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम को 8 दिसम्बर से 9 जनवरी 2004 तक आयोजित किया गया। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति; देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर; राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल; लखनऊ विश्वविद्यालय, आई. एल. एस. कॉलेज; पुणे; सिमबोयसिस लॉ कॉलेज, पुणे; इथिराज महिला कॉलेज, चेन्नई; पांडिचेरी विश्वविद्यालय; एन. ए. एल. एस. ए. आर. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, राष्ट्रीय विधि जोदपुर; लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; अमेटी लॉ स्कूल, दिल्ली; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल 46 विद्यार्थियों ने इन दो अंतः शिक्षुता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

11.54 इस अंतःशिक्षुता के दौरान विद्यार्थियों को आयोग के संचालन के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें संविधान के प्रावधानों और मानव अधिकारों को ठीक से समझने के लिए मुख्य संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों की भी जानकारी दी गई। अंतःशिक्षुओं को मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क में आने का अवसर भी प्रदान किया गया और साथ ही उन्हें कार्यक्षेत्र में भी दौरे कराए गए।

ड) प्रकाशन और मीडिया

1) मानव अधिकार मामलों पर पुस्तिकाएं

11.55 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, अशक्तता पर विधिक संरक्षण और नीति दृष्टिकोण के परिदृश्य पर पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। यह छोटी पुस्तिका अशक्त व्यक्तियों, वकीलों, सरकारी कार्यकर्ताओं और विद्वानों द्वारा प्रमुख संसाधनों को ढूंढने में सुविधाजनक सिद्ध हो सकती हैं। विधिक व्यवसायिकों और अशक्तता कार्यकर्ताओं के लिए नियमावलियों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इन नियमावलियों में 6 भाग होंगे जिसमें संकल्पनात्मक आधार, भारत परिदृश्य, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार तथा अंतरराष्ट्रीय, अनुवीक्षण कार्यविधि और अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं।

11.56 आयोग ने नालसार एन. ए. एल. एस. ए. आर. विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के सहयोग से 'मानव अधिकार' नामक पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित विषयों के क्रम से इन पुस्तिकाओं को प्रकाशित करने का प्रस्ताव है :-

- मानव अधिकार और भारतीय संविधान
- मानव अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
- सिर पर मैला ढोना
- एच. आई. वी./एड्स
- बधुंआ मज़दूरी
- बाल श्रम
- विकलांगों के अधिकार

11.57 ये पहले पहल अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, मलयालम और कन्नड में प्रकाशित की जाएंगी। जल्दी ही इन पुस्तिकाओं को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाएगा।

2) मीडिया के साथ साझेदारी

11.58 अपनी स्थापना के बाद आयोग ने अपने दस से ज्यादा वर्षों की अवधि के दौरान, मीडिया के साथ एक विशेष संबंध स्थापित किया है। मानव अधिकारों के मामलों को प्रकाश में लाने, पारस्परिकता के आधार पर आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया आयोग के लिए एक मुख्य सहायक सिद्ध हुआ है। आयोग ने मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर मानव अधिकार हनन के मामलों का अक्सर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग को मीडिया में प्रकाशित होने वाले संपादकीय पत्रों और लेखों से काफी फायदा हुआ है। मीडिया ने कई अवसरों पर वास्तव में आयोग के लिए रखवाले के रूप में कार्य किया है। पूरे देश और विश्वभर के विभिन्न मतों को मीडिया के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। इसी कारण से आयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 24 समाचार पत्रों को दैनिक आधार पर उनकी क्रमविक्षा करता है। सभी मुख्य साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण समाचार लेखों की भी नियमित रूप से क्रमविक्षा की जाती है। आयोग की किसी सूचना का स्वतः संज्ञान लेने के लिए प्रेस क्लिपिंग निरन्तर सूचना का महत्वपूर्ण साधन रही हैं। केवल प्रिंट मीडिया का ही अनुवीक्षण नहीं किया जाता बल्कि मानव अधिकारों पर किसी समाचार लेख के लिए इस संचार और इंटरनेट का भी अनुवीक्षण किया जाता है। आयोग मानव अधिकारों से जुड़े मामलों को ज्यादा से ज्यादा अपने समाचारों में शामिल करने के लिए मीडिया के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहेगा। आयोग और मीडिया के बीच निरन्तर सम्पर्क रहा है। मानव अधिकारों से संबंधित कई मामलों पर अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा दी गई भेंटवार्ता और टिप्पणियों को अक्सर प्रेस में छापा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रेस प्रकाशनार्थ और व्यक्तिगत स्तर पर नियमित रूप से मीडिया के लिए सार सम्प्रेक्षण किए जाते हैं। वास्तव में मीडिया मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षक में आयोग का मुख्य भागीदार है।

3) मासिक न्यूजलेटर और वेबसाइट

आयोग द्वारा मासिक न्यूजलेटर का प्रकाशन हिंदी तथा अंग्रेजी में किया जाता है। वर्तमान में दोनों संस्करणों की 3600 प्रतियाँ देशभर में और विदेशों में भेजी जाती हैं। आयोग का न्यूजलेटर आयोग के कार्यक्रमों और चिंताओं की सूचना देने का महत्वपूर्ण साधन है। आयोग को गई शिकायतों के संदर्भ में आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के सार भी इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, विधि समुदाय के सदस्यों, प्रशासकों गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, अनुसंधान विद्वानों और विद्यार्थियों सभी के द्वारा व्यापक रूप से इस न्यूजलेटर की प्रशंसा की जाती है। आयोग को इसकी प्रशंसा और सुधार से संबंधित पत्रों के रूप में फीडबैक मिलता रहता है। आयोग की डाक सूची बहुत बड़ी है और इसे बढ़ाने की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। आयोग

के स्वयं या किसी अन्य द्वारा मानव अधिकार पर परिसंवाद, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भी इस न्यूजलेटर की मांग बहुत अधिक है।

11.60 26 और 29 मई 2003 को आयोजित राष्ट्र मण्डल के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्यशाला के अवसर पर इस न्यूजलेटर का विशेषांक प्रकाशित किया गया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, कार्यशाला के उद्देश्य और ध्येय, अशक्तता पर यू. एन. अभिसमय के लिए प्रस्ताव, और अशक्तता के क्षेत्र में भारतीय मानव अधिकार आयोग का हस्तक्षेप इस कार्यशाला के केन्द्र बिन्दु थे।

11.61 1999 से प्रकाशित यह न्यूजलेटर आयोग के वेबपेज “www.nhrc.nic.in” पर भी उपलब्ध है। आयोग ने विस्तृत रूप से जनता तक मानव अधिकारों से संबंधित सूचना पहुंचाने के लिए ई-न्यूजलेटर भी शुरू किया है। आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से नई सूचनाएँ दी जाती है और इस पर आयोग की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है।

4) मानव अधिकार जागरूकता पर विशेषज्ञ समिति

11.62 मानव अधिकार शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मानव अधिकार शिक्षा 2001 पर राष्ट्रीय कार्य योजना में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा कई कार्यक्रमों को शुरू करने की रूपरेखा तैयार की गई है। मानव अधिकार मूल्यों पर जन-जागरूकता बढ़ाने की सफलता के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को केन्द्रक के रूप में चुना गया है।

11.63 आयोग ने इस मामले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से चर्चा की और यह निर्णय लिया कि मानव अधिकारों पर जागरूकता पैदा करने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाओं को बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। दिल्ली दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, पत्र सूचना कार्यालय और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी. ए. वी. पी.) की सूचना एवं प्रसारण ईकाइयों के अधिकारियों तथा आयोग के पदधारियों की समिति ने 25 मार्च 2004 को बैठक की कई ऐसे क्षेत्रों को चुना गया जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा आयोग आपसी सहयोग से मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ाया जा सके। चुने हुए क्षेत्रों पर मीडिया ईकाइयों को अभी अपनी प्रतिक्रिया देनी है।

5) मानव अधिकार विषयों पर फिल्में

11.64 आयोग द्वारा देखे जा रहे मामलों की संख्या की व्यापकता और मीडिया में इन मामलों की रिपोर्टों से प्रोत्साहित होकर, मानव अधिकारों पर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कई फिल्म बनाने वालों ने आयोग से सम्पर्क किया है। इस वर्ष पांच विषयों अर्थात् राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और इसका संचालन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सिर पर मैला ढोना, बंधुआ मजदूरी तथा महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार संबंधी अल्पावधि फिल्मों पर डी. ए. वी. पी. के माध्यम से कार्य प्रशिक्षण शुरू किया गया है। कार्यशालाओं और सेमिनारों पर दिखाए जाने के उद्देश्य से बनाई जा रही इन फिल्मों के कार्य को 2004 में समाप्त किए जाने भी संभावना है।

6) मानव अधिकार दिवस

11.65 आयोग द्वारा 10 दिसम्बर को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित कर मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस समारोह में महामहिम दलाई लामा मुख्य अध्यक्ष थे।

11.66 इस समारोह की शुरुआत दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा 'मानव प्रेम' नामक गीत गा कर की गई। स्वागत भाषण श्री पी. एस. एस थॉमस महासचिव और धन्यवाद प्रस्ताव श्री संतोश कुमार, महानिदेशक (अन्वेषण) द्वारा दिया गया।

11.67 महामहिम दलाई लामा ने अपने भाषण में खेद व्यक्त किया कि आज के युग में धर्म, बुद्धि और ताकत का प्रयोग शोषण करने के लिए उपकरण के रूप में किया जा रहा है। महामहिम ने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्वभर में विभिन्न मानव अधिकार संगठनों की भूमिका की भी प्रशंसा की।

11.68 आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डॉ० ए० एस. आनन्द ने अपने भाषण में अच्छे प्रशासन में मानव अधिकारों को केन्द्र बिन्दु बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता किसी प्रकार की प्रगति न तो संभव है और न ही निरन्तर हो सकती है क्योंकि मानव अधिकारों के सम्मान के आधार बिना किसी प्रकार का आर्थिक विकास नहीं हो सकता।

11.69 गत वर्षों की पद्धति को अपनाते हुए मीडिया इकाईयों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत 10 दिसम्बर 2003 को मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए कई कार्रवाईयाँ की। "अपने अधिकार जाने" जो वर्ष 2003 का विषय था, पर आधे घण्टे के कार्यक्रम को दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली पर प्रसारित किया गया।

7) विश्व पुस्तक मेले में भागीदारी

11.70 सोलहवें विश्व पुस्तक मेले में आयोग ने अपने प्रकाशनों और मुद्रित सामग्री की स्टॉल नम्बर 18 में प्रदर्शनी लगाकर सामान्य रूप से ही अपनी मौजूदगी को दर्ज किया। 14 से 22 फरवरी, 2004 तक चलने वाले इस मेले में पुस्तक प्रेमियों की बढ़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित किया और इसलिए इस पुस्तक मेले को मानव अधिकारों से जुड़े मामलों पर आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से जन-साधारण में जागरूकता पैदा करने का अच्छा मंच समझा गया।

8) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पत्रिका

11.71 आयोग की पत्रिका के प्रवेशांक का लोकार्पण 10 दिसम्बर 2002 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस पत्रिका को शुरू करने में आयोग ने यह आशा व्यक्त की कि यह प्रकाशन देश में मानव अधिकारों की सुरक्षा और मानव मर्यादा के संवर्धन के संदर्भ में नई विचारधारा को जन्म देगा। इस पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर मानव अधिकारों से जुड़े मामलों पर विचारों, अनुभवों और सूचना के आदान प्रदान में सहायक सिद्ध होना भी इस पत्रिका का उद्देश्य है। इस पत्रिका के अनुसंधान में सहायक सिद्ध होने, मानव अधिकारों पर उच्च कोटि विद्वत्ता का पुँज तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण मंच मुहैया कराने और मानव अधिकार विद्वानों के समुदाय को पास-पास लाने का कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है यह पत्रिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण मानव अधिकार मामलों पर होने वाले परिसंवादों और सेमिनारों के लिए बहुमूल्य सिद्ध होगी और नीति निर्माताओं के लिए नए विचारों और प्रेरणाओं का स्रोत बनेगी जिसमें सर्वोत्तम अकादमिक परम्परा में मानव अधिकार कानूनों पर न्यायिक निर्णयों पर आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करेगी।

11.72 वार्षिक रूप से प्रकाशित इस पत्रिका में तीन मुख्य विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। पहला, प्रत्येक अंक में भारतीय मानव अधिकार कानून में होने वाली चुनी गई नई घटनाओं की गहराई तक चर्चा की जाएगी। दूसरा, इस पत्रिका में मानव मर्यादा पर चल रहे विभिन्न संघर्षों पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। तीसरा, यह पत्रिका चुने गए मानव अधिकार मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करेगी। इसके अतिरिक्त यह पत्रिका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाली मुख्य पुस्तकों की समीक्षा भी करेगी।

11.73 इस पत्रिका का दूसरा अंक फरवरी 2004 में प्रकाशित किया गया। दूसरे अंक में मानव अधिकार: समकालीन चुनौतियां के शीर्षक के अन्तर्गत श्री अर्जुन सेन गुप्ता द्वारा लिखा "मानव अधिकार से विकास की ओर", आयोग की सदस्य न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर द्वारा लिखा "स्वदेशी न्यायालय में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून", महिलाओं पर हिंसा और न्याय प्रशासन",

श्री ए. के. शिवकुमार द्वारा लिखा जनसंख्या स्थिरीकरण : अधिकार आधारित दृष्टिकोण मामला, "श्री राजीव दीवान द्वारा लिखा "आपराधिक (अ) न्याय तंत्र" नामक लेखों को इसमें शामिल किया गया।

11.74 मानव मर्यादा के लिए संघर्ष नामक खण्ड के अन्तर्गत इस पत्रिका में श्री एस. मुरलीधर द्वारा लिखा "भारतीय आपराधिक न्याय तंत्र में पीड़ितों के अधिकार", श्री आनन्द ग्रोवर द्वारा लिखा "एच. आई. वी. से निपटने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर, सुश्री रानी धवन शंकरदास द्वारा लिखा "मानव अधिकार और पेनल सुधार पर सार्वजनिक सरोकर : और हमारी मिलकर काम करने की अयोग्यता", श्री मिलून कोठारी द्वारा लिखा "आवास का अधिकार-भारतीय परिदृश्य" लेखों को पत्रिका में शामिल किया गया।

11.75 आयोग के महत्वपूर्ण वक्तव्यों/निर्णयों/मतों के खण्ड में विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाओं में अंगीकृत आयोग/घोषणाओं/सुझावों की कई कार्यवाहियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

9) मानव अधिकारों पर कैलेंडर

11.76 दूसरे उत्तरोत्तर वर्ष के लिए आयोग ने मानव अधिकार विषय पर डेस्क कैलेंडर का प्रकाशन किया। वर्ष 2004 का कैलेंडर अशक्तता: भेदभाव, पूर्वाग्रह और अदृश्यता पर केन्द्रित था। 10 दिसम्बर 2003 को महामहिम दलाई लामा द्वारा लोकापर्ण किया गया।

10) अन्य प्रकाशन

11.77 आयोग ने मानव अधिकारों से जुड़े कई मामलों पर कुछ प्रकाशन निकाले। आयोग ने श्री के. गोपाल अय्यर द्वारा सम्पादित पुस्तक 'भारत में प्रवासी मजदूर और मानव अधिकार' के मुद्रण और प्रकाशन में भी सहायता प्रदान की। इस पुस्तक का विमोचन 10 दिसम्बर 2003 को किया गया। यह पुस्तक निम्न पांच अध्यायों में विभाजित है-मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य, उद्भव के स्थान पर प्रवासी, मंजिल पर प्रवासी, प्रवासी मजदूर और अपराध तथा ट्रेड यूनियन कानून और प्रवासी मजदूर।

11.78 इस वर्ष श्री के. बी. सक्सेना, आई. ए. एस. द्वारा तैयार रिपोर्ट 'अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की रोकथाम' को भी प्रकाशित किया गया।

11.79 इस अध्याय के पैरा 11.54 में भी उल्लेख किया गया है कि (1) अपने अधिकार जानें (2) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (3) सिर पर मैला ढोना (4) एच. आई. वी./एड्स (5) बंधुआ मजदूरी (6) बाल श्रम (7) विकलांगों के अधिकार, नालसार (एन. ए. एल. एस. ए.

आर.) विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद को सौंपे गए, विषयों पर पुस्तकों की श्रृंखला प्रकाशित करने की परियोजना प्रगति पर है। इन पुस्तिकाओं के अतिरिक्त महत्वपूर्ण मानव अधिकार शब्दों पर अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली को आयोग के भाषा अनुभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

ढ) आयोग की ओर से विभिन्न राज्यों के दौरे

11.80 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों ने राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के साथ-साथ देश के कई राज्यों का दौरा किया। इन दौरों से आयोग को इन राज्यों के मुख्य निर्णय लेने वालों और मुख्य गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार समूहों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला। इन दौरों के दौरान हर कोशिश की गई कि जिस राज्य में दौरा किया जा रहा है उस राज्य से संबंधित विशेष समस्याओं और मामलों को ध्यान में रखकर आयोग उन सभी विषयों को शामिल करे जिसका सरोकार आयोग से है।

11.81 आयोग द्वारा उठाए गए मामलों के संदर्भ में राज्य सरकारों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जा चुकी है और इन सभी दौरों पर अनुवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयोग के समक्ष आई व्यक्तिगत शिकायतों जो अक्सर लोक सेवकों के आचार या समाज को प्रभावित करने वाले मानव अधिकार उल्लंघनों से संबंधित संवेदनशील मामलों से जुड़ी होती हैं, पर चर्चा करने के लिए इन दौरों का उपयोग किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

क) अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति (आई. सी. सी.) तथा मानव अधिकार आयोग की बैठकें

12.1 आयोग ने 1994 से 2002 तक अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के प्रत्यायित सदस्य के रूप में और कई सालों तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मानव अधिकारों पर आयोग के वार्षिक सत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय संस्थाओं ने स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित किया है कि ये संस्थाएं समूह के रूप में परिपक्व हो रही हैं।

12.2 मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर मानव अधिकारों पर आयोग के 59 वें सत्र और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक अप्रैल, 2003 में जेनेवा, स्वीजरलैंड में आयोजित की गई। माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डॉ० ए.एस. आनन्द और सदस्य श्री वीरेन्द्र दयाल और आयोग के संयुक्त सचिव श्रीमती एस. जलजा ने इन बैठकों में हिस्सा लिया। माननीय अध्यक्ष ने आयोग की ओर से व्यक्तव्य भी दिए। माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए व्यक्तव्य की सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री अनुबंध 10 पर देखी जा सकती है। इससे पूर्व इस प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रीय संस्थाओं के एशिया प्रशांत मंच और मानव अधिकारों पर आयोग तथा राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के 59 वें सत्र जिसे क्रमशः 14 और 15 अप्रैल को आयोजित किया गया, में हिस्सा लिया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त, मि. सरजियो वीयेरा डी मेलो के साथ भी विचार-विमर्श किया।

12.3 संयुक्त राष्ट्र आयोग को सम्बोधित करते हुए न्यायमूर्ति आनन्द ने कहा कि राष्ट्रीय संस्थाएं अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अच्छे प्रशासन में सहायक और अनुवीक्षक दोनों ही हैं और अगर उन्हें अतिसक्रिय बना दिया जाए, अगर वे उल्लंघन को टालने या कम करने के लिए निवारक कदम उठाएं और अगर वे मानव अधिकारों का हनन करने वालों को निडर हो कर सामने लाएं तो ये

मानव अधिकारों की सुरक्षा संवर्धन में अनुपम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए यह हमारे लिए चिंता का विषय है अगर किसी राष्ट्रीय संस्था चाहे हमारे धर्म या किसी अन्य पर बाहरी राजनीतिक, आर्थिक या अन्य अनुचित दबाव डाला जाए। अपनी भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने कहा कि गत महीने में सिविल और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ हमारे देश की संगत परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने में लगा है।

ख) एशिया पैसिफिक फोरम की वार्षिक बैठक

12.4 एशिया पैसिफिक फोरम की आठवीं वार्षिक बैठक 16 से 18 फरवरी, 2004 तक काठमांडू में आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के बारह सदस्य देशों— नेपाल, आस्ट्रेलिया, फिजी, भारत, इन्डोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन्स, कोरिया गणतंत्र, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जो एशिया पैसिफिक फोरम के घटक हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए व्यक्तव्य की सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री अनुबंध 11 में देखी जा सकती है।

12.5 बैठक में इस बात की फिर से पुष्टि की गई कि राष्ट्रीय संस्थाओं की संरचना और जिम्मेदारियों में तथा पेरिस सिद्धान्तों में तालमेल होना चाहिए। न्यूजीलैंड मानव अधिकार आयोग की नियामक न्यूजीलैंड विधि में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बैठक में न्यूजीलैंड मानव अधिकार आयोग की पूर्ण सदस्यता को फिर से दोहराया। इसमें अफगान स्वतंत्र मानव अधिकार आयोग और फिलीपीन्स नागरिक अधिकार स्वतंत्र आयोग को भी फोरम का सह-सदस्य माना, जिसके परिणाम स्वरूप फोरम की कुल सदस्यता बढ़कर कर चौदह हो गई है। फोरम जहाँ कहीं संभव होगा नए सदस्यों को पेरिस सिद्धान्तों के सम्पूर्ण अनुपालन में सहायता देगा।

12.6 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त (यू. एन. एच. सी. एच. आर.) के सह-सौजन्य से हुई मंच की आठवीं वार्षिक बैठक में विधिवेता सलाहकार परिषद् (ए. सी. जे), अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी) यूनेस्को के प्रतिनिधियों, आस्ट्रेलिया, भारत, इन्डोनेशिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, कोरिया गणतंत्र, सोलोमन द्वीप, ताईवान, थाईलैंड, तिमोर लेस्ट, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों, ईरान, जोरडन और मालदीव की संस्थाओं, अमेरिका के राष्ट्रीय मानव अधिकार के क्षेत्रीय नेटवर्क और अड़तीस अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी भी देखी गई।

12.7 नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा और मानव अधिकार कार्यकारी उच्चायुक्त मि. बरट्रैण्ड रामचन्द्रन के स्थान पर आए संयुक्त राष्ट्र के स्थायी समन्वय (नेपाल) श्री मैथ्यू कहाने ने उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया।

12.8 मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन एवं आतंकवाद से लड़ने के लिए कानूनी शासन को सुनिश्चित करने की जरूरत का कई वक्ताओं द्वारा अपने शुरुआती भाषण में जिक्र किया गया। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ० ए० एस० आनन्द ने 'मानव अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के संतुलन क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' के अपने वक्तव्य में इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की। माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य की सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री अनुबंध में है।

कार्य सत्र

12.9 आतंकवाद से निपटने में कानूनी शासन के मुद्दे जिसे ए.पी.एफ की सातवीं बैठक में विधिवेत्ता सलाहकार परिषद् को विचारार्थ भेजा गया, का इसके द्वारा निरीक्षण किया गया और आठवीं वार्षिक बैठक से पहले एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की गई जिस पर बहस कर सर्वसम्मती से अंगीकार कर लिया गया। ए.सी.जे. को इस विषय पर अन्तिम रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उत्पीड़न की रोकथाम के मुद्दे पर विधिवेत्ता सलाहकार परिषद् के लिए नई नियम संहिता तैयार की जाए।

12.10 फोरम ने फिजी, नेपाल, फिलीपीन्स और कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संस्थाओं को भी चुना जो राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वयक समिति के चार प्रतिनिधि होंगे। फिजी मानव अधिकार आयोग अन्तरराष्ट्रीय समन्वयक समिति में प्रत्यायन उपसमिति का कार्य करेगी।

12.11 फोरम ने नेपाल के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (वार्षिक बैठक की वर्तमान मेजबान संस्था के रूप में) को सर्वसम्मति से फोरम के अध्यक्ष पद के लिए चुना। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (पिछली वार्षिक बैठक के मेजबान संस्थान के रूप में) और कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अगली वार्षिक बैठक के मेजबान संस्था के रूप में) को उप-अध्यक्ष के दो पदों के लिए सर्वसम्मति से चुना।

पूर्ण सत्र

12.12 फोरम ने विधिवेत्ता सलाहकार परिषद् के मृत्यु दण्ड, इन्टरनेट पर बाल अश्लील साहित्य और अवैध व्यापार के प्रतिवेदन की सिफारिशों के लागू करने पर अपनी रिपोर्ट दी। कई फोरम सलाहकारों ने विशेष रूप से सलाहकार समिति के सफलतापूर्वक लागू करने के बारे में बताया।

12.13 इसमें फोरम की सदस्य संस्थाओं की सरकारों को अपने आदेशों को और प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की स्वतंत्रता और संस्थायी सामर्थ्य को मजबूत बनाने की प्रार्थना की। खासतौर से, राष्ट्रीय संस्थाओं को मानव अधिकारों के हनन की जांच पड़ताल करने के बृहत् और अबाधित अधिकार मुहैया कराने चाहिए। सरकार को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की सिफारिशों और दृढ़ संकल्पों की ओर गंभीर विचार कर उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।

12.14 फोरम ने 2003 में नई दिल्ली, भारत में हुई कार्यशाला में राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा समर्थित अशक्त लोगों के अधिकारों पर एक नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की प्रगति का स्वागत किया। फोरम की संस्थाओं ने प्रस्तावित सम्मेलन के विकास को सहायता करने के लिए कार्यरत संगठनों की स्थापना करने पर सहमति पेश की। फोरम ने ओ.एच.सी.एच.आर की फोरम की इन गतिविधियों में समर्थन को जारी रखने के प्रस्ताव का स्वागत किया।

12.15 निर्णायक व महत्वपूर्ण निष्कर्ष :-

- गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ संयुक्त प्रैक्टिकल सहयोगी गतिविधियों की महत्ता
- मालदीप, सोलोमन द्वीपों और तैमूरलेस्ते की सरकारों को पेरिस सिद्धांतों के अनुसरण पर मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना पर निर्णय लेने के लिए बधाई।
- विधिवेत्ता सलाहकार परिषद के मृत्यु दण्ड, इन्टरनेट पर बाल अश्लील साहित्य तथा अवैध व्यापार के प्रतिवेदन पर सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- नेपाल में मानव अधिकारों का अभिकथित हनन।
- अशक्त लोगों के अधिकारों पर एक नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के विकास में हुई प्रगति।
- सरकारों को उत्पीड़न और अन्य प्रकार की बर्बरता अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल के अभिसमयों पर हस्ताक्षर संधि और विज्ञप्ति का अनुसमर्थन करना चाहिए।
- आतंकवाद और कानूनी शासन पर सलाहकार समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करना।
- ओ.एच.सी.एच.आर. की राष्ट्रीय संस्थाओं के दल को मजबूत करने के लिए राज्यों से प्रार्थना करना।

ग) विदेशों में दौरे, सेमिनार और कार्यशालाएँ

12.16 माननीय अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा विदेशी दौरों और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का सेमिनारों और कार्यशालाओं में हिस्सा लेना, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और मानव अधिकार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से अवगत कराने का विरल अवसर प्राप्त होता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, माननीय अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसे कई दौरे किए गए। माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ० ए. एस. आनन्द ने भारतीय राजदूत के माध्यम से ईरान इस्लामिक मानव अधिकार आयोग द्वारा दिए गए आमंत्रण पर 22 से 26 जून 2003 के दौरान तेहरान, ईरान का दौरा किया।

12.17 माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ० ए. एस. आनन्द ने ब्रिटिश उच्चायुक्त, नई दिल्ली के आमंत्रण पर 12 से 19 जुलाई के दौरान लंदन, यू. के. का दौरा किया।

12.18 01 से 4 सितंबर, 2003 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेपाल के बीच सीमा पार देह व्यापार से निपटने हेतु समझौता ज्ञापन की भूमिका तैयार करने के लिए केन्द्रक अधिकारी श्री पी. एम. नय्यर और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, डॉ० सविता भाखड़ी ने काठमांडू, नेपाल का दौरा किया।

12.19 05 से 15 सितम्बर, 2003 के दौरान न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर ने देशीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों के अनुप्रयोग पर उपक्षेत्रीय न्यायिक गोष्ठी में भाग लेने के लिए अरुशा तनजानिया का दौरा किया। उनका यह दौरा 9 से 11 सितम्बर, 2003 में महिलाओं के प्रति भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय के विशेष संदर्भ में हुआ था।

12.20 21वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर एशियाई परिप्रेक्ष्य पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने और भारत में अन्तर्वैयक्तिक कानूनों पर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सदस्य, न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर ने 8 से 14 अक्टूबर, 2003 के दौरान नगोया, जापान का दौरा किया।

12.21 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में पर्याप्त भोजन के अधिकार के प्रगतिशील कार्यान्वयन के समर्थन पर स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों के सेट को तैयार करने हेतु अन्तरशासकीय संचालन समूह के दूसरे सत्र में हिस्सा लेने के लिए महासचिव श्री पी. एस. एस. थॉमस ने 26 से 31 अक्टूबर 2003 के दौरान एफ. ए. ओ. मुख्यालय रोम इटली का दौरा किया।

12.22 'देह व्यापार की रोक' पर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए केन्द्रक अधिकारी श्री पी. एम. नय्यर और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, डॉ० सविता भाखड़ी ने 21 से 24 अक्टूबर, 2003 के दौरान मेलबार्न, आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

12.23 न्यूजीलैंड मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय जातीय संबंधों पर गोल मेज सभा में हिस्सा लेने के लिए सदस्य श्री आर. एस. काल्हा ने 2 से 6 फरवरी, 2004 के दौरान ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का दौरा किया।

12.24 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में पर्याप्त भोजन के अधिकार के प्रगतिशील कार्यान्वयन के समर्थन पर स्वैच्छिक दिशा निर्देशों के सेट को तैयार करने हेतु एफ. ए. ओ. द्वारा आयोजित सीमाहीन संचालन समूह की अन्तर्सत्रीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए महासचिव, श्री पी. एस. एस. थॉमस ने 2 से 5 फरवरी 2004, के दौरान रोम, इटली का दौरा किया।

12.25 एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मानव अधिकारों के संवर्धन और सुरक्षा हेतु 12वें वार्षिक क्षेत्रीय सहयोग कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए आयोग की संयुक्त सचिव, श्रीमती एस. जलजा ने 24 मार्च 2004 को दोहा का दौरा किया।

12.26 राष्ट्रमण्डल मानव अधिकार संस्थाओं और विधानमण्डल पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार प्रभावशाली संबंध निर्माण में हिस्सा लेने के लिए महासचिव, श्री पी. एस. एस. थॉमस और पंजीयक, श्री अजित भरिहोक ने 23 से 26 मार्च 2004 के दौरान नाइजीरिया का दौरा किया।

12.27 नेपाल मानव अधिकार आयोग में शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी. एम. एस.) पर सोफ्टवेयर तैयार करने हेतु आयोग से जुड़े वरिष्ठ सिस्टम ऐनालिस्ट श्री शशि कान्त शर्मा ने 17 से 20 मार्च 2004 के दौरान काठमांडू, नेपाल का दौरा किया।

घ) आदान-प्रदान और अन्य परस्पर संवाद

12.28 आयोग को विदेशों से विशेष रूप से संसदीय और मानव अधिकार संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत कर और उन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका और संचालन सहित आयोग द्वारा देखे गए मानव अधिकार मामलों पर सूचना प्रदान करने में प्रसन्नता हुई। आयोग ने मानव अधिकार आयोग द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों और अभिसमयों पर भी जानकारी दी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्रीलंका की संसदीय चयन समिति ने 7 मार्च 2003 को आयोग का दौरा किया।

12.29 फ्रेंच सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने 20 मार्च, 2003 को आयोग का दौरा किया।

12.30 17 मार्च 2003 को यूरोपियन संघ के राजदूत ने आयोग के अध्यक्ष से भेंट की।

12.31 नेपाल की शान्ति संवाद सुगमीकरण की तीन संसदीय समिति (सी. पी. डी. एफ.) ने 8 जुलाई, 2003 को आयोग का दौरा किया।

12.32 इंडोनेशिया गणतंत्र से उच्चाधिकार मानव अधिकार प्रतिनिधिमंडल ने 11 सितम्बर, 2003 को आयोग का दौरा किया।

12.33 यू. के. की. कंजरवेटिव पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया (सी. पी. एफ. आई. एन.) के प्रतिनिधिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2003 को आयोग का दौरा किया।

12.34 मि. डैटो परम कुमारास्वामी, बैरिस्टर, इनर टैम्पल ने 31 अक्टूबर 2003, को आयोग का दौरा किया।

12.35 श्रीलंका मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष, सुश्री राधिका कुमारास्वामी ने 8 जनवरी 2004 को आयोग का दौरा किया।

12.36 लार्ड न्यायमूर्ति रॉबिन आल्ड, यू. के. ने 27 जनवरी 2004 को आयोग का दौरा किया।

12.37 यूकरेन की लोकपाल, श्रीमती नीना कार्पाचोवा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 जनवरी, 2004 को दौरा किया।

12.38 मलेशिया मानव अधिकार आयोग के उपाध्यक्ष मि. टेन सरी साइमन सिपोन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 फरवरी, 2004 को आयोग का दौरा किया।

12.39 मानव अधिकार और समान अवसर आयोग (एच. आर. ई. ओ. सी.), आस्ट्रेलिया के अध्यक्ष न्यायमूर्ति, मि. जॉन वॉन दोसा, क्यू सी, ने कार्यकारिणी निदेशक, सुश्री डायना तेम्बी, एच. आर. ई. ओ. सी. के साथ 12 फरवरी, 2004 को आयोग का दौरा किया।

12.40 यू. के. के. लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने 10 फरवरी, 2004 को आयोग का दौरा किया।

12.41 फिजी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मि. वाल्टर रिगैमोटो की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 फरवरी 2004 को आयोग का दौरा किया।

12.42 नीति प्रभाग, डी. एफ. आई. डी., लंदन, यू. के. से प्रतिनिधिमंडल ने 26 फरवरी, 2004 को आयोग का दौरा किया।

च) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और कनेडियन मानव अधिकार आयोग सहलग्नता परियोजना

12.43 26 अगस्त 2003 को रा.मा.अ.आ. और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद त्रिपक्षीय ढंग से अशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संवर्धन हेतु रा.मा.अ.आ. ने एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के उद्देश्य :-

- अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु मानव अधिकार प्रपत्रों के प्रभावशाली उपयोग के लिए स्थितियाँ तैयार करना।
- सभी स्तरों पर मानव अधिकार संस्थाओं में अशक्त व्यक्तियों के प्रति चिंता में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- प्रमुख मानव अधिकार प्रपत्रों और अशक्त व्यक्तियों से संबंधित देशीय विधानों पर शिक्षा, ज्ञान और जागरूकता को व्यवस्थित ढंग से शामिल करना।
- अशक्त व्यक्तियों से संबंधित मानव अधिकारों के क्षेत्र में विधि-शास्त्र के विकास को बढ़ावा देना।

12.44 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई गई और उन्हें शुरू किया गया।

- उचित प्रबन्धन के लिए 5 सदस्यीय परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु रा.मा.अ.आ. के विशेष सम्पर्ककर्ता (अशक्तता) को इस परियोजना के प्रमुख समन्वयक के रूप में मनोनीत किया है।
- संसाधनों की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री की समीक्षा की गई। मानव अधिकार और अशक्तता में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों विश्लेषणों को एकत्रित किया गया है।
- इसी प्रकार, अशक्तता से संबंधित मामलों की सूची तैयार की जा रही है ताकि अशक्तता अधिकार कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं द्वारा इसे प्रयोग किया जा सके। शीर्ष न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, अर्धन्यायिक निकायों से मामलों का उदाहरण लेकर 100 मामलों का सारांश तैयार किया जा रहा है। हमारे परियोजना भागीदारों और विदेशी लेखकों द्वारा भी अपने विधिशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रणालियों से अशक्तता संबंधित मामलों के उद्धरणों को भी एकत्रित किया जा रहा है।

- पूरे विश्वभर से लेखकों के एक पैनल की पहचान की गई जिसमें मानव अधिकार और अशक्तता मामलों के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं। हम पूरे विश्वभर से आधा दर्जन विशेषज्ञों को चुनने में सफल हो पाए हैं। इन लेखकों ने इस परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पुस्तिकाएं लिखने की सहमत व्यक्त की है।
- 5 दिसम्बर, 2003 को हुए इलैक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान और टेलिकॉन्फ्रेंस के आधार पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पुस्तिका डिजाईन और पाठ्यक्रम डिजाईन को अन्तिम रूप दिया जाएगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पुस्तिका डिजाईन के विकास में योगदान देने वाले विशेषज्ञों में निम्नलिखित शामिल हैं :-
 1. प्रो० मारसिया रोकस, निदेशक, अशक्तता अध्ययन, योर्क यूनिवर्सिटी, टोरोन्टो
 2. प्रो० एन्ड्र्यू बायरस, विधि विभागाध्यक्ष, आस्ट्रेलिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कैनबेरा
 3. मि. कीरेन फिजपैट्रिक, निदेशक, ए. पी. एफ., सिडनी, आस्ट्रेलिया
 4. प्रो० अमिता ढांडा, नालसार, हैदराबाद
 5. श्री एस. के. रूंगता, महासचिव, राष्ट्रीय नेत्रहीन परिसंघ, नई दिल्ली

इस कार्य से सूत्रपात का नेतृत्व आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता, अशक्तता, सुश्री अनुराधा मोहित द्वारा किया गया।

- एन. एल. एस. आई. यू., बेंगलोर को जुलाई में पहले प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए केन्द्रक अभिकरण के रूप में चुना गया है। छः दिन का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विधि व्यावसायिकों, विद्याविदों और कार्यकर्ताओं के चुने हुए समूह को दिया जाएगा। मुख्य विधि स्कूलों और विधि विभाग रखने वाले विश्वविद्यालयों, मानव अधिकार और अशक्तता अधिकार संगठनों से सम्पर्क किया गया है ताकि वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकें।
- प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए व्यक्तिगत परियोजनाओं हेतु विषयों की सूची तैयार की जा चुकी है क्योंकि प्रत्येक भागीदार को एक परियोजना पर कार्य कर बाद में राष्ट्रीय सेमिनार में अपने निष्कर्षों को बताना अनिवार्य है। व्यक्तिगत परियोजनाओं की सहायता के लिए ग्रंथ सूची को तैयार किया गया है जिसे 2004 में अद्यतन किया जाएगा।

12.45 संक्षिप्त में कहें तो वर्ष 2003-2004 के दौरान, आयोग ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने और अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु जागरूकता

बढ़ाने के लिए पुस्तिकाओं को तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय और देशीय मानव अधिकार प्रतिमानकों और मानकों को लागू करने हेतु तैयारी का कड़ा कार्य किया है।

छ) सीमापार देह व्यापार को रोकने के लिए रा.मा.अ.आ., भारत—रा.मा.अ.आ., नेपाल की संयुक्त परियोजना

12.46 वर्ष 2002–2003 की वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है कि एशिया पैसिफिक मंच के कहने पर आयोग ने भारत और नेपाल सीमापार देह—व्यापार को रोकने हेतु संयुक्त परियोजना बनाने की संभावना पर विचार करने हेतु 7 नवम्बर 2002 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेपाल की टीम के साथ प्राथमिक विचार—विमर्श किया।

12.47 दोनों राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच आगे की द्विपक्षीय वार्ता हेतु उपरोलिखित बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई कि रा.मा.अ.आ., भारत से एक टीम आपसी सुविधानुसार किसी दिन नेपाल मानव अधिकार आयोग का दौरा करेगी जिसके बाद रा.मा.अ.आ., नेपाल की टीम भी ऐसा ही दौरा भारत में करेगी।

12.48 रा.मा.अ.आ., भारत की टीम का दौरा संभव नहीं हो पाया। लेकिन रा.मा.अ.आ. नेपाल के सदस्य डॉ० गौरी शंकर लाल दास के नेतृत्व में नेपाल मानव अधिकार आयोग से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत—पाक सीमापार महिलाओं और बच्चों का देह व्यापार रोकने हेतु आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर आगे चर्चा करने के लिए 3 जून 2003 को रा.मा.अ.आ., भारत का दौरा किया। इस बैठक को रा.मा.अ.आ., भारत की सदस्या न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता वी मनोहर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया इसमें रा.मा.अ.आ., नेपाल द्वारा सुझाए गए कुछ क्षेत्र जिनमें दोनों आयोग मिलकर काम कर सकते हैं इस प्रकार हैं :—

- देह व्यापार पर सूचना/आकड़ों का आदान प्रदान;
- देह व्यापार के पीड़ितों को बचाना, पुनर्वास करना और उन्हें अपने देश वापस भेजना;
- सर्तकता/निगरानी समिति से बने सीमा—पार संस्थागत तंत्र को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में स्थापित करना जो देह—व्यापार में सर्वाधिक असुरक्षित हो।
- जरी के काम में लगे लड़कों के अवैध व्यापार जैसे क्षेत्रों जिन में देह—व्यापार बढ़ता जा रहा है, की पहचान करना;
- सीमा पर तैनात अधिकारियों और सुरक्षा कार्मियों तथा विधि प्रवर्तक अभिकरणों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं और सुग्राहीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना;

- ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करना जो उपरोलिखित कार्य में शामिल हो सकें;
- सार्क अभिसमय की परिधि के अन्तर्गत द्विपक्षीय समझौते करना;

रा.मा.अ.आ., भारत द्वारा सुझाए गए क्षेत्र इस प्रकार थे;

- रा.मा.अ.आ., भारत द्वारा महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार पर की जा रही कार्रवाई अनुसंधान परियोजना की तर्ज पर रा.मा.अ.आ., नेपाल देह व्यापार पर कार्रवाई अनुसंधान कर सकता है। इस प्रस्तावित कार्रवाई अनुसंधान में देह-व्यापार से संभावित ब्लाकों के साथ-साथ देह-व्यापार में धकेलने वाले कारकों का सर्वेक्षण किया जा सकता है। इन सर्वेक्षणों से एकत्रित आंकड़ों का आपस में आदान-प्रदान और सीमापार देह-व्यापार को रोकने के लिए सामान्य रणनीति तैयार करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।
- उन क्षेत्रों के आस-पास के जिलों में जहाँ से ज्यादातर महिलाओं और बच्चों का देह-व्यापार किया जा रहा है वहां के समुदायों में जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यक्रम करना।
- बचाव और पुनर्वास संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों पर सूचना का आदान प्रदान।
- दोनों देशों के बीच ऐसे तंत्र का विकास करना ताकि महिलाओं और बच्चों को पुनः देह-व्यापार में आने से रोका जा सकें।
- ऐसे प्रबन्ध की व्यवस्था करना जिससे भारत/नेपाल या किसी तीसरे देश में देह-व्यापार करने वालों के अभियोजन हेतु देह-व्यापार के पीड़ितों के साक्ष्य को अभिलिखित किया जाए।

12.49 इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि नेपाल मानव अधिकार आयोग इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए रा.मा.अ.आ., भारत को अपना प्रत्युत्तर देगा और उसके पश्चात् आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने हेतु दोनों आयोगों के बीच बातचीत हो सके।

12.50 बाद में दो अधिकारियों की एक टीम ने 1 से 4 सितम्बर, 2003 को काठमांडू का दौरा किया ताकि सीमापार देह-व्यापार को रोकने के मामले पर आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर रा.म.अ.आ., भारत और रा.म.अ.आ., नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को तैयार करने के लिए पृष्ठ-भूमि तैयार की जा सके। बैठक में चर्चा के लिए उभरकर आए कार्यसूची मदों का विवरण इस प्रकार है :-

क. देह व्यापार पर सूचना और आंकड़ों का आदान प्रदान;

ख. संयुक्त कार्यदल का गठन;

- ग. कानूनों/संधियों की समीक्षा;
- घ. मानव अधिकार सिद्धांतों की सूची तैयार करना;
- च. प्रशिक्षकों के संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन;
- छ. प्रशिक्षण मॉड्यूल;
- ज. गैर-सरकारी संगठनों की निर्देशिका;
- झ. द्विविपक्षीय संधि;
- ट. आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग;
- ठ. सार्क अभिसमय का कार्यान्वयन;
- ड. संयुक्त राष्ट्र और एशिया पैसिफिक मंच के साथ संयुक्त कार्य; और
- ढ. संयुक्त कार्य समूह का गठन।

12.51 रा.मा.अ.आ., भारत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दोनों आयोगों के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदा की रूप रेखा तैयार की गई और आयोग द्वारा मंजूरी दी गई। इसके पश्चात् समझौता ज्ञापन की एक प्रति को इस अनुरोध के साथ गृह मंत्रालय को भेजा गया कि सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके अपनी अनापत्ति के बारे में आयोग को सूचित करे ताकि दोनों आयोगों के बीच इसे प्राथमिकता आधार पर लागू किया जा सके। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि तीन माह बीत जाने के बाद भी सैद्धान्तिक रूप से इस प्रस्ताव पर अपनी 'अनापत्ति' नहीं दी गई है। आयोग के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य होने के कारण और एशिया पैसिफिक मंच के सेवारत पुराने सदस्यों में से एक होने के कारण आयोग से इस क्षेत्र में अपनी सहयोगी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

ज) नेपाल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आयोग की शिकायत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

12.52 नेपाल मानव अधिकार आयोग ने कनेडियन मानव अधिकार आयोग की भागीदारी में भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा विकसित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी. एम. एस.) को उनके आयोगों में लगाने हेतु सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।

12.53 उनके अनुरोध पर रा.मा.अ.आ. ने उप-पंजीयक, श्री ए. के. पराशर और वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट, श्री शशि कान्त शर्मा को रा.मा.अ.आ., नेपाल में प्रतिनियुक्त किया। उन्होंने 17 से 20 मार्च, 2004 और 12 से 17 अप्रैल, 2004 के दौरान रा.मा.अ.आ., नेपाल का दौरा किया। संरक्षण और अनुवीक्षण प्रभाग (पी. एम. डी.) के साथ कई चर्चाएं की जिसमें विभिन्न जरूरतों को महसूस किया गया। इस सॉफ्टवेयर को उनकी जरूरतों के अनुरूप बनाया गया। इस सी. एम. एस. को नेपाली और अंग्रेजी दोनों लिपियों में शुरू किया गया। यह रा.मा.अ.आ., नेपाल द्वारा प्रयोग किए जा रहे विक्रम सम्वत् तिथि कैलेंडर के अनुरूप भी काम करता है। इस टीम द्वारा मास्टर कोडों और इस सॉफ्टवेयर के प्रभावशाली संचालन को समझने के लिए रा.मा.अ.आ., नेपाल के आई टी विद्वानों को अभिविन्यास भी प्रदान किया। संरक्षण और अनुवीक्षण प्रभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य प्रभागों को भी इस सॉफ्टवेयर को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। सी. एम. एस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अनुरूप बनाने और कार्यान्वयन करने के बाद, विभिन्न उद्देश्यों के लिए शिकायतों के आकड़ों का प्रबंधन पूरी तरह से व्यवस्थित और कम्प्यूटीकृत ढंग से आयोग में स्थापित किया जा चुका है।

अध्याय – 13

गैर सरकारी संगठन

13.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(1) के अन्तर्गत मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देना आयोग की वैधानिक जिम्मेदारी है। आयोग और गैर-सरकारी संगठनों के निकट सहयोग के बिना मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा नहीं मिल सकता।

13.2 गैर-सरकारी संगठनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने हेतु आयोग क्षेत्रीय आधार पर मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में लगे गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ निरन्तर परामर्श करता रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 13 जून 2003 को दक्षिण क्षेत्र में स्थित गैर-सरकारी संगठनों के साथ पुने में क्षेत्रीय परामर्श किया। इसमें गुजरात, गोआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्य शामिल थे। इसमें भाग लेने वालों ने कई मानव अधिकार मामलों को उठाया जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इन मामलों में बाल श्रम, परदीस जैसे गैर-अधिसूचित जातियों के भेदभाव और उत्पीड़न, न्यूनतम वेतन न देना और महाराष्ट्र में चीनी मिलों में अवमानक कार्य स्थितियों का होना, महाराष्ट्र में कबीले वालों की दुर्दशा, भूमंडलीकरण के कुप्रभाव, गोआ में वेश्यावृत्ति और बच्चों के यौन शोषण की बढ़ती घटनाएं, जेलों में रहने की दयनीय स्थिति, मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य से एच. आई. वी. का ख़तरे जैसी समस्याएं शामिल थीं।

13.3 22 मार्च, 2004 को गोहाटी में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी क्षेत्रीय परामर्श किया गया इसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम शामिल थे। यह परामर्श गैर-सरकारी संगठनों के आयोग के समक्ष अपने परिप्रेक्ष्य रखने के लिए उपयोगी मंच सिद्ध हुआ। विद्रोह रोकने से संबंधित कठिनाईयों के परिणाम स्वरूप महिला विधवाओं की दुर्दशा, त्रिपुरा की जेलों में अधिक संख्या में कैदियों के होने से भीड़ भाड़ की समस्या, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अशक्तता संबंधी मामलों में संवेदनशीलता की कमी और लिंग न्याय संबंधित मामलों जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों को इसमें उठाया गया और उन पर चर्चा की गई।

13.4 मानव अधिकार के क्षेत्र में लगे गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (क) के अन्तर्गत गठित कोर समूह विभिन्न मानव अधिकार मामलों पर परस्पर संवाद, चर्चा समीक्षा और अनुवीक्षण के लिए अक्सर बैठकें करता रहता है।

13.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों पर कोर समूह की चार बैठकें आयोजित की गईं। आयोग से सिविल समाज की आशाओं, आकांक्षाओं और प्रत्याशाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्विष्टयाँ कोर समूह निरन्तर आयोग को मुहैया कराता रहा है। बैठकों में निम्नलिखित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया :-

- कई राज्यों में चल रही सिर पर मैला ढोने की प्रथा;
- सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में विलम्ब;
- विसलब्लाअेर अधिनियम बनाने की जरूरत;
- मानव अधिकारों के समर्थकों की सुरक्षा की अत्यंत जरूरत और;
- सरकार द्वारा अहमदी समिति के सुझावों के कार्यान्वयन में विलम्ब

13.6 कोर समूह के एक सदस्य एक्शन ऐड, इंडिया ने अपनी पूर्व की बैठकों में समूह की सिफारिशों पर इसके द्वारा की गई निम्नलिखित परियोजनाओं/अध्ययनों पर अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की:

- भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति कानून और सिफारिशें
- मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगियों का पुनर्वास
- सिर पर मैला ढोना
- जेल अध्ययन
- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य पर दिनांक 3 अगस्त 1997 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन का सर्वेक्षण (महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर अध्याय 7 में पैरा 7.27 में संबंधित सूचना दी गई है।)

13.7 आयोग ने इस वर्ष के दौरान मानव अधिकारों से संबंधित मामलों पर विभिन्न कार्यक्रमों को करने के लिए कई संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की :

- गुजरात के खेड़बह्य तालूका मे जनजाति कल्याण शिविर का आयोजन करने हेतु निर्मल फांऊडेशन ट्रस्ट, गुजरात को रुपये 50,000/- की राशि की संस्वीकृति दी गई।
- डॉ0 वी. एम. पेशवे, महाराष्ट्र को मराठी भाषा में अपनी "इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंडर रोम स्टेट्यूट 98" नामक पुस्तक को प्रकाशित करवाने हेतु रुपये 20,000/- की राशि की संस्वीकृति दी गई।
- युवा एवं सामाजिक विकास केन्द्र भूवनेश्वर को 15 सितम्बर, 2003 को अच्छे प्रशासन और सूचना के अधिकार पर कार्यशाला आयोजित करने हेतु रुपये 10,000/- की राशि की संस्वीकृति दी गई।
- विशेष सम्पर्ककर्ता श्री ए. बी. त्रिपाठी को भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा कटक में 20 अप्रैल, 2003 को आयोजित एच. आई. वी./एड्स पर कार्यशाला करने हेतु रुपये 25,000/- की राशि की संस्वीकृति दी गई।
- कटक में मानव अधिकार शिक्षा पर राज्य स्तर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित करने के लिए 'सिद्धांत' को रुपये 25,000/- की राशि की संस्वीकृति दी गई।
- दिल्ली में वृद्धों के मानव अधिकारों की समस्याओं पर सेमिनार का आयोजन करने हेतु 'ऐज-केयर', इंडिया, नई दिल्ली को रुपये 36,000/- की राशि की संस्वीकृति दी गई।
- वर्तमान शिक्षा ढाँचे और विद्यार्थियों के मानव अधिकारों पर विद्यार्थियों, अध्यापकों और माता-पिताओं में वाद-विवाद कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से 'सर्व' कोलकाता को रुपये 1,05,000/- की राशि की संस्वीकृति दी गई।
- मानव अधिकारों पर सेमिनार का आयोजन करने हेतु नागरिक विकास समाज, नई दिल्ली को रुपये 1,00,000/- की राशि की संस्वीकृति दी गई।

13.8 आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर अनुसंधान परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है जिसके बारे में अध्याय 10 "अनुसंधान" कार्यक्रम एवं परियोजनाओं में विस्तार से दिया गया है।

13.9 विशिष्ट मामलों के संदर्भ जिन को कोर समूह और आयोग के बीच चर्चा के दौरान चुना गया था जिसमें पुलिस और जेल प्रशासन में व्यवस्थित सुधार, विभिन्न प्रकार के अभिरक्षण संस्थानों

जिनमें महिला गृह, बाल गृह और अन्य ऐसे स्थान शामिल हैं, से संबंधित मामले अशक्त व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं और समाज के उपेक्षित वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों, दलितों से संबंधित मामलों, मानव अधिकार हनन संबंधी साम्प्रदायिक घटनाओं और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में असंघटित श्रमिकों के मानव अधिकारों के मामले शामिल हैं पर आयोग गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता रहा है।

अध्याय — 14

राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय

14.1 आयोग का यह विचार है कि मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण तभी संभव है अगर सभी राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना करें। अभी तक असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ही राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है।

14.2 आयोग ने अपनी पूर्व की वार्षिक रिपोर्टों में मानव अधिकार न्यायालयों और राज्य मानव अधिकार आयोग दोनों के संदर्भ में कहा है कि केवल इनको स्थापित करना काफी नहीं। कार्मिकों और वित्तीय स्वायत्तता के संदर्भ में उनकी गुणवत्ता निश्चित की जानी चाहिए और मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें जरूरी सहायता दी जानी चाहिए।

14.3 सरकार ने वर्ष 2001-2002 में की गई कार्रवाई ज्ञापन रिपोर्ट में जिक्र किया कि इसने उन राज्यों से जिन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना नहीं की है, को जोर देकर जल्दी से जल्दी ऐसा करने और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना करने के लिए कहा है। कार्मिकों और वित्तीय स्वायत्तता दोनों के संदर्भ में गुणवत्ता सुनिश्चित करने से संबंधित आयोग की सिफारिशों को उचित ढंग से राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया ताकि सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सके।

14.4 लेकिन आयोग राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना करने और इसके निर्विघ्न संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों और आधारभूत सहायता मुहैया करने में विलम्ब को लेकर बहुत खेद है। आयोग इस समय प्रतिवर्ष लगभग 70,000 से 80,000 अभिकथित मानव अधिकार हनन की इतनी बड़ी संख्या की शिकायतों के कार्य भार से दबा हुआ है। पूर्ण रूप से

विकसित और पूरी तरह से सुसज्जित मानव अधिकार आयोगों की स्थापना से ही रा.मा.अ.आ. के इस कार्यभार को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

14.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोगों को सुदृढ़ करने के लिए 30 जनवरी 2004 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग की बैठक आयोजित की गई। राज्य आयोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बैठक में चर्चा हेतु निम्नलिखित कार्यसूची तैयार की गई।

- रा.मा.अ.आ. और आयोग के बीच समन्वय और सूचना का आदान-प्रदान
- प्रशिक्षण, जागरूकता निर्माण और क्षेत्रीय भाषाओं में मानव अधिकार मामलों का प्रकाशन
- रा.मा.अ.आ. द्वारा सुझाव गए मूल मानव अधिकार मामलों जैसे कि जेलों में समस्याएँ

14.6 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति से प्रत्येक जिले में मानव अधिकार हनन के अपराधों के विचारण हेतु अधिसूचना जारी कर मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाए। आयोग ने यह बार-बार दोहराया है कि इस प्रशंसनीय प्रावधान पर बेहतर ढंग से ध्यान केन्द्रित करने के लिए और जिले स्तर पर ही मानव अधिकार हनन की स्थिति में न्याय दिलाने के लिए इस धारा में संशोधन की जरूरत है। कुछ राज्यों द्वारा मानव अधिकार न्यायालयों के प्रभावशाली संचालन में सबसे बड़ी रुकावट यह निश्चित करने की अस्पष्टता है कि कौन सा अपराध सही मायनों में मानव अधिकार अपराध है। आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के संशोधन के लिए अनुरोध किया। यह बल्कि दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र और राज्य सरकारें पूर्ण रूप से संचालित मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना में रुकावटें पैदा करने वाले मामलों को सुलझाने में अभी तक विफल रहा है। हमें यह आशा है कि जब तक अगली रिपोर्ट लिखी जाती है इस कार्य को करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ताकि आयोग को हर साल एक ही बात को दोहराने की जरूरत न पड़े।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी. एम. एस.) का राज्य मानव अधिकार आयोगों में कार्यान्वयन

14.7 पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग (पी. एस. एच. आर. सी.), चंडीगढ़ ने अपने कार्यालय में इस सी. एम. एस. को लगाने के लिए रा.मा.अ.आ. से सहायता देने का अनुरोध किया। रा.मा. अ.आ. और पी. एस. एच. आर. सी. के बीच आपसी सहयोग की चेष्टा के रूप में रा.मा.अ.आ. ने

दो एन. आई. सी. अधिकारियों— सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, श्री शशि कान्त शर्मा और सिस्टम एनालिस्ट श्री विकास अग्रवाल की टीम को मई 2003, के महीने में पी. एस. एच. आर. सी. को सहायता प्रदान करने हेतु मनोनीत किया।

एन. आई. सी. टीम ने पी. एस. एच. आर. सी. पर स्थापित आई टी ढाँचे की समीक्षा की और इसके अद्यतन की सलाह दी। जून 2003, के महीने में सी. एम. एस. को पी. एस. एच. आर. सी. पर उनकी जरूरतों के अनुसार बनाया गया और इसका कार्यान्वयन किया गया। अन्त में सितंबर, 2003 के महीने में एन. आई. सी. टीम ने पी. एस. एच. आर. सी. का उत्तर कार्यान्वयन समीक्षा के लिए दौरा किया। इसमें जरूरी आशोधन किए गए। एन. आई. सी. ने इस रोज प्रयुक्त होने वाली 11 रिपोर्टों के अनुकूल बनाया है और इनका संचालन संतोषप्रद ढंग से चल रहा है। इस समय यह सी. एम. एस. पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग में सफलतापूर्वक ढंग से चल रहा है।

14.8 राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (आर. एस. एच. आर. सी.), जयपुर ने भी अपने आयोग में इस सी. एम. एस. को लगाने हेतु आयोग को सहायता देने का अनुरोध किया। रा. मा.अ.आ. से एन. आई. सी. टीम ने आर. एस. एच. आर. सी. का फरवरी 2004 के महीने में दौरा किया। एन. आई. सी. टीम द्वारा आर. एस. एच. आर. सी., जयपुर को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जा चुकी है।

आयोग के समक्ष शिकायतें

क) संख्या और स्वरूप

15.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग के पास विचार करने के लिए कुल 1,18,502 मामले थे। इन मामलों में कुछ मामले गत वर्षों से संबंधित थे और कुछ को नए स्थापित किए संस्थानों से वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया। 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक की अवधि के दौरान आयोग ने 57,694 मामले निपटाए (अनुबंध 12)। राज्यवार तथा श्रेणीवार विवरण अनुबंध 13(क) से (ग) तक दर्शाया गया है।

15.2 समीक्षाधीन अवधि के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2004 तक, आयोग के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या 60,808 थी जिनमें 4,767 मामलों में प्रारंभिक रूप से विचार किया जाना था और 56,041 मामलों में संबंधित प्राधिकारियों से या तो रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी अथवा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी और आयोग में उन पर विचार किया जाना था (अनुबंध 14)।

15.3 2003–2004 में आयोग में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या 72,990 थी जबकि वर्ष 2002–2003 में तदनुसारी आंकड़ा 68,779 था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों में से 71,427 शिकायतें मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, 1463 मामले हिरासतीय मौतों से और 100 मामले पुलिस मुठभेड़ से संबंधित थे। 2003–2004 के दौरान हुई हिरासतीय मौतों में से एक मौत सुरक्षा/अर्ध सैनिक बलों की हिरासत में, 162 पुलिस हिरासत जबकि 1300 न्यायिक हिरासत में हुई। न्यायिक हिरासत में हुई अधिकांश मौते बीमारी, वृद्धावस्था अथवा ऐसे ही अन्य कारणों से हुई थी (अनुबंध 15)।

15.4 पंजीकृत शिकायतों के ब्यौरे गत वार्षिक रिपोर्ट में आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन की पुष्टि करते हैं कि पूर्ववर्ती वर्षों में तेजी से हुई वृद्धि के बाद आयोग द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या अब स्थिर होती प्रतीत होती है। विगत के समान सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश

राज्य से थी जो आयोग द्वारा पंजीकृत शिकायतों का 56.5 प्रतिशत अर्थात् 40,396 थी। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली दूसरे स्थान पर रही जहाँ से 4610 शिकायतें प्राप्त हुई जबकि बिहार 4392 शिकायतों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना से उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या कम नहीं हुई है। बिहार या दिल्ली में अभी तक मानव अधिकार आयोग की स्थापना नहीं की गई है।

15.5 वर्ष 2003–2004 में निपटाए गए 57,694 मामलों की कुल संख्या में से 35,300 मामलों को आरंभिक स्तर पर निपटाया गया जबकि 13,415 शिकायतों को समुचित प्राधिकारियों को उपचारात्मक उपायों के निर्देशों के साथ निपटाया गया। हिरासतीय मौतों से संबंधित 342 सूचनाओं, मुठभेड़ में मरने वालों के 17 मामलों और 8620 अन्य मामलों को संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के बाद निपटाया गया। अन्य मामलों में 5 मामले व्यक्तियों के गायब होने से संबंधित 660 मामले अवैध बंधीकरण/अवैध गिरफ्तारी से संबंधित, 420 मामले तथाकथित झूठे मामलों में फंसाने से संबंधित, एक मामला तथाकथित हिरासतीय हिंसा, 34 मामले तथाकथित फर्जी मुठभेड़ से संबंधित, 1766 मामले ऐसे थे जो समुचित कार्यवाही न किए जाने से संबंधित थे तथा 2344 शिकायतें पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों से संबंधित थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई शिकायतों को निपटाया। 61 मामले महिलाओं की प्रतिष्ठा के हनन, 92 मामले महिलाओं के तथाकथित यौन शोषण, 209 मामले तथा कथित अपहरण, बलात्कार और कत्ल, 616 मामले दहेज के कारण हुई हत्या, 266 मामले दहेज की मांग के बारे में, 139 मामले महिलाओं के तथाकथित शोषण और 176 मामले महिलाओं के तथाकथित बलात्कार से जुड़े थे जिन को आयोग द्वारा निपटाया गया। आयोग ने बाल श्रम से संबंधित 10 मामलों, बाल विवाह से संबंधित 3 मामलों और बंधुआ मजदूरी से जुड़े 29 मामलों को भी निपटाया। आयोग ने जेल स्थितियों से जुड़ी शिकायतों को भी निपटाया। 81 मामलों कैदियों के तथाकथित उत्पीड़न के, 14 मामले जेलों में चिकित्सीय सुविधाओं की कमी और 120 मामले जेल की स्थितियों के अन्य पहलुओं से जुड़े थे जिन्हें आयोग द्वारा निपटाया गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त 161 मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति तथाकथित अत्याचारों के तथा हिंसा के 1 मामले और 1412 अन्य श्रेणियों में मामलों के साम्प्रदायिक थे जिन्हे आयोग द्वारा निपटाया गया। इन मामलों की राज्यवार स्थिति अनुबंध 12(क) से (ग) तक देखी जा सकती है।

15.6 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना से आयोग ने 581 मामलों में 9,84,10,634 रुपये की राशि अंतरिम राहत के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2003–04 के दौरान आयोग ने 22 मामलों में 7,42,000 रुपये की राशि देने की सिफारिश की।

ख) शिकायत प्रबंधन प्रणाली का कम्प्यूट्रीकरण

15.7 आयोग 1994 से एन. आई. सी. की सहायता से पूर्व विद्यमान शिकायत रखरखाव प्रणाली को आसान बनाने हेतु अद्यतन सूचना तकनीक उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। एन. आई. सी. ने आयोग के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी. एम. एस.) सॉफ्टवेयर का विकास और कार्यान्वयन किया है और यह 25 अगस्त 2000 से सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। इस नई कार्य प्रणाली ने आयोग के कर्मचारियों की उत्पादकता को बहुत अधिक बढ़ाया है, जिस से आयोग को मामलों को और प्रभावशाली ढंग से निपटाने में सहायता मिली है। इसी सी. एम. एस. सॉफ्टवेयर में 31 मार्च 2004 तक अनुवर्तन कार्रवाई सहित 4,42, 743 शिकायतों की सूचना एकत्रित है।

15.8 इस सी. एम. एस. को लगाने से आयोग को अपने संचालन में पारदर्शिता लाने में सहायता मिली है क्योंकि आयोग द्वारा स्थापित मदद केन्द्र पर शिकायतों की स्थिति पर सूचना उपलब्ध है। इस ऑन लाईन सुविधा से सुविधा केन्द्र से शिकायतकर्ता/पीड़ित/अन्य संबंधित द्वारा जब चाहे किसी मामले की सम्पूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह सुविधा औसतन 50 शिकायतकर्ताओं को रोज उपलब्ध हो रही है।

15.9 आयोग ने सी. एम. एस. का आगे विस्तार किया है जिसके अन्तर्गत प्रश्न मॉड्यूल जैसे शिकायत, किसी मामले की वर्तमान स्थिति की सूचना को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने, शिकायतकर्ता का ब्यौरा, पीड़ित का ब्यौरा और आयोग द्वारा दिया गया आखिरी आदेश/निर्देश/सुझाव पर सूचना प्राप्त की जा सकती है और जिससे के प्रश्न मॉड्यूल का विकास कर आम जनता को सहायता मिल सके। मिसिल संख्या, शिकायतकर्ता के ब्यौरे पीड़ित के ब्यौरे और घटना के ब्यौरे के आधार पर सूचनाओं का प्राप्त किया जा सकता है। इस बेबसाईट को सूचना प्राप्त करने हेतु 31 मार्च 2004 तक लगभग 1,53,000 बार देखा जा चुका था।

ग) मामलों का अन्वेषण

15.10 आयोग द्वारा दिए गए आदेशों पर आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा की जाने वाली जाँच को पुलिस महानिदेशक के पद के अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है। महानिदेशक को उप महानिरीक्षक, तीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा विभिन्न पदों के 21 अन्य अन्वेषक सहायता प्रदान करते हैं। आयोग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार्यरत अन्वेषण प्रभाग आयोग को प्राप्त शिकायतों के बारे में तथ्य एकत्रित करता है। आयोग के समक्ष उन तथ्यों को प्रस्तुत करता है। प्रभाग उन मामलों पर भी निगरानी रखता है जिन पर आयोग ने सी. आई. डी. अथवा सी. बी. आई. से अन्वेषण कराए जाने का आदेश दिया हो।

15.11 अपनी स्वयं की टीम द्वारा मामलों की जांच से आयोग को प्राप्त शिकायतों से संबंधित तथ्यों को कम से कम समय में सीधे पता लगाने में सहायता मिलती है। इससे आयोग को अपने दायित्वों का निर्वाह करने में अमूल्य सहायता मिलती है।

15.12 वर्ष 2003–2004 के दौरान आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को गत वर्ष के 3538 मामलों की तुलना में 3005 मामलों की जांच करने का निर्देश दिया। इन मामलों में से 2918 मामले देश के भिन्न-भिन्न भागों से तथ्यों के संग्रहण से संबंधित थे। इनमें से 51 मामलों में आयोग ने निर्देश दिया कि आयोग की टीम घटनास्थल पर जाकर पूछताछ करें। ऐसी पूछताछ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की गई।

15.13 अन्वेषण प्रभाग गत वर्षों में हिरासतीय मौतों के मामलों की बड़ी संख्या के संसाधन और संवीक्षा के भारी भरकम कार्य में सहायता प्रदान करता रहा है। ऐसे प्रयासों का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय IV में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने फर्जी मुठभेड़ों में हुई तथाकथित मौतों की शिकायतों अथवा झूठे मामलों में फंसाने के फलस्वरूप मानव अधिकारों के उल्लंघन, अवैध बंधीकरण, यातना और पुलिस द्वारा किए गए कुकृत्यों अन्वेषण प्रभाग के विश्लेषण और परामर्श भी मांगा गया है।

15.14 आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से अन्वेषण प्रभाग को सुदृढ़ बनाने हेतु अतिरिक्त पदों की संस्वीकृति और इसके कार्मियों की सेवा शर्तों में बदलाव करने हेतु कुछ संस्तुतियाँ की हैं ताकि सुयोग्य और प्रतिशिक्षित जनशक्ति की नियुक्ति सरल हो सके। आयोग को अभी भी सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 में की गई कार्रवाई रिपोर्ट में किए गए आश्वासनों को पूरा करने का इंतजार है।

घ) 2002–2003 के दृष्टांत मामले

क) पुलिस हिरासत में मौतें

1) पुष्प विहार पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में पुलिस हिरासत में जाकिर की मौत (मामला संख्या 525/30/2001–2002-सी. डी.)

15.15 आयोग को 12 मई 2001 को उप पुलिस आयुक्त (दक्षिण जिला), दिल्ली द्वारा पुष्प विहार पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में जाकिर की हिरासतीय मौत की सूचना दी गई। आयोग ने मामले को पंजीकृत कर संबंधित प्राधिकार से सुसंगत रिपोर्ट मांगी। जाकिर की हिरातीय मौत के संदर्भ में दंडाधिकारी जाँच में निकाले गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस चौकी, पुष्प विहार में पूछताछ और नजरबंदी के दौरान किसी भोथरे औजार (ब्लंट फॉर्स) से हुई और राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों पर अभियोजन चलाया गया। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(3) के अन्तर्गत तुरन्त अंतरिम राहत प्रदान की गई। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. टी.) दिल्ली की सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।

15.16 इसके प्रत्युत्तर में एन. सी. टी. सरकार ने आयोग को यह अवगत कराया कि अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दर्ज कर लिए गए हैं और यह मामला न्यायालय में फैसले के लिए लंबित है और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें शोक संतप्त परिवार को अंतरिम राहत देने में कोई आपत्ति नहीं।

15.17 उनके प्रत्युत्तर पर विचार कर आयोग ने एन. सी. टी. सरकार से तुरन्त अंतरिम राहत के रूप में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 2 लाख रुपये देने के निर्देश दिए।

15.18 आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एन. सी. टी. सरकार ने संकेत दिया कि दो लाख रुपये का बैंक स्वर्गीय श्री जाकिर की पत्नी, जैनेट को सौंपा जा चुका है और भुगतान का प्रमाण भी दिया गया। एन. सी. टी., दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया।

2) खाड़गांव जिले के बालावाड़ पुलिस स्टेशन में मदन भिलाला की पुलिस हिरासत में मौत: मध्य प्रदेश (मामला सं. 71/12/2001-2002-सी. डी.)

15.19 इस मामले का संबंध मध्य प्रदेश में खाड़गांव जिले के बालावाड़ पुलिस स्टेशन में 27 अप्रैल 2001 को मदन भिलाला की हिरासतीय मौत से है। शव-परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर आयोग ने पाया कि मौत का कारण निर्जलन के कारण हाइपोवॉल्मिक प्रघात था। दंडाधिकारी जाँच के निष्कर्षों के अनुसार आयोग ने यह भी पाया कि मृतक को 21 अप्रैल, 2001 से बलवाड़ा पुलिस स्टेशन में अवैध नजरबंदी में रखा गया था और मृतक की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार थी।

15.20 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (3) के अन्तर्गत तुरन्त एक लाख रुपये तुरन्त अंतरिम राहत के रूप में न देने और अपराधी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई न करने पर आयोग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने आयोग को फिर से इस मामले पर विचार करने के लिए कहा क्योंकि मदन भिलाला की मौत का कारण निर्जलन था ना की पुलिस यातना।

15.21 फिर से परीक्षण करने पर आयोग को अपने पूर्व आदेश को वापस लेने का कोई आधार नहीं मिला। आयोग ने यह पाया कि दंडाधिकारी जाँच में सूचित किया गया है कि चिकित्सीय

अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण अतिसार द्वारा हुआ निर्जलन था। आयोग का यह मानना था कि इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मौत न केवल अवैध नजरबंदी के कारण हुई बल्कि नजरबंदी के दौरान चिकित्सीय सुविधा मुहैया करवाने में लापरवाही के कारण भी हुई। इसलिए आयोग ने राज्य सरकार से मृतक के विधिक वारिस को अंतरिम राहत के रूप में 25,000/- रुपये की राशि तुरंत अदा करने के निर्देश दिए।

15.22 आयोग के निर्देश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचना देते हुए रिपोर्ट भेजी कि मृतक के विधिक वारिस को 25,000/- रुपये की राशि अदा कर दी गई है। आयोग को भुगतान का प्रमाण भी दिया गया। चूंकि आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया गया और मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को मुआवाजा अदा कर दिया गया इसलिए इस मामले को समाप्त कर दिया गया।

3) पी. एस. सिरसी, जिला गुना: मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में छिग्गा की मौत (मामला सं. 1800/12/2000-2001-सी. डी.)

15.23 पुलिस स्टेशन सिरसी, जिला गुना, मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर 2000 को पुलिस हिरासत में छिग्गा की मौत पर पुलिस अधीक्षक, जिला गुना, मध्य प्रदेश से सूचना के आधार पर आयोग ने इस मामले में आयोग ने कार्यवाही शुरू की।

15.24 दंडाधिकारी जाँच की रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पुलिस हिरासत में उचित और नियमित उपचार मुहैया कराने की असमर्थता छिग्गा की मौत का कारण थी। आयोग ने आगे यह माना कि उसे आई चोटें पुलिस कार्मिकों के दुर्व्यवहार का कारण नहीं थी। लेकिन पुलिस हिरासत के दौरान समय पर चिकित्सीय उपचार मुहैया कराने में संबंध लोक सेवकों की लापरवाही ही तत्काल और निकटस्थ कारण था।

15.25 आयोग द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि चूंकि दंडाधिकारी जांच में किसी भी पुलिस कर्मी को छिग्गा की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरया गया, मृतक के परिवार को अंतरिम राहत देना उचित नहीं होगा। रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने महसूस किया कि कारण बताओ नोटिस के प्रति मध्य प्रदेश सरकार का प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं क्योंकि दंडाधिकारी जांच और जिलाधिकारी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि छिग्गा को हाथापाई में आई चोटें जो उसकी मौत का कारण थी, क्योंकि पुलिस हिरासत में उचित और समय पर चिकित्सीय उपचार उपलब्ध न होने कारण उसके घावों की हालत और बिगड़ गई।

दंडाधिकारी जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस हिरासत के दौरान जब मृतक को ईलाज के लिए अस्पताल भेजा गया तो उसे इस आधार पर भोजन नहीं दिया गया क्योंकि अस्पताल में भोजन उपलब्ध नहीं था। उससे एकसरे के लिए 35 रुपये भी मांगे गए। जब उसके द्वारा यह बताया गया कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसे एकसरे करवाने और दवाईयाँ खरीदने के लिए पैसे लेने भेजा गया। हांलाकि वह तब पुलिस हिरासत में था। यह सब दर्शाता है कि अस्पताल उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव को स्वास्थ्य सचिव को अस्पताल के संचालन को देखने और जरूरी उपचारात्मक उपाय करने के आदेश दिए।

15.26 तदनुसार आयोग ने अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत तुरंत अंतरिम राहत के रूप में मृत छिग्गा के नजदीकी रिश्तेदार को 20,000/- रुपये की राशि देने की सिफारिश की। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 20,000/- रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस मामले को आयोग द्वारा अनुवीक्षण किया जा रहा है।

ख) न्यायिक हिरासत में मौत

4) जिला जेल, मथुरा, उत्तर प्रदेश में संजय शर्मा की मौत (मामला सं० 41373/24/2000-2001-सी. डी.)

15.27 21 मार्च 2001 को जिला जेल, मथुरा में विचारणाधीन कैदी, संजय शर्मा की मौत के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग ने कार्यवाही शुरू की। मामले के अभिलेखों के आधार पर आयोग को पता लगा कि संजय शर्मा को चिकित्सीय उपचार मुहैया कराने में प्राधिकारियों से लापरवाही से हुई थी। आयोग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी भेजी गई रिपोर्ट में लिखा कि चिकित्सा अधिकारी डॉ० ए० के० यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और अपराधी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और इसमें जांच पड़ताल चल रही है।

15.28 रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त आयोग ने कहा कि दीवानी या फौजदारी कार्यवाही और जांच पड़ताल का लम्बित होना तुरंत अंतरिम राहत न देने का कोई आधार नहीं। आयोग को यह पता लगा कि मृतक के उपचार में हुई लापरवाही के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और अपराधी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला भी पंजीकृत किया गया। इन तथ्यों के आधार पर आयोग ने यह माना कि यह प्रत्यक्षतः मृतक के जीवन के जीवन से संबंधित मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

15.29 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत अंतरिम राहत के रूप में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 50,000/- रुपये की राशि देने और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध पंजीकृत मामले की स्थिति पर सूचना देने के निर्देश दिए। आयोग द्वारा इस मामले का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

**5) विचारणाधीन कैदी, टची काकी की मौत : अरुणाचल प्रदेश
(मामला सं० 14/2/2002-2003-सी. डी.)**

15.30 आयोग को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिरासतीय मौत की सूचना देते हुए बताया गया कि 25 जुलाई, 2002 को एक विचारणाधीन कैदी टची काकी भ. द. वि की धारा 140/352/397 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। उसके विरुद्ध अन्य मामले भी लंबित थे, 28 जुलाई 2002 को बसर पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ के बाद करीब 8 बजे उसे जेल ले जाया जा रहा था। उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। यह देखकर संतरी ने शोर मचाया और सहायक उप-निरीक्षक ए. भराली और अन्यो द्वारा उसका पीछा किया गया। उप-निरीक्षक ने अपनी सरकारी रिवाल्वर से बिना जाने बूझे नजदीक से गोली चला दी। इससे अभियुक्त की मौके पर ही मौत हो गई।

15.31 इस मामले में दंडाधिकारी जाँच की गई और पाया गया कि पुलिस अधिकारी ने मृतक पर गोली चलाई जो उचित नहीं थी।

15.32 रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग का यह मानना था कि पुलिस स्टेशन से भागने पर जब अपराधी टची काकी को पकड़ा गया तो उस पर स.उ.नि द्वारा गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए आयोग की यह राय थी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह धारणा बनती है कि पुलिस कार्मिकों द्वारा मृतक के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है इसलिए आयोग ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(3) के अन्तर्गत मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को तुरंत अंतरिम राहत क्यों नहीं दी गई। इसके प्रत्युत्तर में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 50,000/- रुपये की तुरंत अंतरिम अनुग्रह राहत राशि देने के निर्णय के बारे में सूचना दी और बताया कि आयोग को इसके भुगतान की सूचना दी जाएगी। इस मामले का आयोग द्वारा अनुवीक्षण किया जा रहा है।

ग) हिरासतीय यातना

**6) आर. पी. एफ. कर्मचारियों द्वारा जगन्नाथ शाव का उत्पीड़न और यातना:
पश्चिम बंगाल (मामला सं० 118/25/2002-2003)**

15.33 यह शिकायत 6 अप्रैल 2002 को रेलवे सुरक्षा दल के दो सदस्यों द्वारा रानीगंज, बुरदवान, पश्चिम बंगाल के जगन्नाथ शाह पर उत्पीड़न और यातना करने से संबंधित है।

15.34 प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, आसनसोल से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि सी. आई. बी./ एच. क्यू. द्वारा जाँच की गई और इस घटना में शामिल उप-निरीक्षक, एस. सी. सहाय और हेड कांस्टेबल जी. के. सिन्हा पर आर. पी. एफ. नियमों 1987 के नियम 153 के अन्तर्गत भारी जुर्माना जारी कर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आयोग ने अपनी दिनांक 20 फरवरी 2003 की कार्यवाही एतद् द्वारा पूर्वी रेलवे, कोलकाता को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि पीड़ित को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, की धारा 18(3) के अन्तर्गत तुरंत अंतरिम राहत क्यों नहीं दी गई। इसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्राधिकारियों ने सूचना दी कि अपराधी अधिकारियों पर विभाग में ही कार्यवाही की जा रही है और उन पर भारी जुर्माना करने की संभावना है और रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामलों में अंतरिम राहत देने का कोई प्रावधान नहीं।

15.35 उपरोलिखित रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने अपने दिनांक 31 मार्च 2004 की कार्यवाही द्वारा यह महसूस किया कि यह बड़ी अजीब बात है कि रेलवे प्राधिकरण व्यक्तिगत मानव अधिकारों के प्रति असंवेदनशील है और वे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों से भी अनभिज्ञ हैं आयोग ने आगे यह टिप्पणी दी कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अगर प्रत्यक्षतः यह आयोग की जानकारी में यह लाया जाता है कि किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो चाहे संबंधित विभाग द्वारा या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा या न्यायालय द्वारा उस मामले में कार्यवाही शुरू की गई हो, इसके निरपेक्ष इस अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत तुरंत अंतरिम राहत दी जाए। तदनुसार आयोग ने निर्देश दिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत तुरंत अंतरिम राहत के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान किया जाए। आयोग द्वारा इस मामले का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

घ) पुलिस उत्पीड़न

7) राँची की निवासिनी सरिता साहू से प्राप्त शिकायत: झारखण्ड (मामला सं० 974/34/2001-2002)

15.36 आयोग ने थरपखना, राँची की निवासिनी सरिता साहू की दिनांक 14 अक्टूबर 2001 की शिकायत का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 28 सितम्बर, 2001 को रात 10.30 बजे पुलिस के एक दस्ते ने उनके घर की तलाशी ली। उसे, उसके भाई और उसके माता-पिता को उठाया और छमियां नामक ब्लू फिल्म में काम करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक, राँची के कार्यालय में लाया गया। पुलिस ने "प्रभात खबर" स्थानीय दैनिकी में यह रिपोर्ट छपवाई कि तीन

लड़कियों को ब्लू फिल्म बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा उसे गाली दी गई और उस पर प्रहार किया गया और उसे फोटो खिंचवाने के लिए भी मजबूर किया गया।

15.37 इसके प्रत्युत्तर में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, राँची झारखण्ड ने रिपोर्ट पेश की और बताया कि इस मामले की जांच सी. आई. डी. द्वारा की गई और शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप लगभग सच पाए गए। राँची पुलिस द्वारा किए गए कई कृताकृत सामने आए। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, राँची को इस घटना के लिए मुख्य रूप से दोषी पाया गया। सी. आई. डी. ने भी इस घटना के लिए नौ पुलिस कार्मिकों को जिम्मेदार ठहराया। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

15.38 रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग का यह मानना था कि पुलिस द्वारा सरिता साहू और उसके परिवार के सदस्यों को मानसिक पीड़ा दी गई और उनका उत्पीड़न और अनादर किया गया और राज्य सरकार को मानव संरक्षण अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत पीड़ित को अंतरिम राहत न दिए जाने पर कारण बताओ निर्देश दिए गए। आयोग के कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में झारखण्ड की सरकार ने सूचना दी कि इस मामले की जांच सी. आई. डी. द्वारा की गई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिस कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके उत्तर देने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि जहाँ तक मुआवजे के भुगतान का प्रश्न है, राज्य सरकार आयोग के निर्देशों/संस्तुतियों का पालन करेगी।

15.39 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत मानसिक पीड़ा देने और उसका उत्पीड़न और अनादर किए जाने के लिए झारखण्ड सरकार से शिकायतकर्ता को "अंतरिम राहत" के रूप में 1,00,000/- रुपये (मात्र एक लाख रुपये) देने का निर्देश दिया इसके अतिरिक्त आयोग ने डी. जी. पी. झारखण्ड सी. आई. डी. रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर अपराधी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्रवाई की सूचना देने के निर्देश दिए। आयोग द्वारा इस मामले का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

च) अवैध नजरबंदी और यातना

8) मनोहरण की गैर-कानूनी नजरबंदी : तमिलनाडु मामला सं० (213/22/2001-2002)

15.40 तार-संचार के माध्यम से एम. मीना से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि उसके 'ब्रदर-इन-लॉ' वर्धराजन के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 147/342/363/506 के अन्तर्गत आपराधिक मामला सं० 334/01 पंजीकृत किया गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

लेकिन 27 मई 2001 की रात को पुलिस ने उसके पति मनोहरन को उठाया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उसे गैर-सरकारी ढंग से बंदी रखा गया और क्रूरता से यातनाएँ दी गईं।

15.41 पुलिस अधीक्षक तिरुचीरापल्ली से प्राप्त रिपोर्ट ने यह पुष्टि कर दी कि शिकायतकर्ता के पति मनोहर को पुलिस उप-अधीक्षक, जयश्री और काँस्टेबल, जी राजासेकरन द्वारा अवैध रूप से बंदी रखा गया और बिना किसी विधिमान्य कारण के पुलिस स्टेशन तिरुचीरापल्ली में रोका गया।

15.42 कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में तमिलनाडु सरकार ने डी. जी. (पुलिस) तमिलनाडु की रिपोर्ट को प्रेषित किया जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्ता के पति पर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया और उसे पुलिस स्टेशन में केवल पूछताछ के लिए रोका गया। मनोहरन ने भी यही कहा है कि पुलिस द्वारा उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया गया और इसलिए मनोहरन को अंतरिम राहत देने की जरूरत नहीं।

15.43 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह पाया कि पुलिस जांच में यह बात सामने आई है हांलाकि मनोहरन पर कोई मामला लंबित नहीं था फिर भी पुलिस उपाधीक्षक ने मनोहरन में गैर-कानूनी ढंग से पुलिस स्टेशन में रोका था और जिससे उसे मानसिक पीड़ा हुई। इसलिए आयोग को अपने पूर्व आदेश की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं बनता।

15.44 इसलिए आयोग ने तमिलनाडु सरकार से मनोहरन को तुरंत अंतरिम राहत के रूप में 50,000/- रूपए की राशि देने और मनोहरन को गलत ढंग से बंदी रखने के लिए अपराधी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

15.45 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में तमिलनाडु सरकार द्वारा एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**9) पुलिस स्टेशन शिकारपुर में अवैध नजरबंदी और यातना: उत्तर प्रदेश
(मामला सं० 17171/24/1999-2000)**

15.46 आयोग को जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश के निवासी गंगा प्रसाद से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसके बेटे प्रहलाद स्वरूप और सतीश, सुपुत्र चिरंजी लाल को गांव के जमींदार के कहने पर शिकारपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाया गया और यातनाएँ दी गईं।

15.47 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 2002 की कार्यवाही के द्वारा निर्देश दिया कि रिपोर्ट की एक प्रति को शिकायतकर्ता की टिप्पणी के लिए भेजा जाए। अपने प्रत्युत्तर में शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों को दोहराया और

अपने आरोपों के समर्थन में कुछ गांव वालों के शपथपत्रों के साथ अपने पुत्र प्रहलाद और सतीश की चिकित्सीय रिपोर्टों की प्रतियों को फिर से सौंपा। आयोग ने अपनी आगे की दिनांक 21 अगस्त 2002 की कार्यवाही में टिप्पणी दी कि 17 अगस्त 1999 को प्रहलाद स्वरूप और सतीश के चिकित्सीय परीक्षण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रहलाद स्वरूप और सतीश पर आई चोटें किसी सख्त और भोथरे पदार्थ से आईं। इसलिए आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा कि इस मामले में पीड़ित को अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत तुरंत अंतरिम राहत क्यों नहीं दी गई। आयोग को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खुरजा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को पेश किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खुरजा की विस्तृत रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के आरोपों को सही ठहराया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खुरजा द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने के विरुद्ध कोई कारण न दिए जाने को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 23 जुलाई 2003 की कार्यवाही द्वारा उत्तरप्रदेश राज्यों द्वारा दोनों पीड़ितों अर्थात् प्रहलाद स्वरूप और सतीश प्रत्येक को 10,000/- रुपये (रूपए दस हजार केवल) देने के निर्देश दिए। आयोग द्वारा इस मामले का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

छ) पुलिस की गोली से मौत

10) सलमान दिनकर पदवी की पुलिस गोली से मौत : महाराष्ट्र (मामला सं० 1332/13/2000-2001/एफ. सी.)

15.48 दिनकर बी. पदवी, नन्दुरबार महाराष्ट्र ने आयोग को शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि 28 जून 2000 को तलूक अक्कलकुआ, नन-दरबार महाराष्ट्र के कप्पर कस्बे में तेंदुआ घुस आया। कोतूहल वश बहुत से लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। पुलिस ने भी तेंदुए को जिन्दा पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल न होने के कारण, उन्होंने गोली चलाई। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका बेटा दिनकर पदवी पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आयोग ने पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी। इसके प्रत्युत्तर में उप वन-संरक्षक ने यह तथ्य स्वीकार किया कि सलमान दिनकर पदवी की पुलिस गोली से मृत्यु हुई थी। आयोग ने यह टिप्पणी भी दी कि सिर्फ इस कारण से कि यह मौत दुर्घटना से हुई राज्य सरकार अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत मृतक जो परिवार में अकेला कमाने वाला था, के विधिक वारिस को तुरंत अंतरिम राहत देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती।

15.49 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति गोली में मारा गया है, आयोग ने मुख्य सचिव से यह पता चला लगाने के आदेश दिए कि क्या राज्य सरकार ने मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को कोई राहत-अनुग्रह या कोई अन्य राशि प्रदान की है और अगर नहीं तो क्या सरकार उसके नजदीकी रिश्तेदार को किसी प्रकार की आर्थिक राहत देने का विचार कर रही है।

15.50 उत्तरवर्ती रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक, नन्दुरबार, महाराष्ट्र ने रिपोर्ट भेजी जिसमें बताया गया कि पीड़ित सलमान दिनकर पदवी के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये की राहत दी गई है और इस राशि के संवितरण की पुष्टि भी की। आयोग ने तब से इस मामले को समाप्त कर दिया है।

**11) आगरा में पुलिस की गोली से सोनाली बोस की मौत : उत्तर प्रदेश
(मामला सं० 13664/24/2002-2003-एफ. सी.)**

15.51 'द इंडियन एक्सप्रेस' और 'द स्टेट्स मैन' में छपे क्रमशः "फिर से यू. पी. पुलिस ने गलत व्यक्ति को मारा "विद्यार्थी" और "गलत पहचान": पुलिस ने लड़की को मारा" नामक समाचार का आयोग ने 18 जुलाई 2002 को स्वतः संज्ञान लिया। यह आरोप लगाया गया कि 16 जून 2002 को आगरा-मथुरा सड़क पर पुलिस द्वारा एस. एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा की दूसरे वर्ष की स्नातकोत्तर छात्रा को गोली से मार गिराया जब वह और उसका मित्र कार में आगरा वापस आ रहे थे। तत्पश्चात् आयोग को स्वर्गीय सोनाली बोस के पिता चिनमोय बोस से शिकायत मिली जिसमें अपराधी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई थी।

15.52 उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों की लापरवाही और अति उत्साह से सोनाली नन्दिनी बोस के जीवन का अन्त उनकी गोली द्वारा हुआ। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आयोग ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि सोनाली बोस के नजदीकी रिश्तेदार को तुरंत अंतरिम राहत के रूप में 5 लाख रुपये क्यों न दिए जाएँ।

15.53 नोटिस के प्रत्युत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग सूचित किया कि पीड़ित के परिवार वालों के लिए 25,000/- रुपये की राशि की संस्वीकृति दे दी गई है और अपराधी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और आपराधिक अभियोजन शुरू किए गए हैं। लेकिन राज्य सरकार का विचार है कि तुरंत अंतरिम राहत के रूप में 5 लाख रुपये की राशि ज्यादा है।

15.54 उत्तर प्रदेश सरकार के साथ असहमति व्यक्त करते हुए आयोग ने अपना मत व्यक्त किया कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत तुरंत अंतरिम राहत

के रूप में 5 लाख रुपये की राशि न तो ज्यादा है और न ही तर्कहीन। इसलिए आयोग ने सरकार से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजने के लिए कहा।

15.55 आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपालन रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि मृतक सोनाली बोस के नजदीकी रिश्तेदार को 5 लाख रुपये देने की संस्वीकृति दी गई है। इसमें इस बात की भी पुष्टि की गई कि तीनों अपराधी अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में भेज गया है। गृह मंत्रालय से इस मामले को सी. बी. आई. को सौंपने की अनुज्ञा भी ली गई है। चूंकि राज्य सरकार ने आयोग के आदेशों का पालन किया। इस मामले को तदनुसार समाप्त कर दिया गया।

ज) बच्चों/महिलाओं के अधिकारों का हनन

12) बारह घंटे प्रति दिन कड़ी मेहनत करने वाले बच्चों को 5 रु0 प्रति सप्ताह की दर से मेहनताना: दिल्ली (मामला सं0 1868/30/2001-2002)

15.56 आयोग ने समाचारपत्र के समाचार का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें बताया गया है कि 8 से 11 वर्ष की आयु के 8 बाल श्रमिकों को गढ़ी, लाजपतनगर स्थित कढ़ाई की फैक्ट्री में 12 घंटे काम करवाया जाता और बदले में उन्हें 5 रु0 प्रति सप्ताह दिए जाते थे। इसके साथ उन्हें अपमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जाता तथा उन्हें मारा पीटा और डराया जाता।

15.57 आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को मौके पर जाँच करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा। अन्वेषण प्रभाग की रिपोर्ट से यह पता लगा कि आठ बाल श्रमिकों को उनके नियोक्ता द्वारा अमानवीय और दयनीय स्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें मानसिक और शारीरिक यातना भी दी जाती थी। आयोग के निर्देश के अनुरूप इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और पुलिस उपायुक्त, दिल्ली को उचित कार्रवाई करने हेतु भेजा गया। इसके प्रत्युत्तर में पुलिस उपायुक्त और एन. सी. टी. दिल्ली सरकार से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध दो मामले पंजीकृत किए गए और अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया। आयोग पत्र भी दर्ज किए गए और मामले में विचारण लंबित हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि लाजपत नगर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 299/02 के अन्तर्गत न्यायालय में चालान दर्ज किया था।

15.58 रिपोर्ट का अवलोकन करने पर आयोग ने पाया कि 5 सितंबर 2001 को आठ बच्चों को मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन "प्रयास"

के माध्यम से उनके बायोलॉजिकल माता-पिता को सौंपा गया। आयोग ने 'प्रयास' को इन बच्चों की वर्तमान स्थिति और कल्याण पर रिपोर्ट पेश करने और इसके द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य अन्वेषण करने के आदेश दिए। आयोग ने मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को यह सूचित करने को कहा कि क्या कम से कम आठ बच्चों को जिन्हें 5 रुपये प्रति सप्ताह की दर से 12 घंटे रोज काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी वसूल कराने के लिए कार्यवाही की है या नहीं। अगर की है तो उसके क्या परिणाम निकले।

15.59 श्रम आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के कार्यालय से संयुक्त श्रम आयुक्त ने आगे यह रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि चूंकि उनमें पाँच बच्चों को उनके माता-पिता को सौंप दिया गया है और वे दिल्ली से बाहर चले गए हैं। केवल तीन बच्चों के ब्यान ही अभिलिखित किए जा सकें और मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट न्यायालय में नियोक्ता के विरुद्ध बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन), अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी वसूल करने हेतु दावा दर्ज करने से संबंधित रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत नियुक्त दावा प्राधिकरण में दावे को दर्ज नहीं किया गया क्योंकि उस समय निरीक्षणालय विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के समय बच्चे चूंकि प्रतिष्ठान बंद था, में काम करते नहीं पाए गए। लेकिन दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 21 के अन्तर्गत मजदूरी की वसूली हेतु प्राधिकरण में दावा दर्ज करने का प्रयास किया जाएगा। आयोग द्वारा इस मामले का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

13) बालिका को अवैध रूप से बंदी रखने का आरोप : उड़ीसा (मामला सं० 80/18/2003-2004-डब्ल्यू. सी.)

15.60 आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता, श्री ए.बी. त्रिपाठी द्वारा एक बालिका जिस पर दो बच्चों के कत्ल का आरोप लगाया गया, को गिरफ्तार करने से संबंधित समाचार को आयोग के ध्यान में लाया गया। इस समाचार को मीडिया में काफी उछाला गया और आम जनता ने इसके प्रति रोष व्यक्त किया। पुलिस पर बालिका को अवैध रूप से बंदी रखने का आरोप लगाया गया।

15.61 आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट में यह पता चला कि किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, बच्चे को किशोर गृह में रखा जाना अपेक्षित था चूंकि उसे जमानत पर रिहा नहीं किया गया। आयोग ने यह भी नोट किया कि यद्यपि संसद ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, वर्ष 2000 में कानून बनाया था, लेकिन अधिनियम उड़ीसा राज्य में अभी तक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, न तो किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किए गए थे और न ही कोई विशेष गृह थे जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है जहाँ बच्चों को विवाद की

स्थिति में रखा जा सके यदि उन्हें जमानत पर रिहा न किया गया हो। रिपोर्ट ने उन बच्चों के मामले में कानून के कार्यान्वयन में कमियों का उल्लेख किया जिनका कानूनी विवाद था। अतः, आयोग ने निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए :-

- (क) क्या किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों (संक्षेप में 'अधिनियम') को राज्य में कार्यान्वित किया गया है ?
- (ख) क्या अधिनियम की धारा 4 (1) तथा 8 (1) के अन्तर्गत गठित क्रमशः किशोर न्याय बोर्डों तथा संरक्षण गृहों की स्थापना राज्य में की गई है, यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे;
- (ग) क्या अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रमाणित गृहों अथवा विशेष गृहों का गठन किया गया है जिनमें बच्चों को रखा जा सके यदि उन्हें जमानत पर रिहा न किया गया हो?
- (घ) क्या अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत बाल कल्याण समितियाँ गठित की गई हैं, और
- (च) क्या अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत बाल गृह गठित किए गए हैं?

15.62 उत्तर में, 34 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने आयोग को सूचित किया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य से पूर्ण रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा थी। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाने पर आयोग इस मामले पर उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहता है।

14) यू. के. वाजपेयी, ए. एन. एम. का उत्पीड़न, उसके साथ दुर्व्यवहार तथा क्षति : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 29929/24/2000-2001)

15.63 न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, संसद तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, दिल्ली के मानव अधिकार समिति के अध्यक्ष ने एक शिकायत भेजी जिसमें उषा किरण वाजपेयी, ए. एन. एम. के साथ पुलिस स्टेशन डाकोर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा हुए उत्पीड़न, दुर्व्यवहार तथा क्षति का आरोप लगाया गया है जबकि वह पल्स पोलियों कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्यूटी पर थी जिसके परिणामस्वरूप उनकी एक टाँग का अंगच्छेदन करना पड़ा।

15.64 आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में एक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने पाया कि चोट जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की एक टाँग का अंगच्छेदन करना पड़ा, पर अधिनियम की धारा 18 (3) के अन्तर्गत तत्काल

अन्तरिम राहत प्रदान करने पर विचार करने की आवश्यकता थी तथा तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

15.65 नोटिस तथा उसके पश्चात् स्मरणपत्र के बावजूद भी, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अतः, आयोग ने यह माना कि स्पष्टतया पीड़ित को तत्काल अन्तरिम राहत प्रदान करने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई कारण नहीं था। आयोग ने टिप्पणी की, कि मामले के तथ्यों ने मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन को प्रकट किया जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित, उषा किरण बाजपेयी की टाँग का अंगच्छेदन करना पड़ा था जिनकी उम्र दुर्घटना के समय लगभग 37 वर्ष की थी। उनकी एक टाँग के अंगच्छेदन के परिणामस्वरूप, उन्हें जीवनभर स्थायी विकलांगता के साथ संघर्ष करना पड़ा। परिस्थितियाँ, जिनमें पीड़ित को दोषी पुलिस वालों के चंगुल से स्वयं को बचाने के लिए भागना पड़ा, इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण थी। अतः, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित उषा किरण बाजपेयी को 5.00 लाख रु के रूप में तत्काल अन्तरिम राहत अदा किए जाने का निर्णय किया।

15.66 प्रत्युत्तर में, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। राज्य सरकार ने उल्लेख किया कि 5.00 लाख रु0 की तत्काल अन्तरिम राहत अधिक थी तथा सुझाव दिया कि 1.00 लाख रु की राशि जो पीड़ित को तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में पहले ही अदा की जा चुकी थी, को पर्याप्त समझा जाए।

15.67 राज्य सरकार से सहमत न होते हुए, आयोग ने कहा कि मामले को स्वीकार किये जाने की परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में 5.00 लाख रु0 प्रदान किया जाना संबंधित महिला के जख्मों पर मरहम लगाना था तथा राशि अधिक नहीं थी तथा आयोग के पूर्व निर्देशों को पुरजोर दोहराया तथा राशि कम करने के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। प्रत्युत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि पीड़ित, उषा किरण बाजपेयी को 1,00,000 लाख रु0 की राशि पहले ही अदा कर दी गई है तथा 4,00,000/- रु0 की शेष राशि उन्हें स्वीकृत कर दी गई थी। मामले की निगरानी आयोग द्वारा की जा रही है।

**15) शिकायतकर्ता तथा उसकी माता सहित 17 महिलाओं का बलात्कार :
गुजरात (मामला संख्या : 256/6/2003-2004 (डब्लू. सी.)**

15.68 गोधरा, गुजरात की निवासी बिलकिस याकूब रसूल ने अपनी दिनांक 29 अप्रैल 2003 की याचिका द्वारा आयोग का ध्यानाकृष्ट किया कि 27 फरवरी 2002 के गोधरा रेल हत्याकाण्ड के पश्चात् उसके मकान पर आक्रमण किया गया जिसके कारण वह अपने पति से अलग हो गई।

जब वह अपनी माता, बहन और चौदह अन्य महिलाओं के साथ देवगढ़ बड़िया की ओर जा रही थी, कुछ बदमाशों ने उसका तथा अन्य महिलाओं का बलात्कार किया। पुलिस की सहायता से वह लिमखेड़ा पहुँची तथा एक शिकायत दर्ज की। तथापि, सरकार अथवा पुलिस द्वारा मुलाज़िमों कानूनी कार्रवाई हेतु कुछ नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद भी कि एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया। यद्यपि, उसने अपनी शिकायत में नाम तथा उनके संबंध में अन्य ब्यौरे साफ-साफ दे दिए थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में कुछेक टिप्पणियां की थी तथा उनकी निष्ठा तथा विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं जिससे उनके जीवन तथा गरिमा को ठेस पहुंची है।

15.69 उन्होंने आयोग को यह भी सूचित किया कि उनके मामले की छानबीन निराशाजनक तौर पर पूर्वाग्राही थी तथा उन्हें स्थानीय पुलिस के प्रकार्यों, अन्वेषण की निष्ठा तथा विभिन्न राज्य तंत्र व्यवस्था तथा पदाधिकारियों की कार्यशैली पर विश्वास नहीं है। उन्होंने आयोग से उनका मामला हाथ में लेने, उसे न्याय दिलाने तथा पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया क्योंकि उन्हें अपने जीवन का खतरा था।

15.70 आयोग ने 16 जून 2003 के अपने आदेश के तहत अपने विशेष सम्पर्ककर्ता, बिलकिस याकूब रसूल की इस मामले में कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करने का निर्देश दिया तथा उसे वित्तीय तथा कानूनी सहायता की पेशकश भी की। आयोग द्वारा प्रदान की गई सहायता से, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 25 मार्च 2003 के आदेश को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गई, जिसके तहत पुलिस द्वारा मामले में प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की गई। रिट याचिका में, उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की नई छानबीन करने के आदेश पारित किए गए।

15.71 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छानबीन आरम्भ की तथा कुछ पुलिस कर्मचारियों सहित 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

15.72 इस बीच, आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए आवेदनपत्र को प्रस्तुत किया जिसमें मामले के आगामी मुकदमे के दौरान वकील की नियुक्ति के संबंध में आयोग से सहायता माँगी गई है। आयोग ने दिनांक 24 मार्च 2004 की अपनी कार्रवाई के तहत शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार किया तथा श्री नम्पूथीरि, विशेष सम्पर्ककर्ता, रा0 मा0 अ0 आ0 से आयोग तथा शिकायतकर्ता के परामर्श से एक सक्षम वकील की नियुक्ति के लिए कदम उठाने के लिए कहा, जिसका व्यय, यदि, कोई हो तो आयोग द्वारा वहन किया जाएगा। आयोग ने अपने

विशेष सम्पर्ककर्ता से समय पर, मामले में हो रही प्रगति के संबंध में आयोग को सूचित करने का भी अनुरोध किया। मामले को आयोग द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है।

झ) बलात्कार

16) भील आदिवासी समुदाय की चार वर्षीय बालिका का बलात्कार : दिल्ली (मामला संख्या : 3703/30/2002-2003 (डब्लू. सी.)

15.73 26 वर्षीय ट्रक चालक बिल्लू द्वारा भील आदिवासी समुदाय से संबंधित चार वर्षीय बालिका का तथाकथित बलात्कार का मामला समाज कार्यकर्ता द्वारा आयोग के ध्यान में लाया गया। बलात्कार का कृत्य इतना क्रूर था कि पेट के जरिए शरीर के अपशिष्ट निकालने के लिए सफदरजंग अस्पताल में पीड़ित का ऑपरेशन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, बाद में उसके क्षतिग्रस्त अंगों की चिकित्सा करने के लिए दो और ऑपरेशन करने पड़े।

15.74 आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने पर, यह टिप्पणी दी कि पुलिस ने समय पर उक्त मामला दर्ज करने में उपयुक्त कार्रवाई की थी तथा अपराधी को पकड़ा भी गया था तथापि, पीड़ित की दशा को देखते हुए, आयोग ने मुख्य सचिव, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीड़ित तथा उसके परिवार को मानवता पर आधारित राहत प्रदान करने का अनुरोध किया। प्रत्युत्तर में, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने आयोग को सूचित किया कि उप राज्यपाल/मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता के रूप में 25,000/- रु की राशि स्वीकृत तथा पीड़ित की माता को अदा की गई।

15.75 इसके अतिरिक्त आयोग के अनुरोध पर गैर-सरकारी संगठन 'प्रयास' उसे शरण देने के साथ-साथ और अधिक सहायता प्रदान करने तथा उपयुक्त चिकित्सीय देखरेख में सहायता करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए सहमत हुआ। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि पीड़ित को उपयुक्त चिकित्सीय देखरेख दी गई थी तथा बच्चा स्वस्थ हो गया। बच्चे की माता भी अस्पताल में दिए गए चिकित्सीय उपचार से सन्तुष्ट थीं।

15.76 दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने आयोग को यह भी सूचित किया कि पीड़ित के परिवार को सौंपने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 50,000/- रु0 का चैक पुलिस उपाधीक्षक (दक्षिण) दिल्ली को भेजा गया। आयोग ने पुष्टि करने के लिए दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को पुनः लिखा कि चैक सौंप दिया गया है अथवा नहीं। आयोग ने दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि राशि को अवयस्क लड़की के नाम में आवधिक जमा खाते में रखा जाए तथा माता अपनी अवयस्क

पुत्री की देखरेख तथा चिकित्सीय खर्चों के लिए ब्याज की राशि निकाल सकती है। इसके अतिरिक्त, आवधिक राशि अवयस्क लड़की को वयस्क होने पर देय हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 'प्रयास' उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए पीड़ित तथा उसकी माता के सम्पर्क में है, आयोग ने इस अभागी लड़की की सहायता करने में 'प्रयास' की भूमिका पर अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की तथा मामले को बंद कर दिया।

17) किशोर प्रेक्षण गृह में रहने वाली दस वर्षीय लड़की का बलात्कार, रायचुर: कर्नाटक (मामला संख्या 32/1/1999-2000 (डब्लू. सी.)/एफ. सी.)

15.77 आयोग ने किशोर अधिकार मंच, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से प्राप्त शिकायत का संज्ञान लिया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि किशोर प्रेक्षण गृह, रायचुर, कर्नाटक की एक सहवासी, 10 वर्षीय लड़की को 10 जुलाई 1998 को बाल किशोर गृह, हैदराबाद में स्थानान्तरित किया गया जहाँ उसके प्रवेश के समय तथा 3 अगस्त, 1998 को पुनः उसकी योनि से खून निकलता पाया गया। निलोफर अस्पताल में 11 सितम्बर, 1998 को डाक्टरों द्वारा निरीक्षण करने पर, यह मत प्रकट किया गया कि उसका पाशविक बलात्कार हुआ था। यह भी आरोप लगाया गया था कि धारा 376 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत मामला दर्ज करने के पश्चात् भी पुलिस ने उचित छानबीन नहीं की।

15.78 प्रत्युत्तर में, महानिदेशक तथा महानिरीक्षक (पु) आंध्र प्रदेश ने अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया कि जैसा चिकित्सा अधिकारी, रायचुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि लड़की सामान्य परिस्थिति में थी जब उसे दो पुरुष मार्गरक्षकों के साथ हैदराबाद से रायचुर भेजा गया था। तथापि, 2 सितम्बर, 1998 को, हैदराबाद के प्रेक्षण गृह के मैट्रन ने रिपोर्ट दी कि बच्चे का बहुत अधिक खून बह रहा था, अतः उसे निलोफर अस्पताल भेजा गया जहाँ 3 सितम्बर 1998 को उसकी चिकित्सा जाँच करने के पश्चात् डाक्टरों ने यह मत व्यक्त किया कि यह यौन बलात्कार का मामला है। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन, हैदराबाद में धारा 376 (2)(एफ) भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत 11 सितम्बर 1998 को एक मामला दर्ज किया गया।

15.79 पूर्वोक्त रिपोर्टों पर विचार करने पर, आयोग ने राज्य पुलिस को मामले की छानबीन पूरा करने के लिए प्रयास तेज़ करने तथा लड़की के अभिभावकों को 50,000/- रु की "अन्तरिम क्षतिपूर्ति" अदा करने का निर्देश दिया जिसका किशोर गृह में बलात्कार किया गया।

15.80 आयोग के निर्देशों के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचित किया कि (i) डाक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई जिन्होंने बच्ची की सही चिकित्सा रिपोर्ट नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप बिना संचयी प्रभाव के उनकी दो वार्षिक वृद्धियाँ रोक दी गई; (ii) 29 मई, 2001 को डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से पीड़ित की माता श्रीमती नागमणि को 50,000/- रु की राशि अदा की गई;

तथा (iii) इस अपराध के लिए धारा 109 भा0 दं0 सं0 के साथ पठित धारा 376(2) (एफ) भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत एक आपराधिक मामला न्यायालय में विचारार्थ लम्बित था।

15.81 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा मामले को बंद करने का निर्णय किया।

**18) राँची पुलिस स्टेशन में बलात्कार : झारखंड
(मामला संख्या 415/34/2001-2002 – ए. आर./एफ. सी.)**

15.82 आयोग को 15 जुलाई 2001 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक रिपोर्ट से जानकारी मिली जिसमें तीन बच्चों की विधवा माता का 13 जुलाई, 2001 को खाड़गढ़ा, झारखंड की पुलिस चौकी के अन्दर सिपाही, चक्कन साओ द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया।

15.83 आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में, मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, झारखंड ने यह संकेत देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि लोअर बाजार पुलिस स्टेशन पर धारा 376 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दिनांक 14 जुलाई, 2001 को मामला संख्या 69/2001 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त सिपाही को गिरफ्तार किया गया तथा उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाद में, उप महा-निरीक्षक (मा0 आ0) झारखंड से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया गया कि मामले की जाँच पूरी होने पर, 31 जुलाई, 2001 को एक आरोप-पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया गया था।

15.84 उक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने 26 दिसम्बर 2001 तथा 6 अक्टूबर, 2003 की अपनी कार्रवाई के तहत सूचना मँगाने का निर्देश दिया कि क्या पीड़ित को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित कोई क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी। प्रत्युत्तर में, विशेष सचिव (गृह विभाग), झारखंड सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि पीड़ित को 25,000/- रु की राशि अदा की गई थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (i) (xi) में परिभाषित अपराध करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995 की प्रविष्टि 11, अनुसूची (अनुबंध i) के अनुसार देय 50,000/- रु का 50% था तथा 25,000/- की शेष राशि न्यायालय द्वारा निर्णय घोषित करने के पश्चात् अदा की जाएगी। आयोग ने दिनांक 24 मार्च, 2004 की अपनी कार्रवाई के तहत यह मत व्यक्त किया कि, चूंकि, राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई कर ली गई है तथा मामला न्यायालय अधीन है, और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है इसलिए मामले को बंद कर दिया गया।

ट) बाल विवाह

19) बाल विवाह : छत्तीसगढ़ (मामला संख्या 56/33/2003-2004)

15.85 आयोग ने समाचार रिपोर्ट की स्वतः जानकारी प्राप्त की जिसमें संकेत दिया गया कि 4 मई 2003 को 'अक्ती' अथवा 'अक्षय तृतीय' प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में मनाए गए गुड़ियों के विवाह के समारोह के अवसर, सरकारी रोकथाम के प्रयासों के बावजूद भी सैकड़ों नाबालिग अथवा बहुत छोटे बच्चों के विवाह कराए गए। उक्त समय के दौरान तथ्य-जाँच प्रलेखन तथा वकालत के लिए मंच द्वारा आयोजित सर्वेक्षण ने भी संकेत दिया कि सरगूजा में 1,000 से अधिक बाल विवाह हुए। अन्य अभिकरणों ने भी अप्रैल, 2003 के प्रथम पक्ष में रायपुर जिले के उरला तथा कुम्हारी क्षेत्र में 100 विवाह की रिपोर्ट दी।

15.86 विशेष सचिव, महिला तथा बाल विकास, छत्तीसगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट ने संकेत दिया कि बाल विवाहों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया चूंकि बाल विवाह एक सामाजिक विषय है तथा इसे समाज में जागरूकता फैला कर धीरे-धीरे नियंत्रित किया जा सकता है तथा बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व वर्षों में निष्ठापूर्ण प्रयास किए गए हैं।

15.87 रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग से छत्तीसगढ़ के विभिन्न गाँवों में बाल विवाह से संबंधित मामलों की स्थिति की जाँच करने का अनुरोध किया गया, जिनकी इन्हें संभवतः समूचित जानकारी प्राप्त है।

15.88 प्रत्युत्तर में, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग ने आयोग को सूचित किया कि राज्य मानव अधिकार आयोग ने भइयाथन गाँव, जिला सरगूजा में 7 फरवरी, 2003 को एक हजार बाल विवाह के विषय का स्वतः संज्ञान लिया था। राज्य मानव अधिकार आयोग ने 24 अप्रैल 2002 को वर्ष 2002 में हुए बाल विवाह की जानकारी प्राप्त की जिसके बारे में उसने छत्तीसगढ़ सरकार को विस्तृत निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के निर्देशों पर अमल करते हुए, जिलाधीशों तथा छत्तीसगढ़ पुलिस अधीक्षकों ने तदनुसार कार्रवाई भी की थी। विशेष सचिव, महिला तथा बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 5 जुलाई 2003 की एक रिपोर्ट भी भेजी थी, जिसमें, राज्य में बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संकेत दिया गया था।

15.89 आयोग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की तथा विभिन्न उपायों की भी सराहना की, तथा जिन पर महिला तथा बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही थी।

15.90 तथापि, आयोग ने इस बात पर बल दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार तथा छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग दोनों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए गाँव वालों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से जन-जागरूकता अभियान जारी रहने चाहिए, ताकि बाल विवाह की बुराई को समाप्त किया जा सके। आयोग का यह भी मत था कि लड़कियों की शिक्षा के लिए उठाए जा रहे उपयुक्त कदम भी बाल विवाह की बुराई को समाप्त करने में लाभकारी होंगे। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार से सभी जिलों, विशेष रूप से उन जिलों में, जहाँ बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखने का अनुरोध किया गया था। मामले की निगरानी आयोग द्वारा की जा रही है।

ठ) समाज के सुभेद्य वर्ग

20) सरकारी स्कूल राजसमन्द के स्थानापन्न मुख्य अध्यापक की मौत : राजस्थान (मामला संख्या 1727/20/2001-2002)

15.91 आयोग को सोसायटी ऑफ डिप्रेस्ड पीपल फॉर सोशल जस्टिस के महा सचिव पी. एल. मिमरोथ से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि जाति के नाम पर उत्पीड़न, अपमान तथा स्कूल कर्मचारियों तथा शिक्षकों द्वारा मारे जाने के कारण सरकारी माध्यमिक स्कूल, काले सरिया, राजासमन्द के अनसूचित जाति के स्थानापन्न मुख्य अध्यापक, मोहन लाल रैगर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित ने उत्पीड़न के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकारियों से शिकायत की थी, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

15.92 आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक (मानव अधिकार), सी.बी.सी.आई., अपराध शाखा, राजस्थान ने यह उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट भेजी कि पीड़ित ने छत के पंखे से लटक कर गाँव अँजना में 18 अगस्त, 2001 को आत्महत्या करने का प्रयास किया था। अन्ततः, उन्हें देवगढ़ अस्पताल लाया गया, जहाँ दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। तीन मुलजिमां लीला धर, सहायक अध्यापक, नटवर लाल, कनिष्ठ लिपिक और मनोज कुमार पी. टी. आई. को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान भी पेश किया गया। मामला जिला तथा सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, राजासमन्द, राजस्थान में लम्बित है।

15.93 उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने 29 जनवरी 2003 की अपनी कार्रवाई के तहत मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या पीड़ित द्वारा भोगी गई बेइज्जती, उत्पीड़न तथा अभित्रास के लिए नियमावली 1995 के साथ पठित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पीड़ित के निकटतम सम्बन्धी को कोई सहायता प्रदान की गई थी तथा

उनके साथ किए गए उत्पीड़न के विरुद्ध शिक्षा विभाग में मृतक द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई थी। प्रत्युत्तर में पुलिस अधीक्षक, सी. बी. सी. आई. डी., राजस्थान ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पहले ही दाखिल किए जा चुके थे तथा इस समय मामला न्यायालय में विचाराधीन है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कर्मचारियों को पहले ही निलम्बित किया जा चुका था। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया कि मृतक की पत्नी को शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में पहले ही नियुक्त कर दिया गया था तथा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विभाग नियमावली के अन्तर्गत सभी स्वीकार्य लाभ उन्हें दे दिए गए थे। गृह (मानव अधिकार) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त अगली रिपोर्ट से पता चला कि मृतक मोहन लाल की पत्नी को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मृतक के निकटतम संबंधी को वित्तीय सहायता के रूप में 25,000/- ₹0 अदा कर दिए गए थे। उक्त रिपोर्टों पर आगे विचार करने पर आयोग ने समस्त प्रयास संतोषजनक पाये तथा मामले को बंद करने का निर्णय किया।

21) अमर ज्योति कुष्ठ पुनर्वास सोसायटी में कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास अभियान: हरियाणा (मामला संख्या 2135/7/2002-2003)

15.94 जे जे बोनी, कार्यकारी सचिव, मैक्सिमाईजिंग एम्प्लायमेन्ट टू सर्व दी हैन्डीकेप्ड, उदय पार्क, नई दिल्ली में एक शिकायत में आयोग को ध्यान, कुष्ठ रोग से प्रभावित 63 लोगों की दशा की ओर आकर्षित किया, जो अमर ज्योति कुष्ठ पुनर्वास सोसायटी में डेरा डाले हुए थे, को स्थापित करने के लिए वैकल्पिक स्थान प्रदान किए बिना उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था।

15.95 मामले पर विचार करते हुए, आयोग ने महसूस किया कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की दशा एक मानव समस्या प्रतीत होती है तथा निर्देश दिया कि अध्यक्ष, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा तथा उप-मजिस्ट्रेट से प्राप्त रिपोर्टों की प्रतियाँ मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को प्रेषित की जाए ताकि मामले की जाँच हो सके तथा कुछ पुनर्वास क्षेत्र उन्हें प्रदान करके उन लोगों की तकलीफों को कम किया जा सके, चूंकि, उन्हें बहादुरगढ़ में अमर ज्योति कुष्ठ पुनर्वास कॉलोनी से हटाया जा रहा था।

15.96 आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में, हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने उल्लेख किया चूंकि उपरोक्त कॉलोनी के आवासी अर्जित हूडा भूमि पर अतिक्रमणकारी थे, अतः उनका पुनर्वास सम्भव नहीं होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी के निवासियों ने इस सम्बन्ध में सिविल रिट याचिका (संख्या 11637) दायर की थी जिसमें पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने हूडा की उपार्जित भूमि पर विद्यमान झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के भूखण्डों के आबंटन का आदेश दिया था तथा हूडा ने विशेष अनुमति याचिका के जरिए

उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने एक निर्णय किया था कि अमर ज्योति कुष्ठ सोसायटी के निवासियों को अस्तव्यस्त न किया जाए जब तक कि उच्चतम न्यायालय में सिविल याचिका पर निर्णय न लिया जाये।

15.97 अवर सचिव (गृह), हरियाणा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने मामले को बंद कर दिया, क्योंकि उनकी ओर से और कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।

ड) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

22) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटों का प्रावधान: दिल्ली (मामला संख्या: 1023/30/2002-2003)

15.98 मंडावली-फाज़लपुर, दिल्ली में रह रहे विकलांग व्यक्तियों की निचले अंगों की 50% से अधिक विकलांगता के बारे में देश राज से दिनांक 21 जून 2002 की एक शिकायत आयोग में प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित चिकित्सा प्रवेश परीक्षा 2002 में बैठे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित एम बी बी एस/बी डी एस पाठ्यक्रम 2002 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के परिणाम में भी ऐसे उम्मीदवारों की कोई अलग योग्यता सूची प्रदर्शित नहीं की जो शारीरिक रूप से विकलांग थे।

15.99 प्रत्युत्तर में, उप रजिस्ट्रार (चिकित्सा), दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिनांक 23 जुलाई 2002 के अपने पत्र द्वारा उल्लेख किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, भारत की चिकित्सा परिषद् ने निर्णय दिया था कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1915 की धारा 39, जो पदों के आरक्षण के सन्दर्भ में है "रोजगार" अध्याय के अन्तर्गत आता है। अतः यह शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण पर लागू नहीं होता।

15.100 रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने देखा कि उप-रजिस्ट्रार (चिकित्सा), दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भ्रान्तिपूर्ण था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की, जो कि देश का कानून है, विभिन्न फैसलों में अनदेखी की गई है। जैसा कि आयोग द्वारा निर्देश दिया गया, इस विषय से संबंधित 2001 की सिविल अपील

संख्या 7892 तथा 2001 की 6120 में उच्चतम न्यायालय के फैसले की अनुप्रति उन फैसलों को ध्यान में रखते हुए मामले की पुनः जाँच हेतु रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजी गई।

15.101 आयोग के निर्देशों के अनुसार, सहायक रजिस्ट्रार (चिकित्सा), चिकित्सा विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिनांक 14 नवम्बर, 2003 के तहत एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि विकलांगता व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 39 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 3% सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है तथा शिकायतकर्ता देश राज, सुपुत्र रत्ति राम को विश्वविद्यालय के एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया।

15.102 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा मामले को बंद कर दिया गया।

ढ) एच. आई. वी. मरीजों के अधिकार

23) एच. आई. वी. पोज़िटिव मरीज XXX का लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में चिकित्सीय उपचार : नई दिल्ली (मामला संख्या 1698/30/2003-2004)

15.103 आयोग को एच. आई. वी. पोज़िटिव मरीज से दिनांक 18 सितम्बर 2003 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें सिरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों अस्पतालों द्वारा उन्हें उपचार से वंचित रखा गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने भारी खर्च करने के पश्चात् अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में डायलिसिस लगवाया परन्तु अपोलो अस्पताल में पत्थरों को निकालने के लिए कोई शल्यक्रिया नहीं की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनके दाखिले के पश्चात् उन्हें 15 दिनों के बाद छोड़ा गया। उन्होंने शिकायत की, कि लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में 2 सितम्बर 2003 से 9 सितम्बर, 2003 तक उनके ठहरने के दौरान, उसे डायलिसिस के लिये पुनः मना किया गया।

15.104 आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में, चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया था कि विभिन्न अवसरों पर मरीज की जाँच यूरोलोजिस्ट तथा नेफरोलोजिस्ट द्वारा की गई थी तथा नैदानिक तौर पर उन्हें स्थिर पाया गया तथा उनके प्रवेश के तुरंत बाद उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता नहीं थी। मरीज को तब ही छोड़ा गया जब उनकी स्थिति स्थिर पाई गई तथा उनसे पुनरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 15 दिनों के पश्चात् रिपोर्ट करने के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने दोबारा रिपोर्ट नहीं की।

15.105 अधीक्षक लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल ने भी मरीज सुरजीत सिंह की अद्यतन स्थिति तथा प्रगति रिपोर्ट सहित एक रिपोर्ट भेजी।

15.106 प्रगति रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने पाया कि आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद, मरीज़ का उपचार किया गया तथा उनका उचित चिकित्सा उपचार किया जा रहा था तथा इस चरण पर आयोग द्वारा किसी और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

15.107 तथापि, आयोग ने चिकित्सा अधीक्षक, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल को सूचित किया कि वह सुरजीत सिंह तथा अन्य ऐसे एच. आई. वी. पोज़िटिव मरीज़ों को उपयुक्त उपचार देना जारी रखेगा तथा अस्पताल को गरीब मरीज़ों को उचित उपचार देते रहना चाहिए ताकि वे भविष्य में आयोग में न आएँ। इस निर्देश के साथ मामले को आयोग द्वारा बंद किया गया।

ढ) मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के अधिकार

24) महानिरीक्षक (कारागार) दिल्ली से कैदी श्री चरणजीत के बारे में सूचना (मामला संख्या 3628/30/2001-2002)

15.108 आयोग को महानिदेशक कारागार, दिल्ली के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया कि एक विचाराधीन कैदी, चरण जीत सिंह 28 अक्टूबर 1985 में तिहाड़ जेल में दुःख के दिन काट रहा था। कारागार प्राधिकारियों ने देखा कि कैदी उससे पहले भी लगभग 16 वर्ष जेल में बिता चुका था और यदि उसे सज़ा भी हो जाती, तो भी उसके मामले को समयपूर्ण रिहाई के लिए सरकार के समक्ष रखा जाता। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी जमानत देने के लिए कोई तैयार नहीं था तथा वह मानसिक रूप से बीमार था।

15.109 इस विचाराधीन कैदी के मानव अधिकारों की रक्षा की जरूरत पर चिन्तित, आयोग ने धारा 482 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन पत्र दाखिल करने का निर्णय किया जिसमें निष्कर्ष तक पहुँचने में अनियत विलम्ब को ध्यान में रखते हुए मुकदमे को रद्द करने की माँग की गई। आयोग ने सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, एडवोकेट से इस संबंध में एक आवेदन दाखिल करने के लिए कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 नवम्बर 2002 में हस्तक्षेप आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया तथा एडवोकेट को ऐसे संगठनों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिन्हें अभियुक्त की सुपुर्दगी सौंपी जा सके। तत्पश्चात् आयोग द्वारा यह मामला समाज कल्याण विभाग, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के साथ उठाया गया, जिन्होंने “केयर फाउंडेशन” के नाम का सुझाव दिया। तथापि, “केयर फाउंडेशन” ने आयोग को सूचित किया कि उनके पास ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवासीय सुविधाएँ नहीं हैं।

15.110 तत्पश्चात् उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि चरणजीत सिंह को उपचार हेतु मानव व्यवहार तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान, शाहदरा में स्थानान्तरित किया जाए। बाद में उसे लोक

नायक जय प्रकाश अस्पताल तथा दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। चूँकि मानव व्यवहार तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान संस्थान ने संकेत दिया कि उसे चरण जीत सिंह को रखने में रुचि नहीं थी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयोग से उपयुक्त संस्थान/संगठन का पता लगाने के लिए कहा जहाँ उसे रखा जा सके। तदनुसार, आयोग ने सम्भावित संस्थानों के रूप में विमहन्स तथा हैल्पेज़ इंडिया का पता लगाया तथा उनके साथ विचार विमर्श किया।

15.111 आयोग के प्रयासों के अनुवर्ती, विमहन्स चरणजीत सिंह को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ तथा उपचार देने के लिए सहमत हुआ तथा हैल्प एज इंडिया ने भी विमहन्स द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि मरीज की हालत स्थिर थी, प्रार्थी को निःशुल्क 'हाफ वे होम' अथवा 'ओल्ड एज होम' में रखने की भी पेशकश की। विमहन्स एंड हैल्पेज़ इंडिया की पेशकश आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के ध्यान में लाई गई।

15.112 उच्च न्यायालय ने बाद में उनकी सहमति का पता लगाने के लिए विमहन्स तथा हैल्पेज़ इंडिया को नोटिस जारी किए। जब इन दोनों संगठनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई तो उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई, 2003 को चरण जीत सिंह को एक सप्ताह के अन्दर विमहंस में स्थानान्तरण करने के निर्देश जारी किए। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी चिकित्सा आपात् स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में जिसका विमहंस में उपचार नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में चरणजीत सिंह को किसी अन्य सरकारी अस्पताल में ले जाया जा सकता है, जो उसका बिना किसी प्रभार के उपचार करेंगे। उच्च न्यायालय ने चरणजीत सिंह को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की भी छूट दी तथा जेल प्राधिकारियों से उसकी चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट, सुनवाई कर रहे न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा। उच्च न्यायालय के 31 जुलाई, 2003 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा मामले को बंद किया गया।

थ) विद्युत प्राधिकारियों की लापरवाही

25) विद्युत विभाग की लापरवाही से पाँच वर्षीय लड़के की मौत : गोवा (मामला संख्या 33/5/2000-2001/एफ. सी.)

15.113 सिरिल फर्नान्डिज़, मानव अधिकार अनुवीक्षण सोसायटी, गोवा ने गोमन्टक टाईम्स दिनांक 25.8.2000 के समाचार पत्र की कतरने भेजी थीं जिसने गोवा राज्य विद्युत विभाग की तथाकथित लापरवाही के कारण पाँच वर्षीय लड़के की मौत की रिपोर्ट दी थी। प्रैस रिपोर्ट ने संकेत दिया कि पाँच वर्षीय लड़के, महबूब ईमाम नवलगुंड ने पेड़ पर कुछ अमरुद देखे जब वह अपने दो दोस्तों के साथ खेल रहा था। कुछ अमरुद तोड़ने की उत्सुकता में, वह पेड़ पर लटक रही जीवित तार के सम्पर्क में आ गया और करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। यह आरोप लगाया गया

कि इस दुर्घटना के तुरंत बाद, पुलिस के पहुँचने से पहले विद्युत कर्मचारी स्थल की ओर दौड़े तथा तार की मरम्मत कर दी, जो खम्भे से लटक रही थी।

15.114 आयोग से नोटिस के प्रत्युत्तर में, मुख्य विद्युत अभियन्ता तथा पदेन अपर सचिव, गोवा सरकार द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि दुर्घटना का कारण जीवित कम दाब नंगी एल्यूमीनियम संचालित तार का पकड़ना था। यद्यपि सुरक्षा हेतु वितरण ट्रांसफार्मर पर फ्यूज प्रदान किए गए हैं, ये फ्यूज नहीं उड़ सके चूंकि भूमि, जहाँ कंडक्टर ने छूआ है, रेतीला क्षेत्र है तथा दुर्घटना स्थल वितरण ट्रांसफार्मर से 0.5 किलोमीटर दूर है। चूंकि उच्च प्रतिबाध के कारण गलत करंट फ्यूज को उड़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः पकड़ा हुआ कंडक्टर जीवित रहा। पीड़ित, जो आसपास खेल रहा था, सम्पर्क में आ गया तथा करंट लगने से मर गया। एक अन्य रिपोर्ट में, अवर सचिव (गृह) गोवा सरकार ने भी सूचित किया कि मृतक बच्चे के अभिभावकों द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें क्षतिपूर्ति समिति द्वारा मंजूर विशेष मामले के रूप में 10,000/-रु की राशि अदा की गई। एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 3.7.2002, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उसके अभिभावकों द्वारा मृतक के मृत्यु प्रमाणपत्र न करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान लम्बित है।

15.115 उक्त रिपोर्ट के अवलोकन पर, आयोग ने 25 अगस्त 2003 की अपनी कार्रवाई के तहत यह कहा कि महबूब इमाम की मौत 24 अगस्त 2000 को गौड़ा बाडडो में बिजली का करंट लगने से हुई। दुर्घटना का कारण, रिपोर्ट के अनुसार, जीवित उच्च ताप नंगे एल्यूमीनियम कंडक्टर का पकड़ना तथा वितरण ट्रांसफार्मर पर लगाए गए फ्यूजों का न उड़ना है। आयोग का मत था कि कानून के अन्तर्गत अब यह एक तय मामला है कि बिना किसी प्रमाण के हुई क्षतिपूर्ति के लिए विद्युत सप्लायर जिम्मेदार है तथा इसमें लापरवाही हुई थी तथा इस मामले में दायित्व निश्चित है। मामले के स्थापित तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने कारण बताओ के लिए, कि मृतक लड़के के निकटतम रिश्तेदार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (3) के अन्तर्गत 1 लाख रु0 की तत्काल अन्तरिम राहत क्यों न अदा की जाए, मुख्य सचिव, गोवा सरकार को नोटिस जारी करने को उपयुक्त समझा।

15.116 कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में, मुख्य सचिव, गोवा सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जैसा कि आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक लाख रु0 की राशि मंजूर की गई तथा कर्नाटक में उनका पता खोजने के पश्चात् मृतक लड़के के अभिभावकों को बैंक द्वारा अदा की गई। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, मामले को आयोग द्वारा बंद कर दिया गया।

**26) बिजली का करंट लगने के कारण डिरिसाम लाज़ेर की मौत :
 आंध्र प्रदेश (मामला संख्या 147/1/2001-2002 (एफ. सी.)**

15.117 आयोग को डीरिसाम लाज़ेर की विधवा से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिनकी 24 मई, 1999 को कटारू, कृष्णजिला, आंध्र प्रदेश में करंट लगने के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनके पति चारा इकट्ठा करने के लिए खेत में गए तो वह जमीन पर पड़ी जीवित विद्युत तार के सम्पर्क में आ गए और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। आयोग को की गई अपनी शिकायत में उन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रार्थना की। तदनुसार आयोग ने मुख्य अभियन्ता, दक्षिणी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी किया।

15.118 आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में, मुख्य अभियन्ता, दक्षिणी पावर वितरण कम्पनी, आंध्र प्रदेश ने स्वीकार किया कि भारी ओला वृष्टि तथा वर्षा के कारण काटूरू सब स्टेशन II के अन्तर्गत एल. टी. 3.0.4 तार लाईन का आर-फेज़ कंडक्टर 24 मई 1999 को बिना जमीन को छूए गन्ने की फसल पर गिर गई थी। गन्ने के खेत से गुजरते हुए डीरिसाम लाज़ेर लटके हुए कंडक्टर के सम्पर्क में आ गए तथा करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त पावर वितरण कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने मृतक के कानूनी वारिस को 10,000/-रु की अनुग्रह राशि मंजूर की थी।

15.119 रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने टिप्पणी की कि मृतक की विधवा के लिये अनुग्रह क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/- रु की राशि बहुत कम थी। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि करंट लगने के कारण एक मूल्यवान जीवन समाप्त हो गया था। ऐसे मामले में पूर्ण उत्तरदायित्व का नियम अवश्य लागू होना चाहिए। सुरक्षित परिस्थितियों में सेवाओं के रखरखाव में विद्युत सप्लायर की ओर से लापरवाही का स्पष्ट मामला था।

15.120 मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दक्षिणी पावर वितरण कम्पनी लि0, तिरुपति आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को "अन्तरिम क्षतिपूर्ति" के रूप में एक लाख रु की राशि क्यों न प्रदान की जाए। प्रत्युत्तर में, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणी पावर वितरण कम्पनी लि0, आंध्र प्रदेश ने स्वीकार किया कि डी. लाज़ेर की जीवित तार के सम्पर्क के परिणामस्वरूप अनजाने में मृत्यु हो गई। तार भारी ओलावृष्टि तथा वर्षा के कारण लटक गई थी तथा इसमें सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी तथा शिकायतकर्ता के पति की मौत कंडक्टर के पकड़ने के परिणामस्वरूप दुर्घटना के कारण हुई। मनुष्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काटूरू गाँव में बिजली की तारें डालने तथा

रखरखाव करने में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पूरी सावधानी बरती गई थी तथा गाँव वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निरीक्षण भी किया गया था।

15.121 अतः इस अनपेक्षित दुर्घटना के लिए किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से लापरवाही को कारण नहीं माना जा सकता। यह भी स्वीकार किया गया कि 1994 के रा0 मा0 आ0 अ0 (पद्धति) नियम के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत आयोग तथाकथित मानव अधिकारों के उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी मामले की छानबीन नहीं करेगा। चूंकि मृतक की आकस्मिक मौत 24 मई 1999 को हुई थी, शिकायतकर्ता दुर्घटना होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आयोग के पास नहीं आ सकती।

15.122 उक्त मामले पर विचार करने पर, आयोग ने दिनांक 5 मार्च, 2004 की अपनी कार्रवाई के तहत टिप्पणी की कि बिजली के करंट के कारण एक बहुमूल्य जीवन समाप्त हो गया था तथा यह न केवल सरकारी कर्मचारी की ओर से लापरवाही थी बल्कि वह जो इस प्रकार की दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है तथा बोर्ड के कार्यकलाप के स्वरूप में संभावित जोखिम को रोकने में सरकारी कर्मचारी की लापरवाही तथा देखभाल करने की इसकी ड्यूटी में गैर जिम्मेदारी है। आयोग ने टिप्पणी की, कि ऐसे मामले “कठोर दायित्व” के सिद्धान्तों का आह्वान तथा वाद-विवाद को आमन्त्रित करते हैं जब कि प्रतिवादी दुर्घटनाओं के लिए न तो लापरवाह रहा है और न ही वह उत्तरदायी है ऐसे कठोर दायित्व पर आधारित मामलों के लिये वह उपलब्ध नहीं है। यह कानूनी मामला है तथापि, ऐसे मामले में बजाय बारीकी अथवा वैधता की दृष्टि से अपितु मानवता आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। आयोग ने टिप्पणी की, कि उनके पति की क्षति के लिए मृतक की विधवा को दिए गए 10,000/- ₹0 की अनुग्रहराशि क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत ही कम थी। आयोग ने आंध्र प्रदेश की दक्षिणी पावर वितरण कम्पनी के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, के. रंगानाथन से मामले की व्यक्तिगत रूप से जाँच करने तथा बारीकी तथा वैधता की अनदेखी करने तथा यह देखने के लिए कि उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए विधवा को और कितनी अनुग्रह राशि दी जा सकती है। इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण की सिफारिश की गई थी। आयोग ने यह भी संकेत दिया कि बिजली के करंट से मृत्यु के मामलों में 10,000/- ₹0 की अनुग्रहराशि क्षतिपूर्ति प्रदान करने की नीति को प्राधिकारियों द्वारा नए सिरे से देखने की आवश्यकता नहीं है तथा यह आशा की जाती है कि इस पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा। मामले की निगरानी आयोग द्वारा की जा रही है।

द) बंधुआ श्रमिक

27) कामेंग (पूर्व) जिला, आँध्र प्रदेश के बंधुआ श्रमिक संबंधी उच्च अधिकार समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन न करना (मामला संख्या 12/2/1999-2000(एफ. सी.)

15.123 तत्कालीन पर्यटन राज्य मंत्री, भारत सरकार, ओमाक अपॉंग ने पूर्व कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश के बंधुआ श्रमिक संबंधी उच्च अधिकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के सम्बन्ध में कशोक हेल, अध्यक्ष, अखिल पुरोइक कल्याण सोसायटी, नाहरलागून, अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त याचिका प्रेषित की जो उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या 2 ए. बी. (डब्लू) 22/97 दिनांक 23 दिसम्बर 1998 के आदेश पर गठित की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि 1991 जनगणना के अनुसार, बंधुआ श्रमिकों की संख्या 3,542 थी परन्तु पूर्व कामेंग जिले में उनकी संख्या वास्तव में 5000-7000 से अधिक थी। जिनमें से अधिकाँश की पहचान नहीं हो सकी थी।

15.124 आयोग की हिदायतों के अनुसरण में, आयोग के तत्कालीन माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार तथा सचिव, गृह मंत्रालय को उनके उत्तर के लिए भेजी गई थी। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने यह उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 882.4 हैक्टेयर भूमि का चयन किया गया था तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक माडल गाँव की स्थापना की गई थी तथा मुक्त कराए गए 2,992 बंधुआ श्रमिकों को 1000/- रु प्रत्येक की दर पर निर्वाह भत्ते के रूप में 2992 लाख रु अदा किए गए।

15.125 बाद में, आयोग को श्रम मंत्रालय से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसने संकेत दिया कि प्रायोजित योजनागत योजना का 1 अप्रैल 2000 से संशोधन कर दिया गया था तथा पुनर्वास अनुदान को मुक्त कराए गए प्रति श्रमिक के लिए 20,000/- रु तक बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व राज्यों के संबंध में, 100% पुनर्वास अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण के आयोजन के लिए, जागरूकता पैदा करने से संबंधित कार्यकलापों, मूल्यांकन अध्ययनों तथा बंधुआ श्रमिक अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

15.126 मामले पर आगे विचार करने पर, आयोग ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार को बंधुआ श्रमिक पद्धति के उन्मूलन में की गई प्रगति के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्टें भेजने का निदेश दिया।

15.127 बाद की रिपोर्ट में, राज्य सरकार ने संकेत दिया कि अनुमोदित योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 19,000/- रु की दर पर 70.84 लाख रु का पुनर्वास अनुदान अदा करके 2992 श्रमिकों में से 373 का पुनर्स्थापन किया जा चुका था। 2619 में से शेष 2588 बंधुआ श्रमिकों का भी मार्च, 2002 में पुनर्स्थापन किया गया था तथा 31 बंधुआ श्रमिकों की अब तक मृत्यु हो चुकी थी। रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए 497.64 लाख रु0 के कुल अनुदान में से 491.75 लाख रु0 की राशि भी समाप्त की जा चुकी थी तथा 5.89 लाख रु0 की शेष राशि को 31 बंधुआ श्रमिकों की मृत्यु के कारण प्रयोग नहीं किया जा सका।

15.128 मामले पर विचार करने पर, आयोग ने नोट किया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार, श्रम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। चूंकि उपयुक्त कार्रवाई कर ली गई थी, मामले को आयोग द्वारा बंद कर दिया गया।

28) चौना पत्थर खानों, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में कार्यरत 400 बंधुआ श्रमिक [मामला संख्या : 1351/12/2001-2002 (एफ. सी.)]

15.129 आयोग को मध्य प्रदेश में रह रहे बूटन सुपुत्र पीतम से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसे बंधुआ श्रमिक मुक्ति मोरचा के प्रो० शियोताज सिंह द्वारा प्रेषित किया गया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि लगभग 400 बंधुआ श्रमिक जिला ग्वालियर में चौना पत्थर में कार्य कर रहे थे तथा उन्हें उनकी मजदूरी अदा नहीं की गई थी; इसके अतिरिक्त उनका उत्पीड़न एवं शोषण किया जा रहा था।

15.130 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता, श्री चमनलाल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से श्रम आयुक्त को निर्देश देने के लिए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण हो तथा सभी श्रमिक कानून, विशेष रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सख्ती से लागू हो।

15.131 श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अवलोकन करने पर, आयोग ने देखा कि जिला प्रशासन ने 9 जुलाई, 2002 को 43 अन्य व्यक्तियों सहित बूटन को मुक्त कराया था तथा उन सभी को उनकी इच्छा के अनुसार गुना जिला, भेज दिया गया था। तथापि, रिपोर्ट इस विषय पर खामोश थी कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई थी जिनके साथ बूटन तथा 43 अन्य बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्यरत थे तथा मुक्त कराए गए श्रमिकों के राहत तथा पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए थे। अतः आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से बूटन तथा 43 अन्य के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जैसा

कि ऊपर संकेत दिया गया है। बाद की रिपोर्ट में, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई, 2002 में मुक्त कराए गए बँधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम बताए तथा दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का भी संकेत दिया।

15.132 रिपोर्ट पर विचार करने पर, मामले को आयोग द्वारा बंद कर दिया गया।

**29) बिजली करघा कारखाना, जिला पेरियार तमिलनाडु में बँधुआ श्रमिक
मामला संख्या: 22/212/96-एल.डी.(एफ.सी.),**

15.133 थेनमोज़ही, पेरियार जिला, तमिलनाडु से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसकी चाची मादेश्वरी जो 12,000 रु० की अग्रिम राशि के विरुद्ध डेढ़ वर्षों से पेरियार जिला, तमिलनाडु में के. नालूसामी तथा के. दुरईसामी के स्वामित्व में बिजली करघा कारखाने में बँधुआ श्रमिक के रूप में काम कर रही थी, ने अग्रिम राशि लौटाने का प्रबन्ध किया परन्तु कारखाना मालिकों ने उनसे 24,000 रु० की माँग और की। मादेश्वरी अपने पति तथा पुत्रियों सहित किसी प्रकार के. नालूसामी तथा के. दुरईसामी के चंगुल से बचने में सफल हुई तथा उन्हें एक नया रोज़गार भी मिल गया तथा याचिकाकर्ता के साथ रहना शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि जब मादेश्वरी तथा उनके पति दूर थे तब कारखाना मालिकों नालूसामी तथा दुरईसामी ने याचिकाकर्ता तथा चाची की दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर लिया तथा उन्हें 64,000/- रु० के नकली ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जब मादेश्वरी तथा उनके पति अपने बच्चों तथा याचिकाकर्ता की खोज करते हुए आए तो उन्हें भी काम करने के लिए मजबूर किया गया।

15.134 पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु से प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर, आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ता श्री के. आर. वेणुगोपाल से जाँच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। विशेष सम्पर्ककर्ता, श्री के. आर. वेणुगोपाल द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने पर आयोग ने दिनांक 26 दिसम्बर 2000 की अपनी कार्रवाई के तहत निर्देश दिया कि इसे टिप्पणी हेतु मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार को भेज दिया जाए। आदि द्रविदार तथा जनजातीय कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांक 11 नवम्बर, 2002 की अन्तरिम रिपोर्ट ने संकेत दिया कि राज्य के अधिकारियों को सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने तथा 1996 से आगे सलेम जिला के कलेक्टरों द्वारा की गई कार्रवाई की जाँच करने तथा तमिलनाडु में बँधुआ श्रमिक पद्धति के उन्मूलन के संबंध में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रबन्ध करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष की सावधानीपूर्वक जाँच की तथा थेनमोज़ी को 25,000/- की राशि मंजूर करने का निर्णय लिया।

15.135 उपर्युक्त रिपोर्ट की 20 अक्टूबर 2003 को अवलोकन करने पर आयोग ने अपना असन्तोष व्यक्त किया तथा उचित कार्रवाई तथा रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाने के लिए श्री के. आर. वेणुगोपाल, विशेष सम्पर्ककर्ता, रा0 मा0 आ0 अ0 को रिकार्ड भेजने का निर्देश दिया।

15.136 उत्तर में, श्री वेणु गोपाल ने मामले का अनुसरण किया जिसके परिणामस्वरूप आदि द्रविदार तथा जनजातीय कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने थेनमोजी को 1.00 लाख रू0 की कुल राशि (पहले से अदा किए गए 25,000 रू0 शामिल) अदा करने का निर्णय किया।

15.137 उक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने 24 मार्च 2004 को राज्य सरकार द्वारा लिए गए आधार की प्रशंसा की तथा थेनमोजी को एक लाख रू (पहले से अदा की गई 25,000/— रू0 की राशि सहित) के भुगतान पर सहमति प्रकट की तथा राज्य सरकार से आयोग को सूचित करने के लिए कहा कि क्या थेनमोजी को वास्तविक रूप से भुगतान कर दिया गया है और यदि हाँ, तो भुगतान के प्रमाण की प्रति भेजें। मामले की निगरानी आयोग द्वारा की जा रही है।

घ) अन्य महत्वपूर्ण मामले

30) आतंकवादियों द्वारा “लंगर’ पर आक्रमण – 7 वैष्णों देवी तीर्थयात्री मारे गए” : जम्मू तथा कश्मीर [मामला संख्या : 58/9/ 2003–2004 (एफ. सी.)]

15.138 कटरा जिला ऊधमपुर, जम्मू तथा कश्मीर के समीप 21 जुलाई 2003 को वैष्णों देवी मंदिर के उनके रास्ते पर बाण गंगा पर लँगर के घातक आतंकवादी हमले के संबंध में मीडिया रिपोर्टों की स्वयं जानकारी ली, बच्चे सहित सात श्रद्धालु मारे गए तथा कई बेकसूर नागरिक जख्मी हुए। आयोग का सुसंगत रूप से ऐसा दृष्टिकोण था कि ऐसे आपराधिक कृत्य पूर्णतया अनुचित थे तथा मानव अधिकारों का हनन था। अतः आयोग ने प्राधिकरणों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आतंकवाद के ऐसे कृत्यों से निपटने के लिए कानून को पूर्ण शक्ति से अमल में लाया जाना चाहिए तथा उन्हें जो ऐसे कृत्य करते हैं अथवा उन्हें, उकसाते हैं, उन्हें कानून के समक्ष लाना चाहिए। आयोग ने उनके परिवारों को अपनी संवेदना प्रकट की जिन्होंने आतंकवादी हमले में अपना जीवन खो दिया अथवा जख्मी हो गए।

15.139 प्रत्युत्तर में पुलिस महानिदेशक जम्मू तथा कश्मीर से प्राप्त रिपोर्ट ने संकेत दिया कि संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों ने बाण गंगा में ‘लंगर’ के खुले अहाते में दो ग्रेनेड फेंके जिसके परिणामस्वरूप छः व्यक्ति मर गए तथा पचास अन्य जख्मी हो गए। आक्रमण के समय, स्थानीय पुलिस वालों के साथ-साथ सी. आर. पी. एफ. कार्मिक लँगर के नज़दीक रास्ते पर तैनात थे। मोहम्मद यूसुफ

उर्फ मीथू निवासी बागानी बसन्तगढ़ को 10 अगस्त, 2003 को गिरफ्तार किया गया तथा लम्बी पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह दो अन्य आतंकवादियों अर्थात् पाकिस्तान के साहिल तथा जोडा के मोहम्मद अब्दुल्ला सहित 21 जुलाई, 2003 को गुलशन लॅगर बाण गंगा पर ग्रेनेड विस्फोट के लिए उत्तरदायी थे। मामले की आगे जाँच की जा रही थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि अमरनाथ यात्रा के कारण तीर्थयात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए, सी. आर. पी. एफ. की एक ट्रेनिंग कम्पनी को तैनात करके सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत किया गया है जो आसपास के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं। इस आक्रमण के अनुवर्ती, प्रबन्धों को और मजबूत किया गया है तथा लॅगर के दक्षिण-पूर्व में छोटे पहाड़ जैसे आकार पर लगातार गश्त लगाई जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। मंदिर के सुरक्षा प्रबन्धों की भी आवधिक समीक्षा की जा रही है।

15.140 रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने महानिदेशक (पु0), जम्मू तथा कश्मीर को यह संकेत देने का निर्देश दिया कि क्या वैष्णों देवी आतंकवादी हमले में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को कोई क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राशि अदा की गई है।

15.141 आयोग की हिदायतों के अनुसरण में महानिदेशक (पु0), जम्मू तथा कश्मीर ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उल्लेख किया गया कि 21 जुलाई, 2003 को बम विस्फोट में मारे गए 6 मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों को 1 लाख रु प्रत्येक की दर पर अनुग्रह राशि मंजूर तथा अदा की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई कर ली गई थी आयोग ने निर्णय किया कि इस मामले में और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार मामले को बंद कर दिया गया।

31) रोगग्रस्त अनुभवी राजनीतिक नेता, सैयद अली शाह गिलानी का चिकित्सा उपचार: जम्मू तथा कश्मीर (मामला संख्या : 1271 / 34 / 2002-2003 / एफ. सी.)

15.142 आयोग को महासचिव, जमाते-इस्लामी, जम्मू तथा कश्मीर से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें जम्मू तथा कश्मीर के बीमार राजनीतिक नेता सैयद अली शाह गिलानी के साथ किए गए दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिन्हें लोक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत झारखंड में बिरसा मुंडा केन्द्रीय जेल, राँची में निरूद्ध किया गया था, जबकि जेल में उनकी देखभाल कर रहे डाक्टरों ने सिफारिश की थी कि उनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में तुरंत स्थानान्तरण किया जाए। यह भी आरोप लगाया गया था कि राज्य/केन्द्र सरकार ने अस्पताल में उनके उपचार के लिए उचित सुरक्षा प्रबन्धों की अनुपलब्धता के आधार पर जानबूझकर उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानान्तरण के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे।

15.143 आयोग ने इस संबंध में सचिव, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट माँगी। आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में, जम्मू तथा कश्मीर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख किया गया कि गिलानी का टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई में स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई में सैयद अली गिलानी के उपचार पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, मामले को आयोग द्वारा बंद किया गया।

प) वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 की वार्षिक रिपोर्टों में प्रतिवेदित मामलों पर की गई कार्रवाई

15.144 आयोग की वार्षिक रिपोर्टों के अनेक पाठकों को गत वर्षों की रिपोर्ट में सूचित किए गए मामलों के बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी लेने में अपनी रुचि अभिव्यक्त करते रहे हैं। वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 की वार्षिक रिपोर्टों में प्रतिवेदित मामलों के सम्बन्ध में सूचना को अद्यतन किया गया है तथा उस मामले के सम्बन्ध में की गई अगली कार्रवाई का सार आगे के पैराग्राफों में शामिल किया गया है।

2001 – 2002

**1) किसानों का उत्पीड़न तथा अवैध नज़रबंदी : उत्तर प्रदेश
(मामला संख्या: 9480/24/1999–2000)**

15.145 यह मामला आजमगढ़ जिला के तहसील प्राधिकारियों द्वारा कई किसानों को कई दिनों के लिए हवालात में बंद करने, ताकि उनसे भूमि राजस्व की बकाया राशि वसूल की जा सके तथा अवैध नज़रबंदी में उनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार से सम्बन्धित है।

15.146 उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने राज्य सरकार को बंद किए गए प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में 10,000/—रु० अदा करने का निर्देश दिया।

15.147 आयोग की हिदायतों के अनुसरण में, जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ने आयोग को सूचित किया कि शिकायतकर्ता लालजी यादव को क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/— रु की राशि अदा की गई थी।

15.148 उक्त रिपोर्ट पर और आगे विचार करने पर, आयोग ने 5 नवम्बर, 2003 की अपनी कार्रवाई में टिप्पणी की, कि रिपोर्ट भूमि राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तथाकथित रूप से निरुद्ध किए गए अन्य व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के बारे में खामोश है, यद्यपि ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में दिए गए थे। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार

को यह भी निर्देश दिया कि यदि यह स्थापित हो जाता है कि अन्य को भी शिकायतकर्ता की तरह निरुद्ध किया गया था तो प्राधिकारियों को उनके मामले में भी इस आयोग की दिनांक 17 सितम्बर 2001 की हिदायतों का अनुसरण करना चाहिए। इस हिदायत के साथ मामले को आयोग द्वारा बंद कर दिया गया।

**2) सशस्त्र बलों द्वारा गोलाबारी में मौत, मणिपुर
(मामला संख्या: 25/14/1999-2000)**

15.149 आयोग को प्रेस रिपोर्ट से जानकारी मिली जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 21 जुलाई 1999 को उनके सहकर्मियों पर भूमिगत सक्रियतावादियों द्वारा आक्रमण के पश्चात् निचले लमका रोड पर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के कार्मिकों द्वारा अन्धाधुन्ध गोलाबारी में नाबालिग सहित कम से कम पाँच व्यक्ति तथा तीन अन्य घायल हो गए थे। यह मामला मणिपुर मानव अधिकार आयोग द्वारा भी उठाया गया था जिसने इसके सदस्यों में से एक के द्वारा मौके पर किए गए अध्ययन के पश्चात् इस मामले को 22 जुलाई 1999 को इस आयोग को भेजा गया।

15.150 उक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने कहा कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल कार्मिकों ने अन्धाधुन्ध गोलाबारी आरम्भ की जिसके परिणामस्वरूप तीन नागरिकों तथा एक फायरमैन की मौत हो गई तथा चार व्यक्ति ज़ख्मी हो गए। आयोग ने दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के अपने आदेश के तहत निर्देश दिया कि मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी को 2.00 लाख रु० की तत्काल अन्तरिम राहत तथा ज़ख्मी हुए प्रत्येक व्यक्ति को 25,000/- रु० अदा किए गए।

15.151 आयोग की हिदायतों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भेजी जिसके साथ पाँच मृतक नागरिकों के निकटतम रिश्तेदारों तथा ज़ख्मी हुए तीन व्यक्तियों को अन्तरिम क्षतिपूर्ति के रूप में 10,75,000/-रु के भुगतान हेतु संस्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न की गई। अभी भुगतान किए जाने के तथ्य की प्रतीक्षा है।

**3) एडवोकेट, जलील अन्दराबी का मामला : जम्मू तथा कश्मीर
(मामला संख्या: 9/123/95-एल. डी.)**

15.152 यह मामला श्रीनगर में सुरक्षा बलों द्वारा जलील ए. अन्दराबी, एडवोकेट के तथाकथित अपहरण तथा बाद में मारे जाने से सम्बन्धित है। सचिव, बार एसोसिएशन, श्रीनगर ने जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका (संख्या 32/96) दायर की तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया।

यह मामला जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष अभी भी लम्बित है तथा इसके परिणाम की प्रतीक्षा है।

**4) पुलिस गोलाबारी में मौत : बिहार
(मामला संख्या 2489/4/1999-2000) तथा 2314/4/1999-2000)**

15.153 आयोग को शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें 4 नवम्बर, 1999 को बोकारो, बिहार में पुलिस गोलाबारी में मारे गए दो बेकसूर व्यक्तियों के परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति की माँग की गई थी।

15.154 आयोग की दिनांक 3 जनवरी, 2002 की हिदायतों के अनुसरण में, झारखंड सरकार ने मृतक शँकर महातो तथा दिलीप कुमार की पत्नियों को 2.00 लाख रु अदा किये। भुगतान की वास्तविक स्थिति भी प्राप्त हो गई है।

**5) अशक्त व्यक्तियों के अधिकार : एक नेत्रहीन चिकित्सा
छात्र, सी. एस. पी. अँका टोप्पो को आयोग द्वारा सहायता ताकि वे
एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम पूरा कर सकें
(मामला संख्या: 1754/30/2000-2001)**

15.155 सी. एस. पी. अँका टोप्पो 1 सितम्बर, 2000 को आयोग में आए तथा उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अभाव में मई 2001 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित अन्तिम एम. बी. बी. एस. परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई।

15.156 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् दोनों ने कुछ दिशा निर्देश आयोग को प्रेषित किए जो उन्होंने दृष्टिक्षीण छात्रों के मामलों को निपटने के लिए बनाए थे। हालांकि आयोग ने मामले में और आगे हस्तक्षेप करने का निर्णय किया तथा इस पर डीन, प्रोफेसर एच. के. तिवारी तथा रजिस्ट्रार श्री वी. पी. गुप्ता सहित डॉ. टोप्पो को एक विशेष मामले के रूप में समुदाय चिकित्सा विभाग में अपनी इन्टर्नशिप पूरी करने की भी अनुमति दी। चूंकि आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी तथा किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी, अतः आयोग द्वारा इस मामले को 17 दिसम्बर 2003 को बंद कर दिया गया। आयोग मामले के समाधान में एम्स के निदेशक तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा की।

2002—2003

6) लापरवाही के कारण गोगोन गाँव, के पूर्व सरपंच, चुहुड़ सिंह की अभिरक्षण में मौत : पंजाब (मामला संख्या: 431 / 19 / 2000—2001)

15.157 आयोग 10 सितम्बर, 2000 को पुलिस अभिरक्षण में गोगोन गाँव के पूर्व सरपंच, चुहूर सिंह की मृत्यु के बारे में दिनांक 11 सितम्बर, 2000 के "दी ट्रिब्यून" में छपी समाचार पत्र रिपोर्ट की जानकारी ली। पीड़ित को पोस्ट भूसी की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था तथा अभिरक्षण में रहते हुए अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

15.158 दिनांक 22 मई 2002 के अपने आदेश में, आयोग ने पंजाब सरकार के जवाब पर विचार किया जिसमें उल्लेख किया गया कि क्षतिपूर्ति के प्रश्न को स्थगित रखा जाए, जब तक कि जाँच पूरी न हो जाए। तथापि, आयोग ने इस आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया तथा अधिनियम की धारा 18(3) के उद्देश्य की ओर संकेत दिया, अर्थात् उन मामलों में तत्काल अन्तरिम राहत की व्यवस्था जहाँ मानव अधिकारों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टव्य मामला बनाया गया हो। इसमें किसी अन्य कार्यवाही में अन्तिम जिम्मेदारी निर्धारित करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। पंजाब सरकार को तदनुसार क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश दिया गया।

15.159 प्रत्युत्तर में, पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सहा० उप० नि० कपूर सिंह के विरुद्ध विभागीय जाँच आयोजित की जा रही थी तथा जाँच पूरी हो जाने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान से सम्बन्धित मामले को स्थगित रखने के लिए आयोग से की गई पूर्व प्रार्थना पर विचार किया जाए।

15.160 आयोग ने दिनांक 22.5.2002 की अपनी कार्रवाई के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लिए गए तर्क को अस्वीकार कर दिया तथा निर्देशों के अनुपालन का इसे निर्देश दिया। स्मरणपत्रों के बावजूद भी अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। आयोग इस मामले को अभी भी निपटान में लगा हुआ है।

7) उत्पीड़न के कारण पुलिस अभिरक्षण में भुजई की मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या: 4238 / 96—97 / रा० मा० आ० अ०)

15.161 आयोग का 30 मई, 1994 को भुजई की मौत के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से दिनांक 2 अगस्त, 1996 का एक पत्र प्राप्त हुआ जब कि वे पुलिस अभिरक्षण में थे। कत्ल के संबंध में मृतक के विरुद्ध मामला संख्या 54 / 94 दर्ज किया गया था। दण्डनायक जाँच ने विरोधी कथनों का सन्दर्भ दिया, अतः सी. आई. डी. जाँच की सिफारिश की। तदनुसार

जाँच हेतु बवाना पुलिस स्टेशन पर मामला संख्या 121/96 दर्ज किया गया।

15.162 दिनांक 11 मार्च 2002 के अपने आदेश में, आयोग ने मुकदमे की मौजूदा स्थिति पर सूचना माँगी तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया, कि अधिनियम की धारा 18(3) के अन्तर्गत मृतक के निकटतम सम्बन्धी को तत्काल अन्तरिम राहत क्यों न प्रदान कर दी जाए। चूंकि स्मरणपत्रों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, आयोग ने 12 जून 2002 अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास तत्काल अन्तरिम राहत प्रदान करने के विरुद्ध कोई कारण नहीं है तथा मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 1,00,000 रु० की तत्काल अन्तरिम राहत प्रदान दिए जाने की कार्रवाई की।

15.163 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह संकेत देते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि 7 सितम्बर, 2003 को मृतक के पुत्र तथा कानूनी वारिस रोशन लाल को 1 लाख रु० का भुगतान किया। चूंकि राज्य सरकार ने आयोग की हिदायतों का अनुपालन किया था, आयोग द्वारा मामला 17 नवम्बर, 2003 को बंद कर दिया गया।

**8) जमीर अहमद खाँ को हिरासत में यातना : उत्तर प्रदेश
(मामला संख्या: 14071/24/2001-2002)**

15.164 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 25 जुलाई, 2001 को जाहिर अहमद खाँ की एक शिकायत भेजी जिसमें उन्होंने अपने भाई, जमीर अहमद खाँ की 29 मार्च 2001 की रात्रि के दौरान बुगरासी चौकी, बुलन्द शहर, उत्तर प्रदेश के उप-निरीक्षक तथा दो सिपाहियों द्वारा अवैध नज़रबंदी का आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप लगाया गया था कि उनको बेरहमी से पीटा गया जब वे हिरासत में थे तथा उन्हें 30 मार्च, 2001 को अपराहन में रिहा किया गया था।

15.165 मजिस्ट्रेटी जाँच रिपोर्ट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे कारण बताए कि पीड़ित को तत्काल अन्तरिम राहत क्यों न प्रदान की जाए तथा यह भी निर्देश दिया कि दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की जाए। बाद में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारित समय के अन्दर उत्तर प्रदेश सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, आयोग ने दिनांक 27 मई 2002 की अपनी कार्रवाई द्वारा हिरासतीय उत्पीड़न के पीड़ित को तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में 20,000/- रु० की राशि प्रदान किए जाने का निर्णय किया। प्रत्युत्तर में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग से इस आधार पर अन्तरिम राहत प्रदान किए जाने की अपनी सिफारिश पर विचार करने का अनुरोध किया कि पीड़ित को कोई गम्भीर चोटें नहीं

आई थीं। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए आधार को अस्वीकार कर दिया तथा पीड़ित को क्षतिपूर्ति के भुगतान की सिफारिश को दोहराया।

15.166 प्रत्युत्तर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 11 फरवरी, 2004 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि 7 नवम्बर, 2003 को पीड़ित को 20,000/- ₹0 की राशि अदा कर दी गई थी। क्षतिपूर्ति की उक्त राशि दोषी पुलिस अधिकारियों से वसूल करने का आदेश दिया गया था। दो पुलिस अधिकारियों से वसूल की गई 13,334/- ₹0 की राशि राज्य सरकार में पहले ही जमा करा दी गई थी तथा 6666/- ₹0 की शेष राशि सिपाही धनश्याम से वसूल की जाएगी।

**9) कोटा में शिक्षक के साथ पुलिस ज्यादाती : राजस्थान
(मामला संख्या 1603/20/2001-2002)**

15.167 आयोग को कोटा के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक, प्रेम चंद से दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें 29 सितम्बर, 2001 को स्थानीय उप-निरीक्षक द्वारा जबरदस्ती पकड़ लिया गया, अवैध रूप से नज़रबंद किया गया, झूठे मामले में फंसाया गया, उत्पीड़न किया गया तथा उनकी नज़रबंदी के दौरान भोजन तथा पानी से वंचित रखा गया।

15.168 पुलिस अधीक्षक कोटा, राज्य से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने 14 फरवरी 2003 की अपनी कार्रवाई द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित को तत्काल अन्तरिम राहत प्रदान क्यों नहीं किया गया है।

15.169 राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने टिप्पणी की कि राज्य मानव अधिकार आयोग, राजस्थान को मामले की जानकारी थी अतः मामले को इस हिदायत के साथ बंद कर दिया गया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरम्भ की गई विभागीय कार्रवाई का अंतिम निष्कर्ष आयोग को सूचित किया जाए। विभागीय कार्रवाई के अन्तिम परिणाम के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा है।

**10) पुलिस कार्मिकों की लापरवाही से इकरमुददीन का गलत परिरोधः
उत्तर प्रदेश (मामला संख्या : 23239/24/1999-2000)**

15.170 आयोग को जिला बागपत, उत्तर प्रदेश के निवासी इकरमुददीन से दिनांक 14 जनवरी 2000 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि बड़ौत के निवासी इकरामू के विरुद्ध पुलिस स्टेशन बड़ौत में एक मामला दर्ज किया गया। विचारण के दौरान, मुल्जिम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। इकरामू को गिरफ्तार

करने की बजाय पुलिस ने विरोध के बावजूद भी 20 जून, 1999 को इकरामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शपथपत्र दाखिल करने के पश्चात् कि वे इस मामले में दोषी नहीं थे, न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया।

15.171 इन तथ्यों पर विचार करने पर जिन्हें पुलिस द्वारा स्वीकार किया गया था, आयोग ने माना कि पुलिस की लापरवाही के कारण हुई गलत नज़रबंदी से शिकायतकर्ता को बहुत अधिक वित्तीय हानि तथा मानसिक पीड़ा हुई है तथा उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 की अपनी कार्रवाई द्वारा यह माना कि शिकायतकर्ता को लगभग डेढ़ महीने तक जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया तथा स्वयं को रिहा करने के लिए 10,000/-रु0 खर्च करने पड़े तथा उत्तर प्रदेश राज्य को तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में 50,000/- रु0 की राशि शिकायतकर्ता को अदा करने का निर्देश दिया।

15.172 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुपालन रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है। आयोग द्वारा मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

11) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अन्तर्गत नावी उल्लाह को झूठा फँसाना: उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 13501/24/ 2000-2001)

15.173 पी. एस. छाबड़ा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ललितपुर ने मुलजिम, नावी उल्लाह को छोड़ते हुए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दिनांक 29 जुलाई, 2000 को अपने फैसले की प्रति भेजी तथा यह मानते हुए कि मुलजिम को, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, पुलिस द्वारा झूठा फँसाया गया। फैसले में एक अनुरोध समाविष्ट था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा स्वतन्त्र जाँच की जाए ताकि दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

15.174 13 जनवरी, 2003 की अपनी कार्रवाई में इस मामले पर विचार करने पर, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवी उल्लाह को अदा की जाने वाली तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में 1,00,000 रु0 की राशि का निर्णय किया। राज्य सरकार को आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि दोषी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई का परिणाम आयोग को सूचित किया जाए।

15.175 आयोग की हिदायतों के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित नवी उल्लाह को एक लाख रु0 की अन्तरिम राहत राशि स्वीकृत की तथा विभागीय कार्रवाई की समाप्ति पर दोषी कर्मचारियों की परिनिन्दा की गई।

12) लापरवाही के कारण विचाराधीन कैदी, हरजिन्दर उर्फ जिन्दा की हिरासतीय मौत : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या 8437/24/1999-2000-सी. डी.)

15.176 आयोग को 19 अगस्त, 1999 को विचाराधीन कैदी, हरजिन्दर उर्फ जिन्दा की हिरासतीय मौत की सूचना 20 अगस्त, 1999 को पुलिस अधीक्षक, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई।

15.177 चूंकि, राज्य सरकार से निर्धारित समय के अन्दर कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, आयोग ने दिनांक 14 जून, 2002 की अपनी कार्रवाई में निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन कैदी हरजिन्दर की कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों में रिकार्ड किए गए कारणों अर्थात् "पुलिस कार्मिकों की ओर से लापरवाही तथा निर्दयता" के कारण न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई थी। आयोग ने यह भी माना कि सरकार भी विचाराधीन कैदी की मृत्यु के लिए अत्याधिक जिम्मेदार थी। तदनुसार, उसने मृतक के निकटतम सम्बन्धी को तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में 1,00,000रु० की सिफारिश की।

15.178 प्रत्युत्तर में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अन्तरिम राहत प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है चूंकि पुलिस द्वारा उत्पीड़न के आरोप सी. बी./सी. आई. डी. जाँच द्वारा स्थापित नहीं हुए थे तथा मृतक की मृत्यु नाले में डूब जाने से हुई थी।

15.179 उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने महानिदेशक (अन्वेषण) को सम्पूर्ण रिकार्ड की जाँच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले पर आयोग द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

13) जेल में मानक राम की हत्या तथा उसके पुत्र को गम्भीर चोटें : राजस्थान (मामला संख्या: 263/20/98-99-ए. सी. डी.)

15.180 आयोग को जिला जोधपुर, राजस्थान के निवासी गुमना राम से दिनांक 26 अप्रैल, 1998 की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें मंडोर खुली जेल परिसर में भीम सिंह पुरोहित तथा अन्यो द्वारा 16 जनवरी 1998 को मानक राम, कैदी के कत्ल का आरोप लगाया गया। मुलजिम्ओं ने मानक राम के पुत्र, माँगी लाल पर भी आक्रमण किया जिसका एक हाथ काट डाला तथा उसके एक कान में गम्भीर चोट आई।

15.181 राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने दिनांक 22 मई 2002 की अपनी कार्रवाई द्वारा राजस्थान सरकार को मृतक मानक राम के परिवार को 2,00,000 रु०

की राशि तथा एक हाथ कटने तथा एक कान में गम्भीर चोट के कारण हुई विकलांगता के कारण माँगी लाल को 1,00,000 रू० की राशि अदा करने का निर्देश दिया।

15.182 राजस्थान सरकार ने 26 मई, 2002 तथा 30 अप्रैल, 2003 को आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन की सूचना दी थी जिसमें उल्लेख किया गया कि 3 लाख रू० की कुल वित्तीय सहायता में से 2 लाख रू० मृतक की पत्नी लाधी उर्फ राधा को तथा 1 लाख रू० माँगी लाल को अदा कर दिए गए थे तथा न्यायालय में चालान भी दाखिल कर दिया गया था। अतः आयोग द्वारा मामला बंद कर दिया गया।

**14) प्रोबेशन होम के अधीक्षक द्वारा अंतःवासियों पर अत्याचार : झारखंड
(मामला संख्या: 177 / 34 / 2001-2002)**

15.183 आयोग को कुमारी सीता से दिनांक 6 मई, 2001 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसके प्रोबेशन होम, देवघर में कुप्रशासन का आरोप लगाया गया है जहाँ लड़कियों को निरुद्ध किया गया। यह आरोप लगाया गया कि लड़कियों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं की जा रही थी तथा उन्हें भोजन, वस्त्र तथा दवाईयों से वंचित रखा जा रहा था। परिणामस्वरूप, एक सहवासी लड़की की 2 फरवरी, 2001 को मृत्यु हो गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ लड़कियों को अप्रैल, 2001 के दौरान होम के कर्मचारियों द्वारा पीटा गया था तथा परिणामस्वरूप एक लड़की होम से भाग गई थी।

15.184 मानव अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन पर विचार करने पर आयोग ने 3 दिसम्बर, 2002 को मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को यह पूछते हुए एक नोटिस जारी किया कि रिपोर्ट में नामजद सहवासियों को तत्काल अन्तरिम राहत क्यों नहीं प्रदान किया गया है।

15.185 31 मार्च, 2004 तक झारखंड सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा थी तथा आयोग द्वारा मामले का अनुसरण किया जा रहा था।

**15) टोंक में बाल श्रमिकों का शोषण : राजस्थान
(मामला संख्या 817 / 20 / 2001-2002)**

15.186 आयोग को महावीर प्रसाद से 20 जुलाई, 2001 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि गलीचे निर्माता, बाबू लाल बसवाल ने बाल श्रमिकों को कार्य पर नियुक्त किया था। उनका शोषण किया जा रहा था, उनसे कठोर परिस्थितियों में कार्य लिया जा रहा था तथा उन्हें मजदूरी अदा नहीं की जा रही थी।

15.187 बाल श्रमिक (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दोषी द्वारा कई बाल श्रमिकों को रोज़गार देने तथा न्यायालय में अपराधी नियोक्ता के विरुद्ध मामले चलाए जाने पर, आयोग ने दिनांक 2 मई, 2002 की अपनी कार्रवाई द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक, राजस्थान को बाल श्रमिकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जिन्हें गलीचा बुनाई यूनिट द्वारा कार्य पर लगाया गया था ताकि दोषी नियोक्ता से 20,000/- ₹0 प्रति वसूल किया जा सके तथा उक्त राशि को बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण निधि के रूप में ज्ञात फंड में जमा किया जाए। राज्य सरकार का उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उक्त निधि में 5,000/- ₹0 प्रति बच्चे का योगदान देने का भी निर्देश दिया। आयोग ने निर्देश दिया कि इस प्रकार बनाये गये कोष का रूप संग्रह निकाय होगा जिसकी आय सम्बन्धित बच्चों के लिए प्रयोग की जाएगी।

15.188 जिला कलेक्टर, टोंक, राजस्थान से सम्पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है तथा आयोग द्वारा मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

16) पुलिस की लापरवाही के कारण एक नाबालिग लड़के, चन्द्रपाल की मृत्यु : उत्तर प्रदेश (मामला संख्या: 11150/24/1999-2000)

15.189 29 जुलाई, 1999 को आयोग गाँव भान, पौड़ी गढ़वाल के निवासी कल्याण सिंह से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि 9 जून, 1999 को उनका पुत्र चन्द्रपाल, आयु 14 वर्ष सहायक उप-निरीक्षक द्वारा रिवालवर से मार दिया गया।

15.190 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि चन्द्रपाल की मृत्यु पुलिस कर्मचारी के कृत्य के परिणामस्वरूप हुई। आयोग ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामले पर विचार करने पर आयोग ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 की अपनी कार्रवाई द्वारा माना कि पुलिस उपायुक्त कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अधिनियम की धारा 18 (3) के अन्तर्गत तत्काल अन्तरिम राहत के रूप में शिकायतकर्ता को 1,00,000 ₹0 की राशि अदा करने का निर्देश दिया।

15.191 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने स्वीकार किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा मुलज़िम को दोषमुक्त किए जाने के कारण, दिल्ली पुलिस पीड़ित को किसी क्षतिपूर्ति अदा किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है तथा तदनुसार अन्तरिम राहत के भुगतान का निर्देश देते हुए आयोग के आदेश को वापिस लेने का अनुरोध किया। दोषमुक्त करने के फैसले की प्रति पर विचार करने पर, आयोग ने टिप्पणी की कि मुलज़िम को दोषमुक्त कर दिया गया था। रिकार्ड के अवलोकन से यह भी पता चला कि पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली

को सूचित किया कि परीक्षण न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय में अपील दाखिल नहीं की गई थी। इसे नोट करते हुए, आयोग ने दिनांक 11 अक्टूबर 2002 के अन्तरिम राहत के भुगतान का अपना आदेश वापिस लिया तथा मामले का बंद कर दिया गया।

17) बँधुआ बाल श्रमिक : आँध्र प्रदेश
(मामला संख्या: 443/1/2001-2002 (एफ. सी.)

15.192 आयोग को दिनांक 24 अगस्त, 2001 की एक याचिका प्राप्त हुई जिसमें आँध्र प्रदेश में महबूब नगर, कृष्णा तथा निज़ामाबाद जिलों में बिनौल फार्मों, टाइल इकाईयों, उत्खनन और बीड़ी विनिर्माण इकाईयों में कठोर कार्य में अपने रोजगार के जरिए नाबालिग लड़कियों के शोषण तथा बाल श्रमिकों की विद्यमानता का आरोप लगाया गया है।

15.193 आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों के प्रत्युत्तर में, आँध्र प्रदेश सरकार से दिनांक 19 जुलाई 2002 की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार एक समयबद्ध तरीके से वर्ष 2004 तक राज्य में बाल उन्मूलन के लिए कार्रवाई योजना को कार्यान्वित कर रही थी। अपने विशेष सम्पर्ककर्ता श्री के. आर. वेणुगोपाल की आँध्रप्रदेश में बाल श्रमिक परिस्थिति पर टिप्पणियों पर विचार करने पर राज्य सरकार से उनके द्वारा उठाए गए अनुवर्ती उपायों के ब्यौरों सहित आयोग को अपनी योजना की प्रति भेजने के लिए कहा।

15.194 आयोग द्वारा मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

18) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार – पाँच दलितों की हत्या : हरियाणा (मामला संख्या 1485/7/2002-2003/एफ. सी.)

15.195 आयोग ने 17 अक्टूबर, 2002 के इंडियन एक्सप्रेस में छपे "हरियाणा में पाँच दलितों को बेकायदा मार दिया" नामक समाचार पत्र रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि पाँच दलितों, सभी बीस से पचीस की आयु के, को झज्जर जिला, हरियाणा में 15 अक्टूबर को पीट-पीट कर मार दिया गया। पीड़ितों को पुलिस चौकी से भीड़ द्वारा बाहर घसीटा गया। जहाँ उन्होंने शरण ली थी तथा नगर मजिस्ट्रेट झज्जर तथा बहादुरगढ़ के पुलिस उपाधीक्षकों, खंड विकास अधिकारी तथा कम से कम 50 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मार दिया गया।

15.196 दिनांक 31 मार्च, 2003 की अपनी कार्यवाही में, आयोग ने नोट किया कि इसके हस्तक्षेप से हरियाणा सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 50,000/- ₹0 की क्षतिपूर्ति अदा की थी

तथा उन पाँच व्यक्तियों के आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया। राज्य सरकार ने सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्णय किया। इन कार्रवाइयों को नोट करते हुए, आयोग ने हरियाणा सरकार से अनुशासनात्मक कार्रवाई की मौजूदा स्थिति के परिणाम तथा आश्रितों के संबंध में ब्यौरे माँगे जिन्हें राज्य द्वारा रोजगार प्रदान किया गया था।

15.197 प्रत्युत्तर में, अवर सचिव, गृह से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है :-

- (क) मृतक के प्रत्येक परिवार को पाँच लाख रू की क्षतिपूर्ति अदा की गई।
- (ख) पाँच मृतकों, जिन्हें मार दिया गया था, के परिवारों में से एक आश्रित को रोजगार प्रदान किया गया।
- (ग) 11 पुलिस कर्मियों की स्थाई तौर पर दो वेतनवृद्धियाँ रोकने का दंड लगाया गया; और
- (घ) पाँच अन्य पुलिस कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनात्मक जाँच आरम्भ की गई तथा प्रगति पर थी।

15.198 आयोग ने विचार किया कि इस मामले में किसी और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार मामले को बंद किया गया। तथापि, राज्य सरकार से पाँच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जाँच का परिणाम आयोग को सूचित करने के लिए कहा गया, जो प्रगति पर थी।

19) मुम्बई हवाई अड्डे पर आप्रवास अधिकारी द्वारा श्री कुमपामपाडुम थॉमस सकरिमा का उत्पीड़न : महाराष्ट्र (मामला संख्या 263/13/2000-2001)

15.199 आयोग को 25 फरवरी, 2000 को भारतीय मूल के संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिक, कुमपामपाडोम थॉमस सकरिमा से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वे अपने पिता के अन्तिम संस्कार में भाग लेने के लिए, जिनकी केरल में मृत्यु हो गई थी, 6 मार्च 1999 को मुम्बई हवाई अड्डे पर पहुँचे थे। उन्होंने उल्लेख किया कि उनका पासपोर्ट तथा वीजा ठीक होने के बावजूद भी, उनका आप्रवास अधिकारी द्वारा इस आधार पर उत्पीड़न किया गया कि उनकी प्रविष्टि वीजा में हेरा-फेरी की गई है। उन्हें केरल में अपने मूल गाँव में जाने की अनुमति नहीं दी गई बल्कि मुम्बई हवाई अड्डे से उन्हें सीधे वापिस यू. एस. ए. भेज दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि परिणामस्वरूप उन्हें बहुत अधिक मानसिक पीड़ा हुई तथा भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी।

15.200 दोषी सरकारी कर्मचारियों अर्थात् आप्रवास अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामले को ध्यान में रखते हुए, कारण बताने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश क्यों न की जाए। सम्बन्धित सरकारी विभागों के उत्तर प्राप्त करने पर आयोग ने दोहराया कि प्रार्थी को ऐसे समय पर, जब वह अपने पिता की अंत्येष्टि में उपस्थित होने के लिए आए थे, उनके बिना किसी कसूर के प्रविष्टि मना कर दी गई। अतः, आयोग ने प्रार्थी की दुःखद भावनाओं को कम करने के लिए सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

15.201 31 जुलाई 2002 को आयोग ने देखा कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आप्रवास प्राधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं। आयोग ने यह भी देखा कि शिकायतकर्ता तथा उनकी पत्नी को केरल में अपने मूल स्थान तथा भारत में रिश्तेदारों के भ्रमण के लिए निःशुल्क वापसी एयर-पैकेज की पेशकश करने का निर्णय किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संबंधित विभागों के परामर्श से रीतियाँ तैयार की जा रही थीं।

15.202 अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 16 सितम्बर, 2003 के पत्र के तहत सचिव (एफ), गृह मंत्रालय से प्राप्त की गई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार ने वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास को दो मानदेय रिटर्न हवाई टिकटें के. थॉमस तथा उनकी पत्नी को सौंपने की हिदायत दी गई थी ताकि वे क्षतिपूर्ति के रूप में भारत का भ्रमण कर सकें।

15.203 मामले पर विचार करने पर, आयोग ने 20 अक्टूबर, 2003 को शिकायतकर्ता के. थॉमस सकरिया से प्राप्त दिनांक 17 सितम्बर, 2002 के पत्र की प्रति सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उनके उत्तर तथा टिप्पणी हेतु भेजने का निर्देश दिया। आयोग ने गृह मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया कि आयोग को सूचित किया जाए कि क्या थॉमस सकरिया तथा उसकी पत्नी को मानदेय वापसी हवाई टिकटें दे दी गई थीं और यदि हाँ तो कब। मामले में उत्तर की प्रतीक्षा है तथा आयोग द्वारा मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

**20) भुखमरी के कारण होने वाली मौतों को रोकने के उपाय : उड़ीसा
(मामला संख्या 37/3/97-एल. डी. (एफ. सी.)**

15.204 पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में उड़ीसा के के. बी. के. जिलों में भुखमरी के कारण मौतों के आरोपों से निपटने के लिए वर्ष 1996 से आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग को इस मामले पर नज़र रखने के लिए कहे जाने का उल्लेख किया गया है।

15.205 वर्ष 2002–2003 के दौरान, उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुपालन में आयोग ने राज्य सरकार को उड़ीसा राहत कोड के संशोधन के सम्बन्ध में की गई प्रगति सूचित करने का निर्देश दिया तथा डा. अमृता रंगास्वामी, निदेशक, राहत प्रशासन अध्ययन केन्द्र से विपत्ति राहत से सम्बन्धित सुझावों की टिप्पणी शीघ्र प्रेषित करने का भी अनुरोध किया गया।

15.206 प्रत्युत्तर में, उड़ीसा राज्य सरकार ने दिनांक 19 दिसम्बर 2003 के पत्र के तहत के. बी. के. जिलों के लिए संशोधित दीर्घकालिक कार्रवाई योजना के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत सितम्बर, 2003 के अन्त तक किए गए खर्च के सम्बन्ध में वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उड़ीसा राहत कोड के संशोधन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने उल्लेख किया था कि यह प्रक्रियाधीन थी तथा अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी जाएगी। विपत्ति राहत तथा इसकी उपयोग प्रणाली से सम्बन्धित सुझावों की टिप्पणी की अभी भी डा. अमृता रंगास्वामी से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। समय-समय पर मामले की निगरानी आयोग द्वारा की जा रही है।

प्रशासन और संभागीय सहयोग

16.1 आयोग की कुल संस्वीकृत संख्या 341 पदों पर बनी रही। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 306 अधिकारी और कर्मचारी पदासीन थे। आयोग के सचिवालय द्वारा रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जाते रहे। आयोग के लगातार बढ़ रहे कार्यभार के कारण अतिरिक्त कार्य से निपटने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएँ लेना आवश्यक हो गया। चूंकि आयोग को अपना संवर्ग तैयार करने और विकसित करने का कार्य करना है, इसलिए आयोग में कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाएँ जा रहे हैं जिनमें प्रतिनियुक्ति, पुनः रोज़गार, सीधी भर्ती द्वारा कार्मिकों की नियुक्ति शामिल है। इसी दौरान आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को आयोग में समावेशन की प्रक्रिया जारी है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निरीक्षक, सहायक, निजी सहायक, निजी सचिव और स्टॉफ कार चालकों के ग्रेड में स्थाई रूप से कर्मचारियों को समावेशित कर लिया गया है।

क) विशेष सम्पर्ककर्ता

16.2 आयोग की मांग और संवेदनशील उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता के लिए विशेष सम्पर्ककर्ताओं की योजना वर्ष 2003–2004 के दौरान भी जारी रही। श्री चमन लाल ने हिरासतीय न्याय, कारागार सुधार, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, आगरा संरक्षण गृह की कार्य प्रणाली की निगरानी करने तथा आगरा ग्वालियर तथा राँची में तीन मानसिक रोग अस्पतालों जैसे विषयों के लिए विशेष सम्पर्ककर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। उनके द्वारा किए गए कार्य के ब्यौरे अध्याय 4 और 8 में पूरी तरह से शामिल किए गए हैं। श्री के. आर. वेणुगोपाल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी में बंधुआ मजदूरी के विषयों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने कई सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया जिनका लक्ष्य मानव अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन में योगदान देना है। उन्होंने चैन्नई में यूनिसेफ के सहयोग से तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए सेवाओं के अभिबिन्दुता संबंधी राज्य स्तरीय कार्यशालाओं

में भाग लिया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उनके अनुरोध पर बंधुआ मजदूरी पर राज्य उच्च स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा विभिन्न वरिष्ठ सचिवों सहित भाग लिया। सतत् प्रशिक्षण तथा सुग्राहीकरण प्रयासों के भाग के रूप में उन्होंने 'भोजन सुरक्षा तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में नीति निर्माण प्रक्रियाओं' पर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा विभिन्न अन्य केन्द्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बैंगलोर में दो व्याख्यान दिए। इसके अतिरिक्त, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में राष्ट्रीय तथा राज्य प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के संकाय सदस्यों के लिए आयोग तथा भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित "आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर व्याख्यान दिया।

16.2 श्री पी. जी. जे. नम्पूथिरी ने गुजरात राज्य में नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों से सम्बन्धित मामलों जैसे कि गुजरात में गुजरात भूकम्प तथा घटनाएँ जो गुजरात में गोधरा दुर्घटना के पश्चात् घटी की देखभाल करने के लिए विशेष सम्पर्ककर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। उन्होंने राज्य सरकार के साथ समन्वय में आयोग की सहायता करना तथा आयोग की हिदायतों पर गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित सभी मामलों पर रिपोर्ट देना जारी रखा। उन्होंने 13 जून, 2003 को पुणे में गैर-सरकारी संगठनों के पश्चिम क्षेत्रीय परामर्श का भी आयोजन किया। श्री ए. बी. त्रिपाठी ने उड़ीसा तथा झारखंड राज्यों में हिरासतीय न्याय, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी विषयों की देखभाल करने के लिए विशेष सम्पर्ककर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। वे गुवाहाटी में 22 मार्च 2004 को गैर-सरकारी संगठनों के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने में भी सहायक थे। उन्होंने दो राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कई सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन में आयोग की सहायता भी की। उन्होंने झारखंड और उड़ीसा में जेलों का दौरा भी किया। सुश्री अनुराधा मोहित ने विशेष सम्पर्ककर्ता (विकलांगता) के रूप में कार्य करना जारी रखा तथा वे विकलांगता से सम्बन्धित विषयों को देख रही हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य के ब्यौरे अध्याय 2 तथा 12 में शामिल किए गए हैं।

ख) कोर समूह

16.4 जैसा कि आयोग की पूर्व वार्षिक रिपोर्ट में पहले से ही रिपोर्ट दी गई है कि विषयों की विस्तृत श्रृंखला से निपटने के लिए जो समय-समय पर आयोग के समक्ष आते हैं अथवा विभिन्न अधिनियमों, विधेयकों तथा अन्य संविधियों पर अपनी राय देने के लिए आयोग में कई कोर समूह का गठन किया गया है।

16.5 कोर समूह में विशिष्ट क्षेत्रों में लगे निकायों के बहुत विख्यात व्यक्ति अथवा प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो ऐसे समूहों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए स्वेच्छा से सहमत होते हैं।

अब तक, आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों, वकीलों, चिकित्सा व्यावसायिक, विकलांगता के विषय पर विशेषज्ञों के कोर समूह का गठन किया है। इन कोर समूह के कार्यकलापों को इस रिपोर्ट में कहीं अन्यत्र भी सम्बद्ध विषयों के आलेखों में शामिल किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष में आयोग ने विषय से सम्बन्धित गम्भीर मानव अधिकार समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित रचना सहित 'भोजन का अधिकार' संबंधी कोर समूह का गठन करने का निर्णय किया है :-

1. श्री के. आर. वेणुगोपाल
2. डा. अमृता रंगासामी
3. डा. एन. सी. सक्सेना
4. प्रो० जीन ड्रेन
5. प्रो० रवि श्रीवास्तव
6. डा. ए. के. शिवा कुमार

ग) राजभाषा का प्रयोग

16.6 आयोग को हिन्दी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें तथा रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान आयोग के राजभाषा प्रभाग में हिन्दी में लगभग 125 शिकायतें/अभ्यावेदन, शिकायतों के उत्तर, तथा अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 3200 पत्र, शिकायतें/अभ्यावेदन तथा विदेशी भाषाओं में छः पत्र/अभ्यावेदन अँग्रेजी में अनुवाद हेतु प्राप्त हुए। यह अनुभाग आयोग के मासिक समाचारपत्र, वार्षिक रिपोर्ट तथा बजट दस्तावेजों के हिन्दी में अनुवाद के लिए उत्तरदायी है।

16.7 आयोग में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 से 29 सितम्बर, 2003 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।

16.8 मानव अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, हिन्दी में मानव अधिकारों पर सृजनात्मक लेखन पुरस्कार योजना वर्ष 1998 में बनाई गई। वर्ष 2002-2003 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रविष्टियां प्राप्त की गईं। प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया तथा छः लेखकों को 18 मार्च 2004 को आयोजित एक समारोह में नकद पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार विजेताओं के ब्योरे अगले पैराग्राफ में दिए गए हैं।

16.9 डा. के. एस. द्विवेदी ने अपनी 'मानव अधिकार दर्शन' तथा डा. सुशील कुमार भाटिया ने अपनी पुस्तक "भारतीय संस्कृति के पाँच अध्याय" के लिए 25,000 रु० के प्रथम पुरस्कार को आपस में बाँटा। सह-लेखकों डा. (श्रीमती) दीपा सिंह और श्री के. पी सिंह को उनकी पुस्तक 'मानव

अधिकार और पुलिस तन्त्र' के लिए 20,000/- रू0 का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 'मानव अधिकार और पुलिस' नामक पुस्तक के लेखक डॉ. विक्रम सिंह तथा 'मानवाधिकार और विकलांगों के कानूनी अधिकार' के लेखक श्री विनोद कुमार मिश्रा ने 15,000/- रू0 का तृतीय पुरस्कार आपस में बाँटा।

16.10 पहली बार मानव अधिकारों के संरक्षण तथा प्रोन्नति में राजभाषा हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका पर एक दिन की कार्यशाला का 16 मार्च, 2004 को आयोग द्वारा दिल्ली में आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति डा. ए. एस. आनन्द द्वारा किया गया जिन्होंने अपने अधिकारों के बारे में एक आम आदमी को जागरूक बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

16.11 मानव अधिकार शब्दों की द्विभाषी शब्दावली प्रकाशित करने का निर्णय किया गया जो शिकायतों, पुलिस रिपोर्टों तथा अदालती रिपोर्टों आदि की जाँच को सुलभ बनाएगी। शब्दावली का अँग्रेजी-हिन्दी रूपान्तर इस अवधि के दौरान तैयार किया गया तथा मुद्रणाधीन है।

16.12 आयोग ने मानव अधिकार विषयों से सम्बन्धित प्रसिद्ध लेखकों के लेखों को समाविष्ट करते हुए प्रतिवर्ष हिन्दी पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय किया। श्रीमती महाश्वेता देवी, एक प्रसिद्ध लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पत्रिका की अवैतनिक मुख्य सम्पादक हैं जिसके अगले वर्ष के आरम्भ में प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है।

16.13 मानव अधिकारों सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय समझौतों, प्रसंविदाओं तथा समझौतों का हिन्दी में अनुवाद करने का निर्णय भी किया गया। अनुवाद कार्य इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। अनूदित रूपान्तर के अगले वर्ष के आरम्भ में प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है।

घ) पुस्तकालय

16.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पुस्तकालय मुख्य रूप से आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनुसंधान तथा सन्दर्भ प्रयोजनों हेतु है। तथापि, यह मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे इन्टर्नॉ, अनुसंधान छात्रों तथा अन्यो को परामर्श सुविधाएँ प्रदान करता है। यह अन्तर-पुस्तकालय ऋण सुविधा के माध्यम से नई दिल्ली में लगभग सभी पुस्तकालयों से सम्पर्क बनाए रखता है। इस समय पुस्तकालय में 10,084 पुस्तकें, 33 जर्नल, 26 पत्रिकाएँ, 23 समाचार पत्र (5 क्षेत्रीय समाचार पत्रों सहित) आते हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान पुस्तकालय में मानव अधिकारों अथवा मानव अधिकार विषयों से सम्बद्ध 2260 नई पुस्तकें शामिल की गई हैं।

च) निधियाँ

16.15 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 32 के अन्तर्गत, संसद के समुचित मूल्यांकन के बाद अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2003–2004 के दौरान, आयोग के सहायता अनुदान के रूप में संशोधित अनुमानों के अन्तर्गत 1133 लाख रु (1033 लाख रु0 गैर योजना तथा 100 लाख रु0 योजनागत) प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान आयोग का व्यय 1061.15 लाख रु0 था।

16.16 आयोग के लेखें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (लेखों का वार्षिक विवरण) नियम 1996 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2001–2002 के आयोग के लेखों की लेखा-परीक्षा की तथा लेख मुद्रणाधीन हैं, इसके पश्चात् मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 34 के अन्तर्गत अपेक्षानुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख दिए जाएंगे। वर्ष 2002–2003 के लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की ओर से लेखा-परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली द्वारा फरवरी 2004 में की जा चुकी है। इस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

छ) मानवाधिकार भवन

16.17 अपने प्रारम्भ से आयोग अपनी हैसियत तथा एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था के अनुरूप अपना स्वयं का कार्यालय भवन रखने का इच्छुक रहा है। रिपोर्ट किए गए वर्ष में, आयोग ने स्वयं के कार्यालय भवन रखने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। 'मानवाधिकार भवन' का आई. एन. ए. क्षेत्र में कार्यालय काम्पलेक्स के ब्लॉक 'सी' में आबंटित स्थान पर निर्माण किया जाएगा। भूमि लागत तथा भवन निर्माण के लिए अब तक शहरी विकास/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 1.62 करोड़ रु की राशि जारी की जा चुकी है। यद्यपि भवन निर्माण के लिए आई. एन. ए. क्षेत्र में रा0 मा. अ0 अ0 को एक ब्लॉक आबंटित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है, शहरी विकास मंत्रालय को अभी निर्माण आरम्भ करना है। उससे पूर्व औपचारिकताएँ पूर्ण होनी हैं। भवन निर्माण के शुरू होने में अनावश्यक विलम्ब के संबंध में आयोग अपनी चिन्ता प्रकट करता है तथा आशा व्यक्त करता है कि यह बिना किसी और विलम्ब, मंत्रालय से बिना विलम्ब के भवन निर्माण आरम्भ करने का अनुरोध करता है।

अध्याय – 17

प्रमुख सिफारिशों और टिप्पणियों का सार

17.1 वर्ष 2003–2004 की वार्षिक रिपोर्ट में निहित प्रमुख सिफारिशें और टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

17.2 आयोग एक बार फिर जोर देना चाहेगा कि संसद के समक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट रखने में विलम्ब से न केवल आयोग सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में पुनर्निवेशन प्राप्त करने से अपितु संसद सदस्य तथा लोग शीघ्र तथा अत्याधिक उपयुक्त समय पर इसकी विषय-वस्तु पर चर्चा करने से वंचित रहते हैं। इस प्रकार, आयोग की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष शीघ्र रखने का केन्द्र से आग्रह करता रहा है। इसकी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत परिकल्पना की गई है। (पैरा 1.4)

गुजरात से सम्बन्धित विषय

17.3 वर्ष 2003–2004 (मौजूदा रिपोर्ट में समीक्षाधीन अवधि) के दौरान गुजरात विषय में एक मुख्य प्रगति इस मामले का परीक्षण था जिसे “बेस्ट बेकरी कांड” के रूप में जाना जाता है। 21 मुलज़िमों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। परीक्षण 20 फरवरी, 2003 को फास्ट ट्रैक न्यायालय के समक्ष आरम्भ हुआ। परीक्षण न्यायालय ने 21 जून, 2003 को अभियोजन तथा बचाव पक्ष की बहस सुनी तथा अपना निर्णय सुरक्षित रखा। यह 27 जून, 2003 को सुनाया गया तथा सभी 21 मुलज़िमों को दोषमुक्त कर दिया गया। (पैरा 3.2)

17.4 आयोग ने गुजरात सरकार से 30.6.2003 को परीक्षण न्यायालय के फैसले की प्रति पर की गई कार्रवाई पर सूचना सहित, यदि कोई हो तो, माँगी, जिसका दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध करने का प्रस्ताव हो। तथापि, आयोग के 30 जून, 2003 के पत्र का मुख्य सचिव से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात्, आयोग ने परीक्षण न्यायालय से परीक्षण का रिकार्ड एकत्र करने के लिए अधिकारियों की एक टीम बड़ोदरा भेजी। अपनी टीम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तथा आयोग के

समक्ष कुमारी शेख जाहिरा बीबी के बयान जिसमें उन्होंने मामले की पुनः सुनवाई के लिए सहायता की गुहार की थी, सहित अन्य सम्बद्ध सामग्री नोट करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 30 जुलाई, 2003 को धारा 18(2) के प्रावधानों तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में उल्लिखित अन्य अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। विशेष अनुमति याचिका में, आयोग ने न केवल बेस्ट बेकरी मामले में सभी दोषियों के दोषमुक्त करने के परिणामस्वरूप न्याय हत्या का मामला उठाया अपितु आपराधिक न्याय हस्तान्तरण की विश्वसनीयता को छूते हुए बड़े विषयों, जुर्म के गवाहों तथा पीड़ितों की सुरक्षा; निष्पक्ष विचारण की अभिधारणा तथा दिशा-निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता, मामले की असफलता के पश्चात् मामले के संबंध में, विशेष रूप से गम्भीर मामलों में, विचारण के दौरान गवाहों के मुकर जाने के कारण मामले को भी उठाया। आपराधिक न्याय डिलीवरी पद्धति की विश्वसनीयता पुनः स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता थी, जिसे गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बेस्ट बेकरी कांड की पुनः "जाँच" तथा गुजरात से बाहर इसके "पुनः विचारण" के आदेश की भी प्रार्थना की। बेस्ट बेकरी कांड में दोषमुक्त आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए हैं तथा याचिका में उठाए गए अन्य मुद्दे अभी भी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं। (पैरा 3.6)

17.5 आयोग गुजरात राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को राहत, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन के सम्बन्ध में निरन्तर चिन्तित रहा है जो गोधरा दंगों के पश्चात् विस्थापित हो गए थे। आयोग ने इस संबंध में कई उपायों का प्रस्ताव रखा था। तथापि, आयोग का अनुभव रहा है कि राज्य सरकार पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों का उत्तर देने में कम सहयोगी रहा है। आयोग के प्रयासों से बदनसीब पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास के सम्बन्ध में किसी ठोस अतिरिक्त उपाय अथवा पर्याप्त शीघ्र उपाय आरम्भ नहीं हुए हैं। (पैरा 3.21)

आतंकवाद तथा मानव अधिकार

17.6 चूंकि आतंकवाद का उद्देश्य लोक समाज को अस्थिर करना तथा राज्य संस्थानों को दुर्बल बनाना है, अतः यह आवश्यक है कि इसका मज़बूती से प्रतिरोध किया जाए। अतः आयोग अपने विश्वास को दोहराना चाहेगा कि सिविल सोसायटी के सभी तत्वों द्वारा समर्थित राज्य की पुलिस तथा सशस्त्र बलों की ड्यूटी आतंकवाद से लड़ना तथा उन्मूलन करना है। तथापि यह इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह गणराज्य के संविधान, देश के कानूनों, देश के नियमों तथा संधि वचनबद्धता को बनाए रखें। (पैरा 4.4 तथा 4.6)

17.7 आयोग यह स्वीकार करता है कि मानव अधिकारों का उचित अनुपालन शान्ति तथा सुरक्षा की प्रोन्नति का विरोधी नहीं है। इसके विपरीत, स्थायी शान्ति तथा दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा मानव अधिकारों के लिए आदर संबंधी निष्ठा पर निर्भर करती है। अतः, यह समझा जाता है कि उठाए गए आतंकवाद विरोधी उपाय लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए जो हमारी सोसायटी के मूलभूत मूल्य हैं। (पैरा 4.5)

17.8 आयोग ने सशस्त्र बलों का ध्यान सशस्त्र बलों (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की आवश्यकता तथा कुछ परिस्थितियों के संबंध में भारतीय दंड संहिता में निर्धारित प्रावधानों तथा सिद्धान्तों की आवश्यकताओं और अर्थ की ओर ध्यान आकर्षित करना जारी रखा जिसमें कि बल प्रयोग को मृत्यु हो जाने तक बढ़ाया जा सकता है। (पैरा 4.7)

17.9 आयोग को अपनी पिछली रिपोर्ट में सशस्त्र बलों के सम्बन्ध में अपनी पूर्व सिफारिशों की ओर एक बार फिर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ इस विचार सहित कि केन्द्र सरकार को अर्ध सैनिक बलों सहित सशस्त्र बलों को निर्देश देना चाहिए कि अभिरक्षण में व्यक्ति की मृत्यु के मामले में आयोग को रिपोर्ट दें जैसे कि पुलिस द्वारा किया जाता है। यदि इस अपेक्षा का अनुसरण किया जाता है तो यह हिरासतीय हिंसा तथा अतिरिक्त आपराधिक हत्याओं को समाप्त करने में बहुत सहायक होगी। ऐसे विकास से अर्ध सैनिक बलों सहित सशस्त्र बलों का आचरण बदल जाएगा तथा ऐसे किसी आरोप को कम करेगा जिन्हें उनके विरुद्ध उठाया जाता है। (पैरा 4.9)

हिरासतीय हिंसा

17.10 हिरासतीय हिंसा पुलिस तथा आम लोगों के बीच खाई पैदा करती है। गिरफ्तारी में पारदर्शिता, अन्तरालों पर चिकित्सा जाँच, ईमानदारी से रिकार्ड रखना, मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, उन्नत जाँच दक्षता हिरासतीय हिंसा की घटनाओं को कम करने के कुछ साधन हैं। आयोग का यह भी मत है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित मानव अधिकार सैलों को इस सम्बन्ध में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह सभी सरकारों से ऐसे मामलों पर अधिक ध्यान देने का आग्रह करता है। (पैरा 4.19 तथा 4.24)

17.11 अक्टूबर, 1993 में आयोग की स्थापना से, अब तक पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षण में हुई कुल 10,058 मौतों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। न्यायिक अभिरक्षण में हुई मौतों के विश्लेषण से बेहतर कारागार प्रबन्ध चिकित्सा कर्मचारी सहित उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित तथा अधिक वचनबद्ध

कर्मचारियों, कारागारों की क्षमता में सुधार की माँग की गई ताकि मानसिक बीमारी तथा सहवासियों में रूग्णता से निपटा जा सके। आयोग अपनी सिफारिशों को दोहराता है कि इन सभी क्षेत्रों में, सभी राज्य सरकारों को अधिक ध्यान देना चाहिए। (पैरा 4.27)

मुठभेड़ में हुई मौतें

17.12 आयोग ने पुलिस के साथ मुठभेड़ों में हुई मौतों से निपटने में सभी राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए। ये 29.3.1997 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को परिचालित किए गए। सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी लाने के उद्देश्य से, आयोग ने 2.12.03 को मौजूदा दिशा-निर्देशों का संशोधन किया। यह जोर दिया गया कि सभी राज्यों को पुलिस मुठभेड़ों से उत्पन्न मौतों के सभी मामलों की सूचना आयोग को अवश्य भेजनी चाहिए। आयोग ने सभी राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति के संशोधन की भी सिफारिश की। (पैरा 4.29 तथा 4.30)

17.13 सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा प्रशासकों को राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों के सभी मामलों का छमाही विवरण पुलिस महानिदेशक के माध्यम से क्रमशः जनवरी तथा जुलाई के 15 वें दिन तक इस प्रयोजन हेतु तैयार किए गए प्रपत्र में आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया है। (पैरा 4.31)

पुलिस सुधार तथा आपराधिक न्याय पद्धति

राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस की स्वतन्त्रता की आवश्यकता तथा कार्यकुशलता में सुधार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने के उपायों का विभिन्न विशेषज्ञों तथा संगठनों द्वारा समय-समय पर उल्लेख किया गया है। कई पुलिस आयोगों ने पुलिस संगठनात्मक संरचना तथा कार्य प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं परन्तु इन रिपोर्टों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। (पैरा 4.35)

17.15 आयोग की पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में इसकी सिफारिशों जैसे कि देश में पुलिस की कोर्ट में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। आयोग अपने पूर्व आधार को दोहराना चाहता है कि पुलिस को आधुनिक बनाने के उपायों का स्वागत है तथा यह आवश्यक भी है परन्तु पुलिस बल में आवश्यक क्रमबद्ध सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। (पैरा 4.37)

17.16 वर्ष 2000–2001 की वार्षिक रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया गया कि की गई कार्रवाई ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख था कि पदमानाभईया समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं तथा राज्य सरकारों से उनसे सम्बद्ध सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में की गई प्रगति की उच्चतम स्तर पर समीक्षा/अनुवीक्षण की आवश्यकता है। (पैरा 4.38)

17.17 आयोग शिकायतें प्राप्त करने के साथ-साथ पुलिस के गलत कामों तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन में उनकी सहापराधिता तथा उन लोगों जिन्हें नुकसान हुआ है, उन लोगों को न्याय दिलाने में असफलता की शिकायतें प्राप्त कर रहा है। आयोग ने 27.2.2002 को गोधरा में त्रासदी से आरम्भ करते हुए गुजरात में मानव अधिकारों के व्यापक उल्लंघनों का अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में हवाला दिया है। आयोग की विभिन्न कार्रवाईयों तथा प्रारंभिक रिपोर्टों में सिफारिश किए गए विभिन्न पुलिस सुधारों को दृढ़ता से कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों से आयोग एक बार फिर आग्रह करता है। (पैरा 4.39)

17.18 उच्चतम न्यायालय ने 1993 में शीला बारसे बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को मात्र मानसिक बीमारी के आधार पर जेल में न रखा जाए। आयोग ने पाया कि कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 1996 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों को लिखा था तथा इसके सख्ती से अनुपालन का उनसे अनुरोध किया था। (4.91)

17.19 जैसा कि पिछली रिपोर्टों में संकेत दिया गया है, आयोग "स्टेट ऑफ दी आर्ट फोरनसिक साईंस : फोर बेटर क्रिमिनल जस्टिस" नामक रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से आग्रह करता रहा है। यह रिपोर्ट आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के कोर समूह द्वारा तैयार की गई थी। (पैरा 4.100)

17.20 आयोग ने नोट किया है कि निश्चित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कदम उठाए गए हैं। वर्ष के दौरान, गृह मंत्रालय से निम्नलिखित पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है :-

- (i) कोर समूह द्वारा की गई शेष सिफारिशों पर कार्रवाई;
- (ii) कोर समूह द्वारा किए गए निर्णय का कार्यान्वयन; और
- (iii) गृह मंत्रालय के दिनांक 13.11.2001 के पत्र का राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तर, यदि कोई हो तो । (पैरा 4.101 तथा 4.102)

कानूनों में संशोधन

17.21 सांविधिक आयोग द्वारा अनुमोदित बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929 में पर्याप्त परिवर्तनों की सिफारिश करते हुए प्रारूप बाल विवाह निरोध विधेयक सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को विचारार्थ तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजा गया था। प्रारूप विधेयक की एक प्रति गृह मंत्रालय तथा विधि तथा न्याय मंत्रालय को भी सूचनार्थ भेजी गई थी। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस विषय पर आयोग को शीघ्र उत्तर देने के लिए एक बार पुनः स्मरण कराया गया है। (पैरा 5.9 तथा 5.10)

17.22 वर्ष 2001-02 की आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में सरकार ने उल्लेख किया है कि अन्तर-मंत्रालय समिति ने, जिसे अधिनियम के उद्देश्यों तथा कारणों, अन्य आयोगों की भूमिका तथा उनकी कार्यप्रणाली के समग्र सन्दर्भ और समाज-राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रस्तावित संशोधनों की जाँच के लिए स्थापना की गई थी, उसकी जाँच अब पूरी कर ली गई है तथा निष्कर्ष कार्रवाई हेतु सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं। सरकार द्वारा मामले में अपने विचारों को अन्तिम रूप शीघ्र दिए जाने की सम्भावना है। आयोग खेद तथा दुःख की भावना के साथ टिप्पणी करता है कि इन संशोधनों को आज तक लागू नहीं किया गया है। आयोग को आशा है कि सरकार और अधिक समय गंवाए बिना संशोधनों को शीघ्र अधिसूचित करेगी। (पैरा 5.15 तथा 5.17)

17.23 आयोग सरकार के सन्दर्भित उपर्युक्त प्रस्ताव में अधिनियम की धारा 19 में प्रस्तावित विशिष्ट संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेगा। वर्ष 2000-01 तथा वर्ष 2001-02 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्टों पर प्रस्तावित की गई कार्रवाई रिपोर्टों में, सरकार ने मत दोहराया है कि अधिनियम की धारा 19 के विद्यमान प्रावधानों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आयोग अपने पूर्व मत को दोहराना चाहेगा कि सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघनों के आरोपों की मौजूदा जाँच पद्धति सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है। आयोग इस मामले में सरकार से अपने मत की समीक्षा करने का एक बार पुनः आग्रह करना चाहेगा। (पैरा 5.16)

17.24 आयोग ने अपनी प्रारंभिक वार्षिक रिपोर्टों में सिफारिश की थी कि भारत सरकार सशस्त्र झगड़े में बच्चों के शामिल होने तथा बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील साहित्य से सम्बन्धित बच्चों के अधिकारों पर अभिसमय के वैकल्पिक पूर्वलेख 1 तथा 2 की जाँच करें तथा एक पार्टी बनें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, महिला तथा बाल विकास विभाग ने आयोग को सूचित किया कि उन्होंने गृह मंत्रालय सहित सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों को उनकी टिप्पणी तथा विचारों

के मंत्रिमंडल हेतु प्रारूप नोट को परिचालित कर दिया है। तथापि, मंत्रालय को आयोग से की गई सिफारिशों पर अभी अपना निर्णय सूचित करना है। (पैरा 5.18)

17.25 आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्टों में जोर दिया है कि भारत उत्पीड़न के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समझौते का अनुसमर्थन करना चाहिए। आयोग इस समझौते के अनुसमर्थन में हुए विलम्ब से चिन्तित है तथा आशा करता है कि भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय अनुसमर्थन प्रक्रिया पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। (पैरा 5.20)

17.26 आयोग का पक्का मत है कि अंतरराष्ट्रीय कानून में विकलांगता के विषय पर बाध्यकारी दस्तावेज विकलांगता के विषय को "महत्व, प्राधिकार तथा स्पष्टता" प्रदान करेगा जो मौजूदा अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों तथा अनुवीक्षण यंत्र (मैकेनिज़म) को सुधार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह यह भी मानता है कि विकलांग व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में मौजूदा अधिकारों को अनुकूल बनाने से, समझौते के कारण राज्य पार्टियाँ स्पष्ट शब्दों में अपनी जिम्मेदारी को समझ सकेंगी तथा यह पद्धति प्रक्रियाओं को शामिल करके विकलांगता के विकास के लिए स्पष्ट निर्धारण कर सकेंगी। (पैरा 5.41)

17.27 विकलांग लोगों की अन्तर्निहित गरिमा, स्वायत्तता तथा भागीदारी के अधिकार तथा महत्वपूर्ण भूमिका, जो सरकार के सभी क्षेत्रों का विकलांगता सहित सोसायटी सृजन करने में है, को मान्यता देते हुए, आयोग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को सलाह दी है:

- 1) विभिन्न विकलांगता संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे विकलांग लोगों के परामर्श से विकलांगता विषयों का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
- 2) विकलांगता आयाम को शामिल करने तथा भेदमूलक प्रावधानों को दूर करने के लिए विकास कार्यक्रमों तथा स्कीमों की क्रमबद्ध समीक्षा आरम्भ करना।
- 3) विकलांगता विशेष कार्यक्रमों और स्कीमों को लागू करना जहाँ विकलांग लोगों द्वारा बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना सम्भव न हो।

सरकार से प्रत्युत्तर तथा अनुवर्ती कार्रवाई की प्रतीक्षा है। (पैरा 5.46)

स्वास्थ्य तथा मानव अधिकार

17.28 देश में आपात् चिकित्सा सेवा की मौजूदा पद्धति पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है तथा उसके अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। आपात् चिकित्सा सेवा संबंधी आयोग द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट से कमियाँ उजागर हुईं जो मौजूदा आपात् चिकित्सा सेवा में विद्यमान

है जिसमें राष्ट्रीय दुर्घटना नीति के प्रतिपादन तथा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में आपात् चिकित्सा सेवाओं के लिए केन्द्रीय समन्वय, सरलीकरण, प्रबोधन तथा नियन्त्रण समिति की स्थापना शामिल है। 11 मई, 2004 को आयोग ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार तथा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों से उन सिफारिशों पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई आरम्भ करने तथा आयोग को की गई कार्रवाई की सूचना सूचित करने के लिये कहा। (पैरा 6.9)

17.29 आयोग ने मानव अंगों के अवैध व्यापार का मुद्दा उठाया तथा इसे स्वास्थ्य संबंधी कोर ग्रुप को भेजा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर समूह की सिफारिशों पर आधारित, आयोग के अध्यक्ष ने कार्रवाई आरम्भ करने का आग्रह करते हुए 29 जनवरी 2004 को भारत के प्रधानमंत्री तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे। अनुवर्ती कार्रवाई की प्रतीक्षा है। (पैरा 6.13 तथा 6.14)

17.30 आयोग ने आँध्र प्रदेश में एड्स द्वारा उत्पन्न गम्भीर आशंका पर एन. डी. टी. वी. द्वारा दी गई मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया। आयोग ने सिफारिश की कि (क) लोक स्वास्थ्य कार्रवाई का फोकस माता से वायरस के बच्चे में संचारण को रोकना होना चाहिए तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उपायों को केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य नीति निर्माताओं से उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए और (ख) नवम्बर, 2000 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा यू. एन. एड्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय परामर्श की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप एच. आई. वी./एड्स की रोकथाम के लिए व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुकूल होना चाहिए। आयोग का मत है कि स्कूलों/कालेजों तथा आम लोगों में एच. आई. वी./एड्स के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा नवीकृत प्रयास किए जाने चाहिए। (पैरा 6.16, 6.17 तथा 6.19)

महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार

17.31 11 तथा 12 नवम्बर, 2002 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया तथा प्रशांत मंच की परामर्शी विधिवेत्ता परिषद् ने अपनी सातवीं वार्षिक बैठक में महिलाओं तथा बच्चों में देह-व्यापार रोकने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका विचार किया तथा अपनी अन्तिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। परामर्शी विधिवेत्ता परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट में देह-व्यापार के विषय पर परिषद् की सिफारिशें शामिल हैं। बाद में, आयोग ने 3.9.2003 को हुई अपनी बैठक में परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को अपनी रिपोर्ट में समाविष्ट किया। तदनुसार, यह रिपोर्ट

सम्बन्धित मंत्रालयों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई कि सिफारिशों पर की गई कार्रवाई आयोग को सूचित की जाए। (पैरा 7.13 तथा 7.14)

17.32 आयोग ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उसने संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष तथा मुम्बई में स्थित गैर-सरकारी संगठन महिला सामाजिक शिक्षा संस्थान के सहयोग से 12 जनवरी, 2003 को मुम्बई में सेक्स टूरिज़्म तथा देह व्यापार की रोकथाम पर एक दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किया था। आयोग ने सुग्राहीकरण कार्यक्रम के दौरान की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं तथा इच्छा व्यक्त की कि अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। आयोग ने इन सिफारिशों को उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पर्यटन सचिवों तथा महिला कल्याण के प्रभारी सचिव को भेज दी हैं तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजने का अनुरोध किया। आयोग को संघ/राज्य सरकारों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी हैं। (पैरा 7.15)

17.33 आयोग के अनुरोध पर, आयोग द्वारा स्थापित गैर सरकारी संगठनों सम्बन्धी कोर समूह के एक सदस्य एक्शन एड इंडिया ने उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के नाम में 13.8.1997 के अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु एक सर्वेक्षण आरम्भ करने के लिए अपनी सेवा अर्पित की। आयोग ने नौ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में लगभग 850 सरकारी कार्यालयों में, जिसमें राज्य तथा जिला स्तरीय विभाग, निदेशालय तथा संस्थान शामिल हैं, सर्वेक्षण आयोजित किया। रिपोर्ट सभी सम्बद्ध क्षेत्रों को भेजी गई। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है। आयोग को आशा है कि एक्शन एड द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों पर उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। (पैरा 7.21 तथा 7.23)

17.34 रेलों में महिला यात्रियों के उत्पीड़न का विषय आयोग का अत्यन्त चिन्ता का विषय रहा है। वर्ष 202-2003 की वार्षिक रिपोर्ट में, आयोग ने कुछ सिफारिशों तथा उन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई जो उसने रेलवे बोर्ड को भेजी थी, सूचीबद्ध की। आयोग ने इस पर विशेष ध्यान दिया कि देश में विभिन्न स्थानों को रेलों द्वारा सफर कर रही हजारों महिला यात्रियों में सुरक्षा भावना तथा सान्त्वना देने के लिए उसके द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें रेलवे बोर्ड को अभी कार्यान्वित करनी हैं। (पैरा 7.24 से 7.27)

17.35 अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में, आयोग ने उल्लेख किया कि उसे परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से नई दिल्ली में 9 और 10 जनवरी, 2003 को जनसंख्या नीति-विकास तथा मानव अधिकार पर एक वार्तालाप आयोजित की थी। यह भी रिपोर्ट दी गई थी कि वार्तालाप में की गई सिफारिशें तथा पारित घोषणा

पत्र अनुपालन हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजा गया था। आयोग को आशा है कि राज्य सरकारें उस महत्वपूर्ण विषय पर उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट आयोग को शीघ्र भेजेंगी जिनका सोसायटी के कमजोर वर्गों के अधिकारों पर प्रभाव है। (पैरा 7.43 से 7.46)

कमजोरों के अधिकार

17.36 आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उचित कार्यान्वयन हेतु सिफारिशों की एक विस्तृत सूची भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों और राज्य सरकारों को भेजा है। प्राप्त की गई प्रगति रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि विकलांगता से सम्बन्धित नीति कल्याणकारी रूप में व्यक्त की गई है। विकलांगता स्कीमों तथा कार्यक्रमों का बल विकलांग व्यक्तियों पर केन्द्रित है तथा क्रमबद्ध तथा संरचनात्मक अपर्याप्तताओं को सुधार करने में संगत अपेक्षा है। (पैरा 8.79)

17.37 राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों तथा चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में, विकलांगता अधिनियम 1995 के उपयुक्त कार्यान्वयन का सक्रिय प्रभाव बिलकुल स्पष्ट है। तथापि, अधिकांश राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण सुधार दर्ज नहीं किए गए। (पैरा 8.80)

17.38 संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में प्रविष्टि 9 के अनुसार, 'विकलांगों तथा अनियोज्य को राहत,— विषय की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संविधानात्मक आदेश के बावजूद, अधिकांश राज्य सरकारों ने न तो अभी तक कोई कानून लागू किया है और न ही विकलांगता पर राज्य नीति लागू की है। कुछ स्कीमों में छात्रवृत्तियाँ, पेंशन, सहायक यंत्र, ब्रेल पुस्तकें, पारी से बाहर मकान आदि प्रदान करने के लिए आरम्भ की गई हैं, परन्तु उनका प्रभाव महत्वहीन रहा है। (पैरा 8.82)

17.39 जबकि यह प्रतीत हुआ कि कुछ राज्यों में गैर अधिसूचित जनजातियों तथा खानाबदोश जनजातियों को समाज के गैर लाभान्वित वर्गों की अन्य श्रेणियों के साथ जोड़ने तथा उन्हें उपयुक्त लाभ प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे, आयोग को व्यक्तियों, जो गैर अधिसूचित जनजातियों तथा खानाबदोश जनजातियों में शामिल हैं, के मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की शिकायतें प्राप्त होनी जारी हैं। आयोग ने यह भी देखा कि वास्तविक स्थिति अभी भी विद्यमान है जिसमें उन समूहों से सम्बन्धित व्यक्तियों को मनमाने तथा भेदमूलक उपचार के लिए अलग किया जाता है। (पैरा 8.93)

17.40 आयोग महसूस करता है कि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विधिवत् वित्त पोषित हॉफ वे होम की स्थापना हेतु तीनों मानसिक अस्पतालों की तत्काल आवश्यकता है। आयोग को आशा है कि मंत्रालय इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेगा। (पैरा 8.141)

17.41 देश में मानसिक अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने तथा मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से, आयोग ने “मानसिक अस्पतालों की गुणवत्ता का आश्वासन” पर अनुसंधान परियोजना राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर को सौंपी। विमहंस द्वारा तैयार की गई “मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता का आश्वासन” नामक रिपोर्ट आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी मानसिक अस्पतालों तथा राज्य स्वास्थ्य सचिवों को भेजी गई। वर्ष 2001–2002 में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई ज्ञापन के अनुसार, सरकार ने आयोग के विचार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिए हैं कि मानसिक अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के उचित देखरेख के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। यद्यपि कुछ राज्यों ने अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट दी है, खेद है कि समय-समय पर उन्हें समझाने के बावजूद भी अन्य राज्यों का उत्तर उत्साहवर्धक नहीं रहा है। (पैरा 8.144)

17.42 आयोग ने देखा कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से भूल चूक के कोर्यों के परिणामस्वरूप कुशासन से देश के कुछ भागों में भुखमरी के कारण मौतों की रिपोर्ट है, यह आयोग की चिन्ता का विषय है। उचित कार्रवाई के पश्चात् आयोग ने कहा कि भोजन प्राप्त करना लोगों का मौलिक अधिकार है। अतः भुखमरी उस अधिकार का घोर वंचन तथा उल्लंघन है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, यद्यपि संविधान भोजन के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य अंग मानता है, राहत प्रशासन का संचालन कर रही राहत पुस्तिकाएँ तथा राहत कोड 1910 के मॉडल भुखमरी कोड की प्रतिकृति है जिसके अन्तर्गत राज्य की ओर से उपचार की कार्रवाई के रूप में राहत दी जाती है ‘लाभार्थी’ की स्थिति राज्य की दयाद्रता से प्राप्त करने वालों जैसी ही है। (पैरा 8.150 तथा 8.151)

17.43 आयोग का ध्यान फ्लयूरोसिस, एक दुःखद तथा भयावह बीमारी की ओर आकर्षित किया गया है जो पीने के पानी में अतिरिक्त फ्लोराइड आयन में पता लगाई जा सकती है। आयोग के महासचिव ने इस बीमारी से प्रभावित 19 राज्यों के मुख्य सचिवों तथा सचिव स्वास्थ्य, भारत सरकार को पत्र लिखे हैं जिसमें उनके राज्यों में अस्पतालों की संख्या संबंधी सूचना मांगी है जिनमें फ्लयूरोसिस का ठीक ठीक पता लगाने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ हैं। इसमें राज्य राजधानियों में जिला अस्पतालों, शिक्षण अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों के बारे में सूचना तथा उनके राज्यों में फ्लयूरोसिस के शीघ्र निदान के कौन से जाँच/परीक्षण किए जाते हैं तथा उनके राज्यों में प्रति अस्पताल में फ्लयूरोसिस की निदानात्मक सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना

में क्या लागत आएगी। आयोग को केवल गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्राप्त हुए हैं। आयोग ऐसे विषय पर, जिसका लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव है तथा जिन्हें अपने मूल अधिकारों में से एक अर्थात् पीने के स्वच्छ जल से वंचित किया गया तथा जिसका परिणाम देश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित बड़ी जनसंख्या की दुर्दशा है, राज्य सरकारों से प्रत्युत्तर में कमी को लेकर चिन्ताग्रस्त है। (पैरा 9.17)

17.44 पिछली वार्षिक रिपोर्टों में, वृहत् परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर आयोग के विचार विस्तार से दिए गए थे। आयोग ने मत व्यक्त किया कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण के जरिए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का एक भाग होना चाहिए अथवा इसके लिए अलग उपयुक्त कानून बनाए जाए ताकि सम्बन्धित विषय वादयोग्य हो सके। आयोग नागरिकों के, जिन्हें उनकी अपनी भूमि से विस्थापित किया गया है तथा जिन्हें पर्याप्त तथा सामयिक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं है, अधिकारों की रक्षा के लिए उसके द्वारा की गई सिफारिशों के प्रति सकारात्मक तौर पर उत्तर देने में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की ओर से अनियत विलम्ब को दुःख के साथ नोट करता है। इन्हें अपना प्रबन्ध स्वयं करना है। (पैरा 9.18 तथा 9.19)

17.45 भारत का संविधान 29(1) मान्यता देता है कि भारत के क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग में रह रहे नागरिकों के किसी वर्ग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, अपनी भाषा बोलने का अधिकार होगा। आयोग का मत है कि सामान्य भारतीय चिह्न भाषा को क्रमबद्ध ढंग से विकसित करने तथा मान्यता देने की आवश्यकता है। (पैरा 10.11)

अनुसंधान परियोजनाएँ

17.46 जैसा कि आयोग की अन्तिम वार्षिक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है, कि आयोग ने अपनी परियोजना नामित “आप्रेसन ओएसिस” के लिए कोलकाता आधारित गैर-सरकारी संगठन, सेवक को तृतीय वर्ष के लिए वित्तीय सहायता दी। सेवक की रिपोर्ट की जाँच की गई तथा यह पाया गया कि यद्यपि मानसिक बीमारी सहित सहवासियों की देखरेख एक सतत् अपेक्षा रहेगी, इन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के प्रावधानों का भी अनुसरण करना चाहिए। इस संबंध में राज्य का प्रत्युत्तर बहुत अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है। (पैरा 10.14 तथा 10.18)

मानव अधिकार शिक्षा

17.47 पिछली वार्षिक रिपोर्टों में, आयोग ने मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार करने के महत्व को रेखांकित किया तथा इस तथ्य पर चिन्ता भी व्यक्त की कि यह मामला कितने समय से लम्बित है। आयोग सरकार से ऐसे कदम उठाने का आग्रह करता है जो राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के विकास को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक है, जो देश में मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों को क्रमबद्ध ढंग से निपटाने में बहुत सहायता करेगी। (पैरा 11.2)

17.48 मानव अधिकार शिक्षा 1995–2004 के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक को अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर नीति निर्माण में मानव अधिकार शिक्षा को उत्प्रेरक यंत्र के रूप में वर्णित किया गया है (संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज ए/55/360 देखें)। मानव अधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी उप-आयोग ने मानव अधिकार शिक्षा के लिए द्वितीय दशक की घोषणा करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का विचार है कि ऐसी पहल का समर्थन किया जाना चाहिए। आयोग को आशा है कि मानव अधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन सावधानीपूर्वक, क्रमानुसार होगा तथा सिविल सोसायटी के सभी वर्ग शामिल होंगे। (पैरा 11.9)

प्रशिक्षण

17.49 आयोग ने ब्रिटिश काउन्सिल तथा एक गैर सरकारी संगठन उत्पीड़न तथा हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए शुभोदय केन्द्र की साझेदारी में 'प्रोमोटिंग गुड कस्टोडियल प्रैक्टिसस' संबंधी परियोजना आरम्भ की है। चुने हुए प्रशिक्षकों के ब्रिटिश काउन्सिल द्वारा यू.के. के अध्ययन दौरे की व्यवस्था की गई थी तथा विदेश मंत्रालय से अनुमति माँगी गई थी। तथापि, मंत्रालय ने ब्रिटिश काउन्सिल की भूमिका पर आपत्ति उठाई तथा महसूस किया कि यह भारत में अपने परिभाषित अधिक्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा था। आयोग महसूस करता है कि ये कार्यक्रम चल रहे हैं तथा उन्हें जारी रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। आयोग विदेश मंत्रालय से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का आग्रह करता है। (पैरा 11.35 तथा 11.36)

17.50 आयोग में स्थापित प्रशिक्षण प्रभाग सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न सुग्राहीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में पूरी तरह से सम्मिलित हैं। तथापि प्रभाग का इस आयोग के बहुत कम कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। यद्यपि आयोग ने प्रभाग को चलाने के लिए पदों के सृजन की सिफारिश की है, सरकार से कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग प्रशिक्षण प्रभाग में कर्मचारी नियुक्त करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन हेतु उसके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अविलम्ब कार्रवाई करने के लिए कहता है। (पैरा 11.52)

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

17.51 सीमा पार अवैध व्यापार पर काबू पाने के विषय पर सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए आधार बनाने के उद्देश्य से, दो आयोग के बीच समझौता ज्ञापन का प्रारूप आयोग द्वारा तैयार तथा अनुमोदन किया गया। तथापि, खेद है कि तीन महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने सिद्धांत रूप प्रस्ताव के प्रति अपनी अनापत्ति सूचित नहीं की है। आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति का सदस्य होने के नाते तथा एशिया प्रशान्त मंच के कार्यरत पुराने सदस्यों में से एक है, ऐसे क्षेत्र की साथी संस्थानों को सहयोग देना उसके अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का एक भाग है। (पैरा 12.50 तथा 12.51)

राज्य मानव अधिकार आयोग

17.52 आयोग राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना तथा उनके सुचारु कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मचारी तथा बुनियादी सहायता प्रदान करने में राज्य सरकारों की ओर से विलम्ब को खेद से उल्लेख करता है। आयोग इस समय मानव अधिकारों के तथाकथित उल्लंघनों के सम्बन्ध में बहुत ज्यादा शिकायतों के बोझ से दबा हुआ है जिनकी संख्या प्रतिवर्ष 70,000 से 80,000 है पूर्ण तथा पूर्ण सुसज्जित राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना से राष्ट्रीय मानव अधिकार का बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है। (पैरा 14.4)

मानव अधिकार न्यायालय

17.53 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत राज्य सरकारें सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचना द्वारा मानव अधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के विचारण के लिए मानव अधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती हैं। यह दुर्भाग्य है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें उन विषयों को हल करने में असफल रहीं हैं। मानव अधिकार न्यायालयों के पूरी तरह से कार्य करने हेतु उनकी स्थापना में बाधा डाल रहे हैं। (पैरा 14.6)

मानवाधिकार भवन

17.54 अपने प्रारम्भ से, आयोग स्वतन्त्र तथा स्वायत्त राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान की अपनी स्थिति के अनुरूप अपना कार्यालय भवन रखने का इच्छुक रहा है। आयोग भवन का निर्माण आरम्भ

करने में अनुचित विलम्ब के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता प्रकट करता है तथा आशा व्यक्त करता है कि यह अविलम्ब किया जाएगा। आयोग शहरी विकास मंत्रालय से भवन निर्माण को बिना विलम्ब आरम्भ करने का आग्रह करता है।

(ए.एस. आनन्द)
अध्यक्ष

(सुजाता वी. मनोहर)
सदस्य

(वाई. भास्कर राव)
सदस्य

(आर. एस. काल्हा)
सदस्य

(पी.सी. शर्मा)
सदस्य

नई दिल्ली

27 अगस्त, 2004

समापन विवरण: अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का संवर्धन: नए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की ओर, अभिसमय नई दिल्ली, भारत 26–30 मई 2003

प्रस्तावना

1. राष्ट्रमंडल तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जिनमें अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, फिजी, घाना, भारत, ईरान, कोरिया गणराज्य, मालावी, मलेशिया, मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, नाईजीरिया, उत्तरी आयरलैंड, फिलीपीन्स, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड तथा यूगांडा से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान 26 से 29 मई 2003 को नई दिल्ली, भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए एक विस्तृत तथा अनिवार्य संयुक्त राष्ट्र समझौते का विकास करने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।
2. कार्यशाला में भाग लेने वालों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच, ब्रिटिश काउन्सिल तथा मानव अधिकारों के लिए उच्चायुक्त का संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा यूनाइटेड किंगडम, विदेश तथा राष्ट्रमंडल कार्यालय की साझेदारी में कार्यशाला की मेज़बानी तथा आयोजन के लिए भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा वित्तीय सहायता के लिए मानव अधिकार उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के प्रति अपना आभार प्रकट किया।
3. भागीदारों में सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों, अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के प्रतिनिधि तथा मानव अधिकारों तथा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ भी शामिल थे।
4. भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ.ए.एस. आनन्द तथा डॉ. मोरना नेन्सी, कार्यकारी निदेशक,

ब्रिटिश काउन्सिल, भारत, मानव अधिकारों के लिए उच्चायुक्त श्री ओरेस्ट नोवोसाड, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय उद्घाटन समारोह में बोले। अपने भाषणों में विख्यात वक्ताओं ने विकलांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों तथा गरिमा के संरक्षण तथा संवर्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा उस सम्बन्ध में प्रस्तावित नए संयुक्त राष्ट्र समझौते के सम्भावित विकास का उल्लेख किया।

5. कार्यशाला में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित नौ कार्यसत्र आयोजित किए गए। उसने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय विधि निर्माण तथा प्रशासनिक पद्धति के प्रभाव पर देशज दस्तावेजों, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका, "विकलांगता मुख्य धारा"-संयुक्त राष्ट्र सभाओं के अनुभवों (हार्ड दस्तावेज); विकलांगता से सम्बद्ध मौजूदा (सॉफ्ट) संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज; अंतरराष्ट्रीय अनुवीक्षण मैकेनिज्म तथा शिकायत पद्धतियों; विकलांगता पर प्रस्तावित नए समझौते का स्वरूप तथा प्रमुख तत्व-राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों तथा गैर-सरकारी संगठनों का प्रत्यक्ष ज्ञान; नए संयुक्त राष्ट्र समझौते के संबंध में साझेदारी नीति पर विचार किया।

6. उपर्युक्त मामलों में से प्रत्येक पर विस्तृत चर्चाओं के पश्चात्, कार्यशाला तदर्थ समिति निम्नलिखित प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा सिफारिशें अपनाती है, और अधिक विस्तृत स्थिति के पूर्वाग्रह बगैर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से अपना सकते हैं जैसे-जैसे उन समझौते का कार्य बढ़ता है।

नई दिल्ली कार्यशाला द्वारा अपनाई गई तदर्थ समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशें

राष्ट्रमंडल तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र से कार्यशाला में उपस्थित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान:

7. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा गरिमा के संवर्धन तथा संरक्षण के विस्तृत तथा अनिवार्य अंतरराष्ट्रीय समझौते के प्रस्तावों पर विचार करने तदर्थ समिति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय का स्वागत करें (समझौता)।

8. विशेष रूप से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को आमन्त्रित करने के लिए, उनके कार्य में भाग लेने के लिए तदर्थ समिति के निर्णय का स्वागत करें तथा निमन्त्रण पर निश्चित तौर पर उत्तर देने तथा प्रस्तावित समझौते के विकास में विचार किए जाने हेतु सुझावों तथा प्रस्तावों को उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो।

9. संयुक्त राष्ट्र तथा तदर्थ समिति से उनके कार्य में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करे तथा विकलांग व्यक्तियों के संगठनों की व्यापक सभी भागीदारी को सुनिश्चित करें।
10. विस्तृत तथा अनिवार्य समझौते के विकास की आवश्यकता का पुरजोर समर्थन।
11. बल दें कि समझौता अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के मानदंडों तथा मानकों और सामाजिक न्याय पर तैयार किया "अधिकार आधारित" होना चाहिए। मुख्य सिद्धान्त द्वारा सूचित किया जाना चाहिए कि सभी विकलांग व्यक्ति समानता, गरिमा के आधार पर तथा बिना किसी भेदभाव एवं अपवाद के सभी मौलिक मानव अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का पूर्ण लाभ उठाने के पात्र हैं।
12. बल दें कि समझौता तैयार करते समय सभी विकलांग समूहों की परिस्थिति तथा लिंग, जाति, रंग, आयु, धर्म तथा अन्य तर्कों से सम्बन्धित भिन्न परिस्थितियों पर अवश्य विचार किया जाए।
13. प्रस्ताव है कि प्रस्तावित समझौते में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए।

उद्देशिका

14. समझौते की उद्देशिका में :-
 - समझौते की आवश्यकता पर बल दें।
 - विकलांगता पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों (हार्ड तथा सॉफ्ट दोनों) के मूल्य तथा अनुप्रयोज्यता को मान्यता दें;
 - व्यक्तियों जैसे कि महिलाओं, बच्चों अथवा विकलांग देशी लोगों द्वारा भुगती गई दोहरी असुविधा तथा बहु-भेदभाव के प्रभाव अथवा अन्य स्थिति को मान्यता दें, और
 - उन दस्तावेजों से समझौते के सम्बन्ध तथा व्यापक अधिकार आधारित समझौते की आवश्यकता पर बल दें।

उद्देश्य

15. समझौते के लक्ष्य होने चाहिए :-

- मान्यता दें कि विकलांग व्यक्ति सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण श्रृंखला के पात्र हों;
- निश्चित अधिकारों की उत्तरोत्तर प्राप्ति को मान्यता दें;
- सुनिश्चित करें कि गैर भेदभाव और समान अवसर के सिद्धान्त विकलांग व्यक्तियों पर लागू हों;
- स्वीकार करें कि पूर्ण भागीदारी में रुकावट दूर करने के लिए उपयुक्त सहायता और/अथवा सकारात्मक कार्यवाई के प्रावधान की कमी एक प्रकार का भेदभाव है; और
- राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन

परिभाषा

16. 'विकलांगता' की परिभाषा के सम्बन्ध में, समझौते में होना चाहिए:

- बल दें कि विकलांगता कोई वैयाक्तिक रोग नहीं है। इसमें सामाजिक पहचान तथा व्यवहार के लिए उलझनों की श्रृंखला है तथा यह सन्दर्भ पर बहुत अधिक निर्भर करती है तथा यह भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा बहिष्कार का परिणाम है।
- यह प्रतिबन्धक न हो। उदाहरण के लिए इसमें भौतिक, संवेदीय, बौद्धिक, मनोविकारी तथा बहु-विकलांगताएँ शामिल होनी चाहिए। विकलांगता स्थाई, अस्थायी, प्रासंगिक तथा दृष्टिगोचर हो सकती है।

17. 'भेदभाव' की परिभाषा के सम्बन्ध में समझौते में होना चाहिए:

- प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, गुप्त तथा क्रमबद्ध भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभावों का समाधान;
- यह माना जाए कि समानता के अवसर में अपेक्षा है कि विकलांगता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर हुई कोई सम्बद्ध पाबंदियों अथवा सीमाओं का उपयुक्त संशोधनों, समायोजनों अथवा सहायता द्वारा उपचार किया जाना चाहिए;

- पूर्ण भागीदारी के लिए सभी क्षेत्रों में व्यवधान रहित पहुँच प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई, उपयुक्त स्थान अथवा विशेष उपायों की आवश्यकता तथा समान अवसर तथा उपचार प्राप्त करने के उद्देश्य से सहयोगी वातावरण प्रदान करना, जहाँ आवश्यक हो। ऐसी कार्रवाई अथवा उपायों का भेदभाव नहीं माना जाना चाहिए।

कार्यक्षेत्र

18. समझौता सार्वजनिक और निजी संस्थानों तथा क्षेत्रों पर लागू होगा।

राज्य पार्टी के उत्तरदायित्व

19. समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधि-निर्माण, प्रोग्रामेटिक तथा नीति कार्रवाई आरम्भ करने के लिए समझौते में राज्य पार्टियों पर सकारात्मक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
20. समझौते में समर्थक वातावरण तथा बाधा रहित सोसायटी सुनिश्चित करने के लिए राज्य पार्टियों के उत्तरदायित्व को मान्यता दी जानी चाहिए।

विशेष अनुच्छेद

21. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों में समाविष्ट सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण श्रृंखला समझौते में शामिल होनी चाहिए।
22. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुप्रयोग के अतिरिक्त, समझौते में विशेष क्षेत्रों तथा सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से निपटने के लिए विशेष अनुच्छेद होने चाहिए चूंकि विकलांगता के सन्दर्भ को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को उचित आदर देते हुए वर्गीकरण की आवश्यकता है।

अनुवीक्षण

23. समझौते में प्रभावी अनुवीक्षण क्रियाविधि होना चाहिए, जिसमें क्रमबद्ध उल्लंघनों की जांच आयोजित करने की सम्भावना शामिल है।
24. समझौते के अन्तर्गत स्थापित किसी विशेषज्ञ समिति में विकलांग व्यक्ति शामिल होने चाहिए।

25. समझौते में इसके अनुपालन के अनुवीक्षण तथा संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएँ रचनात्मक भूमिका निभा सकती हैं।

परिशिष्ट—अतिरिक्त निष्कर्ष एवं सिफारिशें

कार्यशाला में अन्य निकायों से निम्नलिखित निष्कर्ष तथा सिफारिशें भी की गईं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को सिफारिशें

26. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को विस्तृत तथा अनिवार्य समझौते के विकास के महत्व के बारे में अपनी सरकारों को सूचना देनी चाहिए तथा सिफारिश करनी चाहिए कि वे उसके विकास का पुरजोर समर्थन करें।

27. राष्ट्रीय मानव अधिकार, संस्थानों को प्रस्तावित समझौते के विकास के महत्व के सम्बन्ध में अपनी-अपनी सोसाईटियों के अन्दर जागरूकता पैदा करें तथा साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बन्धित मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

28. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को प्रस्तावित समझौते के विकास के सम्बन्ध में विकलांग व्यक्तियों तथा सम्बद्ध गैर सरकारी संगठनों से परामर्श करना चाहिए।

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को प्रस्तावित समझौते के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखना चाहिए।

30. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को अपने कार्य में विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों को निपटाने की पद्धतियों सहित विकलांगता अधिकार घटक को स्थापित तथा सुदृढ़ करना चाहिए।

31. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को अपने कार्यकलापों में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय से की गई सिफारिशें

32. मानव अधिकारों के उच्चायुक्त का संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को प्रस्तावित समझौते के विकास में तकनीकी सहयोग तथा समर्थन, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों तथा उनके क्षेत्रीय संघों की

प्रभावी भागीदारी सहित उपलब्ध संसाधनों के अन्दर संभावित सीमा तक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

33. मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

34. मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों में विकलांगता से सम्बन्धित विषयों पर विस्तृत तथा अभिगम्य वेबसाइट की स्थापना को सुलभ बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

35. मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण में अन्य साझेदारों के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसा कि कार्यशाला में उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच से की गई सिफारिशें

36. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच को प्रस्तावित समझौते के विकास में उसके सदस्य संस्थानों के कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए, जैसा कि अनुरोध किया गया है।

37. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच को राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन में अनुरोध करने पर प्रस्तावित समझौते में अपने सदस्य संस्थानों के कार्य में अनुरोध पर सहायता करनी चाहिए।

38. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच को अपनी सातवीं वार्षिक बैठक में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बन्धित अपने सदस्यों के निर्णयों को कार्यान्वित करना जारी रखना चाहिए।

39. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशान्त मंच को मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय के परामर्श से तदर्थ समिति के सम्मेलन दस्तावेज के रूप में "विकलांग लोगों के अधिकारों का संवर्धन; नए संयुक्त राष्ट्र समझौते की ओर" नामक नई दिल्ली कार्यशाला के लिए तैयार किए गए दस्तावेज के परिचालन की व्यवस्था करनी चाहिए।

ब्रिटिश काउन्सिल को सिफारिशें

40. ब्रिटिश काउन्सिल को प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र समझौते के विकास में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की प्रभावी भागीदारी का समर्थन करना चाहिए।
41. ब्रिटिश काउन्सिल को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण में अन्य साझेदारों के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जैसा कि उस कार्यशाला में उदाहरण द्वारा समझाया गया है।

1-4-2003 I s 31-3-2004 rd jkT; @I ak 'kkfl r {ks=ka dh
I jdkjka }kj k fj i k/W dh xbz fgjkl rh; ekS ka ds C; kjs n'kkZus
okyk fooj.k

Øe I Ø	jkT; @I ak 'kkfl r {ks=	lkfyI	U; kf; d vfHkj {kk	tKM+ vfHkj {kk
01	आंध्र प्रदेश	10	114	124
02	अरुणाचल प्रदेश	2	1	3
03	असम	6	18	24
04	बिहार	9	139	148
05	गोवा	—	—	—
06	गुजरात	20	37	57
07	हरियाणा	2	49	51
08	हिमाचल प्रदेश	—	2	2
09	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
10	कर्नाटक	4	52	56
11.	केरल	4	51	55
12.	मध्य प्रदेश	3	30	33
13.	महाराष्ट्र	32	148	180
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	3	3	6

16.	मिजोरम	—	2	2
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	1	52	53
19.	पंजाब	7	81	88
20.	राजस्थान	5	45	50
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	12	106	118
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	18	199	217
25.	पश्चिम बंगाल	13	43	56
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	4	4
28.	दादरा तथा नागर हवेली	—	—	—
29.	दमन तथा दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	3	22	25
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	1	—	1
33.	छत्तीसगढ़	2	42	44
34.	झारखंड	3	53	56
35.	उत्तरांचल	2	7	9
	जोड़	162	1300	1462

1.4.2003-2004 के दौरान, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई... 1463

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई...

1.4.2003 से 31.3.2004 तक

i fyl dkj bkbz ds nkjku ekka ds l Hk ekeyka ea jkT; l jdkjka }kjk vud j.k dh tkus okyh l akk/kr i) fr@fn'kk funzka ij jkT; ds eq; ef=; ka rFkk l ak 'kfl r {k-ka ds c'kkl dka dks vk; kx ds v/; {k dk fnud 2 fnl Ecj dk i =

U; k; efrz ,-, l - vkuln

अध्यक्ष

(भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति)

2 दिसम्बर, 2003

प्रिय मुख्यमंत्री,

पुलिस कार्रवाई के दौरान पहले मौत सिविल सोसायटी के लिए हमेशा ही चिन्ता का विषय रही है। इस प्रकार की कार्रवाई की हर तरफ से जैसे मीडिया, द्वारा आलोचना की जाती है।

पुलिस को किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है। यदि अपने कृत्य द्वारा, पुलिस वाला किसी व्यक्ति को मार देता है तो वह आपराधिक मानव हत्या अथवा कत्ल करने का अपराध करता है जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि ऐसा कत्ल कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं था। भारत में विद्यमान न्यायिक विधि की योजना के अन्तर्गत, यह अपराध नहीं होगा यदि ऐसी मौत निजी बचाव के अधिकार में हुई हो। एक अन्य प्रावधान जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी व्यक्ति की मौत को उचित सिद्ध कर सकता है वह है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46, यह प्रावधान पुलिस को यथोचित बल प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, यदि मृत्यु अथवा आजीवन कारावास के दंड के अपराध के दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक पाया जाए। चाहे इसके कारण मौत ही हो जाए, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुठभेड़ में हुई मौत यदि न्यायसंगत सिद्ध न हो तो यह आपराधिक मानव-वध का अपराध होगा।

आयोग ने शिकायत 234 (1 से 6)/93-94 पर कार्रवाई करते हुए तथा कथित मुठभेड़ मौतों में शामिल गम्भीर मानव अधिकार विषय को नोट करते हुए, सभी राज्यों को मुठभेड़ मौत के मामलों में अनुसरण की जाने वाली पद्धति की सिफारिश करने का निर्णय किया। तदनुसार, माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एच. वेंकटचालिया, तत्कालीन अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने, मुठभेड़ मौतों के मामलों में राज्यों द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति की सिफारिश करते हुए दिनांक 29 मार्च, 1997 को सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा (तत्काल सन्दर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न)।

मुठभेड़ मौतों के मामलों में पिछले छः वर्षों में आयोग का अनुभव उत्साहवर्धक नहीं रहा है। आयोग ने पाया है कि अधिकांश राज्य सही मायने में उसके द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसका विचार है कि सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के उद्देश्य से, मौजूदा दिशा-निर्देशों में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है।

यद्यपि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत यह अस्पष्ट है कि पुलिस मुठभेड़ों से हुई मौतों के सभी मामलों में राज्यों को, आयोग को सूचना अवश्य भेजनी चाहिए, फिर भी कुछ राज्य यह बहाना लेकर सूचना नहीं भेजते हैं कि ऐसी कोई विशेष हिदायत नहीं है। परिणामस्वरूप, पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में हो रही मौतों के प्रमाणिक आंकड़े आयोग में तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। आयोग का विचार है कि अपने कर्तव्य को करने में मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए ये आँकड़ें आवश्यक हैं।

सम्पूर्ण मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, आयोग पुलिस कार्रवाई के दौरान मौतों के सभी मामलों में राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण की जाने वाली निम्नलिखित संशोधित पद्धति की सिफारिश करता है:-

- क. जब पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी को पुलिस पार्टी तथा अन्यो के बीच मुठभेड़ में मौतों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है तो वह उपयुक्त रजिस्टर में उक्त सूचना की प्रविष्टि करेंगे।
- ख. जहाँ उसी पुलिस स्टेशन से सम्बन्धित पुलिस अधिकारी मुठभेड़ पार्टी के सदस्य हों, जिनकी कार्रवाई के परिणामस्वरूप मौतें हुई, यह वांछनीय है कि ऐसे मामले जांच हेतु किसी अन्य स्वतन्त्र अन्वेषण अभिकरण, जैसे कि राज्य केन्द्रीय ब्यूरो आपराधिक अन्वेषण विभाग (सी. बी. सी. आई. डी.) को दिए जाएं।
- ग. जहाँ कहीं पुलिस आपराधिक कार्य की त्रुटि का आरोप लगाते हुए पुलिस के विरुद्ध विशेष शिकायत की जाती है, जो आपराधिक मानव-वध का संज्ञेय अपराध बनाता हो तो उस तथ्य

290: पुलिस कार्रवाई के दौरान मौतों के सभी मामलों में राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण की जाने वाली...

- की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की उपयुक्त धारा के अन्तर्गत अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों की जाँच निरपवाद रूप से राज्य सी. बी. सी. आई. डी. द्वारा की जाएगी।
- घ. मौत के सभी मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच निरपवाद रूप से अवश्य की जानी चाहिए जो पुलिस कार्रवाई के दौरान होती है। मृतक के निकटतम रिश्तेदार को ऐसी जांच में निरपवाद रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- च. मजिस्ट्रेट द्वारा जांच/पुलिस-जाँच में दोषी पाए गए सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अभियोजन तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की जानी चाहिए।
- छ. मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
- ज. ऐसी घटना के तुरंत बाद सम्बन्धित अधिकारियों को बिना पारी पदोन्नति अथवा वीरता पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाएंगे। हर कीमत पर यह सुनिश्चित किया जाए ऐसे पुरस्कार तब ही दिए/सिफारिश किए जाते हैं जब सम्बन्धित अधिकारी की बहादुरी सन्देह से परे स्थापित हो जाए।
- झ. राज्य में पुलिस कार्रवाई में मौतों के सभी मामलों का छमाही विवरण पुलिस महानिदेशक द्वारा आयोग को भेजा जाएगा, ताकि यह इस कार्यालय में क्रमशः जनवरी तथा जुलाई के 15वें दिन तक पहुँच जाए। विवरण पोस्ट मार्टम रिपोर्टों तथा जांच पड़ताल रिपोर्टों सहित जहां कहीं उपलब्ध हो, निम्नलिखित फार्मेट में भेज दिया जाए:—
1. घटना की तारीख तथा स्थान
 2. पुलिस स्टेशन, जिला
 3. परिस्थितियां जिनमें मौतें हुई:
 - i. मुठभेड़ में आत्मरक्षा
 - ii. गैर कानूनी भीड़ को तितर-बितर करने में
 - iii. गिरफ्तारी के दौरान
 4. घटना के संक्षिप्त तथ्य

5. आपराधिक मामला संख्या
6. अन्वेषण अभिकरण
7. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट जांच/छानबीन के निष्कर्ष
 - क. पुलिस कर्मचारियों के विशेष नाम तथा पदनाम बताते हुए, यदि मौत के लिए जिम्मेदार पाए जाए; और
 - ख. क्या बल का प्रयोग न्यायसंगत था तथा कार्रवाई विधिसंगत थी।

अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारियों को उचित हिदायते दी जाएं ताकि उन दिशा-निर्देशों का अक्षरशः तथा भावनात्मक ढंग दोनों से अनुपालन किया जा सके।

सादर,

सभी मुख्य मंत्री

आपका

हस्ताक्षर
(ए. एस. आनन्द)

ikfyI }kjk rFkkdfFkr udyh eBHKM+ v/kl sud cyka }kjk udyh eBHKM+ ds ikfyI .ke Lo: ik gPZ eBHKM+ ds i Ecu/k ea f'kdk; rka dh i ; k dh jkT; okj fLFkr n'kZus okyk fooj.k

2003&2004

Øe Lk[; k	jkT; @I ak 'kfl r {ks= dk uke	Ukdyh eBHKM+		
		ikfyI	Lk'kL=cy	v/kl sud cy
01.	आंध्र प्रदेश	9		
02.	अरुणाचल प्रदेश			
03.	असम		1	1
04.	बिहार	5		
05.	गोवा			
06.	गुजरात			
07.	हरियाणा	2		
08.	हिमाचल प्रदेश			
09.	जम्मू तथा कश्मीर		1	
10.	कर्नाटक	2		
11.	केरला			
12.	मध्यप्रदेश	4		
13.	महाराष्ट्र	4		

14.	मणिपुर		1	
15.	मेघालय			
16.	मिजोरम			
17.	नागालैंड			
18.	उड़ीसा			
19.	पंजाब	1		
20.	राजस्थान			
21.	सिक्किम			
22.	तमिलनाडु	3		
23.	त्रिपुरा	2		1
24.	उत्तर प्रदेश	68		
25.	पश्चिम बंगाल			
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह			
27.	चंडीगढ़			
28.	दादरा तथा नागर हवेली			
29.	दमन एवं दीव			
30.	दिल्ली	1		
31.	लक्षद्वीप			
32.	पांडिचेरी			
33.	छत्तीसगढ़			
34.	झारखंड	1		
35.	उत्तरांचल	6		
99.	विदेशी			
	tM+	109	3	2

अनुबंध 5

पैरा 4-34

ikfyl eBHM+ rFk l suk }kjk xkyckjh ds ifj. keLo: i gpl
 ekr ds l cak eaf'kdk; rka dh dy l ;k ij jkT; &okj
 fLFkr

Øe Lk[;k	jkT; @Lk;k 'kfl r {k= dk uke	ikfyl eBHM+ ea ekr	Lkuk }kjk xkyckjh ea ekr	tKM+
01	आंध्र प्रदेश	16		16
02	अरुणाचल प्रदेश			0
03	असम	7	3	10
04	बिहार	1		1
05	गोवा			0
06	गुजरात			0
07	हरियाणा	1		1
08	हिमाचल प्रदेश			0
09	जम्मू तथा कश्मीर		1	1
10	कर्नाटक	4		4
11.	केरल			0
12.	मध्य प्रदेश	3		3
13.	महाराष्ट्र	5		5
14.	मणिपुर			0
15.	मेघालय			0

16.	मिजोरम			0
17	नागालैंड			0
18.	उड़ीसा			0
19.	पंजाब			0
20.	राजस्थान			0
21.	सिक्किम			0
22.	तमिलनाडु	6		6
23.	त्रिपुरा			0
24.	उत्तर प्रदेश	48		48
25.	पश्चिम बंगाल	2		2
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह			0
27.	चंडीगढ़			0
28.	दादरा तथा नागर हवेली			0
29.	दमन एवं दीव			0
30.	दिल्ली	1		
31.	लक्षद्वीप			0
32.	पांडिचेरी			0
33.	छत्तीसगढ़			0
34	झारखंड	1		1
35.	उत्तरांचल	5		5
99.	विदेशी			0
	tM+	100	4	104

जट; dkjxkjka ea fopkj .kk/ku dsn; ka dh HkM+ dks de djus
 ds fy, mi k; ka dk l q>ko nrs gq l Hk mPp U; k; ky; ka ds
 eq; U; k; efirz ka dks vk; kx ds v/; {k dk fnukd 1 t ykbj
 2003 dk i =

1 जुलाई, 2003

प्रिय मुख्य न्यायमूर्ति,

मैं आपको ऐसे मामले पर लिख रहा हूँ जो आपके तथा मेरे लिए चिन्ता का स्रोत रहा है—विचारणाधीन कैदियों की दुर्दशा।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में, मैंने छोटे-छोटे तथा जमानतीय अपराधों में, केवल इस कारण क्योंकि वे जमानत पर रिहा होने के लिए जमानतीय बांड प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थे, जेलों में पड़े-पड़े दुःख के दिन काट रहे विचारणाधीन कैदियों की दुर्दशा के बारे में सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को 29 नवम्बर, 1999 को पत्र लिखा था। मैंने सुझाव दिया था कि क्षेत्र के प्रत्येक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें एक जिला कारागार पड़ता हो, कार्यभार पर निर्भर करते हुए उन विचारणाधीन कैदियों के मामले जेलों में ही उठाएँ जो छोटे-छोटे अपराधों में शामिल हैं तथा जिसने अपने अपराधों को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की हो। मेरे सुझाव पर आप में से अधिकाँश द्वारा आरम्भ की गई कार्रवाई की प्रगति की निगरानी करने की कोशिश की थी तथा दिनांक 14 अप्रैल, 2000 तथा 11 जनवरी, 2001 के पत्रों द्वारा मामले का अनुसरण किया था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अपनी हैसियत में मैं विचारणाधीन कैदियों के सम्बन्ध में अपने प्रयास जारी रखना चाहता हूँ जो 1993 में अपनी स्थापना से कैदियों के मानव अधिकारों को विशेष चिन्ता का क्षेत्र मान रहा है।

कैदियों के रहन-सहन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए जेलों का दौरा आयोग के अनिवार्य कार्यों में से एक है जैसा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ग) में उल्लेख किया गया है। आयोग के सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों विशेष रूप से विशेष सम्पर्ककर्ताओं द्वारा विभिन्न राज्यों में जेलों के दौरे हमारे देश में जेल जीवन की अत्यधिक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आयोग ने देखा है कि अधिकांश राज्य-जेलों में बहुत अधिक भीड़-भाड़ है, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य का स्तर निम्न है, चिकित्सा सुविधाएँ अपर्याप्त हैं तथा समग्र वातावरण अत्यधिक निराशाजनक है। अधिक-भीड़-भाड़, जो प्रत्येक पद्धति तथा सुविधा को असफल कर देती है, हमारी जेलों में रहने की खेदजनक परिस्थितियों के लिए मुख्य कारण पाया गया है। यह जीवन के बुनियादी मानव अधिकार हैं जिसका अभिप्राय है गरिमापूर्ण जीवन का उल्लंघन।

पिछले दो वर्षों से आयोग प्रत्येक वर्ष के 30 जून तथा 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से कारागार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त करके कारागारों की जनसंख्या का द्विवार्षिक विश्लेषण कर रहा है। मैंने सोचा मुझे आपके साथ 30 जून 2002 की स्थिति के अनुसार कारागार-जनसंख्या के हाल ही में किए गए विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विशेषता की चर्चा करनी चाहिए। विश्लेषण से पता चलता है कि:

- i) सम्पूर्ण देश की कारागार-जनसंख्या 2,32,412 की निर्मित क्षमता के मुकाबले में 3,04,813 थी। यह सम्पूर्ण देश के लिए 31.2% की अधिक भीड़ भाड़ को दर्शाती है। तथापि, कुछेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और बिहार में सभी जेलों में कारागार-जनसंख्या कुल क्षमता का 2 से 3 गुना है।
- ii) सम्पूर्ण देश में विचारणाधीन कैदी कारागार-जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत है। 7 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में कुल कारागार-जनसंख्या के संबंध में विचारणाधीन कैदियों का अनुपात 80 प्रतिशत या अधिक है। संघ शासित क्षेत्र दादर तथा नागर हवेली में यह 100 प्रतिशत है।
- iii) जेल-जनसंख्या, अधिक भीड़-भाड़ संकुलता की डिग्री तथा विचारणाधीन कैदियों का प्रतिशत इस पत्र के साथ संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

आयोग देखता है कि इस विषय पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय तथा कुछ उच्च न्यायालयों के कई उद्घोषणा के बावजूद भी, विचारणाधीन कैदी सम्पूर्ण देश में बड़ी संख्या में जेलों में पड़े-पड़े दिन काट रहे हैं। न्यायालयों में मामलों की धीमी प्रगति तथा गरीब एवं निरक्षर कैदियों के लिए अलाभदायी जमानत की पद्धति का प्रचालन "इन भूली हुई आत्माओं" की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है जो बन्दी बनाए जाने की सभी तकलीफों को सह रहे हैं यद्यपि उनका दोष अभी स्थापित किया

जाना हैं। जेलों में इस प्रकार के विचारणाधीन कैदियों की अत्याधिक भीड़-भाड़ ही, जो कैदियों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों जैसे कि आवास, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य, जल तथा भोजन, वस्त्र तथा बिस्तरे तथा चिकित्सा सुविधाएँ सुनिश्चित करने में, जेल प्रशासन के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रही है।

मुझे आशा है कि आप कैदियों के मानव अधिकारों के लिए आयोग की चिन्ता को समझेंगे तथा बाँटेंगे। मेरे विचार से, आपके राज्य के कारागारों में विचारणाधीन कैदियों की भीड़भाड़ को कम करने में निम्नलिखित उपाय लाभदायक होंगे:

- i) जेलों में विशेष न्यायालय का नियमित आयोजन तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति/वरिष्ठ न्यायधीश द्वारा उसका अनुवीक्षण।
- ii) कॉमन काउज बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय को ध्यान में रखते हुए विचारणाधीन कैदियों के मामलों की मासिक समीक्षा (1996(4) एस. सी. सी. 775 तथा 1996 (6) एस. सी. सी. 775): उस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने (क) जमानत पर रिहा और (ख) फैसले में विनिर्दिष्ट विचारणाधीन कैदियों की कुछ श्रेणियों को छोड़ने के लिए स्पष्ट हिदायतें जारी की हैं।
- iii) व्यक्तिगत बॉण्ड पर विचारणाधीन कैदियों की रिहाई: जमानत मंजूर किए जाने के पश्चात् भी बहुत बड़ी संख्या में विचारणाधीन कैदी मात्र इस कारण जेलों में पड़े हुए हैं क्योंकि वे जमानतीदार लाने में असमर्थ हैं। व्यक्तिगत बॉण्ड पर, विशेष रूप से उन मामलों में, जबकि वे पहली बार अपराधी हैं तथा सज़ा भी 2/3 वर्षों से कम है, रिहा किए जाने के लिए उनकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए ऐसे विचारणाधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा 6-8 सप्ताह के पश्चात् की जा सकती है।
- iv) जिला तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा जेलों का दौरा: सभी राज्यों की जेल पुस्तिकाओं में पदेन मुलाकाती के रूप में जिला तथा सत्र न्यायधीश के अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले कारागारों के आवधिक दौरे का प्रावधान है। कारागार के प्रबन्ध तथा प्रशासन में समग्र सुधार को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, ऐसे दौरे लम्बे समय से रह रहे विचारणाधीन कैदियों के मामलों का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं, जिन्हें तत्काल तथा विशेष ध्यान की आवश्यकता है। आयोग ने ऐसे राज्यों की परिस्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा है जहाँ यह उत्तरदायित्व अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा गम्भीरता तथा निष्ठापूर्वक निभाया जा रहा है। उनके क्षेत्रों में पड़ने वाली जेलों के सभी पदेन मुलाकातियों द्वारा ऐसे दौरों के लिए हिदायतें जारी करना लाभप्रद होगा।

मैं, आपसे की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सूचित करने का अनुरोध करना चाहता हूँ ताकि एकरूपता तथा तीव्रता लाने के उद्देश्य से उन्हें हम दूसरे राज्यों को परिचालित करने की स्थिति में हो सकें।

मैं विचारणाधीन कैदियों की समस्याओं से निपटने के लिए आपके सुझाव प्राप्त करने पर गौरवान्वित महसूस करूंगा।

सादर,

आपका

हस्ताक्षर

¼ -, I -vkuln½

संलग्न: यथोपरि

सेवा में

सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति

fgjkl rh; U; k; I sy

30-6-02 dh fLFkr vuq kj dkjxkj&vkpMs

Øe I Ø	jkT;	Tkyka dh {kerk	vR; kf/kd HkM+ dk ifr'kr ½&½ dk vFkZ [kkyh {kerk	lkfr'kr I Øk 'kfl r {ks-
01.	आंध्र प्रदेश	10794	20.51	67.07
02.	अरुणाचल प्रदेश (जेल नहीं)	0		
03.	असम	6193	11.64	64.15
04.	बिहार	21759	73.78	86.27
05.	छत्तीसगढ़	4438	110.16	52.42
06.	गोवा	294	39.46	60.49
07.	गुजरात	5418	100.22	73.70
08.	हरियाणा	5567	99.95	68.60
09.	हिमाचल प्रदेश	868	0.92	54.45
10.	जम्मू तथा कश्मीर	3100	-58.55	91.67
11.	झारखंड	5788	164.86	83.26

300: राज्य कारागारों में विचारणाधीन कैदियों की भीड़ को कम करने...

12.	कर्नाटक	9191	11.37	79.34
13.	केरल	5904	-9.40	68.52
14.	मध्य प्रदेश	16239	65.87	56.94
15.	महाराष्ट्र	19004	16.62	69.65
16.	मणिपुर	1170	-66.07	92.19
17.	मेघालय	500	-2.60	94.66
18.	मिजोरम	1012	0.89	79.14
19.	नागालैंड	1160	-47.24	89.87
20.	उड़ीसा	7542	53.78	75.03
21.	पंजाब	10854	16.97	68.24
22.	राजस्थान	15707	-22.67	63.84
23.	सिक्किम	100	72.00	51.16
24.	तमिलनाडु	19240	-55.62	36.16
25.	त्रिपुरा	744	34.81	57.93
26.	उत्तर प्रदेश	32380	69.84	87.37
27.	उत्तरांचल	2433	0.82	79.13
28.	पश्चिम बंगाल	19666	-25.88	79.42
	कुल राज्यों में	227065	28.74	73.94
	संघशासित राज्य			
29.	अण्डमान तथा निकोबार	229	3.49	24.05
30.	चंडीगढ़	1000	-57.30	74.24
31.	दादर तथा नागर हवेली	40	-22.50	100.00
32.	दमन एवं दीव	120	-57.50	68.63
33.	दिल्ली	3637	217.40	78.52
34.	लक्षद्वीप	16	-100.00	
35.	पांडिचेरी	305	-7.21	55.48
	कुल, संघ शासित	5347	135.14	76.84
	क्षेत्रों में			
	कुल	232412	31-19	74-06

भारत में स्वास्थ्य के लगभग सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण, बदलती हुई जीवन शैली तथा बढ़ी हुई जीवन अवधि सम्भावना के कारण, रोग के स्वरूप मृत्युदर तथा रूग्णता में निश्चित तौर पर जानपादिक-रोग में कायापलट परिवर्तन हुआ है। औद्योगीकरण, बढ़ा हुआ वाहन यातायात, स्वचालित यंत्रों, आतंकवाद तथा सामाजिक हिंसा कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण अभिघात महामारी का रूप धारण कर चुका है। अभिघात को “भूली हुई महामारी” तथा “आधुनिक सोसायटी की उपेक्षित बीमारी” का नाम दिया गया है। यह प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की जान लेता है तथा लँगड़ा-लूला बना डालता है तथा समाज पर प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप में बिलियन डालर खर्च का बोझ डालता है। आपात चिकित्सा सेवाओं सहित स्वास्थ्य देखरेख डिलीवरी को मौजूदा तथा उभरती हुई आवश्यकताओं से मेल खानी चाहिए। अति विशाल परिस्थितियों के बावजूद भी, यह एक विडंबना है कि अभिघात प्रबन्ध ने विशेष रूप से विकासशील देशों में, सुव्यवस्थित नहीं है। स्थिति विशेष रूप से भारत में चिन्ताजनक है जहाँ प्रतिवर्ष हजारों लोग उचित अभिघात देखरेख सुविधाओं के अभाव में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। अभिघात सम्बन्धी आपात स्थिति तथा अन्य चिकित्सा तथा शल्यचिकित्सा संबंधी आपात स्थिति के लिए आपात चिकित्सा देखरेख का प्रावधान कल्याणकारी राज्य के लिए एक आवश्यकता है।

1. भारत में स्वास्थ्य के लगभग सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण, बदलती हुई जीवन शैली तथा बढ़ी हुई जीवन अवधि सम्भावना के कारण, रोग के स्वरूप मृत्युदर तथा रूग्णता में निश्चित तौर पर जानपादिक-रोग में कायापलट परिवर्तन हुआ है। औद्योगीकरण, बढ़ा हुआ वाहन यातायात, स्वचालित यंत्रों, आतंकवाद तथा सामाजिक हिंसा कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण अभिघात महामारी का रूप धारण कर चुका है। अभिघात को “भूली हुई महामारी” तथा “आधुनिक सोसायटी की उपेक्षित बीमारी” का नाम दिया गया है। यह प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की जान लेता है तथा लँगड़ा-लूला बना डालता है तथा समाज पर प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप में बिलियन डालर खर्च का बोझ डालता है। आपात चिकित्सा सेवाओं सहित स्वास्थ्य देखरेख डिलीवरी को मौजूदा तथा उभरती हुई आवश्यकताओं से मेल खानी चाहिए। अति विशाल परिस्थितियों के बावजूद भी, यह एक विडंबना है कि अभिघात प्रबन्ध ने विशेष रूप से विकासशील देशों में, सुव्यवस्थित नहीं है। स्थिति विशेष रूप से भारत में चिन्ताजनक है जहाँ प्रतिवर्ष हजारों लोग उचित अभिघात देखरेख सुविधाओं के अभाव में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। अभिघात सम्बन्धी आपात स्थिति तथा अन्य चिकित्सा तथा शल्यचिकित्सा संबंधी आपात स्थिति के लिए आपात चिकित्सा देखरेख का प्रावधान कल्याणकारी राज्य के लिए एक आवश्यकता है।

1. भारत में स्वास्थ्य के लगभग सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण, बदलती हुई जीवन शैली तथा बढ़ी हुई जीवन अवधि सम्भावना के कारण, रोग के स्वरूप मृत्युदर तथा रूग्णता में निश्चित तौर पर जानपादिक-रोग में कायापलट परिवर्तन हुआ है। औद्योगीकरण, बढ़ा हुआ वाहन यातायात, स्वचालित यंत्रों, आतंकवाद तथा सामाजिक हिंसा कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण अभिघात महामारी का रूप धारण कर चुका है। अभिघात को “भूली हुई महामारी” तथा “आधुनिक सोसायटी की उपेक्षित बीमारी” का नाम दिया गया है। यह प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की जान लेता है तथा लँगड़ा-लूला बना डालता है तथा समाज पर प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप में बिलियन डालर खर्च का बोझ डालता है। आपात चिकित्सा सेवाओं सहित स्वास्थ्य देखरेख डिलीवरी को मौजूदा तथा उभरती हुई आवश्यकताओं से मेल खानी चाहिए। अति विशाल परिस्थितियों के बावजूद भी, यह एक विडंबना है कि अभिघात प्रबन्ध ने विशेष रूप से विकासशील देशों में, सुव्यवस्थित नहीं है। स्थिति विशेष रूप से भारत में चिन्ताजनक है जहाँ प्रतिवर्ष हजारों लोग उचित अभिघात देखरेख सुविधाओं के अभाव में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। अभिघात सम्बन्धी आपात स्थिति तथा अन्य चिकित्सा तथा शल्यचिकित्सा संबंधी आपात स्थिति के लिए आपात चिकित्सा देखरेख का प्रावधान कल्याणकारी राज्य के लिए एक आवश्यकता है। ; g u dōy , d l kēftd ifrc)rk gS vfi r q , d l kfo/kkfud ftEenkjh gS D; kfd LokLF; rFkk fpfdRI k n[kj[k dk vf/kdkj l fo/kku ds vuqNn 39 1/2 41 rFkk 43 ds l kFk&l kFk ifBr vuqNn 21 ds varxr , d ekfyd vf/kdkj Hkh gA

ekstmk ifjn'; %

2. विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में दुर्घटनाएँ मृत्यु संख्या तथा रुग्णता के मुख्य कारणों में से है। वैश्विक स्तर पर अभिघात मृत्यु तथा विकलांगताओं के प्रमुख कारणों में से है। निश्चित तौर पर यह अत्यधिक दुःखद तथा खर्चीली स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की हाल की रिपोर्ट भारत में प्रत्येक दो मिनट में एक दुर्घटना दर्शाती है। प्रत्येक अभिघात संबंधी मृत्यु के साथ कई जख्मी तथा विकलांग व्यक्ति जुड़े होते हैं। 15-40 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुष अभिघात से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्ष लागत के संदर्भ में अभिघात की लागत तथा उत्पादक जीवन के सन्दर्भ में हानि खगोलीय यानी बहुत अधिक है। अभिघात तथा दुर्घटनाओं के अतिरिक्त, अन्य शल्यक्रिया तथा चिकित्सा आपात स्थितियाँ भी हैं जिन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चोटों के कुछ प्रमुख बाह्य कारण हैं—सड़क यातायात चोटें, गिरना, वस्तुओं का गिरना, जलना, जहर, डूबना, पशु सम्बन्धी चोटें, आत्महत्या—आत्महत्या के प्रयत्न तथा विभिन्न प्रकार की हिंसा। इसके साथ-साथ, भारत में विपदाएँ भी चिकित्सा आपातकाल देखभाल हैं। ये विपदाएँ ऊँची तथा अन्य भवनों के गिरने, बाढ़, चक्रवात, आगजनी तथा विष के कारण हो सकती हैं। **vuøku g\$fd yxHkx 4]00]000 0; fDr pk/kadsdkj.k viuk thou [kksnrsg\$ yxHkx 75]000]00 ykxkadksGLi rky ea HkrlZ djuk iMrk g\$ rFk 35]000]00 0; fDr ekewyh pk/ka l s xLr Hkjr ea fofHklu LFkka ij vkikr n[kj\$[k iklr djrs gq g** चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बाल रोगियों से सम्बद्ध आपात भी मुख्य घटनाएँ हैं जहाँ जीवन बचाने के लिए तत्काल चिकित्सा/चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। इन अधिकाँश चोट सम्भावित परिस्थितियों में नौजवान लोग हैं विशेष रूप से बच्चे, महिलाएँ तथा वृद्ध जिन्हें चोटें लगने का अधिक खतरा रहता है और प्रभावित होते हैं। यह जरूरी है आपात चिकित्सा सेवाओं की योजना बनाई जाए तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक तथा प्रभावी रूप से चलाई जाएँ।

3. विकसित देशों के अनुभवों ने दर्शाया है कि मौतों की महत्त्वपूर्ण संख्या उपयुक्त पूर्व-अस्पताल तथा अभिघात देखरेख सेवाओं सहित रोकी जा सकती है। यह बेहतर समय तथा अत्यधिक हस्तक्षेप की कोटि, बेहतर प्रशिक्षण तथा आपात चिकित्सा देखरेख पद्धति की स्थापना, मूल तथा विकसित जीवन सहायता पद्धति का संयोजन तथा चोटों के बेहतर निदान तथा प्रबन्ध द्वारा सम्भव हुआ है ऐसी पद्धतियों का भारत में विकास नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप अधिक मौतें तथा चोटें आती हैं। आपात चिकित्सा देखरेख सेवाओं के विभिन्न घटक हैं:

(क) प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता

(ख) उपयुक्त संचार पद्धति

- (ग) पर्याप्त परिवहन सुविधाएं
 - (घ) आपात कक्षों में सुविधा
 - (च) रैफरल तथा स्थानान्तरण ट्राईएज पर आधारित
 - (छ) इंटर अस्पताल तथा इन्ट्रा अस्पताल रैफरेल सेवाएं
 - (ज) निकास नीतियों का अपनाना
 - (झ) आपात देखरेख संबंधी अभिगम्यता, उपलब्धता और जागरूकता
 - (ट) उपभोक्ता सूचना तथा भागीदारी तथा
 - (ठ) वैज्ञानिक सूचना पद्धतियाँ
4. देश में मौजूदा आपात चिकित्सा सेवाएँ अपेक्षा से कम कार्य कर रही हैं तथा इनको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आपात चिकित्सा सेवाओं में मौजूद मुख्य कमियाँ निम्नलिखित हैं:—
- (क) समेकित आपात चिकित्सा सेवाओं का अभाव। आपात चिकित्सा सेवाएँ केवल कुछ टर्शियरी देखरेख संस्थानों में प्रभावी रूप से चल रही हैं।
 - (ख) प्राथमिक तथा गौण स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों के सुविधाओं संचार सहित अवसंरचनाओं की तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी। आपात देखरेख के कुछ अंश केवल शहरी क्षेत्रों में विद्यमान हैं, जबकि जनसंख्या का बड़ा अनुपात देखरेख तक बिना पहुँच के ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। शहरी अस्पताल तक पहुँचने के लिए उन्हें लम्बी यात्रा करनी आवश्यकता पड़ती है तथा बिना पर्याप्त चिकित्सा देखरेख के अस्पताल पहुँचने में बहुमूल्य समय लग जाता है।
 - (ग) दुर्घटनाओं/अभिघात देखरेख/चोटों के मामलों से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत नीति का अभाव।
 - (घ) समेकित/ सर्वोत्तम आपात चिकित्सा सेवाओं से सम्बद्ध कार्यकलापों हेतु राष्ट्रीय/राज्यस्तर पर केन्द्रीय समन्वय निकाय का न होना।
 - (च) आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएँ साधारण तौर पर उपयुक्त रूप से तैयार नहीं की गई हैं। भारत में आपात स्थिति तथा अभिघात प्रबन्धन से निपटने

के लिए चिकित्सा तथा परा चिकित्सा कर्मचारियों की तैयारी को स्तर में सभी ओर से अभाव है। यहाँ न तो प्रशिक्षित अभिघात विशेषज्ञ हैं और न ही कोई प्रशिक्षित पराचिकित्सा कर्मचारी तथा तकनीशियन। प्रभावी रैफरल लिंकेज, सहित तीव्र प्रत्युत्तर पद्धति कम विकसित/अनुपस्थित है।

- (छ) आपात तथा अस्पताल पूर्व देखरेख को अस्पताल के साथ ठीक प्रकार से नहीं जोड़ा गया है तथा विस्तृत आपात चिकित्सा सेवा देखरेख के अंतर्गत पुर्नवास देख-रेख तथा आप्रेशन-पश्च घटक आपात चिकित्सा सेवा के अनिवार्य घटकों के साथ एकीकृत नहीं है।
- (ज) आपात चिकित्सा सेवा सम्बन्धी आँकड़ों की अनुपलब्धता/अनुपस्थिति, निगरानी, मॉनिटरन और/अथवा विश्लेषण। अभिघात लेख परीक्षा तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अनुसंधान की शहरी शहरों में भी अनुपस्थिति स्पष्ट है।
- (झ) विशेषता के रूप में आपात औषधि की अनुपलब्धता।
- (ट) आपात/प्रथम सहायता प्रबन्ध पर डाक्टरों, पराचिकित्सा तथा आम लोगों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी।
- (ठ) समय-समय उपयुक्त चिकित्सा देखरेख प्राप्त करने में पर्याप्त विलम्ब चूंकि चिकित्सा परिचरों तथा आम जनता को मैडिको लीगल मामलों में फँस जाने का भय रहता है।
- (ड) अनुचित/अपर्याप्त परामर्शी पद्धतियों/अभिगमन हेतु निश्चित अस्पताल पहुँचने में विलम्ब
- (ढ) मैडिको कानूनी जटिलताओं तथा चिकित्सा खर्च अदा करने में मरीजों की असमर्थता के कारण निजी अस्पतालों द्वारा देखरेख प्रदान करने में विलम्ब।
- (त) आपात देखरेख की लागत बहुत अधिक है। अपने-अपने रोजगार की बीमा योजना अथवा स्वास्थ्य देखरेख प्रावधान द्वारा शामिल न किए गए मरीज चिकित्सा देखरेख की लागत अदा करने में असमर्थ हैं।
- (थ) आपात देखरेख के लिए टिकाऊ, प्रशासनिक, वित्तीय तथा विधायी तंत्र का अभाव।
- (द) कार्मिकों, उपस्कर तथा सुविधाओं के सन्दर्भ में आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए न्यूनतम तथा बुनियादी मानकों का अभाव। विभिन्न स्तरों पर देखरेख के लिए एक समान तथा विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल की देश में पहचान नहीं की गयी है अथवा कार्यान्वित नहीं किया गया है।

5. केन्द्रीयकृत दुर्घटना तथा अभिघात सेवाएँ (कैट्स)

यद्यपि केन्द्रीयकृत दुर्घटना तथा अभिघात सेवाएँ अच्छी संकल्पना तथा योजना पर बनाई गई थीं परन्तु इसका निष्पादन बहुत खराब रहा है।

पद्धति में निम्नलिखित कमियाँ/दोष मौजूद हैं।

- (क) एम्बुलेंस केवल मरीजों को ले जाने वाले वाहन है न कि मरीजों की “देखभाल” करने वाले वाहन। उसका स्टॉफ, उपकरण, रखरखाव तथा कर्मचारियों का सतत् प्रशिक्षण अपेक्षित स्तर से बहुत कम है। केवल 20 से 25 प्रतिशत एम्बुलेंस सड़कों पर चलने लायक के लायक है इस प्रकार सम्पूर्ण दिल्ली महानगर के लिए केवल 7 से 8 मार्ग योग्य एम्बुलेंस मौजूद है।
- (ख) इसके अतिरिक्त संचार सुविधाएँ बहुत खराब हैं तथा समन्वय की कमी है और जवाबदेही/उत्तरदायित्व का अभाव है।
- (ग) कैट्स की मौजूदा सुविधाओं के बारे में आम लोगों को पता नहीं है।
- (घ) गैर सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों का शामिल होना केवल आपदा के दौरान ही है तथा वह भी पूर्व अस्पताल सेवाओं के साथ बिना किसी मेल मिलाप के बहुत खराब समन्वय के।

6. अनिवार्य आवश्यकताएँ/मुख्य आवश्यकताएं निम्न प्रकार से हैं:—

6. अनिवार्य आवश्यकताएँ/मुख्य आवश्यकताएं निम्न प्रकार से हैं:—

- (क) आपात चिकित्सा सेवाओं को अभिघात सहित चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा का होलिस्टिक प्रबंध अवश्य प्रदान करना चाहिए।
- (ख) देश के चुने हुए केन्द्रों में आपात चिकित्सा सेवाओं के महत्वपूर्ण तत्वों की देखरेख, जनशक्ति, सुविधाओं पर फोकस सहित आपात चिकित्सा सेवा के लिए डाटाबेस की स्थापना।
- (ग) आपात चिकित्सा सेवा की नीति निर्माण, आयोजन तथा कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर बहुविषयक तथा बहुक्षेत्रीय समिति की स्थापना।

306: 'भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं' के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा..

- (घ) संसाधन दुर्घटना नीति सहित स्पष्ट रूप से परिभाषित, समयबद्ध लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित विस्तृत राष्ट्र संसाधन दुर्घटना नीति सहित स्पष्ट रूप से परिभाषित, समयबद्ध लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित विस्तृत राष्ट्रीय दुर्घटनाओं का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन।
- (च) आपात चिकित्सा सेवाओं के साथ सम्बद्ध सभी अभिकरणों में नेटवर्किंग।
- (छ) आपात/प्रथम सहायता प्रबन्ध में चिकित्सा, पराचिकित्सा तथा आम लोगों को प्रशिक्षण।
- (ज) प्रभावी आपात चिकित्सा सेवा के प्रावधान के लिए उपस्कर/उपलब्धता सहित बुनियादी सुविधाएँ।
- (झ) उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी और आपात देखभाल के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई करना।
- (ट) ससांधनों के प्रभावी तथा सर्वोत्तम प्रयोग के लिए स्वास्थ्य देखरेख डिलीवरी पद्धति के विभिन्न स्तरों पर रैफरल पद्धति।
- (ठ) आपात चिकित्सा सेवाओं के सुधार के लिए आपात चिकित्सा पद्धतियों के विकास, कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त बजट आबंटन।
- (ड) चरणबद्ध परन्तु समयबद्ध तरीके से विकसित उपायों का कार्यान्वयन।

7. **fI Qkfj 'kka ds C; kjs**

½ foLr`r vki kr fpfdRI k I ok, j

आपात चिकित्सा सेवाओं को अभिघात तथा बीमारी सम्बद्ध चिकित्सा आपात का होलिस्टिक प्रबन्ध अवश्य प्रदान करना चाहिए। देखभाल के सभी घटक अर्थात् अस्पताल—पूर्व, अस्पताल में तथा अस्पताल—पश्च अवश्य पूरी की जानी चाहिए। विरोधात्मक तथा पूर्व चेतावनी सेवा तथा अभिघात सहित चिकित्सा/शल्य चिकित्सा के लिए उत्तर देने के लिए आपात चिकित्सा सेवा तैयार रहनी चाहिए।

¼ k½ I fefr; k

नीति निर्माण, आयोजना, कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर बहु-विषयक तथा बहु क्षेत्रीय समितियों की स्थापना। इन समितियों के साथ एक प्रमुख तकनीकी समूह भी तैयार किया जाना चाहिए। इन समितियों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय,

रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, स्थानीय निकायों, निजी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों आदि जैसे सम्बद्ध विभागों के सदस्य भी शामिल होने चाहिए।

1/2 jk"Vh; nqk/uk uhfr

सरकार को विस्तृत उद्देश्यों, सुझावों, संगठनात्मक संरचना, स्टॉफ पद्धति तथा प्रशिक्षण सहित विस्तृत राष्ट्रीय दुर्घटना नीति प्रतिपादित करनी चाहिए। एक प्रस्तावित राष्ट्रीय दुर्घटना नीति दिशा-निर्देश हेतु अनुबंध ‘क’ पर संलग्न है।

1/2 u\ofdk

संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के लिए सूचना सामग्री और/अथवा जनशक्ति की नेटवर्किंग अनिवार्य है, नई दिल्ली में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय अभिघात केन्द्र “ जय प्रकाश नारायण शीर्ष अभिघात केन्द्र” का दिल्ली राज्य के लिए नेटवर्किंग हब के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देश के विभिन्न भागों में अन्य क्षेत्रीय संस्थानों का पता लगाया जाना चाहिए। (राज्य की राजधानियाँ/चिकित्सा कॉलेजों)—सर्वोत्तम तथा प्रभाविकता के लिए टेलीमेडिसिन का प्रयोग भी किया जा सकता है।

1/2 {k=h; jQjy i)fr

स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के लिए प्रभावी कार्यात्मक क्षेत्रीय स्तर पर पद्धति रखना अनिवार्य है। उसमें प्रयोक्ता सुविधा, सुविधाओं के उचित प्रयोग तथा संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग के लाभ हैं। पास-पड़ोस/आसपास के 3-4 जिलों के लिए राज्य में चिकित्सा कॉलेजों को स्फुरल केन्द्रों के रूप में नामित किया जा सकता है। स्फुरल पलो/पद्धति डिस्पेंसरी से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सी. एच. सी. से जिलों अस्पतालों से चिकित्सा कॉलेजों तक होगी। स्फुरल पद्धति के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए यह अनिवार्य है कि आपात चिकित्सा सेवाओं को सभी स्तरों अर्थात् डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सी एच. सी. जिला अस्पतालों तथा चिकित्सा कॉलेजों में सुदृढ़ किया जाय। संचार, सामग्री, परिवहन तथा जनशक्ति के सन्दर्भ में नेटवर्किंग विभिन्न स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों के बीच सुनिश्चित की जाए। पहले से उपलब्ध सूचना का कार्यान्वित करने योग्य योजना का विकास करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। दुर्घटना तथा आपात सेवाओं के खाके तथा डिजाइन को मानकीकृत किया जाए।

1/2 vLirky&iwz n[kj{k

आपात मामलों में स्वास्थ्य देखरेख डिलीवरी के सभी स्तरों पर आपात चिकित्सा देखरेख में मौजूदा अस्पताल-पूर्व देखरेख की सबसे कमजोर कड़ी है। यह दुष्क्रियात्मक और अनावश्यक

आपात सेवाएं हैं। एम्बुलेंस, संचार तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता के सन्दर्भ में अस्पताल-पूर्व देखरेख को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। देश तथा राज्यों में एक सामान्य नम्बर सहित प्रभावी प्रयोग के लिए मौजूदा एम्बुलेंसों के प्रभावी नेटवर्क तथा समन्वय की आवश्यकता है। अनुबंध 'क' पर दी गई राष्ट्रीय दुर्घटना नीति में प्रस्तावित सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिए।

1/2 विक्रि फ़ोर्ल क दक लिफ़'क, फ़िव्ह दस : लक एा फोर्कल

(i) भारत में आपात औषधि को एक स्पेशिएलिटी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। प्रशिक्षणाधीन चिकित्सक या निवासी ज्यादातर स्टॉफ के लिए आपात चिकित्सा में बहुत कम विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सहित आपात सेवाएं हैं। यदि आपात चिकित्सा को स्पेशिएलिटी के रूप में विकसित किया जाता है तो मुख्य बदलाव होंगे:—

- i क यह आपात स्थिति के तीव्र मूल्यांकन को सुलभ बनाएगा।
- i ख यह एकल सेटिंग में व्यापक निदान संबंधी कार्य को सुनिश्चित करता है।
- i ग यह अन्तर विभागीय तथा अन्तर अस्पताल स्थानान्तरण की आवश्यकता को कम से कम करता है इस प्रकार मरीजों की देखभाल को सुलभ बनाता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा पी. जी. आई. एम. ई. आर. चंडीगढ़ तथा अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों को अन्य चिकित्सा कॉलेजों में पाठ्यक्रम आरम्भ करने को सुलभ बनाने के लिए आपात औषधि का एक पाठ्यक्रम आरम्भ करना चाहिए।

1/2 if'k{k.k

यह अनिवार्य है कि संरचनात्मक प्रशिक्षण आपात पद्धतियों/प्रथम सहायता उपायों में डाक्टरों, पराचिकित्सा, अग्नि शमन कर्मियों, पुलिस कर्मियों तथा आम लोगों को दिया जाए। ऐसा प्रशिक्षण जिला अस्पतालों, चिकित्सा कालेजों में आयोजित किया जाना चाहिए। तीन दिनों में आपात चिकित्सा सेवा के बुनियादी सिद्धान्त को शामिल करते हुए जिला अस्पतालों, निगम अस्पतालों तथा ग्रामीण अस्पतालों के लिए एक अल्प अवधि क्रैश पाठ्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। विभिन्न स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के लिए मानकीकृत विस्तृत तथा संरचनात्मक प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी राज्यों में नियोजित तथा कार्यान्वित किए जाने चाहिए। जागरूकता बढ़ाने के लिए हाई-स्कूल तथा कालेजों के बच्चों को प्रथम सहायता में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षकों तथा आम/लोगों तथा गैर सरकारी संगठनों

को टी. वी. प्रोग्राम के जरिए जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ताकि लोगों के उठाए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी हो सके जब तक कि डाक्टर उपलब्ध न हो जाए। रेडियो तथा टी. वी. कार्यक्रम जैसे ‘डाक्टर के आने तक’ को प्रथम उपचार देने तथा स्वास्थ्य देखरेख संस्थान में स्थानान्तरण से पहले लागू किए जाने के लिए आम लोगों को शिक्षित किए जाने के लिए आवश्यक है।

8- **पुनर्वास के लिए आवश्यक सुविधाएँ ; कर्तव्य**

यह अनिवार्य है कि ये सिफारिशें निश्चित समय सारणी के अन्तर्गत कार्यान्वित की जानी चाहिए। तैयार की गई सिफारिशों को निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार उचित प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

1. **संस्थागत ढांचा**

1.1. **संस्थागत ढांचा ; उद्देश्य,**

- (i) राष्ट्रीय दुर्घटना नीति का प्रतिपादन
कार्रवाई: स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
- (ii) अनुबंध के पर राष्ट्रीय दुर्घटना नीति के रूप में समर्थित स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए केन्द्रीय समन्वयन, सुलभ मॉनीटरिंग तथा नियन्त्रण समिति की स्थापना।
कार्रवाई: भारत सरकार द्वारा
- (iii) मेडिकल कॉलेजों के साथ 3-4 जिलों को नामित करना जो प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र में अपने अलग-अलग निर्धारित जिलों के लिए परामर्शी केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।
कार्रवाई: राज्य सरकारों के संयोजन से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
- (iv) सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में बुनियादी, पूर्व-अस्पताल देखभाल को सुदृढ़ करने के साथ सभी राज्यों तथा विभिन्न संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिलों में केन्द्रीकृत दुर्घटना तथा अभिघात सेवाओं की स्थापना।
कार्रवाई: केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा

310: 'भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं' के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा..

- (v) नीति आयोजना तथा नेटवर्किंग के परिप्रेक्ष्य में सहायता करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर कंप्यूटरीकृत सूचना आधार का विकास।
कार्रवाई: केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा
- (vi) आंकड़ा संग्रहण तथा विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय अभिघात रजिस्ट्री स्थापित करने की आवश्यकता।
कार्रवाई: केन्द्र सरकार द्वारा
- (vii) आपात चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य देखरेख उपयोगिता को सुलभ बनाने के लिए मौजूदा सभी सुविधाओं, विधायी, परामर्शी पद्धति, मौजूदा नेटवर्किंग की सूचना का प्रसार।
केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई:
- (viii) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा मूल्यांकन के लिए संगठनात्मक बुनियादी सुविधाओं तथा वित्तीय ब्यौरों सहित ई. एम. एस. की कोटि बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तावों का विकास।
- (ix) चिकित्सा कॉलेजों तथा अन्य क्षेत्रीय क्षेत्रों में ई. एम. एस. में प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
- (x) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित विद्यमान विशेषज्ञ समूह स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी के विभिन्न स्तरों अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला/तालुका अस्पतालों, जिला अस्पतालों, चिकित्सा कालेजों तथा शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं, उपकरण, स्टॉफ पद्धति तथा प्रशिक्षण की सिफारिश करेगा।

1/2 k 1/2 nh? k bkyhu dk; k lo; u ds fy, fl Qkfj 'k 1/5 o" k 1/2

- (i) राष्ट्रीय दुर्घटना नीति की प्रस्तावित सिफारिशों का कार्यान्वयन
- (ii) गति तथा कार्य कुशलता किसी भी अभिघात देखभाल सेवा के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सुसज्जित तथा पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टॉफ, अभिघात केन्द्र की स्थापना उचित होगी। सभी जिला अस्पतालों में विशिष्ट बहु-विषयक अभिघात देखरेख सुविधाएँ होगी।
- (iii) स्पेशिएलिटी के रूप में आपात औषधि की स्थापना

(iv) vki krdky ds fy, mükj nsus grq fu% k yd l pkj uEcj , d s uEcj dk dkM 4444

vFkok 9999 gkuk pkfg, ftIs vkl kuh Is ;kn j[kk tk l ds rFkk ;g l EiwkZ
jk"V^a ds fy, l kekl; gkuk pkfg, A bUVjQd i)fr ,d h gkuk pkfg, fd ,d
gh l e; ij ;g dbZ dkly çklr dj l ds rFkk 'kh?kark l s mÜkj Hkh ns l dA

- (v) इस समय प्रगति अधीन स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना में संचार कॉल केन्द्र, उपकरण युक्त एम्बुलेंस जैसी कि प्रत्येक 30 किलोमीटर के लिए राष्ट्रीय दुर्घटना नीति में सिफारिश की गई है, प्रत्येक 50 किलोमीटर के लिए परा चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा चलाए गए आपात देखभाल केन्द्र होना चाहिए। सभी राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर भी ये सुविधाएँ होनी चाहिए।
- (vi) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा समिति का गठन।

312: 'भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं' के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा..

vuçak ^d^

jk"Vh; nqk/Wuk ulfr

1- y{;

राष्ट्रीय दुर्घटना नीति का लक्ष्य चोट निवारण, न्यूनीकरण, प्रबन्ध तथा पुनर्वास के लिए आयोजन तथा कार्यान्वयन उपायों के लिए विस्तृत दिशा—निर्देश दस्तावेज है।

2- mnns ;

राष्ट्रीय दुर्घटना नीति के मुख्य उद्देश्य होंगे

- (क) भारत के सभी नागरिकों को अभिघात देखरेख सेवाएँ प्रदान करना।
- (ख) अभिघात पीड़ितों को पर्याप्त तथा तुरंत राहत प्रदान करना तथा परिणामस्वरूप होने वाली विकलांगता को कम करना।
- (ग) ऐसे उपाय करना जो अभिघात दुर्घटनाओं तथा दुर्घटना पीड़ितों की विकलांगता के निवारण आदि कम करने के लिए आवश्यक हो।
- (घ) अभिघात दुर्घटनाओं, निवारण तथा राहत में कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- (च) अभिघात दुर्घटनाओं, निवारण तथा दुर्घटना पीड़ितों के प्रबन्ध के क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाना।
- (छ) सामुदायिक जागरूकता पैदा करना तथा अभिघात दुर्घटना निवारण में सामुदायिक शिक्षा तथा भागीदारी आरम्भ करना।

3- l xBukRed <kpk

½ nqk/Wuk fuokj.k rFkk jkgr ixf/kdj.k

राष्ट्रीय स्तर पर एक बहु—विषयक तथा बहु क्षेत्रीय समिति होनी चाहिए जो दुर्घटनाओं को रोकने तथा दुर्घटना पीड़ितों को राहत प्रदान करने के कार्यकलापों की नीति बनाने, आयोजन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, रेल, स्वास्थ्य, गृह, वित्त, कानून, उद्योग तथा कृषि जैसे सभी सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि इस निकाय के अंग होने चाहिए। इस निकाय के अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के सचिव होने चाहिए। इस निकाय

की ओर से रोजमर्रा का नियमित समन्वय कार्यकलाप एक तकनीकी विशेषज्ञ (चिकित्सा) द्वारा किया जाना चाहिए, जिन्हें निदेशक (दुर्घटना, निवारण तथा राहत कार्यक्रम) के रूप में पद नामित किया जाना चाहिए।

अलग अलग राज्यों में दुर्घटना निवारण तथा राहत कार्यकलापों के समन्वयन तथा चलाने के लिए राज्य स्तर पर इसी प्रकार के संगठन स्थापित किए जाने चाहिए। राज्य समितियों को एक दूसरे तथा राष्ट्रीय दुर्घटना निवारण प्राधिकरण के सहयोग से काम करना चाहिए। यह प्राधिकरण समस्याओं के गहन अध्ययन के लिए आवश्यकता होने पर उपयुक्त उप-समितियाँ तथा विशेषज्ञ निकाय बनाएगा।

उप-समितियाँ आरम्भ में घरेलू तथा मनोरंजनात्मक, परिवहन, व्यावसायिक दुर्घटनाओं तथा प्राकृतिक विपदाओं के लिए गठित की जा सकती हैं।

1/2 fuxjukh rFkk vuqfkd

सभी दुर्घटनाओं की निगरानी तथा अनुवीक्षक, समस्या का परिमाण तथा स्वरूप निर्धारित करने तथा दुर्घटना निवारण कार्यक्रमों के लिए मनोवैज्ञानिक तथा वातावरण संबंधी कारकों का पता लगाने के लिए भी आवश्यक है। ऐसे अनुवीक्षक को प्रभावी बनाने के लिए, सभी दुर्घटना मामले अधिसूचित किए जाने चाहिए जैसे कि संक्रामक बीमारियों के मामले में।

1/2 nqk/uk fo'yšk.k dñz

एक राष्ट्रीय दुर्घटना विश्लेषण केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसे राज्य स्तरीय विश्लेषण केन्द्रों से जोड़ा जाना चाहिए, जिनका सभी बड़े शहरों में सम्पोषक नेटवर्क होना चाहिए। राष्ट्रीय/राज्य केन्द्रों को दुर्घटना आंकड़ों का आवधिक विश्लेषण तथा प्रकाशन तथा निवारणात्मक उपायों पर अनुसंधान करना चाहिए। इसका लक्ष्य सभी स्थानों पर सरल अभिघात रजिस्ट्री का विकास होना चाहिए तथा तकनीकी सुविज्ञाता सहित संस्थानों को विस्तृत अध्ययन करना चाहिए।

1/2 nqk/uk ihM+ka dk icl/ku

जीवन की उत्पादक अवधि अर्थात् 15 से 40 वर्षों में मृत्यु तथा विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है, दुर्घटना पीड़ितों का प्रबन्धन सभी सम्बन्धितों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय होना चाहिए तथा यह किसी भी स्वास्थ्य देखरेख डिलीवरी पद्धति में उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए। तीव्र औद्योगीकरण, कृषि की वस्तुओं, बढ़ते हुए मैकेनाइजेशन के लिए विशाल मार्ग परिवहन का विस्तृत प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, दुर्घटनाएं अब केवल शहरी समस्या नहीं हैं। बड़ी संख्या

314: 'भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं' के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा..

में गांव वालों को श्रेशर, छिलका कटाई तथा हलिंग मशीनों के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में अंग भंग करने वाली चोटें लग जाती हैं।

अभिघात प्रबन्धन में न केवल सही तथा पर्याप्त उपचार की आवश्यकता होती है परन्तु यह अधिक महत्त्वपूर्ण है कि ऐसा उपचार बिना समय बर्बाद किए किया जाना चाहिए। अतः सामुदायिक जागरूकता तथा सामुदायिक शिक्षा आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं की रिपोर्ट जाँच (पुलिस) तथा बचाव (चिकित्सा) प्राधिकरणों दोनों की अविलम्ब दी जाए। पीड़ितों के चिकित्सा प्रबन्धन को सभी कानूनी तथा अन्य औपचारिकताओं के मुकाबले में प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए।

1/2 नई/uk cplk nLrk

इसमें सुसज्जित वाहन तथा पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित बचाव कार्मिक होने चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ मोटर चलने योग्य सड़कों का अच्छा नेटवर्क विद्यमान है, एम्बुलेंस वाहनों का पर्याप्त पलीट दुर्घटना राहत कार्यो के लिए तैयार किए चौपहिए/मोटर साईकिल/स्कूटर प्रदान किए जाने चाहिए। अगम्य क्षेत्रों में, स्थानीय परिवहन, अर्थात् बैलगाड़ियों तथा किशती का प्रयोग किया जा सकता है। रखरखाव तथा ठीक रखने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्राधिकरण पर होगा। सभी एम्बुलेंसो में अस्पताल तथा स्थानीय पुलिस मुख्यालय के साथ रेडियो नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्येक वाहन में मौके पर दुर्घटना पीड़ितों की फोटो के लिए एक कैमरा प्रदान किया जाना चाहिए। सभी वाहनों में जख्मी लोगों को जीवित रखने के लिए अपेक्षित उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

सभी कार्मिक विशेष तथा पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए तथा इस प्रशिक्षण में प्रथम उपचार, बुनियादी रिससिटेटिव पद्धतियों, चोटों तथा उनकी गम्भीरता की पहचान, संचार दक्षता तथा आपातकाल के मामले में वाहन चलाना शामिल होना चाहिए। प्रत्येक वाहन में कम से कम दो ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ—साथ एक चालक होना चाहिए। सतत् शिक्षा के प्रयोजन से दुर्घटना एककों तथा नामित अस्पतालों में नियमित रूप से अल्प अवधि के लिए बचाव दस्ता कार्मिक तैनात किए जाने चाहिए। विशेष मामलों में, आवश्यकता पड़ने पर नामित अस्पतालों से चल चिकित्सा टीमें भेजी जा सकती हैं।

राष्ट्रीय मार्गों पर प्रत्येक 30 किलोमीटर के लिए चल रहे गोल्डन चतुर्भुज परियोजना सहित प्रत्येक 50 किलोमीटर पर आपात देख रेख केन्द्र होने चाहिए।

1/2 I 1Fkxr çcu/ku

चूंकि भारत जैसे विशाल देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न हैं, मल्टी-टियर पद्धति तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसमें दुर्घटना प्राप्त कर रहा स्टेशन, दुर्घटना एकक तथा दुर्घटनाओं के लिए नामित अस्पताल शामिल हैं।

1/2 nqk/wuk ds ekeys iklr dj jgs LVs/ku

इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तथा कम दुर्घटना वाले क्षेत्रों में चलाया जाना चाहिए तथा मामूली फ्रैक्चर सहित मामूली चोटों से निपटने के लिए मुख्यतः प्रथम सहायता केन्द्रों के रूप में कार्य करना चाहिए। अधिक गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में प्रथम सहायता के पश्चात् स्थानीय रूप से उपलब्ध एम्बुलेंस द्वारा नजदीकी दुर्घटना एकक/नामित अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ब्लॉक स्तरीय डिस्पेंसरी को दुर्घटना के मामले प्राप्त कर रहे स्टेशन के रूप में आयोजित किया जा सकता है।

1/2 nqk/wuk , dd

कम दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में प्रत्येक 1,00,000 से 2,50,000 आबादी के लिए तथा अधिक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में प्रत्येक 10 वर्ग किलोमीटर परिधि में कम से कम एक दुर्घटना एकक स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। किसी तालुका/उप डिवीज़नल अस्पताल को इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित तथा सुसज्जित किया जा सकता है। इन्हें कैजुएल्टी की जरूरतें पूरी करनी चाहिए, रिसस्टीटेटिव उपाय तथा चोटों का नेमी उपचार करना चाहिए। सरल तथा मिश्रित दोनों प्रकार के फ्रैक्चर जिन्हें घनिष्ठ जोड़-तोड़ की आवश्यकता है, सरल फ्रैक्चर का आन्तरिक निर्धारण, हाथ तथा पेट की चोटें तथा सिर तथा छाती की चोटों वाले मरीज जिन्हें निगरानी की आवश्यकता है, इन एककों पर प्रभावी रूप से देखे जा सकते हैं।

स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थानीय दुर्घटना दरों पर निर्भर करते हुए सभी केन्द्रों पर 15-50 बिस्तर प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

1/2 ukfer vLirky

प्रत्येक दुर्घटना एकक नामित अस्पताल से जुड़ा होना चाहिए। ये अस्पताल सभी मुख्य अभिघात मामलों में कार्रवाई करने में समर्थ होने चाहिए। प्रत्येक नामित अस्पताल में इसका अपना दुर्घटना एकक तथा पुनर्वास विंग होना चाहिए। उसमें सभी क्षेत्रों में सुप्रशिक्षित तथा सक्षम कर्मचारी होने चाहिए। जबकि सभी नामित अस्पतालों में न्यूरो सर्जिकल तथा थोरेसिक शल्य चिकित्सा

316: 'भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं' के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा..

उपलब्ध होना एक आदर्श होगा, यह महसूस किया गया कि ऐसी सुविधाओं में अधिक लागत तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव न हों। तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक नामित अस्पताल में ये सुविधाएँ होनी चाहिए। यह अस्पताल विशेष न्यूरो तथा थोरेसिक शल्य क्रिया के लिए परामर्शी एकक के रूप में कार्य कर सकता है।

1- नर्क/ukvka dk fuokj .k

निवारण संबंधी उपाय तथा नीतियाँ अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। कुछ पहलू जिन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, वे हैं:—

- (क) ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए प्रथम सहायता प्रशिक्षण तथा पूर्ण स्वस्थता पूर्व अपेक्षित हो।
- (ख) सुरक्षा साधन जैसे कि उपयुक्त वाहन चालकों तथा यात्रियों के लिए सीट बेल्ट तथा हेलमेट का अनिवार्य प्रयोग।
- (ग) यातायात नियमों तथा सुरक्षा निवारण के उल्लंघन से संबंधित कानून को सख्ती से लागू करना।
- (घ) उद्योग तथा कृषि में सुरक्षा साधनों का अनिवार्य प्रयोग।
- (च) प्रथम उपचार में व्यापक प्रशिक्षण ताकि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य बुनियादी प्रथम उपचार को जानता हो।
- (छ) स्कूली पाठ्यचर्चा में दुर्घटना निवारण तथा प्रथम उपचार का शामिल किया जाना।
- (ज) कृषि तथा स्वतः नियुक्त व्यक्तियों सहित सभी श्रेणी के कामगारों को शामिल करने के लिए बीमा योजना का विस्तार। ऐसी बीमा योजना में निवारण उपायों के संवर्धन को अंतर्निहित किया जाए।
- (झ) दुर्घटना निवारण से कानूनों की आवधिक समीक्षा।
- (ट) मीडिया आदि के जरिए दुर्घटनाओं के निवारण के लिए शैक्षिक कार्यक्रम।

5- चिकित्सा सुविधाओं का विकास

प्रशिक्षण सेवाएँ दुर्घटना पीड़ितों से सम्बन्धित चिकित्सा तथा परा चिकित्सा कर्मियों के लिए ही न केवल अनिवार्य हैं; अपितु औद्योगिक क्षेत्रों के नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों तथा कुल मिला कर समुदाय के लिए भी।

(क) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान

दुर्घटना प्रबन्ध तथा निवारण की उच्च प्रशिक्षण रीति विधान के लिए देश के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात् केन्द्र, उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने चाहिए। चिकित्सा तथा वरिष्ठ परा चिकित्सा स्टाफ के लिए नियमित पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए। यह अनिवार्य है कि नामित अस्पतालों के सभी चिकित्सा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पाँच वर्षों में तीन महीने का दिग्विन्यास एवं पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए।

(ख) नामित अस्पताल

बचाव कर्मियों सहित परा चिकित्सा कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करनी चाहिए। दुर्घटना प्राप्त कर रहे स्टेशनों के कर्मचारियों के लिए उन अस्पतालों में नियमित पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। बचाव कर्मियों तथा तकनीशियनों के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा भी इन अस्पतालों में आयोजित किया जा सकता है।

6- निवारण सुविधाओं का विकास

सामुदायिक शिक्षा तथा भागीदारी के लिए नियमित दुर्घटना अभियान तथा कार्यक्रम होने चाहिए। आयोजित तथा गैर आयोजित दोनों क्षेत्रों में नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों, स्कूली बच्चों, शिक्षकों पर ऐसे कार्यक्रम केन्द्रित होने चाहिए। कुल मिला कर लोगों को इन एककों में नियमित रूप से आयोजित प्रथम उपचार पाठ्यक्रम के लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। दुर्घटना प्राप्त कर रहे स्टेशनों से संलग्न कर्मियों को दुर्घटना निवारण, जागरूकता तथा प्रथम सहायता में इसी प्रकार की प्रेरणा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

7- राष्ट्रीय दुर्घटना नीति का विकास

ऐसी राष्ट्रीय दुर्घटना नीति बनाते समय, वित्तीय बाधाओं, तकनीकी ज्ञान, जनशक्ति, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कारकों का उचित ध्यान रखा जाए। जहाँ तक संभव हो मौजूदा सुविधाओं को जोड़ा, उपयुक्त रूप से संशोधित तथा आधुनिक बनाया जाए। इसी नीति के कार्यान्वयन का लक्ष्य दुर्घटनाओं की संख्या तथा उनके परिणाम स्वरूप होने वाली विकलांगता को कम करना होना चाहिए। यह

318: 'भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं' के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा..

सामान्य शल्य चिकित्सकों के दलों के बोझ को कम करते हुए उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि तथा अस्पताल व्यय में कमी करेगा।

तत्पश्चात् प्रत्यक्ष सुविधाओं एवं उपकरणों के रूप में पूंजी व्यय हेतु वित्तीय निर्विष्ट उपलब्ध कराया जाये तथा सभी श्रेणियों के अतिरिक्त पदों को सृजित किया जाये। इनके लिए संसाधन 3.5 वर्षीय योजनाओं में फैले राष्ट्रीय योजना परियोजना के रूप में स्कीम को शामिल करते हुए जुटाए जा सकते हैं। ऐसी योजना पर वित्तीय परिव्यय की क्षतिपूर्ति परिहार्य दुर्घटनाओं के कारण होने वाली राजकोष को हानि समाप्त करके, खराब हुए श्रम घंटों को कम करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार करके, प्रति मरीज अस्पताल व्यय कम करके, दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में ठहरने की अवधि को कम करके तथा स्थायी विकलांगता में कमी करके पूरा किया जा सकता है।

8- , Ecyd

पूर्व अस्पताल देखरेख में सुसज्जित तथा पर्याप्त कर्मचारियों सहित एम्बुलेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

1/2 I ; k

प्रस्तावित मानदंड—50,000 जनसंख्या के लिए 1 एम्बुलेंस

1/2 rSkrh

उत्तर देने का समय 15 मिनट:

10 किलोमीटर परिधि वाले क्षेत्र को शामिल करने के लिए 1 एम्बुलेंस पर विचार किया जा सकता है।

निम्नलिखित का ध्यान रखते हुए बुनियादी तथा लोचनीय आवश्यकता

- दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
- विपदा सम्भावित क्षेत्र
 - अभिगमन हेतु वाहनों का तैयार रहना
 - बी. एल. एस. प्रदान करने वाले एम्बुलेंस
 - ए. एल. एस. प्रदान करने वाले प्रति जिला एक एम्बुलेंस

एम्बुलेंस डिजाईन/विशेषताएं

- मरीज का कक्ष
- चालक का कक्ष
- स्थान
 - दो जूनियर एम्बुलेंस अधिकारियों के लिए
 - दो लेटने वाले मरीजों के लिए
 - उपकरण तथा सप्लाई
- ठीक चलने के लिए अन्य डिजाईन विशेषताएँ
- आवर्धित स्थगन पद्धति
- शोर तथा कंपन से स्वतन्त्रता
- चढ़ाने/उतारने के लिए आराम
- रोशनदान/वातानूकूलन
- अधिकतम फ्लोरेसेंट रोशनी
- न्यूनतम स्वीकार्य माप

LVIKQ i)fr

- वही, जैसी कि सिफारिश की गई है अर्थात्
 - बहु विषयक दक्षता सहित स्नातक
 - प्रति एम्बुलेंस स्टेशन हेतु एम्बुलेंस स्टेशन अधिकारी
 - प्रति पारी प्रति एम्बुलेंस हेतु 2 जूनियर एम्बुलेंस अधिकारी
 - प्रति पारी प्रति स्टेशन हेतु 1 बहु उद्देशीय परिचारी
- +30% प्रशिक्षण तथा छुट्टी आरक्षण :-
- इनमें सभी कर्मचारियों को सतत् प्रशिक्षण दिया जाए

320: 'भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं' के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा..

- प्रथम उपचार
- सी. पी. आर.
- वारयरलेस संचार
- ड्राइविंग
- अभिघात प्रबन्ध में उन्नत रफ्तार से चलने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का नियमित रूप से संशोधन किया जाए।
- प्रति जिला एक विकसित जीवन सहायक उपस्करों से सज्जित एम्बुलेंस बी. एल. एस. (बुनियादी जीवन सहायता) के लिए उपस्कर
- ❖ वायुपथ रखरखाव के लिए
 - विभिन्न आकार के ओरोफरगियल वायुपथ
 - विभिन्न आकार के नासोफरगियल वायु पथ
- ❖ कृत्रिम वेंटीलेटरी सहायता के लिए
 - स्वतः भरने वाला बैग वाल्व मास्क यूनिट (प्रोढ़ों और बच्चों के लिये)
 - आरोनेज़ वेंटीलेशन के लिए वन वे वॉल्व सहित जेबी मुखौटा
 - जबाड़ा लॉक
 - आक्सीजन थेरेपी उपकरण
 - ❑ 3000 एल रिसरवोयर का लगा हुआ एक स्थिर तंत्र
 - ❑ 100 एल का एक सुवाहय तंत्र
- ❖ सक्शन उपकरण
 - 4 सैकेण्ड के अन्दर 300 एम. एम. एच. जी. के. वैक्यूम सहित 1 स्थिर एयरफ्लो 30 एल/मिनट
 - मोटर / हाथ/पैर द्वारा चालित एक सुवाहय सक्शन
- ❖ मरीज अनुवीक्षण कार्यकलाप के लिए

- रक्तचापदर्शी (प्रौढ़ों एवं बच्चों के लिये)
- दोहरा हैड स्टेथेस्कोप
- त्वचा का तापमान दर्शाने वाले यंत्र
- ❖ आधुनिक जीवन सहायक उपकरण
 - वीनस कट डाउन किट
 - श्वासनली संबंधी इन्ट्यूबेशन किट
 - फ्लूरल डीकम्प्रेसन किट
 - ट्रेचेयोटोमी (श्वासनली में किया जाने वाला छेद) किट
 - लघु शल्य चिकित्सा रिपेयर किट
 - सुवाहय कार्डियक मॉनीटर तथा डेफिब्रिलेटर
- ❖ सामग्री तथा सप्लाई
- ❖ दो तरफा संचार सुविधाएँ
- ❖ लोक सम्बोधन प्रणाली
- ❖ सचेतक रोशनी प्रणाली

मोटर साईकल/स्कूटर एम्बुलेंस की योजना बनाई तथा तैनात की जाए। यह उन क्षेत्रों में लाभदायक होगी जहां यातायात बहुत अधिक हो अथवा जहाँ 4 पहिए के एम्बुलेंस के लिए सेडकों की अनुपलब्धता हो। मोटर साईकल/स्कूटर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जीवन रक्षक दवाओं तथा उपकरणों से सुसज्जित होनी चाहिए। आपात देखरेख में प्रशिक्षित कार्मिकों को उन्हें चलाने के लिए लगाया जाए।

322: 'भारत में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं' के पहलुओं पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट—मौजूदा..

Lkegka ds fopkj kFkZ fo"k;

1. भारत में आपात चिकित्सा देखभाल के लिए मौजूदा पद्धति का अध्ययन करना।
2. दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित आपात चिकित्सा देखरेख (केन्द्रीयकृत दुर्घटना तथा अभिघात सेवाओं) के लिए मौजूदा पद्धति का अध्ययन करना।
3. आपात चिकित्सा देखरेख के उपयुक्त मॉडलों का सुझाव देना जिनका विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विकास किया जाना चाहिए तथा उनके अनिवार्य घटक।

fo'kSkK l eg

समूह में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. डॉ. पी.के.दवे, रॉकलैंड अस्पताल, बी-33/34 कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016
2. डॉ. एन.एस. लौड, ब्रीच कैंडी अस्पताल, 60-ए, भूलाभाई देसाई रोड मुम्बई-400026
3. प्रो० आई.के. धवन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इस समय सीता राम भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दिल्ली में
4. डॉ. शक्ति कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रोफेसर, अस्पताल प्रशासन विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
5. डॉ. सालुन्के, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, महाराष्ट्र सरकार
6. डॉ. बी.एम.दास, निदेशक (ई. एम. आर.), स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, दिल्ली
7. डॉ. राजेन्द्रन, वरिष्ठ सिविल सर्जन, मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई
8. डॉ. सुरेन्द्र कत्याल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, अभिघात केन्द्र, करनाल
9. डॉ. जी. गुरुराज, अतिरिक्त प्रोफेसर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, पो.ओ. बाक्स नं. 2900, बेंगलोर-500029
10. लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सुनीता कान्त, डी.डी.जी. एम एस (कार्मिक) का कार्यालय, महानिदेशक के निदेशालय का कार्यालय, ए. एफ. एम. सी., नई दिल्ली।

Ekkuo vaxka ea vošk 0; ki kj dks jkdus ds fy, l qk, x,
mi pkjh mik; ka ij Hkjr ds iz/kuea-h rFkk jkT; ka@l ak
'kfl r {k=ka ds eq; ea=; ka dk vk; kx ds v/; {k dk fnukad
29 tuojuh 2004 dk i=

v/kz ljdkjh i= l q; k 11@5@2001 ih vkj- ih ,M- ih 29 tuojuh 2004

प्रिय प्रधानमंत्री,

आयोग मानव अंगों, विशेष रूप से गुर्दे के अवैध व्यापार के संबंध में अत्यन्त चिन्तित है जिसमें गरीब लोगों का शोषण तथा उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। अंगों के अवैध व्यापार की रिपोर्ट है जिसमें क्लिनिकल, क्लिनिकल केन्द्रों के प्रबन्धक, बिचौलिया तथा अन्य लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास ऐसे दृष्टान्त हैं जिनमें अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में 'दयालु दाता' प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई मामलों में दाता असम्बद्ध तथा अपरिचित व्यक्ति होता है, जिसे भावी प्राप्तकर्ता द्वारा अथवा उनकी ओर से वित्तीय पेशकश द्वारा अंग जैसे कि गुरदा दान देने के लिए प्रलोभन दिया जाता है।

'अंग खरीद' की प्रथा ने बिचौलियों के रूप में कार्य कर रहे दलालों तथा दयालु चन्दा के तथाकथित झूठे रिकार्डों के सृजन सहित 'अंग व्यापार' ने अविश्वसनीय आयाम प्राप्त कर लिया है। यद्यपि समीक्षा प्रक्रिया को सख्त बनाने के लिए कर्नाटक में कई कदम उठाए गए हैं, फिर भी मीडिया में तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश तथा कई अन्य राज्यों में इस हानिकार प्रथा की गड़बड़ रिपोर्ट आई हैं। मानव अंगों में यह अवैध व्यापार अनैतिक है तथा मानव अधिकारों का गम्भीर उल्लंघन है।

324: मानव अंगों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए सुझाए गए उपचारी उपायों पर भारत के...

आयोग ने लोक स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों विशेष रूप से मानव अंगों के व्यापार के संबंध में छानबीन करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों के एक कोर समूह का गठन किया गया है। उन्होंने सामूहिक रूप से मत व्यक्त किया गया है कि अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में 'दयालु दान' से सम्बन्धित धारा का अनैतिक ढंग से प्रायः शोषण किया गया है, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कुछ उपचारी उपायों का सुझाव दिया है।

मामले पर गहराई से विचार करने पर आयोग सिफारिश करता है कि प्रस्तावित उपचारी उपाय, जो संलग्न हैं, अपना लिए जाएं। आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू करने के अनुरोध सहित मैं सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को लिख रहा हूँ।

क्या मैं इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई उपयुक्त कार्रवाई का अनुरोध कर सकता हूँ।

सादर,

आपका

¼ -, I - vkuln½

I yXu%mi ; Pr

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

माननीय प्रधानमंत्री,

साउथ ब्लॉक

नई दिल्ली-110001

v/k l jdkjh i = l ; k 11@5@2001&ih vkj- ih ,M- ih 29 tuojuh 2004

प्रिय मुख्य मंत्री,

आयोग मानव अंगों, विशेष रूप से गुर्दे के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित है जिसमें गरीब लोगों का शोषण तथा उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। अंगों के अवैध व्यापार की रिपोर्टें हैं जिसमें क्लिनिकल, क्लिनिकल केन्द्रों के प्रबन्धक, बिचौलिए तथा अन्य लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास ऐसे दृष्टान्त हैं जिनमें अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में 'दयालु दाता' प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई मामलों में 'दाता' असम्बद्ध तथा अपरिचित व्यक्ति होता है जिसे भावी प्राप्तकर्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से वित्तीय पेशकश द्वारा गुर्दा दान करने के लिए प्रलोभन दिया जाता है।

'अंग खरीद' की प्रथा ने बिचौलियों के रूप में कार्य कर रहे दलालों तथा दयालु चन्दे के तथाकथित झूठे रिकार्ड के सृजन सहित 'अंग व्यापार' ने अविश्वसनीय आयाम प्राप्त कर लिया है। यद्यपि समीक्षा प्रक्रिया को कठोर बनाने के लिए कर्नाटक में कई कदम उठाए गए हैं फिर भी मीडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कई अन्य राज्यों में इस हानिकारक प्रथा की गड़बड़ रिपोर्टें आई हैं। मानव अंगों का यह अवैध व्यापार अनैतिक है तथा मानव अधिकारों का गम्भीर उल्लंघन है।

आयोग ने लोक स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों विशेष रूप से मानव अंगों के व्यापार के संबंध में छानबीन करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों के एक कोर समूह का गठन किया गया है कि अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में 'दयालु दान' से सम्बन्धित धारा का अनैतिक ढंग से शोषण किया गया है, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कुछ उपचारी उपायों का सुझाव दिया है।

इस दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग सिफारिश करता है कि उपचारी उपाय, जो संलग्न हैं, अपना लिए जाएं। मैं इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करता हूँ। यह लाभदायक भी होगा, यदि स्थिति की नियमित अन्तरालों पर उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है। यह प्रशंसनीय होगा यदि उपर्युक्त सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को यथाशीघ्र भेज दी जाए।

सादर,

आपका

(ए.एस.आनन्द)

326: मानव अंगों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए सुझाए गए उपचारी उपायों पर भारत के...

वृत्तमि ; ष्र

सेवा

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्य मंत्री

वृत्तक

मानव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सुझाए गए उपचारी उपाय

- क) राज्य चिकित्सा परिषदों को अंग प्रत्यारोपण (विशेष रूप से गुर्दा प्रत्यारोपण) कर रहे अस्पताल के रिकार्डों की समीक्षा करनी चाहिए तथा प्रत्यारोपण के अनुपात का अनुमान दें जो 'दयालु दानकर्ता' तंत्र के माध्यम से किए गए हैं। गुर्दा प्रत्यारोपणों के मामले में, जहाँ अनुपात किन्हीं भी पांच वर्षों में किए गए मामलों से 5 प्रतिशत अधिक है, राज्य चिकित्सा परिषद को दानकर्ताओं तथा प्राप्तकर्ताओं की पृष्ठभूमि, दाता की अनुवर्ती स्वास्थ्य स्थिति के सुविचारित प्रलेखन तथा सम्बन्धित अस्पताल द्वारा बाद में प्रदान किए गए देखभाल के स्वरूप की पूर्ण छानबीन करनी चाहिए। जहाँ ऐसी पृष्ठभूमि जाँच के लिए पुलिस छानबीन की आवश्यकता हो तो राज्य अभिकरणों को उपयुक्त हिदायतें देने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग की सहायता ली जाए।
- ख) 'जीवित दाताओं की माँग को कम करने के लिए शव रोपण कार्यक्रमों को प्रोन्नत किया जाना चाहिए।
- ग) गुर्दा प्रत्यारोपण का विकल्प प्रदान करने के लिए चिरकालिक गुर्दे के अपोहन की सुविधाओं को बढ़ाया तथा उन्नत किया जाना चाहिए।
- घ) भावी दाताओं के पारदर्शी तथा प्रभावी परामर्श के लिए बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
- च) जहाँ-कहीं सम्भव हो, विशेषज्ञों के समूह द्वारा 'दयालु दान' की यथातथ्यता के स्वतन्त्र सत्यापन के लिए तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए जो अस्पताल के लिए बाह्य है जिसमें प्रत्यारोपण पद्धति अपनाई जाने का प्रस्ताव हो।

भारतीय जनसंख्या सजातीय मिश्र है, अतः कोई विशेष प्रजातियाँ नहीं हैं। अतः जातीय भेदभाव भारत में अस्तित्व में नहीं है। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी एक पर आधारित भेदभाव भारत के संविधान द्वारा अवैध घोषित किया गया है। (अनुच्छेद 15)

प्रजातिवाद, जातीय भेदभाव, विदेशी-द्वेष तथा सम्बद्ध असहिष्णुता के विरुद्ध 2001 में डर्बन में हुए विश्व सम्मेलन में, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मत व्यक्त किया कि मानव अधिकार मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान चाहे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, ऐसे अधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण में सभी रचनात्मक रूप से योगदान दे सकते हैं। यह भी कहा गया कि भेदभाव के स्वरूप की नामावली नहीं थी जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए किन्तु उसके चिरकाल तक बने रहने का तथ्य था। आयोग ने टिप्पणी की कि भारत का संविधान अनुच्छेद 15 "वंश" तथा "जाति" दोनों के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है तथा संविधानात्मक गारन्टी को पूरे जोश के साथ कार्यान्वित किया जाना था। आयोग का मत था कि देश में शासन दस्तावेज तथा सोसायटी का ओजस्वी तथा वचनबद्ध गैर-सरकारी क्षेत्र, जो विद्यमान था, ऐतिहासिक अन्य के विरुद्ध मिल कर जीत सकता है जिसने हमारे देश के सबसे कमजोर वर्गों विशेष रूप से दलितों तथा आदिवासियों को ठेस पहुँचाई थी। आयोग ने निष्कर्ष निकाला

भारतीय जनसंख्या सजातीय मिश्र है, अतः कोई विशेष प्रजातियाँ नहीं हैं। अतः जातीय भेदभाव भारत में अस्तित्व में नहीं है। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी एक पर आधारित भेदभाव भारत के संविधान द्वारा अवैध घोषित किया गया है। (अनुच्छेद 15)

प्रजातिवाद, जातीय भेदभाव, विदेशी-द्वेष तथा सम्बद्ध असहिष्णुता के विरुद्ध 2001 में डर्बन में हुए विश्व सम्मेलन में, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मत व्यक्त किया कि मानव अधिकार मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान चाहे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, ऐसे अधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण में सभी रचनात्मक रूप से योगदान दे सकते हैं। यह भी कहा गया कि भेदभाव के स्वरूप की नामावली नहीं थी जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए किन्तु उसके चिरकाल तक बने रहने का तथ्य था। आयोग ने टिप्पणी की कि भारत का संविधान अनुच्छेद 15 "वंश" तथा "जाति" दोनों के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है तथा संविधानात्मक गारन्टी को पूरे जोश के साथ कार्यान्वित किया जाना था। आयोग का मत था कि देश में शासन दस्तावेज तथा सोसायटी का ओजस्वी तथा वचनबद्ध गैर-सरकारी क्षेत्र, जो विद्यमान था, ऐतिहासिक अन्य के विरुद्ध मिल कर जीत सकता है जिसने हमारे देश के सबसे कमजोर वर्गों विशेष रूप से दलितों तथा आदिवासियों को ठेस पहुँचाई थी। आयोग ने निष्कर्ष निकाला

कि यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी तथा एक नैतिक अनिवार्यता थी जिसका सम्मान किया जा सकता है तथा अवश्य सम्मान किया जाना चाहिए।

संविधान का अनुच्छेद 17 'छूआछूत' को समाप्त करता है तथा 'छूआछूत' से उत्पन्न होने वाली कोई विकलांगता को कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध बनाता है। संसद ने सिविल (छूआछूत-विरोधी) अधिनियम, 1955 में पहले से ही बना दिया है। हालाँकि, जाति पर आधारित भेदभाव, सार्वजनिक कुओं/नहाने के घाटों तथा मन्दिरों तक पहुँच की अस्वीकृति के उदाहरणों की रिपोर्ट देश के कुछ भागों से आई है। सिर पर मैला ढुलाई, बंधुआ मजदूर तथा बाल श्रम की मौजूदगी दुष्प्रभाव डालते ही हैं, बल्कि अन्य वर्गों के अनुसूचित जातियों के सदस्य भी गम्भीर चिन्ता का कारण हैं। अतः भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इन प्रथाओं को एक समयबद्ध तरीके से दूर करने की दृष्टि से सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्रीय प्राधिकरणों के साथ इन विषयों को उठाया है। हमारे आयोग के अध्यक्ष के एक पत्र के प्रत्युत्तर में, भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें सूचित किया है कि सिर पर मैला ढुलाई की अपमानजनक प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता को स्वतन्त्रता दिवस, 15 अगस्त 2002 को घोषित 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया।

संविधानात्मक प्रावधानों को स्पष्ट अभिव्यक्ति देने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधायी उपायों की एक प्रभावशाली शृंखला बनाई गई है। अन्य के साथ-साथ इनमें शामिल हैं:

- सिविल अधिकारी संरक्षण (छूआछूत विरोधी) अधिनियम 1955
- बंधुआ श्रमिक (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- सिर पर मैला ढोने वालों के रोजगार तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993, और
- विभिन्न भूमि सुधार अधिनियम

भारत सरकार ने इन वर्गों के अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की भी स्थापना की है। इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग न केवल इन वर्गों द्वारा सामना किए गए मानव अधिकार के उल्लंघनों की अलग-अलग शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। अपितु सिर पर मैला ढुलाई तथा बंधुआ श्रमिक आदि के उन्मूलन जैसे विषयों को भी उठाया है जो उन पर दुष्प्रभाव डालता है।

- संविधान के अन्तर्गत स्वीकृत सकारात्मक कार्रवाई तथा 'क्षतिपूर्ति भेदभाव' तथा उन प्रावधानों के अन्तर्गत परिकल्पित उपायों की शृंखला तथा कार्यक्षेत्र के बावजूद भी, एक दुःखद तथ्य

यह है कि सामाजिक अन्याय तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों का शोषण हमारे समाज से अभी तक दूर नहीं हुआ है। अतः चुनौती इन कानूनी प्रावधानों को वास्तविकता में बदलने तथा मौजूदा कानूनों के सख्ती से लागू करने में है। मूल भाव मौजूदा कानूनी प्रावधानों की पूर्ण शृंखला के प्रभावशाली कार्यान्वयन में है।

- राज्य द्वारा विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी, जिसमें संसार में कहीं भी लोकतान्त्रिक सोसायटी में आरम्भ की गई सकारात्मक कार्रवाई के दूरगामी कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह जानकर अत्यधिक दुःखी है कि दलितों के विरुद्ध अत्याचार होते रहते हैं (उनसे उतने ही दुःखी हैं जितने कि समाज के अन्य कमजोर वर्गों से), जबकि नीति निर्देश तथा वास्तविकता के बीच गम्भीर अन्तराल विद्यमान है। इसके कई कारण हैं: ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक।
- अनुसूचित जातियों पर किए गए जुर्म आयोग के लिए चिन्ता का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जुर्म (2001), अनुसूचित जातियों के विरुद्ध पिछले वर्ष 2000 में 25,455 की तुलना में 2001 में 33,501 जुर्म पंजीकृत किए गए।

संक्षेप

- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा आम लोगों के बीच शैक्षिक भेदभाव अन्तराल भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए चिन्ता का विषय रहा है। अनुसूचित जातियों में साक्षरता को सुधारने के लिए किए गए विशेष कार्यक्रमों तथा प्रयत्नों का परिणाम अनुसूचित जातियों में साक्षरता को सुधारने के लिए किए गए विशेष कार्यक्रमों तथा प्रयत्नों का परिणाम अनुसूचित जातियों में 1961 और 1991 के बीच तीन दशकों में साक्षरता स्तरों में तीन गुणा से अधिक की नाटकीय वृद्धि हुई है। फिर भी वे सम्पूर्ण जनसंख्या के साक्षरता स्तर की तुलना में अभी भी बहुत कम है।

संक्षेप

- अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अन्य उत्पादक संसाधनों तक पहुँच एक चुनौती है तथा यह समाज के अन्य वर्गों के साथ मुकाबले का एक स्रोत है।
- विकासात्मक पक्ष की ओर विशेष परियोजना बनाने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि विशेष घटक योजनाओं आदि के लिए निधियाँ निर्धारित करना। तथापि, प्रगति आशा के अनुरूप

नहीं रही है, अन्य के साथ उसके कारण हैं शिक्षा तक पहुँच को सुधारने में असफलता तथा देश के कुछ भागों में भूमि सुधार आन्दोलन की असफलता। इन मुद्दों पर प्रगति हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रयोज्य पूंजी तक पहुँच हो सकती थी और सबसे अधिक सामाजिक पर्यावरण को बदलने में सहायता जिसमें भेदभाव अन्यथा विद्यमान है।

I 1Fkfi r jo\$ ka dh puks'h

शिक्षा तथा सार्वजनिक सूचना आन्दोलनों के जरिए पुराने पूर्वग्रहों तथा संस्थापित रवैयों का सामना करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दृढ़ मत है कि सिविल सोसायटी के रवैये तथा सोच को बदलने की आवश्यकता है और आगे की प्रगति के लिए कुंजी है तथा इस सम्बन्ध में, आयोग, सिविल सोसायटी को शिक्षित करने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन कर रहा है।

fu"d"kl

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए मानव अधिकारों की रक्षा स्वयं प्रजातंत्र की रक्षा है, एक प्रजातंत्र जिसमें इसके लक्षण तथा अपने सबसे सुभेद्य नागरिकों की देखभाल शामिल है। आयोग ऐसे अधिकारों की प्रतिरक्षा में वाचिक तथा स्पष्टवादी रहा है। आयोग द्वारा 10 दिसम्बर, 2003 को आयोजित मानव अधिकार दिवस समारोह पर, आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डॉ. ए. एस. आनन्द ने कहा:

“राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियों के कारण, आयोग को मानव अधिकारी की रक्षा में निरन्तर सतर्क तथा स्पष्टवादी होने की आवश्यकता है। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवसाय में यह अनिवार्य है कि आलोचना को आदर के साथ प्राप्त किया जाता है चाहे हमेशा पूर्ण सहमति से न हो। शिष्टाचार तथा परस्पर सम्मान से मतभेद होने की क्षमता लोकतान्त्रिक सोसायटी का प्रमाण—चिह्न है तथा सोसायटी के ठीक रहने के लिए अनिवार्य है”। यह भारतीय राज्यव्यवस्था की शक्ति तथा लचीलेपन के प्रति सम्माननीय है कि आयोग लोकतान्त्रिक गति में कभी पीछे नहीं रहा है आयोग ने वे विचार व्यक्त किए हैं जिन्हें उसने ठीक तथा उपयुक्त समझा।

आयोग, महात्मा गांधी की असाधारण टिप्पणी से मानव अधिकारों के अपने कार्य में प्रेरणा प्राप्त करता है:

‘यह मेरे लिए हमेशा ही एक रहस्य रहा है कि मनुष्य अपने साथियों के अपमान से स्वयं को कैसे सम्मानित महसूस कर सकता है।’

**jk'Vh; ekuo vf/kdkj vk; lxx ds v/; {k dk vi&y 2003 dks
ekuo vf/kdkj vk; lxx thuk ds 59oa l = eafn; k x; k oDr0;**

अध्यक्ष महोदया,

मुझे मंच देने के लिए धन्यवाद।

मैं भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से बोल रहा हूँ। जिसका हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। मुझे 1998–2001 के बीच भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

भारतीय आयोग का अनुभव जैसे कि उच्चतम न्यायालय तथा आयोग दोनों में मेरा व्यक्तिगत अनुभव दर्शाता है कि स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र मानव अधिकार संस्थान के कार्य के बीच सहजीवन, वास्तव में सहक्रिया है।

अतः, हम उस सत्र में पहले भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किए गए श्री विएरा डी मेलो के विचार से सहमत हैं “कि पूरे संसार में मानव अधिकारों के संरक्षण की कुंजी” कानून के नियम पर आधारित राष्ट्रीय संरक्षण पद्धति का स्वतंत्र विकास है।

मानव अधिकारों के उद्देश्य को उचित रूप से पूरा किये जाने हेतु हम विशेष रूप से “व्यावहारिक कार्यकलाप” की आवश्यकता पर उनके बल का स्वागत करते हैं, यदि इसे राजनीति का रंग दिया जाए अथवा यदि यह पीड़ित को वाक्पटुता अथवा दोहरे मानकों की ओर ले जाता है, यह उद्देश्य का दुरुपयोग है। हम सभी को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। किसी भी देश का त्रुटिहीन रिकार्ड नहीं है।

v/; {k egkn; k}

हमारे आयोग की दृष्टि से, राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से उच्चायुक्त का कार्य पिछले दशक के दौरान मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलाप अत्यधिक लाभप्रद रहे हैं। अतः इन्हें सुदृढ करना चाहिए। हमें विश्वास है कि उच्चायुक्त राष्ट्रीय संस्थानों की बढ़ती हुई संख्या के अंतर्गत समृद्ध अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जिसके पश्चात् अपने “व्यावहारिक कार्यकलापों” के अनुसरण तथा कमी को पूरा करने के उद्देश्य से संसार का दौरा कर सकते हैं। यह अनुभव उस स्तर पर कार्य करने की वास्तविकताओं को बढ़ावा देता है जहाँ उसका सबसे अधिक महत्व है—प्रत्येक राष्ट्र के अन्दर ‘आधार तल है, जहां अन्तिम विश्लेषण में कठोर कार्य किया जाना है।

v/; {k egkn; k}

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारत के अन्दर अपनी मौलिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ क्षेत्रीय तथा सार्वभौम दोनों स्तरों पर उच्चायुक्त के कार्यालय तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के पिछले वर्ष में घनिष्ठता तथा लाभप्रद ढंग से पारस्परिक क्रिया जारी रखी।

क्षेत्रीय स्तर पर उसने 11 से 13 नवम्बर, 2002 के बीच नई दिल्ली में हुई एशिया प्रशांत मंच और थाईलैंड की सातवीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी तथा अध्यक्षता की। बैठक में मलेशिया, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय संस्थानों को मंच के पूर्ण सदस्यों के रूप में स्वीकार किया, उस प्रकार उनकी संख्या बढ़ कर 12 हो गई है। बैठक में, जिसमें पर्यवेक्षक संस्थानों, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया, अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तियों में देह व्यापार की रोकथाम में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा गरिमा के संरक्षण तथा संवर्धन संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते के विकास के प्रयास पर चर्चा की गई।

एशिया प्रशान्त मंच के कार्य में विधिवेत्ताओं के परामर्शी परिषद् से प्राप्त विचारों द्वारा बहुत अधिक वृद्धि होती है। जिसमें क्षेत्र के कुछ बहुत विख्यात कानूनी प्रकाण्ड विद्वान शामिल हैं, उसकी पिछली बैठक में, मंच के पास देह व्यापार विषय पर विधिवेत्ताओं के परामर्शी परिषद् के विचार थे। मंच ने मानव अधिकारों की रक्षा करते समय विश्वव्यापी आतंकवाद का मुकाबला करने में कानून की श्रेष्ठता के विषय पर उक्त समूह से अब सलाह माँगी है, जो कि वर्तमान में अत्यन्त महत्त्व का विषय है। हमारा मत है कि हमारे क्षेत्र में हमारे न्यायालयों तथा हमारे राष्ट्रीय संस्थानों दोनों द्वारा विकसित किए जा रहे विधिशास्त्र अन्यों के लिए रुचिकर तथा लाभप्रद हो सकते हैं।

सार्वभौम स्तर पर, हमारे आयोग ने 1994 से 2002 तक राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य के रूप में तथा उन वर्गों के लिए उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तथापि, उसका विश्वास है कि ऐसे निकायों की सदस्यता तथा अध्यक्षता को नियमित आधार पर बदलते रहना एक स्वस्थ सिद्धान्त है, चाहे ये सार्वभौम अथवा क्षेत्रीय स्तरों पर हो। उसे आशा है कि इस सिद्धान्त का दोनों स्तरों पर, अनुसरण किया जाएगा। चूंकि सभी क्षेत्रों तथा राष्ट्रों में लोगों की इच्छा मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में भाग लेना है जिसमें किसी एक का एकाधिकार नहीं।

v/; {k egkn; k}

यह हमारा मत है कि राष्ट्रीय संस्थान अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर अच्छे शासन के उत्प्रेरक तथा मानीटर हैं तथा मानव अधिकारों की रक्षा तथा आगे बढ़ाने में अद्भुत भूमिका निभा सकते हैं, यदि वे प्रो-एक्टिव हों, उल्लंघनों को दूर करने अथवा कम करने के लिए उपचारी उपाय करते हों और उन व्यक्तियों को कानून के सामने लाने का साहस करते हों, जिन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया हो। अतः यह हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है यदि किसी राष्ट्रीय संस्था पर, हमारे क्षेत्र में अथवा अन्यत्र राजनीतिक, वित्तीय अथवा अन्य अनुचित दबाव डाला गया हो।

अपनी भूमिका को पूरा करने में, आयोग ने हमारे देश की परिस्थितियों से सम्बद्ध सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की श्रृंखला की रक्षा में पिछले महिनों में कार्य जारी रखा। हमारे प्रयासों का उल्लेख संसद को हमारी वार्षिक रिपोर्टों, मासिक समाचार पत्र, में जो हम प्रकाशित करते हैं, तथा हमारी वेब-साइट पर दिया गया है। उदाहरणार्थ:

- हाल ही में गुजरात राज्य में अक्षरधाम मन्दिर तथा जम्मू तथा कश्मीर राज्य में नादीमार्ग गाँव में-देश में बेकसूर नागरिकों के विरुद्ध आतंकवाद के नैत्य तथा अकथनीय कृत्यों के बावजूद भी आयोग ने आतंकवाद निवारण अधिनियम के संबंध में अपने आधार को दोहराया है, ये संकेत दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम इस प्रकार से कार्यान्वित किया गया है जो देश के मानव अधिकारों, संविधान तथा समझौता उत्तरदायित्वों का उल्लंघन नहीं है, अपने सांविधि के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है।
- आयोग ने दुःखद मानव अधिकारों के उल्लंघन जो 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के जलने से आरम्भ करते हुए पिछले वर्ष गुजरात में हुए अधिकार उल्लंघन के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दबाव डालना जारी रखा है और जो परिणामस्वरूप बाद में भी हुए। आयोग ने देश के उच्चतम स्तर पर प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि न्याय किया जाए तथा गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित लोगों को अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से उपयुक्त प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों के संबंध में, आयोग का यह मत है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत भोजन का अधिकार गरिमा सहित जीवन में निहित है, जो कि एक प्रवर्तनीय अधिकार है तथा उसने उड़ीसा राज्य में भुखमरी द्वारा मौतों से सम्बन्धित आरोपों के संबंध में विस्तृत सिफारिशें की हैं।

- जनसंख्या नीति, विकास तथा मानव अधिकारों के बीच लिंकेज को महत्त्व देने पर, आयोग ने उन मामलों पर एक वार्तालाप आयोजित की जहाँ जनसंख्या नीतियाँ बनाने 'प्रेरणाओं तथा अवप्रेरणाओं' के प्रयोग के संबंध में विस्तृत चर्चा आयोजित की गई तथा महिलाओं के जननीय अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- इसके अतिरिक्त, हाल के महिनों में आयोग ने देह-व्यापार के संबंध में कई कदम उठाए हैं। इसने महिलाओं तथा बच्चों में देह-व्यापार पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई अनुसंधान का अनुसरण किया है तथा लिंग पर्यटन तथा देह-व्यापार की रोकथाम पर सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किया।
- आयोग ने विकलांगताओं, दलितों, जनजातियों, बंधुआ तथा बाल श्रमिकों सहित व्यक्तियों को सोसायटी के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को विस्तृत सिफारिशें की हैं।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण आयोग के लिए विशेष महत्त्व का मामला रहा है।

v/; {k egkn; k}

वर्तमान समय बहुत ही दुःखद हैं। सब जगह आतंकवाद की व्यापक धमकी ने मानव अधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण के प्रयासों पर परदा डाल दिया है, चूंकि आतंकवाद सभी अधिकारों के सबसे मौलिक, जीवन के अधिकार सहित मानव अधिकारों के प्रति अत्याधिक प्रतिकूल है। आयोग का हमेशा ही यह मत रहा है कि कोई भी कार्रवाई जो कोई भी राज्य उस बुराई से लड़ने तथा विजय-पान के लिए करता है वह देश के कानून के प्राचलों के अन्तर्गत तथा उच्च स्तरों के अनुरूप होनी चाहिए जिन्हें हमने अपने संविधान अपने कानून तथा मानव अधिकारों के समझौतों जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के स्थापित करने के बाद अपनाया है, में अपने लिए निर्धारित किए हैं।

बन्दूक की आवाज तथा हिंसा के बेकसूर पीड़ितों की चीखें हमारे कानों में घंटी बजा रही हैं, मैं महात्मा गांधी की सलाह तथा चेतावनी के शब्दों सहित इन टिप्पणियों को समाप्त करना उचित महसूस करता हूँ जिसमें विवेकपूर्ण ढंग से कहा गया है:

“शान्ति शस्त्रों के संघर्ष से नहीं अपितु सजीव तथा किए गए न्याय से उत्पन्न होगी”।

इस सन्देश को आज भली-भांति याद कर सकते हैं।

धन्यवाद।

,f'k;k i z kUr ep] dkBekM/y us ky dh vkBoha okf"kd cBd
 ea 18-2-2004 dks ^ekuo vf/kdkj I j {k.k rFkk I j {k fpark dk
 I Uryu% {k=h; i fjç; ^ I æalh I = ea jk"Vh; ekuo vf/kdkj
 vk; kx }kjk I f{kUr iLrqhdj.k

आतंकवाद राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गम्भीर खतरा है। भारत 1950 से आतंकवाद आक्रमणों का शिकार रहा है। हाल ही के वर्षों में, लोकतान्त्रिक संस्थानों, सेना शिविरों, नागरिकों द्वारा प्रयोग किए गए पूजा तथा सुविधाओं के स्थानों के विरुद्ध व्यसनी आक्रमण हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अकेले जम्मू तथा कश्मीर राज्य में 30 मार्च, 2002 को जम्मू में रघुनाथ मन्दिर पर आतंकवादी आक्रमण हुआ जब 30 व्यक्ति मारे गए तथा 17 व्यक्ति जख्मी हुए; 13 जुलाई, 2002 को राजीव नगर, जम्मू में आतंकवादी आक्रमण हुआ जब 28 व्यक्ति मारे गए तथा 27 जख्मी हुए; 6 अगस्त, 2002 को अनन्तनाग में ननवान शिविर पर आतंकवादी आक्रमण हुआ जब 9 अमरनाथ तीर्थयात्री मारे गए तथा 3 अन्य जख्मी हुए; और नादिमार्ग, पुलवामा ज़िले पर जब 24 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। गुजरात राज्य में, 24-25 सितम्बर, 2002 को गांधी नगर में अक्षरधाम मन्दिर में नृशंस आतंकवादी आक्रमण हुआ, जिसमें 28 नागरिक मारे गए। इसके अतिरिक्त नागरिकों को आतंकवादियों से बचाने और आतंकवादियों को वहां से बाहर निकालने में दो सुरक्षाकर्मी मारे गए तथा 6 अन्य घायल हो गए थे।

इन दुर्घटनाओं ने आतंकवाद की बुराई का मुकाबला करने तथा विजय प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यानाकर्षित केन्द्रित किया। कई वर्षों से आतंकवाद के विरुद्ध भारत अकेले की लड़ाई में अब अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की हाल की घटनाओं के पश्चात् अन्य देश भी शामिल हो गए हैं भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कई अवसरों पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कारक के रूप में आतंकवाद, जो मानव अधिकारों के उपभोग में रुकावट पैदा करता है, तथा मानव अधिकार मानकों के प्रति समर्थन की जाँच की है।

आतंकवादी मानव अधिकारों के घोर दुश्मन हैं तथा इस विषय पर कोई शब्दछल नहीं हो सकता। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार का यह दृढ़ मत है कि आतंकवाद से अवश्य लड़ा तथा हराया जाना चाहिए। यह मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अनिवार्य है, चूंकि जीवन का अधिकार (आतंकियों का लक्ष्य) सबसे बुनियादी अधिकार है जिसके बगैर मानव किसी और अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते।

तथापि, प्रश्न उठता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या साधन अपनाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 56/160 दिनांक 19 दिसम्बर, 2001, सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 1373 के लगभग ग्यारह सप्ताह पश्चात् पारित किया जो इस सम्बन्ध में पैरे 6 में स्पष्ट है,

‘राज्यों से आतंकवाद के निरोध काबू पाने तथा दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार स्तरों सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक तथा प्रभावी उपाय करने के लिए कहा, ये चाहे जहाँ-कहीं भी हुए हों चाहे जिस किसी भी द्वारा किए गए हों तथा राज्यों से आतंकवाद एवं उसके सभी स्वरूपों पर काबू पाने के लिए कानून को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।’

यद्यपि आतंकवाद की स्वीकार्य परिभाषा अभी भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की समझ में नहीं आ रही है, भारत के उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने 1994 में जिसका कि मैं भी एक सदस्य था, उस पर विस्तार से विचार किया तथा आपराधिक कृत्य तथा आतंकवाद कृत्य के बीच एक रेखा खींची। हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1994) 4 एस. सी. सी. 602] जिसका संयुक्त राष्ट्र के कार्य तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने विस्तार से प्रयोग किया है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा:

“..... हिंसा के प्रयोग के रूप में इसे (आतंकवाद) वर्णित करना सम्भव हो सकता है जब इसका अति महत्वपूर्ण परिणाम पीड़ित की न केवल भौतिक तथा मानसिक क्षति है अपितु दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव अथवा सम्पूर्ण सोसायटी पर उत्पन्न करने की शक्ति है। इस प्रक्रिया में मौत, चोट अथवा सम्पत्ति का विनाश अथवा किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता भी छिन सकती है परन्तु अभिप्रेत आतंकवादी कार्यकलाप किसी साधारण अपराध के प्रभाव से परे जाती है, साधारण जुर्म को देश के साधारण दंड कानून के अंतर्गत सजा दी जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को आतंकित करना है अथवा समाज में अशांति फैलाना, क्षुब्ध करना तथा सोसायटी अथवा लोगों को आतंकित करना है तथा समाज की समरसता, शान्ति तथा प्रशान्ति को भंग करने की दृष्टि से डर तथा असुरक्षा की भावना उत्पन्न करना है। एक आतंकवादी कार्यकलाप

का लक्ष्य कानून तथा व्यवस्था को भंग करना है। एक अभिप्रेत कार्यकलाप का निक्षेप ऐसा होना चाहिए कि साधारण दंड कानून के अन्तर्गत इससे निपटने के लिए साधारण कानून प्रवर्तन अभिकरणों की क्षमता से भी बहुत परे तक पहुंचें। अनुभव हमें दर्शाता है कि साधारणतः ‘आतंकवाद’ बड़ी संख्या में लोगों अथवा इसके किसी समूह के लोगों को असहाय करने का प्रयास है तथा यह पूर्णतया एक असाधारण मानदंड है। ‘आतंकवाद’ की हिंसा के अन्य रूपों से अलग पहचान यह है कि यह अवपीड़क अभित्रास का सुविचारित तथा योजनाबद्ध प्रयोग है.....”

दिनांक 14 जुलाई 2000 के अपने अभिमत में, आयोग ने आतंकवाद निवारण विधेयक 2000 के विभिन्न प्रावधानों (विधि आयोग द्वारा इसकी 173 वीं रिपोर्ट में प्रस्तावित तथा संसद में प्रस्तुत) पर विस्तार से चर्चा की तथा अन्य बातों के साथ-साथ उक्त विधेयक का विरोध किया चूंकि यह अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुरूप नहीं था। उक्त अभिमत में, आयोग ने टिप्पणी की उस समय अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद के विषय से संबंधित 12 सार्वभौम समझौते थे। तथापि, अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों की इस सूची के बावजूद भी आयोग ने नोट किया कि मानव अधिकारों के उद्देश्यों तथा आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए यह अनिवार्य है कि उपयुक्त विधि-निर्माण के सन्दर्भ में, जहाँ इसकी अभी भी आवश्यकता से तथा इन समझौतों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य व्यावहारिक प्रबन्धों के सन्दर्भ में इन समझौतों में से प्रत्येक के अन्तर्गत किए जाने वाले अपेक्षित उपाय पूर्ण तथा अति सावधानी से किए जाएं। तदनुसार, आयोग ने भारत सरकार से, विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त प्रबन्ध से निपटने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का आग्रह किया।

उक्त अभिमत में, आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि

“टाडा के सम्बन्ध में लिये गये विचार के अनुरूप आयोग का सर्वसम्मत से अब यह सुविचारित विचार है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम प्रारूप, 2000 पर आधारित कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है तथा आवश्यक समाधान मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत पाया जा सकता है, इसके आवश्यक होने पर ठीक प्रकार से लागू तथा कार्यान्वित तथा संशोधित किए जाएं। प्रस्तावित विधेयक, यदि कानून बनाया जाता है तो उसमें समग्र दुरुपयोग तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन को एक मजबूत हथियार प्रदान करने का कुप्रभाव होगा जिससे अवश्य बचा जाना चाहिए विशेष रूप से हाल के टाडा तथा आपात दिनों में मीसा के दुरुपयोग के अनुभव को ध्यान में रखते हुए।”

तदनुसार आयोग ने व्यक्त किया

“विधि आयोग द्वारा इसकी 173वीं रिपोर्ट में विचारों से सहमत होने में अपनी असमर्थता”

तथा सिफारिश की कि आतंकवाद निवारण विधेयक प्रारूप, 2006 पर आधारित नया कानून न बनाया जाए”।

आयोग ने उल्लेख किया कि ऐसी प्रक्रिया

“मानव अधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण के अनुरूप तथा ऐसी पद्धति द्वारा आतंकवाद पर काबू तथा विजय प्राप्त करने के लिए हमारे देश के संकल्प के अनुरूप है”।

इसने 19 नवम्बर 2001 को इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शायी, जब “आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौम युद्ध” के अवसर आयोग ने आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 201 का विरोध किया जिसे 24 अक्टूबर, 2001 को लागू किया गया था। दिनांक 19 नवम्बर, 2001 के अपने अभिमत में, आयोग ने मानव अधिकार महत्व के साथ सुरक्षा को सन्तुलित करते हुए, अपना अभिमत इस प्रकार व्यक्त किया।

“निस्सन्देह राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व सर्वोपरि है। राष्ट्र की रक्षा तथा सुरक्षा को बनाये बिना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती। तथापि, किसी भी राष्ट्र की योग्यता ही व्यक्तियों की योग्यता का निर्माण करती है। अनुच्छेद 21 (संविधान) जो गरिमा सहित जीवन की गारंटी देता है, विस्तृत है। राष्ट्रीय एकता तथा व्यक्तिगत गरिमा दोनों का संविधान में मूल महत्व है, तथा ये संगत तथा असंगत नहीं हैं। दोनों में सन्तुलन की आवश्यकता है। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कोई भी कानून, संविधान, सम्बद्ध अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों तथा समझौतों के अनुरूप होना चाहिए जो आवश्यकता तथा समानुपातिकता के सिद्धान्तों का आदर करें।

आयोग का यह दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों का उचित अनुपालन शान्ति तथा सुरक्षा की प्रोन्नति में बाधा नहीं है। अपितु, शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने तथा आतंकवाद को हराने के लिए यह किसी भी लाभप्रद नीति का अनिवार्य तत्व है। अतः आतंकवाद विरोधी का उद्देश्य लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा होना चाहिए जो हमारी समाज के लिए मूल महत्व तथा संविधान के कोर महत्व के है।

आतंकवाद के बावजूद, आतंकवाद कृत्यों के विरुद्ध स्वयं तथा अपने लोगों की रक्षा करना तथा उन व्यक्तियों को कानून के सामने लाना जो ऐसे कृत्यों को करते हैं निराक रूप से राज्य का अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य भी है। पद्धति जिसमें राज्य उस अधिकार को प्रयोग करता है तथा इस ड्यूटी को करता है, वह देश के कानून के अनुसार होनी चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में सांविधान किया कि

“आतंकवाद की चुनौती का सामना नए विचारों तथा दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए राज्य आतंकवाद कोई हल नहीं है। राज्य आतंकवाद को केवल वैधता प्रदान करेगा। अतः राज्य को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद पर काबू पाने को लिए उसके द्वारा तैनात किए गए विभिन्न अभिकरण कानून के अन्तर्गत कार्य करें तथा स्वयं कानून न बन जाए।”

आतंकवाद-विरोधी कानून के सम्बन्ध में आयोग द्वारा विकसित संगत स्थिति का विचारों में विस्तार से वर्णन किया गया है जो आयोग ने आतंकवाद निवारण प्रारूप विधेयक, 2000 तथा उसके पश्चात् आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001 के सम्बन्ध में 14 जुलाई 2000 तथा 19 नवम्बर 2001 को दिए थे, इसने दोनों का विरोध किया था, जैसे कि इसने फरवरी, 1985 में आतंकवादी तथा विच्छिन्न कार्यकलाप अधिनियम (टाडा) के जारी रहने का विरोध किया था। आयोग के विचारों का पूर्ण पाठ उसकी वेबसाईट www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध है।

26 मार्च, 2002 को संसद के संयुक्त सत्र के पश्चात् आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश, 2001 को कानून में बदला गया था। अतः आयोग ने यह स्थिति ली कि वह इस अधिनियम को अपनाए जाने वाली संविधानात्मक प्रक्रिया का आदर करता है, चाहे इसने उसके कानून बनाए जाने से पूर्व अधिनियम की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में अपने विरोध से अवगत करा दिया था। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं के अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायित्व को निभाता है कि अधिनियम उस प्रकार से कार्यान्वित न किया जाए जो मानव अधिकारों, संविधान, देश के कानून तथा देश के समझौतों का उल्लंघन हो।

आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 आतंकवाद की विस्तार से परिभाषा देता है। उसमें दुरुपयोग की सम्भावना के विरुद्ध कुछ बचाव दिए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग तथा पुलिस द्वारा दुर्भावपूर्ण अभियोजन से सम्बद्ध कठोर दंड हैं। जाँच प्राधिकारियों को दी गई विशेष अधिकारों के दुरुपयोग की सम्भावना से बचने तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन की चिन्ता के समाधान की दृष्टि से अधिनियम में विशेष बचाव दिए गए हैं। अधिनियम पुलिस हवालात में प्राप्त किए गए कनफेशन की स्वीकार्यता पर प्रतिबंध लगाता है तथा दुर्भावपूर्ण आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कानून लागू करने के दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों के लिए दंड स्वीकार करता है। अधिनियम का सीमित प्रयोग है तथा इसका विस्तार उन कार्यों तक है जो भारत की एकता, सुरक्षा, अखंडता अथवा संप्रभुता के लिए खतरा हैं। विशेष अदालतें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की मंजूरी के पश्चात् अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान ले सकती हैं, अध्यादेश के अन्तर्गत अपराध की जाँच पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती। पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए कनफेशन को 48 घंटों के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकार्ड किया

जाए; मुल्जिम के गिरतार किए जाने की सूचना गिरतारी के पश्चात् परिवार के सदस्य को दी जाए तथा यह तथ्य पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाए तथा मुल्जिम के पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की अनुमति देता है।

भारत में सुव्यवस्थित न्यायिक पद्धति है, जो संविधानात्मक प्रावधानों तथा मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। 16 दिसम्बर 2003 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज तथा अन्य बनाम भारत संघ (2003 (10) स्कैल 967) मामले में आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की संविधानात्मक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द करते हुए कहा कि पोटा के अन्तर्गत अभियोजन के लिए आतंकवाद संगठनों पर रोक लगाने के लिए समर्थन पर्याप्त नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति अवश्य प्रमाणित होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पोटा के खंड 21 को कम कर दिया है, जो आतंकवादी संगठनों को दी गई सहायता से सम्बन्धित अपराधों से सम्बन्धित है, जो इस प्रकार ढाला गया था जिसने वास्तव में समग्र दुरुपयोग को आमन्त्रित किया। इसी प्रकार, उसने यह स्वीकार करते हुए अधिनियम की कठोर धारा 49 (7) को कम कर दिया कि मुल्जिम पोटा के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व जमानत माँग सकता है।

आयोग ने अपना मत प्रकट किया है कि टाडा से तुलना करने पर, आतंकवाद निवारण अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं जिनका लक्ष्य सम्भावित दुरुपयोग के विरुद्ध बचाव प्रदान करना है परन्तु जोर दिया कि ये बचाव अपर्याप्त हैं तथा और बचावों की आवश्यकता है। अतः सतर्कता सहित अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा यह सुनिश्चित करना, कि अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो अथवा मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो, आयोग की जिम्मेदारी है।

आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 60 में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार, जहाँ कहीं आवश्यक हो, अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए एक अथवा अधिक सवीक्षा समितियों का गठन कर सकती है। सरकार ने और अधिक बचाव प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में आयोग के विचार को नोट किया तथा निम्नलिखित विचारार्थ विषयों सहित पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में 4 अप्रैल 2003 को अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति का गठन किया।

- (i) पुनरीक्षण समिति विभिन्न राज्यों में उक्त अधिनियम के प्रयोग की व्यापक जाँच करेगी तथा उक्त अधिनियम के लागू करने के संबंध में शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा तथा यह तदनुसार उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में कमियों, यदि कोई हो तो, को दूर करने के लिए अपने निष्कर्ष तथा सुझाव देगी।

- (ii) पुनरीक्षण समिति यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगी कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों को केवल आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रयोग किया जाए।

चूंकि उक्त अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सिफारिशों अथवा निदेशों को छोड़कर पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें अथवा निर्देश केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए बाध्य नहीं थे तथा मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत केवल सलाहकार स्वरूप के थे, संसद ने आतंकवाद निवारण विधेयक, (संशोधन) 2003 (2003 का विधेयक 4) के जरिए आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 60 का संशोधन किया जो इस कमी को पूरा करने के लिए 27 अक्टूबर 2003 को लागू किया गया था। यह कदम पोटा के दुरुपयोग तथा गलत इस्तेमाल के विरुद्ध और अधिक बचाव प्रदान करने तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं के अनुरूप है। नए उप-खंडों, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 60 में शामिल किया गया था, के अनुसार—

- “ (4) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर बिना पूर्वाग्रह के, उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित पुनरीक्षण समिति, किसी दुःखी व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र देने पर, यह संवीक्षा करेगी कि क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत मुल्जिम के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टत्या कोई मामला है तथा तदनुसार निर्देश जारी करेगी।
- (5) उप धारा (4) के अन्तर्गत जारी किया गया कोई निर्देश,—
- (i) केन्द्र सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति द्वारा उप धारा (4) के अन्तर्गत जारी किया गया कि निर्देश केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा अपराध की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारियों पर बाध्यकारी होगा; और
- (ii) राज्य सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति द्वारा उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी कोई निर्देश राज्य सरकार तथा अपराध की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी पर बाध्यकारी होगा।
- (6) इस अधिनियम के अन्तर्गत इसी प्रथा से सम्बन्धित उप धारा (4) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति तथा उप धारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षण समितियों द्वारा की गई संवीक्षाओं के मामले में, केन्द्र सरकारों द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति द्वारा जारी हिदायत अविभावी होगी।
- (7) जहाँ उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित किसी पुनरीक्षण समिति का यह मत हो कि दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टत्या कोई मामला नहीं है तथा उप धारा (4) के अन्तर्गत निर्देश जारी करती है, तब यह समझा जाएगा कि दोषी के विरुद्ध लम्बित कार्यवाही ऐसी हिदायत की तारीख से वापिस ले ली गई है।

अध्यादेश के स्थान पर आतंकवाद निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 रखा गया था। आतंकवाद निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 की आपत्ति तथा कारण विवरण के अनुसार, ये संशोधन पुनरीक्षण समिति को व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र देने पर, यह संवीक्षा कर सकती है कि क्या अधिनियम के अन्तर्गत दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टत्या मांगा है तथा तदनुसार निर्देश जारी करें। पुनरीक्षण समिति के निर्देश केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अपराध की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी पर बाध्य होंगे। जहाँ उक्त अधिनियम के अंतर्गत उसी अपराध से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति तथा राज्य सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्देश दिए जाने के मामले में केन्द्रीय पुनरीक्षण समिति की हिदायतों पर अविभावी होगी।” अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग के आरोप आयोग का ध्यान प्राप्त कर रहे हैं।

मुझे अंतरराष्ट्रीय नीति अध्ययन संस्थान, लंदन में 7 मई, 2002 को मेरे द्वारा “आतंकवाद मानव अधिकारों का अपमान: लोकतन्त्र के लिए चुनौती” पर दिए गए व्याख्यान में उद्धरण देकर मैं समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा।

“मानव अधिकारों तथा सम्पूर्ण विश्व में आतंकवाद द्वारा लोगों के मानव अधिकारों को प्रस्तुत खतरों के सम्बन्ध में सार्वभौम जागरूकता आवश्यक है। मानव अधिकारों के उल्लंघन तथा आतंकवाद फैलाने वालों के सम्बन्ध में चयनात्मक होना गलत है। ऐसा चयनात्मक दृष्टिकोण दोहरे मानदंड की ओर ले जाता है, जो मानव अधिकारों के समर्थकों के उद्देश्यों को संदिग्ध बनाता है। यह आतंकियों तथा आतंकवाद को अप्रत्यक्ष तौर पर सहायता देता है। अतः सभी राष्ट्रों को आतंकवाद से लड़ने के लिए निरन्तर सहयोग करना चाहिए। उदार लोकतंत्रों को आतंकवाद की निन्दा करने तथा मुकाबला करने के लिए एकजुट होना चाहिए। आतंकवाद से निपटने तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सार्वभौम स्तर पर संयुक्त प्रयास करने होंगे। लेकिन मुझे ऐसा करने में, दृष्टिकोण मानवीय, युक्तिसंगत तथा धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। यह लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए। किसी प्रकार का हिमायती तथा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण उत्पादन के प्रतिकूल होगा। आतंकवाद से लड़ने के लिए खुला मन रखते हुए व्यक्ति की स्वतन्त्रता राज्य की सुरक्षा जरूरतों, राष्ट्र की अखंडता तथा एकता के बीच हमें सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। एक सीमित दृष्टिकोण कुछ मौजूदा आतंकवादियों को समाप्त करने में सहायता कर सकता है न कि आतंकवाद के कारणों अथवा मानदंडों को जो आतंकी पैदा करता है तथा वह भी कई बकसूरों के मानव अधिकारों के उल्लंघन की कीमत पर। आवश्यकता तथा आनुपातिकता के सिद्धान्तों के लिए आदर के लिए आवश्यकता तथा उपचार के बीच एक उपयुक्त सन्तुलन की आवश्यकता है। हमें अवनति से अराजकता

की ओर जाने से बचना चाहिए, जिसमें केवल एक सिद्धान्त है, ताकत ही अधिकार है—अंतरराष्ट्रीय कानून तथा देशीय सिविल स्वतन्त्रता के नियमों को स्थगित रखने के लिए आतंकवाद पर काबू पाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

अनुबंध 12

पैरा 15-1

o"K 2003&2004 ds nkjku ekeyk dh jkT; okj fui Vku n'kkus okyk fooj.k

Øe Lk[;k	jkT; @l jk 'kkfl r {k- dk uke	i Fke n"V ea jnn	funj kka ds l kfk fui Vku	fj i k/kk dh i kflr ds lk' pkr- l ekir			t kM+
				शिकायत मामले	हिरासतीय मौत के मामले	मुठभेड़ में मृत्यु के मामले	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	446	161	145	36	7	795
2	अरुणाचल प्रदेश	18	9	10	3	0	40
3	असम	111	15	22	11	0	159
4	बिहार	2171	853	343	41	1	3409
5	गोवा	24	5	13	0	0	42
6	गुजरात	737	192	87	12	0	1028
7	हरियाणा	1467	564	358	11	0	2400
8	हिमाचल प्रदेश	98	20	20	2	0	140
9	जम्मू तथा कश्मीर	96	23	24	0	0	143
10	कर्नाटक	329	87	114	16	0	546
11	केरल	135	30	33	17	0	215
12	मध्य प्रदेश	1430	326	492	15	1	2264

13	महाराष्ट्र	1344	415	413	26	0	2198
14	मणिपुर	7	3	7	0	0	17
15	मेघालय	11	1	1	2	0	15
16	मिजोरम	1	1	2	0	0	4
17	नागालैंड	7	0	2	0	0	9
18	उड़ीसा	552	237	143	15	0	947
19	पंजाब	484	166	56	12	0	718
20	राजस्थान	1224	415	285	7	0	1931
21	सिक्किम	3	0	0	0	0	3
22	तमिलनाडु	746	269	262	11	0	1288
23	त्रिपुरा	16	4	7	0	0	27
24	उत्तर प्रदेश	18907	7839	4939	37	8	31730
25	पश्चिम बंगाल	530	146	51	20	0	747
26	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7	3	1	0	0	11
27	चंडीगढ़	51	17	8	2	0	78
28	दादर तथा नागर हवेली	3	1	1	0	0	5
29	दमन एवं दीव	2	1	0	0	0	3
30	दिल्ली	2273	892	426	12	0	3603
31	लक्षद्वीप	2	1	1	0	0	4
32	पांडिचेरी	23	14	4	0	0	41
33	छत्तीसगढ़	252	56	33	17	0	358
34	झारखंड	835	302	98	16	0	1251
35	उत्तरांचल	913	334	215	1	0	1463
36	विदेशी	45	13	4	0	0	62
	dy	35300	13415	8620	342	17	57694

348: वर्ष 2003-2004 के दौरान मामलों की राज्यवार निपटान दर्शाने वाला विवरण...

vkjkk ea [kfj t **35330**
funzk l fgr fui Vk, x, **13415**
fui Vk, x, **8989**

1	आंध्र प्रदेश	415	1	आंध्र प्रदेश	171
2	अरुणाचल प्रदेश	14	2	अरुणाचल प्रदेश	9
3	असम	108	3	असम	15
4	बिहार	2184	4	बिहार	855
5	गोवा	25	5	गोवा	5
6	गुजरात	746	6	गुजरात	196
7	हरियाणा	1508	7	हरियाणा	574
8	हिमाचल प्रदेश	99	8	हिमाचल प्रदेश	21
9	जम्मू तथा कश्मीर	90	9	जम्मू तथा कश्मीर	22
10	कर्नाटक	325	10	कर्नाटक	87
11	केरल	132	11	केरल	31
12	मध्य प्रदेश	1445	12	मध्य प्रदेश	325
13	महाराष्ट्र	1373	13	महाराष्ट्र	435
14	मणिपुर	7	14	मणिपुर	2
15	मेघालय	11	15	मेघालय	1
16	मिजोरम	1	16	मिजोरम	1
17	नागालैंड	7	17	नागालैंड	0
18	उड़ीसा	529	18	उड़ीसा	215
19	पंजाब	474	19	पंजाब	162
20	राजस्थान	1229	20	राजस्थान	415
21	सिक्किम	3	21	सिक्किम	0
22	तमिलनाडु	763	22	तमिलनाडु	260
23	त्रिपुरा	16	23	त्रिपुरा	4
24	उत्तर प्रदेश	18896	24	उत्तर प्रदेश	7750
25	पश्चिम बंगाल	519	25	पश्चिम बंगाल	147
26	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7	26	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	6
27	चंडीगढ़	51	27	चंडीगढ़	17
28	दादर तथा नागर हवेली	3	28	दादर तथा नागर हवेली	1
29	दमन एवं दीव	2	29	दमन एवं दीव	2
30	दिल्ली	2239	30	दिल्ली	883
31	लक्षद्वीप	2	31	लक्षद्वीप	1
32	पांडिचेरी	23	32	पांडिचेरी	14
33	छत्तीसगढ़	249	33	छत्तीसगढ़	55
34	झारखंड	837	34	झारखंड	302
35	उत्तरांचल	909	35	उत्तरांचल	337
36	विदेशी	45	36	विदेशी	10

अनुबंध 13

पैरा 15-1

1-4-2003 dh fLFkr ds vuq kj yfEcr ekeyka dh jkT; &okj I 4; k n'kkusokyk fooj .k

Øe I 4; k	jkT; @I 4k 'kkfI r {ks= dk uke	ikjfeHkd tkp dh irh{kk dj jgs ekeya				Ekeyka dh vfu.k; tgka jkT; ikf/kdj.kkal s ; k rks fjikv/ iklr gksxbZ gS vFkok irh{kk gS			
		f'kdk; ra	fgjkl rh; ekr-ka ds ckjs ea I puk	eBHKM+ ea gPZ ekr-ka dh I puk	tkM+	f'kdk; ra	fgjkl rh; ekr-ka ds ekeys	eBHKM+ ekr-ka ds ekeys	tkM+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	53	5	0	58	685	164	13	862
2	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0	5	38	08	0	46
3	असम	10	0	0	10	216	49	2	267
4	बिहार	425	0	0	425	3620	228	8	3856
5	गोवा	2	0	0	2	33	93	0	126
6	गुजरात	72	0	0	72	459	0	3	462
7	हरियाणा	267	0	0	267	1367	57	5	1429
8	हिमाचल प्रदेश	11	0	0	11	99	3	0	102
9	जम्मू तथा कश्मीर	11	0	0	11	425	4	2	431
10	कर्नाटक	46	1	0	47	427	107	2	536
11	केरल	21	0	0	21	165	57	1	223
12	मध्य प्रदेश	175	0	0	175	1506	60	4	1570
13	महाराष्ट्र	155	3	0	158	1267	205	21	1493
14	मणिपुर	3	0	0	3	66	0	1	67

350: 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शानेवाला विवरण...

15	मेघालय	1	0	0	1	18	5	1	24
16	मिज़ोरम	1	0	0	1	14	2	0	16
17	नागालैंड	1	1	0	2	25	1	0	26
18	उड़ीसा	75	1	0	76	610	39	0	649
19	पंजाब	180	0	0	180	802	134	0	936
20	राजस्थान	272	1	0	273	2110	90	33	2233
21	सिक्किम	0	0	0	0	6	0	0	6
22	तमिलनाडु	136	6	0	142	808	122	2	932
23	त्रिपुरा	4	0	0	4	41	3	103	44
24	उत्तर प्रदेश	1800	2	0	1802	18681	313	3	19097
25	पश्चिम बंगाल	51	1	0	52	503	95	0	601
26	अंडमान तथा निकाबार द्वीप समूह	6	0	0	6	3	0	0	3
27	चंडीगढ़	2	0	0	2	39	5	0	44
28	दादर तथा नागर हवेली	0	0	0	0	6	0	0	6
29	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
30	दिल्ली	235	2	0	237	2854	50	10	2914
31	लक्षद्वीप	1	0	0	1	2	0	0	2
32	पांडिचेरी	3	0	0	3	14	1	0	15
33	छत्तीसगढ़	38	0	0	38	174	26	0	200
34	झारखंड	144	0	0	144	989	50	2	1041
35	उत्तरांचल	82	0	0	82	885	20		908
36	विदेशी	11	0	0	11	23	0		23
	कुल	4299	23	0	4322	38980	1991	219	41190

dy tkM&4322\$1190%45512

अनुबंध वर्तमान वर्ष में देखी गई मिसिलों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बाद अद्यतनीकृत कंप्यूटर डाटा पर आधारित है।

अनुबंध 13 1/2

पैरा 15-1

2003-2004 के लिए कुल व्यय, x, जिसके अन्तर्गत जल संचयन
योजनाओं के लिए व्यय

क्र.सं.	राज्य/प्रदेश	अनुसूचित जात	अनुसूचित जाति	अनुसूचित वर्ग	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल	अनुसूचित जात	अनुसूचित जाति	अनुसूचित वर्ग	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	आंध्र प्रदेश	0	5	0	2	14	27	13	32	93	
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3	असम	0	0	0	0	1	4	0	6	11	
4	बिहार	0	16	0	3	6	81	1	50	157	
5	गोवा	0	0	0	0	0	2	0	4	6	
6	गुजरात	0	6	0	3	4	17	2	18	50	
7	हरियाणा	0	37	0	0	14	92	0	56	199	
8	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	7	0	3	11	
9	जम्मू तथा कश्मीर	0	1	0	0	0	0	0	5	6	
10	कर्नाटक	0	6	0	3	8	14	0	27	58	
11	केरल	0	1	0	0	5	7	0	5	18	
12	मध्य प्रदेश	0	29	0	5	14	125	2	94	269	
13	महाराष्ट्र	1	15	1	1	11	55	2	60	146	
14	मणिपुर	0	0	0	0	0	1	0	1	2	

352: वर्ष 2003-2004 के दौरान निपटाए गए रिपोर्ट मामलों का श्रेणीवार राज्य/संघ शासित विवरण

15	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	1	1
18	उड़ीसा	0	6	0	1	5	28	0	24	64
19	पंजाब	0	3	0	1	1	13	1	11	30
20	राजस्थान	0	9	0	1	8	57	0	39	114
21	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	0	23	0	10	39	48	0	64	184
23	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	1	0	2	3
24	उत्तर प्रदेश	4	227	0	147	301	1003	13	1651	3346
25	पश्चिम बंगाल	0	2	0	0	1	14	0	8	25
26	अंडमान तथा निकाबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	चंडीगढ़	0	2	0	0	0	0	0	3	5
28	दादर तथा नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	दिल्ली	0	13	0	3	29	99	0	90	234
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	2	2
33	छत्तीसगढ़	0	0	0	1	0	3	0	7	11
34	झारखंड	0	4	0	0	2	22	0	17	45
35	उत्तरांचल	0	14	0	7	9	45	0	64	13
36	विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tkm+	5	420	1	188	472	1766	34	2344	5230

अनुबंध 13 ¼k½

पैरा 15-1

2003&2004 ds nkgku fuiV, x, fjikWZ ekeyk dh jkT; @I ak 'kfl r {k=okj Jskh fooj.k

Øe I a	jkT; @I ak 'kfl r {k= dk uke	Ekfgykvka dk vieku	;kú mRi hM+u	vigg.k cykRdkj rFkk dRy	ngst ekf- vFkok bl dk iz;kl	ngst ekax	Ekfgykvka dk 'kkSk.k	Ekfgykvka dk cykRdkj	tM+ tM+
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ऑंध्र प्रदेश	2	2	1	1	1	0	1	8
2	अरुणाचल प्रदेश	0		0	0	0	1	0	1
3	असम	0		1	0	0	0	0	1
4	बिहार	7	4	9	66	10	6	15	117
5	गोवा	0		1	0	0	0	0	1
6	गुजरात	0		0	0	1	0	0	1
7	हरियाणा	3	2	15	34	12	3	11	80
8	हिमाचल प्रदेश	0		0	0	0	1	0	1
9	जम्मू तथा कश्मीर	0	1	0	3	0	0	0	4
10	कर्नाटक	1		2	4	1	0	2	10
11	केरल	0		0	2	0	1	0	3
12	मध्य प्रदेश	4	4	5	26	10	4	8	61
13	महाराष्ट्र	1	0	7	14	3	3	0	28
14	मणिपुर	0	0	1	0	0	0	1	2
15	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0

354: वर्ष 2003-2004 के दौरान निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार श्रेणी विवरण

17	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
18	उड़ीसा	1	2	3	14	6	4	4	34
19	पंजाब	1	2	2	2	4	1	0	12
20	राजस्थान	5	7	11	29	14	11	11	88
21	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	0	1	1	1	1	2	2	8
23	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
24	उत्तर प्रदेश	26	50	128	379	177	75	108	943
25	पश्चिम बंगाल	0	0	0	2	4	2	0	8
26	अंडमान तथा निकाबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
27	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
28	दादर तथा नागर हवेली	0	0	0	1	0	0	0	1
29	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
30	दिल्ली	5	7	18	20	9	12	3	74
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
32	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
33	छत्तीसगढ़	1	1	1	3	0	3	1	10
34	झारखंड	1	3	0	10	4	5	5	28
35	उत्तरांचल	3	6	3	5	9	5	4	35
36	विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0
	tkm+	61	92	209	616	266	139	176	1559

अनुबंध 13 1/2

पैरा 15-1

2003&2004 dsnkjku fui Vk, x, fj i k/W ekeyka dh Jskh dk jkT; @I ak 'kfl r {k= fooj.k

Øe I a	jkT; @I ak 'kfl r {k= dk uke	Øky Je	Øky fookg	Øi/kp/k Jfed	dfn; ka dk mRi hMu	Tkykaea fpfdRI k I fo/kkvka dh deh	Tkykadh fLFkr	vuq ipr tkfr; ka vuq ipr tutkr; ka ij vR; kplj	I kEinkf; d fgd k	vu;	tkM+	dy tkM+ (11+ 21+ 33)
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	ऑंध्र प्रदेश	3	0	0	0	0	2	1	1	37	44	145
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	0	0	0	0	6	10	10
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	22
4	बिहार	0	0	2	2	2	1	6	0	56	69	343
5	गोवा	0	0	0	2	0	0	0	0	4	6	13
6	गुजरात	0	0	0	2	0	2	7	0	25	36	87
7	हरियाणा	0	0	5	2	0	6	4	0	62	79	358
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	0	7	8	20
9	जम्मू तथा कश्मीर	0	0	0	0	1	0	0	0	13	14	24
10	कर्नाटक	2	0	1	8	0	6	0	0	29	46	114
11	केरल	0	0	0	1	0	0	0	0	11	12	33
12	मध्य प्रदेश	0	0	1	11	0	11	13	0	123	162	492
13	महाराष्ट्र	4	0	4	8	3	56	1	0	166	239	413
14	मणिपुर	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	7
15	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
16	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
17	नागालैंड	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
18	उड़ीसा	0	0	0	4	1	3	5	0	32	45	143

356: वर्ष 2003-2004 के दौरान निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की श्रेणी का राज्य/संघ शासित क्षेत्र विवरण

19	पंजाब	0	0	3	2	0	0	1	0	8	14	56
20	राजस्थान	0	0	0	6	0	3	16	0	58	83	285
21	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	0	1	1	4	0	4	7	0	53	70	262
23	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7
24	उत्तर प्रदेश	1	2	9	16	4	8	89	0	521	650	4939
25	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	0	2	0	0	15	18	51
26	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
27	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8
28	दादर तथा नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	दिल्ली	0	0	1	9	2	9	1	0	96	118	426
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
32	पांडिचेरी	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4
33	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	1	1	0	10	12	33
34	झारखंड	0	0	0	2	1	1	2	0	19	25	98
35	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	1	5	0	35	41	215
36	विदेशी	0	0	0	0	0	2		0	2	4	4
	tM+	10	3	29	81	14	120	161	1	1412	1831	8620

dy tM+ ¼ 1559 \$ 5230 \$ 1831 ¼ 8620

गायब	5
झूठे तौर पर फँसाना	420
हिरासतीय हिंसा	1
अवैध गिरफ्तारी	188
गैर कानूनी नजरबंदी	472
कार्रवाई करने में असफल	1766
अभिकथित नकली मुठभेड़	34
अन्य पुलिस ज्यादतियाँ	2344
महिलाओं के प्रति अनादर	61
यौन उत्पीड़न	92
अपहरण, बलात्कार तथा हत्या	209
दहेज मृत्यु अथवा तत्संबंधी प्रयास	616
दहेज की मांग	266
महिलाओं का शोषण	139
महिलाओं का बलात्कार	176
बाल श्रम	10
बाल विवाह	3
बंधुआ श्रमिक	29
कैदियों का उत्पीड़न	81
जेलों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी	14
जेल की स्थिति	120
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार	161
साम्प्रदायिक हिंसा	1
अन्य	1412
dy	8620

31 एप्रिल 2004 दिसा यंत्रिका दहा जिल्हा; ओडीएके नकाशा ओडीएके फोर्मा

ओडीएके	जिल्हा; ओडीएके नकाशा	यंत्रिका दहा जिल्हा; ओडीएके				यंत्रिका दहा जिल्हा; ओडीएके			
		ओडीएके	ओडीएके	ओडीएके	ओडीएके	ओडीएके	ओडीएके	ओडीएके	ओडीएके
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	111	2	4	117	782	250	16	1048
2	अरुणाचल प्रदेश	4	0	0	4	39	8	0	47
3	असम	18	0	0	18	238	62	8	308
4	बिहार	326	1	0	327	4751	334	8	5093
5	गोवा	3	0	0	3	34	0	0	34
6	गुजरात	159	1	0	160	567	137	3	707
7	हरियाणा	315	0	0	315	1850	97	5	1952
8	हिमाचल प्रदेश	14	0	0	14	126	3	0	129
9	जम्मू तथा कश्मीर	12	0	0	12	494	4	2	500
10	कर्नाटक	65	1	0	66	471	146	6	623
11	केरल	22	0	0	22	171	95	1	267
12	मध्य प्रदेश	213	0	0	213	1445	78	6	1529
13	महाराष्ट्र	368	1	0	369	1497	361	26	1884

14	मणिपुर	3	0	0	3	86	0	1	87
15	मेघालय	2	0	0	2	18	9	1	28
16	मिज़ोरम	0	0	0	0	14	4	0	18
17	नागालैंड	1	0	0	1	27	1	0	28
18	उड़ीसा	107	0	0	107	772	77	0	849
19	पंजाब	49	0	0	49	1188	210	0	1398
20	राजस्थान	174	0	0	174	2528	133	33	2694
21	सिक्किम	0	0	0	0	7	0	0	7
22	तमिलनाडु	140	0	0	140	939	230	8	1177
23	त्रिपुरा	2	0	0	2	52	3	0	55
24	उत्तर प्रदेश	1946	2	0	1948	27289	491	143	27923
25	पश्चिम बंगाल	55	0	0	55	661	133	5	799
26	अंडमान तथा निकाबार द्वीप समूह	2	0	0	2	8	0	0	8
27	चंडीगढ़	16	0	0	16	56	7	0	63
28	दादर तथा नागर हवेली	2	0	0	2	7	0	0	7
29	दमन एवं दीव	0	0	0	0	3	0	0	3
30	दिल्ली	292	1	0	293	3797	62	11	3870
31	लक्षद्वीप	1	0	0	1	2	0	0	2
32	पांडिचेरी	11	0	0	11	20	2	0	22
33	छत्तीसगढ़	46	0	0	46	199	53	0	252
34	झारखंड	141	0	0	141	1287	90	0	1377
35	उत्तरांचल	123	0	0	123	1182	28	0	1210
36	विदेशी	11	0	0	11	43	0	0	43
	tkm+	4754	9	4	4767	52650	3108	283	56041

कुल जोड़ = 4767 + 56041 = 60808

अनुबंध 15

पैरा 15-3

2003 & 2004 के लिए राज्यों के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए
 2003-04 के लिए राज्यों के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए


क्र.सं.	राज्य	कुल	विकास के लिए				कुल	कुल
			1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	900	10	114	0	0	16	1040
2	अरुणाचल प्रदेश	38	2	1	1	0	0	42
3	असम	176	6	18	0	0	7	207
4	बिहार	4392	9	139	0	0	1	4541
5	गोवा	44	0	0	0	0	0	44
6	गुजरात	1211	20	37	0	0	0	1268
7	हरियाणा	2913	2	49	0	0	1	2965
8	हिमाचल प्रदेश	170	0	2	0	0	0	172
9	जम्मू तथा कश्मीर	214	0	0	0	0	0	214
10	कर्नाटक	591	4	52	0	0	4	651
11	केरल	204	4	51	0	0	0	259
12	मध्यप्रदेश	2221	3	30	0	0	3	2257

13	महाराष्ट्र	2607	32	148	0	0	5	2792
14	मणिपुर	37	0	0	0	0	0	37
15	मेघालय	14	3	3	0	0	0	20
16	मिजोरम	3	0	2	0	0	0	5
17	नागालैंड	11	0	0	0	0	0	11
18	उड़ीसा	1127	1	52	0	0	0	1180
19	पंजाब	959	7	81	0	0	0	1047
20	राजस्थान	2256	5	45	0	0	0	2306
21	सिक्किम	3	0	0	0	0	0	3
22	तमिलनाडु	1422	12	106	0	0	6	1546
23	त्रिपुरा	36	0	0	0	0	0	36
24	उत्तर प्रदेश	40396	18	199	0	0	48	40661
25	पश्चिम बंगाल	889	13	43	0	0	2	947
26	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	18	0	0	0	0	0	18
27	चंडीगढ़	103	0	4	0	0	0	107
28	दादर तथा नागर हवेली	6	0	0	0	0	0	6
29	दमन एवं दीव	6	0	0	0	0	0	6
30	दिल्ली	4610	3	22	0	0	1	4636
31	लक्षद्वीप	4	0	0	0	0	0	4
32	पांडिचेरी	54	1	0	0	0	0	55
33	छत्तीसगढ़	371	2	42	0	0	0	415
34	झारखंड	1537	3	53	0	0	1	1594
35	उत्तरांचल	1802	2	7	0	0	5	1816
36	विदेशी	82	0	0	0	0	0	82
	द्वारा	71427	162	1300	1	0	100	72990

2003–2004 के दौरान रजिस्टर्ड मामलों की राज्यवार सूची

विस्तृत ब्यौरे के लिए देखें अनुबंध 15


कुल मामले—72990



पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001, 2002, 2003 के दौरान रजिस्टर्ड मामलों की सूची


विस्तृत ब्योरों के लिए देखें अनुबंध 15

वर्ष के दौरान कुल रजिस्ट्रेशन




वर्ष 2003-2004 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार से संबंधित पंजीकृत सूचनाओं की राज्यवार सूची

विस्तृत ब्यौरे के लिए देखें अनुबंध 15




वर्ष 2003-2004 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए/लम्बित मामले

विस्तृत ब्यौरों के लिए देखें अनुबंध-12



वर्ष 2003–2004 के दौरान आरंभ में ही खारिज मामले; राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में खारिज की दर 1% से अधिक


विस्तृत ब्यौरों के लिए देखें अनुबंध-12



वर्ष 2003-2004 के दौरान निर्देशों सहित निपटाए गए मामले राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में खारिज दर 1% से अधिक

विस्तृत ब्यौरों के लिए देखें अनुबंध-12

कुल मामले-13415



वर्ष 2003–2004 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों का स्वरूप और वर्गीकरण

विस्तृत बयारों के लिए देखें अनुबंध 13, क, ख, ग

कुल मामले : 8620

